



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

भारत सरकार गृह मंत्रालय



वार्षिक रिपोर्ट
2021-22



सत्यमेव जयते

भारत सरकार गृह मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

विषय सूची

अध्याय - 1 गृह मंत्रालय का कार्य क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा	1-5
अध्याय - 2 आंतरिक सुरक्षा	6-23
अध्याय - 3 सीमा प्रबंधन	24-43
अध्याय - 4 देश में अपराध का परिदृश्य	44-50
अध्याय - 5 मानव अधिकार और राष्ट्रीय एकता	51-58
अध्याय - 6 संघ राज्य क्षेत्र	59-83
अध्याय - 7 पुलिस बल	84-113
अध्याय - 8 अन्य पुलिस संगठन एवं संस्थान	114-138
अध्याय - 9 आपदा प्रबंधन	139-168
अध्याय - 10 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	169-173
अध्याय - 11 प्रमुख पहलें और स्कीमें	174-189
अध्याय - 12 विदेशी राष्ट्रिक, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और पुनर्वास	190-201
अध्याय - 13 महिला सुरक्षा	202-213
अध्याय - 14 जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामले	214-234
अध्याय - 15 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त (आरजी एवं सीसीआई)	235-245
अध्याय - 16 केंद्र-राज्य संबंध और अन्य विविध विषय	246-260
अनुलग्नक (I-XXII)	261-297

अध्याय-1

गृह मंत्रालय का कार्य क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा

1.1 गृह मंत्रालय विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करता है, जिनमें देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र-राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) का प्रशासन, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II—“राज्य सूची” की प्रविष्टि 1 और 2 के अनुसार, “लोक व्यवस्था” और “पुलिस” राज्यों के उत्तरदायित्व हैं, तथापि संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के संबंध में सुरक्षा प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलाया जा रहा है। इन दायित्वों के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा किए बिना, राज्यों में सुरक्षा, शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए उनकी आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की लगातार निगरानी करता है, राज्य सरकारों को उपयुक्त एडवाइजरी जारी करता है, आसूचना संबंधी जानकारी को साझा करता है तथा जनशक्ति एवं वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और सुविज्ञ राय प्रदान करता है।

1.2 वर्ष के दौरान गृह मंत्रालय में मंत्रियों, गृह सचिव, सचिवों, विशेष सचिवों, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के पद पर रहे/पदासीन अधिकारियों के बारे में सूचना अनुलग्नक-I में दी गई है। संगठनात्मक चार्ट भी अनुलग्नक-II में दिया गया है।

1.3 गृह मंत्रालय के विद्यमान प्रभागों की सूची और उनके मुख्य दायित्व क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

प्रशासन प्रभाग

1.4 प्रशासन प्रभाग का दायित्व सभी प्रशासनिक और सतर्कता मामलों को देखना तथा मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के मध्य कार्य का आवंटन करना है। प्रशासन प्रभाग, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामलों के लिए नोडल प्रभाग भी है। यह प्रभाग सचिवालय सुरक्षा संगठन के प्रशासनिक मामलों को भी देखता है।

सीमा प्रबंधन-I (बीएम-I) प्रभाग

1.5 बीएम-I प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमाओं के सशक्तिकरण, वहां पर पुलिस व्यवस्था और चौकसी करने से संबंधित मामलों को देखता है, जिनमें भारत-पाकिस्तान, भारत-बांग्लादेश, भारत-चीन, भारत-नेपाल, भारत-भूटान और भारत-म्यांमार की सीमाओं पर सीमा बाड़, सीमा सड़क, सीमा फ्लड लाइट तथा सीमा रक्षक बलों की सीमा चौकियों इत्यादि से जुड़े अवसंरचनागत कार्यों के सृजन और सुधार के द्वारा भू-सीमाओं का प्रबंधन करना सम्मिलित है। यह प्रभाग “सीमा अवसंरचना संबंधी अधिकार प्राप्त समिति (ईसीबीआई)” से संबंधित मामलों को भी देखता है।

सीमा प्रबंधन-II (बीएम-II) प्रभाग

1.6 बीएम-II प्रभाग सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी), तटीय सुरक्षा स्कीम (सीएसएस) और भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) से संबंधित मामलों को देखता है। बीएडीपी केंद्रप्रायोजित एक मुख्य स्कीम है, जिसका क्रियान्वयन सीमा प्रबंधन के एक व्यापक

दृष्टिकोण के भाग के रूप में राज्य सरकारों के माध्यम से किया जा रहा है। तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में तटीय सुरक्षा से संबंधित अवसंरचना निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु तटीय सुरक्षा स्कीम का क्रियान्वयन विविध चरणों में किया जाता है। यह प्रभाग एलपीएआई के स्थापना मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। इसे देश की भू-सीमाओं पर एकीकृत जांच चौकी (आईसीपी) का निर्माण, विकास और अनुरक्षण करने तथा साथ ही आईसीपी के विकास हेतु विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है।

समन्वय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (सीआईसी) प्रभाग

1.7 सीआईसी प्रभाग (समन्वय विंग) मंत्रालय के अंदर समन्वय संबंधी कार्य, संसदीय मामलों, लोक शिकायतों (पीजी), अदालती मामलों की निगरानी, राजभाषा, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन, वेबसाइट प्रबंधन, रिकार्ड प्रतिधारण समय-सूची, मंत्रालय के वर्गीकृत और गैर-वर्गीकृत रिकार्डों के अभिरक्षण, ई-समीक्षा के मामले, अनुसूचित जातियों (एससी)/अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और विकलांग व्यक्तियों के रोजगार संबंधी विभिन्न रिपोर्टें प्रस्तुत/प्रकाशित करने इत्यादि से संबंधित कार्यों को देखता है।

1.8 इस प्रभाग का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) विंग सुरक्षा सहयोग से संबंधित करारों/संधियों को अंतिम रूप प्रदान करने/उन पर वार्ता करने, स्वापक पदार्थों के अवैध व्यापार और द्विपक्षीय पारस्परिक विधिक सहायता संधियों (एमएलएटी) इत्यादि से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल है। यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक), दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान), शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) आदि से जुड़े कार्यों को देखने के लिए गृह मंत्रालय में एक केंद्र बिंदु है। यह प्रभाग दूसरे देशों के साथ हस्ताक्षरित सभी समझौता ज्ञापनों (एमओयू)/करारों के संबंध में सुरक्षा स्वीकृतियों तथा गृह मंत्री और

गृह सचिव स्तर पर अन्य द्विपक्षीय वार्ताओं/बैठकों के लिए समन्वय कार्य भी करता है।

केंद्र- राज्य (सीएस) प्रभाग

1.9 सीएस प्रभाग केन्द्र-राज्य संबंधों का कार्य देखता है, जिनमें इस प्रकार के संबंधों को शासित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की क्रियाशीलता, राज्यपालों की नियुक्ति, नए राज्यों के सृजन, राज्य सभा/लोक सभा के लिए नामांकन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद, राज्यों में अपराध की स्थिति पर नजर रखना, राष्ट्रपति शासन लगाना इत्यादि शामिल है।

1.10 सीएस प्रभाग में पब्लिक सेक्शन भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, पूर्वता अधिपत्र, वीरता पुरस्कारों की अशोक चक्र श्रृंखला, जीवन रक्षा पदक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय सम्प्रतीक इत्यादि से जुड़े कार्यों को देखता है।

साइबर और सूचना सुरक्षा (सीआईएस) प्रभाग

1.11 सीआईएस प्रभाग सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति और दिशानिर्देशों (एनआईएसपीजी) का क्रियान्वयन करने, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की आईटी अवसंरचना की साइबर सुरक्षा और जोखिम मूल्यांकन, देश में साइबर अपराधों से निपटने हेतु समन्वय स्थापित करने, महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध को रोकने से संबंधित स्कीम, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र(आई4सी) स्कीम, साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना, नियमित सूचना सुरक्षा ऑडिट, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, विधिसम्मत इंटरसेप्शन और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (एनएटीजीआरआईडी) आदि से संबंधित मामलों/कार्यों को देखता है।

आतंकवाद-रोधी एवं कट्टरवाद-रोधी (सीटीसीआर) प्रभाग

1.12 आतंकवाद-रोधी एवं कट्टरवाद-रोधी

(सीटीसीआर) प्रभाग आतंकवाद से संबंधित नीतिगत एवं ऑपरेशनल मुद्दों, कट्टरवाद को रोकने/कट्टरवाद को समाप्त करने, आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने तथा साथ ही राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के प्रशासनिक, वित्तीय और सांविधिक मामलों को देखता है।

आपदा प्रबंधन (डीएम) प्रभाग

1.13 डीएम प्रभाग का दायित्व प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं (सूखा और महामारी को छोड़कर) से निपटने के लिए विधायन, नीति निर्माण, क्षमता निर्माण, रोकथाम, न्यूनीकरण, दीर्घकालिक पुनर्वास, कार्रवाई, राहत कार्य तथा तैयारी के कार्य करना है।

वित्त प्रभाग

1.14 वित्त प्रभाग का दायित्व मंत्रालय का बजट तैयार करना, उसको संचालित और नियंत्रित करना है तथा व्यय नियंत्रण एवं निगरानी और वित्तीय सलाह आदि से संबंधित अन्य मामलों को देखना है।

विदेशी विषयक प्रभाग

1.15 विदेशी विषयक प्रभाग वीजा, संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) प्रणाली, आप्रवासन, नागरिकता, प्रवासी भारतीय नागरिकता, विदेशी अभिदाय की प्राप्ति तथा अतिथि सत्कार से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास (एफएफआर) प्रभाग

1.16 एफएफआर प्रभाग, "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम" और पुराना पश्चिमी पाकिस्तान/पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हुये लोगों के पुनर्वास के लिए स्कीमों को बनाता है और इन्हें कार्यान्वित करता है तथा श्रीलंकाई और तिब्बती शरणार्थियों को राहत देने की व्यवस्था करता है।

आंतरिक सुरक्षा-I (आईएस-I) प्रभाग

1.17 आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग आंतरिक सुरक्षा,

कानून-व्यवस्था, पंजाब से जुड़े मामलों; राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने; हथियार एवं विस्फोटक पदार्थ; व्यक्तियों और महत्वपूर्ण स्थापनाओं की सुरक्षा, परियोजनाओं एवं प्रस्तावों को सुरक्षा की दृष्टि से स्वीकृति देने, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरएंडडी) से जुड़े मामलों और राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना आदि से संबंधित मामलों को देखता है।

आंतरिक सुरक्षा-II (आईएस-II) प्रभाग

1.18 आंतरिक सुरक्षा-II प्रभाग प्रत्यर्पण, पारस्परिक कानूनी सहायता, इंटरपोल, मदक पदार्थ विधि प्रवर्तन, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, मानव अधिकारों की सुरक्षा तथा आतंकवाद/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवाद की हिंसा और सीमा-पार गोलीबारी एवं भारतीय क्षेत्र में माइन/इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) विस्फोट से पीड़ित हुये आम नागरिक/उनके परिवारों हेतु केंद्रीय सहायता स्कीम से संबंधित मामलों को देखता है।

जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामले विभाग

1.19 जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामले विभाग जम्मू और कश्मीर के भीतर आतंकवाद से निपटने समेत जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) एवं लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) से संबंधित सभी मामलों और साथ ही भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को विशेष रूप से आवंटित विषयों/मामलों के संबंध में समन्वय के कार्य को देखता है। यह विभाग जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में भारत सरकार की प्रमुख स्कीमों और व्यक्तिगत लाभार्थी केंद्रित स्कीमों तथा प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) सहित आर्थिक महत्व की प्रमुख परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए भी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय करता है।

न्यायिक विंग

1.20 न्यायिक विंग, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी),

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और जांच आयोग अधिनियम के विधायी पहलुओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। यह संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति की अपेक्षा वाले राज्य विधायनों, स्वतंत्रता से पहले के तत्कालीन शासकों को राजनयिक पेंशन देने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिकाओं से संबंधित मामलों को भी देखता है।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभाग

1.21 एलडब्ल्यूई प्रभाग, वामपंथी उग्रवाद की स्थिति और प्रभावित राज्यों द्वारा किए जा रहे उपायों पर नजर रखता है, जिसका उद्देश्य बुनियादी स्तर पर पुलिस व्यवस्था में सुधार करना और प्रभावित राज्यों द्वारा तैयार की गई/तैयार की जाने वाली स्थान-विशिष्ट कार्य योजनाओं के अनुरूप विकास संबंधी कार्रवाई करना है। यह प्रभाग, वामपंथी उग्रवाद(एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के उचित कार्यान्वयन तथा ऐसी योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियों के इष्टतम उपयोग की समीक्षा भी करता है।

पूर्वोत्तर (एनई) प्रभाग

1.22 एनई प्रभाग, पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखता है, जिसमें उस क्षेत्र में विद्रोह से संबंधित मामले और वहां पर सक्रिय विभिन्न उग्रवादी समूहों के साथ बातचीत करना शामिल है।

पुलिस-I (पी-I) प्रभाग

1.23 पुलिस-I प्रभाग, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के संबंध में संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है और पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण, सराहनीय/विशिष्ट सेवा तथा वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक आदि से संबंधित सभी मामलों को भी देखता है।

पुलिस-II (पी-II) प्रभाग

1.24 पुलिस-II प्रभाग, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) तथा उनकी तैनाती से संबंधित सभी मामलों

को देखता है।

पुलिस आधुनिकीकरण (पीएम) प्रभाग

1.25 पीएम प्रभाग राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न मदों की व्यवस्था, पुलिस संचार, पुलिस सुधार और निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन आदि से संबंधित कार्य करता है।

संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रभाग

1.26 यूटी प्रभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सहित सभी संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सभी विधायी और संवैधानिक मामलों को देखता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस)/भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के "अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र (एजीएमयूटी) संवर्ग" तथा साथ ही "दिल्ली-अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा (दानिक्स)/दिल्ली-अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा (दानिप्स) के संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। यह संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में अपराध तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की निगरानी करने के लिए भी उत्तरदायी है।

महिला सुरक्षा प्रभाग

1.27 सरकार ने दिनांक 28.05.2018 को गृह मंत्रालय में एक महिला सुरक्षा प्रभाग की स्थापना की है, ताकि देश के भीतर महिला सुरक्षा के उपायों को सशक्त बनाया जा सके और न्याय का समग्र रूप से त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन करके और साथ ही महिलाओं हेतु एक सुरक्षित वातावरण तैयार करके उनमें सुरक्षा की भावना पैदा की जा सके। यह प्रभाग कारागार सुधार और संबंधित विषयों समेत उद्देश्यों की प्राप्ति में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से नीति निर्माण करने, आयोजना करने, समन्वय करने और

परियोजनाओं/स्कीमों को तैयार कर उनका क्रियान्वयन करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में आईटी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग

बढ़ाना तथा साथ ही फॉरेंसिक विज्ञान और अपराध एवं आपराधिक रिकॉर्डों के लिए एक सहायक ईको-सिस्टम तैयार करना शामिल है।

अध्याय-2

आंतरिक सुरक्षा

2.1 देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का वर्गीकरण मोटे तौर पर निम्नानुसार किया जा सकता है :—

- (क) देश के भीतरी भाग में आतंकवाद
- (ख) कतिपय क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई)
- (ग) पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह
- (घ) जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) में सीमा पार से आतंकवाद

2.2 वर्ष 2021 के दौरान देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में रही। भारत सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने पर उपयुक्त प्राथमिकता दी है। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर मुख्य फोकस जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) में आतंकवाद का मुकाबला करने, पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में सुधार करने, वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने और देश के भीतरी भाग में शांति बनाए रखने पर रहा। यद्यपि जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) के संबंध में ब्योरा अध्याय— XIV में दिया गया है, तथापि (क), (ख) और (ग) के संबंध में सुरक्षा स्थिति निम्नानुसार है :

2.3 आतंकवाद से निपटने हेतु क्षमता निर्माण

- (क) चूंकि, किसी भी आतंकवादी घटना की स्थिति में राज्य सुरक्षा बल सबसे पहले कार्रवाई करने वाले संगठन होते हैं; इसलिए केंद्र सरकार द्वारा आसूचना जुटाने, आतंकवादी घटनाओं पर कार्रवाई करने और जांच करने के क्षेत्र में नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से इन राज्य पुलिस बलों का क्षमता संवर्धन किया जाता है।
- (ख) आतंकवादी गतिविधियों में शामिल आतंकवादी संगठनों अथवा व्यक्तियों के नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की

क्रमशः पहली और चौथी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। केंद्र सरकार ने अभी तक 42 संगठनों को आतंकवादी संगठनों और 31 व्यक्तियों को आतंकवादी व्यक्तियों के रूप में घोषित किया है।

- (ग) गृह मंत्रालय ने विदेशी राष्ट्रों के साथ "आतंकवाद का मुकाबला करने के संबंध में संयुक्त कार्य समूह" की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- (घ) विधि प्रवर्तन एजेंसियां (एलईए) देश की सुरक्षा, शांति और लोक शांति पर प्रभाव डालने वाले कट्टरपंथी संगठनों और समूहों की गतिविधियों पर नजर रखती हैं और जहां कहीं भी जरूरी होता है, कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत कार्रवाई करती हैं।

आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु संस्थाएं

(क) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए)

2.4 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) का गठन एनआईए अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों की जांच करने और अभियोजन चलाने के लिए एक विशेष एजेंसी के रूप में एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) आतंकवाद के वित्तपोषण के मामलों सहित आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक प्रमुख जांच एजेंसी है। एनआईए ने अपने गठन से लेकर दिनांक 31.03.2022 तक, 438 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 349 मामलों में आरोप पत्र सौंपे गए हैं। 89 मामलों में विचारण पूरा हो गया है, जिनमें से 83 मामलों में दोषसिद्धि की गई है।

(ख) बहु एजेंसी केंद्र (एमएसी)

2.5 एमएसी की स्थापना के बाद से दिनांक 31.12.2021

तक, एमएसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 4,06,925 इनपुट साझा किए गए हैं। एमएसी के अधिदेश के अनुसरण में, वर्ष 2021 में नई दिल्ली स्थित एमएसी में 297 दैनिक नोडल अधिकारी बैठकें, फोकस समूह की बैठकें, सीमा पार से आतंकवाद/वामपंथी उग्रवाद संबंधी मुद्दों/पंजाब में विद्रोह और पूर्वोत्तर में आईआईजी शिविरों से संबंधित मुद्दों पर बैठकें आयोजित की गई थीं। इसके अलावा, राज्य स्तर पर आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सहायक बहु एजेंसी केंद्रों (एसएमएसी) में 264 बैठकें आयोजित की गई थीं।

2.6 जून 2021 में एमएसी ने "एमएसी- एसएमएसी-स्टेट एसबी नेटवर्क" पर खतरा प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) के साथ एकीकृत राष्ट्रीय मेमोरी बैंक (एनएमबी) को भी शुरू किया था। आतंकवाद का मुकाबला करने संबंधी मुद्दों पर स्टेकहोल्डरों द्वारा विश्लेषण किए जाने की सुविधा के लिए एनएमबी पर आईआरएस, पीरियाडिकल्स, डोजियरों, घटना रिपोर्टों आदि के रूप में 30,991 डेटा अपलोड किए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड)

2.7 नेटग्रिड की परिकल्पना एक ऐसी अवसंरचना (फ्रेमवर्क) के रूप में की गई है, जो देश की आतंकवाद-रोधी क्षमता में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से अनुमोदित प्रयोक्ता एजेंसियों (यूए)(सुरक्षा/विधि प्रवर्तन) को नामित डाटा प्रदाताओं के साथ जोड़ने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में वृद्धि करेगी। नेटग्रिड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 1002.97 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। नई दिल्ली और बेंगलुरु में सिविल अवसंरचना का कार्य पूरा हो चुका है।

2.8 नेटग्रिड ने इन हाउस संसाधनों की सहायता से नेटस्टार कनेक्टर्स विकसित किए हैं तथा 11 प्रयोक्ता एजेंसियों (यूए) और 10 प्रदाता संगठनों (पीओ) को जोड़कर इसे क्रियाशील बनाया गया है। नेटस्टार कनेक्टर्स की कनेक्टिविटी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई है।

(घ) आतंकवाद वित्तपोषण रोकथाम सेल (सीएफटी सेल)

2.9 गृह मंत्रालय में आतंकवाद वित्तपोषण रोकथाम

(सीएफटी) सेल, आतंकवाद के वित्तपोषण और जाली भारतीय करेंसी नोट (एफआईसीएन) की रोकथाम से संबंधित नीतिगत मामलों को देखता है।

2.10 जाली करेंसी नोटों के प्रचलन की समस्या से निपटने के लिए राज्यों/केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना/सूचना का आदान-प्रदान करने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा एक एफआईसीएन समन्वय समूह (एफसीओआरडी) गठित किया गया है।

2.11 आतंक के वित्तपोषण तथा जाली करेंसी नोटों के मामलों पर केंद्रित जांच करने के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) में एक "आतंक वित्तपोषण एवं जाली करेंसी सेल (टीएफएफसी)" गठित किया गया है।

2.12 जाली करेंसी नोटों की तस्करी और प्रचलन को रोकने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेपाल और बांग्लादेश के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि उन्हें भारतीय करेंसी की तस्करी/जालसाजी के बारे में जागरूक बनाया जा सके। आतंक के वित्तपोषण की गतिविधियों में शामिल तत्वों पर कड़ी नजर रखने के लिए, केंद्र और राज्यों की आसूचना और सुरक्षा एजेंसियां साथ मिलकर कार्य करती हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई करती हैं।

2.13 भारत दिनांक 25.06.2010 से वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ), जो एक अंतर-सरकारी निकाय है, का एक सदस्य है। यह निकाय धनशोधन के विरुद्ध (एएमएल) तथा आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम (सीएफटी) के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करने हेतु उत्तरदायी है। भारत, एफएटीएफ की तरह के क्षेत्रीय निकायों (एफएसआरबी) जैसे कि यूरेशियन ग्रुप (ईएजी) ऑन काम्बेटिंग मनी लांड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म तथा एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लांड्रिंग (एपीजी), का भी सदस्य है। भारत "आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम पर बिम्स्टेक उप समूह" की बैठकों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है।

उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों की सुरक्षा

2.14 आतंकवादी और उग्रवादी समूहों से खतरे के

कारण उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराना अनिवार्य हो जाता है। चूंकि ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरा एक परिवर्तनशील स्थिति है, इसलिए गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर उनकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाता है। आतंकवादियों और उग्रवादियों के मंसूबों का प्रभावी तरीके से मुकाबला करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि देश में सुरक्षा, लोक व्यवस्था और शांति को बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके।

2.15 गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों की सुरक्षा और उनके आवागमन के बारे में भी लगातार सचेत किया जाता है। इस संबंध में, उन्हें आवश्यकतानुसार, नियमित रूप से परामर्शी-पत्र भेजे जाते हैं। राज्यों के सुरक्षा बलों को ऐसी सुरक्षा ड्यूटियों के लिए सुसज्जित करने हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के प्रशिक्षण संस्थानों में पुलिस कमाण्डो के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

विमानपत्तन सुरक्षा / दिल्ली मेट्रो सुरक्षा

2.16 विमानन क्षेत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए, आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की प्राप्ति, विमानपत्तनों में बेहतर सुरक्षा प्रक्रियाओं तथा सुरक्षा कार्मिकों की पर्याप्त तैनाती पर ध्यान दिया गया है। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए), आसूचना ब्यूरो (आईबी), सीआईएसएफ और अन्य संगठनों के साथ परामर्श करके प्रशासनिक तंत्र स्थापित किए गए हैं। विमानपत्तनों के लिए आतंकवाद-रोधी आकस्मिक योजना [सीटीसीपी] तैयार की गई है तथा इसे क्रियान्वयन हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है। विमानपत्तनों की सुरक्षा के संबंध में प्राप्त खतरे की सूचनाओं को तुरंत ही नागर विमानन मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार के साथ साझा किया जाता है।

2.17 सीआईएसएफ द्वारा दिल्ली मेट्रो के लिए सुरक्षा एक मजबूत सुरक्षा ढांचे के तहत प्रदान की जाती है। देश

में चल रही अन्य 8 मेट्रो प्रणालियों (रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम, बेंगलोर मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, मुंबई मेट्रो, जयपुर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, लखनऊ मेट्रो और कोलकाता मेट्रो) का सुरक्षा समन्वय भी सीआईएसएफ द्वारा किया जाता है।

महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की सुरक्षा

2.18 देश में महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की सुरक्षा मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्रालय/विभाग अथवा संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा के आधार पर, गृह मंत्रालय उन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थापनाओं के सुरक्षा मानकों और आवश्यकता के बारे में आवधिक रूप से परामर्श प्रदान करता है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण संस्थापनाओं के बारे में प्राप्त खतरे की सूचनाएं, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/मंत्रालयों के साथ तत्काल साझा की जाती हैं। संगठनों/मंत्रालयों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, कतिपय महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को तैनात किया जाता है। महत्वपूर्ण संस्थापनाओं के सुरक्षा वर्गीकरण की समीक्षा की गई है तथा उनके खतरे की संभावना को देखते हुए और अधिक संख्या में महत्वपूर्ण संस्थापनाओं को शामिल करने के लिए उन्हें ए, बी, सी, डी एवं ई के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

धार्मिक पीठों/स्थलों की सुरक्षा

2.19 देश में धार्मिक पीठों/स्थलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। तथापि, किसी विशिष्ट खतरे की सूचना प्राप्त होने पर अथवा सुरक्षा को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता होने पर, गृह मंत्रालय द्वारा ऐसी धार्मिक पीठों/स्थलों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक एडवाइजरी और चेतावनियां जारी की जाती हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी

2.20 प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कंपनियों, बोलीदाताओं और व्यक्तियों को लाइसेंस, परमिट, अनुमति, संविदा जारी करने से पहले संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) नोडल

मंत्रालय है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी का उद्देश्य आर्थिक खतरों सहित संभावित सुरक्षा के खतरों का मूल्यांकन करना है तथा प्रमुख, संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश और परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले वहां जोखिम का मूल्यांकन करना है। इसका उद्देश्य जहां एक ओर राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं के बीच एक संतुलन बनाना है, वहीं दूसरी ओर देश में व्यापार को सुगम बनाना एवं निवेश को बढ़ावा देना है। दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान, सुरक्षा मंजूरी के 1096 प्रस्तावों का निपटान किया गया था।

वार्षिक डीजीपी / आईजीपी सम्मेलन

2.21 56वें वार्षिक डीजीपी / आईजीपी सम्मेलन का आयोजन पुलिस मुख्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 19-21 नवम्बर, 2021 के दौरान किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 19.11.2021 को किया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने 20-21 नवम्बर, 2021 के दौरान सम्मेलन की कार्यवाही की अध्यक्षता की। सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने, साइबर सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद, स्वापक पदार्थों की तस्करी से संबंधित कई मुद्दों तथा पुलिस व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए सरकार का दृष्टिकोण एवं कार्य योजना

2.22 भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों के प्रयासों को सम्पूरित कर रही है। भारत सरकार ने सुरक्षा एवं विकास के क्षेत्रों में समस्याओं का समाधान करके तथा साथ ही सुशासन को भी बढ़ावा देकर वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए एक एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। इसे हासिल करने के लिए, एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने आदि क्षेत्रों में बहु-आयामी रणनीति अपनाई गई है।

2.23 सुरक्षा संबंधी उपायों में, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) प्रदान करना, भारतीय रिजर्व (आईआर) बटालियनों की मंजूरी, राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण एवं स्तरोन्नयन, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत सुरक्षा खर्चों की प्रतिपूर्ति, विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) के तहत राज्यों की विशेष खुफिया शाखाओं एवं विशेष बलों को सुदृढ़ बनाना और पुलिस स्टेशनों (पीएस) को सुरक्षित बनाना, एलडब्ल्यूई-रोधी ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर प्रदान करना, रक्षा मंत्रालय (एमओडी), केंद्रीय पुलिस संगठनों और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के माध्यम से राज्य पुलिस को प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करना, खुफिया जानकारी साझा करना, अंतर-राज्य समन्वय की सुविधा देना, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था और नागरिक कार्यवाई आदि शामिल हैं।

2.24 इसके साथ ही, विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। भारत सरकार ने सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी अवसंरचना में सुधार और कौशल उन्नयन आदि के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं। आगे और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से सार्वजनिक अवसंरचनाओं और सेवाओं, जो कि तत्काल प्रकृति के होते हैं, में महत्वपूर्ण कमी को पूरा करने के लिए एलडब्ल्यूई से सर्वाधिक प्रभावित हुए जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत धनराशि प्रदान की जाती है।

2.25 इसके पीछे यह विचाराधारा है कि वामपंथी उग्रवाद के खतरे से ठोस ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकारों की क्षमता में वृद्धि की जाए।

2.26 सरकार द्वारा राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना के ठोस कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, देश भर में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के परिदृश्य में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। गत सात वर्षों के दौरान, वामपंथी उग्रवाद की हिंसा के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद के भौगोलिक विस्तार में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। एलडब्ल्यूई हिंसा में गिरावट का सिलसिला वर्ष 2011 में शुरू हुआ था, जो वर्ष 2021 में भी जारी रहा। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2021 में हिंसक घटनाओं में कुल 55% की कमी (1136 से घटकर 509) हुई है और एलडब्ल्यूई से संबंधित मौतों में 63% की कमी (397 से घटकर 147) हुई है।

वर्ष 2020 की तुलना में, वर्ष 2021 में हिंसा की घटनाओं में 24% की कमी (665 से घटकर 509) और परिणामी मौतों में 20%(183 से घटकर 147) की कमी आई है। साथ ही, भारत सरकार की विकासोन्मुख पहल के कारण वामपंथी उग्रवादियों के कैंडरों ने पहले से ज्यादा बड़ी संख्या में हिंसा का रास्ता छोड़ा है और वे मुख्य धारा में लौटे हैं। वामपंथी उग्रवाद के परिदृश्य में सुधार होने के कारण, गत 03 वर्षों में एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों की सूची दो बार संशोधित की गई है। एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों की संख्या घटकर अप्रैल, 2018 में 90 हो गई थी और पुनः जुलाई, 2021 में घटकर 70 हो गई है।

2.27 वर्ष 2021 में, छत्तीसगढ़ (255 घटनाएं और 101 मौतें) सर्वाधिक प्रभावित राज्य रहा, इसके बाद झारखंड (130 घटनाएं और 26 मौतें), ओडिशा (32 घटनाएं और 03 मौतें), महाराष्ट्र (31 घटनाएं और 06 मौतें) और बिहार (26 घटनाएं और 07 मौतें) का स्थान आता है।

2.28 वामपंथी उग्रवाद के परिदृश्य में सुधार का श्रेय वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी और उनकी क्षमता में वृद्धि, प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर अभियान की रणनीति तथा विकास योजनाओं की बेहतर निगरानी को दिया जा सकता है। एलडब्ल्यूई हिंसा की स्थिति का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

2.29 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) संबंधी हिंसा के भौगोलिक प्रसार में भी काफी कमी आ रही है। वर्ष 2021 में, 8 राज्यों के 46 जिलों के 191 पुलिस स्टेशनों (पीएस) से वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2013 में 10 राज्यों के 76 जिलों के 330 पुलिस स्टेशनों से वामपंथी उग्रवाद के संबंध में हिंसा की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। हिंसा को मात्र 25 जिलों तक उल्लेखनीय रूप से सीमित कर दिया गया है, जो 90% वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) संबंधी हिंसा के लिए उत्तरदायी हैं। देश में विभिन्न वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) संगठनों में सीपीआई (माओवादी) सर्वाधिक प्रभावी बना हुआ है और यह कुल वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) हिंसा की 90% से अधिक घटनाओं के लिए तथा उसके परिणामस्वरूप

होने वाली 95% मौतों के लिए जिम्मेदार है। घटते हुए प्रभाव के बीच, सीपीआई (माओवादी) अंतर-राज्यीय सीमाओं के साथ-साथ नए क्षेत्र में बिना किसी उल्लेखनीय सफलता के अपना विस्तार करने का प्रयास कर रहा है।

2.30 अधिकांश राज्यों में माओवादियों के बैकफुट पर आने के लिए मजबूर हो जाने के कारण, वर्तमान समय इस खतरे को हमेशा के लिए समाप्त करने का एक सुअवसर बना हुआ है।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए विशेष उपाय

2.31 **सीपीआई (माओवादी) पर प्रतिबंध:** सीपीआई (माओवादी), जो कि वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा/हताहत होने की अधिकांश घटनाओं के लिए जिम्मेदार प्रमुख वामपंथी उग्रवादी संगठन है, को इसके सभी गुटों और अग्रणी संगठनों के साथ विद्यमान विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी संगठनों की अनुसूची में शामिल किया गया है।

2.32 **आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना:** वामपंथी उग्रवाद संबंधी गतिविधियों की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए, केन्द्र और राज्य स्तर पर आसूचना एजेंसियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने और उसका उन्नयन करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इसमें 24x7 आधार पर केन्द्रीय स्तर पर मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) और राज्य स्तर पर राज्य मल्टी एजेंसी सेंटर (एसएमएसी) के माध्यम से आसूचना साझा करना शामिल है। आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में जगदलपुर एवं गया में "संयुक्त कमांड और नियंत्रण केन्द्र" की स्थापना करना, तकनीकी और मानवीय आसूचना को सुदृढ़ करना, सुरक्षा बलों (एसएफ), जिला पुलिस और आसूचना एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, वास्तविक समय पर आसूचना के सृजन पर बल देना और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में राज्य आसूचना ब्यूरो (एसआईबी) का सृजन/सुदृढीकरण करना इत्यादि शामिल हैं, जिसके लिए विशेष अवसररचना स्कीम (एसआईएस) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

2.33 बेहतर अंतर-राज्य समन्वय: सीपीआई (माओवादी) कैंडरों की गतिविधियों का क्षेत्र केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनेक राज्यों में फैला हुआ है। इसलिए, अनेक पहलुओं के संबंध में विभिन्न स्तरों पर बेहतर अंतर-राज्य समन्वय आवश्यक है। इसलिए, भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के सीमावर्ती जिलों के बीच अंतर-राज्यीय बैठकों और पारस्परिक बातचीत में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

2.34 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज (आईईडी) की समस्या का सामना करना: वामपंथी उग्रवाद-रोधी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के हताहत होने का कारण ज्यादातर आईईडी है। गृह मंत्रालय सीएपीएफ एवं राज्य पुलिस बलों को उनकी आईईडी-रोधी क्षमता का निर्माण करने में उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। आईईडी के प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने 'वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में विस्फोटकों/आईईडी/बारूदी सुरंगों से संबंधित मुद्दों' पर एक मानक प्रचालन पद्धति (एसओपी) तैयार की है और इसे सभी स्टेकहोल्डरों को परिचालित किया है।

2.35 इंडिया रिजर्व (आईआर)/स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी): वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों को मुख्यतः उनके स्तर पर सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने और साथ ही राज्यों को विशेष रूप से एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को लाभपूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने में समर्थ बनाने के लिए भी इंडिया रिजर्व (आईआर) बटालियनों मंजूर की गई हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों को 56 इंडिया रिजर्व (आईआर) बटालियनों स्वीकृत की गई थीं, जिनमें से 45 का गठन किया जा चुका है। इसके अलावा, सरकार ने बिहार (01), छत्तीसगढ़ (02), झारखंड (02), मध्य प्रदेश (01), ओडिशा (03) और पश्चिम बंगाल (01) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में 10 नई स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियनों (एसआईआरबी) के गठन को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपनी एसआईआरबी गठित कर ली हैं। गृह मंत्रालय ने बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को मंजूर की गई

एसआईआरबी के लिए एसआईआरबी के इंजीनियरिंग घटकों को उनके अनुरोध पर आईआरबी में बदलने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

2.36 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में गृह मंत्रालय की स्कीमें: वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं:

(क) **सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना:** भारत सरकार, वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) हिंसा में जान गंवाने वाले आम नागरिकों/सुरक्षा बलों के परिवारों को अनुग्रह-भुगतान, सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं, पुलिस कार्मिकों के बीमा, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैंडरों को मुआवजे, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, ग्राम रक्षा समितियों तथा प्रचार सामग्री इत्यादि पर होने वाले सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति प्रदान करती है। परिव्यय में वृद्धि के साथ स्कीम को और सुदृढ़ किया गया है। इसके अलावा, सुरक्षा कार्मिकों की अशक्तता तथा संपत्ति की क्षति के लिए मुआवजा जैसी नई मदों को पहली बार स्कीम में शामिल किया गया है। इस एसआरई स्कीम से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की वामपंथी उग्रवाद के खतरे से निपटने की क्षमता में वृद्धि होगी। 10 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या दिनांक 01.07.2021 से घटकर 70 हो गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 306.95 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ख) **वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित राज्यों में 250 सुरक्षित पुलिस स्टेशनों (पीएस) के निर्माण सहित विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस):** वर्ष 2017 में अनुमोदित इस स्कीम को राज्यों की राज्य आसूचना शाखाओं (एसआईबी) और विशेष बलों के सशक्तीकरण के लिए तथा प्रति पुलिस स्टेशन 2.5 करोड़ रुपये की दर से 250 पुलिस स्टेशनों (पीएस) को सुरक्षित बनाने के कार्य

के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। सरकार ने 991 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं (10 राज्यों में 371 करोड़ रुपये से विशेष बल (एसएफ)/विशेष आसूचना शाखाएं (एसआईबी) तथा 7 राज्यों में 620 करोड़ रुपये से 250 सुरक्षित पुलिस स्टेशन)। वर्ष 2017-18 से इस स्कीम के तहत, 184.89 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ग) **सुरक्षित पुलिस स्टेशन (एफपीएस) स्कीम :** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 2.00 करोड़ रुपये प्रति पुलिस स्टेशन की दर से 400 सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण/सुदृढीकरण में राज्य सरकारों की सहायता के लिए वर्ष 2010 में अनुमोदित इस स्कीम को 80:20 (केंद्र का हिस्सा : राज्य का हिस्सा) आधार पर कार्यान्वित किया गया है। स्कीम के तहत, सभी 400 सुरक्षित पुलिस स्टेशनों का निर्माण कर लिया गया है।

(घ) **नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम (सीएपी):** इस योजना के तहत, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों (एसएफ) के बीच दूरी को पाटना है। वित्त वर्ष 2020-21 में सीएपीएफ को 7.22 करोड़ रुपये जारी किए गए तथा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में 19 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं।

(ङ) **वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से सर्वाधिक प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए):** इस स्कीम के तहत, राज्यों को ऐसी सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं में उन महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं, जो आकस्मिक प्रकृति की होती हैं और जिन पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। राज्यों को अब तक 3085.74 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(च) **वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन के लिए केंद्रीय**

एजेंसियों को सहायता की स्कीम (एसीएलडब्ल्यूईएमएस): यह स्कीम 50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से कुल 150 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित की गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा हेलीकॉप्टर को किराए पर लेने, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) रोधी ऑपरेशनों के लिए भारतीय वायु सेना (आईएएफ) द्वारा प्रदान की गई एयर लिफ्ट सेवा से संबंधित बिलों के भुगतान करने और सीएपीएफ को अवसंरचना संबंधी सहायता प्रदान करने आदि के लिए सीएपीएफ/केंद्रीय एजेंसियों को इस स्कीम के अंतर्गत निधियां प्रदान की जाती हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, "वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता की स्कीम (एसीएलडब्ल्यूईएमएस)" के तहत 69.35 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। वर्ष 2021-22 में भारतीय वायु सेना/सीएपीएफ को 147.80 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

निगरानी तंत्र

2.37 गृह मंत्रालय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, गृह सचिव एवं विशेष सचिव/अपर सचिव के स्तर पर वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की स्थिति की नियमित आधार पर मानीटरिंग करता है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाला एक समीक्षा समूह भी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों और वीडियो कांफ्रेंसों के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की स्थिति और वहां चल रही विकास संबंधी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है।

2.38 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमें/पहलें:

(क) **वन संबंधी मंजूरी के लिए विशेष व्यवस्था:** वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों में तेजी से और त्वरित विकास सुनिश्चित करने के लिए, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पहले वन

(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत स्कूलों, डिस्पेंसरियों/अस्पतालों, विद्युत और दूरसंचार लाइनों, पेय जल परियोजनाओं, पानी/वर्षा के जल संचयन की संरचनाओं, लघु सिंचाई नहरों, ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों, कौशल उन्नयन/ व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और ग्रामीण सड़कों से संबंधित 14 श्रेणियों की अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए 40 हेक्टेयर तक वन भूमि के डायवर्जन के लिए एक सामान्य मंजूरी दी थी। सामान्य मंजूरी दिनांक 31.12.2020 तक लागू थी। इसके बाद, दिनांक 10.05.2021 के परिपत्र के माध्यम से, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों सहित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था और समय-बद्ध अनुमोदन की प्रणाली लागू की गई है।

(ख) सरकार ने दिनांक 26.02.2009 को 8 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश (अब तेलंगाना में), बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित 34 जिलों में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए "सड़क आवश्यकता योजना-I (आरआरपी-I)" अनुमोदित की थी। यह परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत, 5,361 किलोमीटर सड़कों और 8 महत्वपूर्ण पुलों को मंजूरी दी गई है। आरआरपी-I के अंतर्गत शामिल की गई सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सड़कें हैं। अभी तक 5,038 किलोमीटर सड़कों और 6 पुलों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। 324 किमी सड़कें और 2 पुल निर्माणाधीन हैं।

(ग) सरकार ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए दिनांक 8.12.2016 को "वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना" नामक एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम अनुमोदित की थी। इस परियोजना का प्रायोजक/कार्यान्वित करने वाला मंत्रालय

ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इस स्कीम में 11,725 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 5,412 किलोमीटर सड़कों के निर्माण/ उन्नयन तथा 126 पुलों/क्रॉस ड्रेनेज कार्यों की परिकल्पना की गई है। लागत में बचत होने के कारण, अनुमोदित परिव्यय के भीतर अतिरिक्त कार्य स्वीकृत किए गए थे। अब तक, राज्यों को 11,467 किलोमीटर सड़कों और 606 पुलों के लिए स्वीकृति से अवगत करा दिया गया है। इनमें से, 6,011 किलोमीटर सड़कों और 174 पुलों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, गृह मंत्रालय द्वारा अनुशंसित 1,170 किलोमीटर अतिरिक्त सड़कों/पुलों को मंजूरी देने की प्रक्रिया चल रही है।

(घ) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के मुद्दों के निराकरण के लिए, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा मोबाइल टावरों की स्थापना की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के चरण-I में 2,343 मोबाइल टावर चालू कर दिए गए हैं। परियोजना के चरण-II में 4,072 मोबाइल टावरों की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 2,542 मोबाइल टावरों के लिए कार्य आदेश जारी कर दिया गया है और स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

(ङ) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित 10 राज्यों, नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में व्यक्तियों और समुदाय को 'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' के प्रावधान के तहत स्वामित्व बिलेख प्रदान किए जाते हैं, ताकि उनकी आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और वन भूमि पर उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। अब तक, 32,85,858 दावे प्राप्त हुए हैं और व्यक्तियों के साथ-साथ समुदायों को 16,98,558 स्वामित्व बिलेख प्रदान किए गए हैं।

(च) भारत सरकार, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में अवसंरचना का सृजन करने और

युवाओं को रोजगार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक स्कीम नामतः 'वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास' को कार्यान्वित कर रही है। कौशल विकास की इस स्कीम में 47 जिलों में एक-एक आईटीआई और 34 जिलों में दो-दो कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) के निर्माण/स्थापना की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के तहत, 04 नए जिलों में 4 अतिरिक्त आईटीआई स्थापित करना और 10 मौजूदा आईटीआई को मॉडल आईटीआई में उन्नत किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(छ) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित 11 जिलों, जो अत्यधिक प्रभावित थे, में केन्द्रीय विद्यालय (केवी) नहीं थे। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इन जिलों के लिए 11 नए केन्द्रीय विद्यालय मंजूर किए हैं, जिनमें से 9 नए केन्द्रीय विद्यालय खोले दिए गए हैं और शेष 2 नए केन्द्रीय विद्यालय वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) वाले 2 जिलों नामतः गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) और नवादा (बिहार) में मंजूर किए गए हैं। इसी प्रकार, 6 नए जवाहर नवोदय विद्यालय मंजूर किये गये हैं। ये सभी जवाहर नवोदय विद्यालय खोल दिए गए हैं।

(ज) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से सर्वाधिक प्रभावित 30 जिलों में स्थानीय आबादी के वित्तीय लेन-देन के लिए, वित्तीय सेवाएं विभाग और डाक विभाग द्वारा नई बैंक शाखाएं, एटीएम, बैंकिंग करसपोंडेंट (बीसी) और डाकघर खोले जा रहे हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से सर्वाधिक प्रभावित 30 जिलों में 1,253 बैंक शाखाएं, 1264 एटीएम और 16806 बैंकिंग करसपोंडेंट (बीसी) खोले हैं। डाक विभाग ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित 90 जिलों में 4,903 नए डाकघर खोले हैं। इनमें से चरण-1 के अंतर्गत 3,114 नए

डाकघर खोलने की स्वीकृति सितंबर-2021 में दे दी गई थी। ये सभी डाकघर खोले जा चुके हैं।

(झ) जनजातीय क्षेत्रों में छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) "एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (ईएमआरएस)" खोल रहा है। अब तक, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्र के लिए 234 ईएमआरएस मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 119 पहले से ही संचालन में हैं। वर्ष 2022-23 तक 19 अतिरिक्त ईएमआरएस मंजूर करने की योजना है।

2.39 भारत सरकार बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए, खतरों का समाधान समग्र रूप से करती रहती है और इसके परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। पिछले 6 वर्षों में एलडब्ल्यूई प्रभाव वाले क्षेत्रों में हिंसा में लगातार गिरावट आई है और इसके भौगोलिक फैलाव में काफी कमी देखी गई है। तथापि, यह स्पष्ट है कि माओवादी विकास की कमी जैसे मूल कारणों का सार्थक हल नहीं होने देना चाहते, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर स्कूल भवनों, सड़कों, रेल, पुलों, स्वास्थ्य सुविधाओं, संचार सुविधाओं आदि को अपना निशाना बनाते हैं। वे अपनी पुरानी विचारधारा को कायम रखने के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हाशिए पर रखना चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप, देश के एलडब्ल्यूई प्रभाव वाले अनेक भागों में दशकों से विकास की प्रक्रिया थम गई है। सम्य समाज और मीडिया द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किये जाने की आवश्यकता है कि माओवादियों पर हिंसा का रास्ता छोड़ने और उन पर मुख्य धारा से जुड़ने का दबाव बनाया जाना चाहिए तथा साथ ही उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि 21वीं सदी के भारत की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा तथा आकांक्षाएं माओवादी विचारधारा से काफी अलग हैं। सरकार ऊपर बताए गए रणनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से एलडब्ल्यूई की समस्या को समाप्त करने के प्रति आशावान है।

पूर्वोत्तर

प्रस्तावना

2.40 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में आठ राज्य, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम,

नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। यह क्षेत्र सांस्कृतिक एवं जातीय रूप से विविधतापूर्ण है, जिसमें पृथक भाषा, बोली और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले 200 से अधिक जातीय समूह निवास करते हैं। यह क्षेत्र देश के 7.97% भू-भाग को कवर करता है और इसमें आबादी का लगभग 3.78% हिस्सा निवास करता है। इसकी 5,484 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है यथा, बांग्लादेश (1,880 किमी), म्यांमार (1,643 किमी), चीन (1,346 किमी), भूटान (516 किमी) और नेपाल (99 किमी)। भू-भाग, सामाजिक-आर्थिक

विकास की स्थिति, ऐतिहासिक घटकों यथा भाषागत/जातिगत, जनजातीय झगड़े, प्रवासन, स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण और लंबी एवं छिद्रयुक्त (पोरस) अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के चलते पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में सुरक्षा की स्थिति कमजोर हुई है। इसने विभिन्न भारतीय विद्रोही समूहों (आईआईजी), जो पड़ोसी देशों में सुरक्षित ठिकाने/शिविर बनाए हुए हैं, द्वारा हिंसा, जबरन वसूली और विविध मांगों को जन्म दिया है। पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों के क्षेत्रफल और जनसंख्या के संबंध में बेसिक आंकड़े निम्नानुसार हैं—

राज्य	क्षेत्रफल (वर्ग किमी. में)	जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार)	जनसंख्या का घनत्व
अरुणाचल प्रदेश	83,743	13,83,727	17
असम	78,438	3,12,05,576	398
मणिपुर	22,327	28,55,794	115
मेघालय	22,429	29,66,889	132
मिजोरम	21,081	10,97,206	52
नागालैंड	16,579	19,78,502	119
सिक्किम	7,096	6,10,577	86
त्रिपुरा	10,486	36,73,917	350
कुल पूर्वोत्तर	2,62,179	4,57,72,188	173
अखिल भारतीय	32,87,263	1,21,08,54,977	382

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में विद्रोह से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

2.41 यद्यपि कानून और व्यवस्था राज्य के विषय हैं, फिर भी केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में विद्रोही समूहों की अवैध एवं गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद कर रही है। इन उपायों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम के तहत राज्य सरकारों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता, इंडिया रिजर्व (आईआर) बटालियनों की मंजूरी, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में संचालित हो रहे

गैर-कानूनी संगठनों पर प्रतिबंध तथा सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 (एएफएसपीए) के तहत कुछ विशिष्ट क्षेत्रों/राज्यों को "अशांत क्षेत्र" घोषित करना आदि शामिल हैं।

2.42 पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने के कारण, दिनांक 01.04.2022 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (एएफएसपीए) को असम के 23 जिलों व आंशिक रूप में 1 अन्य जिले से, मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस थाना क्षेत्रों से और नागालैंड के 7 जिलों के 15 पुलिस थाना क्षेत्रों से हटा दिया गया है।

2.43 पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों के विद्रोही समूहों द्वारा अवैध और गैर-कानूनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के कुल 16 विद्रोही संगठनों को विधिविरुद्ध

क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत "विधिविरुद्ध एसोसिएशन" और/अथवा "आतंकवादी संगठन" घोषित किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) की विधि-विरुद्ध एसोसिएशनों/आतंकवादी संगठनों की सूची अनुलग्नक-IV में दी गई है।

2.44 केन्द्र सरकार ने विद्रोह रोधी कार्रवाई करने और असुरक्षित संस्थाओं एवं संस्थापनाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने में राज्य प्राधिकारियों की मदद के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) तैनात किए हैं। पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों की नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सीमा चौकसी कार्यों के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की 498 कंपनियां तैनात की गई हैं। पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और विद्रोह-रोधी अभियानों के लिए सीएपीएफ की 405 कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार विद्रोह से निपटने के लिए राज्य सरकारों के पुलिस बलों का संवर्धन और उन्नयन करने के लिए उनकी मदद कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों हेतु 61 इंडिया रिजर्व बटालियनों (आई आर बटालियनों) की मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें असम, मणिपुर और त्रिपुरा में प्रत्येक के लिए 11 बटालियनें, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में प्रत्येक के लिए 07, मेघालय के लिए 06, मिजोरम के लिए 05 और सिक्किम के लिए 03 बटालियनें शामिल हैं।

2.45 केन्द्र सरकार ऐसे विद्रोही दलों के साथ वार्ता/बातचीत करने के लिए एक नीति पर कार्रवाई करती रही है, जो हिंसा छोड़ने, हथियार त्यागने को तैयार हैं और भारत के संविधान के ढांचे के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप, अनेक संगठन सरकार से वार्ता करने के लिए सामने आए हैं और उन्होंने कार्रवाई स्थगन (एसओओ) समझौते किए हैं तथा उनमें से कुछ संगठनों ने समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए हैं और स्वयं का विघटन कर लिया है। जो संगठन वार्ता नहीं कर रहे हैं, उन पर विद्रोह-रोधी कार्रवाई के माध्यम से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), सैन्य बलों और राज्य पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

2.46 केन्द्र सरकार वर्ष 1995 से विद्रोह से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) की प्रतिपूर्ति

के लिए एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम को मिजोरम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, खर्च में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 90:10 के अनुपात में होती है और इसके अंतर्गत विभिन्न सुरक्षा संबंधी मदों पर पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जा रही है, जिसमें इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन, राज्य में तैनात सीएपीएफ/सेना को प्रदान किए गए संभार तंत्र (लॉजिस्टिक), उग्रवादी हिंसा के पीड़ितों को अनुग्रह अनुदान एवं निःशुल्क राहत, अभियानों में पीओएल (पेट्रोल, तेल और ल्यूब्रीकैन्ट) पर किए गए खर्च का 75%, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मिकों को 100% अनुग्रह भुगतान, सुरक्षा के उद्देश्य के लिए तैनात ग्रामीण गार्डों/ग्रामीण रक्षा समितियों/होम गार्डों को प्रदान किया गया मानदेय और ऐसे समूहों, जिनके साथ केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों ने कार्रवाइयों को आस्थगित रखने हेतु करार किया है, के लिए स्थापित किए गए निर्धारित शिविरों के अनुरक्षण पर किया गया व्यय तथा आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों एवं उनके पुनर्वास पर किया गया व्यय इत्यादि शामिल हैं। पिछले सात वर्षों (दिनांक 31.03.2022 तक) के दौरान एसआरई स्कीम के तहत पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों को की गई प्रतिपूर्ति अनुलग्नक-V में दी गई है।

2.47 गृह मंत्रालय भ्रमित युवाओं, जो विद्रोह में भटक गए हैं और बाद में स्वयं को उसमें फंसा हुआ पा रहे हैं, को उससे छुटकारा दिलाने के लिए दिनांक 01.01.1998 से पूर्वोत्तर (एनई) में विद्रोहियों के आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास की एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोही दोबारा विद्रोह में शामिल होने के लिए आकृष्ट न हों। इस योजना को छः पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों (सिक्किम और मिजोरम को छोड़कर) के लिए दिनांक 01.04.2018 से संशोधित किया गया है। नीति के अंतर्गत, आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:-

- (क) प्रत्येक आत्मसमर्पण करने वाले को 4 लाख रुपए का तत्काल अनुदान, जिसे 3 वर्षों की अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में आत्मसमर्पण करने वालों के नाम से बैंक में रखा जाएगा। इस

धनराशि का प्रयोग आत्मसमर्पण करने वालों द्वारा स्वरोजगार हेतु बैंक से ऋण हासिल करते समय समर्थन प्रतिभूति/मार्जिन मनी के रूप में किया जा सकता है।

- (ख) तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक आत्मसमर्पण करने वाले को प्रतिमाह 6,000 रुपये वजीफे का भुगतान।
- (ग) विद्रोहियों द्वारा आत्मसमर्पण किए गए हथियारों/गोलाबारूद के लिए उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन।
- (घ) आत्मसमर्पण करने वालों को स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण।
- (ङ) पुनर्वास कैंपों के निर्माण के लिए निधियां।
- (च) पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों को आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास पर हुए कुल व्यय के 90% की प्रतिपूर्ति एसआरई स्कीम के तहत की जाएगी।

सरकार की इस नीति के अनुसरण में, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न विद्रोही समूहों के कई कैडर आत्मसमर्पण करके समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।

2.48 स्थानीय जनता का दिल जीतने और आम लोगों के बीच सशस्त्र बलों की छवि सुधारने के लिए, सेना और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आम नागरिकों से जुड़े कार्यक्रम

आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत, चिकित्सा शिविरों के आयोजन, स्वच्छता अभियान, खेल कार्यक्रम, बच्चों को अध्ययन सामग्री के वितरण, विद्यालय भवनों, सड़कों, पुलों आदि की छोटी-मोटी मरम्मत और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने आदि जैसी अनेक कल्याणकारी/विकास संबंधी गतिविधियां की जाती हैं। विगत सात वर्षों (दिनांक 31.03.2022 तक) के दौरान, नागरिकों से जुड़े कार्यक्रम के तहत सीएपीएफ/सेना को जारी की गई निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक-VI में दिया गया है।

2.49 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के दूरदराज के क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकाप्टर सब्सिडी योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में सस्ता यात्री परिवहन, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान निकासी और आवश्यक चिकित्सा सामग्रियों की निकासी आदि प्रदान करना भी है। गृह मंत्रालय यात्री से होने वाली वसूली की कटौती के बाद कुल परिचालन लागत के 75% अथवा वास्तविक परिचालन लागत के 20%, जो भी अधिक हो, को वहन करता है। सब्सिडी सीमित रखने के प्रयोजनार्थ, इन राज्यों में संचालित की जा रही हेलीकॉप्टर सेवाओं के संबंध में उड़ान के घंटों की वार्षिक सीमा निर्धारित की गई है, जैसाकि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

पूर्वोत्तर राज्य	हेलीकॉप्टर का प्रकार	प्रति वर्ष स्वीकृत उड़ान के घंटों की संख्या
त्रिपुरा	डॉफिन	480
अरुणाचल प्रदेश	एमआई-172 (पहला)	960
	एमआई-172 (दूसरा)	1200
	बेल 412	1300
सिक्किम	बेल -407	1200
मेघालय	डॉफिन	1000
नागालैंड	बेल 412 (पहला)	1200
	बेल 412 (दूसरा)	
मिजोरम	डॉफिन	1200
मणिपुर	बेल 412	750

विगत सात वर्षों (दिनांक 31.03.2022 तक) के दौरान, पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाओं पर हुए व्यय/इसके लिए जारी की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक-VII में दिया गया है:

पूर्वोत्तर में सुरक्षा की स्थिति

2.50 वर्ष 2014 से पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पिछले दो दशकों के दौरान वर्ष 2020 में विद्रोह की घटनाओं और आम नागरिकों एवं सुरक्षा बलों की मौतों की सबसे कम संख्या दर्ज की गई। वर्ष 2014 की तुलना में, वर्ष 2021 में विद्रोह की घटनाओं में 74% की कमी आई है। इसी तरह, इस अवधि में सुरक्षा बलों की मौतों की संख्या में 60% और

आम नागरिकों की मौतों में 89% की कमी आई है।

2.51 वर्ष 2021 में, पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्र में विद्रोह से संबंधित कुल 209 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 23 नागरिकों और 8 सुरक्षा बल कार्मिकों की जान चली गई। इस क्षेत्र में विद्रोह-रोधी ऑपरेशनों में 40 विद्रोही मारे गए, 686 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया और 367 हथियार बरामद किए गए। पूर्वोत्तर राज्यों के विद्रोही संगठनों के कुल 1,473 कैडरों ने 471 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया और वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए।

2.52 वर्ष 2014 से संपूर्ण पूर्वोत्तर (एनईआर) क्षेत्र में हिंसा की स्थिति निम्नानुसार है:-

वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	सरेंडर किए गए हथियार	बरामद किए गए हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	824	181	1934	20	212	291	151	1104	369
2015	574	149	1900	46	46	143	69	828	267
2016	484	87	1202	17	48	267	93	605	168
2017	308	57	995	12	37	130	27	405	102
2018	252	34	804	14	23	161	58	420	117
2019	223	12	936	04	21	158	67	312	108
2020	163	21	646	05	03	2,696	445	466	69
2021	209	40	686	08	23	1,473	471	367	94

2.53 मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में कुल मिलाकर शांति रही। इस क्षेत्र के अन्य राज्यों में सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2014 से पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में हिंसा की स्थिति का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-VIII में दिया गया है।

असम

2.54 यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम

(उल्फा)(वार्ता समर्थक) भारत सरकार के साथ "कार्रवाई स्थगन (एसओएस)" समझौते के तहत है। तथापि, उल्फा (स्वतंत्र) असम के कुछ हिस्सों में सक्रिय है।

2.55 लंबे समय से लंबित बोडो मुद्दे को हल करने के लिए दिनांक 27.01.2020 को भारत सरकार, असम सरकार और बोडो समूहों, जिनमें नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड/प्रोग्रेसिव (एनडीएफबी/पी), एनडीएफबी/रंजन

डायमरी, एनडीएफबी/सावरैगवरा, यूनाइटेड बोडो पीपुल्स आर्गनाइजेशन (यूबीपीओ) और ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू) शामिल हैं, के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए, जो असम के बोडो क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाएं शुरू करने हेतु 1,500 करोड़ रुपये का एक विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) भी प्रदान करता है। समझौते के पश्चात, दिनांक 30.01.2020 को एनडीएफबी समूहों के 1,615 कैडरों ने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। एनडीएफबी समूहों ने दिनांक 9-10 मार्च, 2020 को खुद का विघटन कर लिया।

2.56 दिनांक 23.02.2021 को गुवाहाटी में विभिन्न भूमिगत कार्बी समूहों (केपीएलटी, केएलएनएलएफ, पीडीसीके, यूपीएलए और केएलएफ) के 1,040 नेताओं/कैडरों ने आत्मसमर्पण किया और उनके द्वारा कुल 338 हथियार (एके सीरीज-58, एम16-11, एलएमजी-4 और अन्य- 265) और 11,203 जिंदा कारतूस जमा किए गए।

2.57 गुवाहाटी (असम) में दिनांक 27.01.2022 को विभिन्न समूहों के कुल 708 भूमिगत कैडरों [यूनाइटेड गोरखा पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (यूजीपीओ-169), तिवा लिबरेशन आर्मी (टीएलए-77), राभा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (आरएनएलएफ-28), आदिवासी ड्रैगन फाइटर (एडीएफ-61), यूनाइटेड पीपुल्स रिवोल्यूशनरी फ्रंट (यूपीआरएफ-29), नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ बंगाली (एनएलएफबी-303) और नेशनल संथाल लिबरेशन आर्मी (एनएसएलए-41)] ने भारी मात्रा में हथियारों और गोला-बारूद के साथ आत्मसमर्पण किया।

2.58 असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्रों में दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए दिनांक 04.09.2021 को भारत सरकार, असम सरकार और कार्बी समूहों (केएलएनएलएफ, पीडीसीके, यूपीएलए, केपीएलटी) के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए, जो असम के कार्बी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाएं शुरू करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का एक विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) भी प्रदान करता है। इस ऐतिहासिक समझौते

के साथ, 1000 से अधिक सशस्त्र कैडरों ने हिंसा छोड़ दी है और वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।

2.59 वर्ष 2021 में, राज्य में विद्रोह संबंधी 21 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 14 नागरिकों की जान चली गई। विद्रोह की घटनाओं में किसी सुरक्षा बल कार्मिक की मौत नहीं हुई है। विद्रोह-रोधी ऑपरेशनों में, 13 विद्रोहियों का खात्मा किया गया, 70 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया और 86 हथियार बरामद किए गए। असम के विद्रोही संगठनों के कुल 1,353 कैडरों ने 437 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया और वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए।

2.60 असम और मेघालय राज्यों के बीच अंतरराज्यीय सीमा की दशकों लंबी समस्या को हल करने के लिए सीमा मतभेद के कुल 12 क्षेत्रों में से 6 क्षेत्रों के संबंध में असम के मुख्यमंत्री और मेघालय के मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 29.03.2022 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस ऐतिहासिक समझौते के हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की गई। यह समझौता क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभान्वित करेगा और लंबे समय तक चलने वाली शांति सुनिश्चित करेगा तथा विकास को बढ़ावा देगा।

त्रिपुरा

2.61 त्रिपुरा राज्य में माहौल कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा है। भूमिगत संगठन, "नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्विपरा/विश्वमोहन (एनएलएफटी/बी)" की गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया है।

2.62 भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और श्री साबिर कुमार देबबर्मा के नेतृत्व वाले नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्विपरा (एनएलएफटी/एसडी) के बीच दिनांक 10.08.2019 को एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें त्रिपुरा की जनजातियों के समग्र विकास के लिए 100 करोड़ रुपये के एक विशेष आर्थिक विकास पैकेज (एसईडीपी) का प्रावधान किया गया है। परिणामस्वरूप, दिनांक 13.08.2019 को 88 कैडरों ने 44 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर

दिया। त्रिपुरा राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में 100 करोड़ रुपये के एसईडीपी में से 40 करोड़ रुपये की राशि पहले ही प्रदान की जा चुकी है।

2.63 लगभग 661.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता/पैकेज के साथ त्रिपुरा में ब्रू (रियांग) प्रवासियों को स्थायी रूप से बसाने के लिए भारत सरकार, मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार द्वारा ब्रू प्रवासियों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 16.01.2020 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार, प्रत्येक पुनर्वासित ब्रू परिवार को सावधि जमा के रूप में 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता, मुफ्त राशन, 2 वर्षों के लिए 5,000/- रुपये प्रति माह, 1.5 लाख रुपये की दर से आवास सहायता और 30X40 वर्ग फुट आकार का भूखंड प्रदान किया जाएगा। त्रिपुरा राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में ब्रू प्रवासियों के पुनर्वास के लिए 140 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में, ब्रू परिवारों को 130.12 करोड़ रुपये डीबीटी भुगतान जारी किया गया है।

मेघालय

2.64 वर्तमान में विद्रोही संगठन "हयनीट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनसीएल)" इस राज्य में सक्रिय है।

2.65 भारत सरकार, मेघालय राज्य सरकार और एएनवीसी (अचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल) एवं एएनवीसी/बी के बीच दिनांक 24.09.2014 को एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए थे। एएनवीसी और एएनवीसी/बी दिनांक 15.12.2014 को विघटित हो गए हैं।

2.66 वर्ष 2021 में, राज्य में विद्रोह की 2 घटनाएं हुई हैं। राज्य में विद्रोह की घटनाओं में किसी भी नागरिक/सुरक्षा बल कार्मिक की मृत्यु नहीं हुई है।

नागालैंड

2.67 नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) वर्ष 1988 में इसाक सी स्क्व और टी.एच. मुइवा के नेतृत्व वाले एनएससीएन- (आईएम) और

म्यांमार के एक नागा एसएस खापलांग के नेतृत्व वाले एनएससीएन (के) समूहों में बंट गई। भारत सरकार ने वर्ष 1997 में एनएससीएन के इसाक-मुइवा समूह के साथ एक औपचारिक युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसे वर्ष 2007 से अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया। भारत सरकार और एनएससीएन (आईएम) ने 03 अगस्त, 2015 को एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में एनएससीएन के विभिन्न गुट यथा, एनएससीएन (एनके), एनएससीएन (आर), एनएससीएन (के-खांगो) और एनएससीएन (के) निकि गुप भारत सरकार के साथ संघर्ष विराम के अधीन हैं। वर्तमान में केवल एनएससीएन/के-युंग आंग, जो मुख्यतः म्यांमार आधारित है, का एक गुट सक्रिय है।

2.68 वर्ष 2021 में, राज्य में विद्रोह की 47 घटनाएं हुई हैं। विद्रोह की घटनाओं में किसी भी नागरिक/सुरक्षा बल कार्मिक की मृत्यु नहीं हुई है। इसके अलावा, 277 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 103 हथियार बरामद किए गए हैं।

अरुणाचल प्रदेश

2.69 अरुणाचल प्रदेश राज्य में कोई महत्वपूर्ण स्वदेशी विद्रोही समूह सक्रिय नहीं है। यह राज्य तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में एनएससीएन और उल्फा (स्वतंत्र) गुटों की छिट-पुट (स्पिल ओवर) विद्रोही गतिविधियों से प्रभावित है।

2.70 वर्ष 2021 में, राज्य में विद्रोह की 26 घटनाएं दर्ज की गई थी, जिनमें 1 सुरक्षा बल कार्मिक की मृत्यु हो गई। विद्रोह की घटनाओं में किसी नागरिक की मृत्यु नहीं हुई है। विद्रोह-रोधी ऑपरेशनों में 7 विद्रोही मारे गए, 70 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया और 43 हथियार बरामद किए गए। इसके अलावा, विद्रोही संगठनों के 69 कैडरों ने 15 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया।

मणिपुर

2.71 मणिपुर राज्य मैतई, नागा, कुकी, जोमी, हमार विद्रोही समूहों की गतिविधियों से प्रभावित है। वर्तमान में दो समूहों के तहत कुल 23 भूमिगत संगठन (यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट [यूपीएफ]-8 और कूकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन

[केएनओ]-15) भारत सरकार के साथ अगस्त, 2008 से कार्रवाई स्थगन (एसओओ) के अंतर्गत हैं।

2.72 वर्ष 2021 में, राज्य में विद्रोह की 112 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 9 नागरिकों और 5 सुरक्षा बल कार्मिकों की मृत्यु हो गई। विद्रोह-रोधी ऑपरेशनों में 18 विद्रोही मारे गए, 242 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया और 113 हथियार बरामद किए गए। इसके अलावा, विद्रोही संगठनों के 20 कैडरों ने 15 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया।

सिक्किम और मिजोरम

2.73 सिक्किम और मिजोरम राज्य विद्रोह से मुक्त हैं।

आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) हिंसा और सीमा पार से फायरिंग तथा भारतीय भू-भाग पर बारूदी सुरंग/आईईडी के धमाकों के सिविलियन पीड़ितों/पीड़ितों के परिवार के लिए केंद्रीय सहायता स्कीम (सीएसएसीवी)

2.74 मंत्रालय "आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) हिंसा और सीमा पार से फायरिंग तथा भारतीय भू-भाग पर बारूदी सुरंग/आईईडी के धमाकों के सिविलियन पीड़ितों/पीड़ितों के परिवार के लिए केंद्रीय सहायता स्कीम (सीएसएसीवी)" नामक एक प्रतिपूर्ति स्कीम चला रहा है, जिसका उद्देश्य आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) हिंसा, सीमा पार से फायरिंग तथा भारतीय भू-भाग पर बारूदी सुरंग/आईईडी के धमाकों से प्रभावित सिविलियन व्यक्तियों/पीड़ितों के परिवार को वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। यह केंद्रीय स्कीम दिनांक 01.04.2008 से प्रभाव में है।

2.75 सीएसएसीवी एक वित्तीय प्रतिपूर्ति स्कीम है, जिसके तहत राज्य/जिला प्राधिकरण पहले पात्र लाभार्थियों को भुगतान करते हैं और बाद में भारत सरकार से प्रतिपूर्ति का दावा करते हैं। इस स्कीम के तहत, 5.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से 50% बचत खाते में और 50% तीन साल की लॉक-इन अवधि के साथ सावधि जमा खाते

में जमा की जाती है।

2.76 केन्द्रीय स्कीम के दायरे को दिनांक 3.10.2019 से और अधिक विस्तृत कर दिया गया है और अब सिविलियन पीड़ित/पीड़ित का निकटतम संबंधी सीएसएसीवी के तहत वित्तीय सहायता का हकदार है, भले ही उसे स्थायी सरकारी नौकरी दी गई हो।

2.77 वर्ष 2021-22 के दौरान, दिनांक 31.12.2021 तक 61.9 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

हथियारों और गोला-बारूद का विनियमन

2.78 आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019

(क) देश में आग्नेयास्त्रों की लाइसेंसिंग प्रणाली को विनियमित और नियंत्रित करने वाले आयुध अधिनियम, 1959 के मौजूदा प्रावधानों में आयुध संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से उपयुक्त संशोधन करके इसे और मजबूत बनाया गया है। आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 को दिनांक 13.12.2019 को अधिसूचित किया गया था और यह दिनांक 14.12.2019 से प्रभावी हो गया है।

(ख) यह संशोधन मौजूदा अपराधों के लिए बढ़े हुए दंड और इसके अधिकार क्षेत्र में लाए गए नए अपराधों के लिए कड़े दंड की व्यवस्था करता है। अब आयुध अधिनियम, 1959 के क्षेत्राधिकार के भीतर लाइसेंस का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप, आग्नेयास्त्रों और गोलाबारूद का पता लगाने (ट्रेसिंग) के प्रावधान तथा अपराधों के नए स्वरूप यथा अवैध तस्करी, संगठित अपराध, संगठित अपराध गिरोह में भागीदारी और खुशी मनाने के लिए बंदूक चलाना निहित हैं।

(ग) संशोधन में आग्नेयास्त्रों के विनिर्माण, बिक्री और परिवर्तन (कनवर्जन) हेतु लाइसेंस के प्रयोजन सीमा का विस्तार किया गया है तथा इसमें गोलाबारूद का पता लगाने (ट्रेसिंग), गोलाबारूद पर अंकन (मार्किंग) के साथ छेड़-छाड़ को प्रतिबंधित करने; तथा आग्नेयास्त्रों को ट्रेस करने

की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु भी प्रावधान किए गए हैं।

(घ) संशोधन ने हथियारों और गोला-बारूद के निर्माण के संबंध में कानूनी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ किया है। हथियारों और गोला-बारूद के संभावित दुरुपयोग और किसी भी श्रेणी के आग्नेयास्त्रों को बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्रों की किसी अन्य श्रेणी में परिवर्तन को रोकने के प्रावधान किए गए हैं। संशोधन में गोला-बारूद का पता लगाने (ट्रेसिबिलिटी) की सुविधा के लिए उन पर अंकन (मार्किंग) किए जाने का प्रावधान भी किया गया है।

(ङ) देश में आग्नेयास्त्रों के प्रसार को रोकने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा हासिल किए जा सकने वाले आग्नेयास्त्रों की अधिकतम संख्या को तीन से घटाकर दो कर दिया गया है, परन्तु लाइसेंसधारकों पर बोझ कम करने के लिए पांच वर्ष की वैधता वाले लाइसेंस जारी करने का प्रावधान किया गया है। खिलाड़ियों और राइफल क्लब के सदस्यों हेतु छूट के प्रावधानों में अब शूटिंग के खेलों में इस्तेमाल होने वाले सभी प्रकार के आग्नेयास्त्र शामिल हैं, जो कि पहले केवल प्वाइंट 22 बोर राइफलों तथा एयर राइफलों तक सीमित था। विभिन्न श्रेणियों के खिलाड़ियों के व्यक्तिगत उपयोग हेतु मंजूर गोला-बारूद की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि की गई है।

(च) राज्य सरकारों में अपीलीय प्राधिकारी से संबंधित प्रावधानों को भी सरल एवं कारगर बनाया गया है। अब, ऐसे किसी भी राज्य में, जहां किसी डिवीजन में आयुक्त का कोई पद नहीं है, वहां जिला मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के खिलाफ अपील राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पास की जा सकेगी।

(छ) आधुनिक तकनीक की मदद से विकसित राष्ट्रीय

शस्त्र लाइसेंस डाटाबेस (एनडीएएल) और सशस्त्र लाइसेंस निर्गमन प्रणाली (एएलआईएस) पोर्टल, अब 30 सेवाएं प्रदान करता है।

विनिर्माताओं पर अनुपालन से संबंधित बोझ को कम करने के लिए, वार्षिक लाइसेंस क्षमता को क्षमता-वार संशोधित करने से संबंधित दिनांक 18.01.2022 की अधिसूचना के तहत आयुध नियमावली, 2016 में प्रावधान किए गए हैं, जिनके तहत बाजार की मांगों के अनुसार सतत विनिर्माण को बढ़ावा देने और हथियार एवं गोला-बारूद विनिर्माण के क्षेत्र में प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) जारी करने के लिए वार्षिक लाइसेंस क्षमता के अंतर्गत विनिर्माण पर प्रतिबंध हटा दिया गया है।

2.79 दिनांक 1.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के दौरान, गृह मंत्रालय द्वारा 12 हथियार निर्माण लाइसेंस जारी किए गए।

सिख जत्थों द्वारा पाकिस्तान की यात्रा

2.80 धार्मिक पीठों की यात्रा के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच दिनांक 14.09.1974 को हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल के अनुसार सिख जत्थे अप्रैल में बैसाखी, जून में अर्जन देवजी की शहादत, जून में महाराजा रणजीत सिंह की बरसी और अक्टूबर/नवंबर में श्री गुरु नानक देवजी के जन्मदिन के अवसर पर पाकिस्तान में गुरुद्वारों की यात्रा करते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, बैसाखी और श्री गुरु नानक देवजी के जन्मदिवस के अवसर पर पाकिस्तान की यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) को 5205 तीर्थयात्रियों की अनुशंसा की गई है।

श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां जन्मदिवस समारोह

2.81 भारत सरकार ने दिनांक 12.04.2020 से अप्रैल, 2021 की अवधि के दौरान, श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति और माननीय

केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। कई गतिविधियां आयोजित की गई हैं।

26 दिसंबर को "वीर बाल दिवस" के रूप में घोषित करना

2.82 दिनांक 9.01.2022 को, सरकार ने दसवें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के युवा पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह द्वारा क्रमशः 9 और 6 वर्ष की बाल उम्र में न्याय के खातिर 26 दिसम्बर, 1705

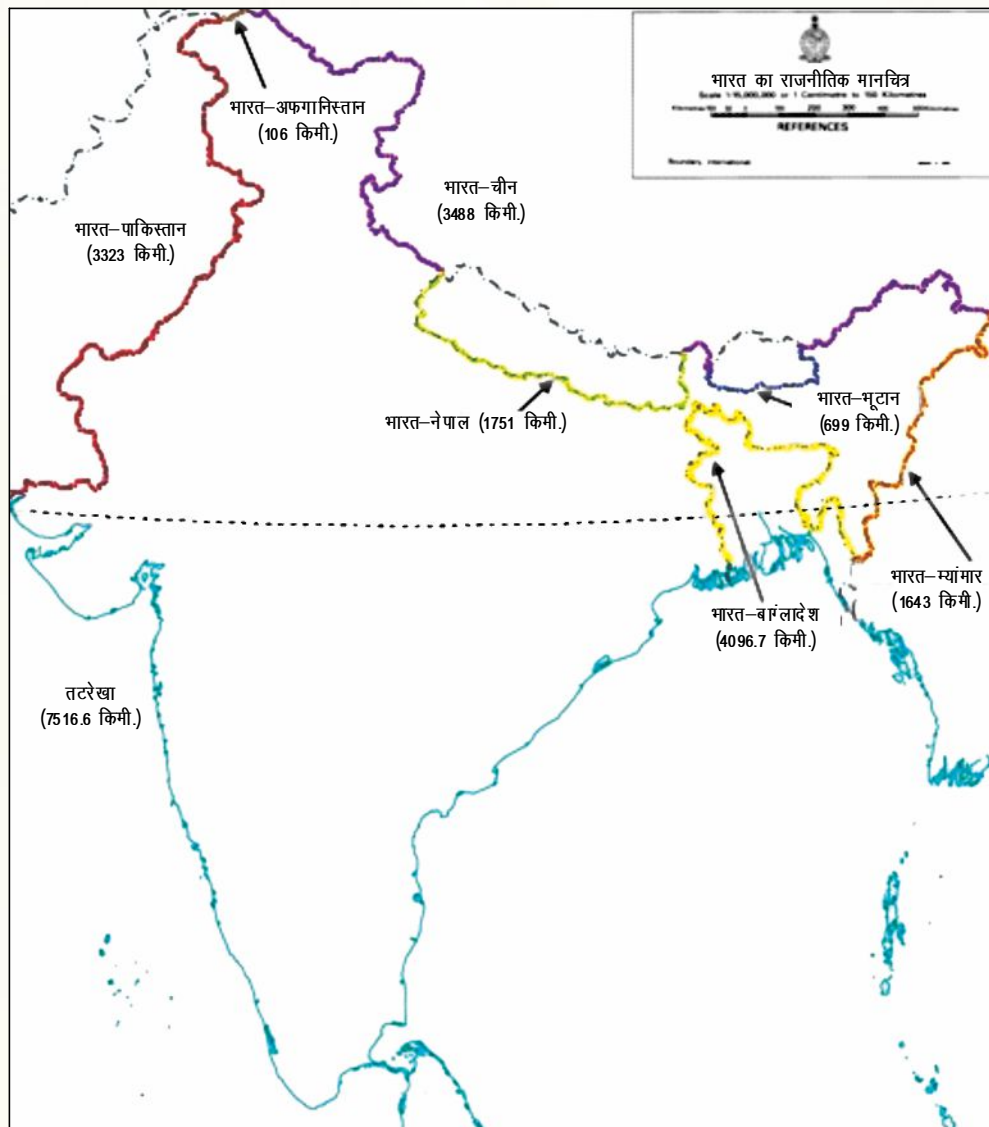
को किए गए सर्वोच्च और अतुलनीय बलिदान के सम्मान में 26 दिसंबर को "वीर बाल दिवस" के रूप में घोषित किया है।

गुरुद्वारा चुनाव के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति

2.83 सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के अनुसार, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस.एस. सरोन को सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के तहत गुरुद्वारा चुनाव कराने के लिए मुख्य आयुक्त, गुरुद्वारा चुनाव के रूप में नियुक्त किया गया है।

अध्याय-3

सीमा प्रबंधन



अन्तर्राष्ट्रीय भू-सीमा

(स्रोत: भारतीय सर्वेक्षण)

पृष्ठभूमि

3.1 भारत की भू-सीमा 15,106.7 किमी. और द्वीप

क्षेत्रों सहित तटरेखा 7,516.6 किमी. है। पड़ोसी देशों के साथ भू-सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है:

देश का नाम	सीमा की लंबाई (किमी. में)
बांग्लादेश	4,096.7
चीन	3,488.0
पाकिस्तान	3,323.0
नेपाल	1,751.0
म्यांमार	1,643.0
भूटान	699.0
अफगानिस्तान	106.0
कुल	15,106.7

3.2 अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमा और तटवर्ती सीमाओं के प्रबंधन, सीमावर्ती पुलिस व्यवस्था और चौकसी को सुदृढ़ करने, सीमाओं पर सड़क बनाने, बाड़ लगाने, तेज रोशनी की व्यवस्था करने तथा सीमा चौकियों (बीओपी)/कंपनी ऑपरेटिंग बेस (सीओबी) जैसी अवसंरचना के सृजन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का कार्यान्वयन करने के लिए जनवरी, 2004 में गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग गठित किया गया था।

सीमा प्रबंधन का उद्देश्य

3.3 देश-विरोधी तत्वों से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना और ऐसी प्रणालियों की व्यवस्था करना सीमा प्रबंधन के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं, जो विधिसम्मत व्यापार और वाणिज्य को सुकर बनाते हुए ऐसे तत्वों को रोकने में सक्षम हों। सीमाओं का उचित प्रबंधन, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है और इसके अंतर्गत सीमाओं की सुरक्षा करने तथा इसके सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिए देश की प्रशासनिक, राजनयिक, सुरक्षा, आसूचना, कानूनी, विनियामक और आर्थिक एजेंसियों द्वारा समन्वय और ठोस कार्रवाई किया जाना शामिल है।

3.4 देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना का सृजन करने की रणनीति के एक भाग के रूप में, सीमा प्रबंधन विभाग द्वारा कई पहल की गई हैं। इनमें भारत-पाकिस्तान, भारत-बांग्लादेश, भारत-चीन, भारत-नेपाल, भारत-भूटान और भारत-म्यांमार सीमाओं पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना, सीमा चौकियों (बीओपी)/कंपनी ऑपरेटिंग बेस (सीओबी) तथा सड़कों का निर्माण करना, देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के विभिन्न स्थानों पर एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) का विकास करना और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उपाय करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सीमा प्रबंधन के व्यापक दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में विभाग द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में कई विकास कार्य शुरू किए गए हैं।

3.5 सीमाओं पर बलों की तैनाती **"एक सीमा, एक सीमा-रक्षक बल (ओबीओबीजीएफ)"** के सिद्धांत पर आधारित है। तदनुसार, प्रत्येक सीमा की जिम्मेदारी निम्नानुसार एक विशेष सीमा रक्षक बल (बीजीएफ) को सौंपी गई है:

- बांग्लादेश तथा पाकिस्तान सीमाएं – सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.)
- चीन सीमा – भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.)
- नेपाल तथा भूटान सीमाएं – सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.)
- म्यांमार सीमा – असम राइफल्स। इसके अतिरिक्त,
- भारतीय सेना बी.एस.एफ. के साथ पाकिस्तान सीमा पर नियंत्रण रेखा (एलओसी) तथा आई.टी.बी.पी. के साथ चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से लगी भू-सीमाओं की रक्षा करती है।
- भारतीय नौ सेना समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है, जिसमें तटीय और अपतटीय सुरक्षा

शामिल है। "भारतीय तटरक्षक" को तटीय पुलिस द्वारा गश्त लगाए जाने वाले क्षेत्रों सहित भारत के सीमांतर्गत जलक्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेवार प्राधिकरण के रूप में अतिरिक्त रूप से नामित किया गया है।

3.6 सीमा प्रबंधन संबंधी दृष्टिकोण और पद्धतियां एक सीमा से दूसरी सीमा के लिए अलग-अलग हैं, जो सुरक्षा अनुमानों तथा पड़ोसी देश के साथ संबंध पर आधारित हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का प्रबंधन

भारत-बांग्लादेश सीमा

3.7 भारत की तरफ भारत-बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पश्चिम बंगाल (2216.7 किमी.), असम (263 किमी.), मेघालय (443 किमी.), त्रिपुरा (856 किमी.) और मिजोरम (318 किमी.) से होकर गुजरती है। संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी, नदी तटीय, पर्वतीय और जंगल के क्षेत्र शामिल हैं। इस क्षेत्र की जनसंख्या काफी अधिक है और सीमा तक खेती की जाती है।

सीमा चौकियां

3.8 सीमाओं पर सीमा चौकियां (बीओपी) सीमा सुरक्षा

बल (बीएसएफ) का मुख्य कार्य स्थल हैं। ये विशेष दायित्व क्षेत्र वाली सभी सुविधाओं से युक्त रक्षा चौकियां हैं, जो समस्त भू-सीमाओं पर अविच्छिन्न रूप से स्थापित की गई हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, इन सीमा चौकियों का उद्देश्य घुसपैठ/अतिक्रमण तथा सीमा के उल्लंघन संबंधी गतिविधियों में संलिप्त सीमा-पार के अपराधियों, घुसपैठियों तथा विरोधी तत्वों को रोकने के लिए बल की उपयुक्त मौजूदगी दर्शाना है। प्रत्येक सीमा चौकी को आवास की सुविधा, संभार तंत्र संबंधी सहायता तथा युद्ध संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराई जाती है। वर्तमान में, भारत-बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पास 1,078 सीमा चौकियां (बीओपी) हैं।

3.9 सरकार द्वारा 2,584.85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 422 कम्पोजिट बीओपी (भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमा पर) के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है। कुल 422 कम्पोजिट बीओपी में से, 326 कम्पोजिट बीओपी का निर्माण भारत-बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पर किया जाना है। इस परियोजना को मार्च, 2024 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।



भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा चौकी

[स्रोत: वीएसएफ]

बाड़ लगाना

3.10 भारत-बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) के पार से होने वाली घुसपैठ, तस्करी और अन्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, सरकार ने इस सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य शुरू किया है।

3.11 भारत-बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) अत्यधिक सुभेद्य है और सीमा पार की अवैध गतिविधियों तथा बांग्लादेश से भारत में हो रहे अवैध आप्रवासन पर रोक लगाना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। सीमा पार से अवैध आप्रवासन और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों सहित अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत सरकार ने दो चरणों में सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था करने समेत बाड़ लगाने के कार्य को मंजूरी प्रदान की थी। भारत-बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) की कुल लंबाई 4,096.7 किमी. है, जिसमें से 3,145 किमी. सीमा भौतिक बाड़ से कवर की गई है और शेष लगभग 951.70 किमी. सीमा भौतिक और गैर-भौतिक अवरोधों से कवर की जाएगी। सभी चालू कार्य मार्च, 2024 तक पूरे किए जाने हैं। गैर-भौतिक अवरोधों में प्रौद्योगिकीय समाधान शामिल होंगे। पुरानी डिजाइन की बाड़ को नई डिजाइन की बाड़ से बदले जाने की भी मंजूरी प्रदान की गई है। नदी तटीय/निचले क्षेत्र होने, सीमा से 150 गज के भीतर बसावट होने, भूमि-अधिग्रहण के मामले लंबित होने और सीमावर्ती आबादी द्वारा विरोध के कारण इस सीमा के कुछ भागों में बाड़ का निर्माण करने में कुछ समस्याएं आई हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस परियोजना को पूरा करने में विलम्ब हुआ है।

सड़कें

3.12 सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर संचार और ऑपरेशनल आवाजाही के लिए, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण किया गया है। अब तक, 4,223.04 किमी. की स्वीकृत लंबाई में से 3,750.876 किमी. सीमावर्ती सड़कों का निर्माण किया गया है। चालू कार्य मार्च, 2024 तक पूरे किए जाने हैं।

तेज रोशनी की व्यवस्था (फ्लडलाइटिंग)

3.13 सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पर पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में तेज रोशनी (फ्लडलाइट) की व्यवस्था संबंधी कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। सीमा पर कुल 3,077.549 किमी. की लंबाई में तेज रोशनी की व्यवस्था करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 2,681.99 किमी. में यह कार्य पूरा हो गया है। चालू कार्य मार्च, 2023 तक पूरा किया जाना है।

भारत-पाकिस्तान सीमा

3.14 भारत की पाकिस्तान के साथ 3,323 किमी. भू-सीमा है। यह सीमा गुजरात, राजस्थान और पंजाब राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के साथ लगी हुई है। भारत-पाकिस्तान सीमा पर विविध भूभाग और विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं मौजूद हैं। इस सीमा को आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ किए जाने तथा शस्त्र, गोलाबारुद और निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी करने का प्रयास किए जाने वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

सीमा चौकियां (बीओपी)

3.15 भारत-पाकिस्तान सीमा पर कुल 731 बीओपी की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 675 बीओपी पूरी हो चुकी हैं। 26 बीओपी में चल रहे कार्य के जुलाई, 2022 तक पूरा हो जाने की संभावना है और शेष 30 बीओपी के लिए वैकल्पिक स्थलों की तलाश की जा रही है।

तेज रोशनी की व्यवस्था

3.16 घुसपैठ तथा सीमा-पार अपराधों के प्रयासों को रोकने के लिए, सरकार ने 2,078.80 किमी. क्षेत्र में तेज रोशनी (फ्लडलाइट) की व्यवस्था करने की मंजूरी प्रदान की है, जिसमें से 2,043.76 किमी. क्षेत्र में यह कार्य पूरा हो गया है और शेष 35.04 किमी. क्षेत्र में

कार्य प्रगति पर है, जिसके सितम्बर, 2023 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

बाड़

3.17 सीमा पार से घुसपैठ, तस्करी और अन्य

राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, सरकार ने 2,091.046 किमी. बाड़ की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से 2,064.666 किमी. बाड़ संबंधी कार्य पूरा हो गया है और शेष 26.38 किमी. का कार्य प्रगति पर है, जिसके अक्टूबर, 2022 तक पूरा हो जाने की संभावना है।



भारत-पाकिस्तान सीमा पर नई डिजाइन की बाड़

[स्रोत: बीएसएफ]

भारत-पाकिस्तान सीमा (आईपीबी) और भारत-बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) के साथ व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली

3.18 व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस) की अवधारणा में जनशक्ति, सेंसर, नेटवर्क, खुफिया और कमान नियंत्रण के समाधान का एकीकरण किया जाना शामिल है, ताकि पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों के बीच स्थितिजन्य जानकारी प्रदान करने में सुधार हो सके और सम्मुख आने वाली परिस्थितियों के अनुरूप शीघ्र एवं त्वरित कार्रवाई की जा सके। बीएसएफ ने भारत-पाकिस्तान एवं भारत-बांग्लादेश सीमाओं का अध्ययन किया है और सुभेद्यता, भू-भाग की स्थिति, अपराध के पैटर्न तथा

क्षेत्र की विशेषताओं के आधार पर, सीमाओं को प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से कवर करने के लिए विभिन्न हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है।

3.19 भारत-पाकिस्तान सीमा (आईपीबी) के साथ जम्मू में प्रत्येक 5 किमी. की लम्बाई वाली दो पॉयलट परियोजनाएं लागू की गई हैं और भारत-बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) के साथ धुबरी, असम में 61 किमी. की लम्बाई वाली एक परियोजना पूर्णता के अंतिम चरण में है। इसके अलावा, भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर 484 किमी. के संवेदनशील क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

भारत-म्यांमार सीमा (आईएमबी)

3.20 भारत की म्यांमार के साथ 1,643 किमी. लम्बी सीमा है, जो अरुणाचल प्रदेश (520 किमी.), नागालैंड (215 किमी.), मणिपुर (398 किमी.) और मिजोरम (510 किमी.) से गुजरती है। कुल 1,643 किमी. में से 1,472 किमी. के सीमांकन का कार्य पूरा हो गया है। भारत-म्यांमार सीमा पर दो असीमांकित भाग हैं:



(क) अरुणाचल प्रदेश का लोहित उप-क्षेत्र— 136 किमी.

(ख) मणिपुर में कबाऊ घाटी— 35 किमी.

3.21 मोरेह, मणिपुर में 10.023 किमी. लम्बी सीमा पर बाड़ के निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को सौंपा गया है। कार्य प्रगति पर है और वर्ष 2023 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।



भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम

(स्रोत: बीआरओ)

3.22 भारत और म्यांमार के बीच एक मुक्त आवाजाही व्यवस्था (एफएमआर) विद्यमान है। एफएमआर के अंतर्गत, पहाड़ी जनजातियों का प्रत्येक सदस्य, जो या तो भारत का नागरिक है अथवा म्यांमार का नागरिक है और जो भारत-म्यांमार सीमा (आईएमबी) के किसी भी ओर 16 किमी. के भीतर किसी क्षेत्र का निवासी है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी बॉर्डर पास (एक वर्ष की वैधता वाला) प्रस्तुत करने पर आईएमबी को पार कर सकता है और प्रत्येक यात्रा के दौरान दो सप्ताह तक रह सकता है।

भारत-चीन सीमा

3.23 भारत-चीन सीमा पर अवसंरचना की कमी के कारण पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए, सरकार ने भारत-चीन सीमा पर लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्यों में सड़कों और सीमा चौकियों (बीओपी) के निर्माण का कार्य शुरू किया है।



भारत-चीन सीमा पर सड़क

(स्रोत: आईटीबीपी)

भारत-नेपाल सीमा

3.24 भारत और नेपाल 1,751 किमी. की सीमा साझा करते हैं, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों से गुजरती है। आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा अवैध एवं राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों

के लिए सुभेद्य सीमा के दुरुपयोग को रोकना मुख्य चुनौतियां हैं।

3.25 सरकार ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में भारत-नेपाल सीमा पर 1,299.80 किमी. सड़क के निर्माण/उन्नयन का अनुमोदन प्रदान किया है।



भारत-नेपाल सीमा पर सड़क

(स्रोत: सड़क निर्माण विभाग, बिहार)

भारत-भूटान सीमा

3.26 भारत और भूटान 699 किमी. की सीमा साझा करते हैं, जो असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों से गुजरती है। आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा अवैध एवं राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए सुभेद्य सीमा के दुरुपयोग को रोकना मुख्य चुनौतियां हैं।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)

3.27 सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय सीमा प्रबंधन के प्रति विस्तृत दृष्टिकोण के भाग के रूप में 16 राज्यों और 02 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के माध्यम से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। बीएडीपी का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप दूर-दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विकास संबंधी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना और उन्हें खुशहाल बनाना तथा केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/बीएडीपी/स्थानीय स्कीमों के संयोजन तथा सहभागिता के दृष्टिकोण के माध्यम से आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराना है। इस कार्यक्रम के तहत

अन्तर्राष्ट्रीय भू-सीमा पर स्थित 16 राज्यों और 02 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के 117 सीमावर्ती जिलों के 460 सीमावर्ती ब्लॉक शामिल हैं। बीएडीपी मुख्य रूप से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। बीएडीपी की वित्तपोषण पद्धति (अन्य कोर सीएसएस की भांति) 08 पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों (अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा), 02 हिमालय क्षेत्र के राज्यों (अर्थात् हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) तथा 01 संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) के लिए 90:10 (केंद्र का हिस्सा: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा) के अनुपात में है और 06 अन्य राज्यों (अर्थात् बिहार, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) के लिए 60:40 (केंद्र का हिस्सा: राज्य का हिस्सा) के अनुपात में है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) (बिना विधान मंडल वाला संघ राज्य क्षेत्र) के मामले में केंद्र का हिस्सा 100% है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को निधियां सड़कों तथा पुलों के निर्माण, पेय जल की आपूर्ति, स्वास्थ्य, कृषि और संबंधित क्रियाकलापों तथा सामाजिक अवसंरचना के सृजन के लिए प्रदान की जाती हैं।



गांव-दक्षिण वनलाईफाई, ब्लॉक-हनहथियाल, जिला-हनहथियाल, मिजोरम में स्वास्थ्य उप-केन्द्र भवन का निर्माण, कार्य पूरा होने की तारीख - 22.03.2021

(स्रोत: मिजोरम सरकार)



गांव - हबसपुर मोती महल, ब्लॉक - भगवानगोला -I, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में संपर्क सड़क के साथ भैरब नदी पर बड़ी पुलिया का निर्माण, कार्य पूरा होने की तारीख - 15.06.2021

(स्रोत: पश्चिम बंगाल सरकार)

बीएडीपी के दिशानिर्देश

3.28 इस कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर पहली बस्ती से 0-10 किमी. की दूरी

(क्रो-पलाई/एरियल डिस्टेंस) के भीतर स्थित जनगणना वाले सभी गांव/कस्बे, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्र शामिल हैं।



तहसील सुइगम, जिला बनासकांठा, गुजरात में सुइगम जलोया नडाबेट रोड (0/000 किमी. से 19/600 किमी.) का निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, पूरा होने की तारीख - 26.02.2021

(स्रोत: गुजरात सरकार)

बीएडीपी के तहत वित्तपोषण प्रणाली

3.29 बीएडीपी के दिशानिर्देश 2020 और अक्टूबर 2021 में जारी किए गए संशोधन के अनुसार, बीएडीपी के तहत वार्षिक रूप से आवंटित कुल निधियों का 05% तक गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय के लिए आरक्षित रखा जाता है। इसके अलावा, कार्यक्रम के तहत आवंटित कुल निधियों का कम से कम 05% गृह मंत्रालय द्वारा आरक्षित रखा जाता है, ताकि बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को किसी मूल्यांकन/वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत शुरू न की जा सकी किसी महत्वपूर्ण कार्य परियोजना के आधार पर सीमा क्षेत्रों में प्रमुख परियोजनाओं के लिए/अतिरिक्त स्कीमों की मंजूरी के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करके पुरस्कृत किया जा सके। बीएडीपी से संबंधित प्रशासनिक व्यय और आरक्षित निधि के तहत कुल आवंटन बीएडीपी के कुल वार्षिक आवंटन के 10% से अधिक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, कुल आवंटित निधि का 10% भारत-चीन

सीमा से सटे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और उत्तराखंड) को भारत-चीन सीमा से सटे सीमावर्ती जिलों में कार्य/परियोजनाएं शुरू करने के लिए अतिरिक्त रूप से आवंटित किया जाता है। शेष 80% निधियों को 40:60 के अनुपात में बांटा जाता है और 40% निधियां आठ पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों को आवंटित की जाती हैं तथा 60% निधियां शेष आठ सीमावर्ती राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को केंद्र प्रायोजित स्कीमों के मानदंडों के अनुसार आवंटित की जाती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां तीन पैरामीटरों के आधार पर आवंटित की जाती हैं, यथा (i) अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई (33% वेटेज), (ii) सीमावर्ती क्षेत्र, जिनमें 0-10 किमी. के भीतर स्थित जनगणना वाले गांव, अर्ध-शहरी तथा शहरी क्षेत्र शामिल हैं (33% वेटेज) और (iii) अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) के 0-10 किमी. के भीतर स्थित जनगणना वाले गावों, अर्ध-शहरी तथा शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या (33% वेटेज)।



गांव - 17ओ, ब्लॉक श्री करनपुर, जिला - श्री गंगानगर, राजस्थान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में वरामदा सहित दो कमरों का निर्माण, पूरा होने की तारीख: 15.05.2021

(स्रोत: राजस्थान सरकार)



गांव – लांगनोक, जिला – नोकलाक, नागालैंड में कम्युनिटी हॉल का निर्माण, कार्य पूरा होने की तारीख: 12.08.2021

(स्रोत: नागालैंड सरकार)

बीएडीपी के अन्तर्गत निधियों का प्रवाह

3.30 वर्ष 2020-21 में, बीएडीपी के लिए बजटीय आवंटन 565.36 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान 221.61 करोड़ रुपये) है। पिछले चार वित्तीय वर्षों (2017-18 से 2020-21) और चालू वित्तीय वर्ष (2021-22) के दौरान बीएडीपी के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक-IX में दिया गया है।

तटीय सुरक्षा

भारत की तटरेखा

3.31 भारत की तटरेखा 7516.6 किमी. है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिन्द महासागर और पश्चिम में अरब महासागर सहित मुख्यभूमि और द्वीपों से घिरी है। तट पर नौ राज्य अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तथा चार संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) अर्थात् दमण एवं दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह स्थित हैं।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लम्बाई (किमी. में)
1	गुजरात	1214.70
2	महाराष्ट्र	652.60
3	गोवा	101.00
4	कर्नाटक	280.00
5	केरल	569.70
6	तमिलनाडु	906.90
7	आंध्र प्रदेश	973.70
8	ओडिशा	476.40
9	पश्चिम बंगाल	157.50
10	दमण एवं दीव	42.50
11	लक्षद्वीप	132.00
12	पुदुचेरी	47.60
13	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	1962.00
	कुल	7516.60

समुद्री एवं तटीय सुरक्षा ढांचा

3.32 भारतीय नौ सेना को समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए जिम्मेवार प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है, जिसमें तटीय और अपतटीय सुरक्षा शामिल है। भारतीय नौ सेना की सहायता भारतीय तटरक्षक (आईसीजी), तटीय पुलिस और अन्य केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। आईसीजी को तटीय पुलिस द्वारा गश्त लगाए जाने वाले क्षेत्रों सहित सीमान्तर्गत जलक्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेवार प्राधिकरण के रूप में भी अतिरिक्त रूप से नामित किया गया है। आईसीजी के महानिदेशक को कमांडर तटीय कमांड के रूप में पदनामित किया गया है और वे तटीय सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय के लिए उत्तरदायी हैं।

तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस)

3.33 सीमा प्रबंधन विभाग तटीय क्षेत्रों, विशेष रूप से तट के निकटवर्ती सतही जल-क्षेत्र में गश्त लगाने और निगरानी करने के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पुलिस बल की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस) को चरणों में कार्यान्वित कर रहा है।

3.34 तटीय सुरक्षा योजना (चरण- I) 6 वर्षों की अवधि में 646 करोड़ रुपए के परियोजना के साथ वर्ष 2005-06 से कार्यान्वित की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को 73 तटीय पुलिस

स्टेशन (सीपीएस), 97 जांच चौकियां, 58 आउटपोस्ट, 30 बैरक, 204 इन्टरसेप्टर नौकाएं, 153 जीपें, 312 मोटर साइकिलें और 10 रिजिड इनपलेटेबल नौकाएं (आरआईबी) उपलब्ध कराई गई थीं।

3.35 तटीय सुरक्षा योजना (चरण- II) दिनांक 26.11.2008 को मुम्बई में हुई घटनाओं के पश्चात तेजी से बदलते हुए तटीय सुरक्षा परिदृश्य एवं उसके बाद तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किए गए संवेदनशीलता/कमी संबंधी विश्लेषण के संदर्भ में तैयार की गई है, जिसमें तटीय सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) द्वारा कुल 1579.91 करोड़ रुपये के परियोजना से अनुमोदित की गई तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस) (चरण- II) दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान कार्यान्वित की गई है। चरण- II के अन्तर्गत, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को 131 सीपीएस, 60 जेटी तथा 10 समुद्री परिचालन केन्द्रों के निर्माण और 131 चार पहिया वाले वाहनों तथा और 242 मोटर साइकिलों की खरीद के लिए निधियां उपलब्ध कराई गई हैं।

3.36 तटीय सुरक्षा योजना चरण- II के तहत, सभी स्वीकृत 131 तटीय पुलिस स्टेशन (सीपीएस) कार्यशील कर दिए गए हैं, 35 जेटी का निर्माण किया गया है, 10 समुद्री परिचालन केन्द्र कार्य कर रहे हैं, 131 चार पहिया वाले वाहन और 242 मोटर साइकिलें खरीदी गई हैं।



सीपीएस जाफराबाद, गुजरात



सीपीएस वरिंजम, केरल



जेटी, पुदुचेरी



जेटी, दीव

3.37 सीएसएस-II का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कार्यान्वयन निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तटीय पुलिस स्टेशन (सीपीएस)					जेटी		चार पहिया वाले वाहन		दो पहिया वाले वाहन		समुद्री परिचालन केंद्र		
	संयुक्त	कार्यक्षेत्र	निर्माण	निर्माण प्रगति	निर्माण किया जाता है	संयुक्त	निर्माण प्रगति की गई	संयुक्त	वर्षीय	संयुक्त	वर्षीय	संयुक्त	कार्यक्षेत्र	निर्माण
गुजरात	12	12	11	0	1	5	1	12	12	24	24	0	0	0
महाराष्ट्र	7	7	5	0	2	3	14*	7	7	14	14	0	0	0
गोवा	4	4	1	1	2	2	2	4	4	8	8	0	0	0
कर्नाटक	4	4	4	0	0	2	2	4	4	8	8	0	0	0
केरल	10	10	10	0	0	4	2	10	10	20	20	0	0	0
तमिलनाडु	30	30	30	0	0	12	5	30	30	60	60	0	0	0
आंध्र प्रदेश	15	15	15	0	0	7	0	15	15	30	30	0	0	0
ओडिशा	13	13	12	1	0	5	4	13	13	26	26	0	0	0
पश्चिम बंगाल	8	8	7	0	1	4	0	8	8	16	16	0	0	0
दमण एवं दीव	2	2	2	0	0	2	2	2	2	4	4	0	0	0
पुदुचेरी	3	3	2	0	1	2	2	3	3	6	6	0	0	0
लक्षद्वीप	3	3	1	0	2	2	1	3	3	6	6	0	0	0
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	20	20	20	0	0	10	0	20	20	20	20	10	10	2
कुल	131	131	120	2	9	60	35*	131	131	242	242	10	10	2

(*) - महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नई जेटी का निर्माण करने के बजाय इंजन कक्षों तथा नौकाओं के कार्मिकों के लिए परिचालन कक्षों का निर्माण करके महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड (एमएमबी) की 14 जेटी का स्तरोन्नयन किया है।

तटीय सुरक्षा संबंधी अन्य पहल

सामुदायिक विचार-विमर्श कार्यक्रम (सीआईपी)

3.38 भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) समुद्र में सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता लाने हेतु मछुआरों के लिए सामुदायिक विचार-विमर्श कार्यक्रम (सीआईपी) आयोजित करता रहा है। सामुदायिक विचार-विमर्श कार्यक्रम (सीआईपी) मछुआरा समुदाय को विद्यमान सुरक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने और सूचना के संग्रहण हेतु उन्हें "आंख एवं कान" के रूप में विकसित करने के लिए भी आयोजित किए जाते हैं।

मछुआरा बायोमीट्रिक पहचान पत्र

3.39 केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग द्वारा मछुआरों को मछुआरा बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 22.08.2019 को हुई पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया था कि समुद्र (सीमान्तर्गत जल क्षेत्र, विशेष आर्थिक जोन और खुले समुद्र) में जाने वाले सभी समुद्री मछुआरों को दिनांक 13.03.2019 को अथवा उसके पश्चात मुद्रित किये गये क्यूआर समर्थित स्पष्ट फोटोयुक्त आधार कार्ड साथ में रखना चाहिए।

जलयानों / नौकाओं का पता लगाना

3.40 मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली "समुद्र से होने वाले खतरे के प्रति राष्ट्रीय समुद्री और तटीय सुरक्षा सुदृढीकरण समिति (एनसीएसएमसीएस)" ने दिनांक 04.09.2009 को हुई अपनी पहली बैठक के दौरान एक समिति के गठन का निर्णय लिया था, जो 20 मीटर से कम लम्बाई वाली छोटी नौकाओं के पंजीकरण और उन पर ट्रांसपोंडर लगाने के मुद्दे पर विचार-विमर्श करेगी। विभिन्न मंचों पर सभी स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, समस्त तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सभी यांत्रिक (मैकेनाइज्ड) जलयानों में इसरो द्वारा विकसित ट्रैकिंग डिवाइस लगाने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय भी लिया गया है कि सभी तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मत्स्यन नौकाओं में लगाए जाने हेतु उपयुक्त डिवाइस का चयन करें, ताकि उनकी गतिविधि की निगरानी सुनिश्चित की जा सके। मछुआरों की मोटर-युक्त/गैर-मोटर युक्त मत्स्यन नौकाओं में फिट करने

के लिए ये ट्रैकिंग डिवाइस श्रम-दक्षता की दृष्टि से उपयुक्त रूप से डिजाइन की गई होनी चाहिए।

छोटे/लघु बंदरगाहों की सुरक्षा

3.41 तटीय राज्यों में 227 छोटे बंदरगाह हैं। सभी स्टेकहोल्डरों को छोटे बंदरगाहों की सुरक्षा के बारे में दिनांक 11.03.2016 को 'दिशानिर्देशों का सार संग्रह' जारी किया गया था। इसमें विभिन्न सुरक्षा संबंधी चिंताओं का निराकरण करने के लिए लघु बंदरगाहों पर आवश्यक समझी गई आधारभूत सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इस मंत्रालय ने सभी तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों से पोत परिवहन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने संबंधित छोटे/लघु बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस) के अनुरूप बनाने का अनुरोध भी किया है।

सिंगल प्वाइंट मूरिंग की सुरक्षा

3.42 सिंगल प्वाइंट मूरिंग (एसपीएम) तट से दूर स्थित एक लोडिंग स्थान है, जो गैस अथवा तरल उत्पादों को चढ़ाने या उतारने वाले टैंकरों के लिए मूरिंग प्वाइंट और अन्तर-संपर्क के रूप में कार्य करता है। तट से विभिन्न दूरियों पर 26 एसपीएम कार्यशील हैं। एसपीएम की सुरक्षा के लिए, गृह मंत्रालय ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित की है, जिसे सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को अनुपालन के लिए परिचालित किया गया है।

तटीय मानचित्रण

3.43 तटीय मानचित्रण तटीय सुरक्षा के सुदृढीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तटीय मानचित्रण सूचना को मानचित्र में रखने की एक प्रक्रिया है, जिसमें तटीय पुलिस स्टेशनों, स्थानीय पुलिस स्टेशनों, आसूचना ढांचे, मछली उतारने के स्थानों, मछली पकड़ने वाले गांवों, बंदरगाहों, सीमा-शुल्क जांच चौकियों, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बम निष्क्रियकरण सुविधाओं आदि का महत्वपूर्ण ब्यौरा और लोकेशन शामिल है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दमण एवं दीव, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने तटीय मानचित्रण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। लक्षद्वीप इस कार्य को पूरा करने

की प्रक्रिया में है।

अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुए सभी अपराधों से निपटने के लिए तटीय पुलिस स्टेशनों की अधिसूचना

3.44 गृह मंत्रालय ने दिनांक 13.06.2016 की अधिसूचना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र अर्थात् प्रादेशिक जलक्षेत्र के आगे और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (ईईजेड) तक के क्षेत्र में हुए अपराधों से निपटने के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में 10 तटीय पुलिस स्टेशनों नामतः नवीबंदर तटीय पुलिस स्टेशन, जिला पोरबंदर (गुजरात), येलो गेट पुलिस स्टेशन, मुम्बई (महाराष्ट्र तथा दमण एवं दीव), हार्बर

तटीय सुरक्षा पुलिस स्टेशन, हार्बर, मोर्मुगांव, जिला साउथ गोवा (गोवा), मंगलौर तटीय सुरक्षा पुलिस स्टेशन, जिला दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक), फोर्ट कोच्चि तटीय पुलिस स्टेशन, कोच्चि (केरल और लक्षद्वीप), बी5 हार्बर पुलिस स्टेशन, चेन्नई (तमिलनाडु और पुदुचेरी), गिलाकलाडिंडी, मछलीपट्टनम, जिला कृष्णा (आंध्र प्रदेश), पारादीप मरीन पुलिस स्टेशन, जिला जगतसिंहपुर (ओडिशा), नयाचार तटीय पुलिस स्टेशन, जिला पूर्व मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल) और सेन्ट्रल क्राइम स्टेशन, पोर्ट ब्लेयर (अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) को अधिसूचित किया है।



एनएसीपी, गुजरात में प्रशिक्षण

नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग (एनएसीपी)

3.45 भारत सरकार ने देवभूमि द्वारका, गुजरात में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग (एनएसीपी) की स्थापना करने का अनुमोदन प्रदान किया है। इस बीच, एकेडमी के एक अस्थायी कैम्पस ने दिनांक

29.10.2018 से कैम्पस से कार्य करना शुरू कर दिया है। तटीय पुलिस/कस्टम कार्मिकों वाले पांच बैचों ने मरीन पुलिस फाउंडेशन कोर्स पूरा कर लिया है। एनएसीपी के स्थायी कैम्पस की स्थापना हेतु बीएसएफ द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की जांच की जा रही है।





संयुक्त तटीय गश्त (जेसीपी)

3.46 भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) और तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संबंधित तटीय पुलिस द्वारा संयुक्त तटीय गश्त (जेसीपी), कोविड-19 की वजह से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, स्थानीय तटीय पुलिस

कार्मिकों और आईसीजी की इकाइयों के बीच उन्नत समन्वय और तालमेल के जरिए दिनांक 31.12.2020 की समय सीमा से काफी पहले दिनांक 15.08.2020 से ही शुरू हो गई है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	क्लासरूम प्रशिक्षण	भाग लेने वाले कार्मिक	समुद्री फेरे (सी सार्टीज)	जहाज पर चढ़ने वाले कार्मिक
दिनांक 15.08.2020 से 31.12.2021 तक	353	1932	767	2057

भारतीय भूमि-पत्तन प्राधिकरण

एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) का विकास

3.47 आईसीपी द्वारा प्रदान की गई अवसंरचना सुविधाएं निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	व्यापार सुविधाएं	यात्री सुविधाएं
1	वेयरहाउस/रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज स्पेस	बस सेवा
2	बैंक, कैफेटेरिया, पार्किंग आदि	प्रतीक्षा क्षेत्र
3	कार्गो कॉम्प्लेक्स	बैंक
4	ड्राइवर विश्राम क्षेत्र	स्वास्थ्य जांच
5	इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा	ट्रॉली और व्हीलचेयर
6	निरीक्षण शेड	वाशरूम
7	सीमीटीवी	पार्किंग और टैक्सी

8	जब्त किए गए सामान के लिए शेड	प्रार्थना कक्ष
9	कार्गो स्कैनर – एफबीटीएस	कैफेटेरिया
10	सीमा शुल्क	बाल देखभाल कक्ष

3.48 कार्यशील की गई आईसीपी-09

क्र.सं.	स्थान	राज्य	अंतर्राष्ट्रीय सीमा	कार्यशील किए जाने की तारीख
1	अटारी	पंजाब	भारत-पाकिस्तान	13.04.2012
2	अगरतला	त्रिपुरा	भारत-बांग्लादेश	17.11.2013
3	पेट्रापोल	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	12.02.2016
4	रक्सौल	बिहार	भारत-नेपाल	03.06.2016
5	जोगबनी	बिहार	भारत-नेपाल	15.11.2016
6	मोरेह	मणिपुर	भारत-म्यांमार	04.01.2019
7	श्रीमंतपुर	त्रिपुरा	भारत-बांग्लादेश	दिसम्बर, 2020
8	डेरा वावा नानक	पंजाब	भारत-पाकिस्तान	09.11.2019
9	सुतारकंडी	असम	भारत-बांग्लादेश	07.09.2019

अतिरिक्त आईसीपी का विकास

3.49 सीमा पर सुरक्षा में और अधिक सुधार करने तथा साथ ही पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और संबंधों

में भी सुधार करने हेतु एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) के विकास के लिए निम्नलिखित 14 स्थानों की पहचान की गई है:

क्र.सं.	आईसीपी	राज्य	सीमा	स्थिति
1	रुपैडिहा	उत्तर प्रदेश	नेपाल	विकसित की जा रही है
2	दक्की	मेघालय	बांग्लादेश	विकसित की जा रही है
3	मुनौली	उत्तर प्रदेश	नेपाल	विकसित की जा रही है
4	वनबामा	उत्तराखंड	नेपाल	विकसित की जा रही है
5	भीटामोड़	बिहार	नेपाल	विकसित की जा रही है
6	कवरपुइछुआ	मिजोरम	बांग्लादेश	विकसित की जा रही है
7	सबरूम	असम	बांग्लादेश	विकसित की जा रही है
8	फुलबाड़ी	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश	भूमि अधिग्रहण

9	पानीटंकी	पश्चिम बंगाल	नेपाल	भूमि अधिग्रहण
10	जयगांव	पश्चिम बंगाल	भूटान	भूमि अधिग्रहण
11	महादीपुर	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश	भूमि अधिग्रहण
12	घोजाडंगा	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश	भूमि अधिग्रहण
13	हिली	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश	भूमि अधिग्रहण
14	चंग्रबंधा	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश	भूमि अधिग्रहण

3.50 सरकार ने दिनांक 17.12.2018 को भारत-नेपाल सीमा पर सुनौली एवं रूपैडीहा (दोनों उत्तर प्रदेश में) और भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुतारकंडी (असम) में तीन एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा, हिली, चंग्रबंधा, कवरपुइछुआ, जयगांव, पानीटंकी, घोजाडंगा, बनबासा, महादीपुर, फुलबाड़ी और भीटामोड़ में 10 आईसीपी के विकास के लिए भी सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की गई है।

(क) **रूपैडीहा आईसीपी:** साइट पर लगभग 60% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आईसीपी को पूरा करने की लक्षित तारीख अप्रैल, 2022 है।

(ख) **आईसीपी सुनौली:** आईसीपी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है। आईसीपी की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य भूमि खरीद नीति के तहत 58.44 हेक्टेयर भूमि की खरीद के लिए मंजूरी प्रदान की गई है।

(ग) **आईसीपी सुतारकंडी:** सीमा व्यापार केंद्र (बीटीसी-1 और 2) सहित 29.94 एकड़ जमीन का कब्जा मिल चुका है। आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट द्वारा साइट का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। भूमि के शेष हिस्सों के शीघ्र हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार से संपर्क स्थापित किया गया है।

3.51 **यात्री टर्मिनल भवन (पीटीबी), पेट्रापोल:** कुल मिलाकर पीटीबी का 28% कार्य पूरा हो चुका है। तथापि, अस्थायी नए यात्री टर्मिनल (I) भवन का कार्य पूरा हो गया है और दिनांक 17.09.2021 को गृह राज्य मंत्री श्री

नित्यानंद राय और श्री निशिथ प्रामाणिक द्वारा इसका उद्घाटन भी किया जा चुका है। इस कार्य के पूरा होने की संभावित तिथि दिसंबर, 2022 है।

3.52 **बनबासा में आईसीपी का विकास:** भारत और नेपाल की ओर आईसीपी के स्थान को अंतिम रूप दे दिया गया है। वन भूमि के परिवर्तन (कन्वर्जन) की प्रक्रिया चल रही है। आईसीपी के रास्ते राष्ट्रीय राजमार्ग से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर प्रस्तावित लिंक रोड के एलाइनमेंट को भी अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो गई है। मसौदा ईएफसी नोट तैयार किया जा रहा है।

3.53 **भीटामोड़ में आईसीपी का विकास:** आईसीपी की स्थापना के लिए कुल 26.42 एकड़ क्षेत्र की पहचान की गई है। डीपीआर तैयार कर ली गई है। भूमि की अनुमानित लागत राज्य सरकार को जारी कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। संकल्पना (कंसेप्ट) योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। मसौदा ईएफसी नोट तैयार किया जा रहा है।

3.54 **आईसीपी कवरपुइछुआ:** राज्य सरकार ने लीज की जमीन भारतीय भूमि-पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) को हस्तांतरित कर दी है। इसके अलावा, राज्य सरकार से मौजूदा उपलब्ध भूमि से सटी 30-40 एकड़ अतिरिक्त भूमि की पहचान करके हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और विस्तृत इंजीनियरिंग रिपोर्ट तैयार करने के लिए आर्किटेक्ट कंसल्टेंट की नियुक्ति की गई है। संकल्पना (कंसेप्ट) योजना को

अंतिम रूप दे दिया गया है। साइट पर अधिग्रहीत भूमि की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने जैसी निर्माण-पूर्व गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। मसौदा ईएफसी नोट तैयार किया जा रहा है।

3.55 पश्चिम बंगाल में 07 आईसीपी के लिए भूमि: सभी आईसीपी के लिए नए स्थानों की पहचान कर ली गई है। तदनुसार, 07 आईसीपी के लिए अपडेटेड विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की जा रही है। राज्य सरकार ने अभी तक इन स्थानों के लिए भूमि के अधिग्रहण का कार्य शुरू नहीं किया है। भारतीय भूमि-पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) भूमि के शीघ्र अधिग्रहण के लिए नियमित रूप से समन्वय कर रहा है।

3.56 महत्वपूर्ण कार्य: एलपीएआई ने दिनांक 07.04.2021 से आईसीपी रक्सौल में कार्गो परिचालन स्वतः शुरू कर दिया है। शिलांग और पटना के सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक) ने एलपीएआई को आईसीपी सुतारकंडी और रक्सौल में एचसीसीएआर – 2019 के तहत सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया है। वाहनों की पार्किंग को बढ़ाकर 500 ट्रक प्रतिदिन करने के लिए आईसीपी पेट्रापोल में अतिरिक्त पार्किंग स्थल का निर्माण किया गया है। व्यापार को सुविधाजनक बनाने और इसे बढ़ावा देने के लिए आईसीपी सुतारकंडी में बीटीसी- II में लूज कार्गो क्षेत्र बनाया गया है। आईसीपी पेट्रापोल में पीटीबी-I का उद्घाटन दिनांक 17.09.2021 को गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, बांग्लादेश द्वारा किया गया।

3.57 भू-सीमा के आर-पार सामान और लोगों की आवाजाही के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं में सुधार हेतु गठित समन्वय समिति की बैठक: समन्वय समिति की पहली बैठक दिनांक 31.08.2021 को दोपहर 12.30 बजे आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय द्वारा की गई और विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों, पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों, मिजोरम सरकार और असम सरकार के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधियों ने भी उक्त बैठक में भाग लिया।

3.58 भारत सरकार एकीकृत जांच चौकियों के विकास और एलपीएआई के राजस्व व्यय के लिए बजट प्रदान करती है। एलपीएआई को यह बजट, अनुदान सहायता के माध्यम से प्राप्त होता है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 हेतु पूंजीगत और राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए क्रमशः 187.45 करोड़ रुपए और 12.55 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता जारी की है।

3.59 प्राधिकरण ने वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज सहित नौ आईसीपी के संचालन और प्रबंधन से अपने हिस्से के रूप में स्वयं 13.05 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। वर्ष 2020-21 के दौरान प्राधिकरण के द्वारा किया गया राजस्व व्यय 28.86 करोड़ रुपए था। वर्ष 2020-21 के दौरान एलपीएआई द्वारा अर्जित और प्राप्त राजस्व सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक में रखे गए एलपीएआई के बैंक खाते में जमा कर दिया गया है।

3.60 आईसीपी-पेट्रापोल में यात्री टर्मिनल भवन-I का उद्घाटन श्री नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री निशिथ प्रामाणिक, गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री खालिद महमूद चौधरी, पोत परिवहन राज्य मंत्री, बांग्लादेश सरकार तथा श्री विक्रम दोराई स्वामी, बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त द्वारा दिनांक 17.09.2021 को विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया और इसे दिनांक 25.09.2021 को यात्रियों के आवागमन हेतु चालू कर दिया गया।

3.61 डेढ़ साल के अंतराल के बाद श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा (पाकिस्तान) के लिए आईसीपी, डेरा बाबा नानक में यात्रियों का आवागमन दिनांक 17.11.2021 से पुनः शुरू किया गया।

3.62 भू-सीमा के आर-पार सामान और लोगों की आवाजाही के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं में सुधार हेतु गठित समन्वय समिति की बैठक: समन्वय समिति की दूसरी बैठक दिनांक 23.12.2021 को आयोजित की गई। बैठक की

अध्यक्षता सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय द्वारा की गई और विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों, पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों, मिजोरम सरकार और असम सरकार के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न स्टैकहोल्डरों के प्रतिनिधियों ने भी उक्त बैठक में भाग लिया।

3.63 "आईसीपी/एलसीएस भारत-बांग्लादेश संबंधी अवसंरचना पर उप-समूह" की चौथी बैठक दिनांक

28.12.2021 से 30.12.2021 तक एलपीएआई मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों आईसीपी पर मौजूद अवसंरचना को देखने और यात्रियों तथा कार्गो के आवागमन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल ने आईसीपी, डेरा बाबा नानक और आईसीपी, अटारी का दौरा भी किया।

अध्याय-4

देश में अपराध का परिदृश्य

4.1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के वार्षिक आंकड़े, "क्राइम इन इंडिया" में प्रकाशन के लिए 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। यह ब्यूरो पुलिस द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक मामलों से संबंधित आंकड़ों को वार्षिक आधार पर एकत्रित, मिलान, संकलित और प्रकाशित करता है। ये आंकड़े, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की पुलिस द्वारा पुलिस स्टेशन (पीएस)/जिला स्तर पर दर्ज किए जाते हैं। ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार

अपराध के आंकड़ों की गणना के लिए "प्रिंसिपल ऑफेंस रूल" का अनुसरण करता है। इस प्रकार, एक एफआईआर मामले में दर्ज किए गए अनेक अपराधों में से केवल सबसे जघन्य अपराध (जिसमें कठोरतम दंड मिले) को ही गणना की एक इकाई के रूप में लिया जाता है।

क. अपराध की प्रवृत्ति का विश्लेषण

क) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा विशेष एवं स्थानीय कानूनों (एसएलएल) से संबंधित अपराध

अपराध शीर्ष	अपराध की घटना			अपराध दर*		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
आईपीसी	31,32,955	32,25,597	42,54,356	236.7	241.1	314.3
एसएलएल	19,41,680	19,30,561	23,46,929	146.7	144.3	173.4
कुल	50,74,635	51,56,158	66,01,285	383.5	385.5	487.8

* अपराध दर: अपराध दर की गणना प्रति एक लाख जनसंख्या पर अपराध की घटनाओं के आधार पर की जाती है।
(स्रोत: एनसीआरबी)

4.2 वर्ष 2020 में कुल 66,01,285 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए थे, जिनमें 42,54,356 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) अपराध और 23,46,929 विशेष एवं स्थानीय कानून (एसएलएल) अपराध शामिल हैं। ये आंकड़े वर्ष 2019 की तुलना में 28.0% की वृद्धि को दर्शाते हैं। वर्ष 2020 के दौरान, आईपीसी अपराधों में वर्ष 2019 की तुलना में 31.9% की और एसएलएल अपराधों में 21.6% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 के दौरान, आईपीसी अपराधों का प्रतिशत हिस्सा 64.4% था, जबकि एसएलएल मामलों का प्रतिशत हिस्सा कुल संज्ञेय अपराधों का 35.6% था।

4.3 कोविड-19 महामारी (पहली लहर) के कारण,

देश दिनांक 25.03.2020 से 31.05.2020 तक लॉकडाउन प्रतिबंधों के अधीन रहा। इस दौरान, सार्वजनिक स्थानों पर आवाजाही बहुत सीमित थी। महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराधों, चोरी, संधमारी, लूटपाट और डकैती के तहत दर्ज मामलों में गिरावट देखी गई है, जबकि कोविड-19 संबंधित प्रवर्तन के परिणामस्वरूप, "अन्य आईपीसी अपराध" और "अन्य राज्य स्थानीय अधिनियम" की श्रेणी में "लोकसेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा (धारा 188 आईपीसी)" शीर्ष के तहत दर्ज मामलों में वृद्धि हुई है।

4.4 लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश (धारा

188 आईपीसी) की अवज्ञा के तहत दर्ज मामलों में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है, जो कि वर्ष 2019 में 29,469 मामलों से बढ़कर वर्ष 2020 में 6,12,179 हो गए तथा "अन्य आईपीसी अपराधों" के तहत दर्ज मामले वर्ष 2019 में 2,52,268 मामलों से बढ़कर वर्ष 2020 में 10,62,399 हो गए थे। इसी तरह, एसएलएल श्रेणी के तहत, "अन्य राज्य स्थानीय अधिनियमों" के अंतर्गत और अधिक मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़े वर्ष 2019 में 89,553 मामलों से बढ़कर वर्ष 2020 में 4,14,589 हो गए। इनके परिणामस्वरूप, वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 16,43,690 अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामले मुख्य रूप से कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार, पारंपरिक अपराध के पंजीकरण में लगभग दो लाख मामलों की कमी आई है।

घ) हिंसक अपराध

ख) मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

4.5 मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के कुल 10,47,216 मामले दर्ज हुए थे, जो वर्ष 2020 के दौरान कुल आईपीसी अपराधों का 24.6% है। इनमें से, अधिकतर मामलों का कारण चोट लगना (10,47,216 मामलों में से 5,78,641 मामले) रहा अर्थात् 55.3% और इसके बाद लापरवाही से मौत होना (10,47,216 मामलों में से 1,26,779 मामले) तथा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए हमले के मामलों (10,47,216 मामलों में से 85,392 मामले) का होना रहा है, जिनका प्रतिशत क्रमशः 12.1% और 8.2% रहा।

ग) लोक शांति के विरुद्ध अपराध

4.6 वर्ष 2020 के दौरान, आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत लोक शांति के विरुद्ध अपराधों के कुल 71,107 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से दंगों के मामलों का प्रतिशत ऐसे कुल मामलों का 72.6% है।

अपराध शीर्ष	अपराध की घटना			अपराध दर*		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
हत्या	29,017	28,915	29,193	2.2	2.2	2.2
अपहरण एवं व्यपहरण	1,05,734	1,05,036	84,805	8.0	7.9	6.3
कुल हिंसक अपराध	4,28,135	4,17,846	4,00,006	32.4	31.2	29.6

* अपराध दर: अपराध दर की गणना प्रति एक लाख जनसंख्या पर अपराध की घटनाओं के आधार पर की जाती है।

(स्रोत: एनसीआरबी)

ड) हिंसक अपराध – हत्या

4.7 वर्ष 2020 के दौरान, हत्या के कुल 29,193 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें वर्ष 2019 (28,915 मामलों) की तुलना में 1.0% की वृद्धि देखी गई है। हत्या के सबसे अधिक मामलों का मकसद "विवाद" (10,404 मामले) था और तत्पश्चात "व्यक्तिगत प्रतिशोध या दुश्मनी" (4,034 मामले) और "लाभ अर्जन" (1,876 मामले) था।

च) हिंसक अपराध – अपहरण और व्यपहरण

4.8 वर्ष 2020 के दौरान, अपहरण और व्यपहरण के कुल 84,805 मामले दर्ज किए गए थे। कुल 88,590 (14,869 पुरुष और 73,721 महिलाएं) व्यक्तियों का अपहरण या व्यपहरण किया गया। वर्ष 2020 के दौरान, 35,541 पीड़ितों को अपहृत की श्रेणी के तहत रिपोर्ट किया गया था। इसके अलावा, कुल 91,739 अपहृत या व्यपहृत व्यक्तियों (22,872 पुरुष और 68,867 महिलाएं) को बरामद किया गया, जिनमें से 91,458 व्यक्ति जीवित और 281 व्यक्ति मृत पाए गए।

छ) पुलिस और न्यायालय द्वारा आईपीसी मामलों का निपटान

क्रम संख्या	आईपीसी के तहत अपराध शीर्ष	जांच के लिए कुल मामले	चार्जशीट दर	विचारण हेतु कुल मामले	दोषसिद्ध हुए कुल मामले	दोषसिद्धि की दर
1	हत्या	50,258	85.3	2,32,859	4,536	44.1
2	बलात्कार	43,196	82.2	1,69,558	3,814	39.3
3	अपहरण और व्यपहरण	1,56,358	37.3	2,64,117	3,381	35.6
4	दंगे	81,846	89.2	5,19,589	4,613	29.5
5	चोट (मामूली और गंभीर चोट)	7,67,762	88.7	29,04,719	50,694	41.9
6	कुल आईपीसी अपराध	55,84,135	75.8	1,39,75,055	4,53,890	59.2

(स्रोत: एनसीआरबी)

4.9 वर्ष 2020 के दौरान, देश में कुल 55,84,135 मामले (13,27,167 पुराने + 42,54,356 नए + 2,612 पुनः खोले गए) जांच के लिए रिपोर्ट किए गए थे। वर्ष के अंत तक, पुलिस द्वारा कुल 34,47,285 मामलों का निपटान किया गया और 21,34,975 मामले जांच के लिए लंबित थे। 75.8% की चार्ज-शीटिंग दर के साथ 26,11,925

मामलों में आरोप पत्र सौंपे गए थे। देश में वर्ष के दौरान, कुल 139,75,055 मामले (1,13,63,130 पुराने और 26,11,925 नए) सुनवाई के लिए रिपोर्ट किए गए थे। वर्ष 2020 के दौरान, 7,66,962 मामलों में विचारण (ट्रायल) पूरा कर लिया गया था और 4,53,890 मामलों में दोषसिद्धि हुई, जिनमें दोषसिद्धि की दर 59.2% थी।

ज) पुलिस और न्यायालय द्वारा एसएलएल मामलों का निपटान

क्रम संख्या	एसएलएल के तहत अपराध शीर्ष	जांच के लिए कुल मामले	चार्जशीट दर	विचारण (ट्रायल) हेतु कुल मामले	दोषसिद्ध कुल मामले	दोषसिद्धि की दर
1	आवकारी अधिनियम	3,43,518	97.6	9,60,659	1,45,279	94.1
2	स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985	92,042	98.3	2,72,135	14,340	81.6
3	आयुध अधिनियम	82,754	98.7	4,56,443	28,030	86.3
4	कुल एसएलएल अपराध	27,70,829	93.8	89,45,840	6,72,361	87.5

(स्रोत: एनसीआरबी)

4.10 वर्ष 2020 के दौरान, जांच के लिए कुल 27,70,829 मामले (4,22,915 पुराने + 23,46,929 नए + 985 पुनः खोले गए) रिपोर्ट किए गए थे। पुलिस द्वारा 20,74,211 मामलों का निपटान किया गया और वर्ष के अंत तक, 6,96,491 मामले जांच के लिए लंबित थे। 93.8% की चार्ज-शीटिंग दर के साथ 19,44,954 मामलों में आरोप-पत्र सौंपे गए थे। देश में वर्ष के दौरान, विचारण हेतु कुल 89,45,840 मामले (70,00,886 पुराने + 19,44,954 नए) रिपोर्ट किए गए थे। वर्ष 2020 के दौरान, 7,68,094 मामलों में विचारण (ट्रायल) पूरा हो गया था और 87.5% की दोषसिद्धि दर के साथ 6,72,361 मामलों में दोषमुक्ति हुई।

झ) गिरफ्तारी, दोषसिद्धि और दोषमुक्ति

4.11 वर्ष 2020 के दौरान, आईपीसी अपराधों के तहत

कुल 44,24,852 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। कुल 44,17,740 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया, 6,34,229 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और 5,58,694 व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया गया अथवा उन्हें छोड़ दिया गया। वर्ष 2020 के दौरान, एसएलएल अपराधों के तहत कुल 23,89,762 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। कुल 25,65,448 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया, 8,76,553 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और 1,31,294 व्यक्तियों को दोषमुक्त किया गया अथवा उन्हें छोड़ दिया गया।

ख. समाज के कमजोर वर्ग

क) महिलाओं के प्रति अपराध

अपराध की घटना			अपराध दर*			प्रतिशत भिन्नता	
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018-2019	2019-2020
3,78,236	4,05,326	3,71,503	58.8	62.3	56.5	7.2%	-8.3%

*प्रति लाख महिला जनसंख्या पर आधारित अपराध

(स्रोत:एनसीआरबी)

4.12 महिलाएँ भी कई सामान्य अपराधों जैसे कि हत्या, डकैती, धोखाधड़ी आदि की शिकार होती हैं। विशेष रूप से केवल महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को ही “महिलाओं के विरुद्ध अपराध” के रूप में जाना जाता है। तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2020 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग में वर्ष 2019 की तुलना में 8.3% की कमी हुई है। यह कमी सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के फलस्वरूप हो सकती है, जैसे कि पुलिस द्वारा अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करना, गृह

मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी एडवाइजरी के माध्यम से पुलिस को संवेदनशील बनाया जाना और जनता के बीच जागरूकता बढ़ाया जाना आदि।

4.13 महिलाओं के प्रति अपराध में सबसे अधिक मामले “पति अथवा उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता” (30.0%) के तहत रिपोर्ट किये गए थे, इसके बाद “महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से उन पर हमला करने”(23.0%) और “महिलाओं का अपहरण एवं व्यपहरण”(16.8%) के तहत रिपोर्ट किये गए।

ख) बच्चों के प्रति अपराध

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018-2019	2019-2020
1,41,764	1,48,090	1,28,531	31.8	33.2	28.9	4.5 %	-13.2 %

(स्रोत:एनसीआरबी)

4.14 तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2020 के दौरान, देश में बच्चों के प्रति अपराध के कुल 1,28,531 मामले रिपोर्ट किए गए थे। प्रतिशत के संदर्भ में, वर्ष 2020 के दौरान “बच्चों के प्रति अपराध” के तहत प्रमुख अपराध शीर्ष “अपहरण

एवं व्यपहरण” (42.6%) तथा बलात्कार सहित “यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012” (38.8%) के रूप में थे। बच्चों के प्रति अपराध की दर वर्ष 2020 के दौरान प्रति एक लाख बच्चों पर 28.9% देखी गई।

ग) कानून के विरुद्ध चलने वाले किशोर

अपराध की घटना			प्रतिशत भिन्नता	
2018	2019	2020	2018-2019	2019-2020
31,591	32,269	29,768	2.1 %	-7.8 %

(स्रोत: एनसीआरबी)

4.15 वर्ष 2020 के दौरान, 29,768 मामलों में कुल 35,352 किशोरों को पकड़ा गया, जिनमें से 31,618 किशोर आईपीसी के मामलों के तहत पकड़े गए और 3,734 किशोरों को एसएलएल के मामलों में गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2020 के

दौरान, कानून के विरुद्ध चलने वाले अधिकांश किशोर, जिन्हें आईपीसी और एसएलएल अपराधों के तहत गिरफ्तार किया गया था, 16–18 वर्ष (76.2%)(35,352 में से 26,954) के बीच के आयु वर्ग के थे।

घ) अनुसूचित जातियों (एससी) के प्रति अपराध/अत्याचार

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018-2019	2019-2020
42,793	45,961	50,291	21.3	22.8	25.0	7.4 %	9.4 %

(स्रोत: एनसीआरबी)

4.16 वर्ष 2020 के दौरान, अनुसूचित जातियों के प्रति

अपराध की दर प्रति एक लाख अनुसूचित जाति की जनसंख्या पर 25 देखी गई थी।

ङ) अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रति अपराध/अत्याचार

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018-2019	2019-2020
6,528	7,570	8,272	6.3	7.3	7.9	16.0 %	9.3 %

(स्रोत: एनसीआरबी)

4.17 ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2020 के दौरान, देश में अनुसूचित जनजातियों के प्रति कुल 8,272 मामले/अत्याचार रिपोर्ट किए गए।

अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध की दर प्रति एक लाख अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पर 7.9 देखी गई थी।

च) वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018-2019	2019-2020
24,349	27,804	24,794	23.4	26.8	23.9	14.2 %	-10.8 %

(स्रोत: एनसीआरबी)

4.18 वर्ष 2020 के दौरान, देश में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराधों के कुल 24,794 मामले रिपोर्ट किए गए थे।

वर्ष 2020 के दौरान, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति किए गए प्रमुख अपराधों में मामूली चोट, चोरी एवं जालसाजी, ठगी एवं धोखाधड़ी शामिल हैं।

ग. आर्थिक अपराध

अपराध की घटना			प्रतिशत भिन्नता	
2018	2019	2020	2018-2019	2019-2020
1,56,268	1,65,693	1,45,754	6.0 %	-12.0 %

(स्रोत: एनसीआरबी)

4.19 वर्ष 2020 के दौरान, आर्थिक अपराधों की तीन निर्दिष्ट श्रेणी में से जालसाजी, ठगी एवं धोखाधड़ी श्रेणी में अधिकतम 1,27,724 मामले रिपोर्ट किए गए,

जिसके बाद विश्वास का आपराधिक उल्लंघन (17,358 मामले) और नकल (672 मामले) के अंतर्गत मामले रिपोर्ट हुए थे।

घ. साइबर अपराध

अपराध की घटना			प्रतिशत भिन्नता	
2018	2019	2020	2018-2019	2019-2020
27,248	44,735	50,035	64.2 %	11.8 %

(स्रोत: एनसीआरबी)

4.20 वर्ष 2020 के दौरान, कंप्यूटर संबंधित अपराधों के अंतर्गत साइबर अपराध के 43.8% मामले (50,035 मामलों में से 21,926) दर्ज किए गए, उसके बाद 20.8% मामले (10,395) धोखाधड़ी और 12.6% मामले (6,308) इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील/कामुकता दर्शाने वाले कार्य का प्रकाशन/प्रसारण से संबंधित थे।

ङ. संपत्ति के लिए अपराध

4.21 वर्ष 2020 के दौरान, संपत्ति के लिए किए गए अपराधों के तहत कुल 6,43,585 मामले रिपोर्ट किए गए (कुल आईपीसी अपराधों का 15.1%), जिनमें से चोरी (4,93,172 मामले) और संधमारी (86,223 मामले) में क्रमशः 76.6% और 13.4% मामले रिपोर्ट किए गए।

वर्ष	2018	2019	2020
चोरी की गई संपत्ति का मूल्य (करोड़ रु. में)	5,211.9	4,710.5	3,678.1
बरामद की गई संपत्ति का मूल्य (करोड़ रु. में)	1,827.7	1,448.6	1,185.0
चोरी की गई संपत्ति की प्रतिशत बरामदगी	35.1 %	30.8 %	32.2 %

(स्रोत: एनसीआरबी)

4.22 वर्ष 2020 के दौरान, 3,678.1 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की चोरी हुई और 1,185.0 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां बरामद की गईं, जो कि चोरी की गई संपत्तियों की 32.2% बरामदगी है। वर्ष 2020 के दौरान, कुल चोरी के मामलों (4,93,172 मामले) में से, 1,94,797 मामले (39.5%) ऑटो/मोटर वाहन चोरी से संबंधित थे। वर्ष 2020 के दौरान, आवासीय परिसरों में संपत्ति अपराधों के 2,38,709 मामले हुए थे। तथापि, 14,824 मामलों के साथ लूटपाट के अधिकतर मामले सड़क मार्गों पर हुए।

च. लापता व्यक्ति

4.23 वर्ष 2020 में, कुल 6,70,145 व्यक्ति (2,46,343 पुरुष, 4,23,655 महिलाएं और 147 ट्रांसजेंडर) लापता हुए थे (पिछले वर्षों से लापता सहित)। वर्ष 2020 के दौरान, वर्ष के अंत तक कुल 3,32,483 व्यक्तियों (1,08,298 पुरुष, 2,24,043 महिलाएं और 142 ट्रांसजेंडर) का पता लगाया गया था।

4.24 वर्ष 2020 में कुल 1,08,234 बच्चे (28,976 पुरुष, 79,233 महिलाएं और 25 ट्रांसजेंडर) लापता हुए थे (पिछले वर्षों से लापता सहित)। वर्ष 2020 के दौरान, वर्ष के अंत तक कुल 64,573 बच्चों (15,832 पुरुष, 48,717 महिलाएं और 24 ट्रांसजेंडर) का पता लगाया गया था।

छ. आयुध अधिनियम के तहत जब्ती

4.25 आयुध अधिनियम, 1959 के तहत, कुल 68,463 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 74,581 हथियार जब्त किए गए। इन हथियारों में से 73,169 हथियार बिना लाइसेंस के थे और 1,412 हथियार लाइसेंसयुक्त थे। वर्ष 2020 के दौरान, कुल 95,265 गोला-बारूद जब्त किए गए थे।

ज. मादक पदार्थों की जब्ती

4.26 देश में वर्ष 2020 के दौरान, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत कुल 59,806 मामले रिपोर्ट किए गए थे, जिनमें 83,719 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

अध्याय -5

मानव अधिकार और राष्ट्रीय एकता

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी)

5.1 भारत सरकार ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य मानव अधिकार आयोगों (एसएचआरसी) का गठन करके मानवाधिकारों के उल्लंघनों से निपटने के लिए एक मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) की अध्यक्षता, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाती है और इसमें 05 अन्य सदस्य होते हैं। एनएचआरसी का एक मुख्य कार्य शिकायतें प्राप्त करना और लोक सेवकों द्वारा जानबूझकर/भूल-चूक अथवा लापरवाही से किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघनों की जांच-पड़ताल शुरू करना है, और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना है।

5.2 मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के मानद सदस्य निम्नानुसार हैं:-

- (क) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।
- (ख) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
- (ग) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।
- (घ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग।
- (ङ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
- (च) अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
- (छ) निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त।

5.3 वर्ष 2021-22 के लिए एनएचआरसी का बजटीय

अनुमान 62.33 करोड़ रु. है। दिनांक 31.12.2021 तक, गृह मंत्रालय द्वारा 46.75 करोड़ रु. की राशि की मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें से वर्ष 2020-21 के अव्ययित शेष के रूप में 3.29 करोड़ रु. को समायोजित करने के पश्चात 43.46 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

शिकायतों का निपटान

5.4 दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान, 84361 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से एनएचआरसी ने 62733 मामलों का निपटान किया। इन मामलों में, पूर्व वर्ष से अग्रेषित किये गये मामले भी सम्मिलित हैं। एनएचआरसी ने 7553 मामले निपटान हेतु राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) को भी हस्तांतरित किए हैं। उपर्युक्त अवधि के दौरान, एनएचआरसी ने 279 मामलों में 8,85,10,840/- रुपये की आर्थिक राहत का भुगतान करने की सिफारिश की है।

मामलों की जांच-पड़ताल

5.5 दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान, एनएचआरसी ने कुल मिलाकर 1870 मामलों, जिनमें न्यायिक हिरासत में मौतों के 1203 मामलों, पुलिस हिरासत में मौतों के 170 मामले और तथ्य का पता लगाने वाले 287 मामले शामिल हैं, का निपटान किया। एनएचआरसी ने पुलिस मुठभेड़ में हुई मौतों के 210 मामलों का भी निपटान किया तथा मानव-अधिकारों के कथित गंभीर उल्लंघनों के 22 मामलों की मौके पर जांच की।

महिलाओं और बच्चों के अधिकार

5.6 महिलाओं के अधिकारों के संबंध में,

एनएचआरसी द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:-

(क) **महिलाओं के संबंध में कोर ग्रुप की बैठक** – अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महिलाओं की कम भागीदारी के कारणों पर चर्चा करने के लिए, दिनांक 14.09.2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्या श्रीमती ज्योतिका कालरा की अध्यक्षता में “महिलाओं के संबंध में कोर ग्रुप” की एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोर ग्रुप के सदस्यों, विदेश मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों, प्रख्यात विशेषज्ञों और एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। बैठक में की गई सिफारिशों को आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और इन्हें संबंधित हितधारकों के बीच प्रसारित किया गया है।

(ख) **घरेलू कामगारों की संवेदनशीलता, कानूनी सुरक्षा और मानवाधिकारों पर सम्मेलन** – आयोग ने दिनांक 16.04.2021 को श्रीमती ज्योतिका कालरा, सदस्या, एनएचआरसी की अध्यक्षता में घरेलू कामगारों की संवेदनशीलता, कानूनी सुरक्षा और मानवाधिकारों पर एक वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिनिधियों, आईएलओ, स्वतंत्र विशेषज्ञों और घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर रहे सीएसओ ने भाग लिया। इस सम्मेलन में की गई सिफारिशों को आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और संबंधित हितधारकों के बीच प्रसारित किया गया है।

(ग) **‘भारत में महिला अधिकार’ शीर्षक की एक पुस्तक का प्रकाशन और विमोचन:** “महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन (सीईडीएडब्ल्यू) पर संयुक्त राष्ट्र

सम्मेलन तथा भारतीय संविधान, विधानों, योजनाओं, नीतियों और निर्णयों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 2021” का एनएचआरसी द्वारा दिनांक 10.12.2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर विमोचन किया गया था। यह पुस्तक विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा सीईडीएडब्ल्यू पर किए गए एक अध्ययन पर आधारित है, जिसमें घरेलू कानूनों, नीतियों और अदालती फैसलों का अध्ययन करके भारत में सीईडीएडब्ल्यू के कार्यान्वयन में कमियों की पहचान की गई है और उनके समाधान के उपायों की सिफारिश की गई है।

(घ) **कोविड-19 के संदर्भ में बच्चों के अधिकारों पर एडवाइजरी** – एनएचआरसी ने कोविड-19 महामारी की पहली और दूसरी लहर के परिणामस्वरूप बच्चों पर पड़ते दीर्घकालिक और निरंतर प्रभाव के चलते भविष्य में उनकी सुरक्षा के लिए सभी हितधारकों द्वारा अधिक तैयारी और कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए, “कोविड-19 (2.0) के संदर्भ में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए एडवाइजरी” दिनांक 02.06.2021 को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की।

(ङ) **लापता बच्चों पर एनएचआरसी का शोध अध्ययन**—दिनांक 12.04.2021 को, एनएचआरसी ने अपने एक अध्ययन – “लापता बच्चों पर एनएचआरसी का शोध अध्ययन (एनआरएसएमसी)” के संबंध में विस्तृत विचारार्थ विषयों पर चर्चा कर उन्हें अंतिम रूप देने के लिए एक कार्यकारी समूह का गठन किया है। कार्यकारी समूह ने अध्ययन हेतु विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दे दिया है और शीघ्र ही पात्र अनुसंधान संगठनों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाएगी।

(च) **‘बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा पर वेबिनार: मुद्दे और चुनौतियाँ’** पर एक वेबिनार दिनांक 21.12.2021 को आयोजित किया गया था, जिसमें आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा नीति

आयोग, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (एनसीईआरटी), दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रतिनिधियों, शैक्षिक संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयों, स्कूलों, माता-पिता संघों आदि के डोमेन विशेषज्ञों ने भाग लिया था। विचार-विमर्श के दौरान की गई प्रमुख सिफारिशों को कार्यान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.7 वर्ष 2021-2022 (दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक) के दौरान, कोविड-19 महामारी ने कहर बरपाया, जिसके परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न कॉलेजों/संस्थानों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से, मानव अधिकारों पर एनएचआरसी प्रायोजित सिर्फ आठ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सके। कोविड-19 वायरस और इसके प्रकारों की गंभीरता को देखते हुए, एनएचआरसी जुलाई 2020 से इंटरनशिप के अल्पावधिक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। वर्ष 2021-22 के दौरान दिनांक 31.12.2021 तक, आयोग ने जुलाई, 2021, सितंबर, 2021 और नवम्बर, 2021 के महीने में इंटरनशिप के अल्पावधिक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें क्रमशः 45, 74 और 66 छात्र इंटरन ने भाग लिया और एनएचआरसी के साथ अपनी इंटरनशिप सफलतापूर्वक पूरी की। उपरोक्त के अलावा, वार्षिक कार्य योजना (वर्ष 2021-22) के अनुसार, एनएचआरसी ने दिनांक 24.06.2021 और 23.12.2021 को जेंडर संवेदीकरण के दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

5.8 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों मंचों सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक प्रमुख स्थान रखता है। यह राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन (जीएनएचआरआई) का एक महत्वपूर्ण सदस्य रहा है, जो 110 से अधिक एनएचआरआई का प्रतिनिधित्व करने वाला दुनिया के सबसे बड़े

मानवाधिकार नेटवर्क में से एक है। एनएचआरसी को पेरिस सिद्धांतों के पूर्ण अनुपालन के लिए "जीएनएचआरआई की प्रत्यायन संबंधी उप समिति (एससीए)" द्वारा "क" दर्जे के लिए प्रमाणित किया गया है। एनएचआरसी, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में एनएचआरआई का एक क्षेत्रीय गठबंधन है और एपीएफ को प्रति वर्ष 1,50,000 अमेरिकी डॉलर की राशि का योगदान देता है, एशिया पैसिफिक फोरम (एपीएफ) के संस्थापक सदस्यों में से एक है। एनएचआरसी का अध्यक्ष, एपीएफ गवर्नेंस समिति का सदस्य होता है, जो एशिया पैसिफिक फोरम की निर्णय लेने वाली समिति है।

5.9 एनएचआरसी जीएनएचआरआई, एपीएफ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे कि मानव अधिकार परिषद (एचआरसी), संयुक्त राष्ट्र के कार्यकारी समूहों, ओएचसीएचआर आदि के साथ अपनी वचनबद्धता और बातचीत में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। आयोग विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है और साथ ही मसौदा प्रस्तावों, संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों की प्रश्नावलियों और अन्य रिपोर्टों, दस्तावेजों के लिए पूरे वर्ष में इनपुट प्रदान करता रहा है। कोविड-19 और इससे उत्पन्न बाधाओं के बावजूद, आयोग ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता को सुनिश्चित किया है और मानवाधिकारों के मुद्दे से संबंधित विभिन्न प्लेटफार्मों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस अवधि के दौरान, एनएचआरसी ने 14 वेबिनारों/वर्चुअल बैठकों में भाग लिया और 11 प्रश्नावलियों/रिपोर्टों/संकल्पों के लिए इनपुट/टिप्पणियां प्रदान कीं। इनमें एपीएफ की वार्षिक आम बैठकें, मानवाधिकार परिषद का 47वां और 48वां सत्र, जीएनएचआरआई की वार्षिक आम सभा और कई अन्य शामिल हैं। एचआरसी के 48वें सत्र में, एनएचआरसी ने विभिन्न विषयगत सत्रों जैसे कि पानी और स्वच्छता, जेंडर, मानवाधिकार शिक्षा आदि पर 8 पूर्व-रिकॉर्डेड वीडियो-स्टेटमेंट प्रस्तुत किए, जो एचआरसी में आयोग की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी है। आयोग ने मानव अधिकार रक्षकों के संबंध में जीएनएचआरआई की वैश्विक कार्य योजना को विकसित करने में भी योगदान

दिया है। आयोग सक्रिय दृष्टिकोण के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा कर रहा है और अपनी पूरी क्षमता से योगदान दे रहा है।

बैठकें / एडवाइजरी

5.10 आयोजित विभिन्न बैठकें और जारी की गई एडवाइजरी निम्नानुसार हैं:

- (क) **हाथों द्वारा कूड़ा साफ करने और खतरनाक सफाई के मुद्दे पर बैठक:** दिनांक 05.07.2021 को हाथों द्वारा कूड़ा साफ करने और खतरनाक सफाई के मुद्दे पर बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक की अध्यक्षता न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा, अध्यक्ष, एनएचआरसी द्वारा और सह-अध्यक्षता न्यायमूर्ति श्री पी.सी. पंत, सदस्य, एनएचआरसी द्वारा की गई थी। इस बैठक में शिक्षाविदों, गैर सरकारी संगठनों और निजी हितधारकों के साथ-साथ एमओएसजेई, एमओएच एवं यूए, एनएसकेडीएफसी और कोलकाता, ग्रेटर हैदराबाद, ग्रेटर मुंबई एवं ग्रेटर चेन्नई के म्यूनिसिपल कमीशन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में की गई सिफारिशों को कार्यान्वयन हेतु सभी संबंधित हितधारकों को भेजा गया था।
- (ख) **मानवाधिकार और स्थानीय स्वशासन के मुद्दों के संबंध में पारंपरिक सहयोग के मार्गों पर विचार-विमर्श करने के लिए अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान (एआईआईएलएसजी) के साथ बैठक:** एनएचआरसी ने डॉ. डी.एम.मुले, सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में दिनांक 26.10.2021 को एक बैठक आयोजित की। बैठक में एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों और अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान (एआईआईएलएसजी) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य, मानव अधिकारों और स्थानीय स्वशासन से संबंधित मुद्दों पर एनएचआरसी और एआईआईएलएसजी के बीच

पारस्परिक सहयोग के मार्गों पर चर्चा करना था। बैठक में की गई प्रमुख सिफारिशों में मानवाधिकार और स्थानीय स्वशासन पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, पंचायत एवं नगर पालिका दोनों स्तरों पर मानवाधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना, सभी स्थानीय सरकारों/संस्थानों के कर्मचारियों और स्टाफों को संवेदनशील बनाने के लिए मानव अधिकार प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना आदि शामिल है।

- (ग) **आपराधिक न्याय प्रणाली सुधारों पर सलाहकारी समूह:** दिनांक 18.08.2021 को आपराधिक न्याय प्रणाली सुधारों पर एनएचआरसी की मुख्य सलाहकारी समूह की एक वर्चुअल बैठक न्यायमूर्ति श्री महेश मित्तल कुमार, सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में गृह मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के वरिष्ठ अधिकारियों, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार के क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया। बैठक में चर्चा तीन एजेंडा मदों अर्थात्, (i) पुलिस डिजिटाइजेशन और जवाबदेही, (ii) विशिष्ट प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और प्रक्रियाओं का मानकीकरण, तथा (iii) सामुदायिक पुलिसिंग और पुलिस-पब्लिक संबंध के इर्द-गिर्द घूमती रही।
- (घ) **बंधुआ मजदूरी पर कोर समूह:** दिनांक 21.08.2021 को, एनएचआरसी ने न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में "बंधुआ मजदूरी पर कोर सलाहकारी समूह" की बैठक का आयोजन किया। बंधुआ मजदूरी प्रणाली को समाप्त करने के मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करने, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को गैर नकद/नकद लाभ देने का प्रावधान करने तथा जिला/राज्य/प्रशासनों और राज्य के अन्य

विभागों में अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए, इस बैठक में एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों, कोर समूह के सदस्यों, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) तथा अन्य सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(ड) भोजन और पोषण के अधिकार पर कोर

समूह: दिनांक 10.08.2021 को श्री राजीव जैन, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता में "भोजन और पोषण के अधिकार पर कोर समूह" की एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव; आईसीएमआर-एनआईएन के निदेशक; महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग; नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों; और खाद्य एवं पोषण के क्षेत्र में कार्य कर रहे सिविल सोसाइटी की प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया था। बैठक का एजेंडा इस प्रकार था: (क) गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 साल से कम उम्र के बच्चों का पोषण – एकीकृत बाल विकास योजना (ख) 6 से 14 साल के बच्चों का पोषण- मध्याह्न भोजन स्कीम (ग) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना (ओएनओआरसी): कार्यान्वयन, चुनौतियां और आगे का रास्ता। बैठक में की गई प्रमुख सिफारिशों को अनुपालन के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विधिवत भेजा गया है।

(च) मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्य योजना

(एनएपी-एचआर): दिनांक 03.08.2021 को, मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एचआर) तैयार करने के लिए गठित टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ डॉ. डी.एम. मुले, सदस्य, एनएचआरसी, की अध्यक्षता में एक बैठक अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में 12 मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ

एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। देश के नागरिकों के लिए मानवाधिकारों पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एचआर) के महत्व को समझाते हुए, एनएचआरसी ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों को एनएपी-एचआर की तैयारी में तेजी लाने के लिए कहा है।

(छ) कैदियों की कानूनी सहायता के लिए

पायलट परियोजना: एनएचआरसी ने कैदियों की कानूनी सहायता के लिए पायलट परियोजना पर दिल्ली कारागार, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली और दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण सहित सभी हितधारकों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए दिनांक 23.11.2021 को एक बैठक आयोजित की। पायलट प्रोजेक्ट के उद्देश्य हैं: कानूनी सहायता प्रणाली तक कैदियों की पहुंच में सुधार करके उनके मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और कानून के छात्रों के मध्य पेशेवरता एवं सामाजिक सेवा की भावना को बढ़ावा देना।

(ज) स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर कोर

समूह: दिनांक 22.12.2021 को स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर कोर समूह की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक को दो सत्रों में विभाजित किया गया था। पहला सत्र 'कुष्ठ रोग और कुष्ठ रोगी कालोनियों' पर था और दूसरा सत्र 'कोविड-19 और मानसिक स्वास्थ्य' पर था।

(झ) मानवाधिकार संबंधी विभिन्न मामलों पर

मानवाधिकार एडवाइजरी: एनएचआरसी ने देश भर में अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए और कोविड-19 महामारी एवं उसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन से प्रभावित समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के अधिकारों के बारे में गंभीरतापूर्वक चिंतित होकर वर्ष 2020 में 12 एडवाइजरी जारी की हैं। इसके अलावा, आयोग ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के संदर्भ में 07 एडवाइजरी और मानव अधिकार के उभरते

मुद्दों पर 04 एडवाइजरी जारी की तथा इन्हें केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच परिचालित किया:-

- (i) कोविड-19 महामारी (एडवाइजरी 2.0) की दूसरी लहर के मद्देनजर, स्वास्थ्य के अधिकार पर मानव अधिकार एडवाइजरी दिनांक 04.05.2021 को जारी की गई।
- (ii) एनएचआरसी ने मृतकों की मर्यादा बनाए रखने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए दिनांक 14.05.2021 एडवाइजरी जारी की।
- (iii) कोविड-19 महामारी (एडवाइजरी 2.0) की दूसरी लहर के मद्देनजर, मानसिक स्वास्थ्य के अधिकारों पर मानव अधिकार एडवाइजरी दिनांक 31.05.2021 को जारी की गई।
- (iv) कोविड-19 महामारी (एडवाइजरी 2.0) की दूसरी लहर के दौरान अनौपचारिक श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा पर मानव अधिकार एडवाइजरी दिनांक 31.05.2021 को जारी की गई।
- (v) कोविड-19 महामारी के दौरान बंधुआ मजदूरों की पहचान करने, उन्हें मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के लिए एडवाइजरी दिनांक 31.05.2021 को जारी की गई।
- (vi) कोविड-19 (2.0) के संदर्भ में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए दिनांक 02.06.2021 को एडवाइजरी जारी की गई।
- (vii) कोविड-19 के बीच विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) के मानवाधिकारों के संरक्षण पर एडवाइजरी दिनांक 03.06.2021 को जारी की गई।
- (viii) हाथों से कूड़ा साफ करने अथवा खतरनाक सफाई के कार्य में लगे व्यक्ति के मानवाधिकारों के संरक्षण पर दिनांक 24.09.2021 को एडवाइजरी जारी की गई।

(ix) खाद्य सुरक्षा और पोषण के अधिकार पर एडवाइजरी दिनांक 06.10.2021 को जारी की गई।

(x) बंधुआ मजदूरों की पहचान करने, उन्हें मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के लिए आयोग द्वारा दिनांक 08.12.2021 को एडवाइजरी 2.0 जारी की गई।

(xi) कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों की पहचान, उपचार, पुनर्वास और उनके साथ भेदभाव के उन्मूलन पर दिनांक 14.01.2022 को एडवाइजरी जारी की गई।

मानव अधिकार के विषयगत मुद्दों पर पुस्तिका

5.11 एनएचआरसी ने अक्टूबर के महीने में "दिव्यांगता अधिकार (दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम) और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम" शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की है। अपहरण/व्यपहरण, तस्करी (आईटीपीए और आईपीसी)/अनुचित कारावास, प्रजनन अधिकार, गर्भावस्था, सरोगेसी, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसीपीएनडीटी), गर्भपात जैसे विभिन्न विषयों के तहत मानवाधिकार के मुद्दों पर कुछ और पुस्तिकाएं एमएआरजी के सहयोग से तैयार की गई हैं, जो जल्द ही प्रकाशित होने वाली हैं।

एनएचआरसी स्थापना दिवस

5.12 एनएचआरसी प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। वर्ष 2021 में, एनएचआरसी स्थापना दिवस समारोह दिनांक 12.10.2021 को प्लेनरी हॉल, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे और श्री अमित शाह, माननीय गृह मंत्री विशिष्ट अतिथि थे।

मानवाधिकार दिवस

5.13 एनएचआरसी, हर वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाता है। वर्ष 2021 में, मानव

अधिकार दिवस दिनांक 10.12.2021 को प्लेनरी हॉल, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में फिजिकल मोड में मनाया गया था। इस अवसर पर, भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद मुख्य अतिथि थे।

राष्ट्रीय एकीकरण

सांप्रदायिक सौहार्द

5.14 केंद्र सरकार द्वारा जारी सांप्रदायिक सद्भाव दिशानिर्देशों के तहत अन्य बातों के साथ-साथ, सांप्रदायिक हिंसा से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य संभावित साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने और पहले कार्रवाई करने के लिए उचित सतर्कता बरतना, सावधानीपूर्वक योजना बनाना और तैयारी के उपाय करना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संवेदनशील बनाने के लिए इन दिशानिर्देशों को समय-समय पर दोहराया जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के प्रशासनों को उनके अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में सहायता करने के लिए, केंद्र सरकार साम्प्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले मामलों के बारे में आसूचना साझा करने, चेतावनी संदेश भेजने, एडवाइजरी जारी करने जैसे विभिन्न उपाय समय-समय पर करती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के अनुरोध पर, विशेष तौर पर ऐसे हालातों से निपटने के लिए गठित की गई "कंपोजिट रेपिड एक्शन फोर्स" सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात करती है।

5.15 दिनांक 31.10.2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए, सभी मंत्रालयों/राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी निर्देश जारी किए गए थे।

5.16 दिनांक 31.10.2021 को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाने के लिए एकता दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रीय स्तर के समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह के दौरान, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस बलों की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस परेड, पुलिस प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी, स्टैच्यू ऑफ

यूनिटी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, फूल-पंखुड़ियों की बौछार आदि का आयोजन किया गया था। देश के विभिन्न हिस्सों से मोटरसाइकिल और साइकिल रैलियां निकाली गईं तथा उत्सव के दौरान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया, गुजरात में उनका समापन हुआ।

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन

5.17 गृह मंत्रालय के तहत "राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन (एनएफसीएच)" एक स्वायत्तशासी संगठन है। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से साम्प्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के अतिरिक्त साम्प्रदायिकता, जातिवाद, नस्लीय या आतंकी हिंसा के कारण अनाथ/निराश्रित हुए बच्चों/युवाओं को उनके पुनर्वास हेतु सहायता प्रदान करना है।

5.18 वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न हुई अप्रत्याशित स्थिति के कारण, शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों को काफी हद तक प्रतिबंधित कर दिया गया था। तथापि, इस अवधि के दौरान फाउंडेशन की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:-

(क) **परियोजना 'असिस्ट'**:- यह फाउंडेशन की प्रमुख स्कीम है, जिसके तहत पूरे देश में सांप्रदायिक, जातिवादी, नस्लीय या आतंकवादी हिंसा के शिकार बच्चों और युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान, दिनांक 31.10.2021 की स्थिति के अनुसार, 94.10 लाख रुपये की लागत से परियोजना के तहत सहायता प्रदान करने के लिए 530 मामलों को मंजूरी दी गई थी।

(ख) **सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह और झंडा दिवस - 2021**:- फाउंडेशन ने देश भर के विभिन्न स्टैकहोल्डरों और भागीदारों के साथ मिलकर 19 से 25 नवंबर 2021 तक सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह मनाया। सप्ताह मनाने के लिए, लगभग 1.19 लाख संस्थानों को प्रचार सामग्री भेजी गई थी।

(ग) **अतिरिक्त गतिविधियाँ:**— कोविड-19 वैश्विक महामारी से पूरे देश में उत्पन्न हुई मौजूदा स्थिति के कारण, फाउंडेशन केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से ही गतिविधियों का आयोजन कर सका था। कुछ अन्य गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) परियोजना 'असिस्ट' के कार्यान्वयन के संबंध में जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों में संबंधित प्राधिकारियों तथा सद्भाव एवं एकता के क्षेत्र में अनुसंधान एवं अध्ययन के लिए कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ बातचीत।
- (ii) दिनांक 21.09.2021 को विनायक मिशन के अनुसंधान फाउंडेशन अरुणदाई वीडू परिसर के सहयोग से "सांप्रदायिक सद्भाव और विश्व शांति" पर वेबिनार/संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
- (iii) एएसएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मयूर विहार, नई दिल्ली के सहयोग से "सांप्रदायिक सद्भाव राष्ट्रीय फाउंडेशन (एनएफसीएच)" ने दिनांक 01.10.2021 को "गांधी-शांति के दूत" विषय पर एक वेबिनार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया।
- (iv) अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (एआईडब्ल्यूसी) नई दिल्ली के सहयोग से "अहिंसा: शांति का वाहन" विषय पर

वेबिनार, दिनांक 04.10.2021 को आयोजित किया गया था।

- (v) सचिव, एनएफसीएच ने अन्य अधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दंतेवाड़ा और उत्तर बस्तर कांकर जिलों का दौरा किया तथा छत्तीसगढ़ में परियोजना "असिस्ट" के कार्यान्वयन के संबंध में जिला प्रशासन, सहायता प्राप्त बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ विस्तृत बैठक की।
- (vi) वर्ष 2021-22 के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक ने फाउंडेशन की परियोजना "असिस्ट" के तहत, जम्मू और कश्मीर के 8 जिलों में 1329 बच्चों को उनकी शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 11.11.2021 को एनएफसीएच को 2 करोड़ रुपये का चेक प्रदान किया।
- (vii) "सांप्रदायिक सद्भाव राष्ट्रीय फाउंडेशन" ने नड्डु फाउंडेशन के सहयोग से दिनांक 12.11.2021 को अमृतसर में "संगीत से सद्भाव— सद्भाव के लिए संगीत" शीर्षक के तहत आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रसिद्ध कलाकार श्री कुमार गौरव कोहली और पं. पार्थ बोस ने कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुति दी, जिसमें बड़ी संख्या में दर्शकों ने भाग लिया।

अध्याय -6

संघ राज्य क्षेत्र

प्रस्तावना

6.1 संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) आठ हैं, जिनके नाम अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (एएंडएनआई), चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव (डीएनएचएंडडीडी), जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी दिल्ली) और पुदुचेरी हैं। इन आठ संघ राज्य क्षेत्रों में से, तीन संघ राज्य क्षेत्र यथा जम्मू एवं कश्मीर, राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी में विधायिकाएं हैं। शेष संघ राज्य क्षेत्र बिना विधायिका वाले हैं।

6.2 जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अध्याय -13 में विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। शेष छह संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में नीचे बताया गया है।

6.3 छह संघ राज्य क्षेत्रों का क्षेत्रफल और जनसंख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग किमी. में)	जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना)
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	8,249	3,79,944
2.	चंडीगढ़	114	10,54,686
3.	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	603	5,86,956
4.	लक्षद्वीप	32	64,429
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,483	1,67,53,235
6.	पुदुचेरी	479	12,44,464
	कुल	10,960	2,00,83,714

6.4 वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए छह

संघ राज्य क्षेत्रों के वित्तीय विवरण निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	संघ राज्य क्षेत्र	2020-21			2021-22		
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक (दिनांक 31.12.2021 तक)
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	5234.26	4884.97	4873.97	5387.41	5975.64	3382.15

2.	चंडीगढ़	5138.10	4644.91	4643.08	5186.12	4914.25	3668.54
3.	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	3520.52	2340.62	2340.43	3563.59	3671.80	2334.92
4.	लक्षद्वीप	1376.46	1376.46	1240.92	1467.31	1323.01	565.98
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1116.00	1116.00	1112.49	957.51	1030.01	689.48
6.	पुदुचेरी	1703.02	1703.02	1703.00	1729.79	1879.79	1255.46

(स्रोत: संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन)

संवैधानिक स्थिति

6.5 संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग— II में विनिर्दिष्ट हैं। इन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 से 241 के प्रावधानों के तहत चलाया जाता है। भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अधीन, गृह मंत्रालय (एमएचए) विधायन, वित्त और बजट, उप-राज्यपालों (एलजी) और प्रशासकों की सेवाओं तथा नियुक्ति से संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है।

6.6 प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) का प्रशासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा चलाया जाता है। अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी में, प्रशासकों को उप-राज्यपालों (लेफ्टिनेंट गवर्नर) के रूप में पदनामित किया गया है।

प्रशासनिक अंतर-संपर्क (इंटरफेस)

6.7 बिना विधायिका वाले पांचों संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी)—अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप में गृह मंत्री की सलाहकार समिति (एचएमएसी)/प्रशासक की सलाहकार समिति (एएसी) एक मंच के रूप में है। एचएमएसी की अध्यक्षता माननीय केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं तथा एएसी की अध्यक्षता संबंधित संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के प्रशासक द्वारा की जाती है। अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ संसद सदस्य और संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के स्थानीय निकायों (जिला पंचायतों और नगर

पालिका परिषदों) के निर्वाचित सदस्य इन समितियों के सदस्य होते हैं। ये समितियां संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित आम मुद्दों पर चर्चा करती हैं।

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

प्रस्तावना

6.8 अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (एएंडएनआई) बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ी द्वीपसमूह—मंडल प्रणाली है, जिसमें लगभग 836 द्वीप, चट्टानें तथा टापू हैं और उनमें से केवल 31 द्वीप बसावट वाले हैं। ये द्वीपसमूह कोलकाता से 1,255 किमी. तथा चेन्नई से 1190 किमी. दूर स्थित हैं। उक्त द्वीप “ब्लैक वॉटर प्रिजन” अथवा “काला पानी” के नाम से कुख्यात थे। मूल रूप से अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह आदिम जनजातियों का निवास स्थान रहे हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में छह अनुसूचित जनजातियां हैं यथा ग्रेट अंडमानीज, ऑंगेस, जार्वस, सेंटीनेलीज, शोम्पेंस तथा निकोबारीज। निकोबारीज को छोड़कर अन्य जनजातियों को विशेष संरक्षण योग्य जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

6.9 वर्ष 2020-21 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

- कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए इन द्वीपों में 74 जलयानों को तैनात किया गया है। भारत सरकार की “मेक इन इंडिया” नीति के अनुरूप मैसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 500 यात्री वाले जलयान ‘एमवी सिंधु’ को दिनांक 09.06.2021 को सेवा में शामिल किया गया। एक और 500 यात्री वाला जलयान निर्माण के अंतिम

चरण में है। इसी प्रकार, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में 1200 यात्री वाले 02 जलयानों का निर्माण भी किया जा रहा है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 'एमवी राजहंस' और 'एमवी नारकोंडम' के प्रतिस्थापन के रूप में 45.82 करोड़ रुपये की लागत से 02 तेज गति वाले क्राफ्ट जलयानों के अधिग्रहण की भी प्रक्रिया में है। जलयानों की शीघ्र और अच्छी मरम्मत/रिफिटिंग के लिए, समुद्री डॉकयार्ड का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। बड़े जलयानों को समायोजित करने के लिए मौजूदा ड्राई डॉक का भी 90 मीटर और विस्तार किया गया है, जो दिनांक 31.07.2022 तक तैयार हो जाएगा।

- पोर्ट ब्लेयर सिटी ट्रांसपोर्ट को "सर्वश्रेष्ठ हरित परिवहन पहल वाला शहर" की श्रेणी के तहत "शहरी परिवहन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार" मिला। हरित गतिशीलता (ग्रीन मोबिलिटी) पहल के तहत 40 इलेक्ट्रिक वातानुकूलित सार्वजनिक परिवहन बसें शुरू की गईं और विभिन्न स्थानों पर 15 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए। ई-बसें ने दिनांक 01.04.2021 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया।
- माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 15.10.2021 को पर्यटन स्थलों के बीच "गो-गो (गेट ऑन-गेट ऑफ)" शटल बस सेवाओं को झंडी दिखाकर रवाना किया गया।



(स्रोत: संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन)

- 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' के तहत सभी राजस्व गांवों का 100% विद्युतीकरण किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 127 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के साथ बसावट वाले सभी प्रमुख द्वीपों में लगभग 1.42 लाख घरों में चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति प्रदान कर रहा है।
- 127 मेगावाट की संस्थापित क्षमता में से, 92.52 मेगावाट डीजल जनरेटेड (डीजी) है और 34.48 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से है,

जिसमें 5.25 मेगावाट हाइड्रो और 29.23 एमडब्ल्यूपी सोलर फोटो वोल्टिक (पीवी) संयंत्र शामिल हैं। 8 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के साथ 20 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है, जो ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति करता है। नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 9% से बढ़कर 24% हो गया है। पोर्ट ब्लेयर में 33 सरकारी भवनों पर और कार निकोबार में 06 सरकारी भवनों पर 3.15 एमडब्ल्यूपी ग्रिड से जुड़े सोलर पीवी संयंत्र

लगाए गए हैं। इसके अलावा, बसावट वाले सभी द्वीपों में डीजल जनरेशन को धीरे-धीरे समाप्त करने और अपेक्षित क्षमता के भूमि-आधारित एलएनजी प्लांट सहित नवीकरणीय ऊर्जा तथा पारंपरिक बिजली के मिश्रित विकल्पों पर कार्य

करने की योजनाएं चल रही हैं।

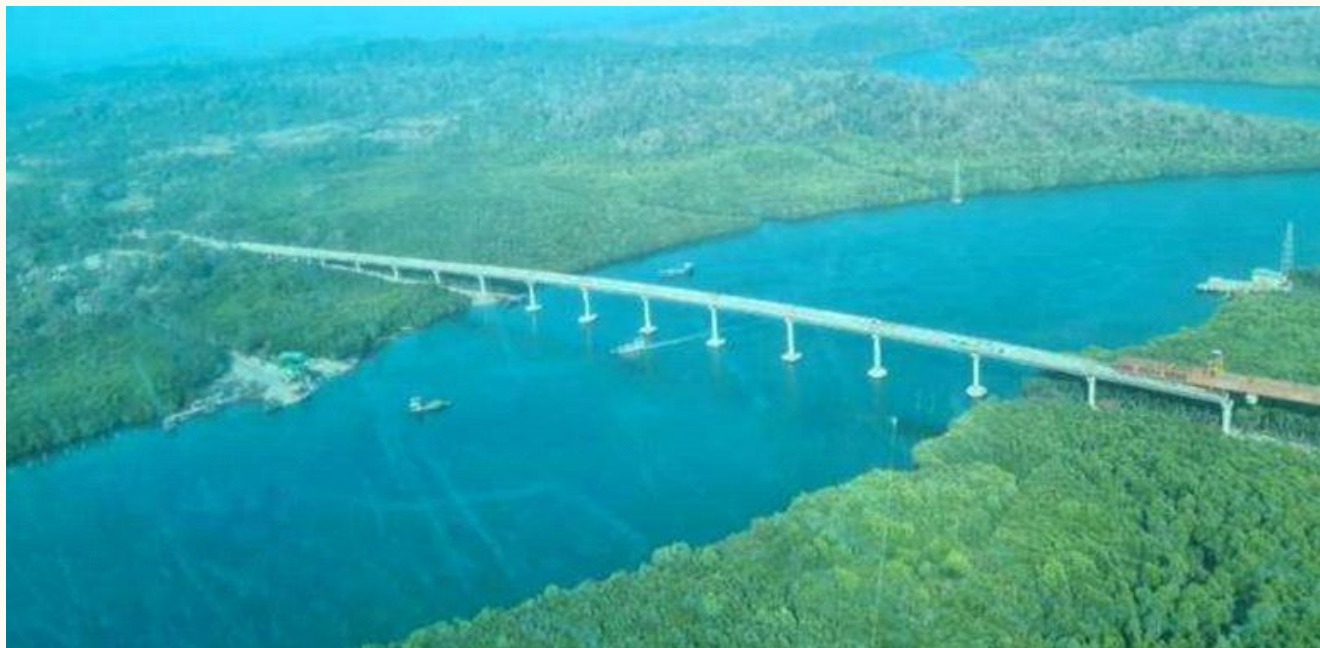
- 'उजाला' योजना के तहत, 4 लाख पारंपरिक लाइट वितरित की गई और 100% लक्ष्य हासिल किया गया।



(स्रोत: संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन)

- संघ राज्य क्षेत्र ने 129 स्वास्थ्य सुविधाओं को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) के रूप में परिवर्तित करके और उन्हें कार्यशील बनाकर पूर्ण लक्ष्य (सैचुरेशन) हासिल कर लिया है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर इम्प्लान्टेशन, आदि जैसी प्रक्रियाओं में हृदय रोगियों की सहायता करने के लिए जीबी पंत अस्पताल में एक सीएटीएच लैब स्थापित की गई है। 'पीएम केयर्स फंड' के तहत, रिकॉर्ड समय में 3 "पीएसए ऑक्सीजन प्लांट" संस्थापित किए गए। जीबी पंत अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर में 2000 एलपीएम तथा बीजेआर अस्पताल, कार निकोबार और सीएचसी डिगलीपुर, उत्तरी अंडमान में से प्रत्येक में 500 एलपीएम की संस्थापना की गई। जंगलीघाट में 50 बेड वाले आयुष अस्पताल का चरण-I पूरा हो गया। 'राष्ट्रीय आयुष मिशन' के तहत मौजूदा उप-केंद्रों को अपग्रेड करके छह 'आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र' स्थापित किए गए। वर्ष 2020-21 से अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह आयुर्विज्ञान संस्थान की भर्ती क्षमता को 100 सीट से बढ़ाकर 114 सीट कर दिया गया।
- संघ राज्य क्षेत्र स्वास्थ्य योजना – अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह स्वास्थ्य बीमा योजना (एएनआईएसएचआई) का आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के साथ विलय कर दिया गया है और एएनआईएसएचआई के तहत आने वाले लाभार्थी अब इस विलय की गई योजना के तहत कवर हैं।
- वैश्विक महामारी के दौरान, कक्षा II से VII तक के लिए सप्ताह में छह दिन एक घंटे के लिए आकाशवाणी के माध्यम से ऑडियो सामग्री का प्रसारण और कक्षा X तथा XII के प्रमुख विषयों को कवर करते हुए सप्ताह में पांच दिन दूरदर्शन के माध्यम से डिजिटल सामग्री का प्रसारण किया गया।
- वाइपर द्वीप में ईको-हट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। नॉर्थ-बे, कॉर्बिन्स कोव, एबरडीन जेटी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप (रॉस), एविस द्वीप, बालूडेरा, लालाजी-बे, लक्ष्मणपुर, भरतपुर तथा रामनगर में प्लोटिंग जेटी का कार्य पूरा कर लिया गया है।

- कालापत्थर, लालाजी बे, रामनगर और रॉस एवं स्मिथ द्वीप में ग्री-फैब्रिकेटेड टॉयलेट ब्लॉकों तथा चेंजिंग रूमों की स्थापना का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- दिनांक 31.12.2021 तक, 25 किलोमीटर एवेन्यू वृक्षारोपण और 9.5 हेक्टेयर मैंग्रोव वृक्षारोपण किया गया। दिनांक 31.12.2021 तक, वन क्षेत्र, सरकारी भूमि और सड़क के किनारे 10,09,045 पौधों का रोपण किया गया।
- वर्ष 2021-22 के दौरान दिनांक 31.12.2021 तक अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कुल मछली उत्पादन 30,499 मीट्रिक टन था। दिनांक 16.10.2021 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने संघ राज्य क्षेत्र में समुद्री शैवाल की खेती की "पायलट-सह-प्रदर्शन परियोजना" लॉन्च करने की घोषणा की और बेतापुर, कटछल एवं स्वराज द्वीप में फिश लैंडिंग केन्द्र तथा जंगलीघाट में फिश लैंडिंग जेटी के 75 मीटर विस्तार का उद्घाटन किया।
- केंद्रीय सड़क निधि के तहत 36.49 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया और 51.738 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रगति पर है। अंडमान ट्रंक रोड के 33 किलोमीटर को दो लेन का बनाने तथा 64.4 किलोमीटर को एक लेन का बनाने का कार्य ब्लैकटॉपिंग के साथ पूरा कर लिया गया है। कुल 231 किलोमीटर की स्वीकृत लंबाई में से, ब्लैकटॉपिंग के साथ 90.81 किलोमीटर की इंटरमीडिएट लेनिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है और शेष 140.19 किलोमीटर का कार्य प्रगति पर है, जिसमें से 119.69 किलोमीटर का कार्य दिनांक 31.03.2022 तक तथा शेष 20.5 किलोमीटर का कार्य दिनांक 31.12.2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।
- हमफ्री स्ट्रेट क्रीक पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा दिनांक 16.10.2021 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन भी किया जा चुका है।



हमफ्री स्ट्रेट क्रीक पुल

(स्रोत: संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन)

- "जल जीवन मिशन" के तहत 100% चालू घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए। कुल 62,037 घरों को नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। कुल 129.501 किलोमीटर पाइपलाइन

बिछाई गई है। 9 "सेंट्रल वाटर रेजरवायर भंडारण टैंकों" का निर्माण किया गया। 48.25 किलोमीटर लम्बी मौजूदा पाइपलाइन को बदला गया। एक शोधन (ट्रीटमेंट) प्लांट का निर्माण किया गया। पोर्ट ब्लेयर में 6.6 एमएलडी "रट भूमि जल आपूर्ति परियोजना" का कार्य पूरा किया गया, जिससे गर्मियों के दौरान होने वाले जल संकट का समाधान हो गया।

- 'एक देश एक राशन कार्ड' योजना को संघ राज्य क्षेत्र में लागू किया गया है तथा 436 फेयर प्राइस शॉप में "ईपीओएस" डिवाइस लगाई गई।
- "प्रधानमंत्री-गरीब कल्याण अन्न योजना" के तहत चरण- I, चरण- II और चरण- III में खाद्यान्न वितरण का 95 % से अधिक लक्ष्य प्राप्त किया गया। नील द्वीप पर 100 मीट्रिक टन के भंडारण गोदाम का कार्य पूरा किया गया।
- अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। 373 बचे हुए घरों को शामिल करके तथा उन्हें व्यक्तिगत घरेलू शौचालय उपलब्ध कराकर सभी लोगों को स्वच्छता के तहत कवर किया गया। द्वीपों में 17 आंगनवाड़ियों में 17 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया। घर-घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए 29 ई-कार्ट, अलग-अलग घरों को कलर-कोडेड 51,750 डिब्बे, 840 बड़े आकार के कलर कोडेड अपशिष्ट डिब्बे, संकरी गलियों में घर-घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए 700 ठेले (व्हीलबर्री), 70 ग्रास-कटर, स्वच्छता के लिए 140 स्प्रे मशीनें तथा 30 भार मापने की मशीनें जारी की गईं।
- "प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण" के तहत 512 नए मकानों का कार्य पूरा किया गया।
- 122 योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) में शामिल किया गया तथा 100% निधि इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुल

121 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, 100% परिवार बैंकिंग नेटवर्क के अंतर्गत कवर किए गए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत, 100% चिन्हित स्ट्रीट वेंडरों को वेंडिंग सर्टिफिकेट (सीओवी) जारी किए गए हैं। इसके अलावा, 4.07 लाख आधार कार्ड बनाकर सौंपे गए हैं।

- संघ राज्य क्षेत्र में लक्षित लाभार्थियों के लिए 100% कोविड टीकाकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। कोविन पोर्टल में कोविड टीकाकरण लाभार्थी के लिए 85% आधार प्रमाणीकरण किया गया।
- फिल्म एवं टेलीविजन निर्माताओं को फिल्में आदि बनाने के लिए "सिंगल-विंडो मंजूरी प्रणाली" उपलब्ध कराने हेतु फिल्म शूटिंग नीति को मंजूरी प्रदान की गई तथा फिल्म शूटिंग की अनुमति देने के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया।
- 2,013 मीट्रिक टन मछली तथा मत्स्य उत्पादों को मुख्य-भूभाग (मेनलैंड) में पहुंचाया गया।
- 'आत्मनिर्भर भारत' की पहल के तहत, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण की गतिविधियां शुरू करने के लिए अंडमान के गहरे पानी में मूल्यांकन न किए गए क्षेत्रों के मूल्यांकन हेतु 2डी भूकंपीय डाटा हासिल करने के साथ ही सर्वेक्षण शुरू किया गया।

चंडीगढ़

6.10 चंडीगढ़, "द सिटी ब्यूटीफुल" को देश के सबसे अधिक हरे-भरे, सुरक्षित और सर्वोत्तम योजनाबद्ध शहर के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन ने अपने नागरिकों को उपलब्ध कराई की जा रही सुविधाओं/सेवाओं को अपग्रेड करने के लिए अनेक गतिविधियां/परियोजनाएं शुरू की हैं।

6.11 वर्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

- संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन ने संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में सभी सीआईटीसीओ पेट्रोल पंपों के लिए "एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी)

- सोल्यूशन” विकसित किया है, जिससे सभी बिलिंग प्रक्रियाओं और स्टॉक का डिजिटलीकरण हो सकेगा। संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में पांच संपर्क केंद्रों में पायलट आधार पर “फास्टैग सेवा” शुरू की गई। इसके अलावा, चंडीगढ़ प्रशासन ने “एकीकृत परिवहन प्रबंधन सॉफ्टवेयर” भी विकसित किया है, जिसे “रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी)” आधारित बस पास जारी करने के लिए “संपर्क पोर्टल” के साथ एकीकृत किया गया है।
- राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-8 और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर 27 में 9.66 करोड़ रुपये की लागत से दो नए मिनी खेल परिसरों का निर्माण किया गया है।
 - आईएसबीटी सेक्टर 43, चंडीगढ़ में 2.25 करोड़ रुपये की लागत से आईटीएस परियोजना के लिए 337 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाला एक नियंत्रण कक्ष उपलब्ध कराने का कार्य पूरा कर लिया गया है।
 - माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए 38 राजकीय विद्यालयों में 07 व्यावसायिक कौशल पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। वाद-विवाद, भाषण, रचनात्मक लेखन, सार्वजनिक भाषण आदि जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करके सम्प्रेषण कौशल को बढ़ाने तथा मंच-पर-भय को दूर करने के लिए सभी राजकीय विद्यालयों में “यंग कम्युनिकेटर क्लबों” की स्थापना की गई है।
 - राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (आरएए) के तहत, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
 - 04 विद्यालयों (रायपुर कला, औद्योगिक क्षेत्र फेज-III, मलोया पॉकेट संख्या 1 और पीजीआई) का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और इन सभी 4 विद्यालयों को शुरू कर दिया गया है। जीएमएसएसएस-8 और जीएमएसएसएस-27 में स्विमिंग पूलों एवं इनडोर बैडमिंटन कोर्टों के साथ दो मिनी खेल परिसर शुरू किए गए। 03 हाई स्कूलों (रायपुर कला, मलोया तथा सेक्टर 45-सी) को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के रूप में स्तरोन्नत (अपग्रेड) किया गया।
 - प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत, गर्भवती महिलाओं को व्यापक एवं गुणवत्तायुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए 12 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) में अभियानों की एक श्रृंखला चलाई जा रही है।
 - “मातृ मृत्यु निगरानी तथा कार्रवाई (एमडीएसआर)” से संबंधित कार्य की सूची रखी जाती है और उसे भारत सरकार एवं पड़ोसी राज्यों के साथ नियमित रूप से साझा किया जाता है, ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) के तहत, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में सभी रोकी जा सकने वाली मातृ एवं नवजात मौतों को पूरी तरह से रोकने के लिए चार डिलीवरी प्वाइंट्स अधिसूचित किए गए हैं।
 - कोविड अस्पताल के रूप में नामित जीएमसीएच साउथ कैंपस, सेक्टर 48 में बेड की संख्या 100 से बढ़ाकर 121 कर दी गई है। आईसीयू बेड की संख्या 17 से बढ़ाकर 80 (जीएमसीएच-32 में 63 और जीएमसीएच साउथ कैंपस, सेक्टर 48, चंडीगढ़ में 17) कर दी गई तथा दो पीएसए ऑक्सीजन प्लांट संस्थापित किए गए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत, जीएमसीएच में 5,821 मरीजों ने निःशुल्क उपचार का लाभ उठाया है।
 - चंडीगढ़ शहर में कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% वन और ग्रीन कवर के तहत है। ‘ग्रीनिंग चंडीगढ़ एक्शन प्लान 2021-22’ के अनुसार, सभी ग्रीन एजेंसियों द्वारा 1,75,000 पौधों के रोपण के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। दिनांक 31.12.2021 तक लगभग 73,900 पौधों का रोपण किया जा चुका है और 70,760 पौधे निःशुल्क वितरित किए गए हैं।



पंजाब के तत्कालीन माननीय राज्यपाल और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के प्रशासक श्री वी.पी. सिंह बदनौर ने
दिनांक 17.06.2021 को “ग्रीनिंग चंडीगढ़ एक्शन प्लान 2021-22” जारी किया

(स्रोत: संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन)

- चंडीगढ़ पुलिस को ‘स्मार्ट पुलिस’ बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा व्यापक कदम उठाए गए। चंडीगढ़ पुलिस ने विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों तथा संस्थानों में लड़कियों/महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक आत्मरक्षा प्रशिक्षण टीम ‘स्वयं’ का गठन किया है, ताकि उन्हें किसी भी अप्रिय घटना से बचाया जा सके। चालू वर्ष के दौरान, 91 आत्मरक्षा कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 5,932 लड़कियों/महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।
- महिलाओं द्वारा पुलिस से मदद मांगने की स्थिति में, चंडीगढ़ पुलिस रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच महिलाओं को सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए “पिक एंड ड्रॉप” सुविधा प्रदान करती है। चालू वर्ष के दौरान, 33 महिलाओं/लड़कियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। विपत्ति में पड़ी महिलाओं तथा बच्चों की सहायता के लिए महिला तथा बाल हेल्पलाइन नम्बर 1091 (टोल फ्री) चौबीसों घंटे कार्य करता है। आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करने तथा लड़कियों को आवश्यक सहायता मुहैया कराने के लिए महिला पुलिस कार्मिकों सहित महिला पीसीआर वाहन लड़कियों के कॉलेज/स्कूलों के पास मौजूद रहते हैं। चालू वर्ष के दौरान, टोल फ्री नम्बर पर 318 कॉल प्राप्त हुईं और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई। महिला पुलिस स्टेशन (डब्ल्यूपीएस) और मानव तस्करी रोधी यूनिट (एएचटीयू) ने मानव तस्करी, बाल शोषण, बाल श्रम और महिला सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। चालू वर्ष के दौरान, चंडीगढ़ पुलिस द्वारा 16 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 1,118 लड़कियों/महिलाओं ने भाग लिया।
- डीबीटी के तहत कुल 64 स्कीमें (29 एसएसएस + 35 सीएसएस) हैं। कुल 1.99 लाख लाभार्थियों को पीएफएमएस आधार बेस्ड डीबीटी के माध्यम से 44.77 करोड़ रुपये की धनराशि (100%) अंतरित की गई।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 2.76 लाख

लाभार्थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 78,374 लाभार्थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2,27,069 लाभार्थी और अटल पेंशन योजना के तहत 36,349 लाभार्थी हैं।

- दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान, कुल 4.194 एमडब्ल्यूपी के एसपीवी बिजली संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिससे सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल संस्थापित क्षमता 47.233 एमडब्ल्यूपी हो गई है, जिसमें से चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ के सरकारी भवनों/स्थलों पर 25.673 एमडब्ल्यूपी की समग्र क्षमता वाले रूफटॉप एसपीवी बिजली संयंत्र स्थापित किये हैं और बाकी लगभग 21.560 एमडब्ल्यूपी निजी आवासीय भवनों सहित निजी क्षेत्र के भवनों के तहत स्थापित किया गया है।
- मॉडल जेल, सेक्टर 51, चंडीगढ़ में 200 क्यूबिक मीटर प्रति दिन की क्षमता वाला "केवीआईसी फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायो गैस प्लांट" स्थापित किया गया, जिससे जेल की एलपीजी की आवश्यकता कम होकर आधी हो गई है।
- चंडीगढ़ ने 34.2 एमयू सौर ऊर्जा का उत्पादन किया (दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक), जो सीओ₂ में 23,598 मीट्रिक टन की कमी के बराबर है।
- 358 सिटी बस सेवाओं पर "इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम (आईटीएस)" लागू किया गया। दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, डिपो-III, चंडीगढ़ में 37 बसें प्राप्त हुई थीं। इसके अलावा, आईएसबीटी, सेक्टर 43, चंडीगढ़ में आईटीएस कमांड कंट्रोल का कार्यान्वयन पूरा किया गया और सिस्टम इंटीग्रेटर को आंशिक परिचालन की स्वीकृति प्रदान की गई।
- अनुसूचित जाति समुदायों की उन विधवा/निराश्रित महिलाओं को उनकी बेटियों के विवाह के लिए 20,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनकी पारिवारिक आय 24,000/- रुपये प्रति वर्ष तक है। ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों, जो

मोटर युक्त वाहनों के मालिक हैं, को पेट्रोल सब्सिडी प्रदान की जा रही है और वे पेट्रोल/डीजल खरीदने पर 40 लीटर प्रति माह तक वास्तविक खर्च पर 50% सब्सिडी के पात्र हैं। शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को दिन प्रतिदिन के कार्य हेतु उनकी गतिशीलता में वृद्धि करने के लिए सहायक उपकरणों/उपकरणों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है, जिनकी वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये तक है। दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार 13,829 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है और 970.00 लाख रुपये वितरित किए जा चुके हैं। विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को पेंशन की स्कीम के तहत, 9,355 लाभार्थियों को विधवा पेंशन मिल रही है तथा दिनांक 31.12.2021 तक 657.44 लाख रुपये का व्यय हुआ है। दिव्यांग व्यक्तियों हेतु पेंशन की स्कीम के तहत, 4,656 लाभार्थी दिव्यांगता पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और दिनांक 31.12.2021 तक 488.75 लाख रुपये का व्यय हुआ है। जिन व्यक्तियों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये तक है, वे इस स्कीम के तहत लाभ हेतु पात्र हैं।

- 'अपनी बेटि' 'अपना धन' स्कीम का उद्देश्य चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में विषम महिला-पुरुष अनुपात में सुधार करना है। इस स्कीम में, ऐसे माता-पिता, जिनकी वार्षिक आय 60,000.00 रुपये तक है, के लिए बच्चे के कैरियर प्लान में बालिका के नाम पर 5,000.00 रुपये की धनराशि का निवेश किया जाता है। दिनांक 31.12.2021 तक 120 लाभार्थी लाभान्वित हुए थे।
- एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के तहत, 450 आंगनवाड़ी केंद्र कार्य कर रहे हैं तथा दिनांक 31.12.2021 तक 06 माह से लेकर 06 वर्ष तक की आयु वर्ग के बीच के 49,803 बच्चों, 9,053 गर्भवती महिलाओं और पोषण कराने वाली माताओं को नामांकित किया गया है।

- विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के तहत, 1,846 बच्चों को लाभ मिल रहा है।
- किशोरियों हेतु स्कीम (एसएजी) के तहत, वर्ष के दौरान 59 किशोरियां लाभान्वित हुई हैं।
- संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने तथा बालिका संतान को बचाने के लिए, संघ राज्य क्षेत्र में हमारी बेटा योजना शुरू की गई है और दिनांक 31.12.2021 तक 3.20 लाख रुपये के व्यय से 08 लाभार्थी इससे लाभान्वित भी हुए हैं।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी-ई-पोर्टल) योजना के तहत, शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित किए जाते हैं। इस योजना के तहत जिला उद्योग केन्द्र, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के 18 मामले स्वीकृति/संवितरण हेतु विभिन्न बैंकों को भेजे गए, जिनमें से 03 मामलों में बैंकों द्वारा स्वीकृति/संवितरण किया जा चुका है।
- प्रधानमंत्री खाद्य एवं सूक्ष्म उद्यम (पीएमएफएमई) योजना को संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है। पीएमएफएमई पोर्टल शुरू किया गया है। चंडीगढ़ में एक सशक्त स्टार्ट-अप ईको-सिस्टम बनाने तथा चंडीगढ़ के उद्यमियों और स्थानीय स्टार्ट-अप्स को सहायता प्रदान करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र में "स्टार्ट-अप नीति" कार्यान्वित की जा रही है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत, खाद्यान्न के लिए डीबीटी योजना के तहत पंजीकृत परिवार की सबसे बड़ी महिला के 'आधार' से जुड़े बैंक खाते में मासिक आधार पर सब्सिडी अंतरित की जा रही है। दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 की अवधि के लिए, खाद्यान्न हेतु, डीबीटी योजना के तहत सब्सिडी पर व्यय 32.61 करोड़ रुपये था।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लगभग 62,000 पंजीकृत एनएफएसए लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए, विभाग ने शहर के हर क्षेत्र में सामुदायिक केंद्रों पर राशन का वितरण किया है। इस योजना के तहत 92% लाभार्थी कवर किए गए हैं।
- दिनांक 27.09.2021 और 28.09.2021 को "विश्व पर्यटन दिवस, 2021" मनाया गया, जिसमें "आजादी का अमृत महोत्सव" के भाग के रूप में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यटन विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन ने दिनांक 31.10.2021 को राष्ट्रीय एकता दिवस का भी आयोजन किया। दिनांक 01.04.2021 से 31.10.2021 तक, घरेलू (75,439) तथा अंतर्राष्ट्रीय (1,780) पर्यटकों ने संघ राज्य क्षेत्र की यात्रा की।
- 'आजादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रूप में, संघ राज्य क्षेत्र ने दिनांक 04.10.2021 से 10.10.2021 तक स्कूलों के ईको-क्लबों और कॉलेजों की पर्यावरण समितियों को शामिल करते हुए, 'सिंगल-यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने', झील/वेटलैंड/जल संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और वन संरक्षण/वनरोपण पर आइकोनिक सप्ताह मनाया।
- मत्स्य विभाग ने सुखना झील और अन्य जलाशयों में स्टॉकिंग के लिए 8 लाख फिश सीड के उत्पादन का भौतिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मत्स्य विभाग ने मच्छरों को पैदा होने से रोकने और मलेरिया तथा डेंगू को रोकने में मदद करने के लिए, रुके हुए जल स्थलों में गम्बूसिया मछली/एंटी-लार्वा मछली छोड़ी हैं।
- चंडीगढ़ में मजबूत दूरसंचार अवसंरचना विकसित करने के लिए, प्रशासन ने दिनांक 01.03.2021 को "चंडीगढ़ राइट ऑफ वे पॉलिसी फॉर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर" अधिसूचित की है, ताकि भूमिगत अवसंरचना (ऑप्टिकल फाइबर) तथा भूमि के ऊपर की अवसंरचना (मोबाइल टावर्स) को "इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स, 2016" के अनुरूप विनियमित किया जा सके।

- कोविन पोर्टल के अनुसार, दिनांक 27.11.2021 तक, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में, 9,86,561 व्यक्तियों को कोविड-19 टीके की पहली डोज और 7,48,874 व्यक्तियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है।

दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव

6.12 दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसे केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार से 100% अनुदान प्राप्त होता है। राजस्व के मामले में, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दिनांक 31.03.2021 तक संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) का कर संग्रहण 1492.07 करोड़ रुपये था। वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) को 2340.62 करोड़ रुपये की निधि आवंटित की गई थी, जिसकी तुलना में 2340.43 करोड़ रुपये (99.99%) का व्यय किया गया था। वर्ष 2021-22 के लिए निधि आवंटन 3563.59 करोड़ रुपये है, जिसकी तुलना में दिनांक 31.12.2021 तक 2334.92 करोड़ रुपये (65.52%) का व्यय किया गया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

- 87.98 करोड़ रुपये की लागत से सिलवासा नरोली रोड पर शहीद चौक से अथल नरोली प्रवेश द्वार के बीच और 47.18 करोड़ रुपये की लागत से पिपरिया से शहीद चौक, समरवानी तक स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम के उन्नयन, जनोपयोगी सुविधाओं के प्रबंधन और लैंडस्केपिंग कार्य सहित सड़कों के सौंदर्यीकरण और सुदृढीकरण का कार्य।
- दादरा और नगर हवेली जिले में गलोंडा में 1.88 करोड़ रुपये की लागत से कनाल-क्रासिंग के ढांचे का निर्माण कार्य।
- 99.40 करोड़ रुपये की लागत से नानी दमण में "देवका बीच" तथा "सी-फ्रंट रोड" का सौंदर्यीकरण।
- 7.68 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ढोलार जंक्शन से मोती दमण में भामनपूजा तक, ढोलार जंक्शन से "जामपौर बीच" तक और

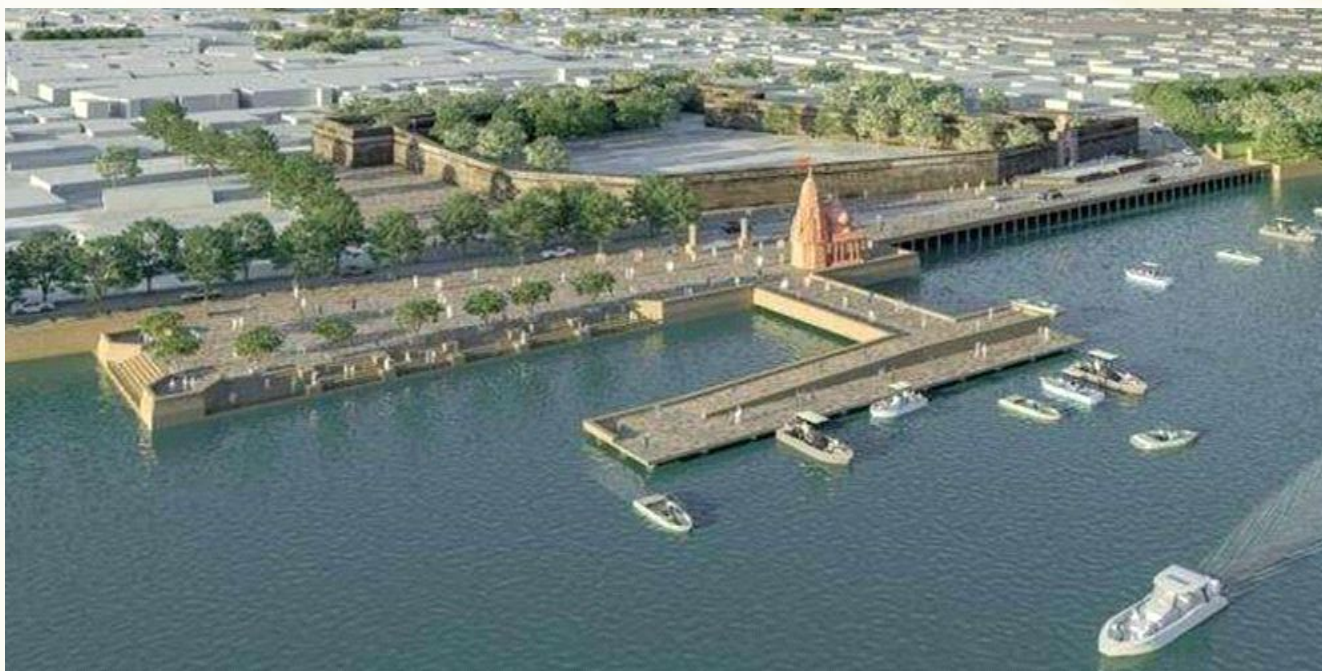
काचीगाम से होकर पतलारा जंक्शन से गुजरात सीमा तक सड़क के दोनों किनारों पर कर्बस्टोन के साथ पैदल मार्ग का निर्माण।

- 68.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दादरा और नगर हवेली जिले में खानवेल जंक्शन से दुधानी जंक्शन तक सड़क का उन्नयन और सुदृढीकरण।
- 68.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से खानवेल जंक्शन से दादरा और नगर हवेली सीमा पर खेडपा तक सड़क का उन्नयन और सुदृढीकरण।
- 160.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दमण जिले में सड़कों के नवीनीकरण, उन्हें चौड़ा करने और उनके सौंदर्यीकरण का कार्य।
- 12.22 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दमण जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 848बी पर पटालिया कॉजवे पर कोलक नदी पर हाई-लेवल पुल का निर्माण।
- 54.72 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दमणगंगा नदी पर कौंचा में हाई-लेवल पुल का निर्माण।
- सिलवासा, दादरा और नगर हवेली जिले में क्रमशः 13.53 करोड़ रुपये और 10.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कला केंद्र के चरण-II का निर्माण और फर्निशिंग कार्य।
- 19.95 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सिलवासा में नए कलेक्टोरेट भवन (चरण-II) का निर्माण।
- 66.06 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दादरा और नगर हवेली जिले में मोरखल, फलांदी, मसाट, सुरांगी, खेरडी और सिंडोनी में 06 हाई स्कूलों के भवनों का निर्माण।
- 72 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वरकुंड, नानी दमण में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के

- भवन का निर्माण, जिसमें अवसंरचना, रोडवेज, लैंडस्केपिंग, पार्किंग प्लॉट, आंतरिक सज्जा, फर्नीचर एवं अन्य संबद्ध कार्य शामिल हैं।
- 54.08 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से झंडाचौक और तोकरखाड़ा (शिक्षा हब), सिलवासा, दादरा और नगर हवेली जिले में स्कूलों का उन्नयन और विस्तार।
 - 120.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दमण जिले के *मारवाड़* अस्पताल में 300 बेड वाले नए अस्पताल भवन का निर्माण।
 - 82.90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से *मारवाड़* में नर्सिंग कॉलेज और छात्रावास भवन का निर्माण।
 - शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, प्रशासन ने स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए छात्राओं को फीस की प्रतिपूर्ति और कक्षा I से XII के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण जैसी स्कीमों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की है।
 - 20 नए स्कूल भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिनमें अतिरिक्त क्लासरूम होंगे और जो विज्ञान/कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, मध्याह्न भोजन तथा पीने के पानी हेतु जगह, बालकों/बालिकाओं और दिव्यांग छात्रों के लिए शौचालयों, स्पोर्ट्स हॉल, आर्ट एवं क्राफ्ट कार्यकलाप कक्ष, प्राथमिक उपचार कक्ष, आदि जैसी सुविधाओं से सुसज्जित होंगे।
 - संघ राज्य क्षेत्र में तीन जिला अस्पताल, एक उप-जिला अस्पताल, चार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 78 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी) चल रहे हैं। प्रशासन ने सभी जिलों में त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना करके, कोविड-19 के उपचार के लिए कुल 845 बेड की क्षमता वाले कोविड अस्पताल शुरू करके, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 1,500 बेड बढ़ाकर, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करके, सभी मरीजों को निःशुल्क रेमडेसिविर एवं ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति एवं वितरण की सख्ती से निगरानी करके सप्लाई चेन प्रबंधन के माध्यम से अवसंरचना को सुदृढ़ बनाया है।
 - *प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना* नामक स्कीम के तहत 1,707 लाभार्थियों को 5,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। संघ राज्य क्षेत्र बालिका संतान को बचाने तथा महिला-पुरुष अनुपात में सुधार करने के लिए *डिकरी विकास स्कीम* कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के तहत, 656 बालिकाओं के लिए एलआईसी पॉलिसी का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए लाभार्थी को 41,267 रुपये की धनराशि दी जाती है।
 - दमण जिले में 25.99 एमडब्ल्यूपी की क्षमता वाला "सोलर रूफटॉप पावर" कमीशन किया गया। *आदर्श ग्राम* स्कीम के तहत, दीव जिले में 176 एलईडी-आधारित सोलर विंड हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट सिस्टमों की स्थापना का काम पूरा किया गया। *उजाला* स्कीम के तहत 4,65,287 एलईडी बल्ब, 40,514 एलईडी ट्यूबलाइटें और 5,576 एनर्जी पंखे वितरित किए गए।
 - *स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)* के तहत, 1,876 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत, 8,174 घरों की मंजूरी दी गई, जिनमें से 5,521 घरों का कार्य पूरा किया जा चुका है।
 - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 1,831 घरों और *स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)* के तहत 23,118 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया।
 - पर्यटकों को आकर्षित करने तथा उन्हें और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए,

32.97 करोड़ रुपये की लागत से छपली शेरी, नानी दमण से नानी दमण जेटी तथा मोती दमण

जेटी से लेकर लाइटहाउस तक के तटीय क्षेत्र का विकास किया गया है।



(स्रोत: संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन)

- 13.54 करोड़ रुपये की लागत से दीव जिले में "चक्रतीर्थ बीच" पर आईएनएस खुकरी मेमोरियल पार्क का विकास कार्य पूरा किया गया। इस स्थान को आईएनएस खुकरी मेमोरियल का चित्रण करते हुए और पर्यटक मनोरंजन क्षेत्र के रूप में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। दीव जिले में ट्रिब्यूट लाइटिंग के

साथ आईएनएस खुकरी हिल तथा खुकरी शिप मॉडल का उद्घाटन किया गया। पहाड़ी पर स्थित यह स्थान भारतीय नौसेना के एक जहाज आईएनएस खुकरी के स्मारक स्थल के रूप में लोकप्रिय है, जो वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान डूब गया था।



ट्रिब्यूट लाइटिंग के साथ आईएनएस खुकरी हिल

(स्रोत: संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन)

- एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) राशन कार्ड धारकों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए, संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में सार्वजनिक वितरण स्कीम के एकीकृत प्रबंधन के तहत "एक देश एक राशन कार्ड योजना" लागू की गई। प्रवासी लाभार्थियों सहित कुल 23,474 लाभार्थियों ने अपनी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त किया।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई चरण- III) के तहत, सार्वजनिक वितरण स्कीम (पीडीएस) के लाभार्थियों को 5 किग्रा. खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। पीएमजीकेएवाई चरण- III के तहत 94% और पीएमजीकेएवाई चरण- IV के तहत 98% लाभार्थियों को कवर किया गया है।
- एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के तहत, 15,452 बच्चे और 8,075 गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताएं लाभान्वित हुईं। कोविड-19 के संकट का सामना करने के लिए, सभी गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को "टेक-होम राशन" प्रदान किया गया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं एवं दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है और वर्ष के दौरान 26,503 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
- किसानों की सहायता करने के लिए, प्रशासन कृषि मशीनरी और उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान कर रहा है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए "परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)" कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत 1,324 किसान पंजीकृत हैं और कुल 642.4 हेक्टेयर भूमि को कवर किया गया है तथा दमण और दीव जिले में 26 "जैविक खेती क्लस्टर" बनाए गए हैं। फसलों की अच्छी पैदावार सुनिश्चित करने के लिए आदान सामग्रियों की खरीद हेतु 15,024 किसानों को "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि" के तहत 6000/- रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता दी गई। "प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना" के तहत 281 किसान तथा "किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम" के तहत 718 किसान कवर किए गए हैं। बीजों, उर्वरकों और कृषि मशीनरी के वितरण जैसी एकीकृत कृषि विकास स्कीमों के तहत 3,037 किसानों को कवर किया गया है।
- मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट पर आए चक्रवात 'ताउते' से निपटने के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए गए, जिसमें आपातकालीन सहायता कार्यों के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर अपेक्षित टीमों की पूर्व-तैनाती, मानव जीवन, महत्वपूर्ण अवसंरचना, सरकारी तथा निजी संपत्ति की क्षति को न्यूनतम करने के लिए आवश्यक उपाय, हेलपलाइन नंबर के साथ चौबीसों घंटे नियंत्रण कक्ष को सक्रिय बनाना, समुद्र में गए हुए मछुआरों को सुरक्षित रूप से तट पर लौटने के लिए सलाह जारी करना और कृषि, आवास तथा पशुपालन क्षेत्रों, आदि हेतु सहायता को शामिल करते हुए दादरा नगर हवेली आपदा तथा दमण और दीव मोचन निधि (डीएनएचडीडीडीआरएफ) के तहत 1,332 परिवारों को 1,14,87,952/- रुपये की अनुग्रह सहायता प्रदान करना शामिल है। साथ ही, मछुआरों की नौकाओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 29 मछुआरों को 69,85,000/- रुपये की सहायता प्रदान की गई।
- टीकाकरण के लक्ष्य के संबंध में संघ राज्य क्षेत्र के सर्वेक्षण के अनुसार, कुल 5.88 लाख जनसंख्या की तुलना में, संघ राज्य क्षेत्र ने 6.63 लाख का लक्ष्य हासिल किया है, जो पहली डोज के लिए पात्र आबादी का 112% है। 103% बच्चों को पूर्ण टीकाकरण के लिए कवर किया गया।
- दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र को आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले संघ राज्य क्षेत्र के लिए "आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।
- दिनांक 31.12.2021 तक, प्रधानमंत्री जन धन

योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत कुल 2.11 लाख खाते, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (पीएमजेजेवाई) के तहत 85,629 खाते और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत 1,42,766 खाते खोले गए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

प्रस्तावना

6.13 अनुच्छेद 239कक को शामिल करके 69वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के पारित होने से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली अस्तित्व में आया। इसकी सत्तर सदस्यों वाली एक विधान सभा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1,483 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कुल ग्यारह राजस्व जिले हैं।

6.14 वर्ष 2020-21 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

- स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली (एचआईएमएस) को लागू करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल ईको-सिस्टम में सुधार करके और स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रियाओं को प्रौद्योगिकीय रूप से सशक्त बनाकर नागरिकों को शुरू से अंत तक प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस प्रणाली के तहत, सभी नागरिकों को एक "क्यूआर कोड-आधारित ई-हेल्थ कार्ड" प्रदान किया जाएगा, जो जियो-टैगिंग के साथ जनसांख्यिकीय और बुनियादी विवरणों को अभिज्ञात करने और उसे ट्रैक करने में रोगियों की मदद करेगा।
- विपत्ति में पड़ी महिलाओं को दिल्ली विधवा पेंशन स्कीम के माध्यम से मासिक आधार पर 2,500/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार, विधवा पुत्री विवाह स्कीम के तहत, गरीब विधवाओं को अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए अथवा अनाथ बालिका के पालक माता-पिता को, उस बालिका के विवाह के लिए 30,000/- रुपये के एकबारगी अनुदान का भुगतान किया जाता है। ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को भी

वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनके पास जीवनयापन का कोई जरिया नहीं है। 60-69 वर्ष के आयु वर्ग वाले व्यक्तियों को 2,000/- रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है तथा अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी)/अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को 500/- रुपये प्रतिमाह और प्रदान किए जाते हैं। 70 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 2,500/- रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। दिव्यांगता पेंशन स्कीम के माध्यम से, दिव्यांग व्यक्तियों को 2,500/- रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम के तहत गरीब परिवारों को, कमाने वाले सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, 20,000/- रुपये की एकबारगी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग नौ छात्रवृत्ति स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के पात्र छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग, आदि द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए पैनल में शामिल संस्थानों के माध्यम से कोचिंग प्रदान की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान, इस स्कीम के तहत 7,600 छात्रों को पहले ही नामांकित किया जा चुका है।
- कोविड के कारण उत्पन्न कठिनाइयों के मद्देनजर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मई से नवंबर, 2021 तक के महीनों के लिए सभी लाभार्थियों को निर्धारित खाद्य सामग्री का निःशुल्क वितरण किया गया।
- 'एक देश एक राशन कार्ड' योजना दिनांक 19.07.2021 से लागू की गई, ताकि राशन कार्ड

- की राज्य के भीतर और अंतर-राज्यीय पोर्टबिलिटी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा लाभ की राष्ट्रव्यापी पोर्टबिलिटी को लागू किया जा सके।
- दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें संशोधित की गई। संशोधित दरें अकुशल कामगारों के लिए 15,908/- रुपये प्रति माह, अर्ध-कुशल कामगारों के लिए 17,537/- रुपये प्रतिमाह और कुशल कामगारों के लिए 19,291/- रुपये प्रति माह हैं।
- दिल्ली ने दिनांक 02.07.2021 को दर्ज की गई बिजली की 7,323 मेगावाट की अधिकतम मांग को शून्य लोड शेडिंग के साथ पूरा किया। दिल्ली के कुल ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) के घटक को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। खेती के साथ-साथ बिजली के उत्पादन हेतु, कृषि भूमि पर एलिवेटेड सोलर पैनल लगाने के लिए नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार की "प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम)" योजना के साथ "मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी सौर योजना" को संयुक्त रूप से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। "पीएम-कुसुम" योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार से 62 मेगावाट की स्वीकृति प्राप्त हुई है। एग्रो-फोटोवोल्टिक की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने के लिए, 110 केडब्ल्यूपी का सौर संयंत्र स्थापित किया गया है।

- पिंक लाइन के मयूर विहार पॉकेट-1 और त्रिलोकपुरी-संजय लेक मेट्रो स्टेशनों के बीच कनेक्टिंग लिंक को चालू कर दिया गया है। ग्रे-लाइन के नजफगढ़-ढांसा बस स्टैंड विस्तार को भी चालू कर दिया गया है।
- शहर के पर्यावरण में सुधार करने तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, व्यापक कार्य योजना (सीएपी) और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) लागू किए गए। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर एक स्मॉग टॉवर लगाया गया और इसे दिनांक 23.08.2021 को चालू किया गया।

दिल्ली पुलिस

6.15 दिल्ली पुलिस की कुल स्वीकृत नफरी 94,358 कार्मिकों की है और इसके प्रमुख पुलिस आयुक्त होते हैं, जिनकी सहायता 18 विशेष पुलिस आयुक्त, 20 संयुक्त पुलिस आयुक्त, 20 अपर पुलिस आयुक्त और 108 पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त करते हैं। दिल्ली पुलिस को 6 रेंज, 15 जिलों और 224 पुलिस स्टेशनों में विभाजित किया गया है, जिसमें हाल ही में स्वीकृत/अधिसूचित 15 साइबर पुलिस स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा, यातायात प्रबंधन, आसूचना जुटाने, आतंकवाद से निपटने, वीआईपी सुरक्षा, सशस्त्र रिजर्व और पुलिस प्रशिक्षण जैसी अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए विशेष इकाइयां भी मौजूद हैं।

बजट

6.16 पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान बजट आवंटन और व्यय निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

लेखा शीर्ष	अंतिम आवंटन 2020-21	वास्तविक व्यय 2020-21	बजट अनुमान 2021-22	दिनांक 31.12.2021 तक व्यय
राजस्व खंड	7802.32	7800.67	8102.23	6500.42
पूंजी खंड	471.16	470.46	552.03	281.55
कुल	8273.48	8271.13	8654.26	6781.97

6.17 वर्ष 2020-21 के दौरान दिल्ली पुलिस की प्रमुख उपलब्धियां

- गृह मंत्रालय ने आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों यथा, पुलिस, न्यायालय, कारागार, अभियोजन और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं

(एफएसएल) के एकीकरण के लिए एक नई परियोजना 'अंतर प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस)' शुरू की है। वर्तमान में, दिल्ली पुलिस आईसीजेएस के साथ निम्नलिखित डेटा का आदान-प्रदान कर रही है:

पुलिस (सीसीटीएनएस) से आईसीजेएस	आईसीजेएस से पुलिस (सीसीटीएनएस)
- एफआईआर के व्यौरे (आईआईएफ-I) - गिरफ्तारी के व्यौरे (आईआईएफ-II) - आरोप-पत्र/अंतिम रिपोर्ट (आईआईएफ-V) - पुलिस कार्मिकों का व्यौरा (कार्मिक सूचना प्रणाली से) - अभियोजन शाखा को आरोप-पत्र का मसौदा (परीक्षण चरण)	- आईसीजेएस मिनी स्टेटमेंट - न्यायालयों का व्यौरा (केवल आंशिक डेटा प्रदान किया जा रहा है) - वाद सूची - आरोप पत्र पर अभियोजन की राय (परीक्षण चरण)

भविष्य में, सभी समन और वारंट आईसीजेएस के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे और रिपोर्टें भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न्यायालय को भेजी जाएंगी।

- चूंकि पीसीआर स्टाफ तथा पीसीआर वैनो को जिला पुलिस के साथ मिला दिया गया है, इसलिए जिला पुलिस की वर्तमान नफरी और पुलिस स्टेशनों में वाहनों की संख्या बढ़ गई है।
- अपराध को नियंत्रित करने के लिए एक सक्रिय और वैज्ञानिक रणनीति के परिणामस्वरूप कुल आईपीसी मामलों की तुलना में जघन्य अपराधों की प्रतिशतता में तेजी से गिरावट आई है। कुल आईपीसी अपराधों के प्रतिशत के रूप में कुल जघन्य अपराध वर्ष 2015 में 5.85% से घटकर वर्ष 2020 में 2.16% और वर्ष 2021 में (दिनांक 31.12.2021 तक) 1.96% हो गए। हत्या तथा दंगे के मामलों में भी क्रमशः 2.75% तथा 90.13% की गिरावट आई।
- कुल 6,450 लापता बच्चों का पता लगाया गया और उन्हें उनके परिवार से मिलाया गया।
- दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2020 में दो तथा वर्ष 2021 में (दिनांक 31.10.2021 तक) दो अंतर-राज्यीय समन्वय बैठकें आयोजित कीं, जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश,

उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर, बिहार और झारखंड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा, जिला पुलिस उपायुक्तों ने भी पड़ोसी राज्यों के अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ नियमित समन्वय बैठकें कीं।

- दिल्ली पुलिस ने अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणाली (सीसीटीएनएस) के माध्यम से न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) को मामलों से संबंधित फाइलें डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने की शुरुआत की है। एफआईआर डिजिटल रूप में रिकार्ड की जा रही हैं तथा कई पुलिस रिकार्ड सीसीटीएनएस पर रखे जा रहे हैं। हाल ही में, मैनुअल तरीके से दैनिक डायरी के रख-रखाव को सीसीटीएनएस पर स्थानांतरित कर दिया गया है।
- पारंपरिक पेपर बीट बुक का स्थान "ई-बीट बुक" प्रणाली ने ले लिया है और यह सीसीटीएनएस, ईआरएसएस-112, जिपनेट, अपराधियों के डोजियर तथा दिल्ली पुलिस की कारागार प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) से रियल-टाइम डेटा प्राप्त करती है। यह किरायेदार-नौकर, दुश्चरित्र व्यक्ति और जेल-जमानत-रिहाई के सत्यापन की सुविधा भी प्रदान करती है। "ई-बीट बुक" दिनांक 15.08.2020 को दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले से

- शुरू की गई थी और दिनांक 01.10.2020 तक इसे दिल्ली पुलिस के सभी 15 जिलों में शुरू कर दिया गया था। वेब तथा मोबाइल-सक्षम यह एप्लिकेशन दिल्ली पुलिस के क्षेत्राधिकार में 15 जिलों, 178 पुलिस स्टेशनों, 822 डिवीजनों तथा 1,752 बीट्स को कवर करती है।
- लोक शिकायतों के निवारण को सुदृढ़ बनाने के लिए, दिल्ली पुलिस ने दिनांक 08.11.2021 से एकीकृत शिकायत निगरानी प्रणाली (आईसीएमएस) शुरू की है। आईसीएमएस की शुरुआत के बाद से, दिनांक 31.12.2021 तक इस स्कीम के तहत सभी कार्यालयों/पुलिस स्टेशनों में कुल 5,38,317 शिकायतें दर्ज की गई हैं।
 - दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपने कार्मिकों के मानवीय प्रयासों के बारे में अवगत कराने के लिए एक सद्भावना अभियान "दिल की पुलिस" शुरू किया।
 - यातायात के सुचारु प्रवाह हेतु तथा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने से संबंधित पहल में, अन्य बातों के साथ-साथ, गैट्री/कैंटीलीवर माउंटेड 125 ऑटोमैटिक ओवर स्पीड वॉयलेशन डिटेक्शन (ओएसवीडी) कैमरों और 30 चौराहों पर रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन (आरएलवीडी) कैमरों, 110 ट्राइपोड माउंटेड पोर्टेबल स्पीड रडार गनों की खरीद और संस्थापन तथा ई-चालान प्रणाली शामिल हैं। उल्लंघन करने वालों को बाद में अभियोजन के लिए एसएमएस/पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस भेजे जा रहे हैं। चरण-II के तहत 57 चौराहों पर आरएलवीडी कैमरे तथा 125 ओएसवीडी कैमरे लगाने का प्रस्ताव भी शुरू किया गया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस की 'इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (आईटीएमएस) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निवेश-पूर्व गतिविधि के रूप में 8 माह की समय-सीमा के साथ 10.6489 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सी-डैक द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की मंजूरी प्रदान की है।
 - वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक) के दौरान, तीन परियोजनाओं अर्थात्, शाहदरा में पुलिस स्टेशन तथा 63 स्टाफ क्वार्टर, सेक्टर 05 रोहिणी में डीसीपी कार्यालय और 24 स्टाफ क्वार्टर तथा पांडव नगर पुलिस स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो गया और उन्हें दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया।
 - दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक "चालान क्लियरेंस सर्टिफिकेट/एनओसी" प्राप्त करने के लिए अपनी वेबसाइट (<https://www.delhitrafficpolice.nic.in>) पर एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की।
 - दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 615 ट्रैफिक पुलिस वाहनों, यातायात निरीक्षकों के वाहनों, मोटरसाइकिलों तथा क्रेनों में जीपीएस उपकरण लगाए हैं, जो इन वाहनों की रियल-टाइम स्थिति/स्थान की जानकारी प्रदान करते हैं।
 - दिल्ली पुलिस के 97.32% कार्मिकों को टीके की पहली डोज और 93.97% कार्मिकों को दूसरी डोज दी जा चुकी है तथा उनके परिवार के 75.06% सदस्यों का टीकाकरण किया जा चुका है।

लक्षद्वीप

प्रस्तावना

6.18 लक्षद्वीप, प्रवाल द्वीपसमूह और चट्टानों से युक्त एक द्वीप पुंज है, जो भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) है। कुल 32 वर्ग किमी. के भू-क्षेत्रफल वाले ये खूबसूरत और अप्रदूषित द्वीपसमूह लगभग 4,200 वर्ग किमी. प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र से घिरे हुए हैं। कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें से 10 बसावट वाले हैं तथा केरल के पश्चिमी तट से 220 से 440 किमी. की दूरी तक अरब सागर में फैले हुए हैं। समस्त देशी आबादी को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना, नारियल की खेती और कॉयर की रस्सियां बनाना है। इन द्वीपों को प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और द्वीपों में भ्रमण करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन से अनुमति अपेक्षित

होती है। संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) का प्रशासनिक मुख्यालय कवारत्ती है।

6.19 वर्ष 2020-21 के दौरान प्रमुख उपलब्धियाँ

- पेट्रोलियम उत्पादों के बड़ी मात्रा में परिवहन के लिए 700 मीट्रिक टन की क्षमता वाले तेल टैंकर का अधिग्रहण किया गया है। 2+1 (वैकल्पिक) आधार पर तीन एलपीजी सिलेंडर कैरियर जलयानों के निर्माण के लिए मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के साथ जलयान निर्माण संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- गृह मंत्रालय ने अगाती हवाई अड्डे के विस्तार के लिए नागरिक विमानन मंत्रालय को 283 करोड़ रुपये की 100% अनुदान सहायता की मंजूरी दी है, जिससे हवाई अड्डे पर बिना किसी लोड पेनाल्टी के एटीआर 72 टाइप के विमानों का संचालन हो सकेगा। रनवे की री-कार्पेटिंग के साथ-साथ इसके 176 मीटर विस्तार हेतु वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को अनुदान सहायता के रूप में 8.00 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।
- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एमओडीडब्ल्यूएस) के समन्वय वाली स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) ने 187.87 करोड़ रुपये की लागत से कल्पेनी, कदमत, अमीनी, अंद्रोथ, किल्तन और चेतलाट द्वीप में से प्रत्येक में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले छह "लो-टेम्प्रेचर थर्मल डिसेलाइनेशन (एलटीटीडी)" संयंत्रों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस कार्य के मई 2022 तक पूरा हो जाने की आशा है।
- राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान के रूप में नामित कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), लक्षद्वीप को 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) के गुणवत्ता परीक्षण के लिए "कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर" की स्थापना की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के अंतर्गत एक परियोजना प्रबंधन इकाई भी स्थापित की गई।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नामक स्कीम के

तहत, 2,503 पात्र किसानों को 124.22 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य अवसंरचना के विकास के तहत, अगाती, मिनिक्कॉय और अमीनी द्वीपों में 5-टन की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के साथ 5-टन की क्षमता वाले कंटेनरीकृत बर्फ संयंत्रों की स्थापना से संबंधित परियोजनाओं को पूरा किया गया।
- लक्षद्वीप में कोल्ड चेन के विकास से संबंधित सुविधाओं के भाग के रूप में, अगाती द्वीप में एक फिश हैंडलिंग केंद्र स्थापित किया गया है। अगाती द्वीप में 150 लीटर की क्षमता वाले 65 इंसुलेटेड आइसबॉक्स खरीद कर मछुआरों को दिए गए तथा 235 और इंसुलेटेड आइसबॉक्सों की खरीद के लिए ई-टेंडर भी आमंत्रित किया गया है। प्रशासन संग्रहण और द्वीपों से मुख्य-भूभाग (मेनलैंड) तक परिवहन के लिए अपेक्षाकृत बड़े संग्रहण जलयानों की सुविधा प्रदान करके ताजी मछली के विपणन को बढ़ावा दे रहा है।
- "समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)" को ताजा ट्यूना के संग्रहण एवं निर्यात के लिए मछली वाहक जलयानों हेतु परमिट प्रदान किए गए।
- प्रशासन ने लक्षद्वीप आइलैंड में "डिमांस्ट्रेशन प्रोजेक्ट फॉर कम्युनिटी-लेड मैरीन ऐल्जी (सी-वीड) फॉर्मिंग" को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है, जिसमें 9 बसे हुए द्वीपों के 10 स्वयं सहायता समूहों की मदद से 2,500 राफ्ट तैयार करने की योजना है। कवारत्ती, अगाती, किल्तन, चेतलाट, कदमथ, बित्रा और कल्पेनी द्वीपों में कुल 889 राफ्ट तैनात किए गए हैं।
- क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों के सतत प्रबंधन की व्यवस्था करने तथा संघ राज्य क्षेत्र में पर्यावरणीय खतरों को कम करने के लिए, 'लक्षद्वीप वृक्ष संरक्षण विनियमन 2020' प्रख्यापित किया गया है और "लक्षद्वीप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम" लागू किया गया है।

- “अटल पर्यावरण भवन” का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है।
- दिनांक 15.08.2021 को संघ राज्य क्षेत्र में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए एक विशेष अभियान का आयोजन किया गया।
- संघ राज्य क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, चालू वर्ष के दौरान लक्षद्वीप खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान सहायता के रूप में 10 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई। इसके अलावा, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के 13 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को 25 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई है।
- मध्याह्न भोजन (एमडीएम) कार्यक्रम का बारहवीं कक्षा तक विस्तार। लगभग 13,205 छात्र एमडीएम का लाभ उठा रहे हैं। प्रशासन ने प्रत्येक शिक्षार्थी के द्वार तक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ट्यूटर/मेंटर प्रणाली की शुरुआत की है।
- लाभार्थियों के बायो-आर्थेंटिकेशन के लिए नए/उन्नत 39 अतिरिक्त ई-पीओएस उपकरणों की खरीद की गई, जिनकी स्थापना का कार्य प्रगति पर है। ‘एक देश एक राशन कार्ड’ के तहत प्रवासी लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए संघ राज्य क्षेत्र में “मेरा राशन” नामक मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया गया है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चरण-III में 100% वितरण का लक्ष्य हासिल किया गया और चरण-IV में 99.41% वितरण का लक्ष्य हासिल किया गया।
- प्रशासन द्वारा लगाए गए पांच प्रेशर रिविंग एडसॉर्प्शन (पीएसए) मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट मिनिक्कॉय, कवारत्ती, अगाती, अंद्रोथ और अमीनी द्वीप में कार्य कर रहे हैं। प्रशासन ने कल्पेनी, किल्लन तथा चेतलाट द्वीपों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) के रूप में परिवर्तित किया है। प्रशासन ने अंद्रोथ, अमीनी तथा कदमत द्वीपों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) को भी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) के रूप में परिवर्तित कर दिया है।
- “राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम)” के तहत, सभी 46 स्वास्थ्य सुविधाओं को एनडीएचएम ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकृत तथा सत्यापित किया गया है और इस प्रकार यह संघ राज्य क्षेत्र सरकारी सुविधा का 100% सत्यापन पूरा करने वाला पहला संघ राज्य क्षेत्र बन गया है।
- संघ राज्य क्षेत्र की पेंशन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए, वर्ष 2021-22 के दौरान पेंशन के संवितरण हेतु 4,88,00,000 /— रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की केंद्रीय पेंशन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 55,00,000 /— रुपये की धनराशि जारी की गई है। पेंशन लाभ का भुगतान लाभार्थियों के ‘आधार’ से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से किया जा रहा है। संघ राज्य क्षेत्र के पेंशन लाभार्थियों को पेंशन के रूप में 4,03,53,00 रुपये की धनराशि संवितरित की गई है।
- कवारत्ती, कदमत तथा अंद्रोथ द्वीपों में 3-18 वर्ष की आयु-वर्ग के दिव्यांग बच्चों के लिए ‘डे केयर सेंटर’ स्थापित किए गए हैं।
- प्रशासन ने सितंबर-2021 के दौरान “राष्ट्रीय पोषण माह” मनाया। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री-स्कूल के बच्चों को विशेष पोषण किट वितरित की गई। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में ‘पोषण वाटिका’ स्थापित करने के लिए पौधा रोपण अभियान तथा गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान करने हेतु 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की ‘लंबाई तथा वजन मापने’ का अभियान भी चलाया गया।



"राष्ट्रीय पोषण माह" का आयोजन

(स्रोत: लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन)

- गांधी जयंती तथा आजादी का अमृत महोत्सव और लक्षद्वीप स्थापना दिवस के आयोजन के संबंध में, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ एक "आहार मेला" और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और छात्रों के लिए "साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा" के बारे में जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाईजी) के तहत, संघ राज्य क्षेत्र ने ग्रामीण आवास के मामले में 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत, दिनांक 31.12.2021 तक 2.85 लाख रुपये के खर्च से 1,232 व्यक्ति-दिवस उपलब्ध कराए गए। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत, 302 दीपश्री नेबरहुड समूहों (एनएचजी) का गठन किया गया है।
- अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 तक की अवधि के दौरान, डेयरी एवं पोल्ट्री फार्मों में क्रमशः 1,10,290 लीटर दूध तथा 18,73,446 अंडों का उत्पादन किया गया। इसी प्रकार, 27,432 चूजों तथा 70,182 किलोग्राम ब्रायलर मांस का उत्पादन किया गया और 1,40,826 पक्षियों एवं 24,126 पशुओं का उपचार भी किया गया।
- प्रशासन ईको-पर्यटन परियोजनाओं के सतत विकास में लगा हुआ है। पहले चरण में, प्रशासन द्वारा नीति आयोग के तत्वावधान में एंकर परियोजनाओं के रूप में कदमत, मिनिकॉय तथा सुहेली द्वीपों में तीन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) ने मिनिकॉय परियोजना को मंजूरी प्रदान की है और स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) ने कदमत एवं सुहेली परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।
- भारत के माननीय रक्षा मंत्री ने दिनांक 02.10.2021 को लक्षद्वीप में प्रथम बीएससी नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन किया।
- 1.71 जीबीपीएस सैटेलाइट बैंडविड्थ को कमीशन करके चालू किया गया।

- 8.16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अमीनी, अगाती तथा मिनिक्कॉय द्वीपों में पूर्वी दिशा वाली जेटी पर न्यूमेटिक फेंडर की स्थापना।
- संघ राज्य क्षेत्र में खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) की स्थिति में सुधार करने के लिए, वर्ष 2021-22 के दौरान 93 के लक्ष्य की तुलना में 76 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा किया गया।
- संघ राज्य क्षेत्र ने कोविड टीके की पहली डोज देने में 99.13% और दूसरी डोज में 88.82% लक्ष्य हासिल किया है।

पुदुचेरी

प्रस्तावना

6.20 पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में चार क्षेत्र नामतः पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यानम शामिल हैं, जो भौगोलिक रूप से एक-दूसरे से पृथक हैं।

6.21 वर्ष 2020-21 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

- संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी में पहली बार, कृषि में

किसानों के लिए शुरू की गई क्रांतिकारी नैनो तकनीक का उपयोग करके नैनो-तरल यूरिया तैयार की गई।

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत, पुदुचेरी क्षेत्र में 6,604 किसानों के 4.64 करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया गया और कराईकल क्षेत्र में 2,481 किसानों के 2.50 करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया गया।
- कृषि उद्यमों की स्थापना करने के लिए, सामान्य और अनुसूचित जाति श्रेणी के लाभार्थियों को कुल 6 लाख रुपये की धनराशि वितरित की गई। कृषि/संबद्ध क्षेत्र में लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों की स्थापना करने के लिए 2.50 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत जुलाई से सितंबर 2021 तक लाल राशन कार्ड धारकों को 5 किलो/प्रति माह/प्रति-व्यक्ति की दर से निःशुल्क चावल वितरित किया गया।



निःशुल्क चावल का वितरण

(स्रोत: संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन)

- कुल 2.30 मेगावाट (एमडब्ल्यू) की क्षमता वाले रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट स्थापित किए गए और उन्हें ग्रिड से जोड़ा गया।
- “दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना” के तहत, पुदुचेरी क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में एक 22 केवी 200केवीए क्षमता वाला डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर चालू किया गया और कराईकल में 9 किलोमीटर 11 केवी (किलो-वोल्ट) की फीडर लाइन बिछाई गई।
- 61 दिन के बैन की अवधि के दौरान पुदुचेरी, कराईकल तथा यानम क्षेत्र में 18,199 परिवारों को कुल 1000.95 लाख रुपये की “बैन राहत सहायता” प्रदान की गई। 7,973 वृद्ध मछुआरों को कुल 1365.96 लाख रुपये की वृद्धावस्था पेंशन मंजूर की गई। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 221 पंजीकृत यांत्रिक बोट ऑपरेटरों द्वारा अपनी बोटों का बीमा कराने हेतु भुगतान किए गए वार्षिक प्रीमियम के लिए 10.85 लाख रुपये की 75% सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की गई। छोटे मछुआरों को सहायता प्रदान करने की राज्य योजना के तहत, पुदुचेरी क्षेत्र के मछुआरों को 15 फाइबर रीइंफोर्सड प्लास्टिक (एफआरपी) गैर-मोटर चालित कैटामारेन वितरित किए गए।
- भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) नामक स्कीम के तहत कुल 990.50 लाख रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी की। उप-घटक “मछली पकड़ने पर बैन/मंदी की अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े, सक्रिय पारंपरिक मछुआरा परिवारों के लिए आजीविका एवं पोषण सहायता” के तहत 8,828 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई, जिसमें केंद्रीय हिस्से की राशि 264.84 लाख रुपये है।
- जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में कम से कम एक कार्ड वाले घरों के उच्चतम अनुपात (84%) के साथ, पुदुचेरी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेवाई) के कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया।
- 1,51,510 परिवारों को 3,71,109 ई-कार्ड जारी किए गए, 12 सार्वजनिक और 14 प्राइवेट अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया। कुल 6,414 दावों में से, बैंकों द्वारा 3,482 दावों का निपटान कर दिया गया है।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत, पुदुचेरी नगर पालिका ने पीपीपी मॉडल के तहत दूसरा “शहर आजीविका केंद्र (सीएलसी)” स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के तहत 2,190 व्यक्तियों को वेंडिंग सर्टिफिकेट प्रदान किए गए हैं। प्राप्त हुए कुल 1,941 ऋण आवेदनों में से, 1245 आवेदनों के लिए 124.50 लाख रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है।
- राघवेंद्र नगर में 12 लाख लीटर की क्षमता वाले ओवरहेड टैंक तथा 6 लाख लीटर की क्षमता वाले सम्प का निर्माण; कोम्बक्कम में 10 लाख लीटर की क्षमता वाले ओवरहेड टैंक तथा 5 लाख लीटर की क्षमता वाले सम्प का निर्माण; जे.जे. नगर, औलगरेट में 20 लाख लीटर की क्षमता वाले ओवरहेड टैंक तथा 10 लाख लीटर की क्षमता वाले सम्प का निर्माण।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत, 80.41 लाख रुपये की लागत से 99 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत, परिवारों को 72,984 जॉब कार्ड जारी किए गए। कुल 4,57,531 व्यक्ति-दिवसों का सृजन किया गया, जिनमें से 4,10,817 व्यक्ति-दिवस महिलाओं द्वारा थे।
- पुदुचेरी के निकट चिन्ना वीरमपट्टिनम में “ईडन बीच”, पर्यावरण शिक्षा के लिए डेनमार्क स्थित फाउंडेशन से प्रतिष्ठित ‘ब्लू फ्लैग’ प्रमाणन प्राप्त करने वाला संघ राज्य क्षेत्र का पहला “बीच” बन गया है।



चिन्ना वीरमपट्टिनम, पुदुचेरी में ईडन बीच

(स्रोत: संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन)

- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) नामक स्कीम के तहत, 716 मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 4,043 मकान निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र ने "क्रेडिट-लिंकड सब्सिडी स्कीम" के तहत 1,950 लाभार्थियों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और दिसंबर, 2021 तक इस घटक के तहत 2,236 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।
- उपयोगकर्ताओं को अपने भूमि कर, पट्टों और अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, सर्वेक्षण एवं भूमि अभिलेख निदेशालय की "ई-सेवा सुविधा" शुरू की गई। आवेदन जमा करने, जमा किए गए प्लान की जांच करने तथा योजना प्राधिकरणों द्वारा बिल्डिंग प्लान परमिट तैयार करने हेतु "ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान परमिट सिस्टम" के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।



भूमि अभिलेखों को ऑनलाइन जारी करने का उद्घाटन



पीएमएवाई के तहत मकानों का निर्माण

(स्रोत: संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन)

- 20,164 दिव्यांग व्यक्तियों को कुल 514.86 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई; 818 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए "युनीक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड" तैयार किए गए; राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत 120 मृतक दिव्यांग व्यक्तियों के परिजनों को कुल 12 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी गई तथा 1,259 लाभार्थियों को कोविड-19 राहत के लिए प्रति लाभार्थी 500 रुपये का भुगतान किया गया। माहे क्षेत्र में, 431 लाभार्थियों के लिए 'दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क चावल की आपूर्ति' के स्थान पर 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' की मंजूरी प्रदान की गई।
- अनुसूचित जाति (एससी) की वधुओं के माता-पिता को अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए, 277 परिवारों को 75,000 रुपये प्रत्येक की दर से वित्तीय सहायता मंजूर की गई। अनुसूचित जाति (एससी) की 497 गरीब गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 72.43 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई। विभिन्न लंबी बीमारियों से पीड़ित अनुसूचित जाति (एससी) के 1,484 लाभार्थियों को 3000 रुपये प्रति माह की दर से 197.04 लाख रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की गई। 40 अंतर्जातीय वैवाहिक जोड़ों को 2,50,000 रुपये प्रति जोड़े की दर से 100 लाख रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की गई। मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए अनुसूचित जाति (एससी) के 495 गरीब परिवारों को 74.25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई। पुदुचेरी में स्कूली शिक्षा और उच्च, तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति (एससी) के 2461 छात्रों को 318.96 लाख रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की गई।
- पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में सिंगल-यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को समाप्त करने का सफल कार्यान्वयन किया गया।
- 'सभी के लिए प्रतिरक्षण कार्यक्रम' के तहत पूर्ण टीकाकरण कवरेज का 100% लक्ष्य प्राप्त किया गया।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, 76,774 ऋण मंजूरीयों के लिए 399.95 करोड़ रुपये का वितरण किया गया।
- दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार, संघ राज्य क्षेत्र ने कोविड टीके की कुल 13.81 लाख डोज दी हैं।

अध्याय -7

पुलिस बल

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस)

7.1 भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत गठित तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, राज्यों और केंद्र दोनों में पुलिस बलों को वरिष्ठ स्तरीय नेतृत्व प्रदान करते हैं। सेवा का अखिल भारतीय स्वरूप, सेवा के सदस्यों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के समग्र परिप्रेक्ष्य में राज्यों की विशेष समस्याओं को हल करने में विशिष्ट सहायता प्रदान करता है। गृह मंत्रालय भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संवर्ग को नियंत्रित करने का कार्य करता है और वह संवर्ग संरचना, प्रशिक्षण, संवर्ग के आवंटन, सेवा में स्थायीकरण, पैनल में शामिल करने, प्रतिनियुक्ति, वेतन और भत्ते, अनुशासनात्मक मामलों आदि सहित इस सेवा से संबंधित सभी नीतिगत निर्णयों के लिए जिम्मेदार है।

7.2 यह सेवा 25 राज्य संवर्गों/संयुक्त संवर्गों में संगठित की गई है। संघ सरकार के लिए कोई पृथक संवर्ग नहीं है। प्रत्येक संवर्ग में, अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए एक 'केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व' बनाया गया है। सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके प्रत्येक संवर्ग के अधिकारियों की संख्या की संयुक्त रूप से समीक्षा की जाती है।

7.3 दिनांक 01.01.2021 की स्थिति के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों की अधिकृत संख्या 4984 है।

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपी एनपीए), हैदराबाद

7.4 सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपी एनपीए), देश का प्रमुख पुलिस

प्रशिक्षण संस्थान है। इसमें विश्व स्तरीय पुलिस प्रशिक्षण सुविधाएँ हैं। इसको (i) भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में नए भर्ती किए गए अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर भारतीय पुलिस के लिए नेतृत्व करने वाले अधिकारी तैयार करने और (ii) पुलिस संबंधी विषयों पर अध्ययन के लिए अनुसंधान केन्द्र के तौर पर कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है।

बेसिक कोर्स

7.5 सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में बेसिक कोर्स में 46 सप्ताह का चरण—I का प्रशिक्षण शामिल है, जिसका समापन पासिंग आउट परेड के साथ होता है। चरण—I के प्रशिक्षण में आईटीबीपी, सीएसडब्ल्यूटी, ग्रेहाउंड्स, सीआरपीएफ तथा सेना के साथ एक-एक सप्ताह का अटैचमेंट, 2 सप्ताह का अध्ययन-सह-सांस्कृतिक दौरा (एससीसीटी), अटैचमेंट के लिए 2 सप्ताह का नई दिल्ली का दौरा तथा विभिन्न सीपीओ और सीएपीएफ का दौरा शामिल है। चरण—I के प्रशिक्षण के बाद, प्रोबेशनर्स जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण (29 सप्ताह) में भाग लेने के लिए अपने संबंधित संवर्ग/राज्यों में जाते हैं और जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा होने पर, वे चरण—II के प्रशिक्षण (10 सप्ताह) के लिए वापस अकादमी में रिपोर्ट करते हैं, जिसमें एक सप्ताह का विदेश दौरा भी शामिल है।

आंतरिक प्रशिक्षण

7.6 आंतरिक प्रशिक्षण में दंड विधि, जांच, मानवाधिकार, अभिवृत्ति, आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था प्रबंधन और फॉरेंसिक्स जैसे विषय शामिल थे। जेंडर, बच्चों, उपेक्षित समुदायों, समाज के कमजोर वर्गों और सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) से संबंधित मुद्दों के बारे में प्रशिक्षार्थियों को जानकारी प्रदान

करने के लिए मॉड्यूल संचालित किए गए। 73 आरआर (नियमित भर्ती) के आईपीएस प्रोबेशनर्स के लिए हैदराबाद शहर में ग्रामीण और शहरी पुलिस स्टेशनों के नियमित दौरे के माध्यम से उन्हें जमीनी स्तर पर पुलिस व्यवस्था का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

फील्ड प्रशिक्षण

7.7 वर्ष के दौरान उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट एवं युक्ति, विस्फोटकों एवं इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरणों (आईईडी) से निपटने, चट्टान पर चढ़ने (आईटीबीपी, मसूरी के साथ अटैचमेंट के दौरान), इंदौर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन एंड टैक्टिक्स (सीएसडब्ल्यूटी) और हैदराबाद में ग्रेहाउंड्स अटैचमेंट, निःशस्त्र युद्ध (यूएसी), इक्विटेशन, स्कूबा डाइविंग तथा रीवर राफ्टिंग (आईटीबीपी, ऋषिकेश के साथ अटैचमेंट के दौरान) का आउटडोर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वरिष्ठ पाठ्यक्रम

7.8 वैश्विक महामारी की स्थिति के कारण, प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले अधिकांश सेवाकालीन पाठ्यक्रम इस अवधि के दौरान आयोजित नहीं किए जा सके। कुल दस ऑनलाइन, चार ऑफलाइन अल्पावधिक सेवाकालीन पाठ्यक्रम और एक इंडक्शन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (आईटीसी) आयोजित किया गया। ये पाठ्यक्रम न्यायपालिका, अभियोजन, विश्वविद्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के अलावा, राज्य पुलिस/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ)/ सीपीओ और सीवीओ के संकाय के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी

7.9 अकादमी का कम्प्यूटर अनुभाग अपनी परियोजना "राष्ट्रीय डिजिटल अपराध संसाधन प्रशिक्षण केन्द्र (एनडीसीआरटीसी)" के माध्यम से डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर अपराधों की जांच, मोबाइल फॉरेंसिक तथा सोशल मीडिया के विश्लेषण में क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इस केंद्र ने पिछले पांच वर्षों में लगभग 200 पाठ्यक्रम संचालित किए और विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) तथा

स्टेकहोल्डरों के लगभग 9000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया और उन्हें साइबर अपराधों की जांच तथा डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

7.10 अकादमी ने विभिन्न विचार-विमर्शों/सम्मेलनों में भाग लिया है और अलग-अलग राज्यों की पुलिस यूनिटों और अकादमिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

विशेष युक्ति (टैक्टिक्स) पाठ्यक्रम

7.11 अप्रैल, 2021 से दिसंबर, 2021 तक स्पेशल टैक्टिक्स विंग द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न अल्पावधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। तथापि, अकादमी ने 72 आरआर (नियमित भर्ती) के 157 प्रोबेशनर्स और 73 आरआर (नियमित भर्ती) के 153 प्रोबेशनर्स को विभिन्न टैक्टिकल विशिष्टताओं, जैसे कि सैंड मॉड्यूल ब्रीफिंग, शहरी संचालन, विस्फोटक मॉड्यूल एवं जंगल मॉड्यूल तथा 25 किमी. और 40 किमी. सहित विभिन्न रूट मार्चों में प्रशिक्षित किया।

राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) के अधिकारियों के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम

7.12 भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के अनुसार, राज्य पुलिस सेवा के सदस्यों को पदोन्नति द्वारा भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती किया जाता है। भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अनुसार, ऐसे प्रत्येक सदस्य को परिवीक्षा की अवधि पूरी करनी होती है, जो सामान्य रूप से दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के अनुसार, ऐसे प्रत्येक प्रोबेशनर को इन नियमों में उल्लिखित छूट के अधीन परिवीक्षा की अवधि के भीतर सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपी एनपीए), हैदराबाद में प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। उन सभी अधिकारियों को, जिन्हें भारतीय पुलिस सेवा में शामिल किया जाता है और भारतीय पुलिस सेवा में शामिल किए जाते समय जिन अधिकारियों की आयु 56 वर्ष से कम होती है, उन्हें तुरंत सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपी एनपीए) हैदराबाद में इंडक्शन प्रशिक्षण के लिए भेजना अनिवार्य है।

7.13 भारतीय पुलिस सेवा में शामिल किए गए राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए इस अकादमी में दिनांक 23.8.2021 से 01.10.2021 तक 42वां इंडक्शन प्रशिक्षण कोर्स (छह सप्ताह) आयोजित किया गया। 95 अधिकारियों ने इस कोर्स में भाग लिया और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, 232 एसपीएस अधिकारियों को अभी इंडक्शन प्रशिक्षण कोर्स करना है। 43वां इंडक्शन प्रशिक्षण कोर्स वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में प्रस्तावित है।

आईपीएस अधिकारियों के लिए मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

7.14 भारतीय पुलिस (वेतन) नियम, 2007 में यह निर्धारित किया गया है कि आईपीएस अधिकारियों को चरण-III की

समाप्ति के पश्चात कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्त किया जाएगा और चरण-IV के मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) की समाप्ति के पश्चात इन अधिकारियों को द्वितीय सुपर टाइम स्केल (पुलिस महानिरीक्षक रैंक) में नियुक्त किया जाएगा। 28 वर्ष की सेवा और उसके पश्चात अगली वार्षिक वेतन-वृद्धि प्राप्त करने के लिए चरण-V को पूरा करना अनिवार्य है।

7.15 अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) डा. त्रिनाथ मिश्र की अध्यक्षता वाली समिति (2008) द्वारा सुझाए गए और गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित किया जा रहा है। मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) के विभिन्न चरणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	चरण	अवधि	अनिवार्य	पात्रता
(1)	चरण-III	किसी विदेशी घटक के बिना भारत में 04 सप्ताह का प्रशिक्षण	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्ति के लिए	07 से 09 वर्ष की सेवा, वर्ष 2000 के बैच और उसके बाद के बैचों के लिए अनिवार्य
(2)	चरण-IV	04 सप्ताह (03 सप्ताह भारत में और 01 सप्ताह विदेश में)	द्वितीय सुपर टाइम स्केल (पुलिस महानिरीक्षक रैंक) में नियुक्ति के लिए	14 से 16 वर्ष की सेवा, वर्ष 1991 के बैच और उसके बाद के बैचों के लिए अनिवार्य
(3)	चरण-V	किसी विदेशी घटक के बिना भारत में 02 सप्ताह का प्रशिक्षण	28 वर्ष की सेवा पूरी करने पर वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए	24 से 26 वर्ष की सेवा, वर्ष 1981 के बैच और उसके बाद के बैचों के लिए अनिवार्य

7.16 दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक निम्नलिखित एमसीटीपी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं:

(क) एमसीटीपी चरण-III

अकादमी द्वारा "चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया" के सहयोग से दिनांक 14.06.2021 से 09.07.2021 तक एमसीटीपी चरण-III/18वां कार्यक्रम संचालित किया गया। वर्ष 2003 से 2014 तक के बैच के 104 आईपीएस अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया।

(ख) एमसीटीपी चरण-IV

अकादमी द्वारा "कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यू.के." के सहयोग से दिनांक 27.09.2021 से 22.10.2021 तक एमसीटीपी चरण-IV/13वां कार्यक्रम संचालित किया गया। वर्ष 1994 से 2007 तक के बैच के 58 आईपीएस अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया।

7.17 दिनांक 01.01.2022 से 31.03.2022 के बीच

निम्नलिखित एमसीटीपी कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है:

(क) एमसीटीपी चरण – III

एमसीटीपी चरण-III/ 19वां कार्यक्रम एसवीपी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में दिनांक 07.02.2022 से 04.03.2022 तक आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) एमसीटीपी चरण – V

एमसीटीपी चरण – V/ 14वां कार्यक्रम एसवीपी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में दिनांक 10.01.2022 से 21.01.2022 तक आयोजित किया जा रहा है। बताया गया है कि इस कोर्स में 58 पात्र अधिकारी भाग लेंगे।



चरण- IV/13वां कार्यक्रम दिनांक 27.09.2021 से 22.10.2021 तक आयोजित किया गया

(स्रोत: एसवीपी एनपीए, हैदराबाद)

पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (नेपा), शिलांग, मेघालय

7.18 पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (नेपा) की स्थापना डॉ. एम. एस. गोरे की अध्यक्षता वाली "राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण समिति" की सिफारिश पर पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों की पुलिस प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुलाई, 1978 में मेघालय के री-भोई जिले के उमसाव गांव में की गई थी। शुरू में इसकी स्थापना पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के तहत क्षेत्रीय पुलिस प्रशिक्षण कालेज के रूप में की गई थी, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग (डोनर) के बनाए जाने के पश्चात, इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग (डोनर) के अधीन कर दिया गया। मई 1980 में अकादमी का नाम बदलकर

पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी कर दिया गया और इसे दिनांक 01.04.2007 को गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कर दिया गया। नीतिगत निर्णय लेने के लिए, अकादमी में एक परामर्शी बोर्ड है, जिसके अध्यक्ष सचिव (सीमा प्रबंधन) हैं।

प्रशिक्षण

7.19 नेपा को आठ पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों के सीधी भर्ती वाले उप पुलिस अधीक्षकों और उप पुलिस निरीक्षकों के लिए बेसिक इंडक्शन कोर्स का संचालन करने और देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस कार्मिकों के लिए अलग-अलग विषयों पर सेवाकालीन कोर्स तैयार एवं संचालित करने का दायित्व सौंपा गया है।

बेसिक कोर्स

7.20 वर्ष 2020-21 के दौरान, नेपा (एनईपीए) ने 3 बेसिक कोर्स संचालित किए। 48वां बेसिक कोर्स दिनांक 14.09.2020 से शुरू हुआ। इस कोर्स में त्रिपुरा के 10 उप-पुलिस अधीक्षकों और अरुणाचल प्रदेश के 16 उप-पुलिस अधीक्षकों, मणिपुर के 5 उप-निरीक्षकों, मेघालय के 20 उप-निरीक्षकों और सिक्किम के 10 उप-निरीक्षकों सहित कुल 61 प्रशिक्षार्थियों (जिसमें त्रिपुरा की 3 महिला उप-पुलिस अधीक्षक और सिक्किम तथा मेघालय की 9 महिला उप-निरीक्षक शामिल हैं) ने भाग लिया। वे दिनांक 27.08.2021 को पास आउट हुए।



दिनांक 04.01.2021 से 18.12.2021 तक 49वां बेसिक कोर्स

सेवाकालीन/ऑनलाइन पाठ्यक्रम/वेबिनार/इंटरनशिप

7.23 वर्ष 2021 के दौरान, नेपा (एनईपीए) ने 5 ऑफलाइन सेवाकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किए, जो इस प्रकार हैं: (i) असम पुलिस के 104 उप निरीक्षकों के लिए दिनांक 04.01.2021 से 27.02.2021 तक प्री-प्रमोशन कैडर कोर्स, (ii) नेपा के 38 कांस्टेबलों के लिए दिनांक 08.09.2021 से 15.09.2021 तक क्षमता निर्माण हेतु पीटी, डब्ल्यूटी और ड्रिल में टीओटी, (iii) सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान के विद्यार्थियों में से 6 इंटरन के लिए दिनांक 13.09.2021 से 24.09.2021 तक इंटरनशिप आयोजित की गई, (iv) नागालैंड पुलिस में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नए पदोन्नत 23 अधिकारियों के लिए दिनांक 20.09.2021 से 16.10.2021 तक इंडक्शन कोर्स

7.21 49वां बेसिक कोर्स दिनांक 04.01.2021 से शुरू हुआ, जिसमें नागालैंड के 01 उप निरीक्षक और 03 सहायक उप निरीक्षकों, सिक्किम के 02 उप निरीक्षकों और त्रिपुरा के 40 उप निरीक्षकों, जिसमें 2 महिला उप निरीक्षक भी शामिल हैं, सहित कुल 46 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। पासिंग आउट परेड (पीओपी) दिनांक 18.12.2021 को आयोजित की गई।

7.22 50वां बेसिक कोर्स दिनांक 19.04.2021 से शुरू हुआ। 50वें बेसिक कोर्स में कुल 579 प्रशिक्षार्थी भाग ले रहे हैं। सभी प्रशिक्षार्थी असम के विभिन्न जिलों से हैं, जिसमें 178 महिला उप निरीक्षक शामिल हैं। 50वें बेसिक कोर्स के पूरा होने की अनंतिम तारीख अप्रैल, 2022 के महीने में है।



दिनांक 19.04.21 से 03.04.2022 तक 50वां बेसिक कोर्स

आयोजित किया गया और (v) लोक सभा सचिवालय, संसद भवन के 20 अधिकारियों के लिए "संसद सुरक्षा सेवा के अधिकारियों हेतु नेतृत्व एवं विकास विषय पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम"।

7.24 वैश्विक महामारी फैलने के कारण, अकादमी ने दिनांक 19.01.2021 से पुलिस-व्यवस्था संबंधी व्यापक विषयों पर ऑनलाइन सेवाकालीन पाठ्यक्रम भी शुरू किए और दिनांक 14.12.2021 तक इसने 18 सेवाकालीन पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं, जिनसे 607 कार्मिक लाभान्वित हुए हैं।

7.25 अकादमी में दिनांक 12.01.2021 से विभिन्न विषयों पर वेबिनार आयोजित किए गए और दिनांक 21.12.2021 तक इसने 31 वेबिनार पूरे कर लिए हैं, जिनसे 884 कार्मिक लाभान्वित हुए हैं।

सेवाकालीन पाठ्यक्रम



दिनांक 25.10.2021 से 29.10.2021 तक संसद सुरक्षा सेवा के अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास विषय पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

अवसंरचना

7.26 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के दौरान, अवसंरचना के विकास (चरण— II) के लिए 09 परियोजनाओं के निर्माण हेतु गृह मंत्रालय द्वारा 86.57 करोड़ रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई थी, जिसमें से 8 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अकादमी ने उन्हें अपने अधिकार में ले लिया है।

7.27 120 बेड वाले लेडी कैडेट मेस के “ब्लॉक— ए” का कार्य पूरा हो गया है। “ब्लॉक—बी” (अर्थात् किचन एवं डाइनिंग) के लिए केवल नींव का काम पूरा हुआ है तथा अन्य संबंधित कार्यों को लागत में वृद्धि, नींव पर कठोर चढ़ान होने, श्रम उपकरण में वृद्धि और निर्माण स्थलों में परिवर्तन होने के कारण वर्ष 2019 से रोक दिया गया है। इस संबंध में, सीपीडब्ल्यूडी ने कुल 6.70 करोड़ रुपये का संशोधित प्रारंभिक अनुमान (आरपीई) प्रस्तुत किया है। यह मामला गृह मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

7.28 चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2021–22 के दौरान, बजट अनुमान (बीई) में 10.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की

गई है, जिसमें से 1.50 करोड़ रुपये (एलओए) सीपीडब्ल्यूडी को चालू परियोजनाओं अर्थात् (i) 20 बेड वाले वरिष्ठ अधिकारी मेस के लिए संपर्क सड़क के निर्माण और (ii) मौजूदा सड़क के विकास के लिए जारी किए गए हैं। चालू परियोजनाओं के लिए 96 लाख रुपये (एलओए) की शेष राशि वित्तीय वर्ष के पूरा होने से पहले जारी कर दी जाएगी।

7.29 ब्रह्मपुत्र गेस्ट हाउस का उद्घाटन मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री श्री कॉनराड के. संगमा द्वारा दिनांक 12.11.2021 को किया गया। इस गेस्ट हाउस से पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु नेपा आने वाले अतिथि अधिकारियों और अन्य आमंत्रित व्यक्तियों को आवास की सुविधा मिल सकेगी।

स्टाफ की संख्या

7.30 वर्तमान में नेपा में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 275 है। इसमें से, विभिन्न समूहों के 215 पद भरे हुए हैं और 60 पद खाली पड़े हैं। पदों को प्रतिनियुक्ति पर भरने के लिए, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक (आईटी), सहायक निदेशक (राजभाषा), अधीक्षक (ओएस), उप सहायक निदेशक (आउटडोर) और अधीक्षक (प्रशिक्षण) के पदों के लिए सभी सीएपीएफ तथा सभी राज्यों के डीजीपी को नेपा की वेबसाइट के माध्यम से विज्ञापन परिचालित किए गए हैं। उप निदेशक (एडजुटेंट), सहायक निदेशक (ब्याख्याता), सहायक निदेशक (प्रबंधन), उप सहायक निदेशक (राजनीति विज्ञान), उप सहायक निदेशक (फॉरेंसिक विज्ञान) और आशुलिपिक— जैसे कुछ पद चयन और भर्ती नियमों में संशोधन के लिए गृह मंत्रालय/संघ लोक सेवा आयोग में विचाराधीन हैं। एलडीसी के 3 पदों और आशुलिपिक ग्रेड—II के 1 पद को कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से भरने के लिए भी गृह मंत्रालय को मांग—पत्र भेजा गया है।



आजादी का अमृत महोत्सव (04.09.2021)
नेपा द्वारा ग्रुप सेंटर, सीआरपीएफ, गुवाहाटी में प्रस्तुति



पुलिस स्मृति दिवस (21.10.2021)

पुलिस पदक

7.31 दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान निम्नलिखित पदक प्रदान किए गए:

(क) "वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पीपीएमजी)"

संबंधित अधिकारी के दायित्वों और कर्तव्यों को समुचित रूप

से ध्यान में रखकर जोखिमों का आकलन करते हुए जान और संपत्ति की रक्षा करने अथवा अपराध को रोकने अथवा अपराधियों को गिरफ्तार करने में अदम्य वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस-2021 के अवसर पर राज्य पुलिस/सीएपीएफ के कार्मिकों को कुल 02 पदक प्रदान किए गए।

President's Police Medal for Gallantry (PPMG)



(ख) "वीरता के लिए पुलिस पदक (पीएमजी)"

अदम्य वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस- 2021 के अवसर

पर राज्य पुलिस/ सीएपीएफ/ सीपीओ के कार्मिकों को कुल 628 पदक प्रदान किए गए।

Police Medal for Gallantry (PMG)



(ग) "विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पीपीएम)"

पुलिस सेवा में अथवा केंद्रीय पुलिस/ सुरक्षा संगठनों में विशेष असाधारण रिकॉर्ड अथवा विशेष रूप से कठिन स्थिति में पुलिस सेवा या

केंद्रीय पुलिस/सुरक्षा संगठन की यूनिटों को संगठित करने अथवा संगठनों के अनुरक्षण में सफलता के लिए प्रदान किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस-2021 के अवसर पर राज्य पुलिस/सीएपीएफ/सीपीओ के कार्मिकों को कुल 88 पदक प्रदान किए गए।



(घ) "सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (पीएम)"

लम्बी सेवा अथवा सक्षमता एवं मेरिट सहित कर्तव्य निर्वहन के लिए समर्पण भावना से प्रमाणित बहुमूल्य सेवा के

लिए प्रदान किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस-2021 के अवसर पर राज्य पुलिस/ सीएपीएफ/सीपीओ के कार्मिकों को कुल 664 पदक प्रदान किए गए।



(ङ) "अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृहमंत्री पदक"

अन्वेषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021 के लिए राज्य/

केंद्रीय आसूचना एजेंसियों के कुल 152 अधिकारियों को "अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक" प्रदान किया गया।



(च) "केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक"

उन अभियानों के लिए प्रदान किया जाता है, जिनकी योजना उच्चकोटि की होती है, जो देश/राज्य/

संघ राज्य क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं और जिनका समाज के एक बड़े वर्ग की सुरक्षा पर काफी अधिक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2020 के लिए विभिन्न राज्य पुलिस/सीएपीएफ/सीपीओ के कुल 499 अधिकारियों को दिनांक 31.10.2021 को "केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक" प्रदान किया गया।



(छ) असाधारण प्रदर्शन, अदम्य और साहसी खुफिया सेवा के लिए "असाधारण आसूचना कुशलता पदक" दिया जाता है। विभिन्न राज्य पुलिस/सीएपीएफ/सीपीओ के कुल 160 अधिकारियों को दिनांक 23.12.2021 को वर्ष

2021 के लिए "आसाधरण आसूचना कुशलता पदक" से सम्मानित किया गया है।

- (ज) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीएपीएफ/सीपीओ के पुलिस कर्मियों को अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2021 के दौरान कुल 96 पुलिस (आंतरिक सुरक्षा सेवा) पदक प्रदान किए गए हैं।
- (झ) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीएपीएफ/सीपीओ के पुलिस कर्मियों को अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2021 के दौरान कुल 6827 पुलिस (स्पेशल ड्यूटी) पदक प्रदान किए गए हैं।
- (ञ) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीएपीएफ/सीपीओ के पुलिस कर्मियों को अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2021 के दौरान 9717 उत्कृष्ट सेवा पदक और 6872 अति-उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए हैं।
- (ट) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीएपीएफ/सीपीओ को अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2021 के दौरान, "जम्मू-कश्मीर राज्य/वामपंथी उग्रवाद/पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 75855 पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक" प्रदान किए गए हैं।

क्षमता निर्माण

7.32 गृह मंत्रालय न केवल अपने देश के पुलिस बलों के लिए, बल्कि विदेशी पुलिस बल कार्मिकों के लिए भी क्षमता निर्माण का कार्य करता है। दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान, मित्र देशों अर्थात् बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, मॉरीशस, मालदीव, मोजाम्बिक, जाम्बिया, दक्षिण सूडान और अन्य देशों के 107 विदेशी पुलिस अधिकारियों ने द्विपक्षीय सहयोग के तहत भारत स्थित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ)

7.33 गृह मंत्रालय के अधीन पांच केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) अर्थात् सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.), भारत – तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.), सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) और एक केन्द्रीय अर्धसैनिक बल (सीपीएमएफ) नामतः असम

राइफल्स (ए.आर.) हैं। इनमें से, असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल "सीमा रक्षक बल (बीजीएफ)" हैं, जबकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को लोक व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा एवं विद्रोह-रोधी मामलों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के अधीन सिविल प्रशासन की सहायता हेतु तैनात किया जाता है। द्रुत कार्रवाई बल (आरएएफ) और दृढ़ता से कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियन (कोबरा) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशिष्ट विंग हैं, जो क्रमशः दंगों और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई)/विद्रोह से निपटते हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल राष्ट्रीय/रणनीतिक महत्व वाले महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) आतंकवाद का मुकाबला करने और विमान अपहरण-रोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षित एक विशेषज्ञता प्राप्त प्रहार बल है। इसे अधिक जोखिम वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) की सुरक्षा का कार्य भी सौंपा जाता है और यह घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सुरक्षा के लिए स्काई मार्शल के रूप में भी कार्य करता है।

असम राइफल्स (एआर)

7.34 "पूर्वोत्तर के लोगों के मित्र" के रूप में सम्मानित, असम राइफल्स (एआर) का गठन वर्ष 1835 में "कछार लेवी" के रूप में किया गया था और यह देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसका मुख्यालय शिलांग में है और इस बल को 1,643 किमी. लंबी भारत-म्यांमार सीमा (आईएमबी) की रक्षा करने की अनिवार्य भूमिका के साथ पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्र में विद्रोह रोकने के लिए तैनात किया गया है। इस बल में एक महानिदेशालय मुख्यालय, तीन महानिरीक्षक मुख्यालय, 12 सेक्टर मुख्यालय, 47 बटालियनें (एक एनडीआरएफ बटालियन सहित), एक प्रशिक्षण केन्द्र, एक श्वान प्रशिक्षण केंद्र और प्रशासनिक घटक शामिल हैं तथा इसके कार्मिकों की कुल प्राधिकृत संख्या 66,411 है।

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

7.35 पूर्वोत्तर में उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई में, असम राइफल्स ने दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान 293 मिश्रित हथियार, मिश्रित गोला-बारूद के 6249 राउंड, 322 मिश्रित मैगज़ीन, 37 हैंड ग्रेनेड/चीन

निर्मित हैंड ग्रेनेड, 247 आईईडी और 3935 डेटोनेटर जब्त करने के अलावा, 16 विद्रोहियों को मार गिराया, 1039 विद्रोहियों/आम नागरिकों/हथियारों के डीलरों/नशीले पदार्थों के विक्रेताओं/म्यांमार के नागरिकों को गिरफ्तार किया और 90 विद्रोहियों का आत्मसमर्पण कराया। असम राइफल्स ने इस अवधि के दौरान लगभग 735.085 करोड़ रुपये मूल्य के तस्करी किए गए वर्जित सामान/करेंसी भी बरामद की है।

7.36 अवधि के दौरान, कर्तव्य का पालन करते हुए असम राइफल्स (एआर) के 06 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और 10 कार्मिक घायल हुए।

वीरता और अन्य पुरस्कार

7.37 दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान बल के सदस्यों को निम्नलिखित वीरता और विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किए गए:

क्र. सं.	पदक/पुरस्कार	संख्या
(क)	सेना पदक (वीरता)	02

(ख)	राष्ट्रपति का पुलिस पदक (विशिष्ट)	01
(ग)	पुलिस पदक (सराहनीय)	13
(घ)	राज्यपाल का स्वर्ण पदक	66
(ङ)	राज्यपाल का रजत पदक	51

7.38 जम्मू एवं कश्मीर में असम राइफल्स की दो बटालियनों की तैनाती: असम राइफल्स की दो बटालियनें ऑपरेशन रक्षक के भाग के रूप में दिनांक 20.05.2021 से जम्मू एवं कश्मीर में तैनात हैं।

7.39 सोहरा वनरोपण परियोजना: "सोहरा वनरोपण परियोजना" का उद्घाटन श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा सोहरा (मेघालय) में दिनांक 25.07.2021 को किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य दुनिया में सबसे नम स्थान के रूप में सोहरा (चेरापूँजी) की खोई हुई प्रतिष्ठा को बहाल करना है। मेघालय राज्य सरकार और असम राइफल्स इसके लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं।



माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा "सोहरा वनरोपण परियोजना" का उद्घाटन

(स्रोत: असम राइफल्स)

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)

7.40 सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का गठन 25 बटालियनों तथा 03 कंपनियों के साथ वर्ष 1965 में किया गया था। कालान्तर में, बल के आकार में वृद्धि हुई है और इस समय 04 एनडीआरएफ बटालियनों (01 एनडीआरएफ बटालियन का गठन किया जा रहा है) सहित इसकी 193 बटालियनें हैं, जिन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगी

अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा नियंत्रण रेखा पर और नक्सल-रोधी ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया है। बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी फील्ड रचना में 02 विशेष महानिदेशालय अर्थात् विशेष महानिदेशालय (पूर्वी कमान) और विशेष महानिदेशालय (पश्चिमी कमान) तथा 01 एडीजी कमान मुख्यालय (विशेष ऑपरेशन) रायपुर, 13 फ्रंटियर्स और 46 सेक्टर मुख्यालय, वाटर विंग, एयर विंग तथा अन्य

सहायक इकाइयां शामिल हैं। दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, बीएसएफ की कुल स्वीकृत पद संख्या 2,65,277 है।

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

7.41 आतंकवाद/वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध सतत लड़ाई में, बीएसएफ ने दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान 13 आतंकवादियों/ माओवादियों को गिरफ्तार किया तथा 16 आतंकवादियों/ माओवादियों का आत्मसमर्पण करवाया और इसके अलावा, इस बल ने 110 हथियारों, मिश्रित गोला-बारूद के 5067 राउण्ड, 40 इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरणों (आईईडी) और 0.300 किग्रा. विस्फोटक सामग्री की जब्ती की कार्रवाई भी की। सीमा-पार के अपराधों की रोकथाम करने के अपने सतत प्रयास में, बीएसएफ ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर 2,606.04 करोड़ रुपये मूल्य की वर्जित सामग्रियां भी जब्त कीं, 2889 घुसपैठियों/भगोड़ों को गिरफ्तार किया और 21 तस्करों/ घुसपैठियों/भगोड़ों को मार गिराया।

7.42 इस अवधि के दौरान, विभिन्न ऑपरेशनों में बीएसएफ के 13 कार्मिकों ने शहादत प्राप्त की और 77 कार्मिक घायल हुए।

7.43 वर्ष 2021-22 (दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक) के दौरान, बल के सदस्यों को निम्नलिखित शौर्य एवं अन्य पदक प्रदान किए गए:

(क)	वीरता के लिए पुलिस पदक	24
(ख)	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	10
(ग)	मराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक	92

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)

7.44 वर्ष 1969 में गठित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) 353 इकाइयों को सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है, जिनमें 64 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा 104 औद्योगिक उपक्रमों को अग्नि-सुरक्षा कवर शामिल हैं। पांच दशकों की अवधि में, बल की नफरी में कई गुना वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के साथ,

सीआईएसएफ अब सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) केंद्रित संगठन नहीं रह गया है। इसके बजाय, यह देश का एक प्रमुख बहु-कौशल सम्पन्न सुरक्षा एजेंसी बन गया है, जिसे आतंकवाद और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रमुख संवेदनशील आधारभूत संस्थापनाओं को सुरक्षा प्रदान करने का अधिदेश दिया गया है। सीआईएसएफ वर्तमान में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, अन्तरिक्ष संस्थापनाओं, रक्षा उत्पादन इकाइयों, खानों, आयल फील्ड और रिफाइनरी, प्रमुख बंदरगाहों, भारी इंजीनियरिंग, स्टील संयंत्रों, उर्वरक इकाइयों, हवाई अड्डों, जल विद्युत/थर्मल विद्युत संयंत्रों, संवेदनशील सरकारी भवनों तथा विरासती स्मारकों (ताजमहल, लाल किला और स्टैचू ऑफ यूनिटी, केवडिया तथा निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण इकाइयों सहित) को सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है। सीआईएसएफ को समूचे देश में विभिन्न श्रेणियों के सुरक्षा प्राप्त अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) को सुरक्षा प्रदान करने का अधिदेश भी दिया गया है।

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

7.45 सीआईएसएफ देश में सबसे बड़े अग्नि संरक्षण सेवा प्रदाताओं में से एक है। यह 8601 कार्मिकों की स्वीकृत नफरी के साथ 104 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को अग्नि से संरक्षण और अग्नि-सुरक्षा कवर प्रदान करता है। वर्ष 2021 में (दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक), आग लगने से संबंधित कुल 1781 घटनाओं की कॉल (जिनमें आग की 08 बड़ी घटनाएं शामिल हैं) पर कार्रवाई की गई और कुल 45.12 करोड़ रुपये की संपत्ति को बचाया गया। वर्ष 2021 (दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक) के दौरान सीआईएसएफ ने आंतरिक सुरक्षा संबंधी ड्यूटी के लिए 41 कंपनियां और चुनाव ड्यूटी के लिए 246 कंपनियां तैनात कीं।

7.46 इंडियन एयरलाइंस के विमान सं. आई सी-814 का अपहरण करके कंधार ले जाने की घटना के बाद हवाई अड्डों की सुरक्षा का विशिष्ट कार्य वर्ष 2000 में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सौंपा गया था। इस बल को तभी से संपूर्ण देश में 64 हवाई अड्डों पर तैनात किया गया है, जिनमें सभी प्रमुख हवाई अड्डे यथा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु आदि शामिल हैं। नवीनतम इंडक्शन दिनांक

26.02.2020, 06.03.2020 और 05.08.2020 को क्रमशः श्रीनगर, जम्मू और लेह हवाई अड्डों का किया गया था। वर्ष 2021 (दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक) के दौरान, सीआईएसएफ ने हवाई अड्डों पर 40.44 करोड़ रुपये की खोया-पाया संपत्ति बरामद की, जिसमें से 10.28 करोड़ रुपये की संपत्ति यात्रियों को सौंप दी गई, जबकि 30.16 करोड़ रुपये की संपत्ति हवाई अड्डा संचालकों को सौंप दी गई। सीआईएसएफ कार्मिकों ने विभिन्न हवाई अड्डों पर हथियार और गोला-बारुद ले जाने के 162 मामलों, जाली ई-टिकट पर एंट्री के 29 मामलों एवं निषिद्ध सामग्रियों (मादक पदार्थों) के 13 मामलों का भी पता लगाया। हवाई अड्डों पर तैनात सीआईएसएफ कर्मचारियों ने दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 की अवधि के बीच 18.677 किग्रा. सोना और 7.65 करोड़ रुपये की नकदी का भी पता लगाया।

7.47 सीआईएसएफ का वीआईपी सुरक्षा विंग, जिसे विशेष सुरक्षा ग्रुप (एसएसजी) कहा जाता है, वीवीआईपी/वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान में, देश के विभिन्न भागों में 166 वीवीआईपी/वीआईपी को विभिन्न श्रेणियों में एसएसजी/सीआईएसएफ द्वारा सुरक्षा कवर प्रदान किया जा रहा है। सीआईएसएफ नई दिल्ली में 48 संवेदनशील और अति-संवेदनशील सरकारी भवनों की सुरक्षा भी करता है। वर्ष 1999 में, सीआईएसएफ को निजी क्षेत्र के उन प्रतिष्ठानों, जहाँ सीआईएसएफ की तैनाती नहीं की जाती है, को भी भुगतान के आधार पर तकनीकी और अग्निशमन परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया था। सीआईएसएफ ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक 208 ग्राहकों को परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई हैं और कुल 13.54 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। सीआईएसएफ अधिनियम में संशोधन किया गया था, ताकि यह बल देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण निजी/संयुक्त उद्यम वाले औद्योगिक उपक्रमों को भुगतान के आधार पर सुरक्षा प्रदान कर सके।

7.48 केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को दिनांक 15.04.2007 को दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की सेवा में लगाया गया था और इसके कार्मिकों की स्वीकृत संख्या 12,528 है। डीएमआरसी एक अत्यधिक संवेदनशील इकाई है और इसमें सीआईएसएफ की सबसे बड़ी इकाई

शामिल है। आज की तारीख तक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 249 मेट्रो स्टेशनों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके दैनिक यात्रियों की संख्या लगभग 30-35 लाख है। वर्ष 2021 (दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक) के दौरान, सीआईएसएफ ने दिल्ली मेट्रो में 58.05 लाख रुपये की नकद खोया-पाया संपत्ति बरामद की, जिसमें से 52.75 लाख रुपये उनके वास्तविक मालिक को सौंप दिए गए, जबकि 5.30 लाख रुपये डीएमआरसी को सौंप दिए गए। दिल्ली मेट्रो में 3.33 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा, 1 लाख रुपये (लगभग) के सोने के आभूषण, 31 चांदी के सिक्के, 94 लैपटॉप, 24 कलाई घड़ियां, 4 कैमरे और 145 मोबाइल फोन भी पाए गए, जिन्हें उनके वास्तविक मालिकों/डीएमआरसी को सौंप दिया गया। इसके अलावा, जब्त की गई 58 लाख रुपये की नकदी भी आईटी विभाग को सौंप दी गई। इस अवधि के दौरान, गुमशुदा बच्चों के 46 मामले रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 25 गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार के सदस्यों से पुनः मिलवा दिया गया और शेष मामलों को दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस (डीएमआरपी) को सौंप दिया गया। सीआईएसएफ के कार्मिकों ने 06 यात्रियों को आत्महत्या करने से भी बचाया।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)

7.49 शुरू में दिनांक 27.07.1939 को 'क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव पुलिस' के नाम से नीमच (मध्य प्रदेश) में गठित किए गए इस बल का नाम स्वतंत्रता के बाद बदलकर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कर दिया गया था। तब से, बल की नफरी और क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में, इसकी क्षमता 239 बटालियनों की है तथा इसके पास 43 ग्रुप सेन्टर, 22 प्रशिक्षण संस्थान, 07 शस्त्र कार्यशालाएं तथा 03 केन्द्रीय शस्त्रागार, 05 सिग्नल बटालियनें, 01 पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप (पीडीजी) और 01 स्पेशल ड्यूटी ग्रुप (एसडीजी) हैं। इस बल में, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थित बल मुख्यालय अर्थात् निदेशालय के अलावा, 4 जोनल मुख्यालयों (केन्द्रीय, पूर्वोत्तर, दक्षिणी और जम्मू एवं कश्मीर) में 4 स्पेशल डीजी, प्रशासनिक सेक्टरों के 21 महानिरीक्षक, ऑपरेशन सेक्टरों के 2 महानिरीक्षक, 39 प्रशासनिक रेंज मुख्यालय, 17 ऑपरेशन रेंज मुख्यालय के रूप में सीनियर कमांड/पर्यवेक्षकीय संगठन और 100

बेड वाले 04 कम्पोजिट अस्पताल तथा 50 बेड वाले 18 कम्पोजिट अस्पताल और 06 फील्ड अस्पताल भी हैं। यह बल इस समय पूरे देश में कानून एवं व्यवस्था, विद्रोह—रोधी, उग्रवाद—रोधी और नक्सल—रोधी अभियानों सहित विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। यह बल लोक व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों की सहायता करने और नक्सलियों/उग्रवादी समूहों एवं विद्रोहियों की विध्वंसात्मक गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीआरपीएफ की 06 महिला बटालियनों और 15 आरएएफ बटालियनों में प्रत्येक में 106 महिलाओं वाली 01 महिला टुकड़ी भी है तथा नक्सलवाद से लड़ने के लिए गठित बस्तरिया बटालियन में विभिन्न रैंकों में 242 महिला कार्मिक भी तैनात हैं। आतंकवाद, उग्रवाद, विद्रोह और नक्सलवाद से निपटने के साथ-साथ कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे देश में कुल 239 बटालियनों (06 महिला, 05 वीआईपी सुरक्षा, 10 कोबरा और 15 द्रुत कार्रवाई बल (आरएएफ) सहित) तैनात हैं। इस बल के कार्मिकों की कुल संख्या 3,24,654 है। बल को सौंपी गई प्राथमिक भूमिका राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना है।

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

7.50 दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान सीआरपीएफ की ऑपरेशन संबंधी प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

1	मारे गए माओवादी/उग्रवादी	137
2	गिरफ्तार किए गए माओवादी/उग्रवादी	1253
3	आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी/	637
4	बरामद किए गए हथियार	359
5	बरामद किए गए गोला-बारूद	8522
6	बरामद की गई विस्फोटक सामग्री (किग्रा. में)	1395.38
7	बरामद किए गए ग्रेनेड (सं. में)	172

8	बरामद किए गए वम	122
9	बरामद की गई आईईडी	317
10	बरामद किए गए डेटोनेटर	680
11	बरामद की गई जिलेटिन स्टिक	4474
12	बरामद की गई नकदी (भारतीय रुपये)	2,23,43,639 रुपये
13	बरामद किए गए स्वापक पदार्थ (किग्रा. में)	22,772.91

7.51 सीआरपीएफ के कार्मिकों को दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक निम्नलिखित वीरता/सेवा पदक प्रदान किए गए हैं:

(क)	शौर्य चक्र	03
(ख)	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पीपीएमजी)	01
(ग)	वीरता के लिए पुलिस पदक (पीएमजी)	150
(घ)	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पीपीएम)	11

सीआरपीएफ में द्रुत कार्रवाई बल (आरएएफ)

7.52 द्रुत कार्रवाई बल, जो कानून और व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए एक विशेषज्ञता प्राप्त बल है, सामान्य रूप से दंगे वाली स्थितियों और विशेष रूप से सामुदायिक या सांप्रदायिक संघर्ष की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने के लिए सीआरपीएफ की 10 (दस) सामान्य ड्यूटी बटालियनों को परिवर्तित करके वर्ष 1992 में अस्तित्व में आया था। इसकी प्रभावशीलता और दक्षता के मद्देनजर, वर्ष 2018 में आरएएफ की क्षमता बढ़कर 15 बटालियनों और 3 रेंज मुख्यालयों की हो गई है। ये बटालियनें पूरे देश में अत्यधिक संवेदनशील स्थानों पर स्थित हैं, ताकि त्वरित कार्रवाई की सुविधा मिल सके और बिगड़ी हुई कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब होने से पहले ही उसे नियंत्रित किया जा सके। इन सभी बटालियनों का गठन एक महानिरीक्षक की देखरेख में अनअटैच्ड पैटर्न पर किया गया था।

सीआरपीएफ में दृढ़ कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियनों (कोबरा)

7.53 “कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन (कोबरा)”, जो जंगल युद्ध में विशेषज्ञता प्राप्त बल है, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में माओवादियों और विद्रोहियों से लड़ने के लिए वर्ष 2008 में अस्तित्व में आया था। इसे ‘द जंगल वारियर्स’ के नाम से भी जाना जाता है। 10 (दस) कोबरा बटालियनों का गठन वर्ष 2008-11 के दौरान किया गया था। इन बटालियनों का गठन सीआरपीएफ के कार्मिकों में से ही उनकी उम्र और अन्य शारीरिक विशेषताओं के आधार पर आंतरिक रूप से चयन करके किया गया है। उन्हें प्रशिक्षित और सुसज्जित करके छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और असम के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में तैनात किया गया है। यह इस देश की श्रेष्ठ कमांडो इकाइयों में से एक है, जिसे जंगलों में जीवित रहने, लड़ने और जीतने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। जंगल युद्ध कौशल और युक्ति में विशेष प्रशिक्षण के लिए एक कोबरा स्कूल (सीएसजेडब्ल्यूटी) वर्ष 2014 में बेलगाम (कर्नाटक) में स्थापित किया गया था, जो विशिष्ट बल के श्रेष्ठ कमांडो के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और उच्च गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण प्रदान करता है।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपीएफ)

7.54 आईटीबीपीएफ का गठन वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के पश्चात 4 बटालियनों की मामूली संख्या के साथ किया गया था। इस बल का गठन मूलतः आपूर्ति, संचार और आसूचना संग्रहण के मामले में आत्मनिर्भर, एक एकीकृत “गुरिल्ला-सह-आसूचना-सह-लड़ाकू बल” के रूप में किया गया था, जो समय बीतने के साथ-साथ एक परंपरागत सीमा रक्षक बल (बीजीएफ) के रूप में विकसित हो गया। आईटीबीपी 3,488 किमी. लम्बी भारत-चीन सीमा की रक्षा करती है और लद्दाख में “कराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में “जाचेप-ला” तक भारत-चीन सीमा के पश्चिमी, मध्यवर्ती एवं पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में 9,000 फीट से लेकर 18,750 फीट की ऊंचाई वाले हिस्सों में 180 सीमा चौकियों (बीओपी) का संचालन कर रही है। सबसे ऊंची चौकी ओपी दोर्जिला है, जो उत्तरी सिक्किम में 18,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आईटीबीपी की आठ (08)

बटालियनें छत्तीसगढ़ के माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। आईटीबीपी 05 फ्रंटियर मुख्यालयों, 15 सेक्टर मुख्यालयों, 56 सर्विस बटालियनों, 04 स्पेशलाइज्ड बटालियनों, 02 एनडीआरएफ बटालियनों तथा 17 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कार्य करता है और इसके कार्मिकों की कुल स्वीकृत संख्या 88,430 है। कैडर समीक्षा के कार्यान्वयन के पश्चात, अपर महानिदेशक (एडीजी) रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिमी कमान और पूर्वी कमान नामक दो नए कमान मुख्यालय स्थापित किए गए हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी)

7.55 राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) का गठन सभी प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए वर्ष 1984 में किया गया था। यह हमलावर बल सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और राज्य पुलिस बलों के चुनिंदा कार्मिकों का एक विशिष्ट संगठन है। दिनांक 26.11.2008 के मुम्बई आतंकी हमले के पश्चात, कार्रवाई में लगने वाले समय को कम करने और पूरे भारत में मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए चार क्षेत्रीय हब (मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता) स्थापित किए गए थे। वर्ष 2016 में, गांधीनगर (गुजरात) में पांचवां हब अस्तित्व में आया।

7.56 फेडरल कंटिजेंसी फोर्स के रूप में, एनएसजी को अपनी श्रेष्ठता की परिपाटी के साथ कई सफल आतंकवाद-रोधी अभियानों का श्रेय प्राप्त है। विगत कुछ वर्षों में, एनएसजी ने अपनी प्रशिक्षण एवं ऑपरेशनल कार्यक्षमता के उच्च मानदण्डों की वजह से ‘सर्वोत्कृष्ट’ होने की स्पृहणीय प्रतिष्ठा प्राप्त की है। अपने समर्पण, साहस और सर्जिकल ऑपरेशन संबंधी क्षमताओं की वजह से इस विशिष्ट बल के कमांडो ‘ब्लैक कैट’ के रूप में जाने जाते हैं।

ऑपरेशन

7.57 **सतर्क बल**—एनएसजी कार्य बलों (टीएफ) तथा त्वरित कार्रवाई दलों (क्यूआरटी) को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अत्यंत कम समय में प्रस्थान करने के लिए दिल्ली तथा सभी पांच क्षेत्रीय हबों पर चौकस (24x7) रखा जाता है। राष्ट्रीय संकट के दौरान एनएसजी कार्य बलों को गृह मंत्रालय के अनुमोदन से कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।

(क) इमीडिएट बैक अप सिक्योरिटी (आईबीयूएस) ऑपरेशन – एनएसजी कार्य बलों (टीएफ) को गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस समारोह समेत राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भाग के रूप में इमीडिएट बैक अप सिक्योरिटी (आईबीयूएस) ऑपरेशनों के लिए तैनात किया जाता है। दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक एनएसजी द्वारा इस प्रकार के 58 आयोजनों को कवर किया गया।

(ख) संवेदनशील स्थानों/प्रतिष्ठानों/हवाई अड्डों की टोह लेना— एनएसजी पूरे देश में संवेदनशील स्थानों/प्रतिष्ठानों/हवाई अड्डों की नियमित रूप से टोह लेता है। स्वयं अपने ऑपरेशनों की योजना बनाने के लिए संवेदनशील स्थानों और प्रतिष्ठानों की टोह लेकर उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान ली गई टोह का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) संवेदनशील स्थान/ प्रतिष्ठान	—	72
(ii) हवाई अड्डे	—	23

(iii) एयरोड्रोन समिति की बैठक (एसीएम)/— 39
अपहरण—रोधी मॉक अभ्यास (एएचएमई)

प्रशिक्षण

7.58 एनएसजी इंडक्शन कोर्स

(क) एनएसजी कमांडो की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, प्रवेश मानकों को और अधिक कठोर बनाया गया है। सीएपीएफ के सभी महानिदेशकों से भी एनएसजी के लिए स्वयंसेवकों की स्क्रीनिंग करने और न्यूनतम शारीरिक तथा फायरिंग मानकों को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को और अधिक परिष्कृत एवं संकेंद्रित बनाने हेतु इसमें सुधार किया गया है।

(ख) दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक एनएसजी में सेना के 1488 कार्मिकों तथा सीएपीएफ के 683 कार्मिकों को शामिल किया गया।

7.59 एनएसजी का क्षमता निर्माण पाठ्यक्रम

(क) एनएसजी ने राज्य स्तर पर सर्वप्रथम कार्रवाई करने वालों के प्रशिक्षण में काफी प्रगति की है और दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान निम्नलिखित क्षमता निर्माण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	भाग लेने वाले राज्य/सीएपीएफ	भाग लेने वालों की संख्या
			उत्तीर्ण
1.	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण	29 एससीजी, एनएसजी, कोलकाता द्वारा संचालित कोलकाता की कॉम्बैट बटालियन के कमांडो	29
2.	आतंकवाद-रोधी प्रशिक्षण	9 बिहार रेजीमेंट के लिए प्रशिक्षण केंद्र एनएसजी, मानेसर में आयोजित	12
3.	आतंकवाद-रोधी प्रशिक्षण	12 महार रेजीमेंट हेतु 26 एससीजी, एनएसजी, मुम्बई में आयोजित	21
4.	वम निष्क्रियकरण प्रशिक्षण	दिल्ली पुलिस के लिए मुख्यालय सीटीएफ, एनएसजी मानेसर में आयोजित	26
5.	हरियाणा स्वाट-सह-वचाव दल हेतु प्रशिक्षण संबंधी अभ्यास	दूसरी बटालियन हरियाणा सशस्त्र पुलिस हेतु प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी, मानेसर में आयोजित	49
6.	संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास	6 गढ़वाल राइफल के लिए प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी, मानेसर में आयोजित	18

7.	क्यूआरटी प्रशिक्षण/ड्रिल	जाट रेजीमेंट हेतु मुख्यालय सीटीएफ, एनएसजी, मानेसर में आयोजित	12
8.	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण	केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और लक्षदीप पुलिस के लिए 27 एस सी जी, एन एम जी, चेन्नई में आयोजित	159
9.	बम निष्क्रियकरण संबंधी बुनियादी पाठ्यक्रम	18 राज्य पुलिस और 09 सीएपीएफ/ रक्षा सेवाओं हेतु प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी, मानेसर में आयोजित	158
10.	टैक्टिकल ड्राइविंग कोर्स	15 राज्य पुलिस और 09 सीएपीएफ/रक्षा सेवाओं हेतु प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी, मानेसर में	48
11.	संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास	मेघालय पुलिस के लिए प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी, मानेसर में	18
12.	पुलिस कमांडो कनवर्जन कोर्स	राज्य पुलिस के कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी, मानेसर में	161
13.	बम निष्क्रियकरण संबंधी उन्नत पाठ्यक्रम	राज्य पुलिस और सीएपीएफ के लिए प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी, मानेसर में	113
14.	राज्य पुलिस के कमांडो के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण	केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और लक्षद्वीप के कमांडो के लिए 27एससीजी, एनएसजी, चेन्नई में	87
15.	तोड़फोड़-रोधी टीमों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण	एटीएस झारखंड के लिए रांची में	32
16.	संयुक्त अभ्यास (ऑक्टोपस)	आंध्र प्रदेश पुलिस के लिए प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी, मानेसर में	18
17.	बीडीडीएम टीम के लिए विशेष प्रशिक्षण	सीआईडी हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी, मानेसर में	88
कुल			1049

(ख) राज्य/सीएपीएफ स्तरीय बम निष्क्रियकरण प्रशिक्षण — उक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित राज्यों और सीएपीएफ के लिए राज्य/

सीएपीएफ स्तरीय बम निष्क्रियकरण प्रशिक्षण संचालित किया गया:

क्र. सं.	राज्य/एजेंसी/सीएपीएफ	कुल		
		सहायक कमांडेंट	रेंजर	
(क)	कर्नाटक पुलिस	03	47	50
(ख)	हिमाचल प्रदेश	03	27	30
(ग)	अंडमान तथा निकोबार	00	20	20
(घ)	तेलंगाना पुलिस	01	35	36
(ङ)	गोवा पुलिस	00	42	42
कुल		07	171	178

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)

7.60 वर्ष 1962 में भारत-चीन संघर्ष के पश्चात "विशेष सेवा ब्यूरो" का गठन वर्ष 1963 के प्रारंभ में सीमा-पार से विध्वंस, घुसपैठ और तोड़-फोड़ के खतरे के प्रति सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों का मनोबल बढ़ाने और उनमें क्षमता का निर्माण करने के लिए मौजूदा "सशस्त्र सीमा बल" के पूर्ववर्ती बल के रूप में किया गया था। गृह मंत्रालय के अधीन यह बल वर्ष 2001 में "सीमा रक्षक बल (बीजीएफ)" बन गया और इसके कर्तव्यों के चार्टर में संशोधन करके इसका नाम 'सशस्त्र सीमा बल' रखा गया। इसे भारत-नेपाल तथा भारत-भूटान सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

7.61 सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की तैनाती 1,751 किमी. लंबे क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा पर और 699 किमी. लंबी भारत-भूटान सीमा पर की गई है। इस बल में 01 बल मुख्यालय, 06 फ्रंटियर, 18 सेक्टर, 73 बटालियन, 04 आरटीसी (रिक्रूट प्रशिक्षण केन्द्र), 02 केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, 01 "जी" स्कूल, 01 दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र, 01 आसूचना प्रशिक्षण स्कूल, 01 वायरलेस और दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, 01 एसएसबी अकादमी, 01 सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र, 01 डॉग ब्रीडिंग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, 03 कम्पोजिट अस्पताल, 01 केन्द्रीय भंडार डिपो एवं कार्यशाला (सीएसडीएंडडब्ल्यू), 03 सब-सीएसडी, 01 चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र और 01 काउंटर इंसरजेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल (सीआईएंडजेडब्ल्यूएस) शामिल हैं। भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं की रक्षा करने के अलावा, एसएसबी आंतरिक सुरक्षा और विद्रोह-रोधी कर्तव्य का निर्वहन भी करता है। एसएसबी ने अपने कार्मिकों की तैनाती जम्मू एवं कश्मीर और असम तथा छत्तीसगढ़, झारखण्ड और बिहार के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में भी की है। दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार बल के कार्मिकों की स्वीकृत संख्या 87,600 है।

सीएपीएफ में कांस्टेबलों की संशोधित भर्ती योजना

7.62 वर्ष 2011-12 से, भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, सक्षम,

प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सीएपीएफ और असम राइफल्स में कांस्टेबलों की भर्ती योजना को संशोधित किया गया है, ताकि भर्ती प्रक्रिया में व्यक्तिपरकता की गुंजाइश को कम किया जा सके तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाया जा सके। सीएपीएफ और असम राइफल्स (एआर) में कांस्टेबलों की भर्ती की संशोधित भर्ती योजना निम्नानुसार है:

- (क) सभी सीएपीएफ और असम राइफल्स के लिए भर्ती कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से एक "एकल संयुक्त परीक्षा" आयोजित करके केन्द्रीय स्तर पर की जा रही है।
- (ख) गृह मंत्रालय और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा हस्ताक्षरित कांस्टेबल (जीडी) परीक्षा, 2018 के संशोधित समझौता ज्ञापन के अनुसार, पूरे देश के अभ्यर्थियों से केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन मंगाने तथा वर्ष 2018 की परीक्षा से आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा, केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में कराने का निर्णय लिया गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में छांटे गए अभ्यर्थियों के संबंध में नोडल बल द्वारा शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी)/शारीरिक धीरज परीक्षण (पीईटी) आयोजित किया जाएगा और पीएसटी/पीईटी में सफल हुए अभ्यर्थियों के संबंध में परिणाम घोषित होने के पश्चात, अभ्यर्थियों को विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के लिए बुलाया जाएगा। तदनुसार, परीक्षा के मानदंडों के बारे में देश के सभी भागों, विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों/जम्मू एवं कश्मीर/पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित व्यापक प्रचार विंडो वाले विज्ञापन दिए जाते हैं। अभ्यर्थियों को टेलीफोन/वेबसाइट/मोबाइल फोन/एसएमएस के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।

- (ग) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कांस्टेबल (जीडी) परीक्षा, 2018 का अंतिम परिणाम दिनांक

28.01.2021 को घोषित किया गया था। कर्मचारी चयन आयोग को सूचित की गई 60,210 रिक्तियों की तुलना में, 55,915 अभ्यर्थियों का चयन किया गया और उन्हें बलों को आवंटित किया गया। सफल अभ्यर्थियों को संबंधित बलों द्वारा नियुक्ति के प्रस्ताव भी जारी किए गए हैं और वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(घ) शारीरिक धीरज परीक्षण (पीईटी) अब केवल अर्धक प्रकृति का है और इसमें कोई अंक नहीं दिया जाता है। साथ ही, साक्षात्कार को भी समाप्त कर दिया गया है।

(ङ) भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सभी भर्तियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की गई हैं।

7.63 सीमावर्ती और आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, अब रिक्तियों का आवंटन निम्नलिखित तरीके से किया जाता है:

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60 % रिक्तियों का आवंटन, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

(ख) सीमा रक्षक बलों (नामत: असम राइफल्स (एआर), बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी) में 20 % रिक्तियों का आवंटन उन सीमावर्ती जिलों को किया जाता है, जो बल की जिम्मेदारी के अंतर्गत आते हैं।

(ग) सीमा रक्षक बलों (बीजीएफ) में 20 % रिक्तियां, समय-समय पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित आतंकवाद से प्रभावित जिलों/क्षेत्रों अर्थात जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को आवंटित की जाती हैं।

(घ) सीमा रक्षक बलों (बीजीएफ) से भिन्न बलों में, 40 % रिक्तियां समय-समय पर यथा अधिसूचित आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों अर्थात जम्मू एवं

कश्मीर, पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को आवंटित की जाती हैं।

(ङ) ऐसे राज्य (राज्यों)/क्षेत्र (क्षेत्रों)/प्रदेश (प्रदेशों) के संबंध में, जहां कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति के बाद भी काफी अधिक संख्या में पद खाली रह जाते हैं, वहां गृह मंत्रालय संबंधित बल को भर्ती योजना के अनुसार उस विशिष्ट राज्य (राज्यों)/क्षेत्र (क्षेत्रों)/प्रदेश (प्रदेशों) में रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती रैलियां चलाने का निदेश देता है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिए विमान सहायता

7.64 गृह मंत्रालय के संरक्षण में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का एयरविंग हताहतों को निकालने के लिए सीएपीएफ को विमान सहायता उपलब्ध कराने, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित सीमा चौकियों (बीओपी) के हवाई अनुरक्षण, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल-रोधी अभियानों में लगी टुकड़ियों के लिए पर्याप्त विमान सहायता का प्रावधान करने, ऑपरेशन के प्रयोजन से टुकड़ियों को लाने-ले-जाने, प्राकृतिक आपदा और राष्ट्रीय संकट के दौरान सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए दिनांक 01.05.1969 को अस्तित्व में आया। इसमें दो विंग अर्थात स्थायी विंग और रोटरी विंग हैं। रोटरी विंग का विगत कुछ वर्षों में विस्तार किया गया है। इस समय, इसके बेड़े में 01 इम्ब्रेयर 135 बीजे एकजीक्यूटिव जेट, 06 एमआई-17 1वी, 08 एमआई-17 वी5, 06 एएलएच/ध्रुव और 01 चीता हेलीकॉप्टर शामिल हैं।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) का आधुनिकीकरण

7.65 सीएपीएफ को सामान्य प्रावधान शीर्ष (अर्थात हथियार एवं गोला-बारूद, वर्दी और शिविर, मशीनरी एवं उपकरण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा मोटर वाहन) के अंतर्गत अपनी ऑपरेशनल आवश्यकता वाली वस्तुओं जैसे कि हथियार और गोला-बारूद, निगरानी उपकरण,

प्रशिक्षण उपकरण, संचार उपकरण, आईटी उपकरण, विशेष वाहन, रक्षात्मक गियर, दंगा-रोधी उपकरण, अत्यधिक प्रतिकूल मौसम वाली वर्दी आदि के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि प्राधिकार के अनुसार

कमी पूरी की जा सके और मौजूदा इनवेन्ट्री को बनाए रखने के लिए ठीक न हो सकने वाली वस्तुओं को बदला जा सके। वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित और खर्च की गई निधियों का बल-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	सीएपीएफ	वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान	वर्ष 2021-22 के लिए व्यय	बजट अनुमान के संदर्भ में % व्यय
1.	सीआरपीएफ	1200.86	968.46	80.65
2.	बीएसएफ	587	571.32	97.33
3.	एआर	428.9	299.42	69.81
4.	आईटीबीपी	256.18	168.23	65.67
5.	एसएसबी	238.1	176.64	74.19
6.	सीआईएसएफ	188.79	193.05	102.26
7.	एनएसजी	168.7	119.58	70.88
	कुल	3068.53	2496.70	81.36

7.66 सामान्य प्रावधान शीर्ष के अलावा, कुल 1053 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ दिनांक 31.03.2020 तक कार्यान्वित किए जाने हेतु सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) द्वारा दिनांक 08.06.2018 को आधुनिकीकरण योजना-III अनुमोदित की गई थी और सीएपीएफ को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस करने

तथा आंतरिक सुरक्षा के प्रति बढ़ती हुई चुनौतियों से पर्याप्त रूप से निपटने के लिए इसे दिनांक 31.12.2021 तक आगे बढ़ा दिया गया था। आधुनिकीकरण योजना-III के तहत बल-वार स्वीकृत परिव्यय, आवंटित निधि और उनके उपयोग की स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	सीएपीएफ	परिव्यय	दिनांक 15.06.2018 से आधुनिकीकरण योजना-III के तहत कुल संशोधित आवंटन	आधुनिकीकरण योजना-III के तहत कुल व्यय	संशोधित आवंटन के संदर्भ में % व्यय
1.	सीआरपीएफ	302.23	177.49	145.35	81.89
2.	बीएसएफ	282.47	79.88	64.77	81.08
3.	एआर	140.78	66.55	39.74	59.71
4.	सीआईएसएफ	104.35	32.26	24.84	77.00
5.	आईटीबीपी	102.02	35.49	25.04	70.57
6.	एसएसबी	71.93	29.61	26.81	90.54
7.	एनएसजी	49.22	18.49	2.27	12.28
	कुल	1053	439.77	328.82	74.77

7.67 आधुनिकीकरण योजना III के तहत सीएपीएफ द्वारा खरीदे गए प्रमुख हथियार, उपकरण और वाहन इस प्रकार हैं: मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (यूबीजीएल), असॉल्ट राइफल, 9 एमएम एसएमजी बेरेटा, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल इक्विपमेंट, नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर (एनओसी) वाहन, माइन प्रोटेक्टेड वाहन, मध्यम बुलेट प्रूफ वाहन, लाइट बुलेट प्रूफ वाहन, मिनी रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल (आरओवी), मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), विशेष रूप से हल्के वजन वाले रकसैक, हल्के वजन वाले स्लीपिंग बैग, दो इंजन वाले एफआरपी स्पीड बोट, आईएफएटी/आईएसएटी, एएलएस एम्बुलेंस, हैंड हेल्ड सैटेलाइट ट्रैकर, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर और सैटेलाइट फोन। चूंकि आधुनिकीकरण योजना-III दिनांक 31.12.2021 को समाप्त हो गई है, इसलिए सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) द्वारा सीएपीएफ के लिए आधुनिकीकरण योजना-IV अनुमोदित की गई है, जिसे दिनांक 31.03.2026 तक कार्यान्वित किया जाएगा।

7.68 स्वदेशी और खादी को बढ़ावा

(क) सरसों का तेल — वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) से 180 रुपये प्रति लीटर की दर से कुल 5.35 करोड़ रुपये की लागत से 2970.24 किंवाटल सरसों के तेल की खरीद की गई है।

(ख) सूती बिस्तर की दरी — आईटीबीपी ने केवीआईसी से प्रति इकाई 509.25 रुपये की लागत पर सीएपीएफ (बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी) के लिए कुल 9.72 करोड़ रुपये की लागत से 1,90,858 दरियों की खरीद की है।

(ग) कंबल — सीएपीएफ (असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी) के लिए प्रति इकाई 1250 रुपये + 12% जीएसटी की दर से 12,825 ऊनी कंबलों के लिए सीआरपीएफ द्वारा केवीआईसी को आपूर्ति का आदेश दिया गया है। 500 कंबलों की आपूर्ति प्राप्त हो गई है।

पुलिस सेवा के9 (पुलिस के श्वान)

7.69 'पुलिस के9 सेल' की स्थापना 'देश में पुलिस सेवा

के9 (पीएसके) की टीमों को मुख्यधारा में लाने और उसका संवर्धन करने के अधिदेश के साथ दिनांक 01.11.2019 से पीएम प्रभाग के तहत की गई थी। दुनिया भर में प्रचलित समकालीन श्वान प्रशिक्षण तकनीकों के अनुसार वर्तमान के9 पद्धतियों का सफलतापूर्वक आधुनिकीकरण करके थोड़े से समय के भीतर पर्याप्त प्रगति की गई है। विभिन्न सीएपीएफ के बीच पीएसके से संबंधित सर्वोत्तम पद्धतियों में एकरूपता लाने और साथ ही विभिन्न पुलिस बलों तथा विधि प्रवर्तन संगठनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर-संचालनीयता प्राप्त करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में एसओपी और नीतिगत निर्देश तैयार करके जारी किए गए हैं। इस संदर्भ में, निम्नलिखित पहल की गई हैं:

(क) निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी)/ दिशानिर्देश जारी किए गए हैं:

(i) दिनांक 23.04.2021 को सीएपीएफ से प्रशिक्षित "पीएसके" के बिक्री मूल्य का निर्धारण।

(ii) सीएपीएफ के बीच श्वान संचालकों (डॉग हैंडलर्स) के चयन के संबंध में दिनांक 15.09.2021 को एसओपी।

(iii) सीपीएफ के श्वान प्रशिक्षण एवं ब्रीडिंग केंद्रों से पिल्लों और प्रशिक्षित श्वानों की बिक्री के संबंध में दिनांक 14.01.2022 को एसओपी तैयार की गई।

(ख) पुलिस ड्यूटी के लिए भारतीय भवानों की नस्लों का परीक्षण: भारतीय श्वान की 'मुडोल हाउंड' नस्ल का परीक्षण सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और आईटीबीपी द्वारा पहले ही किया जा चुका है। कुछ अन्य भारतीय श्वानों की नस्लों जैसेकि बीएसएफ में 'रामपुर हाउंड' और सीआरपीएफ में 'कोम्बई' का भी परीक्षण चल रहा है। इसके अलावा, मंत्रालय ने हिमालयन माउंटेन डॉग (जैसेकि हिमाचली शेफर्ड/ गद्दी/ बखरवाल/ तिब्बती मास्टिफ) का भी बीएसएफ, आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) द्वारा एक साथ परीक्षण करने का आदेश दिया है, जो वर्तमान में चल रहा है।

(ग) पुलिस सेवा के 9 (पी एस के) संबंधी संस्कृति और पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाना: मंत्रालय ने “पीएसके” के विषय पर सीएपीएफ और अन्य पुलिस/विधि प्रवर्तन संगठनों के बीच एक दूसरे से सीखने और सहयोग करने की संस्कृति और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस संबंध में, मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) राष्ट्रीय पुलिस के 9 सेमिनार— “वार्षिक राष्ट्रीय पुलिस के 9 सेमिनार” एक दूसरे के अनुभवों से सीखने की सुविधा के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) द्वारा 24-25 फरवरी, 2021 को दूसरे राष्ट्रीय पुलिस के 9 सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय/राज्य पुलिस, विधि प्रवर्तन और रक्षा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न सुरक्षा संगठनों के 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(ii) एमएचए पुलिस के 9 कार्यशालाएँ— “के 9 के कार्यनिष्पादन को बढ़ाने के लिए कमियों को दूर करने” के उद्देश्य से विभिन्न पुलिस संगठनों के साथ “पुलिस के 9 कार्यशालाएँ” भी आयोजित की

जा रही हैं। इन कार्यशालाओं के दौरान, पीएसके के बारे में मंत्रालय द्वारा विकसित विभिन्न सर्वोत्तम पद्धतियों के प्रदर्शन के अलावा ‘के 9 प्रशिक्षण की आधुनिक भाषा’ के संबंध में भी प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान की जा रही है।

(iii) राष्ट्रीय पुलिस के 9 पत्रिका— इसके अलावा, मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई के दौरान द्वि-वार्षिक ‘राष्ट्रीय पुलिस के 9 पत्रिका’ का प्रकाशन भी शुरू किया है। यह पत्रिका “पीएसके” के क्षेत्र में एक-दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, अनुभवों और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने की सुविधा के लिए पीएम प्रभाग के “पुलिस के 9 सेल” द्वारा प्रकाशित की जाती है। आरंभिक अंक को प्रकाशित करके दिनांक 02.01.2021 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा औपचारिक रूप से जारी किया गया था। इसका दूसरा अंक जुलाई 2021 में जारी किया गया था और तीसरा अर्थात् जनवरी, 2022 का अंक मार्च, 2022 में जारी किया गया है।

प्रमुख खरीद

7.70 वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अब तक सीएपीएफ को जारी की गई व्यय संबंधी स्वीकृतियाँ:

क्र.सं.	स्वीकृति की तारीख	संगठन	मामले का संक्षिप्त विवरण	राशि
1.	05.04.2021	आईबी	मैसर्स आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से मैक नेटवर्क उपकरण के एएमसी (सीएमएसी) का अगले एक वर्ष अर्थात् दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक के लिए विस्तार।	6,16,66,666.00 रुपये
2.	27.04.2021	आईबी	आईबी के एचईएनएचएफ/ यूएचएफ नेटवर्क पर प्रीक्वेसी असाइनमेंट के लिए व्यय की स्वीकृति और स्पेक्ट्रम शुल्क का अग्रिम भुगतान।	57,05,625.00 रुपये
3.	15.06.2021	एसएसबी	टॉलरेंस क्लॉज के तहत अतिरिक्त पुर्जों और सहायक उपकरणों के साथ 775 कार्बाइन 9x19 एमएम (क्लोज क्वार्टर बैटल वेपन) की खरीद के लिए व्यय की स्वीकृति का पुनर्वैधीकरण।	8,81,795.63 यूरो

4.	15.06.2021	एसएसबी	विकल्प खंड के तहत 338 बुलेट-रोधी जैकेट की खरीद।	1,43,73,704.00 रुपये
5.	29.06.2021	आईबी	आईबी के लिए पीएसआई आधार पर 3 वर्ष की वारंटी के साथ मोबाइल उपग्रह सेवा (एमएसएसएम) टर्मिनल (50 मैग पैक सैटकॉम टर्मिनल और 100 हैंडहेल्ड सैटकॉम टर्मिनल) की आपूर्ति और परीक्षण के लिए व्यय की स्वीकृति का पुनर्वैधीकरण।	9,29,50,405.00 रुपये
6.	17.08.2021	आईबी	आईबी के लिए जीसैट 18-में 12मेगाहर्ट्ज स्पेस सेगमेंट के उपयोग हेतु वार्षिक लीज शुल्क के लिए व्यय की स्वीकृति।	2,26,44,333.00 रुपये
7.	22.09.2021	आईबी	दिल्ली क्षेत्र के लिए आईबी के अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी (यूएचएफ) नेटवर्क पर फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट के लिए व्यय की स्वीकृति और स्पेक्ट्रम शुल्क का अग्रिम भुगतान।	2,26,650.00 रुपये
8.	22.09.2021	आईबी	आईबी मुख्यालय, नई दिल्ली में "केंद्रीय डेटा केंद्र" की स्थापना के लिए व्यय की स्वीकृति का पुनर्वैधीकरण।	19,95,68,038.00 रुपये 7,06,47,096.00 रुपये
9.	01.11.2021	बीएसएफ	दिनांक 09.03.2021 के "ए टी" विकल्प के तहत 5325 बीआर हेलमेट की खरीद हेतु व्यय की स्वीकृति।	3,67,58,475/- रुपये
10.	17.11.2021	सीआरपी एफ	18 हाइड्रोलिक ट्रैक्टर ट्रैलरों की खरीद के लिए संशोधित व्यय की स्वीकृति।	32,21,982/- रुपये

सीएपीएफ के आधुनिकीकरण पर व्यय

7.71 आंतरिक सुरक्षा को कायम रखने और देश की सीमाओं की रक्षा करने में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) द्वारा निभाई जा रही अत्यधिक महत्वपूर्ण और उच्च जोखिम वाली भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए, बजट प्रावधानों में उसी के अनुरूप वृद्धि की जाती रही है, जैसा कि अनुलग्नक-X में दिए गए पिछले 10 वित्तीय वर्षों के वास्तविक व्यय के आंकड़ों से देखा जा सकता है।

अवसंरचना का विकास

7.72 वर्ष 2021-22 (दिनांक 31.12.2021 तक) के दौरान, सीएपीएफ हेतु अवसंरचना के निर्माण के लिए

409.80 करोड़ रुपये और भूमि के अधिग्रहण के लिए 98.69 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

सीएपीएफ की आवास परियोजना

7.73 सरकार ने दिनांक 10.11.2015 के आदेश के तहत 3090.98 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के लिए 13,072 घरों और 113 बैरकों के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया था, जिसमें से दिनांक 31.12.2021 तक 9988 घरों और 95 बैरकों का निर्माण किया जा चुका है। 2975 घर तथा 18 बैरक निर्माणाधीन हैं और शेष 109 घरों की निविदा प्रक्रिया चल रही है।

कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी)

7.74 सीएपीएफ के कार्मिकों के कल्याण और पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 17.05.2007 को एक "कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी)" की स्थापना की गई थी। डब्ल्यूएआरबी का प्रारंभिक कार्य पद पर रहने के दौरान मरने वाले कार्मिकों के आश्रितों और अशक्त होने वाले लोगों को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, भूमि/सम्पत्ति संबंधी मुद्दों, गंभीर चिकित्सा समस्याओं आदि से निपटने में तत्काल सहायता प्रदान करना है। वर्तमान में, सीएपीएफ के कार्मिकों के कल्याण हेतु संपूर्ण देश में 06 केन्द्रीय कल्याण अधिकारी (सीडब्ल्यूओ), 30 राज्य कल्याण अधिकारी (एसडब्ल्यूओ) और 155 जिला कल्याण अधिकारी (डीडब्ल्यूओ) कार्यरत हैं। पूर्व सीएपीएफ और असम राइफल्स कार्मिकों के कल्याण और शिकायत के निवारण हेतु, डब्ल्यूएआरबी कार्यालय, नई दिल्ली में एक हेल्पलाइन नंबर 011-23063111 कार्यशील है। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से पूर्व सीएपीएफ और असम राइफल्स के कार्मिकों के पेंशन संबंधी लाभ, पुनर्वास, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के भुगतान से संबंधित शिकायतों और अन्य मुद्दों का निपटान किया जाता है।

7.75 सीएपीएफ के कार्मिक आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने और अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने में मूल्यवान सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कभी-कभी, किसी आतंकवाद-रोधी/नक्सली संघर्ष अथवा किसी अन्य आंतरिक सुरक्षा संबंधी कार्रवाई में भाग लेने पर उनका कोई अंग-भंग हो जाता है या वे अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं। इन कटु वास्तविकताओं पर विचार करते हुए, सीएपीएफ ने सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त स्वयं अपनी अंशदायी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, कल्याण निधि, राहत निधि, बीमा निधि और शिक्षा निधि सृजित की गई हैं। इन सबके अलावा, दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के मृत कार्मिकों के निकटतम संबंधी (एनओके) को एकमुश्त अनुग्रह मुआवजे के भुगतान के लिए 57.22 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है।

केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी)

7.76 गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना, उचित दरों पर और सुविधाजनक स्थानों पर पूर्व कार्मिकों एवं उनके परिवारों सहित सीएपीएफ और पुलिस बलों के कार्मिकों को उपभोक्ता वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा सितंबर, 2006 में "केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी)" की शुरुआत की गई थी, जिसे पहले केंद्रीय पुलिस बल कैटीन प्रणाली (सीपीएफसीएस) कहा जाता था। आज की तारीख तक, 119 मास्टर कैटीनें और 1911 सहायक कैटीनें चल रही हैं।

केपीकेबी में स्वदेशी

7.77 मंत्रालय ने दिनांक 01.06.2020 से "केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी)" और इसके स्टोर्स के माध्यम से केवल स्वदेशी उत्पादों की बिक्री करने के बारे में निर्देश जारी किए हैं। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए, यह भी निर्णय लिया गया है कि केपीकेबी के माध्यम से "खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)" के उत्पादों की भी बिक्री की जाएगी। इस समय, इसके आउटलेट्स के माध्यम से बिक्री के लिए बत्तीस (32) केवीआईसी उत्पादों जैसे कि खादी राष्ट्रीय ध्वज, अचार, सरसों का तेल, धूपबत्ती, अगरबत्ती, दलिया, शहद और तौलिया को केपीकेबी में पंजीकृत किया गया है।

प्रधानमंत्री की छात्रवृत्ति योजना

7.78 सीएपीएफ के कार्मिक अपनी अत्यन्त कठिन ड्यूटी के दौरान वर्षों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं और वे अपनी प्रतिबद्धताओं को समुचित रूप से पूरा करने की स्थिति में नहीं होते हैं। उनके बच्चे माता-पिता की अपेक्षित सहायता से वंचित रह जाते हैं। इस पर विचार करते हुए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के कार्मिकों के आश्रित बच्चों एवं विधवाओं को उच्चतर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री की 'मेरिट छात्रवृत्ति योजना' शुरू की गई है। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से लड़कों के लिए छात्रवृत्ति की 2000/- रुपये प्रतिमाह की मौजूदा दर को बढ़ाकर

2500/- रुपये प्रतिमाह कर दिया है और लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति की 2250/- रुपये प्रतिमाह की मौजूदा दर को बढ़ाकर 3000/- रुपये प्रतिमाह कर दिया है। यह योजना आतंकी/नक्सली हमले में शहीद होने वाले विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पुलिस कार्मिकों के आश्रित बच्चों के लिए भी लागू कर दी गई है। उपर्युक्त के अलावा, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से, मौजूदा 42 पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, 80 नए व्यावसायिक/तकनीकी डिग्री पाठ्यक्रमों, प्रबंधन और अन्य पाठ्यक्रमों को भी पात्र बनाया गया है।

सीएपीएफ कार्मिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएँ

7.79 सीएपीएफ के कार्मिक अपनी ड्यूटी कठिन परिस्थितियों के अधीन असुविधाजनक वातावरण में निष्पादित करते हैं और उन्हें सीमाओं पर उँचाई वाले स्थानों पर अथवा नक्सलियों एवं आतंकवादियों के विरुद्ध प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, सीएपीएफ के कार्मिकों को मानसिक रूप से अत्यधिक सजग और शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रहना होता है। सीएपीएफ के कार्मिकों का उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों के मद्देनजर, लगातार तनाव एवं दबाव से मुक्त रखने हेतु, सीएपीएफ ने अपने कार्मिकों के लिए निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं:

(क) देश के आंतरिक क्षेत्रों में रहने वाले सीएपीएफ कार्मिकों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य की देखभाल का लाभ प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा एक संयुक्त पहल की गई है, जिसके तहत सभी सात बलों अर्थात् असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी तथा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के सेवारत सीएपीएफ कार्मिकों और उनके आश्रितों को आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैंशलेस स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। यह योजना दिनांक 23.01.2021 को असम में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी। "आयुष्मान सीएपीएफ" योजना पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। आयुष्मान भारत और सीएपीएफ का परस्पर संयोजन

अपनी तरह की पहली पहल है, जिससे मौजूदा मजबूत आईटी ढांचे की क्षमता और अधिक बढ़ी है तथा एबी-पीएमजेएवाई के तहत पैनल में शामिल 24,000 निजी अस्पतालों के नेटवर्क तक पहुंच का लाभ मिला है। इस योजना के तहत पूरे देश में सीजीएचएस के पैनल में शामिल और साथ ही पीएम-जेएवाई के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में डायग्नोस्टिक्स सहित कैंशलेस ओपीडी/आईपीडी उपचार प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत, सीएपीएफ कार्मिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगभग 35 लाख "आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य कार्ड" पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।

- (ख) सभी सीएपीएफ की यूनिटों में उसके एकीकृत हिस्से के रूप में इन्डोर सुविधाओं के साथ एक यूनिट अस्पताल उपलब्ध है। प्रत्येक अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ हैं और वे अपेक्षित उपकरण, दवाइयों तथा आवश्यक प्रयोगशाला अवसंरचना से लैस हैं।
- (ग) पूरे देश में पचास बेड वाले 33 कम्पोजिट अस्पताल तथा सौ बेड वाले 06 कम्पोजिट अस्पताल और ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में दो सौ बेड वाले एक रेफरल अस्पताल की स्थापना करके सीएपीएफ के लिए चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया गया है।
- (घ) इन कम्पोजिट अस्पतालों और रेफरल अस्पतालों के माध्यम से, कार्मिकों को स्पेशलाइज्ड उपचार प्रदान किया जा रहा है।
- (ङ) सभी सीएपीएफ कार्मिक, चाहे वे किसी भी बल के साथ संबद्ध हों, पूरे देश में स्थित किसी भी सीएपीएफ के कम्पोजिट अस्पताल में मुफ्त उपचार प्राप्त कर सकते हैं।
- (च) 200 बेड वाले रेफरल अस्पताल, जो सीएपीएफ का एक तृतीयक देखभाल वाला सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल है, ने दिनांक 15.10.2015 से ग्रेटर नोएडा में काम करना शुरू कर दिया है। यह अस्पताल सीएपीएफ कार्मिकों और उनके परिवारों को तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराता है। इस अस्पताल ने कोविड-19 की पहली

और दूसरी लहर के दौरान कई कोविड सीएपीएफ कार्मिकों, उनके परिवारों एवं आम नागरिकों का इलाज किया है तथा कीमती जान बचाई है।

- (छ) सरकार ने मैदानगढ़ी, नई दिल्ली में 500 बेड वाले सामान्य अस्पताल, 300 बेड वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, एक नर्सिंग कॉलेज और एक स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स सहित “केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान (सीएपीएफआईएमएस)” की स्थापना की भी मंजूरी प्रदान की है।
- (ज) नए स्वीकृत “केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान (सीएपीएफआईएमएस)” का काम सीपीडब्ल्यूडी को सौंपा गया है और यह निर्माणाधीन है।
- (झ) पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर सीएपीएफ के 32 कम्पोजिट अस्पतालों को सीएपीएफ के कोविड-19 रोगियों के पृथक्वास-सह-उपचार (आइसोलेशन-कम-ट्रीटमेंट) के उद्देश्य से “समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र (डीसीएचसी)” के रूप में नामित किया गया है और उक्त अस्पतालों ने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 रोगियों का इलाज भी किया था।
- (ञ) अस्पतालों के सुचारु संचालन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रायय (एमओएच एवं एफडब्ल्यू) के सहयोग से, “समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्रों” को आवश्यकता के अनुसार जरूरी वस्तुएं/उपकरण अर्थात् ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, मास्क, पीपीई किट, गॉगल्स, गाउन और दस्ताने आदि भी वितरित किए गए हैं। इसके अलावा, कोविड-19 वैश्विक महामारी के निर्देश/दिशानिर्देश सख्त अनुपालन के लिए समय-समय पर सीएपीएफ के डीसीएचसी अस्पतालों को भी परिचालित किए गए हैं।
- (ट) दूसरी लहर के दौरान, सीएपीएफ ने दिल्ली कैंट में डीआरडीओ कोविड अस्पताल, गुजरात के कोविड अस्पताल और छतरपुर, नई दिल्ली में एसपीसीसीसी को 110 चिकित्सा अधिकारी और 280 पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराए हैं।
- (ठ) “एबी पीएम-जेएवाई” के तहत पंजीकृत लाभार्थियों

को उपचार प्रदान करने के लिए, पूरे देश में सीएपीएफ, एनएसजी और असम राइफल्स के 545 अस्पतालों को एनएचए के साथ पंजीकृत/पैनलबद्ध किया गया है।

सीएपीएफ और असम राइफल्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

7.80 महिला सशक्तिकरण समिति (2010-11) ने अपनी छठी रिपोर्ट (पंद्रहवीं लोकसभा) और नौवीं रिपोर्ट में ‘अर्धसैनिक बलों में महिलाएं’ विषय पर सिफारिशें दी हैं। अर्धसैनिक बलों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित संसदीय समिति द्वारा अपनी छठी रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार, वर्ष 2011 में सभी सीएपीएफ को बलों में महिलाओं का प्रतिशत 5% तक लाने के निर्देश जारी किए गए थे। तथापि, दिनांक 05.01.2016 को, शुरू में सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में महिला कार्मिकों के लिए कांस्टेबल स्तर पर 33% पदों और सीमा रक्षक बलों (बीजीएफ) अर्थात् बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और आईटीबीपी में कांस्टेबल स्तर पर 14-15% पदों को आरक्षित करने के निर्देश जारी किए गए थे।

7.81 महिला पुलिस अधिकारियों को पुलिस व्यवस्था की मुख्यधारा में लाने हेतु जेंडर सेंसिटाइजेशन, लड़ाई का प्रशिक्षण जैसे विषयों को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनर्विन्यास करने, सिलेबस का पुनर्विन्यास करने, अधिकाधिक महिलाओं को ऑपरेशनल ड्यूटी सौंपने जैसे अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (क) सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कर रहे हैं और उन्होंने शिकायत समितियां गठित की हैं। इन समितियों की अध्यक्ष पर्याप्त रूप से वरिष्ठ रैंक की महिला अधिकारी होती हैं। कथित रूप से गलत कार्य करने वाले अधिकारी से वरिष्ठ महिला अधिकारी के उपलब्ध न होने पर, संबंधित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल दूसरे संगठन से अध्यक्ष की तैनाती कराने के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क करता है।

- (ख) सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच-पड़ताल करने के लिए शिकायत समितियों में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को पहले ही शामिल कर लिया है। उन्हें यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत की जाँच में शामिल किया जाता है। अर्ध सैनिक बलों में यौन उत्पीड़न से संबंधित अनुशासनिक मामलों की मानीटरिंग की जा रही है, ताकि जल्दी से उनका निपटान सुनिश्चित किया जा सके।
- (ग) जेंडर सेंसिटाइजेशन और सरकारी सेवाओं में इसके प्रभाव के बारे में सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा अपने कार्मिकों को शिक्षित करने के कार्यक्रम पहले ही संचालित किए जा चुके हैं और इसे विभिन्न रैंकों के बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सभी सेवाकालीन पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाया गया है। जेंडर सेंसिटाइजेशन के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुदेशकों का एक प्रशिक्षित पूल तैयार करने के उद्देश्य से, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी संचालित किया जाता है।
- (घ) सभी बलों द्वारा अपने स्थायी स्थानों/परिसरों में आवश्यकता के आधार पर महिला कर्मचारियों के लिए पृथक शौचालय पहले ही बनाए जा चुके हैं। अन्य क्षेत्रों में, जहां उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हैं, महिला कर्मचारियों के उपयोग के लिए छोटे तंबू के भीतर कमोड लगाकर उन्हें शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। चूंकि वाहनों में परिवर्तन करना संबंधित महानिदेशकों की वित्तीय शक्तियों के भीतर शामिल है, इसलिए जरूरत के आधार पर पर्याप्त संख्या में वाहनों में तदनुसार बदलाव किया गया है, ताकि विशेष रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही और पिकेट की ड्यूटी के दौरान महिला कार्मिकों की जरूरत को पूरा करने के लिए मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराए जा सकें।
- (ङ) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) द्वारा आवश्यकता के आधार पर महिला कर्मचारियों के लिए 'क्रेच' और 'डे केयर सेंटर्स' की सुविधा प्रदान की गई है। क्रेच सुविधाओं की स्थापना से संबंधित जरूरतों को पूरा करने हेतु केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस

बलों (सीएपीएफ) को नियमित आधार पर पृथक बजटीय आवंटन का प्रावधान किया गया है।

- (च) कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के मामले में महिला पुलिस की बढ़ती हुई मांग पर विचार करते हुए और साथ ही बलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के स्तर को बढ़ाने के लिए, सरकार ने वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान सीआरपीएफ में 2 पुरुष बटालियनों की बजाय 2 महिला बटालियनों के गठन का अनुमोदन प्रदान किया है।
- 7.82 सीएपीएफ में महिला कार्मिकों की भर्ती को प्रोत्साहित करने और सीएपीएफ में महिला कार्मिकों के प्रतिनिधित्व में सुधार हेतु भी निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
- (क) प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करके भर्ती की जा रही है। सभी महिला अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
- (ख) सीएपीएफ में भर्ती के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की तुलना में सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और शारीरिक धीरज प्रशिक्षण (पीईटी) में छूट है।
- (ग) केंद्र सरकार के तहत पहले से उपलब्ध सुविधाएं जैसे कि मातृत्व अवकाश, चाइल्ड केयर लीव सीएपीएफ की महिला कार्मिकों के लिए भी लागू हैं।
- (घ) महिला कार्मिकों की भर्ती करने के लिए एक महिला सदस्य को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है।
- (ङ) महिला कार्मिकों को उनके कैरियर में प्रगति अर्थात् पदोन्नति/वरिष्ठता में भर्ती नियमों के अनुसार उनके समकक्ष पुरुष कार्मिकों के समान अवसर प्रदान किया जाता है।
- (च) दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में महिलाओं की वर्तमान संख्या निम्नानुसार है:

बल	कुल स्वीकृत संख्या	कुल तैनाती की संख्या	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
सीआरपीएफ	324654	307794	9859	3.20
बीएसएफ	265277	246385	7472	3.03
सीआईएसएफ	163498	144977	9214	6.35
आईटीबीपी	88430	83790	2378	2.83
एसएसवी	97790	87457	3599	4.12
असम राइफल्स (एआर)	65143	59438	1761	2.96
कुल	1004792	929841	34283	3.69

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती

7.83 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के अनुरोध पर लोक व्यवस्था बनाए रखने में उनकी सहायता करने के लिए तैनात किया जाता है। इन बलों की तैनाती समग्र सुरक्षा की स्थिति और बलों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ये बल देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति के समग्र प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। उन्होंने विभिन्न राज्यों में विधान सभा चुनावों और उप-चुनावों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजन में भी सहायता प्रदान की है।

7.84 वर्ष के दौरान, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, मेघालय) में उप-चुनावों के लिए सीएपीएफ को मोबिलाइज करके तैनात किया गया। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव- 2021 हेतु बड़ी संख्या में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/राज्य सशस्त्र पुलिस/ इंडिया रिजर्व बटालियन/ बॉर्डर विंग होमगार्ड्स को भी मोबिलाइज करके तैनात किया गया।

7.85 वर्ष 2021-22 (दिनांक 31.12.2021 तक) के दौरान, सीएपीएफ ने आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ने में पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) को सहायता देना भी जारी रखा।

7.86 अनेक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों यथा दिल्ली, तेलंगाना, असम, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, पुदुचेरी, जम्मू एवं कश्मीर, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, हरियाणा, त्रिपुरा, मिजोरम, लद्दाख, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ में शांति एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कायम रखने और कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी के लिए भी सीएपीएफ को तैनात किया गया।

राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियनों (आईआर बटालियनों) का गठन

7.87 विभिन्न प्रकार की कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा की स्थितियों से निपटने हेतु राज्यों की क्षमता को सुदृढ़ करने और सीएपीएफ पर उनकी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से वर्ष 1971 में राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियनों (आईआर बटालियनों) गठित किए जाने की एक योजना शुरू की गई थी। अब तक, 185 इंडिया रिजर्व बटालियनें स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 01 इंडिया रिजर्व बटालियन को स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी) में परिवर्तित किया गया था। अब तक स्वीकृत कुल 185 आईआर बटालियनों में से, 159 आईआर बटालियनों का गठन किया जा चुका है।

7.88 आईआर बटालियनों के लिए वर्तमान वित्तपोषण की पद्धति निम्नानुसार है:

- (क) एक आईआर बटालियन के गठन की मानक लागत 34.92 करोड़ रुपये है, जिसमें से भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के रूप में राज्यों को इसके

75% राशि (26.19 करोड़ रुपये) की प्रतिपूर्ति की जाती है और राज्यों द्वारा अपने हिस्से के रूप में शेष 25% राशि का वहन स्वयं करना होता है।

(ख) इसके अतिरिक्त, भारत सरकार वास्तविक व्यय के आधार पर 25.00 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन, आईआर बटालियनों की अवसंरचना लागत के 50% हिस्से की प्रतिपूर्ति करेगी। बटालियनों के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जानी है।

(ग) इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा एक आईआर बटालियन के लिए कुल 51.19 करोड़ रुपये की धनराशि की प्रतिपूर्ति की जानी है।

7.89 वर्ष 2021-22 में, अनुदान सहायता के तहत 55 करोड़ रुपए, स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी) के लिए 15 करोड़ रुपये तथा ऋण और अग्रिम के तहत 1.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, कोई भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि कोई भी दावा प्राप्त नहीं हुआ था।

7.90 सरकार द्वारा वर्ष 2011 में इंजीनियरिंग के घटक के साथ "स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी)" की एक योजना इस लक्ष्य के साथ अनुमोदित की गई थी कि ये एसआईआरबी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में ग्रामीण सड़कों, स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्रामीण जल आपूर्ति आदि जैसे छोटे विकास कार्यों को निष्पादित करेंगी। शुरु में, 10 एसआईआरबी की मंजूरी दी गई थी और 01 आईआर बटालियन को एसआईआरबी (कुल 11) में परिवर्तित किया गया था। प्रति एसआईआरबी प्रतिपूर्ति की जाने वाली कुल लागत 161 करोड़ रुपये है। इनमें से, केवल 03 बटालियनों का ही एसआईआरबी के रूप में गठन किया गया है। शेष 08 एसआईआरबी के लिए, इंजीनियरिंग कम्पनियों को इस शर्त के साथ सुरक्षा कम्पनियों के रूप में परिवर्तित किया गया है कि एसआईआरबी के लिए प्रतिपूर्ति की लागत गृह मंत्रालय के दिनांक 27.08.2018 के पत्र के तहत प्रति आईआर बटालियन के अनुसार (अर्थात 51.19 करोड़ रुपये प्रति बटालियन) होगी। बजट अनुमान 2021-22 में, एसआईआरबी के गठन के लिए अनुदान-सहायता के अंतर्गत 5.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तथापि, दिनांक 31.12.2021 तक कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा पौधारोपण अभियान – 2021

7.91 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) 'पर्यावरण' के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक हैं और वे अपने परिसरों के अन्दर और उसके आस-पास पौधारोपण अभियान चलाते रहे हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के आह्वान पर, सीएपीएफ ने जनवरी, 2021 से दिनांक 31.12.2021 तक बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया और 28 राज्यों तथा 06 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में स्थित अपने 1216 परिसरों और अपनी तैनाती वाले स्थानों पर 1,06,87,894 करोड़ पौधे लगाए। सीएपीएफ, एआर और एनएसजी की यह उपलब्धि न केवल पर्यावरण के लिए उनकी चिंता को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक कार्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

भारत के वीर

7.92 "भारत के वीर" पोर्टल को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 09.04.2017 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य उन लोगों को सुविधा प्रदान करना है, जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के शहीदों के निकटतम संबंधियों (एनओके) हेतु योगदान करने के इच्छुक हैं। दान देने वाले लोग पोर्टल के माध्यम से सीधे एनओकेएस के खाते में अथवा "भारत के वीर" नामक कॉर्पस में अंशदान कर सकते हैं। "भारत के वीर" ट्रस्ट में केंद्रीय गृह सचिव सेटलर/प्रवर्तक (ऑथर) के रूप में और सीएपीएफ के महानिदेशक सदस्य ट्रस्टी के रूप में शामिल हैं। "भारत के वीर" के माध्यम से किए गए सभी अंशदान को धारा 80 जी और 12ए के तहत आयकर से छूट प्राप्त है। भारत के वीर पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के क्लाउड सर्वर में होस्ट किया गया है और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) भुगतान गेटवे के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। दान देने वाले लोग डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से और साथ ही "भारत के वीर" के नाम चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से भी अंशदान कर सकते हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों के लिए "भारत के वीर" में अंशदान को "कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)" संबंधी गतिविधियों के भाग के रूप में भी शामिल किया है।

7.93 दान देने वाले लोग पोर्टल के माध्यम से, शहीदों के निकटतम संबंधियों के खाते में सीधे 15 लाख रुपये का अंशदान कर सकते हैं। यदि पोर्टल पर शहीद के खाते को अपलोड करने के बाद तीन महीने का समय बीत जाने के

बावजूद 15 लाख रुपये की राशि का अंशदान नहीं किया जाता है, तो कमी वाली राशि को भारत के वीर (बीकेवी) कॉर्पस से पूरा किया जाता है। इसी प्रकार, यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुग्रह राशि एवं अन्य परिलब्धियों सहित कुल अंशदान 01 करोड़ रुपये से कम है, तो कमी वाली राशि को भारत के वीर (बीकेवी) कॉर्पस से प्रदान किया जा रहा है। हाल ही में, भारत के वीर ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने उन सीएपीएफ/असम राइफल्स कार्मिकों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है, जो ड्यूटी के दौरान घायल हो जाते हैं और चोट के कारण सेवा से बाहर हो जाते हैं। जो शहीद विवाहित हैं और जिनके सभी वित्तीय लाभ उनके पति-पत्नी को मिलते हैं, उनके वंचित माता-पिता की सहायता करने के लिए "भारत के वीर" ट्रस्ट ने ऐसे शहीदों के माता-पिता को 10 लाख रुपये की धनराशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी करते हुए कोविड-19 संक्रमण के कारण अपने प्राणों की आहुति देने वाले सीएपीएफ कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को भी 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

आजादी का अमृत महोत्सव

7.94 स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर "आजादी का अमृत महोत्सव" मनाने के लिए, देश के विभिन्न स्थानों से राज्यपालों, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों द्वारा 75 सीएपीएफ साइकिल रैलियों (1055 साइकिलस्टों) को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये साइकिल रैलियां राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों से होकर गुजरीं। साइकिल रैलियों का सांसदों, विधायकों, केंद्र, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। साइकिल रैलियों ने "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" का संदेश फैलाया और भारत सरकार की विभिन्न पहल जैसे कि फिट इंडिया मूवमेंट, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत और हरित भारत के बारे में जागरूकता फैलाई। इन साइकिल रैलियों को श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 02.10.2021 को लाल किला, नई दिल्ली से झंडी दिखाकर रवाना किया गया।



(स्रोत: पी-॥ प्रभाग गृह मंत्रालय)

7.95 स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर "आजादी का अमृत महोत्सव" मनाने के लिए, सीएपीएफ ने 75 बैंड प्रदर्शन (डिस्प्ले) आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसमें से

दिनांक 31.10.2021 तक विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर 52 बैंड प्रदर्शन(डिस्प्ले) पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं।



(स्रोत: पी-१। प्रभाग गृह मंत्रालय)

7.96 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' मनाने के एक भाग के रूप में, एनएसजी ने एक राष्ट्रव्यापी ब्लैक कैट कार रैली "सुदर्शन भारत परिक्रमा" का आयोजन किया, जिसे श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 02.10.2021 को लाल किला, दिल्ली से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ब्लैक कैट कार रैली ने 12 राज्यों के 18 शहरों को जोड़ा और 7500 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसमें भाईचारे और देशभक्ति के संदेश के साथ स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक स्थानों का दौरा तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि देना शामिल है। "ब्लैक कैट कार

रैली को" श्रीमती स्मृति ईरानी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा दिनांक 30.10.2021 को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक (एनपीएम), नई दिल्ली से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। "सुदर्शन भारत परिक्रमा" के दौरान दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, बंगलुरु, मुंबई जैसे विभिन्न स्थानों पर प्रमुख समारोह/कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कई बड़े गणमान्य व्यक्ति और ओलंपिक पदक विजेता शामिल हुए। इन स्थानों पर, संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता संबंधी विभिन्न समारोह और कार्यक्रम आयोजित किए गए।



माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा दिनांक 02.10.2021 को एनएसजी की ब्लैक कैट कार रैली को लाल किला, नई दिल्ली से झंडी दिखाकर रवाना किया गया



माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा दिनांक 30.10.2021 को एनएसजी की ब्लैक कैट कार रैली को एनपीएम, नई दिल्ली से झंडी दिखाकर रवाना किया गया

(स्रोत: पी-१। प्रभाग गृह मंत्रालय)

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में "प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकता के विश्लेषण" के बारे में अध्ययन

7.97 किसी संगठन का प्रशिक्षण और विकास कार्य उत्कृष्टता की नींव रखता है और उसके कर्मचारियों में अपेक्षित मूल्यों को आत्मसात कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगठन की प्रभावशीलता में प्रशिक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए, सीएपीएफ अधिकारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में गहन अध्ययन करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में विभिन्न सीएपीएफ, असम राइफल्स (एआर) और एनएसजी की व्यापक 'प्रशिक्षण आवश्यकता के विश्लेषण' का अध्ययन करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रोहतक के साथ दिनांक 16.12.2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 'प्रशिक्षण आवश्यकता के विश्लेषण' से सामने आने वाली कमियों का पता

लगाने और समकालीन ऑपरेशनल वातावरण में संगठन के लक्ष्यों के अनुसार उपाय करने में मदद मिलेगी। इस कार्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), असम राइफल्स (एआर) और राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) के उद्देश्य, भूमिका एवं प्रभाव का विश्लेषण करना, मौजूदा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की सामग्री का विश्लेषण करना और साथ ही विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ बातचीत करके गहन गुणात्मक मूल्यांकन करना शामिल होगा। इस कार्य का वांछित परिणाम एक आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करना होगा, ताकि विभिन्न अकादमियों में उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके।

7.98 इस अध्ययन में, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों के लिए "हब एंड स्पोक" मॉडल के विकास के साथ-साथ सभी बलों में अधिकारी के गुणों की पोर्टेबिलिटी और हस्तांतरणीयता की भी जांच की जाएगी।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

8.1 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) की स्थापना दिनांक 28.08.1970 को गृह मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में की गई थी और यह पुलिस व्यवस्था में उत्कृष्टता और सर्वोत्तम मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष निकाय है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय पुलिस का आधुनिकीकरण करना है। वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों को शामिल करने के लिए, बीपीआरएंडडी के अधिदेश और ड्यूटी चार्टर का विस्तार किया गया है:

- (क) भूमि और समुद्री सीमा प्रबंधन;
- (ख) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिसमें उनकी विशेषज्ञता प्राप्त इकाइयों का क्षमता निर्माण शामिल है;
- (ग) आंतरिक सुरक्षा की उभरती हुई चुनौतियां;
- (घ) पुलिस की छवि और पुलिस-समुदाय इंटरफ़ेस; तथा
- (ङ) किशोर न्याय, महिला सुरक्षा और अभियोजन से संबंधित मामले।

8.2 बीपीआरएंडडी का मुख्यालय, नई दिल्ली में स्थित है और इसके छह प्रभाग हैं— प्रशिक्षण प्रभाग, अनुसंधान और सुधारात्मक प्रशासन प्रभाग (आरएंडसीए), आधुनिकीकरण प्रभाग, राष्ट्रीय पुलिस मिशन (एनपीएम), विशेष पुलिस प्रभाग (एसपीडी) और प्रशासन प्रभाग। बीपीआरएंडडी के पांच केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (कोलकाता, हैदराबाद, चंडीगढ़, गाजियाबाद और जयपुर में) भी हैं, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीपीओ/सीएपीएफ के पुलिस अधिकारियों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देने के साथ-साथ न्यायिक, अभियोजन, वन और कारागार अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए भी समर्पित हैं। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी), भोपाल की स्थापना समूह 'क' के

पुलिस अधिकारियों के बुनियादी प्रशिक्षण के साथ-साथ सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए की गई है। सीएपीटी में अभियोजन अधिकारियों के क्षमता निर्माण, यातायात प्रौद्योगिकियों और सुधारात्मक सेवाओं के संबंध में तीन उत्कृष्टता केंद्र हैं। यह स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के सहयोग से, मादक पदार्थों के विधि प्रवर्तन के लिए एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी चलाता है।

अनुसंधान परियोजनाएं

8.3 वर्ष 1970 से, बीपीआरएंडडी ने 213 अनुसंधान अध्ययन और 81 डॉक्टरल थिसिस पूरी की हैं। वर्तमान में, 9 अनुसंधान अध्ययन और फेलोशिप चल रही हैं। इसके अलावा, विभिन्न आईआईटी/एनआईटी के सहयोग से "महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)" हेतु निर्भया कोष के अंतर्गत 8 परियोजनाएं चल रही हैं, ताकि अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लैंग्वेज (एमएल) आधारित समाधान (सोल्यूशन) विकसित किए जा सकें।

8.4 इंटेलिथॉन: राष्ट्रीय सुरक्षा और निगरानी के लिए एआई, एमएल और डीप लर्निंग सहित नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर बल देते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु हैकथॉन में नए उपकरण बनाने के लिए दिनांक 26.08.2021 को मंथन 2021 लॉन्च किया गया था।

8.5 बीपीआरएंडडी के कार्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में विभिन्न विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों के विद्यार्थियों को सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए बीपीआरएंडडी ने वर्ष 2017 में अपना इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया था। अब तक, 103 इंटर्नशिप पूरी हो चुकी हैं।

8.6 जून 2020 में स्थापित मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो (एमओबी) वर्तमान में दो अनुसंधान परियोजनाओं पर काम कर रहा है— (i) अपराध की पुनरावृत्ति के लिए जिम्मेदार

कारकों का अध्ययन और (ii) क्षमता निर्माण की पहल के लिए सुधारात्मक प्रशासन और कारागारों पर प्रशिक्षण की आवश्यकता का विश्लेषण (टीएनए)।

पूर्ण की गई परियोजनाएं

8.7 वर्ष के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं पूरी की गईं:

- (क) "सामुदायिक पुलिस संसाधन केंद्र" परियोजना – इसमें सामुदायिक पुलिस संसाधन केंद्रों के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके दो उद्देश्य हैं, (क) नागरिकों को एक ही स्थान पर पुलिस सेवाएं प्रदान करना और (ख) समुदाय का विश्वास जीतना।
- (ख) "गिरफ्तार, दोषसिद्ध और आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों" पर अध्ययन – इस अध्ययन में उनकी कट्टरता, विचार-धारा और उन्हें समाज के साथ पुनः जोड़ने के लिए कदम उठाने से संबंधित मुद्दों के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- (ग) "निर्भया परियोजना: महिलाओं के लिए सामुदायिक पुलिस व्यवस्था संबंधी पहल" – इस परियोजना में बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा और सामान्य स्थिति में सुधार करने और समुदाय के सहयोग से उनकी समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए उन तक पहुंचने के उपायों की परिकल्पना की गई है।
- (घ) "झुग्गी बस्तियों के लिए सामुदायिक पुलिस व्यवस्था" संबंधी परियोजना – इसमें समाज के गरीब, उपेक्षित और संघर्षरत वर्गों तक पहुंचने और उनकी समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान करने हेतु उन्हें सहायता प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है।
- (ङ) फेलोशिप परियोजना, "पुलिस-पब्लिक इंटरफेस (अलीगढ़ में पुलिस बल के विशेष संदर्भ में) उत्तर प्रदेश"।
- (च) "सुरक्षित शहर संकेतक" परियोजना – यह परियोजना "सुरक्षा के स्तंभ" के रूप में विभिन्न सुरक्षा मानकों के आधार पर शहरों की श्रेणी निर्धारित करने के लिए तैयार की गई है।

क्षमता निर्माण

8.8 वर्ष 2021-22 में, पुलिस, कारागार, अभियोजन,

न्यायिक, वन और अन्य अधिकारियों के लिए कई प्रशिक्षण मॉड्यूल संचालित किए गए। 335 ऑनलाइन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 16,339 अधिकारियों को मोबाइल फॉरेंसिक, काउंटर-इंसरजेंसी, साइबर अपराध और साइबर कानून, महिलाओं के प्रति अपराध, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई), जांच, आपदा प्रबंधन, महिला पुलिस अधिकारियों का क्षमता निर्माण, सुलभ कौशल (सॉफ्ट स्किल्स), कारागार प्रबंधन, साइबर अपराध आदि सहित विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित किया गया। महिला सुरक्षा और महिलाओं के प्रति अपराधों की जांच एवं अभियोजन से संबंधित कई पेशेवर पहलुओं पर जांच एवं अभियोजन अधिकारियों के लिए 84 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गए। विभिन्न पुलिस बलों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित एप्लीकेशन कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए दो-सप्ताह का हाइब्रिड ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स (टीओटी) कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाएं

8.9 वर्ष के दौरान कई सम्मेलन, वेबिनार आदि आयोजित किए गए, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

- (क) "संवेदनशीलता के साथ महिला सुरक्षा" पर वेबिनार
- (ख) "अभियोजकों को मजबूत करके अभियोजन में सुधार" विषय पर तीसरा राष्ट्रीय अभियोजन सम्मेलन
- (ग) "आपदा जोखिम न्यूनीकरण को पुलिस और अन्य सेवाओं की मुख्यधारा में लाने" पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन
- (घ) यातायात प्रौद्योगिकियों पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन
- (ङ) स्टेशन हाउस अधिकारियों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन
- (च) खरीद से संबंधित सर्वोत्तम पद्धतियों का सीएपीएफ के बीच आदान-प्रदान पर कार्यशाला
- (छ) एकीकृत बैलिस्टिक पहचान प्रणाली, अपराध दृश्य संबंधी उपकरण, फॉरेंसिक जांच, डिजिटल अपराध की जांच, साइबर सुरक्षा, होमलैंड सुरक्षा आदि से संबंधित नवीनतम प्रौद्योगिकियों और उत्पादों पर प्रस्तुतीकरण

- (ज) "सुविधाओं के अनुकूलन और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के मानकीकरण" पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- (झ) "रिहाई के बाद महिला कैदियों पर कलंक लगाना और उन पर अत्याचार करना: रोकथाम और आगे के उपाय" पर वेबिनार
- (ञ) "तनाव प्रबंधन और कार्य-जीवन संतुलन: सुधारात्मक सेवाओं की प्रभावकारी प्रदायगी की ओर" विषय पर वेबिनार
- (ट) "कारागारों और सुधारात्मक सेवाओं के लिए दशकीय रोडमैप" विषय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कारागार प्रमुखों का 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन

(ठ) "पुलिस में सूचना प्रौद्योगिकी" विषय पर वेबिनार

8.10 बीपीआरएंडडी, पुलिस अधिकारियों के लिए "महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने के कार्यक्रम" आयोजित करने के लिए सहयोग हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

8.11 बीपीआरएंडडी ने विदेशी भागीदार देशों के साथ सहयोग जारी रखा, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- (क) "भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम" के अंतर्गत, श्रीलंका के 52 अधिकारियों को "डी-रेडिकलाइजेशन" और "सोशल मीडिया जांच" से संबंधित पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। कंबोडिया की पुलिस अकादमी (पीएचडी पुलिस छात्रों) के लिए आतंकवाद-रोधी मुद्दों और साइबर सुरक्षा पर दो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।
- (ख) आतंकवाद की रोकथाम विषय पर भारत-मालदीव के संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक दिनांक 09.04.2021 को बीपीआरएंडडी मुख्यालय में आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों ने खतरे के आकलन, आतंकवाद को रोकने की चुनौतियों, द्विपक्षीय सहयोग, स्वापक पदार्थों/मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग आदि जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

- (ग) कंबोडिया के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु आधार तैयार करने के लिए कंबोडिया में भारत के राजदूत और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, कंबोडिया के निदेशक एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल समन्वय बैठक आयोजित की गई।
- (घ) छठे ब्रिक्स आतंकवाद-रोधी कार्य समूह के तहत क्षमता निर्माण से संबंधित उप-समूह की बैठक दिनांक 27.07.2021 को आयोजित की गई।

प्रकाशन

8.12 वर्ष 2021-22 में बीपीआरएंडडी ने कई प्रकाशन निकाले, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

- (क) महिला सुरक्षा और संरक्षा – पुलिस में फर्स्ट रिस्पॉन्डर और जांचकर्ताओं के लिए एक पुस्तिका
- (ख) साइबर उत्पीड़न के मामलों के लिए जांच संबंधी वर्कफ्लो मैनुअल
- (ग) उपकरण का सार-संग्रह-खंड-I
- (घ) भारत में उभरते हुए साइबर अपराध – एक संक्षिप्त संकलन
- (ङ) फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैंडबुक – कंप्यूटर सिस्टम एक्विजिशन
- (च) विधि-प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के लिए सोशल मीडिया इंटेलिजेंस (एसओसीएमआईएनटी) पर मैनुअल
- (छ) कोविड-19 संकट के प्रति भारतीय पुलिस की कार्रवाई से संबंधित पुस्तिका
- (ज) कारागार प्रशिक्षण मैनुअल
- (झ) पुलिस संगठन संबंधी आंकड़े
- (ञ) कैदी कल्याण और निःशुल्क विधिक सहायता

8.13 बीपीआरएंडडी ने "क्रिप्टोकॉरेंसी से संबंधित साइबर अपराधों के लिए जांच प्रक्रिया/पद्धति" और "वैश्विक महामारी के दौरान निरुद्ध व्यक्तियों और कैदियों को संभालने" के बारे में मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी तैयार की हैं।

51वां स्थापना दिवस समारोह

8.14 बीपीआरएंडडी का 51वां स्थापना दिवस (28.08.2021) समारोह दिनांक 04.09.2021 को



बीपीआरएंडडी के 51वें स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

8.15 मुख्य अतिथि ने "सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों" को 6 यूएचएम ट्राफियां प्रदान कीं। उन्होंने बीपीआरएंडडी के 6 अधिकारियों को पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए यूएचएम पदक भी प्रदान किए। बीपीआरएंडडी के सात अधिकारियों और कर्मिकों को वर्ष 2020 और 2021 के लिए भारतीय पुलिस पदक और राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किया गया। इस अवसर पर, हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पं. गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार योजना के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय

8.16 राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) ने दिनांक 01.10.2020 से राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है। इसने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 में दिए गए अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए शैक्षणिक, अनुसंधान, विस्तार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है।

8.17 यह विश्वविद्यालय प्रशासनिक ब्लॉक, सभागार, 5 शैक्षणिक ब्लॉक, परेड ग्राउंड के साथ खेल मैदान, छात्रावास, आवासीय क्वार्टर, दुकानों, मेस और जिम सुविधाओं के साथ 230 एकड़ वाले हरे-भरे पर्यावरण

बीपीआरएंडडी मुख्यालय, नई दिल्ली में मनाया गया। इसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह मुख्य अतिथि थे।



माननीय केंद्रीय गृह मंत्री टोकियो ओलंपिक 2020 की रजत पदक विजेता सुश्री सैखोम मीराबाई चानू को सम्मानित करते हुए

अनुकूल परिसर में फैला हुआ है तथा यह एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिसर बनने के मार्ग पर अग्रसर है। यह विश्वविद्यालय अपने 10 स्कूलों में 39 शैक्षणिक कार्यक्रम चला रहा है। विश्वविद्यालय में स्कूलों के रूप में विशिष्ट शैक्षणिक संरचनाएं नामतः आंतरिक सुरक्षा और पुलिस प्रशासन; एकीकृत तटीय और समुद्री सुरक्षा; सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम आसूचना और साइबर सुरक्षा; फॉरेंसिक, जोखिम प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा; अपराध विज्ञान और व्यवहार विज्ञान; अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सामरिक भाषाएं; शारीरिक शिक्षा और खेल; विधि प्रवर्तन और आपराधिक न्याय; अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मौजूद हैं। ये स्कूल सीमा प्रबंधन और आसूचना संबंधी अध्ययन, कॉर्पोरेट और निजी सुरक्षा संबंधी अध्ययन, यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा, बाल संरक्षण, साइबर मनोविज्ञान, व्यक्तित्व विकास आदि जैसी आंतरिक सुरक्षा की विशेष जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधान के समर्पित केंद्रों के रूप में स्थापित किए गए हैं। आरआरयू ने विभिन्न राज्य पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के सहयोग से शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। आरआरयू निजी सुरक्षा में क्षमता निर्माण पर अधिक बल

देता है और इसने "केंद्रीय निजी सुरक्षा उद्योग एसोसिएशन" एवं एसोसिएशन के कई निजी सुरक्षा संगठनों के साथ शैक्षिक संबंध स्थापित किया है। विश्वविद्यालय ने इस वर्ष आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में 5000 से अधिक स्टेकहोल्डरों को प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय तटीय निगरानी और सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए गुजरात पुलिस, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है। पुलिस बलों में सीधी भर्ती के इच्छुक युवाओं के लाभ हेतु विश्वविद्यालय ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि उन्हें सीधी भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयार किया जा सके। इसने सुरक्षा और पुलिस के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए "इनोवेटिव चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" भी शुरू किया है। विश्वविद्यालय ने अन्य बातों के साथ-साथ कृत्रिम आसूचना, अपराध विज्ञान जांच प्रयोगशाला, मल्टीमीडिया फॉरेंसिक प्रयोगशाला, पॉलीग्राफ प्रयोगशाला और मस्तिष्क फिंगरप्रिंटिंग प्रयोगशाला के क्षेत्र में अति विशिष्ट सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला स्थापित की है। यह विश्वविद्यालय विदेश मंत्रालय के आईटीईसी कार्यक्रम के तहत विदेशी राष्ट्रों के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) के साथ भी सहयोग कर रहा है।

8.18 वर्तमान में, विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में 1,500 से अधिक छात्र नामांकित हैं। शिक्षण, अनुसंधान और प्रशासनिक कर्मचारियों के 30% पदों पर महिलाएं कार्यरत हैं और इस प्रकार, सुरक्षा और पुलिस शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण का विजन साकार हो रहा है।

राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय

8.19 न्यायालयिक विज्ञान के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली जनशक्ति की बढ़ती हुई जरूरत, जो कि आपराधिक जांचों में सुधार करने के लिए आवश्यक है, को समझते हुए, बजट भाषण 2020 में यह घोषणा की गई थी कि सरकार एक "राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू)" स्थापित करेगी। तदनुसार, सरकार ने "राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय" की स्थापना की है। एनएफएसयू को राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है। एनएफएसयू का मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात में है और इसके कैंपस दिल्ली, गोवा तथा गुजरात में स्थित हैं।



माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा गोवा में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय- ऑफ कैंपस का भूमि पूजन-शिलान्यास

8.20 एनएफएसयू एक अध्यापन, अनुसंधान एवं संबद्ध विश्वविद्यालय होगा और यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में आवश्यकतानुसार कॉलेजों तथा अन्य संस्थानों को मान्यता प्रदान कर सकता है। यह अधिदेश यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य के पास न्यायालयिक विज्ञान के लिए एक शैक्षणिक ढांचा उपलब्ध हो। शिक्षा प्रदान करने के अलावा, एनएफएसयू न्यायालयिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केंद्र भी स्थापित करेगा और इन क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। एनएफएसयू के अंतर्गत लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि-विज्ञान संस्थान (एलएनजेएनएनआईसीएफएस) अपराध विज्ञान का एक स्कूल, न्यायालयिक विज्ञान का एक स्कूल और आपराधिक न्याय के अधिकारियों के लिए एक आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में होगा।

8.21 एनएफएसयू सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के विद्यार्थियों के लिए खुला होगा। एनएफएसयू विशेष तौर पर आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्कन्धों में विशेष ज्ञान और अत्याधुनिक कौशल (तकनीकी एवं साधारण) प्राप्त प्रशिक्षित फॉरेंसिक पेशेवरों का एक पूल तैयार करने में सहायता प्रदान करेगा। यह उच्चतर दोषसिद्धि प्राप्त करने के लिए जांचों को सरल एवं कारगर बनाने में सहायता करेगा और इससे अपराध की रोकथाम का पूर्णतः निवारण हो सकेगा।

न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय (डीएफएसएस)

8.22 गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत "न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय (डीएफएसएस)" देश में न्यायालयिक विज्ञान के संवर्धन और विकास के लिए एक नोडल एजेंसी है। इसे दिनांक 31.12.2002 को स्थापित किया गया था और यह अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देने तथा राज्यों/केंद्र की फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में उन्नत प्रौद्योगिकियों को लाने, क्षमता संवर्धन हासिल करने और समन्वय स्थापित करने हेतु उच्चतम स्तर की सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और पेशेवरता के साथ अत्याधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण और जांच सेवाएं प्रदान करने तथा देश में सक्षम न्यायालयिक विज्ञान के

संबंध में दिशानिर्देश और मानदंड निर्धारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

8.23 न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस) की ड्यूटियों का संक्षिप्त चार्टर निम्नानुसार है:-

- (क) आपराधिक न्याय प्रदायगी प्रणाली को समय पर उच्च गुणवत्ता युक्त फॉरेंसिक विज्ञान सेवाएं प्रदान करना
- (ख) आपराधिक न्याय प्रणाली में सहायता करने के लिए नई प्रौद्योगिकियां विकसित करना और नए वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन करना
- (ग) अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना
- (घ) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, तकनीकी और फॉरेंसिक विज्ञान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के साथ संबंध स्थापित करना
- (ङ) फॉरेंसिक परीक्षण में गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण बढ़ाना
- (च) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के क्षेत्र में ज्ञान का प्रचार-प्रसार और संवर्धन करना
- (छ) फॉरेंसिक विज्ञान में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना और नीतियां तैयार करना
- (ज) विभिन्न फॉरेंसिक सूचकांकों के संबंध में राष्ट्रीय डाटाबेस विकसित करना।
- (झ) पुरस्कार और प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाकर फॉरेंसिक विज्ञान और अनुसंधान एवं विकास में उत्कृष्टता को बढ़ाना
- (ञ) सभी फॉरेंसिक विज्ञान के मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों को सहायता एवं सलाह देना

8.24 फॉरेंसिक जांच में गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, गृह मंत्रालय ने न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस) के माध्यम से निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए हैं:

- (क) राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) मानकों

(आईएसओ/आईईसी 17025:2017) के अनुसार प्रयोगशालाओं के अधिप्रमाणन हेतु गुणवत्ता मैनुअल

- (ख) 09 फॉरेंसिक प्रभागों के लिए कार्यकारी पद्धति मैनुअल
- (ग) अपराध स्थल के जैविक नमूनों के संग्रहण, संरक्षण और परिवहन हेतु दिशानिर्देश (जांच अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए)
- (घ) न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना/स्तरान्वयन के लिए उपकरण की मानक सूची

केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल)

8.25 गृह मंत्रालय ने न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय के तत्वावधान में 6 केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल) स्थापित किए हैं। ये प्रयोगशालाएं भोपाल (मध्य प्रदेश), चंडीगढ़, गुवाहाटी (असम), हैदराबाद (तेलंगाना), पुणे (महाराष्ट्र) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में स्थित हैं।

8.26 मुख्य रूप से, सीएफएसएल की महत्वपूर्ण भूमिका अनुसंधान एवं विकास कार्य करना है, जिसका उद्देश्य नई फॉरेंसिक तकनीकें विकसित करना, फॉरेंसिक विश्लेषण हेतु मूलभूत विज्ञान में नवीनतम विकास को अपनाना और इस प्रकार की सूचना को अन्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं तक पहुंचाना है। इसके अतिरिक्त, सीएफएसएल को निम्नलिखित मामलों में भी अपराध के सबूतों का फॉरेंसिक विश्लेषण करना अनिवार्य होता है:

- क. केंद्र सरकार के सभी मामले
- ख. उन राज्यों के मामले, जहां कोई फॉरेंसिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं है
- ग. विधिक न्यायालयों द्वारा भेजे गए मामले
- घ. राज्य की प्रयोगशालाओं द्वारा भेजे गए अत्यधिक जटिल मामले, जिनके लिए उस राज्य में विशेषज्ञ मौजूद नहीं हैं
- ड. पड़ोसी देशों द्वारा भेजे गये मामले

8.27 सीएफएसएल का क्षेत्राधिकार: दिनांक 26.07.2013

की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, इन छह सीएफएसएल को निम्नलिखित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवंटित किये गये हैं:

- क. **सीएफएसएल भोपाल:**— मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़।
- ख. **सीएफएसएल पुणे:**— महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमण एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली।
- ग. **सीएफएसएल गुवाहाटी:**— असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा।
- घ. **सीएफएसएल कोलकाता:**— ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह।
- ड. **सीएफएसएल हैदराबाद:**— आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, पुदुचेरी।
- च. **सीएफएसएल चंडीगढ़:**— जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा (लद्दाख के मामलों का निपटान सीएफएसएल, चंडीगढ़ द्वारा किया जाता है)।

8.28 तथापि, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल) किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के मामले स्वीकार कर सकती हैं।

8.29 डीएफएसएस के अंतर्गत सीएफएसएल को 13 प्रभागों अर्थात् जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, विस्फोटक पदार्थ, विष विज्ञान, दस्तावेज, बेलिस्टिक, डिजिटल फॉरेंसिक विज्ञान (फॉरेंसिक इलैक्टॉनिक्स), फॉरेंसिक डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (डीएनए), फॉरेंसिक इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक नार्कोटिक्स, फॉरेंसिक आसूचना और फॉरेंसिक मनोविज्ञान के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में, सभी 6 सीएफएसएल में 11 प्रभाग प्रचालन में हैं। छह सीएफएसएल में फॉरेंसिक इंजीनियरिंग और फॉरेंसिक आसूचना प्रभाग स्थापित करने का कार्य चल रहा है।

8.30 उपर्युक्त के अतिरिक्त, डीएनए विश्लेषण, कंप्यूटर फॉरेंसिक, ऑडियो-वीडियो सत्यापन, वक्ता की पहचान,

स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन-माइक्रोस्कोपी एंड एनर्जी डिस्पर्सिव एक्स-रे एनालिसिस (एसईएम-ईडीएक्सए) का प्रयोग करके शूटर की पहचान, स्वचालित आग्नेयास्त्र/गोलाबारूद पहचान प्रणाली, चेहरे की पहचान/सीसीटीवी फुटेज विश्लेषण, बुलेटप्रूफ सामग्री परीक्षण और कपाल अध्यारोपन के क्षेत्र में डीएफएसएस में नई प्रौद्योगिकियां हासिल की गई हैं।

8.31 अनुसंधान कार्य: छह केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशालाओं ने न्यायालयिक विज्ञान के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं से निपटने के लिए अनुसंधान कार्य शुरू किए हैं। इस अवधि के दौरान, छह सीएफएसएल के विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्रों/कार्यवाहियों के माध्यम से ओडियो-वीडियो, वक्ता की पहचान, करेंसी नोट, जीव विज्ञान/डीएनए प्रोफाइलिंग, विषविज्ञान, रसायन आदि से जुड़े 54 अनुसंधान दस्तावेज प्रकाशित/प्रस्तुत किए हैं।

8.32 मामले की जांच संबंधी कार्य: दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक; डीएफएसएस, गृह मंत्रालय के अंतर्गत छः सीएफएसएल ने लगभग 02 लाख अपराध सबूतों के साथ 7,488 आपराधिक मामलों की जांच की है। ये प्रयोगशालाएं तुलनात्मक दृष्टि से अधिक जटिलता वाले उन मामलों की जांच करती हैं, जिनमें विशेषज्ञ की पेशेवर राय और उच्च स्तर के अध्ययन की आवश्यकता होती है।

8.33 न्यायालयी साक्ष्य: दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान छः सीएफएसएल के विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों ने विभिन्न विधिक न्यायालयों में 250 न्यायालयी साक्ष्य प्रस्तुत किए।

8.34 अपराध दृश्य: उक्त अवधि के दौरान सीएफएसएल के विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों ने 10 अपराध दृश्यों की जांच की।

8.35 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना और उनका आयोजन करना: अवधि के दौरान, छः सीएफएसएल के वैज्ञानिकों ने अपने प्रौद्योगिकीय ज्ञान और कौशल का स्तरोन्नयन करने के लिए विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों

जैसे कि नेशनल एक्स्ट्रिजिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल), राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि-विज्ञान संस्थान (एनआईसीएफएस), राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), करेंसी नोट प्रेस नासिक, आईएसटीएम, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) और उपकरण प्रशिक्षण की अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित 30 इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। उपर्युक्त के अतिरिक्त, केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों ने 41 प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया/व्याख्यान दिए, जिनमें विभिन्न स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों और वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

8.36 राज्य और केंद्र की एफएसएल में विशेषज्ञों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तीन नई सीएफएसएल को विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ-साथ राज्य और केंद्र की एफएसएल में कार्यरत वैज्ञानिकों के लिए न्यायालयिक विज्ञान के नए उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने का कार्य सौंपा गया है। सीएफएसएल द्वारा पाठ्यक्रम संबंधी कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है और वर्तमान महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये पाठ्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से शुरू किए जा रहे हैं। सीएफएसएल भोपाल ने 'न्यायालयिक भौतिक विज्ञान' के क्षेत्र में दिनांक 22.02.2021 से 26.02.2021 तक सफलतापूर्वक ऑनलाइन पाठ्यक्रम आयोजित किया। इस पाठ्यक्रम में सीएफएसएल/एफएसएल के नए इंटरन्स ने भाग लिया। पाठ्यक्रम के दौरान फॉरेंसिक बन्धुत्व के प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने उपर्युक्त विषय पर प्रस्तुतीकरण, तकनीकी व्याख्यान और प्रश्नोत्तरी सत्र प्रदान किए।

8.37 आधुनिक सीएफएसएल: भोपाल, गुवाहाटी, कोलकाता और पुणे में स्थित चार केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (सीएफएसएल) का आधुनिकीकरण शुरू किया गया है। भोपाल, पुणे और गुवाहाटी स्थित सीएफएसएल ने नई सुविधाओं के साथ प्रचालन शुरू कर दिया है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा सीएफएसएल पुणे का दिनांक 19.12.2021 को आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया।

सीएफएसएल, चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए प्रयोगशाला

8.38 भारत में डीएनए विश्लेषण का प्रयोग अपने उभरते हुए स्तर पर है। डीएनए विश्लेषण वह तकनीक है, जिसमें किसी भी व्यक्ति की मौलीक्यूलर स्तर पर पहचान की जा सकती है। फॉरेंसिक डीएनए विश्लेषण एक बहुत संवेदनशील और पुनरुत्पादनीय तकनीक है और यह पीड़ित और संदिग्ध की पहचान, बड़ी आपदाओं में मानव की पहचान, पितृत्व और मातृत्व संबंधी विवादों, बलात्कार और हत्या के मामले, अस्पतालों में बच्चा बदलने, किसी मृतक की पहचान, अंग प्रत्यारोपण और आप्रवासन जैसे मामलों में आधुनिक आपराधिक जांच के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अत्यधिक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। आपराधिक मामलों में न्यायालय द्वारा डीएनए विश्लेषण की बढ़ती हुई मांग के साथ ही, देश में न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का क्षमता निर्माण करने की आवश्यकता भी बढ़ रही है। क्षमता निर्माण कार्यक्रम के भाग के रूप में, गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ की केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) में एक अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण सुविधा शुरू की है। अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण सुविधा का उद्घाटन और इसका प्रचालन दिनांक 23.12.2019 को शुरू किया गया था। बड़े प्रौद्योगिकीय स्तरोन्नयन के अंतर्गत डिजिटल ओटोक्लेव, बायो-इंक््यूबेटर्स, टीशू लाइजर्स, आटो-एक्सट्रैक्शन उपकरण, जीईएल डाक्टूमेंटेशन सिस्टम, रियल-टाइम पोलीमराइज्ड चेन रिएक्शन, थर्मल साइक्लर्स, डीएनए सीक्वेंसर्स की स्थापना करने तथा साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण और डाटाप्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ सॉफ्टवेयर की स्थापना को शामिल किया गया है। इस संकाय ने 2 अनुसंधान दस्तावेज प्रकाशित किए हैं और डीएनए विश्लेषण से संबंधित 346 मामलों/2146 अपराध सबूतों की जांच की है। संकाय ने देश में उत्पादन के उद्देश्य के लिए यौन हमला साक्ष्य संग्रहण (एसआईसी) किट के उपलब्ध घटकों पर एक अनुसंधान भी किया है और गुणवत्ता पर समझौता किए बिना स्वदेशी सामग्री पर आधारित संशोधित विनिर्देशनों की सिफारिश की है। इससे एसआईसी किटों की लागत में लगभग 50% तक की बचत हुई है। संशोधित विनिर्देशन गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर भी अपलोड किये गये हैं।

राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (ई), हैदराबाद की स्थापना

8.39 महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध रोकथाम स्कीम (सीसीपीडब्ल्यूसी) के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा 37.66 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय से एक स्कीम अर्थात् हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। आधुनिक प्रयोगशाला सुविधाओं के लिए अवसंरचना और स्तरोन्नयन संबंधी गतिविधियां लगभग पूरी होने वाली हैं।

राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण

8.40 डीएफएसएस की ड्यूटियों के चार्टर के अनुसार, यह लगातार विभिन्न नए और मौजूदा प्रभागों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण करने, प्रमाणन प्राप्त करने, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) उपलब्ध कराने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एसएफएसएल) को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। डीएफएसएस ने साइबर और डीएनए प्रभागों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए निर्भया कोष के अंतर्गत एसएफएसएल द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का मूल्यांकन और इनके संबंध में सिफारिशें की हैं। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने निर्भया कोष स्कीम के अंतर्गत 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए 203.45 करोड़ रु. की परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है। डीएफएसएस इन परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इनकी भौतिक और वित्तीय प्रगति का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के साथ गहन समन्वय और निगरानी कर रहा है।

पुणे, भोपाल और असम में नई केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (सीएफएसएल) की स्थापना और मौजूदा सीएफएसएल का आधुनिकीकरण

8.41 यह निदेशालय की एक चालू परियोजना है, जिसके तहत भोपाल, असम और पुणे स्थित तीन सीएफएसएल के निर्माण और स्थानांतरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दिनांक 19.11.2021 को पुणे, महाराष्ट्र में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन परिसर का उद्घाटन किया।



माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा सीएफएसएल, पुणे के भवन का उद्घाटन

(स्रोत: सीएफएसएल, पुणे)



माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा सीएफएसएल, पुणे में प्रयोगशाला के मॉडल का निरीक्षण

(स्रोत: सीएफएसएल, पुणे)



माननीय केंद्रीय गृह मंत्री का सीएफएसएल, पुणे का दौरा

(स्रोत: सीएफएसएल, पुणे)

इस अवसर पर बोलते हुए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सीएफएसएल वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर जांच को पारदर्शी और तत्पर बनाकर देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान अकादमी

8.42 सीएफएसएल असम ने अपनी राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान अकादमी के अंतर्गत केंद्र और राज्य एफएसएल में

नए भर्ती हुए कार्मिकों के लिए दिनांक 25.10.2021 से 29.10.2021 तक 'फॉरेंसिक बायोलॉजी और डीएनए प्रोफाइलिंग' पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया। पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद आदि के अतिथि संकाय के माध्यम से 20 व्याख्यान आयोजित किए गए।



सीएफएसएल/एनएफएसए, असम में प्रशिक्षण कार्यक्रम

(स्रोत: सीएफएसएल, असम)

सीएफएसएल पुणे और भोपाल ने मार्च/अप्रैल 2022 में रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है।

अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग

8.43 वर्ष 2021-22 में, डीएफएसएस ने विदेश मंत्रालय/गृह मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से नए एफएसएल, मॉरीशस के निर्माण और स्थापना के लिए मॉरीशस सरकार से प्राप्त प्रस्ताव/डीपीआर के संबंध में तकनीकी परामर्श प्रदान किया है। निदेशालय ने मॉरीशस सरकार द्वारा फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में स्थापित किए जाने वाले प्रभागों की पूरी योजना उपलब्ध कराई है।

केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीबीआई), नई दिल्ली

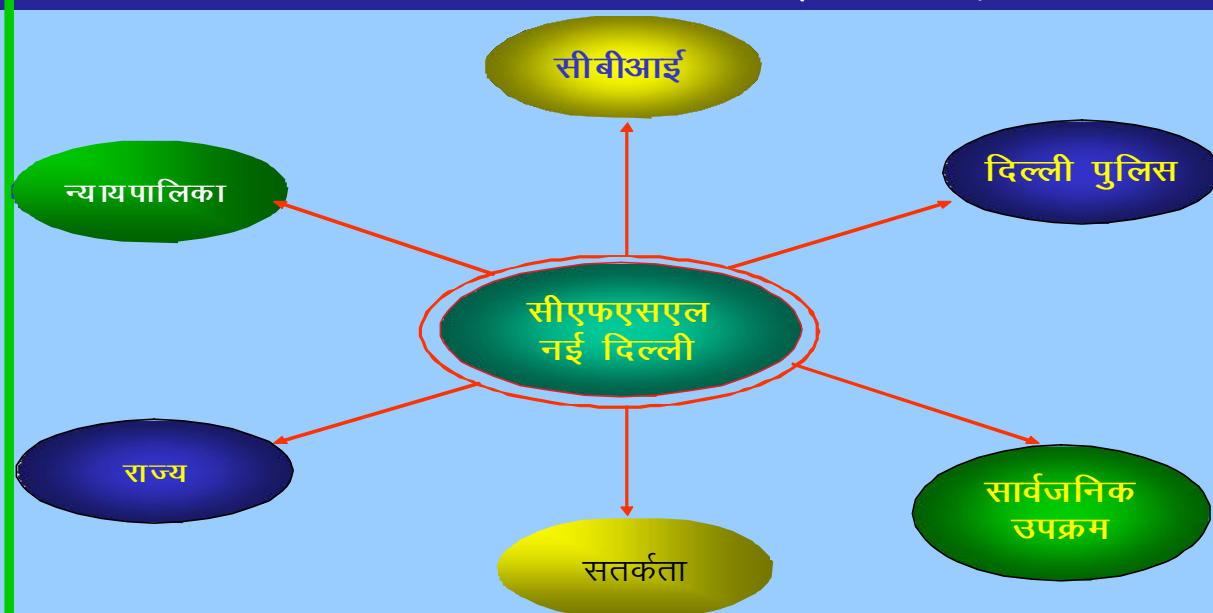
8.44 केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीबीआई), नई दिल्ली की स्थापना अपराध की जांच-पड़ताल करने में वैज्ञानिक सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक वैज्ञानिक विभाग के रूप में वर्ष 1968 में की गई थी। यह प्रयोगशाला सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा, सीएफएसएल की वैज्ञानिक सहायता इकाई भी है, जो चेन्नई और मुंबई में

सीबीआई के शाखा कार्यालयों में स्थित है।

क्षेत्राधिकार

8.45 सीएफएसएल (सीबीआई), नई दिल्ली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के प्रशासनिक नियंत्रण और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र नियंत्रण के अधीन एक वैज्ञानिक विभाग है। यह सीएफएसएल, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, न्यायपालिका और मंत्रालयों एवं उपक्रमों के सतर्कता विभागों तथा राज्य/केंद्र सरकार के विभागों द्वारा भेजे गए अपराध के सबूतों का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। सीएफएसएल के विशेषज्ञ जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए अपराध के सबूतों की जांच करते हैं और अपनी विशेषज्ञ राय प्रकट करते हैं तथा न्यायालयी सबूतों एवं साक्ष्यों के माध्यम से अपनी राय को अदालत में सिद्ध करते हैं। वास्तविक सुराग का पता लगाने के लिए सीबीआई द्वारा पूरे भारत में अपराध के घटना स्थल पर भी इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिक विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाती हैं। ये वैज्ञानिक/विशेषज्ञ सीबीआई के अधिकारियों तथा राज्य और केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशालाओं के नए प्रशिक्षुओं को भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। यह प्रयोगशाला फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में कौशल विकास से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य भी करती है।

वर्ष 1968 में स्थापित सीएफएसएल/सीबीआई



न्यायालय में उपस्थिति और अपराध के घटना स्थलों का दौरा

8.46 इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने दिल्ली एवं भारत के अन्य हिस्सों में न्यायालयों में 600 मामलों में विशेषज्ञ साक्ष्य प्रस्तुत किए और दिल्ली एवं इसके बाहर अपराधों की वैज्ञानिक जांच के लिए अपराध के 191 घटना स्थलों की जांच की है।

मामलों से संबंधित आंकड़े

8.47 वर्ष 2021 के मामलों से संबंधित आंकड़े

(क) दिनांक 01.01.2021 की स्थिति के अनुसार लंबित मामले	:	1158
(ख) दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक प्राप्त मामले	:	1603

8.48 वर्ष 2021 के दौरान सूचित मामले

(क) सीबीआई	:	1101
(ख) दिल्ली पुलिस	:	211
(ग) अन्य	:	331
कुल	:	1643

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति

के अनुसार लंबित मामले	:	1118

गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में पहल

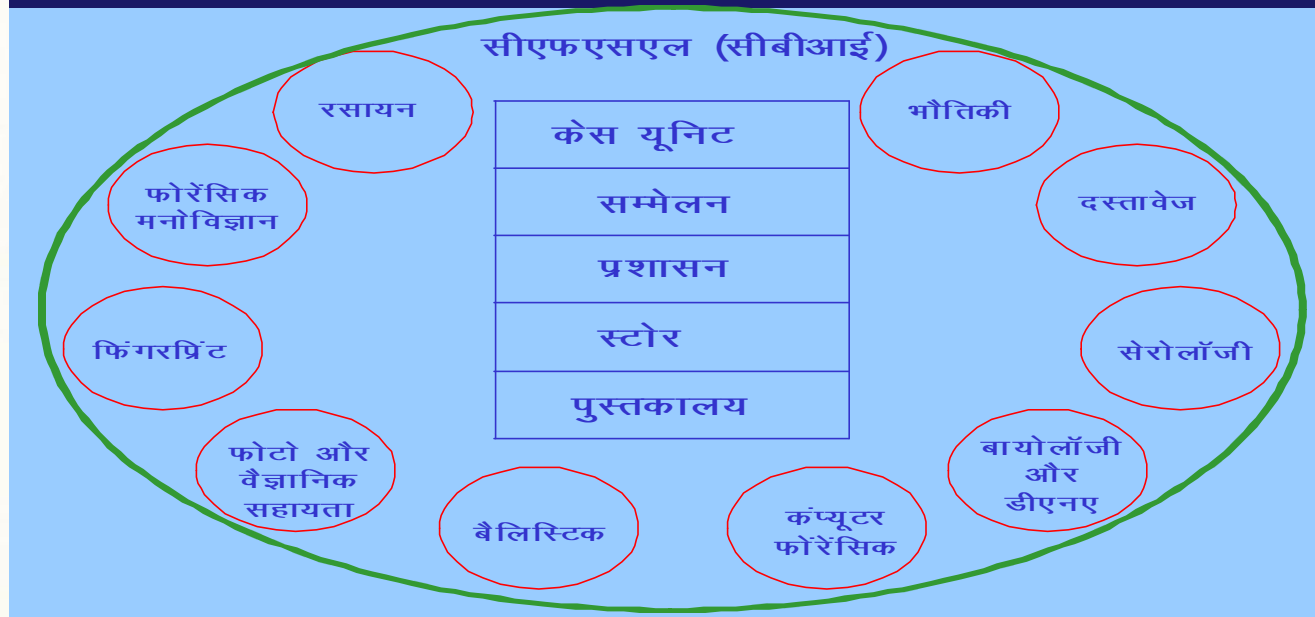
8.49 केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल), सीबीआई, नई दिल्ली अपने सभी प्रचालनात्मक विषयों के संबंध में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएफएसएल (सीबीआई), नई दिल्ली को आईएसओ आईईसी 17025 तथा "राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल)" के अनुरूप गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन "राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल)" द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इस प्रयोगशाला ने इसके प्रत्येक प्रभाग को भेजे गए

अपराध के विभिन्न सबूतों के संबंध में विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए "विस्तृत गुणवत्ता मैनुअल और कार्य पद्धति मैनुअल" तैयार किया है। वर्ष के दौरान, 1086 मामलों (लगभग) में अनुरूपता संबंधी जांचें की गई थी। एनएबीएल की आवश्यकता के अनुसार गुणवत्ता मैनुअल में संशोधन किया गया था। प्रयोगशाला में नया मानक प्रारूप अर्थात् आईएसओ आईईसी 17025 – 2005 शुरू किया गया है। अपराध के सबूतों के विश्लेषण कार्य में प्रयुक्त उपकरणों को एनएबीएल से मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से केलिब्रेट किया गया है। गुणवत्ता प्रणाली, प्रयोगशाला के प्रबंधन तथा दस्तावेज संबंधी प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा, सीएफएसएल के सभी प्रभागों में नामित किए गए आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है। चालू गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के बारे में प्रयोगशाला में जागरूकता अभियान भी चलाया गया था। यह प्रयोगशाला किसी भी प्रकार के अपराध के मामलों की फॉरेंसिक जांच करने और न्याय की उपयुक्त व्यवस्था से संबंधित जटिलताओं के प्रभावशाली उपचारात्मक समाधान करने के लिए अपनी गुणवत्तापरक नीति का कड़ाई से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि जांच एजेंसियों और न्यायपालिका के साथ-साथ सामान्य लोगों को भी प्रमाणित मानदंडों वाली भरोसेमंद गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान की जा सकें।

मौजूदा जांच सुविधाएं

8.50 सीएफएसएल (सीबीआई), नई दिल्ली में पूर्णरूपेण सुसज्जित प्रभाग निहित हैं, जो अपराध के सबूतों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने और अपराध के घटना स्थलों में पाये गए भौतिक सबूतों के संग्रह/पहचान करने में विभिन्न जांच एजेंसियों को फॉरेंसिक सहायता संबंधी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। ये प्रभाग बैलेस्टिक, बायोलॉजी और डीएनए प्रोफाइलिंग यूनिट, रसायन, दस्तावेज, फिंगरप्रिंट, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, फोटो, भौतिकी, सेरॉलॉजी, कंप्यूटर फॉरेंसिक और वैज्ञानिक सहायता एकक के रूप में हैं। इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों को फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में अपने फॉरेंसिक कौशल को उन्नत करने और नई प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

सीएफएसएल/सीबीआई के विभिन्न प्रभाग



राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)

8.51 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की स्थापना गृह मंत्रालय के दिनांक 11.03.1986 के संकल्प के अंतर्गत की गई थी। एनसीआरबी की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई थी:

- (क) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर सक्रिय अपराधियों सहित अपराध और अपराधियों के सूचना प्रदाता केंद्र के रूप में कार्य करना, ताकि अपराधों को उनके अंजाम देने वालों के साथ लिंक करने में जांचकर्ताओं और अन्य की सहायता की जा सके;
- (ख) पुलिस स्टेशन के रिकॉर्डों का संदर्भ लिए बिना भारत के संबंधित राज्यों, राष्ट्रीय जांचकर्ता एजेंसियों, न्यायालयों और अभियोजन संस्थाओं के लिए अंतर-राज्यीय तथा अंतर-राष्ट्रीय अपराधियों के बारे में सूचना दोतरफा संग्रहित, समन्वित और प्रसारित करना;
- (ग) राष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक आंकड़े संग्रहित करना और उनको प्रोसेस करना।
- (घ) अपराधियों के पुनर्वास, उनकी रिमांड, पैरोल, समयपूर्व रिहाई आदि से संबंधित दांडिक और

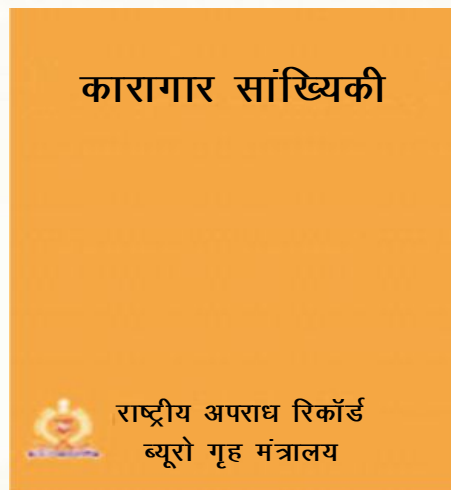
सुधारात्मक एजेंसियों के कार्यों हेतु उनसे आंकड़े प्राप्त करना और उनको आंकड़े प्रदान करना;

- (ङ) राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के कार्य में समन्वय, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना;
- (च) अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के कार्मिकों को प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं प्रदान करना; और
- (छ) अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का मूल्यांकन, विकास और आधुनिकीकरण करना।

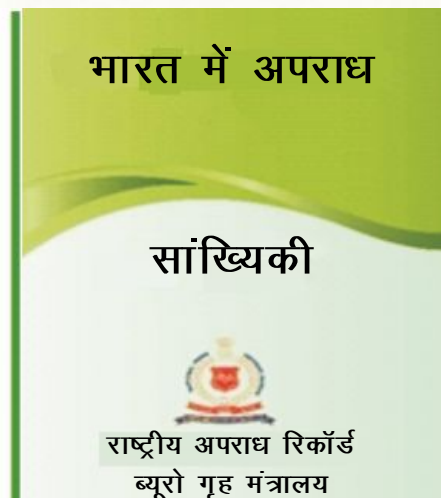
8.52 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) का मुख्यालय महिपालपुर, नई दिल्ली में है और इसे गृह मंत्रालय का एक 'संबद्ध' कार्यालय माना जाता है। एनसीआरबी का कोलकाता में एक शाखा कार्यालय (मूल सेंट्रल फिंगर प्रिंट ब्यूरो (सीएफपीबी) मुख्यालय) है। कई वर्षों से, भारतीय पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जोड़कर उसे एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने और सशक्त बनाने की एनसीआरबी की जिम्मेदारी भी इसका मुख्य एजेंडा बन गई है। एनसीआरबी ने देश में उपयुक्त आईटी प्लेटफार्म विकसित करके और उनकी तैनाती करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपराध रिकॉर्डों के कंप्यूटरीकृत प्रोसेस के कार्य में सहायता करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

8.53 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से प्राप्त आंकड़े संकलित करता है और अन्य बातों के साथ-साथ अपने तीन महत्वपूर्ण वार्षिक प्रकाशनों यथा “भारत में अपराध” “भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएं” तथा “कारागार सांख्यिकी” में इन्हें प्रकाशित करता है। उक्त

रिपोर्टों में निहित आंकड़े का व्यापक प्रयोग सांसदों, शिक्षाविदों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और एक विस्तृत अनुसंधानकर्ता समुदाय द्वारा प्रभावकारी नीति निर्माण तथा अनुसंधान के लिए किया जाता है। ब्यूरो ने वर्ष 2020 की सभी तीनों रिपोर्टें अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की हैं।



भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएं



8.54 एनसीआरबी को अपराध प्रवृत्तियों और आपराधिक न्याय प्रणालियों के संचालन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सर्वेक्षण (यूएन-सीटीएस) के लिए राष्ट्रीय केंद्र बिंदु के रूप में नामित किया गया है। एनसीआरबी ‘सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए अपराध के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (आईसीसीएस)’ के तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) का भी सदस्य है।

8.55 एनसीआरबी को ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के तकनीकी और परिचालन कार्यों के प्रबंधन तथा महिलाओं एवं बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना से संबंधित कार्यों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। साइबर अपराधों की सूचना देने में नागरिकों की मदद के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1930 नंबर के साथ नागरिक हेल्पलाइन शुरू की गई है। भारत से उत्पन्न होने वाली और एनसीआरपी के साथ एकीकृत हुई “बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम)” की साइबर टिपलाइन रिपोर्टों को साझा करने के लिए एनसीएमईसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, ताकि इसे जांच के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा जा सके। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 8 लाख से अधिक साइबर टिपलाइन रिपोर्टें (सीटीआर) साझा की गई हैं।

8.56 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) का एक अधिदेश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी)/सीपीओ के पुलिस कार्मिकों को सूचना प्रौद्योगिकी और अंगुलछाप विज्ञान में प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रत्येक वर्ष एनसीआरबी भारतीय पुलिस अधिकारियों के लिए औसतन 40 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। “साइबर अपराध एवं डिजिटल फॉरेंसिक”, “अपराध आंकड़ा विश्लेषण”, “अपराध और अपराधी ट्रैकिंग एवं नेटवर्क प्रणाली”, “जाली भारतीय करेंसी नोट”, “अंगुलछाप विज्ञान में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम”, “बुनियादी अंगुलछाप विज्ञान”, “रंगीन चित्र निर्माण प्रणाली”, “क्राइम इन इंडिया”, “भारत में दुर्घटनावश मौतें और आत्महत्याएं”, “प्रिजन स्टेटिक्स इंडिया”, “राष्ट्रीय स्वचालित अंगुलछाप पहचान प्रणाली पर कार्यशाला” आदि जैसे विभिन्न विषयों पर नियमित रूप से प्रशिक्षण आयोजित करता है। एनसीआरबी संसाधन से जुड़े व्यक्तियों की क्षमता का निर्माण करने के लिए उन्हें प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) भी प्रदान करता है, ताकि वे क्षेत्रीय अधिकारियों को आगे प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। एनसीआरबी द्वारा आयोजित इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केंद्रीय पुलिस संगठनों/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के वरिष्ठ

पुलिस अधिकारियों सहित सभी रैंकों के अधिकारी भाग लेते हैं। पुलिस अधिकारियों और फिंगर प्रिंट विशेषज्ञों के बीच विस्तृत पहुंच बनाने के लिए यह ब्यूरो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में हैदराबाद, गांधीनगर, लखनऊ और कोलकाता स्थित चार "क्षेत्रीय पुलिस कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्रों (आरपीसीटीसी)" की सहायता भी करता है। दिसम्बर, 2021 तक, एनसीआरबी ने 2805 पाठ्यक्रम आयोजित किए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के 69,480 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।



8.57 गृह मंत्रालय में निधि का आबंटन करके ब्यूरो द्वारा आरपीसीटीसी की प्रणालीगत समीक्षा की गई थी और उनमें वृहत सुधार करने के लिए वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान 2,84,26,566/- रुपये खर्च किए गए थे। पहली बार सभी चार आरपीसीटीसी (लखनऊ (उत्तर प्रदेश), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), गांधीनगर (गुजरात) और हैदराबाद (तेलंगाना)) को प्रशिक्षार्थी को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से आधुनिकीकृत तथा तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया था।



श्री अजय कुमार मिश्रा, माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.10.2021 को फिंगरप्रिंट ब्यूरो के निदेशकों के 22 वें अखिल भारतीय सम्मेलन - 2021 का उद्घाटन

8.58 कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रतिबंधों के दौरान भी, एनसीआरबी ने ई-लर्निंग मॉड्यूल चलाए हैं। कुल 3 वेबिनार और 11 ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 827 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

8.59 एनसीआरबी ने विदेश मंत्रालय के साथ परामर्श करके विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) के अंतर्गत विदेशी राष्ट्रों के पुलिस अधिकारियों के लिए भी "विधि प्रवर्तन में सूचना प्रौद्योगिकी" और "आधुनिक अंगुलछाप विज्ञान और कंप्यूटर" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये, जिनमें 1549 विदेशी पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय (डीसीपीडब्ल्यू)

8.60 एक नोडल सलाहकारी निकाय होने के नाते, "पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय (डीसीपीडब्ल्यू)" देश में पुलिस संचार की विभिन्न सेवाओं का समन्वय करने के अतिरिक्त, पुलिस संचार संबंधी सभी मामलों में गृह मंत्रालय और राज्य/केंद्रीय पुलिस संगठनों के लिए एक तकनीकी सलाहकार के रूप में विभिन्न गतिविधियां संपादित करता है। यह निदेशालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीएपीएफ/सीपीओ और गृह मंत्रालय के कार्यालयों के बीच संदेशों के आदान-प्रदान के लिए, नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय और देश भर में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में फैले "अंतर राज्य पुलिस वायरलेस (आईएसपीडब्ल्यू) स्टेशन" के

माध्यम से संचार सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह निदेशालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस रेडियो संगठनों द्वारा उपयोग में लाये जा रहे क्रिप्टोग्राफिक दस्तावेजों और उपकरणों के लिए केंद्रीय वितरण प्राधिकरण (सीडीए) की जिम्मेदारी भी निभाता है।

अनुरक्षण एवं संचार विंग

8.61 यह निदेशालय कानून और व्यवस्था, वीवीआईपी/वीआईपी आवाजाही आदि से संबंधित संदेशों के आदान-प्रदान के लिए अंतर राज्य पुलिस वायरलेस ग्रिड का रखरखाव करता है, जो कि देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजधानियों में फैले हुए हैं। अप्रैल से दिसंबर, 2021 के दौरान, 42.20 करोड़ ग्रुप वाले लगभग 6.30 लाख संदेशों को क्लियर किया गया है। सभी अंतर राज्य पुलिस वायरलेस (आईएसपीडब्ल्यू) स्टेशनों के नेटवर्क की संचार सुविधाओं का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान आपातकालीन संदेशों को भेजने के लिए भी किया जाता है।

सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क

8.62 डीसीपीडब्ल्यू राष्ट्रीय राजधानी और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की राजधानी में स्थित आईएसपीडब्ल्यू जिला स्तर तक राज्य पुलिस संगठनों और सीएपीएफ के स्थानों के बीच एक सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क (पोलनेट) का प्रचालन कर रहा है।

8.63 सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क के अंतर्गत सुदूर स्थलों पर "अति लघु अपरचर टर्मिनल (वीसैट)" और नई दिल्ली स्थित पोलनेट हब निहित हैं। यह नेटवर्क स्वदेशी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट (जीसैट) सीरीज के सैटेलाइट पर कार्य करता है। यह नेटवर्क वर्ष 2004 से कार्य कर रहा है। स्पेक्ट्रम की बेहतर क्षमता और इष्टतम उपयोग के लिए "डिजिटल वीडियो ब्राडकास्टिंग-सैटेलाइट वर्जन-2 (डीवीबी-एस2) प्रौद्योगिकी" को शामिल करके सैटेलाइट आधारित इस संचार नेटवर्क को अपग्रेड किया गया है। डीसीपीडब्ल्यू के 745 से अधिक अपग्रेडिड वीसैट, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस और सीएपीएफ में संस्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रयोक्ता गठनों में और अधिक टर्मिनल जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। यह नया नेटवर्क लद्दाख, पूर्वोत्तर

(एनई) क्षेत्रों और लक्षद्वीप के साथ-साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह जैसे देश के दूरस्थ भागों को देश के अन्य किसी भी भाग से डाटा, वॉयस और वीडियो जैसी अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेगा।

हाई फ्रीक्वेंसी (एचएफ) संचार का सुदृढीकरण

8.64 डीसीपीडब्ल्यू ने नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपने हाई फ्रीक्वेंसी (एचएफ) संचार नेटवर्क का सुदृढीकरण किया है, ताकि आपातकाल/आपदा के समय देश भर में राज्यों/संघ शासित राज्यों की राजधानियों में स्थित अपने आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों से संचार के एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में सेवाएं प्रदान कर सकें। इस उद्देश्य से, निदेशालय ने 100 वाट के 40 डिजिटल एचएफ रेडियो और रग्ड लैपटॉप खरीदे हैं तथा इन्हें डीसीपीडब्ल्यू मुख्यालय एवं आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों में स्थापित किया गया है।

देश में रेडियो नेटवर्क की मॉनीटरिंग

8.65 गृह मंत्रालय ने रेडियो संचार सुरक्षा की चूक का पता लगाने और उसमें कमी लाने के लिए "व्यापक पुलिस रेडियो नेटवर्क" अर्थात् हाई फ्रीक्वेंसी (एचएफ), वेरी हाई फ्रीक्वेंसी (वीएचएफ) और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी (यूएचएफ) को मॉनीटर करने की भूमिका डीसीपीडब्ल्यू को सौंपी है।

समन्वय विंग

8.66 डीसीपीडब्ल्यू संचार मंत्रालय की "फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति (एसएसीएफए)" का एक सदस्य है। यह निदेशालय राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आवंटन योजना के निर्माण/संशोधन में सक्रिय रूप से शामिल है। निदेशालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के रेडियो संचार नेटवर्कों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की आवश्यकताओं से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए संचार मंत्रालय के "वायरलेस नियोजन एवं समन्वय (डब्ल्यूपीसी)" विंग के साथ समन्वय कर रहा है।

8.67 डीसीपीडब्ल्यू ने इस वर्ष 5 सीएपीएफ और 1 संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उपयोग किये जा रहे/खरीदे जा रहे 43 संचार और तकनीकी उपकरणों के क्यूआर एवं परीक्षण निर्देशों (टीडी) को तैयार करने के दौरान एक महत्वपूर्ण

सलाहकारी भूमिका निभाई है। 7 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के तकनीकी प्रस्तावों की भी जांच की गई थी और उपयुक्त सिफारिशें प्रदान की गईं।

8.68 डीसीपीडब्ल्यू ने पूर्ववर्ती डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) सेवाओं के विफल होने के पश्चात, कल्याणकारी उपाय के रूप में दूरसंचार विभाग (डीओटी) के यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के माध्यम से उपयोगकर्ता सीएपीएफ संगठनों हेतु भारतनेट वीसैट परियोजना के अंतर्गत निःशुल्क 1047 डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनल का पुनः प्रावधान करने के लिए गृह मंत्रालय और दूरसंचार विभाग (डीओटी) के साथ समन्वय किया, ताकि अत्यधिक दुर्गम स्थानों, जहां संचार के अन्य माध्यम उपलब्ध नहीं हैं, पर तैनात जवान घर में अपने परिवारों के साथ बातचीत कर सकें। 1047 दुर्गम स्थानों में से, 972 स्थानों पर डीएसपीटी स्थापित कर दिए गए हैं तथा शेष बचे बीएसएफ के 75 स्थानों पर संस्थापन का कार्य सैटेलाइट कवरेज की अनुपलब्धता होने और तकनीकी कारणों से लम्बित है। इन स्थानों के लिए संचार के वैकल्पिक साधनों का पता लगाया जा रहा है।

8.69 पूरे देश में 5 स्पॉट बीम्स के माध्यम से मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेस (एमएसएस) प्रदान करने के लिए जीसैट-06 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। रिमोट सैटकॉम टर्मिनल एस-बैंड में संचालित होंगे, जबकि हब, सी-बैंड में सैटेलाइट के साथ संपर्क करेंगे। गृह मंत्रालय को सीएपीएफ, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस और गृह मंत्रालय के अन्य संगठनों के उपयोग के लिए जीसैट-06 सैटेलाइट के 25% संसाधन आवंटित किए गए हैं।

8.70 डीसीपीडब्ल्यू उपरोक्त संगठनों के लिए पहले चरण में कुल 2367 जीसैट-06 उपग्रह टर्मिनलों के नेटवर्क के लिए जीसैट-06 हब स्थापित करेगा।

साइफर विंग

8.71 डीसीपीडब्ल्यू का साइफर विंग वर्गीकृत संदेशों की निकासी करता है और अन्तर-राज्य सुरक्षित संचार को बनाए रखता है। केन्द्रीय वितरण प्राधिकरण (सीडीए) की भूमिका साइफर दस्तावेज/डिवाइसों को प्राप्त करना है और क्रिप्टो सिस्टम का प्रयोग करके इन्हें सुरक्षित

संचार प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के पुलिस रेडियो संगठनों तथा आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों को वितरित करना है। दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक, क्रिप्टो सिस्टम का प्रयोग करके सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पुलिस रेडियो संगठनों और आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों को कुल 19,235 क्रिप्टो दस्तावेज/उपकरण वितरित किए गए हैं।

प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

8.72 केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान (सीपीआरटीआई), नई दिल्ली को पुलिस संचार के क्षेत्र में देश के पुलिस समुदाय को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 1971 में स्थापित किया गया था, जो गृह मंत्रालय के अधीन डीसीपीडब्ल्यू का एक प्रमुख संस्थान है। सीपीआरटीआई पुलिस संचार के क्षेत्र में वरिष्ठ और मध्य स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए नियमित पाठ्यक्रम आयोजित करता है, ताकि अधिकारियों को आधुनिक पुलिस संचार प्रणालियों और तकनीकों से परिचित कराया जा सके। कर्मचारियों की कार्यक्षमता और कौशल को बढ़ाने के लिए प्रवीणता स्तर और कौशल विकास के पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की पुलिस और सीपीओ के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि वे अपने कर्मचारियों को उनके संबंधित स्थानों/संस्थानों में प्रशिक्षित कर सकें। इसके अतिरिक्त, डीसीपीडब्ल्यू के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सीपीआरटीआई भारतीय पुलिस संगठनों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के पुलिस संगठनों के लिए, जब कभी विदेश मंत्रालय/गृह मंत्रालय/बीपीआरएंडडी द्वारा अपेक्षित हो, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

8.73 "क्षेत्रीय पुलिस बेतार प्रशिक्षण संस्थान (आरपीडब्ल्यूटीआई)" चंडीगढ़ और कोलकता में स्थापित किया गया है। बेंगलुरु में भी आरपीडब्ल्यूटीआई स्थापित किए जा रहा है।

आरपीडब्ल्यूटीआई, पड़ोसी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी)/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पुलिस संचार कार्मिकों को क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

8.74 कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण, सरकारी निर्देशों के अनुसार क्लास-रूम में प्रशिक्षण कार्यकलापों को बन्द कर दिया गया था। ऑनलाइन मोड में किए जा सकने वाले प्रशिक्षण को सीपीआरटीआई नई दिल्ली,

आरपीडब्ल्यूटीआई, चंडीगढ़ और आरपीडब्ल्यूटीआई, कोलकता में आयोजित किया जा रहा है।

8.75 दिनांक 31.12.2021 तक, सीपीआरटीआई नई दिल्ली, आरपीडब्ल्यूटीआई चंडीगढ़ और आरपीडब्ल्यूटीआई कोलकता में आयोजित किए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों तथा प्रशिक्षित किए गए प्रशिक्षार्थियों की संख्या निम्नवत है:

क्र. सं.	प्रशिक्षण संस्थान	वर्ष	पूर्ण किए गए पाठ्यक्रमों की सं.	प्रशिक्षित किए गए प्रशिक्षुओं की सं.
1.	सीपीआरटीआई, नई दिल्ली	2021	20	211
2.	आरपीडब्ल्यूटीआई, चंडीगढ़	2021	10	102
3.	आरपीडब्ल्यूटीआई, कोलकता	2021	9	114

अंतर-राज्य पुलिस वायलेस (आईएसपीडब्ल्यू) के लिए कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण

8.76 स्थापनाओं की सुरक्षा के संबंध में डीसीपीडब्ल्यू के समक्ष आने वाली समस्या तथा किराए के भवनों/राज्य सरकार के आवास में संचार उपकरणों के समुचित रूप से कार्य करने में एंटीना के बारे में आने वाली बाधाओं पर विचार करते हुए, रायपुर, देहरादून और रांची में आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों के लिए भूमि अधिग्रहण सहित कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण अपेक्षित है। आईएसपीडब्ल्यू स्टेशन रायपुर के लिए कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण हेतु क्रमशः 1446.94 वर्ग मी. और 3000 वर्ग मी. भूमि अधिग्रहित की गई है।

8.77 आईएसपीडब्ल्यू स्टेशन, देहरादून के कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए 1.25 एकड़ भूमि की आवश्यकता का प्रस्ताव राज्य सरकार के साथ उठाया जा रहा है।

कार्यशाला और तकनीकी मूल्यांकन

8.78 गृह मंत्रालय ने गवर्मेंट ई-मार्केट के माध्यम से खरीदे जाने वाले उच्च तकनीकी के संचार उपकरण के क्षेत्रीय परीक्षण/जांच के लिए डीसीपीडब्ल्यू को एक निरीक्षण एजेंसी के रूप में नामोदित किया है। डीसीपीडब्ल्यू ने दिल्ली में अपनी सेंट्रल वर्कशॉप को सुदृढ़ किया है और डिजिटल रेडियो संचार के उपकरण की जांच के लिए

डिजिटल जांच बैंच बनाई है। वर्ष 2019-20 में विभिन्न जांच/माप-तौल उपकरण अर्थात रेडियो संचार परीक्षण सेट (एनालॉग/डिजिटल), सिग्नल एनालाइजर, सिग्नल जेनरेटर, डिजिटल स्टोरेज ओसिलोस्कोप, डिजिटल मल्टीमीटर, फ्रिक्वेंसी काउंटर, स्पेक्ट्रम एंड वेक्टर नेटवर्क एनालाइजर, बैटरी एनालाइजर और रियल टाइम सिग्नल/स्पेक्ट्रम एनालाइजर जांच/माप-तौल उपकरण खरीदे गए हैं। हैंड हेल्ड रेडियो सेटों के एंटीना और बैटरी के परीक्षण के लिए एसओपी तैयार की गई है।

8.79 अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान, निदेशालय की केंद्रीय कार्यशाला में कुल लगभग 13,114 वस्तुओं को मिलाकर वायरलेस और अन्य उपकरण एवं सहायक कलपुर्जों के 742 परीक्षण/मरम्मत कार्य किए गए। कार्यशाला ने तकनीकी प्रस्तावों, क्यूआर, टीडी तैयार करने और साथ ही डिस्पैच करने से पहले के निरीक्षण (पीडीआई) कार्यों आदि पर सीएपीएफ को उपयुक्त सलाहकारी सेवाएं प्रदान कीं।

वायरलेस उपकरणों और सहायक उपकरणों का आरक्षित भंडार

8.80 इस निदेशालय की एक जिम्मेदारी आपदाओं, आम चुनावों आदि जैसी ऑपरेशनल आवश्यकताओं के दौरान केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के पुलिस संगठनों को उधार के आधार पर वायलेस उपकरण और

सहायक उपकरण प्रदान करना है। निदेशालय ने विधान सभा चुनावों और पंचायत चुनावों के दौरान/विशेष प्रबंधन के उद्देश्य से 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और 03 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के लिए 9648 आवश्यक रेडियो सेट और सहायक उपकरण जारी किए हैं।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)

8.81 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की स्थापना, मादक पदार्थों एवं मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग और उसके अवैध व्यापार को रोकने और उससे निपटने के लिए "स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985" के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में की गई है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में विभिन्न मंत्रालयों और राज्य/केन्द्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संधियों के तहत अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वहन के लिए भी उत्तरदायी है, जो एक साथ मिलकर मादक पदार्थ नियंत्रण प्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून ढांचे का निर्माण करते हैं।

8.82 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके तीन क्षेत्रीय उप महानिदेशक के कार्यालय अर्थात् दिल्ली में उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, मुम्बई में दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र कार्यालय और कोलकाता में पूर्वी क्षेत्र कार्यालय हैं, इसके 13 जोनल यूनिटें दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू अहमदाबाद, गुवाहाटी, इंदौर, बेंगलुरु और पटना में स्थित हैं, 12 सब-जोन यूनिटें कोच्चि, हैदराबाद, गोवा, मंदसौर, अमृतसर, अजमेर, रांची, मण्डी, मदुरै, इम्फाल, देहरादून और भुवनेश्वर में स्थित हैं। संगठन के विभिन्न कार्यों के निर्वहन हेतु एनसीबी मुख्यालय में विशेष मामलों को निपटाने के लिए 6 सेल अर्थात् इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सेल, प्रिकर्सर सेल, स्ट्रेटेजिक स्टडी सेल, ट्रेनिंग सेल, लीगल सेल और प्रवर्तन इकाई सेल मौजूद हैं।

8.83 इस अवधि के दौरान (01.04.2021 से 31.12.2021

तक), संगठन की प्रवर्तन क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से विभिन्न अवसरचक्रात्मक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। असम के गुवाहाटी में कार्यालय-सह-आवासीय (ओसीआर) परिसर, मध्य प्रदेश के इंदौर में कार्यालय परिसर (ओसी) (90% पूर्ण), बेंगलोर में कार्यालय परिसर (ओसी) और ओडिशा के भुवनेश्वर में कार्यालय परिसर (ओसी) (70% पूर्ण) पर कार्य इस अवधि के दौरान चल रहे हैं। अहमदाबाद और चंडीगढ़ में कार्यालय-सह-आवासीय परिसरों (ओसीआर) का कार्य जुलाई, 2020 में पूरा कर लिया गया है। अहमदाबाद में ओसीआर परिसर का अक्टूबर, 2021 के महीने में कब्जा ले लिया गया है। कार्यालय परिसरों के निर्माण के लिए अमृतसर, रांची, इम्फाल और दिल्ली में भूमि का अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहण के बाद की औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई हैं। कार्यालय-सह-आवासीय परिसर के निर्माण के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में विवादित भूमि के बदले वैकल्पिक भूमि आवंटित की गई है और अधिग्रहण के बाद की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।

8.84 प्रवर्तन के प्रयास

(क) इस अवधि के दौरान (दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक), देश में विभिन्न मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा रिपोर्ट की गई विभिन्न मादक पदार्थों की जबरियाँ का उल्लेख अनुलग्नक - XI में किया गया है।

(ख) पोस्ट की अवैध खेती को नष्ट करना: वर्ष 2021-22 के दौरान (अर्थात् दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक), विभिन्न "मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों" की सहायता से स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने समन्वित प्रयास किए, जिनके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अवैध अफीम की खड़ी और फलदार खेती को नष्ट किया गया, जो 2774 एकड़ से अधिक भूमि पर फैली हुई थी।

(ग) भांग की अवैध खेती को नष्ट करना: वर्ष 2021-22 के दौरान (अर्थात् दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक), विभिन्न मादक पदार्थ विधि

प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने समन्वित प्रयास किए, जिनके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, त्रिपुरा और महाराष्ट्र राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में 8992 एकड़ से अधिक भूमि पर अवैध भांग की खेती को नष्ट किया गया।

(घ) **दोषसिद्धि:** एनसीबी द्वारा विनिर्धारित न्यायालयों के समक्ष दायर की गई शिकायतों के आधार पर दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान, एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत 32 मामलों में दोषसिद्धि हुई और 57 व्यक्तियों को दोषसिद्ध किया गया है।

(ङ) **मादक पदार्थों का निपटान:** दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा जब्त मादक पदार्थों के निपटान की मात्रा का उल्लेख अनुलग्नक - XII में किया गया है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को सहायता

8.85 "स्वापक पदार्थों के नियंत्रण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता" नामक एक केंद्रीय स्कीम, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.10.2004 को 10 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट से शुरू की गई थी। यह स्कीम 5 वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 31.03.2009 तक वैध थी। इस स्कीम को नियमित आधार पर वर्ष 2009 से आगे बढ़ाकर वर्ष 2017 तक कर दिया गया था। केंद्रीय सहायता स्कीम और इसके उद्देश्यों को जारी रखने की आवश्यकता पर विचार करते हुए, भारत सरकार ने उक्त स्कीम को तीन वर्षों की अवधि अर्थात् वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था, जिसका अनुमानित बजट 21.00 करोड़ रु. था, ताकि राज्यों द्वारा (क) निगरानी उपकरण; (ख) प्रयोगशाला उपकरण; (ग) गश्त/निगरानी हेतु वाहनों; (घ) कम्प्यूटरों एवं उनके उपकरण; (ङ) फ़ैक्स मशीन और फोटोकॉपीयर; (च) प्रशिक्षण उपकरण एवं अन्य सहायक सामग्री और (छ) प्रवर्तन हेतु अन्य उपकरण की खरीद की जा सके।

8.86 इस स्कीम को एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात्

2020-2021 तक बढ़ाया गया था और 6 राज्यों को 2.5 करोड़ रु. आवंटित किये गये थे। स्कीम की अवधि को 05 वर्षों (अर्थात् 2021-2022 से 2025-2026) तक बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसके लिए 50 करोड़ रु. के आवंटन का प्रस्ताव है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

8.87 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), मादक पदार्थ संबंधी कानून के प्रवर्तन पर पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों और मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ नियमित रूप से समन्वय करता है। दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में इस प्रकार के 222 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), राज्य पुलिस बलों, वन विभाग, केंद्रीय/राज्य उत्पाद शुल्क, सीमा-शुल्क, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), तटरक्षक और कूरियर एजेंसियों के 5409 कार्मिकों को शामिल किया गया।

8.88 उपर्युक्त के अलावा, मादक पदार्थों के तस्करों द्वारा आधुनिक तकनीकों, विशेष तौर पर एक उभरती हुई सशक्त साइबर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किए जाने को ध्यान में रखते हुए, एनसीबी ने अपने अधिकारियों के साथ-साथ अन्य केंद्रीय/राज्य एजेंसियों के अधिकारियों की तकनीकी क्षमता और सामर्थ्य को बढ़ाने के प्रयास भी किए हैं तथा यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम (यूएनओडीसी) और एनसीबी के क्षेत्रीय कार्यालयों के सहयोग से डिजिटल फुटप्रिंट, साइबर/मोबाइल फॉरेंसिक, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर/आईपीडीआर) के विश्लेषण, ओपन सोर्स/सोशल मीडिया के माध्यम से आसूचना और साक्ष्य एकत्र करने तथा डार्कनेट एवं क्रिप्टो करेंसी की जांच आदि पर विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित किए हैं। दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान, इस प्रकार के तकनीकी प्रशिक्षणों के माध्यम से कुल 197 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

मांग में कमी

8.89 संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासभा ने दिसम्बर, 1987 में पारित एक संकल्प द्वारा प्रत्येक वर्ष 26 जून को "मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस" के रूप में घोषित किया था। इस घोषणा के अनुसरण में, यह दिन मादक पदार्थों के खतरे के प्रति जनता को जागरूक बनाने के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है। मादक पदार्थों के उपयोग की बुराई के बारे में जनता, विशेषकर छात्रों को जागरूक बनाने के लिए, एनसीबी विभिन्न राज्य स्वापक मादक पदार्थ-रोधी कार्यबलों, मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ मिलकर पूरे देश में अनेक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

8.90 इस वर्ष, कोविड-19 वैश्विक महामारी के जारी रहने के कारण, दिनांक 26.06.2021 के अवसर पर लोगों को एकत्रित करके कार्यक्रम आयोजित करना व्यावहारिक

रूप से संभव नहीं था। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में युवाओं को जागरूक बनाने और उन्हें इससे दूर रखने के लिए, एनसीबी ने मादक पदार्थों के बुरे प्रभावों पर विशेष बल देते हुए यू-ट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से एक जागरूकता अभियान शुरू किया था। इस ऑनलाइन अभियान के हिस्से के रूप में, राजनीति, नौकरशाही, खेल, फिल्म, संगीत आदि क्षेत्रों से प्रतिष्ठित हस्तियों के ऑडियो-वीडियो संदेशों के प्रसार जैसी विभिन्न गतिविधियों को यू-ट्यूब, ट्विटर आदि के माध्यम से एनसीबी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रसारित किया गया था। आम जनता हेतु नशीली दवाओं के विरुद्ध संदेश प्रसारित करने के लिए, एनसीबी एवं इसकी क्षेत्रीय इकाइयों और उनके अधिकारियों द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, एफएम रेडियो, टेलीविजन चैनलों का भी उपयोग किया गया था।

**Every time a 'Yes' is not Right,
Say 'NO' When Life demands....**

**"On this occasion let's resolve to build a
Zero Tolerance environment against
the drug related crimes and make
our nation free from its threats. 🙏🙏**

-Narendra Modi



**International Day
against Drug Abuse & Illicit Trafficking
26th June 2021**

**UNODC Theme 2021 :
"Share Facts on Drugs. Save Lives."**

Say No to Drugs Yes to Life

***ड्रग्स को 'ना' जीवन को 'हाँ' - ड्रग्स का उपयोग और अवैध व्यापार प्रतिबंधित एवं दण्डनीय है।**

NARCOTICS CONTROL BUREAU
Ministry of Home Affairs, Government of India
West Block-1, Wing-V, R.K. Puram, New Delhi-110066
Phone No. : 011-26761000, 26761144,
Email : narcoticsbureau@nic.in, Facebook : narcoticscontrolbureauindia
Twitter : @narcoticsbureau, Website : www.narcoticsindia.nic.in

Join us in the fight against Drug Abuse & Illicit Trafficking. Reach us at :
Delhi 011-26170487, 26177347, Mumbai 022-22620428, Chennai 044-26820694,
Kolkata 033-23416200, Lucknow 0522-2339412, 2339410, Jodhpur 0291-2710433,
Ahmedabad 079-27493094, Jammu 0191-2439912, 2439905,
Indore 0731-2557705, 2557703, Guwahati 0361-2963253, 2963252
Patna 0612-2565160 Bangalore 080-29720566, Chandigarh 0172-2780109, 2779731

एनसीबी इंडिया @नारकोटिक्स ब्यूरो, (26.06.2021 ट्वीट)
हर बार 'हां' कहना सही नहीं है, जब जीवन में आवश्यकता हो, तो 'ना' कहें
#मादक पदार्थों को ना कहें #जीवन को हाँ कहें

8.91 डीजी, एनसीबी ने राज्यों के मुख्य सचिवों, डीजीपी तथा सीएपीएफ के डीजी से “नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस” मनाने तथा आम जनता के बीच नशीली दवाओं के विरोधी संदेशों को प्रचारित करने का अनुरोध किया था।

8.92 लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, एनसीबी ने देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 118 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए और इनमें कुल 14,802 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



मादक पदार्थों के विरुद्ध ई-शपथ लेने से संबंधित

पहले

8.93 मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन की एक प्रमुख एजेंसी होने के अलावा, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को राज्य प्राधिकारियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय करके मादक पदार्थों के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से, वेबसाइट mygov.in पर “जिंदगी को हां और नशे को ना कहें” नामक एक ई-शपथ अपलोड की गई थी। इस शपथ का उद्देश्य, नागरिकों के बीच मादक पदार्थों के बीच बुरे प्रभावों का संदेश फैलाना है ताकि वे “नशामुक्ति भारत” बनाने के अपने संकल्प का प्रदर्शन कर सकें, जैसा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पना की गई है। ई-शपथ का लिंक “<https://pledge.mygov.in/fightagainstdrugabuse/>” है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय जैसे सभी केंद्रीय मंत्रालयों, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सीएपीएफ और पुलिस एवं अन्य संबद्ध एजेंसियों सहित राज्य प्राधिकरणों से अपने अधिकारियों और कार्मिकों के बीच इस ई-शपथ के बारे में जागरूकता

फैलाने का आग्रह किया गया है और साथ ही उनसे यह सूचना शैक्षणिक संस्थानों सहित पूरे समाज में आगे फैलाने का अनुरोध किया गया है ताकि, मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक जन आंदोलन चलाया जा सके। एनसीबी ने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के समग्र मार्गदर्शन के तहत चयनित स्कूलों और कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों में उनकी क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से एक मिशन/कैंपेन मोड में एक “पूर्ण शपथ परिसर” आंदोलन भी शुरू किया है। यह परिकल्पना की गई है कि एक “पूर्ण शपथ परिसर” में, सभी विद्यार्थी/अध्यापक शपथ लेंगे और एनसीबी के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक से “एनसीबी-पूर्ण शपथ परिसर का प्रमाण-पत्र” प्राप्त करने के लिए एनसीबी से प्रमाण-पत्र डाउनलोड करेंगे। दिनांक 27.12.2021 को एनसीओआरडी की शीर्ष समिति की तीसरी बैठक, जिसकी अध्यक्षता माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की गई थी, के दौरान, माननीय गृह मंत्री ने भी इस पहल की सराहना की थी। अब तक, 9.00 लाख से अधिक लोगों ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध यह ई-शपथ ली है।

नाकों समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी)

8.94 एनसीओआरडी का गठन वर्ष 2016 में किया गया

था, बाद में नीतिगत मामलों में बेहतर समन्वय के पुर्नसंरचना की गई थी साथ-साथ क्षेत्र स्तर के मुद्दों से निपटने के लिए इसकी

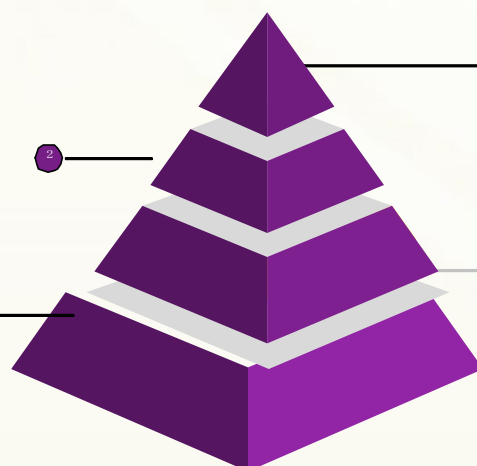
एन सी ओ आर डी की पुर्नसंरचना

गृह मंत्रालय का आदेश दिनांक 29.07.2019

- विद्यमान निगरानी तंत्र को बदलने के लिए 4-टियर संरचना
- डीजी, एनसीबी के अधीन मासिक एनसीओआरडी जारी रहेगी

विशेष सचिव
(आई एस), गृह मंत्रालय
की अध्यक्षता में
केन्द्र स्तर पर
कार्यकारी समिति
बारम्बारता: तिमाही

जिला डीएम
की अध्यक्षता में
जिला स्तरीय
समितियां
बारम्बारता: तिमाही



गृह सचिव की
अध्यक्षता में
केन्द्र सरकार
स्तर पर शीर्ष
समिति
बारम्बारता: अर्ध वार्षिक

मुख्य सचिवों की
अध्यक्षता में राज्य
स्तरीय समितियां
बारम्बारता: तिमाही

8.95 एनसीओआरडी की तीसरी शीर्ष स्तर की बैठक दिनांक 27.12.2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में

आयोजित की गई थी। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की।



(स्रोत: एनसीबी)

8.96 एनसीओआरडी की दूसरी कार्यकारिणी स्तर की बैठक दिनांक 29.11.2021 को गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में विशेष सचिव, आंतरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

8.97 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, एनसीओआरडी की 02 मासिक बैठकें आयोजित की गईं अर्थात् दिनांक 06.07.2021 को 17वीं मासिक एनसीओआरडी और दिनांक 22.10.2021 को 18वीं मासिक एनसीओआरडी।

8.98 उपर्युक्त के अलावा, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संबंधित एनसीओआरडी समिति की दस (10) राज्य स्तरीय बैठकें और पांच (05) जिला स्तरीय बैठकें भी आयोजित की गई थी।

8.99 दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 के दौरान, अन्य अंतरराष्ट्रीय ऐजेंसियों के साथ एनसीबी के अधिकारियों ने सत्ताईस (27) समन्वय बैठकों में भाग लिया है।

अध्याय-9

आपदा प्रबंधन

सिंहावलोकन

9.1 भारत विश्व में क्षेत्र-वार 7वां सबसे बड़ा देश, जनसंख्या-वार दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे अधिक जनसंख्या वाला लोकतंत्र है। यह दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण-पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। अलग-अलग कृषिगत जलवायु और जलीय मौसम विज्ञानी जैव मंडल के साथ-साथ पर्वतों, समतल भूमि और तराई की विविधता के कारण भारत बड़े पैमाने पर आपदाओं के प्रति प्राकृतिक रूप से संवेदनशील है। सामान्य रूप से अनुभव की जाने वाली प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, बादल फटना, लू चलना, भू-स्खलन, मृदा-स्खलन और हिम-स्खलन, वन में आग, समुद्री तट कटाव और जल भराव, सुनामी, बिजली गिरना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, विश्व में किसी अन्य देश की तरह, भारत भी रासायनिक, जैविक, रेडियोएक्टिव और आणविक आपात स्थितियों जैसी नई और उभरती हुई आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। मानवजनित आपदाओं में आतंकवाद और भगदड़ भी नई आपदाएं हैं।

9.2 जनसांख्यिकीय परिवर्तन और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मानव बस्ती सहित तेजी से शहरीकरण, पर्यावरण क्षति, जलवायु परिवर्तन, मानव प्रवासन और पशु व्यापार के कारण उत्पन्न महामारी एवं वैश्विक महामारी इत्यादि के परिणामस्वरूप भारत में आपदा का जोखिम और अधिक बढ़ जाता है। ये आपदाएं हमेशा भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी जनसंख्या और सतत विकास के राष्ट्रीय प्रयासों पर प्रभाव डालती हैं।

केन्द्र और राज्य सरकारों की भूमिका

9.3 आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2009 के अनुसार, आपदा के समय बचाव, राहत और पुनर्वास उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं की दशा में लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। लॉजिस्टिक सहायता में वायुयानों, नावों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), सशस्त्र बलों के विशेष दलों एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती करना; चिकित्सीय भंडारों सहित राहत सामग्रियों और जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था करना; संचार नेटवर्क सहित अत्यावश्यक अवसंरचनागत सुविधाओं की बहाली करना; तथा हालात से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनके द्वारा अपेक्षित अन्य सहायता प्रदान करना शामिल है।

9.4 सरकार ने आपदा प्रबंधन के प्रति अपने दृष्टिकोण में आदर्शवादी परिवर्तन लाकर राहत-केन्द्रित दृष्टिकोण के बजाय समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन के पूरे परिवेश, रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, कार्रवाई, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास को सम्मिलित किया गया है। यह दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि विकास तब तक स्थिर नहीं रह सकता है, जब तक कि आपदा न्यूनीकरण को विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

9.5 भारत सरकार ने आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन और उससे संबंधित अथवा तत्संबंधी मामलों के लिए प्रावधान करने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (डीएम

अधिनियम, 2005) अधिनियमित किया था। इसमें आपदा प्रबंधन की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र बनाने एवं उसकी मानीटरिंग करने, आपदाओं के प्रभाव को रोकने और उन्हें कम करने के लिए सरकार के विभिन्न विंगों द्वारा उपाय सुनिश्चित करने तथा आपदा की किसी भी परिस्थिति में तत्काल कार्रवाई किये जाने हेतु प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम के कार्यान्वयन में अवरोधों/अड़चनों के बारे में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, गृह मंत्रालय ने विद्यमान अधिनियमों और विश्व में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का अध्ययन करने के लिए एक कार्य बल का गठन किया था, ताकि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की समीक्षा की जा सके। मंत्रालय द्वारा कार्य बल की सिफारिशों पर कुछ प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। तथापि, यह निर्णय लिया गया था कि प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ कोविड-19 वैश्विक महामारी और मानव-जनित आपदाओं (जैसे कि एलजी पोलिमर्स इंडिया प्रा.लि., विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में गैस रिसाव से उत्पन्न एक घटना) जैसी स्वास्थ्य संबंधी आपदाओं तथा आग संबंधी आपदाओं की रोकथाम, उपशमन, तैयारी और कार्रवाई के विभिन्न पहलुओं की जांच करके आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी। इसलिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की संपूर्ण समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। उक्त समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

गृह मंत्रालय द्वारा बचाव और राहत अभियान का समन्वय

9.6 राष्ट्रीय आपदाओं (सूखा, ओलावृष्टि और कीट हमला, जिसकी देखरेख कृषि मंत्रालय द्वारा की जाती है, को छोड़कर) के प्रबंधन के लिए भारत सरकार की ओर से गृह मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है। गृह मंत्रालय में आपदा प्रबंधन (डीएम) प्रभाग यह कार्य करता है।

9.7 प्रत्येक आपदा की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने में प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, गृह मंत्रालय का आपदा प्रबंधन प्रभाग भारत सरकार की ओर से लॉजिस्टिक और

वित्तीय सहायता प्रदान करके आपदा और आपदा जैसी स्थिति की गहन निगरानी करता है। इस उद्देश्य के लिए, एक ओर प्रभावित राज्यों के साथ और दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जैसे संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के साथ गहन संपर्क स्थापित किया जाता है।

9.8 भारत ने अपने सतत प्रयासों से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की अपनी तैयारी में अत्यधिक सुधार किया है। हमारे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में विकास आयोजना के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) की योजनाओं को शामिल करने की आवश्यकता का प्रावधान है। “आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय योजना” में एक सुरक्षित और आपदा-रोधी भारत का निर्माण करने की कोशिश की गई है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों से आपदा प्रबंधन की पद्धतियों, तैयारी, निवारण और कार्रवाई तंत्र में काफी सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप देश में चक्रवातों सहित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान होने वाली मौतों में भारी कमी हुई है।

9.9 आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए किसी भी आपात स्थिति की दशा में समयपूर्वक कार्रवाई के महत्व को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय ने एक वाट्सअप ग्रुप बनाया है। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी), पूर्व-चेतावनी एजेंसियों, कार्रवाई बलों आदि के अधिकारी इस ग्रुप के सदस्य हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूर्व चेतावनी/सावधानियों को समय पर जारी करने और बचाव एवं राहत के प्रयासों का समन्वय करने में यह ग्रुप अधिक सहायक सिद्ध हुआ है।

9.10 दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान, गृह मंत्रालय ने अनेक बचाव एवं राहत अभियानों का समन्वय किया है। दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक देश के विभिन्न भागों में आई बड़ी आपदाओं/वैश्विक महामारी और गृह मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई का ब्योरा निम्नानुसार है:-

क. कोविड-19 वैश्विक महामारी

कोविड-19 वैश्विक महामारी के बारे में संक्षिप्त विवरण

9.11 कोरोना वायरस विषाणुओं का एक बहुत बड़ा परिवार है, जो पशुओं अथवा मनुष्यों में बीमारी पैदा कर सकते हैं। विभिन्न कोरोना वायरसों को मनुष्यों में सामान्य सर्दी-जुकाम से लेकर मिडल ईस्ट रेस्पाइरेट्री सिंड्रोम (एमईआरएस) और 'सिवियर एक्यूट रेस्पाइरेट्री सिंड्रोम (एसएआरएस)' जैसी और अधिक गंभीर बीमारियों वाले श्वसन संबंधी संक्रमण का कारण माना गया है।

9.12 नोवल कोरोना वायरस बीमारी का प्रकोप पहली बार मध्य दिसम्बर, 2019 में चीन के हुबई प्रांत के वुहान शहर के सीफूड मार्केट में देखा गया था। तब से कोविड-19 एक वैश्विक महामारी बन गई, जिसने वैश्विक स्तर पर लगभग सभी देशों/प्रदेशों/क्षेत्रों को प्रभावित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दिनांक 30.01.2020 को (अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के तहत) इस प्रकोप को एक "अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति (पीएचईआईसी)" घोषित किया है। तदनंतर, डब्ल्यूएचओ ने दिनांक 11.03.2020 को कोविड-19 को एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया।

9.13 कोविड-19 से प्रभावित रोगियों में बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई और अन्य श्वसन समस्या के लक्षण सामान्य से गंभीर अंतर के साथ मिलते हैं (सिवियर एक्यूट रेस्पाइरेट्री इलनैस अथवा एसएआरआई सहित)।

देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए एहतियाती कदम

9.14 कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक "वैश्विक महामारी" के रूप में घोषित किया गया है। भारत ने इस अप्रत्याशित वैश्विक आपदा से निपटने के लिए एक एहतियाती, सक्रिय और क्रमबद्ध कार्रवाई की है। भारत में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, सरकार आप्रवासन जांच के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आने वाली भीड़ को विनियमित करने, नियंत्रित करने और यहां तक कि रोकने में सक्रिय रही है।

9.15 भारत सरकार ने भारत में प्रथम मामले की पुष्टि

होने से पहले ही, हमारे देश में संभावित संकट का पूर्वानुमान लगाते हुए शीघ्र और समयपूर्वक उपाय कर लिए थे और डब्ल्यूएचओ द्वारा कोविड-19 को एक "अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात की स्थिति" होने की घोषणा करने से काफी पहले ही अपने सभी मंत्रालयों को एकजुट कर दिया था।

9.16 कोविड-19 वैश्विक महामारी की पहली लहर की शुरुआत के दौरान ही, भारत सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने और लोगों की जान बचाने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए दिनांक 25.03.2020 से 21 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन लगाया। यह देखते हुए कि कोविड-19 एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है, लोगों की बड़े पैमाने पर आवाजाही होने से देश के सभी हिस्सों में लोगों के बीच यह बीमारी बहुत तेजी से फैल सकती थी। इस लॉकडाउन की अवधि ने राष्ट्र को आवश्यक अतिरिक्त स्वास्थ्य अवसंरचना तैयार करने में सहायता की।

9.17 लॉकडाउन को समय-समय पर चरणबद्ध तरीके से दिनांक 31.05.2020 तक बढ़ाया गया। साथ ही, स्थिति का आकलन करने के बाद, गृह मंत्रालय ने अनलॉक, गतिविधियों को फिर से शुरू करने, निगरानी, नियंत्रण और सावधानी बरतने के लिए आदेश और दिशानिर्देश जारी किए। परिणामस्वरूप, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को क्रमवार ढंग से खोला गया।

9.18 स्थिति का आकलन करने के पश्चात, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने "त्वरित एवं प्रभावी रोकथाम उपायों" के साथ-साथ "कोविड टीकाकरण की गति और कवरेज में तेजी लाने" पर निरंतर ध्यान देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी की थी, जिन्हें देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय द्वारा वास्तविक स्थिति के आधार पर समय-समय पर अपने दिशा-निर्देश जारी करते समय पृष्ठांकित किया गया है।

9.19 गृह मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के साथ कई बैठकें आयोजित की गईं और देश में उपयुक्त कोविड-19 व्यवहार (चेहरे पर मास्क पहनना, हाथ स्वच्छ रखना और परस्पर दूरी रखना) के लिए गहन और केंद्रित अभियान हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

9.20 जब वर्ष 2021 के प्रारंभ में कोविड-19 वैश्विक महामारी की दूसरी लहर भारत में आई, तो भारत परीक्षण संबंधी पर्याप्त अवसंरचना से युक्त था और वायरस के संकट से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार था। दूसरी लहर के दौरान, राज्य-स्तर पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे, वे अतुल्यकालिक और विविध थे। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ नजदीकी समन्वय में एक गतिशील, भिन्न-भिन्न, राज्य-स्तरीय नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता थी, ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं को तेजी से पुनः शुरू किया जा सके और पांच-स्तरीय रणनीति – 'टेस्ट, ट्रेक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड – उपयुक्त व्यवहार' को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

9.21 देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय गृह सचिव के स्तर पर समय-समय पर कई बैठकें की गईं।

अधिकार प्राप्त समूह का गठन

9.22 देश में कोविड-19 द्वारा लोगों के स्वास्थ्य के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही उपयुक्त कार्यनीति बनाकर समस्याओं, बाधाओं और परिदृश्य का प्रभावी ढंग से समाधान निकालने के लिए अप्रत्याशित स्थिति से निपटने हेतु, दिनांक 29.03.2020 को अधिकारप्राप्त समूहों का गठन किया गया था, जिनमें समय-समय पर परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा, कोविड-19 प्रबंधन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, दिनांक 29.05.2021 को अधिकारियों के दस अधिकार प्राप्त समूहों का पुनर्गठन किया गया था। इन समूहों को अन्य बातों के साथ-साथ (i) आपातकालीन प्रबंधन योजना और रणनीति, (ii) आपातकालीन कार्रवाई करने की क्षमता, (iii) मानव संसाधन और क्षमता विकास में वृद्धि, (iv) ऑक्सीजन, (v) टीकाकरण, (vi) परीक्षण, (vii) निजी, गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ साझेदारी, (viii) सूचना, संचार और जनता से जुड़ाव, (ix) आर्थिक और कल्याणकारी उपाय, (x) लॉकडाउन के दौरान महामारी के प्रति कार्रवाई और समन्वय आदि से संबंधित कार्य सौंपे गए थे।

अधिकार प्राप्त समूह की बैठकें-10

9.23 कोविड-19 के प्रबंधन के लिए, निम्नलिखित मुद्दों की समीक्षा के लिए समय-समय पर केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समूह -10 की श्रृंखलाबद्ध बैठकें आयोजित की गई हैं:

- रोकथाम के उपाय एवं दिशा-निर्देश
- केंद्र-राज्य समन्वय
- विधिक और प्रशासनिक पहलू
- लॉजिस्टिक और सप्लाईचैन व्यवस्था।

अस्पताल में बिस्तर की क्षमता बढ़ाना

9.24 दिल्ली कैंट में 1000 बिस्तरों वाले अस्थायी सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल (एसवीबीपी अस्पताल) की स्थापना: जून, 2020 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कोविड-19 मामलों में अचानक वृद्धि होने के कारण, जिसके फलस्वरूप अस्पतालों में बिस्तरों की अनुपलब्धता हो गई थी, गृह मंत्रालय ने डीआरडीओ द्वारा दिल्ली छावनी में 250 आईसीयू/वेंटीलेटर बिस्तरों के साथ 1000 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कोविड मामलों में वृद्धि होने के कारण, इस अस्पताल को अप्रैल, 2021 के महीने में फिर से शुरू किया गया।

9.25 बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर में 500 बिस्तरों वाले दो अस्पतालों की स्थापना तथा पीएम-केयर्स से 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 16 आरटी-पीसीआर प्रयोगशालाओं की स्थापना: बिहार राज्य में कोविड के मामलों में अचानक वृद्धि होने और चिकित्सा सुविधाओं की अपर्याप्तता होने के कारण, गृह मंत्रालय ने पीएम-केयर्स से पटना और मुजफ्फरपुर में 125 आईसीयू/वेंटीलेटर बिस्तर के साथ 500 बिस्तरों वाले दो अस्थायी अस्पतालों की स्थापना के लिए समन्वय स्थापित किया। ये अस्पताल डीआरडीओ द्वारा स्थापित किए गए थे और इनमें चिकित्सक रक्षा मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए थे तथा परा-चिकित्सा कर्मी बिहार राज्य सरकार द्वारा

उपलब्ध कराए गए थे। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने पीएम-केयर्स से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 16 आरटी-पीसीआर प्रयोगशालाओं की स्थापना किए जाने के लिए भी समन्वय स्थापित किया।

9.26 जम्मू और श्रीनगर में 500 बिस्तरों वाले 2 अस्थायी कोविड अस्पताल की स्थापना: जम्मू और श्रीनगर में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, गृह मंत्रालय ने जम्मू और श्रीनगर में 500 बिस्तरों वाले 2 कोविड अस्पतालों की स्थापना के लिए संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय किया है।

राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

9.27 राज्य सरकारों के पास धन की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से, केंद्र सरकार ने संबंधित राज्य सरकार के नियंत्रण में रखे गए एसडीआरएफ के अंतर्गत उन्हें सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 14.03.2020 को कोविड-19 को एक अधिसूचित आपदा घोषित किया था। ऐसा करके एसडीआरएफ को क्वारंटीन सुविधाओं की स्थापना; नमूना संग्रहण और स्क्रीनिंग; सरकार के भीतर अतिरिक्त परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना; उपभोग्य सामग्रियों पर खर्च; स्वास्थ्य देखभाल, नगरपालिका, पुलिस और अग्निशमन प्राधिकारियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरणों (पीपीई) की खरीद; थर्मल स्कैनर की खरीद; सरकारी अस्पतालों के लिए वेंटिलेटर, एयर प्यूरीफायर और उपभोग्य वस्तुएं; तथा उपरोक्त उद्देश्यों के लिए राज्य के संसाधनों की कमी को पूरा करने आदि के लिए उपयोग करने की अनुमति मिल गई है। एसडीआरएफ के वार्षिक आवंटन के संबंध में, यह सीमा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 35% तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 50% तक निर्धारित की गई थी।

फ्रंट लाइन कर्मचारियों के संबंध में कोविड-19 टीकाकरण हेतु डेटाबेस तैयार करने में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सहायता करना

9.28 गृह मंत्रालय ने फ्रंट लाइन कर्मचारियों, जिसमें

अन्य के साथ-साथ केंद्रीय सशस्त्र बल कार्मिक, राज्य पुलिस कार्मिक, जेल कर्मचारी, एसडीआरएफ कर्मी और आपदा प्रबंधन के स्वयंसेवक शामिल हैं, के संबंध में कोविड-19 टीकाकरण हेतु डेटाबेस तैयार करने में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सहायता की है। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के पुलिस महानिदेशकों और गृह एवं आपदा प्रबंधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा सीएपीएफ/सीपीओ के महानिदेशकों (डीजी) के साथ बैठक की है। इस संबंध में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सीएपीएफ और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के साथ नियमित रूप से आवश्यक समन्वय किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं।

मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति

9.29 देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान, गृह मंत्रालय ने सामान्य से गंभीर कोविड-19 रोगियों के उपचार हेतु मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय किया। अप्रैल 2021 से कोविड-19 मामलों में हुई अचानक वृद्धि के परिणामस्वरूप, सामान्य और गंभीर कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए मेडिकल ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की मांग बढ़ गई थी। गृह मंत्रालय ने आवश्यक मेडिकल ऑक्सीजन के साथ-साथ जीवन रक्षक दवाओं (रेमडेसिविर सहित) की पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो उपाय किए, वे इस प्रकार हैं:

- (क) ऑक्सीजन प्लांट से मेडिकल ऑक्सीजन की समन्वित आपूर्ति और बाधामुक्त परिवहन।
- (ख) औद्योगिक उद्देश्य के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के उपयोग को प्रतिबंधित करने और केवल कोविड-19 प्रबंधन के लिए चिकित्सा उद्देश्य हेतु इसके उपयोग का रास्ता तैयार करने का आदेश जारी किया। जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर प्रतिबंधों में धीरे-धीरे ढील दी गई।
- (ग) स्वीकृत आवंटन योजना के अनुसार, देश भर में

मेडिकल ऑक्सीजन का सुचारु परिवहन किया गया।

- (घ) रेमडेसिविर और अन्य आवश्यक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति और परिवहन में समन्वय स्थापित किया गया।
- (ङ) भारतीय वायु सेना के परिवहन विमानों द्वारा विदेशों से उच्च क्षमता वाले ऑक्सीजन टैंकों को समन्वय स्थापित करके लाया गया।
- (च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई कि वे जिला कलेक्टरों को बंद पड़े ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दें। इन प्रयासों के फलस्वरूप सामान्य चैनलों से मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति होने के अतिरिक्त, जिला स्तर पर भी ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।

कोविड के कारण मृतकों के परिजन (एनओके) को अनुग्रह सहायता

9.30 गौरव कुमार बंसल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य शीर्षक वाली रिट याचिका (सिविल) संख्या 554/2021 और रिट याचिका (सी) 539 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 30.06.2021 के निर्णय के अनुसरण में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 12 (iii) के अंतर्गत, दिनांक 11.09.2021 को कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को अनुग्रह सहायता देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया। इस मंत्रालय के दिनांक 25.09.2021 के पत्र के तहत, राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत सहायता के मदों और मानदंडों की सूची को संशोधित किया गया है, जिसके फलस्वरूप राज्य कोविड के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये केवल) की अनुग्रह सहायता दे सकेंगे।

ख. दक्षिण-पश्चिम मानसून की तैयारी

9.31 कोविड-19 के मामलों और दैनिक मामलों के बढ़ते दबाव के बावजूद, दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए हमारी तैयारियों में कोई कमी नहीं आई। गृह मंत्रालय ने

आपदाओं से प्रभावित हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की सहायता के लिए केंद्रीय संसाधन जुटाए, जिनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनडीआरएफ टीमों की पूर्व-तैनाती करना भी शामिल था। गृह मंत्रालय ने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किसी भी आपदा/चक्रवात के आने से पहले ही आवश्यक एहतियाती और तैयारी के उपाय करने के लिए समय पर एडवाइजरी जारी की है।

9.32 दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 2021 के दौरान, संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियों, प्री-मानसून तैनाती आदि की स्थिति का जायजा लेने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभागों के राहत आयुक्तों/सचिवों का वार्षिक सम्मेलन दिनांक 21.05.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई कि वे सभी स्वास्थ्य सुविधाओं, ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान भारी बारिश/बाढ़ या अन्य आने वाली किसी आपदा से सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें, ताकि कोविड-19 के दौरान इनका इस्तेमाल हो सके तथा साथ ही, प्राकृतिक आपदाओं, जैसे कि बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार रहें।

9.33 राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) द्वारा विकसित "राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस (एनडीईएम)" के नवीनतम संस्करण (अर्थात् संस्करण 4.0) का भी वार्षिक सम्मेलन के दौरान लोकार्पण किया गया था। यह संस्करण पूर्वानुमान एजेंसियों से प्राप्त होने वाले वास्तविक समय के अलर्ट और चेतावनी का एकीकरण करने और देश में आपदा जोखिम में कमी करने के लिए जिला स्तर के आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों तक इनका प्रसार करने में सहायक होगा। इस सम्मेलन में सशस्त्र बलों और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के साथ-साथ राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्रीय मंत्रालयों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), हिम और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान (एसएसई), एनआरएससी, आईएसआरओ (इसरो),

जीएसआई और अन्य वैज्ञानिक संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

9.34 गृह मंत्रालय के निर्देश पर, एनडीआरएफ ने दिनांक 25.06.2021 को राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), सिविल डिफेंस और होम गार्ड का वार्षिक सम्मेलन- 2021 भी वर्चुअल रूप से आयोजित किया। माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री नित्यानंद राय इसमें मुख्य अतिथि थे। इस सम्मेलन ने सभी प्रतिभागी एजेंसियों को मानसून के दौरान अपनी योजना और तैयारी बढ़ाने के लिए एक साझा मंच प्रदान किया। इसने हितधारकों को किसी भी आपदा की स्थिति में पारस्परिक सहयोग के माध्यम से मोचन कार्रवाई करने की क्षमताओं में सुधार के लिए अपनी सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने का अवसर भी प्रदान किया।

ग. वर्ष 2021 के दौरान बाढ़ की स्थिति

9.35 दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान, देश के विभिन्न भागों में भारी वर्षा होने के कारण, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश भारी वर्षा/भू-स्खलन और बाढ़ों से प्रभावित हुए थे। राज्य प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर और जब कभी उनके द्वारा अनुरोध किया गया, तो गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ की पर्याप्त टीमों तैनात की थीं। बाढ़ की स्थिति अपने चरम पर होने की दशा में दिनांक 25.07.2021 को एनडीआरएफ की 152 टीमों तैनात की गई थी। बाढ़ की स्थिति की गृह मंत्रालय में उच्च स्तर पर 24x7 घंटे निगरानी की गई थी। गृह मंत्रालय ने बचाव और राहत प्रयासों के लिए तथा साथ ही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की सरकारों द्वारा अनुरोध करने की स्थिति में वहां बचाव और राहत ऑपरेशन चलाने के लिए एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक के संसाधनों की तैनाती/मोबिलाइजेशन का समन्वय किया।

घ. चक्रवात

i) अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान "तौकते"

9.36 अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान 'तौकते' दिनांक

17.05.2021 को हवा की अधिकतम 150-175 किमी. प्रति घंटे की गति से गुजरात के तट से टकराया। चक्रवाती तूफान ने महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल राज्यों तथा लक्षद्वीप और "दादरा नगर हवेली और दमण एवं दीव" संघ राज्य क्षेत्र को भी प्रभावित किया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के बुलेटिनों के आधार पर, गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को नियमित परामर्श जारी किए गए थे। क्षेत्र में कम दबाव बनने के बाद से ही, 24x7 आधार पर उच्चतम स्तर पर स्थिति पर नजर रखी गई थी। गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ और रक्षा बलों की तैनाती सहित सभी आवश्यक वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता भी प्रदान की। गृह मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से, राज्य सरकारों, रक्षा मंत्रालय, एनडीआरएफ और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ निकट समन्वय करके मानव जीवन के नुकसान को काफी हद तक कम किया गया।

9.37 माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 19.5.2021 को अपने हवाई सर्वेक्षण और गुजरात दौरे के बाद की गई घोषणा के उपरांत, केंद्र सरकार ने दिनांक 20.5.2021 को गुजरात राज्य सरकार को 1,000 करोड़ रुपये रुपये की राशि जारी की।

(ii) भीषण चक्रवाती तूफान "यास"

9.38 दिनांक 26.05.2021 को, एक भयंकर चक्रवाती तूफान "यास" ने बालासोर के दक्षिण में ओडिशा तट को पार किया। इसने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड को प्रभावित किया है। आईएमडी के बुलेटिन के आधार पर, गृह मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को समय पर एडवाइजरी जारी की। कम दबाव वाले क्षेत्र के निर्माण की स्थिति बनने के बाद इस स्थिति की उच्चतम स्तर पर 24x7 आधार पर निगरानी की गई थी। गृह मंत्रालय ने चक्रवात से प्रभावित हुये राज्यों में सभी प्रकार की लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की और एनडीआरएफ एवं सशस्त्र बलों की जनशक्ति तथा संसाधनों को भी तैनात किया।

9.39 इस चक्रवात के आने के बारे में आईएमडी द्वारा अग्रिम रूप में और समय पर चेतावनी जारी करने तथा गृह मंत्रालय द्वारा अन्य हितधारकों के साथ निकट समन्वय से

ठोस प्रयास करने के फलस्वरूप, मानव जीवन के नुकसान को काफी हद तक कम किया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 28.05.2021 को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तथा ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड को तत्काल राहत गतिविधियों के लिए 1000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। तदनुसार, दिनांक 29.05.2021 को एनडीआरएफ से ओडिशा को 500 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को 300 करोड़ रुपये और झारखंड को 200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई।

iii) चक्रवाती तूफान 'जवाद'

9.40 चक्रवाती तूफान जवाद एक कमजोर उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जिसने देश में तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बड़े व्यवधान पैदा किए, जिसके फलस्वरूप इन राज्यों में एक कमजोर सिस्टम के रूप में भारी वर्षा और तेज हवाएं चलीं। सिस्टम 3 दिसंबर को एक डीप डिप्रेशन में और उसी दिन 06:00 यूटीसी (यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड) तक एक चक्रवाती तूफान के रूप में अपग्रेड हो गया, जिसे आईएमडी ने "जवाद" नाम दिया। हालांकि, यह तीव्रता अल्पकालिक थी, क्योंकि सिस्टम विंड शीयर के कारण एक डीप डिप्रेशन के रूप में कमजोर हो गया था। चक्रवाती तूफान "जवाद" का दबाव 05-06 दिसंबर 2021 के दौरान ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर आया। इसके बाद, यह उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ गया और दिनांक 06.12.2021 को बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में भली-भांति चिह्नित निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में कमजोर हो गया।

9.41 जवाद के कारण व्यापक तैयारियां की गईं। स्कूल एवं ट्रेन संचालन बाधित हुए और रद्द कर दिए गए तथा तूफान के लिए आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आपदा टीमों को तैनात किया गया था। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को निकालकर उनके राज्यों में भेजा गया था। संभावित आपात स्थितियों के साथ-साथ आपदा राहत के लिए आवश्यक स्टॉक भी तैयार किया गया था।

चक्रवात "गुलाब"

9.42 दिनांक 24.09.2021 को पूर्व-मध्य बंगाल की

खाड़ी और निकटवर्ती क्षेत्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया था। इसने तीव्र चक्रवाती तूफान "गुलाब" (गुल-आब के रूप में उच्चारित) का रूप ले लिया और यह धीरे-धीरे 75-85 किमी. प्रति घंटे से 95 किमी. प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ दिनांक 26.09.2021 को अपने चरम पर पहुंच गया। इसने दिनांक 26.09.2021 को ओडिशा के जिला गंजम और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के बीच लैंडफाल का निर्माण किया। तदंतर, यह एक डीप डिप्रेशन के रूप में कमजोर पड़ कर, फिर दिनांक 27.09.2021 को डिप्रेशन के रूप में तब्दील हो गया।

9.43 दिनांक 24.09.2021 को निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के बाद से, स्थिति की 24x7 आधार पर उच्चतम स्तर पर निगरानी की गई। गृह मंत्रालय ने चक्रवात से प्रभावित राज्यों में सभी प्रकार की लॉजिस्टिक सहायता भी प्रदान की और वहां एनडीआरएफ, सशस्त्र बलों की जनशक्ति एवं संसाधन भी तैनात किए।

9.44 कम दबाव की शुरुआत के बाद से ही संबंधित राज्य सरकार को अपनी तैयारियों के उपाय करने और मछुआरों को चेतावनी जारी करने के लिए नियमित एडवाइजरी जारी की गई तथा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हर संभव सहायता प्रदान की गई। गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम ने भी 24x7 आधार पर स्थिति की निगरानी की। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) ने भी स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों और राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की।

9.45 गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को समय पर अग्रिम एडवाइजरी जारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र में गतिविधियों (जैसे मछली पकड़ना, नौका विहार आदि) को समय पर निलंबित किया जा सका और संस्थानों, कार्यालयों एवं सभी प्रतिष्ठानों को बंद किया गया तथा लोगों को समय पर निकालकर चक्रवात आश्रय स्थलों/सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गृह मंत्रालय के सतत प्रयासों के कारण अन्य सभी स्टैकहोल्डरों के साथ गहन समन्वय स्थापित करके मानव जीवन की क्षति को काफी हद तक कम किया गया।

इस वर्ष के दौरान आपदाओं से हुई क्षति

9.46 वर्ष 2021-22 (दिनांक 31.12.2021 तक) के दौरान, 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने चक्रवाती तूफानों/तेज बाढ़/बाढ़ों/भू-स्खलनों/बादल फटने आदि से विभिन्न मात्रा में हुई क्षति की सूचना दी है। ये राज्य हैं— आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार,

छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू एवं कश्मीर, पुदुचेरी। वर्ष 2021-22 (दिनांक 31.12.2021 तक) के दौरान, देश में क्षति की मात्रा निम्नानुसार है:

मानव जीवन की क्षति की सं.	2206
प्रभावित हुए मवेशियों की सं.	54,946
क्षतिग्रस्त घर (पूर्णतः और आंशिक)	1,46,935
प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हेक्टे. में)	23.682 लाख हेक्टे. (लगभग)

वित्तीय तंत्र

9.47 राहत संबंधी व्यय के वित्तपोषण की स्कीम क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों पर आधारित होती है। 14वें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से सहायता प्रदान करने के लिए हिमस्खलन, चक्रवात, बादल फटने, सूखे, भूकंप, सुनामी, आगजनी, बाढ़, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, कीट हमलों और शीतलहर/ पाला पड़ने को प्राकृतिक आपदा माना जाए। भारत सरकार ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के गठन तथा प्रशासन के बारे में दिनांक 30.07.2015 को दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश और मानदंड गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.ndmindia.mha.nic.in पर उपलब्ध हैं।

9.48 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1) में राज्य सरकारों द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) का गठन किए जाने का प्रावधान किया गया है। गृह मंत्रालय ने एसडीआरएफ के संचालन हेतु राज्यों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्य राहत निधियों के लिए आवंटन, क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर किए गए हैं। विभिन्न राज्यों के लिए पांच वर्षों की अवधि हेतु निधियों का आवंटन करते समय जिन कारकों पर विचार किया जाता है, उनमें प्राकृतिक आपदाओं के प्रति राज्य की कमजोर क्षमता, राज्य की आर्थिक स्थिति और पिछले 10 वर्षों के दौरान राहत अभियानों पर राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यय इत्यादि

शामिल हैं। वर्तमान में, 15वें वित्त आयोग की अंतिम सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 13,465.00 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2021-22 के लिए सभी राज्यों की राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएफ)/ एसडीआरएफ में 23,186.40 करोड़ रु. (केंद्रीय अंश की रूप में 17,747.20 करोड़ रु. और राज्य अंश के रूप में 5439.20 करोड़ रु.) के आवंटन को अनुमोदन प्रदान किया है। एसडीआरएफ/ एसडीआरएफ की स्कीम के अंतर्गत एसडीआरएफ में केंद्रीय अंश को जून और दिसम्बर माह में दो बराबर किश्तों में जारी करने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ)

9.49 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46(1) में किसी चुनौतीपूर्ण आपदा प्रबंधन की स्थिति अथवा आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के गठन का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने दिनांक 28.09.2010 को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के गठन के लिए अधिसूचना जारी की थी। प्रत्येक राज्य के लिए एसडीआरएफ के कुल वार्षिक आवंटन में केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 75:25 तथा पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 है।

9.50 15वें वित्त आयोग (XV-एफसी) ने रिपोर्ट के अध्याय-6 "आपदा जोखिम प्रबंधन" में अन्य बातों के

साथ-साथ राष्ट्रीय आपदा उपशमन निधि (एनडीएमएफ) और राज्य आपदा उपशमन निधि (एसडीएमएफ) के रूप में राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर उपशमन निधि स्थापित करने की सिफारिश की थी। 15वें वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि इस निधि के गठन और उपयोग के लिए गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के साथ परामर्श करके विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएं। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 के दौरान एनडीएमएफ के लिए 2478 करोड़ रु. और एसडीएमएफ के लिए 5797 करोड़ रु. आवंटित किए हैं। भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग की उपर्युक्त सिफारिशें मंजूर कर ली हैं।

9.51 एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के संचालन के लिए दिशानिर्देश दिनांक 12.01.2022 को जारी किए गए हैं और वे www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं। एसडीएमएफ के संचालन के लिए दिशानिर्देश दिनांक 14.01.2022 को जारी किए गए हैं और वे www.ndmindia.mha.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। एनडीएमएफ के संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के साथ परामर्श करते हुए अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिन्हें शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है।

9.52 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत “तैयारी एवं क्षमता निर्माण वित्तपोषण विंडो” के गठन और प्रशासन संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 19.11.2020 को जारी किए गए थे। ये दिशानिर्देश www.ndmindia.mha.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

अतिरिक्त वित्तीय सहायता

9.53 गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर, निधियां राज्य आपदा मोचन निधि के प्रावधानों के अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से सम्पूरित की जाती हैं। प्रभावित राज्य से ज्ञापन प्राप्त होने पर, एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम गठित की जाती है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस टीम की रिपोर्ट की जांच राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति द्वारा की जाती है। उप-समिति की

सिफारिशों को उच्च स्तरीय समिति के समक्ष उनके विचार हेतु और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से निधियों के अनुमोदन हेतु रखा जाता है।

9.54 वर्ष 2021-22 के लिए, एसडीआरएफ/एसडीआरएफ में आवंटन 23,186.40 करोड़ रु. है, जिसमें से 17,747.20 करोड़ रु. भारत सरकार का केंद्रीय अंश है और 5439.20 करोड़ रु. राज्य सरकारों का अंश है। वर्ष 2021-22 (31.12.2021 तक) के दौरान, 28 राज्यों को राज्य आपदा मोचन निधि के केंद्रीय अंश के रूप में प्रथम किस्त की 8,873.60 करोड़ रु. की राशि जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के केंद्रीय अंश की 8,873.60 करोड़ रु. की दूसरी किस्त भी 28 राज्यों को जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, 07 राज्यों को एनडीआरएफ से 3,543.54 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता जारी की गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य आपदा मोचन निधि/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला एक राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-XIII में दिया गया है।

संस्थागत तंत्र

(I) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)

9.55 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उद्देश्य हेतु स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री हैं। इसमें नौ सदस्यों तक का प्रावधान है, जिनमें से एक को उपाध्यक्ष के रूप में पदनामित किया जा सकता है। वर्तमान में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में चार सदस्य शामिल हैं – (1) श्री कमल किशोर, सदस्य, (2) ले. जनरल सईद अता हसनैन, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम और बार (सेवानिवृत्त), सदस्य (3) श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य और (4) श्री कृष्ण स्वरूप वत्स, सदस्य।

9.56 एनडीएमए, राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्य/पहलें करता है, जिनमें आपदा प्रबंधन पर नीतियां निर्धारित करना और साथ ही भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनकी अपनी योजनाओं एवं परियोजनाओं में आपदा प्रबंधन को समेकित करने के लिए उन्हें दिशानिर्देश अनुपालनार्थ जारी करना शामिल हैं।

यह उन दिशानिर्देशों को भी निर्धारित करता है, जिनका अनुपालन राज्यों द्वारा अपनी राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने, योजना तैयारियों, आपदा न्यूनीकरण उपाय करने और क्षमता निर्माण हेतु पहल करने के लिए किया जाना होता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) 2009

9.57 केंद्रीय मंत्रीमंडल द्वारा 22.10.2009 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति को अनुमोदन प्रदान किया गया और 18.01.2010 को इसे जारी किया गया। इस नीति में पूर्ववर्ती “कार्रवाई – केन्द्रित” दृष्टिकोण में बदलाव करते हुये आपदाओं के समग्र प्रबंधन की ओर ध्यान दिया गया है तथा रोकथाम, तैयारी और शमन पर बल दिया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी)

9.58 एनडीएमए ने वर्ष 2016 में पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार की थी। इसे नवंबर, 2019 में विस्तृत परामर्शों के पश्चात संशोधित किया गया है। संशोधित योजना में नए जोखिम (आंधी-तूफान, बिजली गिरना, झंझावात, धूल भरी आंधी और प्रचण्ड हवा/बादल फटना और ओलावृष्टि/ग्लेशियर झील भरने से बाढ़ (जीएलओएफ)/ग्रीष्म लहर/जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल (बीपीएचई)/जंगल की आग) और नए अध्याय (वर्ष-2015 के वैश्विक फ्रेमवर्क/सामाजिक समावेशन/डीआरआर को मुख्यधारा में लाने के बाद डीआरआर हेतु सामंजस्यपूर्ण एवं परस्पर सुदृढीकरण) शामिल है तथा जलवायु जोखिम की सूचना वाली डीआरआर के लिए नए विषयगत क्षेत्र के रूप में “जलवायु परिवर्तन हेतु जोखिम प्रबंधन” भी शामिल हैं। इस एनडीएमपी में सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों और अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए समयबद्ध कार्रवाई की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, ताकि अमुख कार्रवाई डीआरआर के सेंडाई फ्रेमवर्क की समयसीमा के साथ मेल खा सके। यह योजना केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ साझा की गई है, ताकि वे सेंडाई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एनडीएमपी 2019 की समयसीमा के अनुरूप अपनी योजनाएं और रणनीतियां तैयार कर सकें।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश

9.59 एनडीएमए ने अपनी स्थापना के बाद, आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर 33 दिशानिर्देश जारी किए हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, भवन की भूकंपीय सुरक्षा के लिए, “भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) 2016” तथा “शीत लहर एवं पाला की रोकथाम और प्रबंधन 2021” दो दिशानिर्देश जारी किए गए थे। ये दिशानिर्देश एनडीएमए की वेबसाइट (www.ndma.gov.in) पर “Governance=NDMA Guidelines” लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

भूकंप प्रतिरोधी निर्माण के माहौल के लिए सरलीकृत दिशानिर्देश/मैनुअल तैयार करना

9.60 एनडीएमए, बीआईएस कोड और एनबीसी-2016 पर आधारित सरलीकृत दिशानिर्देशों को विकसित करने के लिए बीआईएस के साथ जुड़ा हुआ है, जिनमें आम आदमी और कुलमिलाकर जनता के हित में भूकंप-प्रतिरोधी निर्माण की बुनियादी आवश्यकता को समझाया गया है। स्कीम की कुल लागत 10 लाख रुपये है। एक दिशानिर्देश को अंतिम रूप दिया गया और इसे एनडीएमए के 17वें स्थापना दिवस पर जारी किया गया है।

कार्य योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश – शीत लहर और पाला की रोकथाम एवं प्रबंधन, 2021

9.61 हाल के वर्षों में, अत्यधिक निम्न तापमान के साथ उत्तर की ओर से उप-महाद्वीप में शुष्क, ठंडी हवाओं के आने की घटनाएं, जिन्हें शीत लहर कहा जाता है, असुविधा, बीमारियों और यहां तक कि जीवन-हानि का कारण बनी हैं। शीत लहर हर साल दिसंबर-जनवरी के महीने में आती है और कभी-कभी अधिक शीत लहर की घटनाएं नवंबर से फरवरी के बीच होती हैं और ये ज्यादातर उत्तरी भारत तक सीमित रहती हैं। शीत लहर एक लंबी अवधि तक कम तापमान के साथ होती है। शीत लहर के प्रभाव को देखते हुए, एनडीएमए ने दिशानिर्देश तैयार करने का निर्णय लिया है।

9.62 तदनुसार, एनडीएमए ने 9 चरणों वाली प्रक्रिया

के सिद्धांत को अपनाया है तथा कार्य योजना बनाने के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश— “शीत लहर एवं पाला गिरने की रोकथाम और प्रबंधन” तैयार किए हैं, जिनका उद्देश्य राज्य स्तर और जिला स्तर पर “शीत लहर कार्य योजना (सीडब्ल्यूएपी)” विकसित करने के लिए एक व्यापक कार्यवाही प्रदान करना है, ताकि शीत लहर के प्रभाव को कम किया जा सके। एनडीएमए के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर ये दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। दिशा-निर्देशों को संबंधित स्टेकहोल्डरों को परिचालित किया गया है। दिशानिर्देश एनडीएमए की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी)

9.63 36 में से 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पास अपनी अनुमोदित राज्य आपदा प्रबंधन योजना है। पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य, जिसने एसडीएमपी को अनुमोदन प्रदान किया था, को दो संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है— (i) जम्मू और कश्मीर (ii) लद्दाख। इसके अतिरिक्त, पूर्ववर्ती संघ राज्य क्षेत्र नामतः (i) दादरा एवं नगर हवेली और (ii) दमण और दीव, जिन दोनों ने एसडीएमपी को अनुमोदन प्रदान किया था, को भी मिलाकर एक संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) बनाया गया है। इन तीन (3) नव निर्मित संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में अलग-अलग एसडीएमपी तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजना

9.64 भारत सरकार के पचास (50) मंत्रालयों/विभागों ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर ली है। इन मंत्रालयों/विभागों की सूची अनुलग्नक-XIV में दी गई है।

एनडीएमए का 17वां स्थापना दिवस समारोह:

9.65 एनडीएमए का 17वां स्थापना दिवस दिनांक 28.09.2021 को सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में मनाया गया, जिसका थीम “हिमालयी क्षेत्र में आपदा घटनाओं के

कॉन्फेडेंसिंग प्रभाव” था। श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर उपस्थित थे तथा उनके साथ गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय, श्री अजय कुमार मिश्रा और श्री निशित प्रामाणिक, विशेष अतिथियों के रूप में उपस्थित थे। समापन सत्र के दौरान माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा विशिष्ट अतिथि थे। थीम पर विशेषज्ञ चर्चा के अलावा, इस अवसर पर पांच महत्वपूर्ण दस्तावेज, यथा आपदा मित्र योजना दस्तावेज, आपदा मित्र प्रशिक्षण नियमावली, साझा चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) योजना दस्तावेज, भूकंप प्रतिरोधी निर्माण के माहौल के लिए दिशानिर्देश तथा शीत लहर एवं पाला पर दिशानिर्देश आदि भी जारी किए गए। मंत्रालयों/विभागों, रेजिडेंट कमिश्नर, सीएपीएफ के महानिदेशकों ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति देकर स्थापना दिवस में भाग लिया तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए), संबंधित संगठनों और प्रशिक्षित आपदा मित्र स्वयंसेवकों ने वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में भाग लिया।

कोविड-19 हेतु किया गया कार्य

क. कोविड-19 ऑपरेशनल डैशबोर्ड

9.66 एनडीएमए ने कोविड-19 वैश्विक महामारी की स्थिति के प्रबंधन के लिए एक जीआईएस पोर्टल विकसित किया है। कोविड-19 जीआईएस पोर्टल देश में तीनों स्तरों अर्थात् राष्ट्रीय, राज्य और जिले में मामलों, निगरानी की स्थिति, अवसंरचना की उपलब्धता, हॉटस्पॉटों और राहत शिविरों के संबंध में दैनिक स्थिति के साथ-साथ आवधिक अपडेट देकर भारत में इस वैश्विक महामारी की बढ़ती स्थिति की एक समग्र तस्वीर प्रदान करता है। जनता, एसडीएमए और अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए कोविड-19 मामलों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु जियो-सक्षम डैशबोर्ड विकसित किया गया है। इन तीन स्तरों पर भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के माध्यम से उपलब्ध आंकड़ों का एकीकरण, इसे एक इंटरैक्टिव प्लेटफार्म बनाता है, जहां डेटा और सूचना एक आकर्षक दिखने वाले फार्मेट में उपलब्ध रहते हैं।



चित्र - कोविड 19 डैशबोर्ड को दर्शाते हुए

ख. ऑक्सीजन ऑपरेशनल डैशबोर्ड

9.67 ऑक्सीजन ऑपरेशनल डैशबोर्ड को एनडीएमए द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता की निगरानी के लिए विकसित किया गया है। सभी समर्पित कोविड अस्पतालों (डीसीएच) को अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की दैनिक उपलब्धता की स्थिति को अपडेट करने के लिए

लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान किया गया है। डैशबोर्ड में सभी अस्पतालों का डेटाबेस होता है, जिसमें उनका पता और भू-स्थान (जियो-लोकेशन) होता है। ऑक्सीजन की उपलब्धता को किलोलीटर में उनकी भंडारण क्षमता के रूप में दर्शाया जाता है और इसे लिक्विड ऑक्सीजन टैंक, डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडरों और बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडरों में वर्गीकृत किया जाता है।



चित्र: ऑक्सीजन उपलब्धता स्थिति डैशबोर्ड

मनोसामाजिक देखभाल और सामाजिक संवेदनशीलता में कमी लाना

9.68 एनडीएमए ने कोविड-19 के लिए जांच में पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों के लिए एक मनोसामाजिक देखभाल हेल्पलाइन शुरू की थी, जिसमें उन्हें दूरस्थ स्थान से परामर्श के रूप में मनोसामाजिक सहायता प्रदान की गई थी। यह हेल्पलाइन दिनांक 22.04.2020 से 15.02.2021 तक और फिर दिनांक 23.04.2021 से 22.07.2021 तक दो चरणों में कार्यान्वित की गई थी। कोविड-19 से संबंधित तनाव और सदमे को कम करने हेतु मनोसामाजिक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए इस हेल्पलाइन के माध्यम से 2 लाख से अधिक लोगों के साथ संपर्क किया गया था।

9.69 एनडीएमए ने योग्य और अनुभवी स्वयंसेवी परामर्शदाताओं को सूचीबद्ध किया और उन्हें एक मोबाइल एप्लिकेशन की सहायता से टेलीफोन के माध्यम से रोगियों को परामर्श देने के लिए नियुक्त किया। यह मोबाइल एप्लिकेशन रोगियों के साथ-साथ परामर्शदाताओं की पहचान को छुपा कर रखती है। इस तरह के परामर्श के अंतर्गत मनोसामाजिक प्राथमिक चिकित्सा-सहायता (पीएफए) के विशिष्ट घटक शामिल थे, जैसेकि 'बिना आलोचना के सुनना', 'पुनः आश्वासन और सामान्य जानकारी देना' और 'स्वयं-सहायता एवं सहायता के अन्य तरीकों के लिए प्रोत्साहित करना'।

9.70 यह देश में अपनी तरह की एक अनोखी पहल थी, क्योंकि यह एक तरह की 'रिवर्स' हेल्पलाइन है, जहां पर कोविड-19 के लिए जांच में पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति हेल्पलाइन पर कॉल नहीं करते हैं, बल्कि उनकी मनोसामाजिक स्थिति की जाँच करने और उन्हें परामर्श के रूप में राहत प्रदान करने के लिए कॉल किया जाता है।

9.71 इस हेल्पलाइन के लिए काम कर रहे परामर्शदाताओं को प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण की सहायता टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस), मुंबई द्वारा प्रदान की जा रही थी। एनडीएमए-टीआईएसएस सहयोग के परिणामस्वरूप दो प्रकाशन हुए, जो इस प्रकार हैं:

- (i) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा "रहबर" जो कि मानव पारिस्थितिकी स्कूल, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई का एक फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट है, के सहयोग से "कोविड-19 से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मनोसामाजिक सहायता: भारत के स्वयंसेवी परामर्शदाताओं के अनुभव", पर रिपोर्ट।
- (ii) "रहबर", जो कि मानव पारिस्थितिकी स्कूल, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई का एक फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट है, द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के सहयोग से "कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान मनोसामाजिक सहायता- परामर्शदाताओं के लिए एक प्रशिक्षण मैनुअल अप्रैल 2021"

(II) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)

9.72 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 31.10.2006 को स्थापित 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)' को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की आयोजना करने और इसे प्रोत्साहन देने तथा आपदा प्रबंधन की नीतियों, रोकथाम तंत्र और शमन उपायों से संबंधित राष्ट्रीय स्तरीय सूचना बेस का प्रलेखन एवं विकास करने आदि की नोडल जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिनांक 16.10.2003 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केन्द्र" से अपग्रेड होकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) बनने के बाद यह संस्थान सभी स्तरों पर रोकथाम और तैयारी की संस्कृति को विकसित और प्रोत्साहित करके भारत को आपदा रोधी तथा एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उभारने के अपने मिशन को पूरा करने की ओर तेजी से अग्रसर है। केंद्रीय गृह मंत्री इस संस्थान के अध्यक्ष हैं तथा इसके शासी निकाय की अध्यक्षता राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के उपाध्यक्ष करते हैं।

9.73 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, रोहिणी परिसर की स्थापना 52.81 करोड़ रुपये की लागत से की गई है। एनआईडीएम ने नए परिसर में दिनांक 30.03.2021 से काम शुरू कर दिया है।

9.74 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दक्षिणी परिसर की स्थापना कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में 43.00 करोड़ करोड़ रुपये की लागत से की जा रही है। कैंपस के निर्माण का 95% कार्य दिसंबर, 2021 तक पूरा हो चुका है। काम पूरा करने के लिए मार्च, 2022 तक के समय विस्तार हेतु अनुरोध किया गया है।

आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

9.75 दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान, एनआईडीएम, नई दिल्ली और एनआईडीएम, दक्षिणी परिसर ने 375 एक दिवसीय वेबिनार ऑनलाइन आयोजित किए हैं जिसमें 78008 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 202 तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 59496 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अलावा, दिनांक 01.11.2021 से 31.12.2021 के दौरान, एनआईडीएम ने 21 पांच दिवसीय फेस-टू-फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिसमें 1484 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। अप्रैल से दिसंबर तक 26 ऑनलाइन पाठ्यक्रम (6 सप्ताह और 4 सप्ताह) भी पूरे किए गए हैं, जिनमें 1196 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(III) राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ)

9.76 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में, गृह मंत्रालय ने आपदाओं अथवा आपदा जैसी स्थितियों में विशेष कार्रवाई करने के उद्देश्य से “राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ)” का गठन किया है। एनडीआरएफ को वर्ष 2006 में 08 बटालियनों के साथ गठित किया गया था। इन बटालियनों को संवेदनशीलता के प्रोफाइल के आधार पर देश के भिन्न-भिन्न भागों में तैनात किया गया था। वर्ष 2010 में 02 और बटालियन बनाई गई थी और बाद में, वर्ष 2015 में भी 02 अतिरिक्त बटालियन बनाई गई हैं। अब तक, एनडीआरएफ में 16 बटालियन हैं, जिनमें प्रत्येक में 1149 कार्मिक हैं। यह बल सभी प्रकार की प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाओं जैसे कि रासायनिक, जैविक, रेडियो-धर्मी, आणविक (सीबीआरएन) आपदाओं से निपटने के लिए अपने आप में सक्षम, ओजस्वी, बहु-कौशल युक्त, उच्च तकनीक से परिपूर्ण एकमात्र बल

के रूप में उभरा है। ये 16 बटालियन भटिंडा (पंजाब), गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), पटना (बिहार), गुवाहाटी (असम), वडोदरा (गुजरात), पुणे (महाराष्ट्र), अरावकोनम (तमिलनाडु), विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), मुंडाली (ओडिशा), हरिनघाटा (पश्चिम बंगाल), वाराणसी (उत्तर प्रदेश) और होलोगी (अरुणाचल प्रदेश), लाघोवाल (पंजाब), नुरुपुर (हिमाचल प्रदेश), गदरपुर (उत्तराखंड) और द्वारका (नई दिल्ली) में तैनात हैं। इसके अतिरिक्त, एनडीआरएफ की टीमों को आपदाओं के मामले में कार्रवाई में लगने वाले समय को कम करने के लिए 28 भिन्न-भिन्न रणनीतिक स्थानों में तैनात किया गया है।

9.77 अगस्त, 2018 में, आपदा मोचन को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 04 अतिरिक्त बटालियनों के गठन को अनुमोदन प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त, दिनांक 15.10.2018 को, सरकार ने एनडीआरएफ की इन अतिरिक्त 04 बटालियनों का गठन 637 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से किये जाने को अनुमोदन प्रदान किया था। इन 04 बटालियनों को जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) दिल्ली में तैनात किया जाएगा।

एनडीआरएफ द्वारा खोज और बचाव अभियान

9.78 दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान, एनडीआरएफ की टीमों ने विभिन्न ऑपरेशन किए तथा 22,556 कीमती जिंदगियों (11,886 लोगों को बचाया और 10,670 लोगों को बाहर निकाला) एवं 765 पशुधन को बचाया। साथ ही 571 शवों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके अतिरिक्त, एनडीआरएफ की टीमों ने गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य के स्थानीय प्रशासन को ‘तौकते’, ‘यास’, ‘गुलाब’ और ‘जवाद’ चक्रवातों के दौरान प्रभावित हुए लोगों को व्यापक स्तर पर सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की।

कोविड-19 से कार्य संबंध

9.79 देश भर में कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी एनडीआरएफ इकाइयों ने पूरे देश में

कोविड-19 के लक्षणों, सावधानियों, क्या करें और क्या न करें आदि विषयों पर 1636 से अधिक कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों के दौरान 1,29,495 से अधिक कर्मियों को जागरूक बनाया गया है।

9.80 दिनांक 01.04.2021 से 31.10.2021 की अवधि के लिए, एनडीआरएफ की परिचालन उपलब्धि का घटनावार सार अनुलग्नक-XV में है।

(IV) नागरिक सुरक्षा

9.81 नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) के अंतर्गत भारत या इसके किसी भी भाग के किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, स्थान अथवा वस्तु पर किसी हवाई, भूमि, समुद्री अथवा अन्य स्थानों से होने वाले किसी शत्रु के हमले से सुरक्षा प्रदान करने अथवा ऐसे किसी हमले को रोकने/उसके प्रभाव को कम करने के लिए किए जाने वाले वे उपाय शामिल हैं, जो वास्तव में युद्ध नहीं हैं, भले ही ये उपाय ऐसे हमले के पूर्व, उसके दौरान अथवा उसके बाद किए जाएं। इसमें आपदा प्रबंधन हेतु किए गए उपाय भी शामिल हैं।

9.82 कुछ वेतन भोगी स्टाफ और संस्थापना, जिसमें आपातस्थिति में वृद्धि की जाती है, को छोड़कर, सिविल डिफेंस का गठन बुनियादी तौर पर स्वैच्छिक आधार पर किया जाता है। इस समय सिविल डिफेंस स्वयंसेवक बनाने का लक्ष्य 14.11 लाख रखा गया है, जिसमें से 5.38 लाख सिविल डिफेंस स्वयंसेवक बनाए जा चुके हैं।

9.83 देश में नागरिक सुरक्षा नीति तैयार करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए, असम को छोड़कर, पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा उनकी नागरिक सुरक्षा सेवाओं में बढ़ोतरी, प्रशिक्षण तथा उपस्कर के लिए अधिकृत वस्तुओं पर उनकी राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय के 50% की प्रतिपूर्ति और असम सहित अन्य राज्यों द्वारा किये गए व्यय के 25% की प्रतिपूर्ति निर्धारित दरों के अनुसार अनुदान सहायता के रूप में करती है। यह प्रतिपूर्ति अधिकृत वस्तुओं पर सहायता अनुदान के रूप में की जाती है। दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 की अवधि के

दौरान, केन्द्र सरकार ने सिविल डिफेंस के गठन, उपस्कर और प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय के संबंध में 97 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की है।

9.84 नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीसीडी) की स्थापना राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर के कार्यों सहित सिविल डिफेंस, होमगार्ड और अग्निशमन सेवाओं से संबंधित सभी नीतिगत और योजनागत मामलों को देखने के लिए गृह मंत्रालय में 1962 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक नागरिक सुरक्षा का पदनाम बदलकर अब महानिदेशक (अग्निशमन सेवाएँ, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक) कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कॉलेज, नागपुर का राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, अकादमी में विलय हो गया, जो इस समय राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के नियंत्रण में कार्य कर रहा है।

9.85 वर्तमान में, भारत सरकार द्वारा 275 जिले अधिसूचित किए गए हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्यों द्वारा 162 जिलों में स्थापित सिविल डिफेंस को सक्रिय किया गया है। “द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग” ने ‘संकट प्रबंधन’ नामक अपनी तृतीय रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि सिविल डिफेंस को उन सभी जिलों में गठित किया जाना चाहिए, जो न केवल शत्रु के हमलों, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भी संवेदनशील हैं। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को अपने राज्यों में सिविल डिफेंस कम्पौनेंट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राजस्थान, मेघालय, दिल्ली, दमण एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली और केरल आदि जैसे कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने अग्रणी दर्जा प्राप्त किया है और अपने सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को ‘नागरिक सुरक्षा जिले’ के रूप में अधिसूचित किया है।

कोविड-19 वैश्विक महामारी में योगदान

9.86 कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की सरकारों ने सक्रिय रूप से सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की सेवाओं का लाभ उठाया है और सिविल डिफेंस के 1 लाख से अधिक स्वयंसेवक विभिन्न भूमिकाओं और क्षमताओं के साथ

जमीनी स्तर पर तैनात किए गए हैं। ये समुदाय आधारित स्वयंसेवक राज्य का कोविड-19 वार रूम चलाने, स्वेब क्लेक्शन करने, क्वारंटाइन सेंटरों में तैनात होने, भोजन, राशन एवं दवाओं इत्यादि की होम डिलिवरी करने आदि से लेकर पूरे देशभर में जमीनी स्तर के कार्य तक सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। वे कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में स्थानीय/राज्य प्रशासन के लिए सच्चे 'कोरोना योद्धा' के रूप में उभरकर सामने आए हैं और उन्होंने सच्चे 'बल बर्धक' के रूप में कार्य किया है।

(V) होमगार्ड

9.87 'होमगार्ड' एक स्वैच्छिक बल है, जिसकी स्थापना भारत में दिसम्बर, 1946 में नागरिक अशांति एवं साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता करने के लिए की गई थी। बाद में, कई राज्यों द्वारा स्वैच्छिक नागरिक बल की अवधारणा को अपना लिया गया था। वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण के परिणामस्वरूप, केन्द्र ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को अपने मौजूदा स्वैच्छिक संगठनों को होमगार्ड के रूप में विदित एक वर्दीधारी स्वैच्छिक बल में विलय करने का सुझाव दिया था। होमगार्डों की भूमिका में कानून एवं व्यवस्था और आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखने, किसी भी प्रकार की आपात स्थिति जैसे कि हवाई हमला, आग लगना, चक्रवात, भूकंप, महामारी आदि में समुदाय की सहायता करने, जरूरी सेवाएं बनाए रखने, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने तथा कमजोर वर्गों की सुरक्षा करने में प्रशासन की सहायता करने, सामाजिक-आर्थिक एवं कल्याणकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने तथा नागरिक सुरक्षा कार्यों के निर्वहन में राज्य पुलिस के सहयोगी बल के रूप में कार्य करना शामिल है।

9.88 सीमावर्ती राज्यों में, ग्रामीण और शहरी होमगार्ड घटकों के अतिरिक्त, सीमा विंग होमगार्ड (बीडब्ल्यूएचजी) की बटालियन भी गठित की गई हैं, जो सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सहायक के तौर पर कार्य करती हैं। देश में होमगार्डों की कुल अनुमानित संख्या 5.74 लाख है, जबकि इसकी गठित नफरी 4.43 लाख है। यह संगठन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में फैला हुआ है।

(VI) अग्निशमन सेवा

9.89 आग की रोकथाम और उससे निपटने से संबंधित

सेवाओं का संचालन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय, आग से बचाव, आग पर नियंत्रण, अग्निशमन कानून एवं प्रशिक्षण के बारे में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और केन्द्रीय मंत्रालयों को तकनीकी परामर्श देता है।

9.90 देश के जान और माल की सुरक्षा करने में अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले बहादुर अग्निशमन सेवा कार्मिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिनांक 14.04.2021 को पूरे देश में शहीद दिवस मनाया गया था। देशभर में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल, 2021 तक "अग्निशमन सेवा सप्ताह" मनाया गया। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभागों ने कॉलेज और स्कूलों में अग्नि सुरक्षा अभ्यासों, जागरूकता शिविरों, भाषणों और प्रदर्शनों का आयोजन किया है।

9.91 भारतीय मानक ब्यूरो ने मार्च, 2017 माह के दौरान "भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) 2016" प्रकाशित की है। भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, भाग-IV "आग एवं जीवन सुरक्षा" सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को परिचालित की गई है, जिसमें उनसे अपने अग्नि सेवा अधिनियम में इसे शामिल करने का अनुरोध किया गया है।

9.92 राज्यों के लिए अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के रख-रखाव का प्रावधान करने के लिए वर्ष 2019 में संशोधित एक मॉडल विधेयक को गृह मंत्रालय ने कानून और न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श करके अनुमोदन प्रदान किया है और सितंबर, 2019 के महीने में इसे सभी संबंधितों को जारी किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे इस विधेयक को अपने संबंधित राज्य अग्निशमन सेवा अधिनियमों/नियमों में अपनाएं।

9.93 राज्यों की अग्निशमन सेवाओं की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत सहायता अनुदान के माध्यम से अग्निशमन सेवाओं के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए 5000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। निधि के संवितरण के लिए मानकों को अंतिम रूप देने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर

9.94 अग्निशमन सेवा के अधिकारियों को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय (एनएफएससी), नागपुर में प्रशिक्षित किया जाता है। यह महाविद्यालय पाम रोड, सिविल लाइन, नागपुर में स्थित ओल्ड सैटलमेंट कमिशनरेट बिल्डिंग में है, जिसमें अग्निशमन अभ्यासों और प्रदर्शनों का आयोजन करने के लिए पर्याप्त जगह है। इस महाविद्यालय के अग्निशमन इंजीनियरों को आग की रोकथाम और आग से सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और विदेशों में जॉब मिलता है। यह महाविद्यालय आपदा प्रबंधन के लिए अग्निशमन ग्राउंड अभियानों, वास्तविक जीवन में पराचिकित्सीय स्थितियों इत्यादि पर भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। महाविद्यालय में आग की रोकथाम और आग से बचाव के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक प्रशिक्षण देने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों, राज्य सरकारों, नगर निगमों, फायर ब्रिगेडों, पोर्ट ट्रस्टों, विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारियों का अतिथि संकाय पैनल मौजूद है।

9.95 कॉलेज के उन्नयन की एक योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और परामर्श के अलावा अग्नि विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, खोज और बचाव तथा आपदा की कार्रवाई में विशेष और पेशेवर प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षमता को बढ़ाना है। 31.12.2021 की स्थितिनुसार, सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से क्षेत्र के विकास के तहत 5% कार्य क्षेत्र को छोड़कर, 42 एकड़ भूमि क्षेत्र में भौतिक अवसंरचना का कार्य पूरा कर लिया गया है। बड़ी संख्या में आधुनिक उपकरण और उपकरण खरीदे गए हैं तथा औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक भवनों में कुछ अतिरिक्त उपकरणों तथा गैस आधारित आग के परिदृश्य वाले अत्याधुनिक प्रॉप्स के निर्माण/स्थापना का काम चल रहा है।

प्रशिक्षण गतिविधियां

9.96 वर्ष 2021 में, कॉलेज ने देश के विभिन्न प्रतिष्ठानों के वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारियों के लिए दो विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों नामशः "यूएसएआर और एमएफआर कोर्स" और "हज़मत विशेषज्ञ कोर्स" सहित आठ शैक्षणिक

और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया है।

9.97 देश के अग्निशमन अधिकारियों और अग्निशमन इंजीनियरों को विभिन्न प्रकार की आपात स्थितियों के विविध रणनीतिक एवं सामरिक संचालन तथा साथ ही प्रबंधन में नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब तक, कॉलेज ने 20,984 अधिकारी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है।

अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और सिविल डिफेंस हेतु पदक

9.98 अग्निशमन सेवाओं, सिविल डिफेंस और होम गार्ड कार्मिकों के उत्कृष्ट योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार वर्ष में दो बार अर्थात गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर वीरता और सेवा पदक प्रदान करती है। स्वतंत्रता दिवस, 2021 के अवसर पर, अग्निशमन सेवा, होम गार्ड और सिविल डिफेंस कार्मिकों को 141 पदक प्रदान किए गए थे।

एनडीआरएफ अकादमी

9.99 भारत सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज (एनसीडीसी) का राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) अकादमी, नागपुर के साथ विलय कर दिया है। श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरदेवी, नागपुर में बनने वाली एनडीआरएफ अकादमी की आधारशिला दिनांक 02.01.2020 को रखी थी और बाद में, नए परिसर का निर्माण शुरू हो गया। एनडीआरएफ अकादमी का उद्देश्य विभिन्न बटालियनों के एनडीआरएफ कर्मियों, एसडीआरएफ कर्मियों, सिविल डिफेंस स्वयंसेवक/ अधिकारियों, होम गार्ड कार्मिक, राज्य पुलिस कार्मिक, पीएसयू के कार्मिक, रेलवे कार्मिक, अग्निशमन सेवा के कार्मिक, एनसीसी कैडेट, सशस्त्र बल, स्कूल/शैक्षणिक संस्थान, पशु आपदा प्रबंधन के लिए पशु चिकित्सक, नेपाल सशस्त्र पुलिस, राज्य सरकार के अधिकारी और आपदाओं में कार्य करने वाले अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित करना है।

9.100 अकादमी ने वर्ष 2021 के दौरान, 1115 कर्मियों (एनडीआरएफ-643, एसडीआरएफ-272 और सिविल डिफेंस-200) को प्रशिक्षित किया है।

9.101 यह अकादमी आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए, देश के कमजोर वर्गों के क्षमता निर्माण का कार्य भी कर रही है। यह अकादमी अंतर्राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई के दौरान बेहतर समन्वय के लिए, अन्य देशों की "आपातकाल प्रबंधन एजेंसियों" के साथ विभिन्न अभ्यास/प्रदर्शन भी आयोजित कर रही है।

(VII) आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई)

9.102 डिजिस्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) के लिए गठबंधन के माध्यम से बुनियादी ढांचे में आपदा रेजिलिएंट को बढ़ावा देने के लिए भारत के आह्वान पर विश्व का ध्यान आकर्षित हो रहा है। दिनांक 31.12.2021 की स्थितिनुसार, गठबंधन में 35 सदस्य हैं, जिनमें उनतीस (29) राष्ट्रीय सरकारें, पाँच (5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन और दो (2) निजी क्षेत्र के संगठन शामिल हैं। सीडीआरआई का अब पूरी तरह कार्यशील सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है।

9.103 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और गृह मंत्रालय, सीडीआरआई को भारत सरकार की ओर से शासनात्मक निगरानी के अलावा कार्यक्रम हेतु वित्त प्रदान करते रहे हैं। एनडीएमए और गृह मंत्रालय ने सीडीआरआई को रणनीतिक दिशा प्रदान करने तथा सीडीआरआई को भारत के संबंधित मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के साथ जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

9.104 वर्ष 2021 में, सीडीआरआई ने महत्वपूर्ण ढांचागत क्षेत्रों में रेजिलिएंट (रोधकता) को बढ़ावा देने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यक्रमों, विषयगत प्राथमिकताओं और क्रॉस-सेक्टरल पहल के तहत विशिष्ट परियोजनाएं शुरू की हैं। प्रमुख सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियाओं और बड़े संसाधन निवेशों के साथ इन क्षेत्रों के फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज को ध्यान में रखते हुए बिजली, दूरसंचार और परिवहन क्षेत्रों पर अच्छी तरह से जोर प्रदान किया गया है। वर्ष 2020 में विश्व स्तर पर अनुभव की गई स्पष्ट चुनौतियों और सदस्य देशों के विशिष्ट अनुरोधों को देखते हुए, सीडीआरआई के क्षेत्रीय कार्यक्रम के पोर्टफोलियो का विस्तार किया गया, ताकि स्वास्थ्य एवं शहरी बुनियादी ढांचे में रेजिलिएंट को बढ़ावा मिल सके। रोधकता

(रेजिलिएंट) और अनुकूलन (अडेप्टेशन) के लिए वित्तपोषण करना भी सीडीआरआई के मुख्य कार्य के पोर्टफोलियो में से एक है।

9.105 विशेष रूप से बिजली, दूरसंचार, परिवहन, स्वास्थ्य और शहरी अवसंरचना के बुनियादी ढांचे की रोधकता से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक मत को आकार देने के लिए सीडीआरआई ने अपने वार्षिक सम्मेलन "आपदा-रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीडीआरआई)" की मेजबानी की। इसके अलावा, वर्ष 2021 के सम्मेलन में मुख्य फोकस छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (एसआईडीएस) की संवेदनशीलता का समाधान करने पर केंद्रित किया गया था।

9.106 इन प्रयासों के आधार पर कार्य करते हुए, सीडीआरआई ने दो रणनीतिक पहल शुरू की हैं – "रोधक द्वीपीय देशों के लिए अवसंरचना (आईआरआईएस)" तथा "आपदा और जलवायु रोधक अवसंरचना पर वैश्विक फ्लैगशिप रिपोर्ट"। भारत, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका और मॉरीशस के प्रधानमंत्रियों द्वारा सीओपी26 में विश्व प्रमुखों के शिखर सम्मेलन के दौरान आईआरआईएस को लॉन्च किया गया था। यह तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए सीडीआरआई की एक समर्पित पहल है और यह एसआईडीएस में अवसंरचना प्रणालियों की आपदा एवं जलवायु संबंधी रोधकता को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करती है।

9.107 "आपदा और जलवायु रोधक अवसंरचना पर सीडीआरआई की वैश्विक फ्लैगशिप रिपोर्ट" राजनीतिक नेताओं, नीति निर्माताओं, व्यवसायियों और शोधकर्ताओं के वैश्विक श्रोतागणों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसका प्रमुख माध्यम है। वर्ष 2023 में लॉन्च की जाने वाली, सीडीआरआई में तकनीकी अध्ययन, पृष्ठभूमि दस्तावेजों, कार्यशालाओं और डाटा संग्रह के माध्यम से विकसित इस वैश्विक रिपोर्ट का द्विवार्षिक प्रकाशन किए जाने की परिकल्पना की गई है।

आपदा प्रबंधन परियोजनाएं/क्रियाकलाप

(क) राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एनसीआरएमपी)

9.108 भारत सरकार ने चक्रवात के खतरे की संभावना वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चक्रवातों के प्रभावों को कम करने और वहां कोस्टल ईको-सिस्टम के संरक्षण के अनुरूप लोगों और अवसंरचना को आपदा-रोधी बनाने के समग्र उद्देश्य से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एनसीआरएमपी) का अनुमोदन किया था। इस परियोजना के चार घटक हैं अर्थात् (i) घटक 'क': अंतिम मील कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करते हुए पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली; (ii) घटक 'ख': चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण अवसंरचना जैसे कि बहु-प्रयोजनीय चक्रवात आश्रय स्थल (निकासी/पहुंच मार्ग/पुलों, सैलाइन तटबंध तथा अंडरग्राउंड केबलिंग); (iii) घटक 'ग': बहु आयामी आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण और (iv) घटक 'घ': परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता। घटक क, ग और घ का केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त-पोषण किया जाता है और घटक ख का वित्त-पोषण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में किया जाता है। केंद्र सरकार के घटक का वित्त-पोषण विश्व बैंक सहायता (ऋण) के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। इस परियोजना का अनुमोदन निम्नलिखित दो चरणों में केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के रूप में किया गया था।

9.109 एनसीआरएमपी के प्रथम चरण का अनुमोदन जनवरी, 2011 में 1496.71 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों के लिए किया गया था, जिसे 5 वर्षों में पूरा किया जाना था। बार-बार चक्रवात का सामना करने के परिणामस्वरूप, अतिरिक्त अवसंरचना को शामिल करके एनसीआरएमपी चरण-। के लागत अनुमान को संशोधित करके जुलाई, 2015 में 2331.71 करोड़ रुपये कर दिया गया था और तदनुसार इसे पूरा करने की तारीख को संशोधित करके दिनांक 31.03.2018 कर दिया गया था। परियोजना राज्यों से प्राप्त अतिरिक्त अनुरोधों पर विचार करने के बाद, मई, 2017 में

परियोजना लागत में पुनः संशोधन करके उसे 2541.60 करोड़ रुपये कर दिया गया था, तथा इसके पूरा होने की तारीख 31.12.2018 थी। एनसीआरएमपी का प्रथम चरण पूरा हो गया है।

9.110 एनसीआरएमपी के दूसरे चरण को जुलाई, 2015 में गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए 2361.35 करोड़ रुपये की लागत से अनुमोदित किया गया था और परियोजना के पूरा होने की तारीख 15.03.2021 थी। दिसम्बर, 2020 के दौरान, 80 मिलियन अमरीकी डालर के निरस्तीकरण/सरेंडर करने के कारण एनसीआरएमपी चरण II के लिए परिव्यय को संशोधित कर 2059.83 करोड़ रुपये कर दिया गया है तथा इसके पूरा होने की संशोधित तारीख 15.09.2022 है।

9.111 एनसीआरएमपी के चरण-।। के तहत, दिनांक 31.12.2021 तक केंद्र के अंशदान के रूप में राज्यों को कुल 1321.46 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और वर्ष 2021-22 के दौरान (दिनांक 31.12.2021 तक), राज्यों को 127.27 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

9.112 आंध्र प्रदेश और ओडिशा में पूर्व चेतावनी और प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस) स्थापित करके कमीशन कर ली गई है तथा गोवा, कर्नाटक और केरल राज्य में यह कार्य प्रगति पर है। दिनांक 31.12.2021 तक कुल 764 बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय स्थल (एमपीसीएस), 1291.52 किमी. सड़कें, 103.6 किमी. लवण तटबंध (एसई), 1030.69 किमी. अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबलिंग (यूजीसी) और 34 पुलों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान, दिनांक 31.12.2021 तक 34 बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय स्थलों, 417.89 किमी. अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबलिंग (यूजीसी) और 6.61 किमी. लवण तटबंध का निर्माण किया गया है। अभी तक 10619 सरकारी कार्मिकों के लिए क्षमता निर्माण के 442 प्रशिक्षण प्रदान किए गए, समुदाय के 57945 व्यक्तियों को 2818 आश्रय स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किए गए।

एनसीआरएमपी चरण-II के तहत सृजित की गई परिसंपत्तियों की तस्वीरें



जंकार, गुजरात में एमपीसीएस



मकतूपुर, गुजरात में एमपीसीएस



कासरगोड, केरल में एमपीसीएस



तारानगर, पश्चिम बंगाल में एमपीसीएस



उडुपी, कर्नाटक में पुल का कार्य प्रगति पर



एमपीसीएस, गोवा में ईडब्ल्यूडीएस का मोनो पोल टावर

एनसीआरएमपी चरण I के तहत सृजित की गई परिसंपत्तियों की तस्वीरें



नारायणपुरम, आंध्र प्रदेश में पुल



सोलमन, आंध्र प्रदेश में एमपीसीएस



डिंडी, आंध्र प्रदेश में सड़क



बासुदेवपुर, ओडिशा में ईडब्ल्यूडीएस (अलर्ट सायरन)



सतरूसोला, ओडिशा में एमपीसीएस



चासीसभा, ओडिशा में एसई

ख. अन्य आपदा प्रबंधन कार्यक्रम (ओडीएमपी)

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन:

9.113 2010. 6 लाख रु. की लागत वाली इस स्कीम में 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के एसडीएमए हेतु अन्य बातों के साथ-साथ एक लाख रु. प्रतिमाह की दर पर एक आपदा प्रबंधन (डीएम) पेशेवर रखने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। यह डीएम पेशेवर "आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी सेंडाई फ्रेमवर्क" के कार्यान्वयन हेतु उपाय करने के लिए राज्य प्रशासन को सुविधा/सहायता प्रदान करेगा। इस स्कीम को वर्ष 2018-19 में इसके शुरू होने की तारीख से तीन वर्षों तक कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत 788.16 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

अभिज्ञात 115 पिछड़े जिलों में से जोखिम संभावित जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) का सुदृढीकरण:

9.114 28.98 करोड़ रु. की लागत वाली इस स्कीम में 27 राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के जोखिम संभावित प्रत्येक जिले में स्कीम की अवधि के दौरान 70,000/- रु. प्रतिमाह की दर पर एक आपदा प्रबंधन (डीएम) पेशेवर रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह डीएम पेशेवर "आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी सेंडाई फ्रेमवर्क" के क्रियान्वयन हेतु उपाय करने के लिए जिला प्रशासन को सुविधा/सहायता प्रदान करेगा। इस स्कीम को वर्ष 2018-19 में इसके शुरू होने की तारीख से तीन वर्षों तक कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत 1169.70 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

आपदा मित्र योजना के पैमाने को बढ़ाना

9.115 पायलट योजना की सफलता के साथ-साथ मूल्यवृद्धि होने तथा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, एनडीएमए मार्च, 2023 तक 100000 सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात और भूकंप के उच्च जोखिम वाले 350 जिलों में 369.40 करोड़ रुपये की कुल लागत से

आपदा मित्र योजना के पैमाने को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इस योजना को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) की तैयारी और क्षमता निर्माण के निधियन की विंडो से वित्तपोषित किया जा रहा है।

9.116 सभी प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को मृत्यु/स्थायी अक्षमता/अस्पताल में भर्ती होने की दशा को कवर करने वाले बीमा सहित एक आपातकालीन रिस्पांडर किट (ईआरके) प्रदान किया जाएगा। सभी 350 जिलों में "आपातकालीन जरूरी संसाधन भंडार (ईईआरआर)" के तहत कुछ निर्धारित उपकरणों की सूची आरक्षित रखी जाएगी।

9.117 दिनांक 28.09.2021 को एनडीएमए के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर आपदा मित्र हेतु स्कीम दस्तावेज और हस्तपुस्तिका जारी करके माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया है।

9.118 दिनांक 31.12.2021 तक, 31 राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें से 15 राज्यों को निधि भी जारी कर दी गई है। अन्य राज्यों को निधियां जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) आधारित एकीकृत चेतावनी प्रणाली (सचेत) चरण-I

9.119 सचेत एक एकीकृत चेतावनी प्रणाली है, जो सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) के मानकों के आधार पर निर्मित है। यह योजना विभिन्न संचार माध्यमों जैसे एसएमएस, टीवी/रेडियो प्रसारण, मोबाइल एप्लीकेशन, सोशल मीडिया, उपग्रह टर्मिनलों आदि पर स्थानीय भाषाओं में भौगोलिक दृष्टि से संदर्भित आबादी के लिए आने वाले खतरों के बारे में चेतावनियों/अलर्ट के प्रसार की सुविधा प्रदान करेगी। चेतावनी देने वाली एजेंसियों जैसे आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, डीजीआरई, आईएनसीओआईएस, आदि द्वारा दी गई चेतावनियों को क्षेत्रीय भाषाओं में चयनित मीडिया पर प्रसार के लिए एसडीएमए द्वारा मॉडरेट और अनुमोदित किया जाएगा। यह योजना नागरिकों के साथ-साथ कार्रवाई करने वालों (रिस्पांडर्स) तक चेतावनी भेजने में लगने वाले समय को

बहुत कम कर देगी, जिससे कार्रवाई और तैयारी के लिए मिलने वाला समय बढ़ जाएगा। इससे जान-माल की हानि में कमी आएगी। यह योजना अत्याधुनिक है और यह 'मेक इन इंडिया' पहल है। इस योजना के लिए एनडीएमए और सीडीओटी के बीच दिनांक 23.09.2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और एनडीएमए के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिनांक

28.09.2021 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा इस योजना दस्तावेज को जारी किया गया था। व्यय विभाग (डीओई), वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) की तैयारी और क्षमता निर्माण के तहत निधियन की विंडो से दिनांक 06.07.2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए योजना हेतु 142.48 करोड़ रुपये की निधि/एलओए जारी किया है।



दिनांक 28.09.2021 को एनडीएमए के 17वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा सीएपी दस्तावेज जारी करना

आपदा की आपात स्थितियों के लिए आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली (112 डायल) का विस्तार

9.120 "देश भर में सभी आपात स्थितियों के लिए एकल संकट (डिस्ट्रैस) नंबर" वाले माननीय प्रधानमंत्री के विजन को कार्यान्वित करने के लिए, एनडीएमए ने आपदा की आपात स्थितियों के लिए आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) के विस्तार की योजना शुरू की है। वर्तमान में ईआरएसएस (डायल 112) को वॉयस कॉल, एसएमएस, ईमेल, पैनिक एसओएस, ईआरएसएस वेब पोर्टल आदि के माध्यम से महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण, पुलिस, अग्नि और चिकित्सा सहायता के संबंध में नागरिकों से प्राप्त सभी आपातकालीन संकेतों पर कार्रवाई

करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रस्तावित योजना से आपदा की आपात स्थितियों को शामिल करने के लिए ईआरएसएस के वर्तमान दायरे का विस्तार किया जा सकेगा। डायल 112 पर शुरू की गई आपदा संबंधी आपातकालीन कॉलों को पुलिस नियंत्रण केंद्र द्वारा राज्य आपातकालीन संचालन केंद्रों (एसईओसी) में भेजा जाएगा, जहां से कॉल को आगे उपयुक्त रिस्पॉन्डर के पास भेजा जाएगा। परियोजना प्रस्ताव को गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.04.2021 को अनुमोदित कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के व्यय को पूरा करने के लिए, दिनांक 31.05.2021 को व्यय विभाग (डीओई), वित्त मंत्रालय द्वारा एनडीएमए को 17.50 करोड़ रुपये की निधि

जारी की गई है। परियोजना के लिए दिनांक 02.08.2021 को सी-डैक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और उसी दिन कार्य आदेश जारी किया गया। दिनांक 31.12.2021 तक, एनडीएमए ने 27 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और शेष राज्यों के साथ यह कार्य प्रगति पर है। योजना को लागू करने के लिए सी-डैक ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साइट सर्वेक्षण और समन्वय के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करना शुरू कर दिया है।

60 शहरों के लिए भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक (ईडीआरआई-II)

9.121 भूकंप आपदा जोखिम के अनुक्रमण के लिए, एनडीएमए द्वारा पूर्व में किए गए अध्ययन को जारी रखते हुए, पहले से अनुक्रमित शहरों के अलावा नए 60 शहरों हेतु आपदा जोखिम सूचकांक का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना के अगले चरण की योजना बनाई गई है। 116.2 लाख रुपये की लागत से चरण-II का कार्य मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी), जयपुर को प्रदान किया गया है, जिसमें से 46.48 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं। अध्ययन से प्राप्त जोखिम सूचकांक मुख्य रूप से शहर के खतरे, जोखिम और प्रभाव (एक्सपोजर) पर केंद्रित होगा। यह प्रत्येक शहर को उनके आने वाले जोखिम की जानकारी प्रदान करेगा और शहरों के बीच जोखिम की एक पारस्परिक तुलना प्रदान करेगा तथा उन्हें आने वाले जोखिम को टालने के लिए आपदा हेतु तैयारी और मोचन उपाय के लिए उचित कार्रवाई करने में सहायता करेगा। जोखिम मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली पर एक आरंभिक रिपोर्ट एनडीएमए को प्रस्तुत कर दी गई है।

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार

9.122 "सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार" अवार्ड एनडीएमए द्वारा वर्ष 2018-19 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र जैसेकि रोकथाम, उपशमन, तैयारी, बचाव, कार्रवाई, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान/खोज अथवा पूर्व चेतावनी आदि में भारत के व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष संबंधित

'व्यक्तियों/संस्थानों' को दिया जाता है। चालू वर्ष 2022 के लिए नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया दिनांक 30.09.2021 को पूरी हो गई है। इस पुरस्कार की घोषणा दिनांक 23.01.2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर की गई थी। वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार सांस्थानिक श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को और व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को प्रदान किया गया है।

भूस्खलन

हरिद्वार-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तराखंड के तपोवन – व्यासी कोरिडोर के लिए मेसो लेवल 1:10,000 स्केल यूजर फ्रेंडली एलएचजेड मैप और भूस्खलन संबंधी वस्तुसूची तैयार करना

9.123 एनडीएमए ने रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (आरएसएसी) – उत्तर प्रदेश के साथ सहयोग से दिनांक 21.05.2018 को "हरिद्वार-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तराखंड के तपोवन – व्यासी कोरिडोर के लिए मेसो लेवल 1:10,000 स्केल यूजर फ्रेंडली एलएचजेड मैप और भूस्खलन संबंधी वस्तुसूची तैयार करने" संबंधी पायलट परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), आईआईटी – रुड़की और उत्तराखंड सरकार अपनी जानकारीयां प्रदान कर रही हैं। हाई रिजोल्यूशन सेटेलाइट डाटा के माध्यम से 1:10,000 स्केल के भूस्खलन जोखिम क्षेत्रीयकरण (एलजेडएच) मैप और भूस्खलन संबंधी वस्तुसूची तैयार करने का कार्य चल रहा है।

9.124 इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 35.13 लाख रुपये है; जिसमें से आरएसएसी- यूपी और आईआईटी-रुड़की को 20.83 लाख रु. जारी कर दिए गए थे। परियोजना की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

(क) भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) ने तपोवन से व्यासी मार्ग कोरिडोर पर 0.5 किमी. बफर सड़क समेत 27.3 किमी. सड़क खण्ड के संबंध में 1:10,000 स्केल और 5 मीटर वाले कंटूर अंतराल का बेस डाटा प्रदान किया।

- (ख) हाई रेजोल्यूशन सेटेलाइट डाटा से सड़क, बस्तियों, नालियों, एक्विटव स्लाइड्स आदि की थीमैटिक लेयर का कार्य पूरा हो गया है।
- (ग) आरएसएसी-यूपी और जीएसआई (उत्तराखंड राज्य इकाई) की टीम ने दिसम्बर, 2018 और अक्टूबर, 2019 माह में उक्त स्थान का दौरा किया। आईआईटी-रुड़की के अनुसंधानकर्ताओं के साथ जीएसआई ने फरवरी, 2020 और जून, 2020 में उक्त स्थान का स्थलीय दौरा किया है।
- (घ) आरएसएसी-यूपी द्वारा जीआईएस थीमैटिक लेयरों

के एकीकरण और आईआईटी-रुड़की द्वारा नमूनों की जांच को पूरा किया गया।

- (ङ) भूस्खलनों की सूची के साथ 1:10,000 स्केल के भूस्खलन जोखिम क्षेत्रीयकरण (एलएचजेड) मैप तैयार किए गए।
- (च) आरएसएसी-यूपी और आईआईटी रुड़की द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और दिनांक 14.10.2021 को संस्थानों के साथ बैठक में उनकी समीक्षा की गई।



भू-स्खलन जोखिम उपशमन स्कीम (एलआरएमएस)

9.125 स्थान विशिष्ट भू-स्खलन उपशमन हेतु भू-स्खलन संभावित राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए, एनडीएमए ने जुलाई, 2019 में एसडीएमए/डीडीएमए की आपदा जोखिम संचालन प्रणाली में सुधार के अंतर्गत "भू-स्खलन जोखिम उपशमन स्कीम (एलआरएमएस)" को अनुमोदन प्रदान किया है।

9.126 एलआरएमएस एक पायलट योजना है, जो भू-स्खलन मॉनीटरिंग, जागरूकता फैलाने, क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण आदि के साथ-साथ भू-स्खलन

उपशमन के उपायों से होने वाले लाभ को प्रदर्शित करेगी।

9.127 उक्त स्कीम के कार्यान्वयन हेतु सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

9.128 उक्त स्कीम की कुल लागत 43.92 करोड़ रु. है; जिसमें से भू-स्खलन उपशमन संबंधी कार्य के निष्पादन हेतु सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और उत्तराखंड को 29.60 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। अब, भूस्खलन ट्रीटमेंट कार्य प्रगति पर है।

सीबीआरएन (रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु)

मोबाइल रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम (एमआरडीएस)

9.129 एनडीएमए ने एक पायलट परियोजना शुरू की है, जिसके तहत 56 शहरों में पुलिस विभागों को प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियों से निपटने के लिए

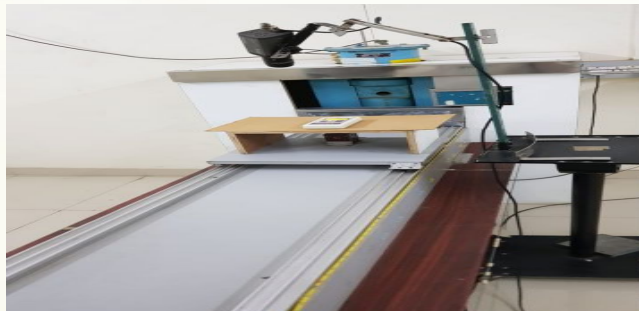
सुसज्जित किया गया है। एनडीएमए ने इस परियोजना के तहत विकिरण डिटेक्टर प्रदान किए हैं तथा शहरों में पुलिस कार्मिकों को टीओटी के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया है। 930 पुलिस गश्ती वाहनों को विकिरण गो-नो-गो उपकरणों से सुसज्जित किया गया था तथा 339 पुलिस स्टेशनों को विकिरण माप उपकरण एवं सुरक्षा किट प्रदान किए गए हैं। यह परियोजना 5 वर्षों (एएमसी) के लिए सहायता हेतु एनडीएमए द्वारा वित्तपोषित है।

NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

एमआरडीएस उपकरण



गो-नो-गो, सर्वे एवं डोसिमिटर



रिमोट टेस्ट बेड



पुलिस वाहन पर गो-नो-गो



रेस्पाइरेटर

40 समुद्री बंदरगाहों / हवाई अड्डों पर आपातकालीन संचालकों के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) आपातकालीन प्रबंधन पर प्रशिक्षण:—

9.130 सीबीआरएन की स्थिति उत्पन्न होने पर, रोकथाम और मोचन की कार्रवाई पर बल देते हुए, सीबीआरएन आपात स्थिति के प्रति तैयारियों में सुधार करने के लिए प्रमुख हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर क्षमता निर्माण कार्य एवं प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। घटना स्थल पर प्रशिक्षित रिस्पांडर्स के आने तक सीबीआरएन की किसी भी घटना को रोकने और कम करने के लिए, सीबीआरएन

प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत बंदरगाहों को तैयार करने के लक्ष्य के साथ बुनियादी खतरों, सुरक्षा कार्यों, व्यावहारिक (हैंड्स-ऑन) फील्ड अभ्यासों को शामिल किया गया है।

9.131 अब तक, सीबीआरएन आपात प्रबंधन पर बुनियादी प्रशिक्षण के 28 बैच पूरे हो चुके हैं और बंदरगाहों के संचालन के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों के लगभग 1400 स्टाफ सदस्यों को डोमेन विशेषज्ञों और एनडीआरएफ द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। प्रत्येक माह एनडीएमए 2 स्थानों पर सीबीआरएन प्रशिक्षण आयोजित करने की योजना बना रहा है। चरण-2 में अब तक आठ हवाई अड्डों में इस कार्य को पूरा कर लिया है।

समुद्री बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर आयोजित 33 सीबीआरएन प्रशिक्षणों का स्नैपशॉट



परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (एनपीपी) के लिए ऑफ-साइट आपातकालीन अभ्यास (ओएसईई) –

9.132 एनपीसीआईएल ने एनपीपी हेतु ओएसईई आयोजित करने के लिए तीन राज्यों में नई पद्धति (टेबल-टॉप, एकीकृत कमांड, नियंत्रण और कार्रवाई

(आईसीसीआर) तथा आम जनता को शामिल करते हुए पूर्ण अभ्यास) तैयार की है। हाल ही में, सितंबर, 2021 के माह में डीईई ने तारापुर और नरोरा में दो आईसीसीआर ओएसईई आयोजित किए और एनडीएमए ने एक पर्यवेक्षक के रूप में इसमें भाग लिया और अपनी रिपोर्ट दी।

NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

ऑफ साइट आपातकालीन अभ्यासों का स्नैपशॉट



भारत में आपदा जोखिम शासन ढांचे को सुदृढ़ बनाने पर अध्ययन : वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना

9.133 माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के निदेशानुसार वर्ष 2024 से पहले आपदा प्रबंधन में विश्व में अग्रणी बनने के लिए, राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना के एक भाग के रूप में एनडीएमए ने भारत-जापान लैबोरेटरी, कीयो विश्वविद्यालय, जापान; इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड एन्वायरमेंटल ट्रांजिशन-इंटरनेशनल (आईएसईटी), संयुक्त राज्य अमेरिका; और रेजिलिएंस इनोवेशन नॉलेज एकेडमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से "भारत में आपदा जोखिम शासन ढांचे को सुदृढ़ बनाना: वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना" विषय पर एक अध्ययन किया, ताकि आठ देशों यथा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूदा डीआरएम शासन संरचनाओं (और इसी तरह की अच्छी प्रथाओं) को समझा जा सके, जिन्हें भारतीय संदर्भ में अपनाया जा सकता है।

9.134 रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार, एनडीएमए को भारत में आपदा जोखिम शासन ढांचे को और मजबूत करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा।

घ. मॉक अभ्यास (एमई)/ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण एवं टेबल टॉप अभ्यास

9.135 एनडीएमए ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श से वार्षिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय मॉक अभ्यास (एमई) कैलेंडर तैयार किया था, लेकिन दूसरी लहर की वजह से कोविड-19 मामलों में अचानक वृद्धि होने के कारण, यह स्पष्ट हो गया कि भौतिक रूप से लोगों के एकत्रित होने से बचना होगा।

9.136 कोविड-19 की जारी स्थिति को देखते हुए, एनडीएमए ने सक्रिय रूप से एक छोटा, लेकिन व्यापक ऑनलाइन प्रशिक्षण पैकेज तैयार किया है और पिछले वर्ष के अभ्यास की तरह "ऑनलाइन घटना कार्यवाही प्रणाली (आईआरएस) प्रशिक्षण और टेबल टॉप अभ्यास (टीटीईएक्स)" आयोजित करने के लिए तिथियों और आपदा परिदृश्यों की पुष्टि हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संपर्क किया गया था।

एनडीआरएफ द्वारा जिला स्तरीय मॉक अभ्यास

9.137 एनडीएमए ने एनडीआरएफ द्वारा जिला स्तरीय मॉक अभ्यास आयोजित करने के तौर-तरीकों को तैयार किया है और वर्ष 2021-2022 में 355 जिलों को कवर करने वाले एमई के आयोजन हेतु एनडीआरएफ के प्रस्ताव को अनुमोदित किया, तथा सभी जिला मजिस्ट्रेटों को एनडीआरएफ के साथ तारीखों को तय करने और सभी संबंधित स्टेकहोल्डरों की भागीदारी के साथ जिला स्तरीय मॉक अभ्यास करने के निर्देश दिए। राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी से इन जिलों का चयन किया जा रहा है। कोविड-19 के बावजूद, दिनांक 01.04.2021 से 26.01.2022 की अवधि के दौरान, 180 जिला स्तरीय मॉक अभ्यास आयोजित किए गए हैं।

भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन)

9.138 भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) संसाधनों की एक राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक सूची है जो जिलों, राज्यों और राष्ट्रीय/जिला स्तर के संबंधित विभागों और एजेंसियों से एकत्रित उपकरणों, मानव संसाधनों और महत्वपूर्ण आपूर्ति को सूचीबद्ध करता है। आपातकालीन कार्यवाही के लिए उपकरणों, कुशल मानव संसाधनों और महत्वपूर्ण आपूर्ति की सूची के प्रबंधन के लिए आईडीआरएन एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है। आईडीआरएन पोर्टल का प्राथमिक फोकस निर्णयकर्ताओं को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपकरणों और मानव संसाधनों का पता लगाने में सक्षम बनाना है। यह डेटाबेस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को विशिष्ट आपदाओं के लिए तैयारियों के स्तर का आकलन करने में सक्षम बनाता है।

9.139 एनआईडीएम ने एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) की सेवाएं विकसित की हैं, जो आपदाओं के दौरान ऑफलाइन मोड में आईडीआरएन डेटाबेस का प्रयोग करने के लिए उपयोगी होंगी। आईडीआरएन पोर्टल में आंकड़ों को नियमित रूप से अपडेट किए जाने के परिणामस्वरूप, 746 जिलों और 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का डाटा अपडेट हुआ है। दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक कुल 1,46,888 रिकॉर्ड अपडेट किए गए हैं।

9.140 एनडीएमए ने उद्योगों से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ कई उद्योग संघों के साथ समन्वय किया है, ताकि उद्योगों को आपदा प्रबंधन (डीएम) से संबंधित उपकरण खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सके, जिनका उपयोग उद्योग द्वारा स्थल पर (ऑनसाइट) और जिला प्रशासन द्वारा आपात स्थिति के दौरान किया जा सकता है। निजी फर्मों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जिला प्राधिकारियों के परामर्श से सीएसआर निधि से नई मशीनें/उपकरण खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस संबंध में, 5वें दौर की बैठक दिनांक 04.06.2021 को आयोजित की गई थी। आईडीआरएन पोर्टल पर वर्ष 2019, 2020 और 2021 के दौरान, की गई कुल प्रविष्टियां क्रमशः 21074, 107044 और 127438 हैं।

9.141 सदस्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 12.07.2021 को ऐसे 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जहां आईडीआरएन

डेटाबेस को अपडेट करने का कार्य पिछड़ रहा था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि, उनके जिले मिशन मोड में आईडीआरएन पोर्टल पर संसाधन सूची को अपडेट करें।

9.142 एनडीएमए ने 26 स्वास्थ्य संबंधी मदों/संसाधनों की एक सूची तैयार की है और उन्हें एनआईडीएम द्वारा आईडीआरएन पोर्टल पर मदों की सूची में 'स्वास्थ्य सेवाओं' श्रेणी के तहत शामिल कराया है, ताकि आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए वांछित संसाधनों का उपयोग करने की सुविधा दी जा सके।

9.143 ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए, एनडीएमए ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे सभी जिला मजिस्ट्रेटों/कलेक्टरों को आईडीआरएन वेब पर विभिन्न संबंधित विभागों/एजेंसियों/अस्पतालों के पास उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर की स्थिति को अपडेट करने के लिए निर्देश दें।

अध्याय-10

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

10.1 प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार ने पारदेशीय एवं वैश्विक रूप ले लिया है जिसका देश की शांति, सुरक्षा एवं स्थायित्व पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इन उभरते हुए खतरों की मात्रा और जटिलता पारस्परिक भागीदारी को और अधिक महत्वपूर्ण बना देती है। इस संबंध में, गृह मंत्रालय द्वारा अनेक साधनों के माध्यम से सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में विविध बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहल आरंभ करने और इन पर आगे कार्रवाई करने के लिए सतत रूप से अनेक देशों को शामिल करने हेतु अनेक एहतितायी कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक नोडल मंत्रालय होने के नाते, प्राकृतिक आपदाओं का प्रशमन एवं प्रबंधन करने के संबंध में एक बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल करने में भी सक्रिय रूप से शामिल है।

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)

10.2 दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को राष्ट्रों के एक संघ के रूप में, "दक्षिण एशिया के लोगों में खुशहाली लाने और उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार करने; आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास को गति प्रदान करने; इस क्षेत्र के देशों के बीच सम्पर्क का संवर्धन करने" के लिए वर्ष 1985 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में, सार्क के आठ सदस्य देश हैं; नामतः अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क का सचिवालय काठमांडू (नेपाल) में स्थित है।

10.3 सार्क आंतरिक/गृह मंत्रियों की आठवीं बैठक दिनांक 11.07.2017 को कोलंबो में आयोजित की गई थी। सार्क आव्रजन और वीजा विशेषज्ञों के कोर ग्रुप की दूसरी

बैठक दिनांक 10.10.2017 को सार्क सचिवालय, काठमांडू में आयोजित की गई थी। इस बैठक में भाग लेने के लिए गृह मंत्रालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों को नामित किया गया था। सार्क आव्रजन और वीजा विशेषज्ञों के कोर ग्रुप की तीसरी बैठक दिनांक 18.04.2019 को काठमांडू में आयोजित की गई थी। गृह मंत्रालय और आव्रजन ब्यूरो (बीओआई) के अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया था।

द्विपक्षीय सहयोग

10.4 पारदेशीय अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के कानूनी/द्विपक्षीय ढांचे के अंतर्गत आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संधियां (एमएलएटी), सुरक्षा संबंधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन/करार, स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और रासायनिक उत्प्रेरकों के अवैध व्यापार और मानव तस्करी से संबंधित अपराधों को रोकने और इनका मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग संबंधी लिखत तथा सजा प्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण संबंधी करार शामिल हैं, जिन पर भारत और अन्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। ऐसी संधियों/करारों पर हस्ताक्षर इस बात को ध्यान में रख कर किए जाते हैं कि आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, मानव तस्करी, धनशोधन, भारतीय मुद्रा नोटों की जालसाजी, आदि का सामना करने में भारत को समर्थ बनाने हेतु सहयोग और सहायता प्राप्त की जा सके।

आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संधियां/करार

10.5 "आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संधि/करार", आतंकवाद से संबंधित अपराधों सहित

अन्य अपराधों की जांच और अभियोजन में संविदाकर्ता देशों की प्रभावकारिता में सुधार लाने और इसे सुकर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके अंतर्गत आपराधिक मामलों में विधिक सहायता प्रदान/प्राप्त करने के लिए आवश्यक विधिक फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है।

10.6 दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, भारत ने 42 देशों नामतः ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बुल्गारिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, कनाडा, कम्बोडिया, मिस्र, फ्रांस, चीन जनवादी गणराज्य का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हॉंगकाँग, इंडोनेशिया, ईरान, इजराइल, कजाकिस्तान, किरगिज गणराज्य, कुवैत, मॉरीशस, मलेशिया, मालदीव, मेक्सिको, मोरक्को, म्यांमार, मंगोलिया, ओमान, रूस, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्विटजरलैण्ड, ताजिकिस्तान, थाईलैण्ड, तुर्की, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), यूनाइटेड किंगडम (यूके), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), उज्बेकिस्तान और वियतनाम के साथ "आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संबंधी संधियों/करारों" पर हस्ताक्षर किए हैं। कंबोडिया और मोरक्को के साथ "परस्पर विधिक सहायता संधियों (एमएलएटी)" पर हस्ताक्षर किए गए हैं, परंतु इन देशों द्वारा इनकी पुष्टि नहीं की गई है। "परस्पर विधिक सहायता संधियों/करारों" के तहत प्रदान की गई सहायता के अंतर्गत, विधि प्रवर्तन एजेंसियां अनुरोधों पर अनेक संविदाकार राष्ट्रों की ओर से कार्रवाई करवा रही हैं। इसी प्रकार, परस्पर विधिक सहायता संधि/करार के उपबंधों के तहत ऐसी सहायता के लिए संविदा करने वाले पक्षकारों के अनुरोधों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और रासायनिक उत्प्रेरकों के अवैध व्यापार और इनसे संबंधित अपराधों को रोकने और इनका मुकाबला करने तथा सुरक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय करार/समझौता ज्ञापन

10.7 भारत ने सुरक्षा सहयोग, स्वापक औषधियों तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बहरीन, भूटान, बुल्गारिया, कंबोडिया, चीन, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी संघ गणराज्य, ईरान, इजराइल, इटली, कोरिया गणराज्य, कुवैत,

लाओस जनतांत्रिक गणराज्य, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, नेपाल, ओमान, पाकिस्तान, पोलैंड, कतर, रोमानिया, रूस, सिंगापुर, सऊदी अरब, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, थाईलैण्ड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), यूनाइटेड किंगडम (यूके), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), उज्बेकिस्तान और जांबिया के साथ 42 द्विपक्षीय करारों/समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

10.8 ये करार/समझौता ज्ञापन, पारदेशीय संगठित अपराध से निपटने, स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के विनियमन और मादक पदार्थों के दुर्व्यापार का मुकाबला करने में विभिन्न देशों के बीच परस्पर सहयोग को बढ़ाने में संचालन की दृष्टि से काफी उपयोगी हैं। इन द्विपक्षीय समझौतों से दोनों देशों में अपराधों की रोक, जांच, अभियोजन तथा अपराधों का शमन करने में प्रभावकारिता बढ़ती है और प्रतिभागी देशों की आसूचना एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग बना रहता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे करार/समझौता ज्ञापन उन नोडल अधिकारियों के संपर्क ब्यौरों के बारे में भागीदार देशों को अवगत कराने में भी उपयोगी हैं जिनसे अपराध, मादक पदार्थों के दुर्व्यापार संबंधी रियल टाइम आसूचना को साझा करने के लिए संपर्क किया जा सकता है और ये प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण में सहयोग तथा दोनों देशों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के प्रमुखों के बीच एजेंसी स्तर की बातचीत को भी सुकर बनाते हैं।

सजा प्राप्त व्यक्तियों के स्थानांतरण पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तंत्र

10.9 भारत में दोषसिद्ध विदेशी कैदियों और विदेशों में दोषसिद्ध भारतीय कैदियों को अपनी सजा का बाकी हिस्सा अपने ही देश में काटने के लिए उन्हें उनके देश की जेल में स्थानान्तरित किए जाने हेतु "कैदी प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003" अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम दिनांक 01.01.2004 को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम को इस मानवीय पहलू का ध्यान रखने के लिए अधिनियमित किया गया है कि दोषसिद्ध व्यक्ति अपने मूल देशों में अपने परिवारों के निकट रह सकें तथा उन्हें सामाजिक पुनर्वास का बेहतर अवसर मिल सके। सजा

प्राप्त व्यक्तियों के स्थानान्तरण के लिए इच्छुक देशों के साथ द्विपक्षीय करार हस्ताक्षरित किए जाते हैं। भारत सरकार ने अभी तक 31 देशों, नामतः ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बोस्निया और हर्जोगोविना, ब्राजील, बुल्गारिया, कंबोडिया, मित्र, इस्टोनिया, फ्रांस, हांगकांग, ईरान, इजराइल, इटली, कजाकिस्तान, कोरिया, कुवैत, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, कतर, रूस, सऊदी अरब, सोमालिया, स्पेन, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, यूएई, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

10.10 भारत ने सजा प्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण के लिए दो बहुपक्षीय समझौतों नामतः “विदेशों में आपराधिक सजा काटने के संबंध में अंतर-अमेरिका समझौते” तथा “सजा प्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण पर यूरोप समझौता परिषद” पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसके आधार पर इन समझौतों पर सहमति देने वाले सदस्य राष्ट्रों तथा अन्य देशों का कोई सजा प्राप्त व्यक्ति अपनी बाकी सजा काटने के लिए अपने देश में हस्तांतरण का अनुरोध कर सकता है।

मानव तस्करी पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तंत्र

10.11 भारत ने बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कम्बोडिया और म्यांमार के साथ मानव तस्करी पर द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि मानव तस्करी का मुकाबला करने में इन देशों के साथ सहयोग बढ़ाया जा सके।

10.12 भारत, वैश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने और इसका मुकाबला करने के लिए सार्क सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता है। भारत ने “पारदेशीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीओसी)” और यूएनसीटीओसी के अनुपूरण में इसके प्रोटोकॉल नामतः (i) व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने, समाप्त करने और दण्ड व्यवस्था करने के प्रोटोकॉल तथा (ii) जमीन, हवा और समुद्र द्वारा प्रवासियों के दुर्व्यापार के विरुद्ध प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

10.13 भारतीय प्रतिनिधि ने वर्चुअल मोड के माध्यम से

दिनांक 12.10.2021 से 13.10.2021 के दौरान वियना में आयोजित “व्यक्तियों के दुर्व्यापार पर कार्य समूह” के ग्यारहवें सत्र में और दिनांक 14.10.2021 से 15.10.2021 के दौरान वियना में आयोजित “प्रवासियों की तस्करी पर कार्य समूह” के आठवें सत्र में भाग लिया।

भारत-बांग्लादेश संबंध

10.14 सुरक्षा और सीमा प्रबंधन संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1994 में एक त्रि-स्तरीय द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई थी। वार्ता का पहला स्तर महानिदेशक (डीजी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और महानिदेशक (डीजी), बार्डर गार्ड्स, बांग्लादेश (बीजीबी) के स्तर पर है, दूसरा दोनों देशों के संयुक्त सचिवों के स्तर पर संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) है और तीसरा गृह सचिव स्तर है। दोनों देशों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए त्रि-स्तरीय तंत्र के अलावा, भारत और बांग्लादेश के बीच गृह मंत्री स्तर की वार्ता भी आयोजित की जाती है।

10.15 भारत और बांग्लादेश के बीच 19वीं गृह सचिव स्तर की वार्ता दिनांक 27.02.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। उक्त बैठक में, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

भारत-म्यांमार संबंध

10.16 भारत सरकार और म्यांमार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन-चैन बनाए रखने के लिए जनवरी, 1994 में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, प्रत्येक वर्ष भारत और म्यांमार में बारी-बारी से दोनों देशों के बीच संयुक्त सचिव और गृह सचिव स्तर की वार्ताएं आयोजित की जाती हैं।

उच्च स्तरीय द्विपक्षीय दौरे और बैठकें

10.17 गृह सचिव ने जुलाई से नवंबर, 2021 के दौरान, सिंगापुर के उच्चायुक्त, ब्रिटिश उच्चायुक्त और श्रीलंका के उच्चायुक्त के साथ बैठकें कीं।

10.18 भारत और बहरीन के बीच संयुक्त संचालन

समिति (जेएससी) की दूसरी बैठक दिनांक 7.10.2021 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व, संयुक्त सचिव (आईएस-II), गृह मंत्रालय ने किया। बैठक में सुरक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

10.19 भारत और कतर के बीच “सुरक्षा और विधि प्रवर्तन में सहयोग के लिए संयुक्त समिति” की दूसरी बैठक दिनांक 26.10.2021 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी। भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व, अपर सचिव (सीटीसीआर), गृह मंत्रालय ने किया। बैठक में आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई।

10.20 “मंत्रिस्तरीय भारत-संयुक्त राज्य अमरीका होमलैंड सुरक्षा वार्ता” आयोजित करने के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक वर्चुअल बैठक संयुक्त सचिव (आईसी) और सहायक सचिव, होमलैंड सिक्वोरिटी विभाग (डीएचएस), संयुक्त राज्य अमरीका के बीच दिनांक 28.07.2021 को आयोजित की गई।

10.21 ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रीय गार्ड के प्रतिनिधिमंडल और संयुक्त सचिव (पी.।) एवं संयुक्त सचिव (आईसी), गृह मंत्रालय के बीच एक बैठक का आयोजन दिनांक 29.10.2021 को किया गया। बैठक में प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

क्षमता निर्माण

10.22 गृह मंत्रालय क्षमता निर्माण के कार्यक्रम, न केवल अपने पुलिस बलों के लिए, बल्कि विदेशी पुलिस कार्मिकों के लिए भी संचालित करता है। दिनांक 01.04.2021 से 01.01.2022 की अवधि के दौरान, द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में मित्र देशों यथा भूटान, कम्बोडिया, नेपाल, मॉरीशस, मालदीव और नामीबिया के 107 विदेशी पुलिस कार्मिकों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

वैश्विक शांति परिरक्षण

10.23 गृह मंत्रालय वैश्विक शांति बनाये रखने में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में भी अपना योगदान करता है।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा, जब कभी भी मांग की जाती है, तब विभिन्न स्तर के अधिकारियों को सेकंडमेंट पर भेजा जाता है और अनुरोध किए जाने पर “संगठित पुलिस टुकड़ियों (एफपीयू)” की भी नियमित तैनाती की गई है। दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के दौरान, मिशन सेवा मूल्यांकन (एएमएस) की योग्यता प्राप्त कुल 37 सिविल पुलिस अधिकारियों ने दक्षिण सूडान और साइप्रस में “संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक मिशनों” में अपनी सेवाएं दीं। इसके अलावा, एजीएमयूटी कैडर से एक महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी और राजस्थान पुलिस से एक पुरुष भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी ने पी-V लेवल और पी-IV लेवल पर सेकंडमेंट पद पर पुलिस डिवीजन, यूएन मुख्यालय (एचक्यू), न्यूयार्क में अपनी सेवाएं दीं तथा यूएन शांति ऑपरेशनों में सहयोग किया। निम्नलिखित संगठित पुलिस यूनिटों (एफपीयू) ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक मिशनों में भी सेवाएं दीं:-

(क) डीआर कांगो (एमओएनयूएससीओ) में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से एक संगठित पुलिस यूनिट।

(ख) डीआर कांगो (एमओएनयूएससीओ) में एसएसबी से एक फीमेल एंगेजमेंट टीम (एफईटी)।

आपदा प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

(क) आपदा प्रबंधन, प्रतिरोधकता (रिसाईलेंस) और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)

10.24 भारत के माननीय प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के दौरान, दिनांक 27.03.2021 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), गृह मंत्रालय, भारत और आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्रालय, बांग्लादेश के बीच आपदा प्रबंधन, प्रतिरोधकता और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

लाभ

10.25 यह समझौता ज्ञापन एक ऐसी प्रणाली स्थापित

करने का प्रयास करता है, जिसके द्वारा भारत और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे के आपदा प्रबंधन तंत्रों से लाभान्वित होंगे तथा यह आपदा प्रबंधन हेतु तैयारी, कार्रवाई और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने में सहायता करेगा।

(ख) आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और इटली के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)।

10.26 दिनांक 24.06.2021 को आयोजित एक वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह के दौरान, "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), भारत" और "इटली के प्रेजीडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नागरिक सुरक्षा विभाग" के बीच आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

लाभ

10.27 यह समझौता ज्ञापन एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसके द्वारा भारत और इटली दोनों एक दूसरे के आपदा प्रबंधन तंत्रों से लाभान्वित होंगे तथा यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारी, कार्रवाई और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने में सहायता करेगा।

10.28 "भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र" द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संवाद/बैठकें

(क) साइबर स्पेस में तकनीकी सहयोग को बढ़ाने और साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग एवं समन्वय पर चर्चा करने के लिए, दिनांक 15.07.2021 को भारत यूएस एलईए उप-समूह की बैठक (भारत-अमेरिका साइबर संवाद के तहत एक उप-समूह) आयोजित की गई। वर्ष 2019 में आयोजित तीसरी भारत-अमेरिका साइबर वार्ता के दौरान, 4 कार्य समूहों (साइबर कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण; विधि प्रवर्तन सहयोग; मानकों, परीक्षण और रणनीति पर सहयोग; तथा साइबर सुरक्षा सहयोग-साइबर हमलों एवं खतरे पर सहयोग) का गठन किया गया था। इस साइबर वार्ता में अमेरिकी पक्ष रैंसमवेयर और मॉलवेयर हमलों के बारे में जानकारी साझा करने; एमएलएटी मामलों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया/दिशानिर्देश साझा करने और विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) को प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करने पर सहमत हुआ है।

(ख) साइबर अपराध के क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग पर चर्चा करने के लिए, दिनांक 23.07.2021 को आंतरिक सुरक्षा सेवा (एसएसआई)/फ्रांस के दूतावास में सचिव के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान, साइबर अपराध और क्षमता निर्माण से संबंधित सूचनाओं के

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) की अंब्रेला स्कीम

11.1 सरकार द्वारा कुल 25,061 करोड़ रुपये के परिव्यय से, वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान कार्यान्वयन के लिए दिनांक 27.09.2017 को "पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ)" की अंब्रेला स्कीम को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस कुल परिव्यय में से, अनुमोदित केंद्रीय परिव्यय 18,636 करोड़ रुपये है तथा राज्यों का हिस्सा 6,425 करोड़ रुपये है। इस स्कीम के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा 8 पूर्वोत्तर राज्य यथा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा 90% केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं और शेष 10% निधि राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई जानी होती है। शेष राज्यों के मामले में, केंद्रीय हिस्सा 60% है तथा राज्यों को 40% हिस्से का योगदान करना होता है। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) की अंब्रेला स्कीम के तहत कुछ उप-स्कीमों को छोड़कर बाकी उप-स्कीमों की समयावधि को आगे बढ़ा दिया गया है।

11.2 मोटे तौर पर, इस अंब्रेला स्कीम में दो स्कीमें शामिल हैं, नामतः राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम तथा जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) की स्कीम। इन दो मुख्य शीर्षों (वर्टिकल) के तहत बनी 16 उप-स्कीमें निम्नानुसार हैं:

- मुख्य शीर्ष (वर्टिकल) I : राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ)
- केंद्रीय क्षेत्र की तीन उप-स्कीमें

(i) अपराध तथा अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस)

(ii) अंतर-राज्यीय पुलिस वायरलेस के अंतर्गत परियोजनाएं

(iii) ई-कारागारों का कार्यान्वयन

• राज्य क्षेत्र की एक उप-स्कीम

पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता

• मुख्य शीर्ष (वर्टिकल)II: जम्मू एवं कश्मीर/ पूर्वोत्तर/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई)

• केंद्रीय क्षेत्र की सात उप-स्कीमें

(i) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के प्रबंधन हेतु केंद्रीय एजेंसियों तथा अन्य को सहायता

(ii) सिविक कार्रवाई योजना (सीएपी) (एलडब्ल्यूई)

(iii) मीडिया योजना (विज्ञापन तथा प्रचार) (एलडब्ल्यूई)

(iv) वामपंथी उग्रवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित 35 जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता

(v) एसआरई (एलडब्ल्यूई) (केंद्रीय क्षेत्र)

(vi) एसआरई (जम्मू एवं कश्मीर)— राहत तथा पुनर्वास

(vii) एसआरई (जम्मू एवं कश्मीर)— सुरक्षा वातावरण

• राज्य क्षेत्र की पांच उप-स्कीमें

(i) एसआरई (जम्मू एवं कश्मीर)— पुलिस

(ii) एसआरई (पूर्वोत्तर)

(iii) एसआरई (एलडब्ल्यूई)

(iv) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों में 250 किलोबंद पुलिस स्टेशनों के निर्माण सहित विशेष अवसंरचना स्कीम

(v) केंद्रीय अधिनियमों के प्रशासन के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति

“पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता” की स्कीम (पूर्ववर्ती राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम)

उद्देश्य

11.3 यद्यपि ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य के विषय हैं, तथापि, चूंकि वित्तीय कठिनाइयों के कारण राज्य अपने पुलिस बलों को वांछित स्तर तक आधुनिकीकृत तथा सुसज्जित नहीं कर पाए हैं, इसलिए गृह मंत्रालय वर्ष 1969–70 से राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम को कार्यान्वित करके राज्यों के प्रयासों तथा संसाधनों में सहयोग प्रदान करता रहा है।

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम को वर्ष 2016–17 के बाद भी जारी रखना

11.4 इस स्कीम को “पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता” के नए नाम के साथ वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया है। यह “पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ)” की अंब्रेला स्कीम के अंतर्गत एक उप-स्कीम है। उप-स्कीम के तहत राज्य पुलिस द्वारा अपेक्षित मदों जैसे कि हथियारों, विभिन्न उपस्करों आदि के लिए निधि प्रदान की जाती है। इसी तरह, लक्षित पहल की सुविधा के लिए, केवल विशेष क्षेत्रों यथा जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में ‘मोबिलिटी’ और ‘आवास सहित पुलिस अवसंरचना के निर्माण’ के लिए निधियों के उपयोग की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, ‘मोबिलिटी’ शीर्ष के अंतर्गत मदों का उपयोग केवल फील्ड स्तर के पुलिस कार्यालयों के सुदृढीकरण के लिए किया जाएगा, राज्य स्तर के पुलिस कार्यालयों के लिए नहीं।

स्कीम के अंतर्गत जारी निधियां

11.5 वित्तपोषण के उद्देश्य से राज्यों को दो श्रेणियों नामतः श्रेणी ‘क’ और श्रेणी ‘ख’ में वर्गीकृत किया गया है। ‘क’ श्रेणी के

राज्य नामतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा 8 पूर्वोत्तर राज्य यथा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा 90% केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं तथा 10% निधि राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई जानी होती है। वर्ष 2017–18 से राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के अंतर्गत ‘क’ श्रेणी के राज्यों को जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-XVI में दिया गया है। शेष राज्य ‘ख’ श्रेणी में हैं और इन राज्यों को 60% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है तथा 40% निधियां राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई जानी होती हैं। वर्ष 2017–18 से ‘ख’ श्रेणी के राज्यों को जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-XVII में दिया गया है।

अनुमोदन प्रणाली

11.6 इस स्कीम हेतु केन्द्रीय बजट में किए गए आवंटन को पूर्व-निर्धारित अंतर-राज्यीय वितरण अनुपात के आधार पर, केंद्रीय हिस्से के रूप में, आगे सभी राज्यों के बीच वितरित/आवंटित किया जाता है। प्रत्येक राज्य सरकार को आनुपातिक राज्य अंश (40% अथवा 10%) देना होता है तथा राज्यों को अपनी कार्यनीति संबंधी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर अपनी राज्य कार्य योजनाएं (एसएपी) तैयार करनी होती हैं। इन एसएपी का अनुमोदन राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) द्वारा तथा केन्द्र सरकार के स्तर पर स्कीम को देख रही संयुक्त सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) द्वारा किया जाता है। राज्य कार्य योजनाओं (एसएपी) के अनुमोदन चक्र को पूर्व तिथि के लिये निर्धारित (प्रीपोन) किया गया है तथा संशोधित अनुमोदन चक्र के अनुसार, एसएपी को फरवरी तक, अर्थात् वित्तीय वर्ष के शुरू होने से एक माह पहले अनुमोदित किया जाना होता है और राज्य 01 अप्रैल से जारी की जाने वाली निधियों का लाभ उठा सकते हैं। राज्यों को समय से निधियां जारी करने की सुविधा के लिए ऐसा किया गया है।

स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा

11.7 स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा केंद्रीय गृह सचिव तथा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नियमित रूप से की जाती है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में राज्यों के विभिन्न मुद्दों और सुझावों पर विधिवत विचार किया जाता

है तथा अलग-अलग राज्यों को जारी की गई निधियों के उपयोग की प्रगति की मॉनीटरिंग की जाती है।

11.8 कुछ राज्य इस स्कीम के अंतर्गत आवंटित निधियों का उपयोग निर्धारित समय के भीतर नहीं कर पाते हैं, जबकि कुछ राज्य अपनी निधियों का उपयोग समय से करते हैं। ऐसे बेहतर कार्यनिष्पादन वाले राज्यों के मामले में, अधिक आवंटन की आवश्यकता उचित प्रतीत होती है। इस स्कीम के तहत वित्तीय संसाधनों की कमी के बावजूद, इस जरूरत को पूरा करने के लिए, ऐसे राज्यों को उनके प्रदर्शन और कार्यकुशलता के आधार पर अधिक निधियां प्रदान करने का एक विशिष्ट तंत्र विकसित किया गया है। ऐसे राज्यों को निम्नानुसार पुरस्कृत किया जाता है:

- (क) बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन: निर्धारित वर्ष तक जारी की गई संपूर्ण निधियों का उपयोग करने वाले राज्यों को, अन्य राज्यों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत न किए जाने के कारण उन्हें जारी न की गई निधियों से संचित हुई राशि में से 'बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन राशि' जारी की जाती है।
- (ख) पुलिस सुधारों के लिए प्रोत्साहन: विभिन्न समितियों द्वारा यथा अनुशंसित पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए, स्कीम के तहत आवंटन का 20% अलग रखा जाता है। निर्धारित वर्ष तक जारी की गई संपूर्ण निधियों का उपयोग करने वाले राज्यों को, चयनित सुधार क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु भी पात्र माना जाता है।

11.9 इस तंत्र के परिणामस्वरूप, राज्य अपने प्रदर्शन के आधार पर अपने आवंटन से कई गुना निधियों का दावा कर सकते हैं। इसलिए, वित्तीय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के महत्व को देखते हुए, राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु वर्तमान आवंटन पर्याप्त है। निधियां प्रदान करने की प्रदर्शन आधारित पद्धति के माध्यम से राज्यों की मांगों का ध्यान रखा जा रहा है और साथ ही साथ पुलिस सुधारों हेतु राज्यों के प्रयासों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (आई4सी)

11.10 भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने

के लिए 340.00 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक स्कीम है। आई4सी का उद्देश्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) की क्षमता को मजबूत करना और विभिन्न एजेंसियों तथा एलईए के बीच समन्वय में सुधार करना है। इसके प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

- (क) नियमित अंतराल पर साइबर अपराधों से संबंधित खतरों की सूचना देने के लिए **राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई**
- (ख) नागरिकों द्वारा "कहीं से भी, कभी भी" 24X7 आधार पर एक साझा प्लेटफार्म पर अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न साइबर अपराध संबंधी शिकायतों की सूचना देने के लिए **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल**
- (ग) सरकारी अधिकारियों, विशेष रूप से राज्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु **राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र**
- (घ) साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु स्वदेशी उपकरणों के विकास के लिए अनुसंधान करने हेतु **राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्र**
- (ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के बीच समन्वय, साइबर अपराधों के तौर-तरीकों तथा डेटा/सूचना को साझा करने हेतु **संयुक्त साइबर अपराध समन्वय टीमों के लिए प्लेटफार्म**
- (च) साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु साइबर स्वच्छता के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए **राष्ट्रीय साइबर अपराध पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन इकाई**
- (छ) साइबर फॉरेंसिक जांच में विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) की मदद करने के लिए **राष्ट्रीय साइबर अपराध फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जांच) पारिस्थितिकी तंत्र**

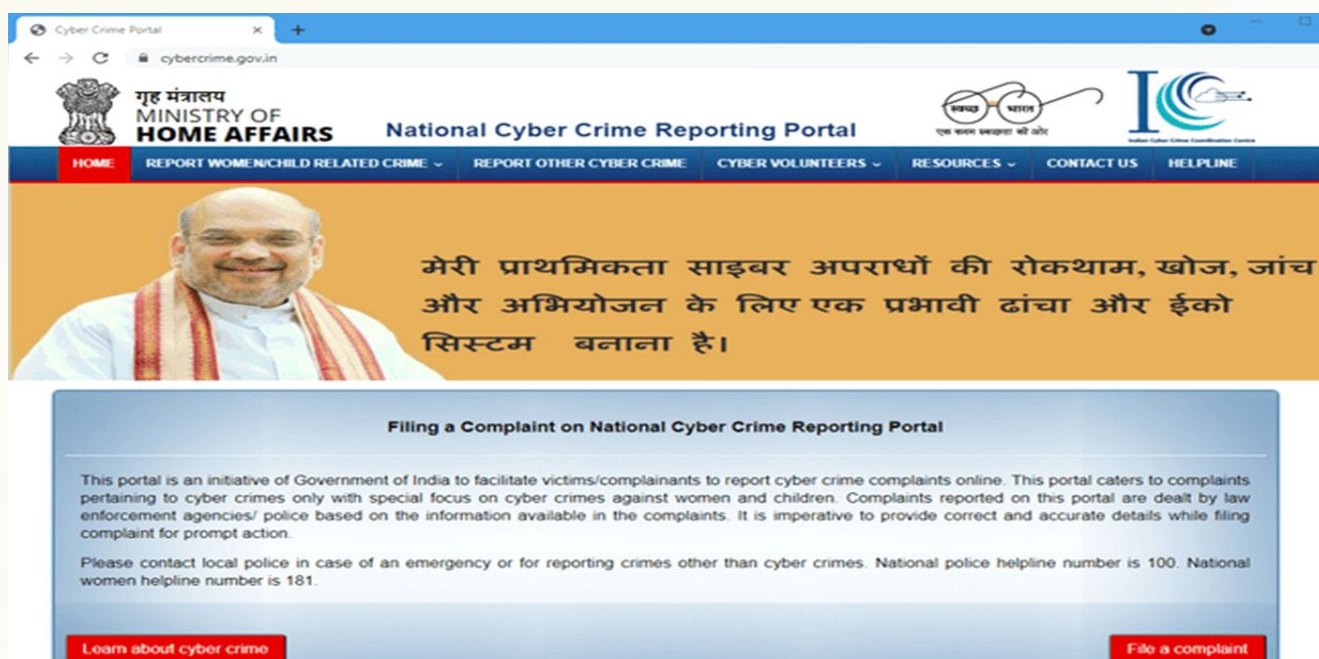
11.11 आई4सी स्कीम के अंतर्गत प्रमुख पहल

क. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल

- (क) राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) दिनांक 20.09.2018 को लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल

एक केंद्रीयकृत ऑनलाइन प्लेटफार्म था, जिसके तहत नागरिकों को बाल अश्लीलता (सीपी)/ बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएम) या कामुकता दर्शाने वाली सामग्री, जैसे कि बलात्कार/ सामूहिक बलात्कार (आरजीआर) से संबंधित सामग्री की ऑनलाइन सूचना देने की अनुमति दी गई थी। महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए नागरिकों को सभी प्रकार के साइबर अपराधों की सूचना देने में सक्षम बनाने के लिए दिनांक 30.08.2019 को एक नया "राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल" लॉन्च किया गया था। इसके संचालन के बाद से, इस पोर्टल के माध्यम से 7 लाख से अधिक साइबर अपराध की घटनाओं की सूचना मिली है। "राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल" की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- (i) 365 दिनों के लिए 24x7 आधार पर "उपयोग करने में आसान" रिपोर्टिंग तंत्र
- (ii) शिकायतों को जांच के लिए सीधे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस प्राधिकारियों को भेजना
- (iii) बाल अश्लीलता (सीपी), बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएम), बलात्कार और सामूहिक बलात्कार (आरजीआर) से संबंधित सामग्री की गुमनाम रूप से ऑनलाइन सूचना देना
- (iv) ऑनलाइन शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली
- (v) महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों के लिए अलग एवं संकेंद्रित रिपोर्टिंग और निगरानी
- (vi) क्षेत्राधिकार के मिसमैच के मामले में, प्राथमिकी (एफआईआर) से पहले रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों के अंतर-राज्य/राज्य के अंदर हस्तांतरण का प्रावधान
- (vii) विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए स्मार्ट खोज सुविधा
- (viii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को अन्य पुलिस स्टेशनों, जिला नोडल अधिकारियों अथवा राज्य नोडल अधिकारियों से सहयोग और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने का विकल्प
- (ix) बंद किए गए मामलों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों द्वारा फिर से खोलने का विकल्प
- (x) शिकायत और संदिग्ध की टैगिंग करना, ताकि रिपोर्ट की गई सभी शिकायतों में से उस संदिग्ध के विवरण का पता लगाया जा सके
- (xi) एमआईएस रिपोर्ट



- (ख) ऑनलाइन साइबर शिकायतें दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने हेतु नागरिकों के लिए एक टोल-फ्री नंबर 155260 चालू किया गया था। एक नया टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 भी चालू किया जा रहा है।
- (ग) "राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल" पर साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज करने में नागरिकों की मदद और सहायता करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित चैट बॉट (वाणी) भी उपलब्ध कराया गया है।
- (घ) गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर राज्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) को साइबर अपराध की प्रवृत्तियों, कार्यप्रणाली तथा साइबर अपराधों की रोकथाम के संबंध में एडवाइजरी जारी की जाती हैं।

ख. साइबर अपराध का विश्लेषण और समाधान

- (क) चूंकि, "राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल" पर रिपोर्ट की गई अधिकांश साइबर घटनाएं वित्तीय साइबर धोखाधड़ियों से संबंधित होती हैं, इसलिए वित्तीय साइबर धोखाधड़ियों के मामलों की त्वरित रिपोर्टिंग के लिए और निधियों (धोखेबाजों द्वारा धोखाधड़ी करके प्राप्त की गई) के प्रवाह को कम से कम संभव समय में रोकने हेतु, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय स्थापित करके, वर्ष 2021 में एक "नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली" शुरू की गई थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मदद से, वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित 32 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन को बचाया गया है।
- (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) को साइबर अपराध की प्रवृत्तियों, धोखाधड़ी की गतिविधियों में इस्तेमाल की जाने वाली ऐप्स और विश्लेषण रिपोर्टें आदि के संबंध में विभिन्न एडवाइजरी जारी की गई थीं।

ग. क्षमता निर्माण

- (क) आई4सी स्कीम के अंतर्गत, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने एक "वृहत ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी)" प्लेटफॉर्म विकसित किया

है, जिसे "साइट्रेन" पोर्टल कहा जाता है। साइबर अपराध की जांच, फॉरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और साथ ही प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद ऑनलाइन प्रमाणन के माध्यम से "साइट्रेन" पोर्टल पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण में मदद करता है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 8075 से अधिक पुलिस अधिकारी पंजीकृत हैं और 1847 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। शेष कार्य प्रगति पर है।

- (ख) आई4सी ने पूरे देश में 2000 से अधिक साइबर पुलिस अधिकारियों को नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, फॉरेंसिक और जांच, डीपफेक, डार्क वेब और एनोनिमाइजेशन नेटवर्क पर प्रशिक्षित किया है।

घ. साइबर फॉरेंसिक और जांच

- (क) विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को जांच के दौरान फॉरेंसिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, आई4सी के तहत द्वारका, नई दिल्ली में एक 'अत्याधुनिक' सुविधा— "राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (एनसीएफएल)" स्थापित की गई है। एनसीएफएल को विशिष्ट रूप से एक साइबर-फॉरेंसिक सुविधा के रूप में स्थापित किया गया है, जो विशेष रूप से जांच के प्रारंभिक चरण के दौरान, जांचकर्ताओं के साथ मिलकर काम करती है तथा साइबर अपराधों के वर्तमान और नवीनतम रुझानों के बारे में महत्वपूर्ण विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।
- (ख) एनसीएफएल को कार्यशील बना दिया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसकी सेवाओं तथा सुविधाओं का उपयोग पूरे देश में किया जा रहा है। एनसीएफएल द्वारा विभिन्न उन्नत साइबर फॉरेंसिक क्षेत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के लगभग 100 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है।
- (ग) आज की तारीख तक, राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (एनसीएफएल) ने साइबर अपराधों से संबंधित मामलों की जांच में राज्यों की सहायता

करने के लिए राज्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) को लगभग 3830 साइबर फॉरेंसिक जैसे कि मोबाइल फॉरेंसिक, मेमोरी फॉरेंसिक, सीडीआर विश्लेषण, आदि में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

- (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों के लिए "डिजिटल जांच और साइबर फॉरेंसिक" में "गहन व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम" दिनांक 20.09.2021 से 20 प्रतिभागियों के बैच में शुरू हुआ, जिसमें उन्हें नवीनतम फॉरेंसिक उपकरणों के बारे में 10 दिनों तक व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अब तक, तीन बैचों में प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है।

ड समन्वय तंत्र

- (क) साइबर अपराध के हॉटस्पॉट/क्षेत्रों के आधार पर और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से संयुक्त साइबर समन्वय टीमों (जेसीसीटी) का गठन करके, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों का एक समन्वय तंत्र स्थापित किया गया है।
- (ख) गुवाहाटी, देहरादून और रायपुर में क्षेत्रीय स्तर पर तीन कार्यशालाओं/सम्मेलनों का आयोजन किया गया। पुलिस प्राधिकारियों के बीच सूचना एवं डेटा के आदान-प्रदान तथा समन्वय आदि

के कारण जेसीसीटी ने उत्साहजनक परिणाम प्रदर्शित किया है।

च. विभिन्न स्टैकहोल्डरों के साथ बातचीत

- (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), दूरसंचार विभाग, बैंकों, भुगतान मध्यस्थों और अन्य स्टैकहोल्डरों जैसे कि शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) तथा उद्योग निकायों जैसे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिककी), एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), पीएचडी चैंबर्स, आदि के साथ नियमित रूप से बातचीत की जा रही है, ताकि साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु जन जागरूकता पैदा करने के लिए सभी स्कूलों, कॉलेजों, एमएसएमई तथा उद्योग में पहुंच (आउटरीच) को बढ़ाया जा सके।
- (ख) आई4सी ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि अंतर-सरकारी विशेषज्ञ समूह (यूएन), शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) तथा ब्रिक्स के साथ बैठकें, संयुक्त कार्य समूह की बैठक (भारत-अमेरिका) और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आदि के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।



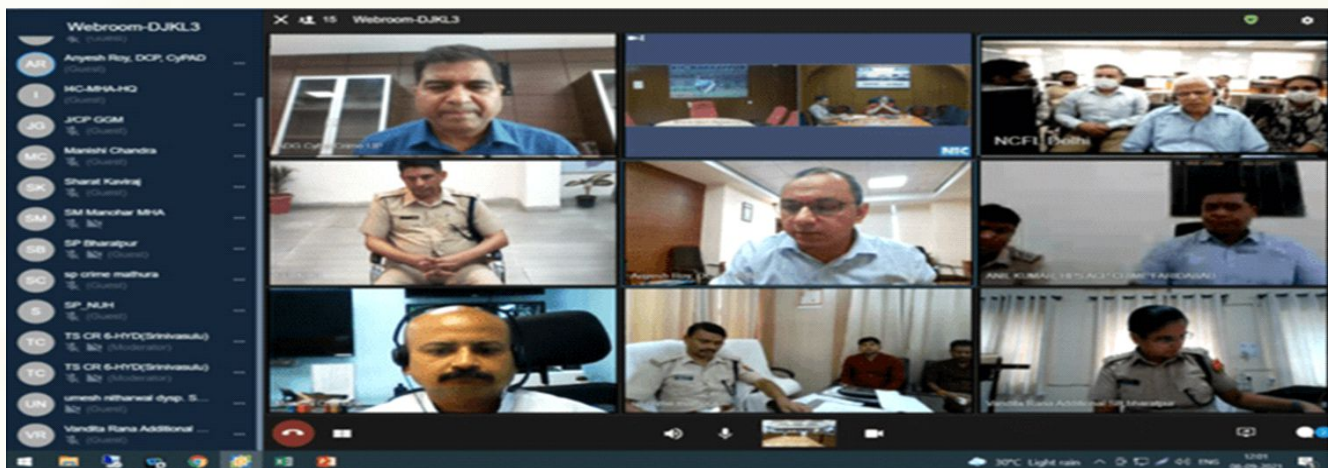
16-17 नवंबर, 2021 को आयोजित भारत-न्यूजीलैंड द्विपक्षीय साइबर वार्ता संबंधी बैठक



सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) के प्रयोग के बारे में दिनांक 12.08.2021 को सुरक्षा संबंधी ब्रिक्स कार्य समूह की बैठक

(ग) साइबर अपराधों से निपटने के लिए सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने और समग्र दृष्टिकोण विकसित करने हेतु मंत्रालयों, उद्योग निकायों, शैक्षणिक समुदायों, बैंकों, भुगतान मध्यस्थों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच नियमित रूप से विचार-विमर्श भी किए जाते हैं।

(घ) दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने साइबर अपराध की अधिकता वाले क्षेत्रों (हॉटस्पॉट्स) जैसे कि जामताड़ा, मेवात, आदि में संदिग्ध सिम कार्डों के "ग्राहक अधिग्रहण फॉर्म" (सीएएफ) का सत्यापन शुरू किया है।



छ. साइबर जागरूकता और साइबर स्वच्छता संवर्धन

(क) साइबर अपराधों की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, एक सुनियोजित जागरूकता अभियान की योजना बनाई गई है, ताकि आम जनता तक पहुंचा जा सके तथा साइबर अपराधों की रोकथाम से संबंधित संदेशों पर और अधिक बल दिया जा सके, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) आई4सी द्वारा नियमित अंतराल पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर,

लिनकडइन, पब्लिक ऐप आदि पर साइबर अपराधों की रोकथाम और साइबर सुरक्षा युक्तियों (टिप्स) का प्रचार किया जा रहा है। लघु वीडियो, चित्रों (इमेज) और क्रिएटिक्स के माध्यम से 969 से अधिक साइबर सुरक्षा युक्तियों को ट्वीट किया गया है तथा इसके 3.64 लाख से अधिक फॉलोवर हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे हेल्पलाइन नंबर 155260 और "राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल" अर्थात <https://www.cybercrime.gov.in> का

- प्रचार करें, ताकि व्यापक जागरूकता पैदा की जा सके।
- (ii) रेडियो अभियान।
 - (iii) जनता को साइबर अपराध के प्रति जागरूकता के बारे में 100 करोड़ से अधिक एसएमएस भेजे गए।
 - (iv) 'साइबर सुरक्षा के बारे में किशोरों/विद्यार्थियों के लिए हैंडबुक' प्रकाशित की गई।
 - (v) सरकारी अधिकारियों के लाभ के लिए 'सूचना सुरक्षा संबंधी सर्वोत्तम कार्य- प्रणालियां' प्रकाशित की गई।
 - (vi) विभिन्न राज्यों में पुलिस विभाग के सहयोग से सी-डैक के माध्यम से साइबर सुरक्षा और संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।
 - (vii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अलर्ट/एडवाइजरी जारी की गई।

- (ख) नियमित अंतराल पर आईसीटी उपकरणों की देखभाल करने की आदत को शामिल करके साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु "साइबर स्वच्छता" बढ़ाने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे सभी स्कूलों/कॉलेजों/पंचायती राज संस्थानों और नगर पालिकाओं में दिनांक 06.10.2021 से शुरू करते हुए हर महीने के पहले बुधवार को **"साइबर जागरूकता दिवस"** मनाएं और इसमें जिला प्राधिकारियों पुलिस अधिकारियों समाज कल्याण, महिलाओं और बच्चों नागरिक सेवा केंद्र, आदि को भी शामिल करें। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने "वार्षिक कार्य योजना" तैयार की हैं और शेष राज्य "वार्षिक कार्य योजना" को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।
- (ग) गृह मंत्रालय ने दिनांक 03.01.2022 को साइबर स्पेस के लिए "साइबर स्वच्छता के बारे में बुनियादी और उन्नत मैनुअल" तथा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) का एक न्यूजलेटर "साइबर प्रवाह" जारी किया है।



गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में दिनांक 03.01.2022 को केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा साइबर स्वच्छता के बारे में जारी किए गए मैनुअल

- (घ) आई4सी की ओर से दिनांक 09.09.2021 को बीपीआरएंडडी में **"मुख्य सूचना और सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ)/मुख्य जोखिम अधिकारियों (सीआरओ) का राष्ट्रीय सम्मेलन"** आयोजित किया गया, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों, प्राइवेट विशेषज्ञों

आदि ने महत्वपूर्ण क्षेत्र के जोखिमों, साइबर सुरक्षा संबंधी सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों, साइबर सुरक्षा में उभरती प्रवृत्तियों इत्यादि के बारे में चर्चा करने तथा कॉर्पोरेट्स और विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के बीच के अंतर को पाटने के लिए सहभागिता की।



दिनांक 09.09.2021 को सीआईएसओ/सीआरओ/मध्यस्थों का एक दिवसीय सम्मेलन

(ड) आई4सी की ओर से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आई4सी के लिए नियुक्त राज्य नोडल अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साइबर अपराधों की जांच से संबंधित विभिन्न मामला अध्ययनों पर चर्चा की गई।

ज. अनुसंधान एवं विकास

11.12 आई4सी स्कीम के तहत, बीपीआरएंडडी मुख्यालय, नई दिल्ली में "राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्र" की स्थापना की गई है तथा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई), हैदराबाद में "साइबर अनुसंधान नवाचार और क्षमता निर्माण केंद्र" की स्थापना की गई है, ताकि साइबर अपराधों की रोकथाम से संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के समस्या संबंधी विवरणों की जांच की जा सके और उपयुक्त सोल्यूशन विकसित किए जा सकें।

सुधारात्मक प्रशासन संस्थान

11.13 कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 1989 में केन्द्र से पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ चंडीगढ़ में सुधारात्मक प्रशासन संस्थान (आईसीए) की

स्थापना की थी। सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ सम्पूर्ण भारत के कारागार कार्मिकों, विशेष रूप से पड़ोसी राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र आदि के कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। संस्थान कारागारों तथा कारागार के कैदियों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर विभिन्न राज्यों के लिए आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित करता है। संस्थान ने पड़ोसी राज्यों के कारागार कार्मिकों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा राज्य सरकारों के अनुरोध के अनुसार अन्य विषयों और मॉड्यूलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए हैं। संस्थान ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के सहयोग से राज्य सरकारों द्वारा संचालित कार्यक्रमों में भी भाग लिया है।

एशियाई और प्रशांत सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन

11.14 एशियाई और प्रशांत सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन (एपीसीसीए) 26 देशों यथा, आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई, दारुस्सालाम, कम्बोडिया, कनाडा, चीन, फिजी, हांगकांग(चीन), भारत, इंडोनेशिया, जापान, किरिबाती, कोरिया, मकाऊ, मलेशिया, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनीआ, फिलीपीन्स, सिंगापुर, सोलोमन द्वीपसमूह, श्रीलंका, थाईलैंड, टोंगा, वानुआतु और वियतनाम का संगठन है। भारत

इस संगठन का संस्थापक सदस्य है। वर्ष 2008 से, भारत इस संगठन के शासी बोर्ड का चयनित सदस्य है।

11.15 प्रत्येक वर्ष सदस्य देशों द्वारा बारी-बारी से वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें सदस्य देशों के सुधारात्मक प्रशासक, एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में कारागार सुधारों से संबंधित नवीनतम और श्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। यह सम्मेलन सुधारात्मक अधिकारियों को अपनी जानकारी को साझा करने और विभिन्न देशों में अपनाई जा रही श्रेष्ठ पद्धतियों का आदान-प्रदान करने का अवसर देता है। वर्ष 2013 में, इस सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी। वर्ष 2021 में आयोजित किया जाने वाला सम्मेलन कोविड-19 वैश्विक महामारी की स्थिति के मद्देनजर रद्द कर दिया गया था।

सुधारात्मक सेवा पदक

11.16 कारागार प्रशासन में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर निम्नलिखित सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाते हैं:

- (क) विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक
- (ख) सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक
- (ग) शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक
- (घ) शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक

11.17 ये पदक सुधारात्मक सेवा, विशेष कठिनाई में प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने और दक्षता से अनुकरणीय सेवा प्रदान करने आदि के संबंध में विशिष्ट रिकॉर्ड के लिए प्रदान किए जाते हैं। शौर्य के लिए पदक कैदियों को पकड़ने अथवा उन्हें भागने से रोकने आदि के लिए प्रदर्शित असाधारण शौर्य के लिए प्रदान किया जाता है।

11.18 सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करने संबंधी राष्ट्रपति की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 05.04.1999 को जारी की गई थी। पहली बार इन पुरस्कारों की घोषणा वर्ष 2000 के गणतंत्र दिवस पर की गई थी। पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को एक मेडल और स्क्रोल प्रदान किया जाता है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इस पुरस्कार का अलंकरण राज्य

सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

11.19 किसी वर्ष में दिए जा सकने वाले विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदकों और सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदकों की संख्या क्रमशः 25 और 75 है। शौर्य के लिए प्रदान किए जाने वाले पदकों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

11.20 कारागार कार्मिकों के लिए सुधारात्मक सेवा पदक स्वतंत्रता दिवस, 2021 और गणतंत्र दिवस, 2022 पर अनुमोदित किए गए थे।

साक्षी सुरक्षा योजना, 2018

11.21 गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके "साक्षी सुरक्षा योजना, 2018" तैयार की थी। इस योजना में खतरे के आकलन के आधार पर गवाहों की सुरक्षा का प्रावधान है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 की रिट याचिका (आपराधिक) सं 156 में दिनांक 05.12.2018 के अपने निर्णय में इस योजना का समर्थन किया है। इस योजना को कार्यान्वयन के लिए दिनांक 14.01.2019 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया था। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, गवाहों को इस योजना के तहत सुरक्षा मिलनी आरंभ हो गई है।

"एक भारत श्रेष्ठ भारत" – राज्य पुलिस बलों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान

11.22 भारत सरकार ने एक कार्यक्रम "एक भारत, श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी)" शुरू किया है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 31.10.2015 को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की विविधता का उत्सव मनाना है, ताकि विविधता में एकता का प्रदर्शन किया जा सके। गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस कार्मिकों के आदान-प्रदान का भी एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस तरह के आदान-प्रदान से एक राज्य के पुलिस बल को अलग संस्कृति और भाषा वाले दूसरे राज्य के पुलिस बल के बारे में जानकारी हो सकेगी। इससे न केवल

एक-दूसरे की संस्कृति की बेहतर समझ और जानकारी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उन्हें एक-दूसरे के राज्य की पुलिस व्यवस्था की भी जानकारी प्राप्त होगी।

11.23 शुरुआत में, उत्तराखंड राज्य ने कर्नाटक राज्य के साथ पुलिस कार्मिकों का आदान-प्रदान सफलतापूर्वक किया है।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

11.24 आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके तेलंगाना राज्य के गठन के लिए वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (एपीआर) अधिनियम, 2014 अधिनियमित किया गया था। उत्तरवर्ती राज्यों के बीच आंध्र प्रदेश के संयुक्त राज्य की कम्पनियों/निगमों आदि की सम्पत्तियों और देनदारियों के विभाजन का कार्य किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधिकांश प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा चुका है। एपीआर अधिनियम के शेष प्रावधान कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अवसंरचना परियोजनाओं और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से संबंधित कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन की अवधि लम्बी है, जिनके लिए अधिनियम में दस वर्षों की समयावधि निर्धारित की गई है।

11.25 गृह मंत्रालय समय-समय पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ दोनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करता है। अब तक, ऐसी 27 समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं।

दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स क्षेत्र के गोरखा प्रतिनिधियों तथा पश्चिम बंगाल सरकार के साथ त्रिपक्षीय वार्ता

11.26 गोरखाओं से संबंधित मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से त्रिपक्षीय वार्ता की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 12.10.2021 को की। दार्जिलिंग के संसद सदस्य के नेतृत्व में गोरखा प्रतिनिधिमंडल ने गोरखाओं और क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला। इस बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री; अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री; केंद्रीय गृह सचिव; सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार; पश्चिम बंगाल के प्रधान रेजिडेंट कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ

अधिकारियों ने भी भाग लिया। यह उल्लेख किया गया था कि लोगों की आकांक्षाओं को संवैधानिक ढांचे के भीतर और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ परामर्श करके पूरा किया जाएगा।

बेल्लारी आरक्षित वन में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच सीमा के निर्धारण संबंधी विवाद

11.27 आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए केंद्रीय गृह सचिव द्वारा दिनांक 02.03.2020 को बुलाई गई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, भारत के महासर्वेक्षक से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच सीमा का औपचारिक सीमांकन करने का अनुरोध किया गया था। सीमांकन का कार्य भारतीय सर्वेक्षण और दोनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। सीमांकन के लिए 76 अंतर-राज्य सीमा स्तंभों का निर्माण किया गया है और सम संख्या वाले स्तंभों के रखरखाव की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश सरकार को तथा विषम संख्या वाले स्तंभों के रख-रखाव की जिम्मेदारी कर्नाटक राज्य सरकार को दी गई है। संयुक्त अंतर-राज्य सीमा निर्धारण कार्य से संबंधित सभी क्षेत्रीय अभिलेखों को दोनों राज्य सरकारों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित/स्वीकार किया गया है।

राज्यपालों की नियुक्ति

11.28 वर्ष 2021-22 के दौरान, सात राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है और पांच राज्यपालों को स्थानांतरित करके दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। असम के राज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी को दिनांक 17.09.2021 को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को दिनांक 01.07.2020 को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल द्वारा दिनांक 08.07.2021 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार संभालने के बाद, श्रीमती आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया।

गावों, कस्बों, रेलवे स्टेशनों आदि के नाम में परिवर्तन

11.29 गृह मंत्रालय गावों, शहरों, रेलवे स्टेशनों आदि के नाम में परिवर्तन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 'अनापत्ति' प्रदान करता है। वर्ष 2021-2022

के दौरान, गांवों, कस्बों, रेलवे स्टेशनों आदि के नाम में परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त 13 प्रस्तावों को 'अनापत्ति' प्रदान की गई है।

राज्यपालों का सम्मेलन

11.30 51वां राज्यपाल सम्मेलन दिनांक 11.11.2021 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 50वें राज्यपाल सम्मेलन की कार्यवाही योग्य अनुशंसा पर "की गई कार्यवाही की रिपोर्ट" प्रस्तुत की गई।

पुलिस सुधारों हेतु प्रोत्साहन

11.31 जब सितम्बर, 2017 में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की अंब्रेला स्कीम अनुमोदित की गई थी, तब 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता' नामक स्कीम के कार्यान्वयन की संरचना में 'पुलिस सुधारों हेतु प्रोत्साहन' के एक घटक को शामिल किया गया था। पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु प्रत्येक वर्ष एक निश्चित राशि रखने का निर्णय लिया गया था। विभिन्न समितियों द्वारा यथा अनुशंसित पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु, स्कीम के लिए कुल वार्षिक आवंटन के 20% तक की राशि रखने का प्रावधान किया गया था। राज्य सरकारों को प्रोत्साहन निधियों का उपयोग करते समय, अपने आनुपातिक राज्य अंश अर्थात् 40% अथवा 10%, जैसा भी मामला हो, का योगदान करना होता है।

11.32 इस घटक के कार्यान्वयन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष 2018-19

वर्ष 2018-19 के लिए, स्कीम के तहत इस ये प्रयोजन हेतु आवंटन का 10% अर्थात् 76.90 करोड़ रुपये रखे गए थे। वर्ष 2018-19 के लिए सुधार-एजेंडा निम्नानुसार था:

- (i) पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया
- (ii) पेशेवर कौशल को अपग्रेड करने तथा पुलिस कर्मियों के मन में जनता के प्रति उचित दृष्टिकोण की भावना उत्पन्न करने के लिए सभी स्तरों पर पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण

(iii) फॉरेंसिक विज्ञान की अवसंरचना में सुधार

(iv) अर्दली प्रणाली को साथ में एक कांस्टेबल/हेल्पर अटैच करने की प्रणाली से बदलना

(v) कांस्टेबलों के लिए पदोन्नति के अवसर

(vi) पुलिस स्टेशनों का कंप्यूटरीकरण

इन सुधारों को कार्यान्वित करने में राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन उद्देश्यपरक मानदंड के आधार पर किया गया था। वर्ष 2018-19 के लिए, दस राज्यों नामतः (1) आंध्र प्रदेश, (2) गुजरात, (3) मध्य प्रदेश, (4) ओडिशा, (5) पंजाब, (6) राजस्थान, (7) तमिलनाडु, (8) तेलंगाना, (9) उत्तर प्रदेश और (10) उत्तराखंड को प्रोत्साहन प्रदान किए जाने हेतु पात्र पाया गया था और इन राज्यों को कुल 76.90 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन में से प्रत्येक को 7.69 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया था।

वर्ष 2019-20

वर्ष 2019-20 के लिए, राज्य सरकारों को पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 158.26 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी। वर्ष 2019-20 के लिए सुधार-एजेंडा निम्नानुसार था:

- (i) ग्रामीण पुलिस प्रणाली की समीक्षा/सुधार
- (ii) अपराध का निःशुल्क पंजीकरण
- (iii) गिरफ्तारियों की संख्या में कमी
- (iv) पदोन्नति को प्रशिक्षण के साथ जोड़ना
- (v) डीजी/पुलिस आयुक्तों को पर्याप्त वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन
- (vi) बाह्य एवं गैर-पुलिस व्यवस्था संबंधी कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग
- (vii) स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय

11.33 निम्नलिखित राज्यों ने पुलिस सुधारों के लिए प्रोत्साहन प्राप्त किया, जिसकी राशि उनके नाम के सामने दर्शाई गई है:

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई निधि (करोड़ रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	35.99
2.	हिमाचल प्रदेश	21.86
3.	केरल	28.07
4.	मिजोरम	25.81
5.	ओडिशा	17.33
6.	तेलंगाना	29.20
	कुल	158.26

स्मार्ट पुलिस व्यवस्था

11.34 दिनांक 30.11.2014 को 49वें डीजी/आईजी वार्षिक सम्मेलन के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री ने स्मार्ट (एस.एम.ए.आर.टी.) पुलिस की संकल्पना से परिचित कराया था। इसका अर्थ है: एस—संवेदनशील और सख्त; एम—आधुनिक और सचल; ए—सतर्क और जवाबदेह; आर—विश्वसनीय और प्रतिक्रियात्मक तथा टी—प्रशिक्षित और प्रौद्योगिकी—सक्षम। इस संबंध में अप्रैल—मई, 2015 के दौरान बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी और चंडीगढ़ में स्मार्ट पुलिस व्यवस्था के बारे में चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई थीं। इन कार्यशालाओं के दौरान, विभिन्न राज्य सरकारों/पुलिस द्वारा अपनाए गए कई नवीन विचार और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां प्रस्तुत की गईं और उनका विश्लेषण किया गया। 'स्मार्ट' पुलिस व्यवस्था के दस गुणों के हिसाब से सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का चयन कर लिया गया है। बीपीआरएंडडी द्वारा भुज, गुजरात में दिनांक 19.12.2015 से 20.12.2015 तक की अवधि के दौरान आयोजित महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और स्मार्ट पुलिस व्यवस्था संबंधी पहल का एक संकलन जारी किया गया था।

11.35 इस संबंध में, गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से पुलिस स्टेशन स्तर

अथवा जिला स्तर या इससे निचले स्तर पर किसी अन्य पुलिस कार्यालय के सकारात्मक वृत्तांतों/उनके द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्य की पहचान करने और उसे जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस आयुक्त के कार्यालय की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से प्राप्त सूचना और वेबसाइटों से एकत्र की गई सूचना के अनुसार, पूरे देश में जिलों एवं पुलिस जिलों की अपनी अलग वेबसाइटें हैं। कुछ राज्यों ने जिला—वार सकारात्मक वृत्तांत अपलोड किए हैं और कुछ ने इसे अपनी राज्य पुलिस की वेबसाइटों पर अपलोड किया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, अब तक वेबसाइटों पर 40,122 सकारात्मक वृत्तांत अपलोड किए गए हैं।

छात्र पुलिस कैडेट (एसपीसी) कार्यक्रम

11.36 राष्ट्रीय स्तर पर छात्र पुलिस कैडेट (एसपीसी) कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 21.07.2018 को श्री राजनाथ सिंह, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा श्री प्रकाश जावडेकर, माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और श्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ताऊ देवी लाल स्टेडियम, गुरुग्राम में किया गया था। समारोह में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लगभग 6000 कैडेटों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में कक्षाओं के माध्यम से तथा स्कूलों के बाहर स्कूल के विद्यार्थियों के मन में मूल्यों और नैतिकता की भावना पैदा करके उनके माध्यम से पुलिस और वृहत समुदाय के बीच संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यह कार्यक्रम कक्षा 8 और 9 के विद्यार्थियों पर केंद्रित है और यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा गया है कि इससे विद्यार्थियों के कार्य का बोझ न बढ़े। इस कार्यक्रम में मोटे तौर पर दो प्रकार के विषयों को कवर किया जाना है: (i) अपराध की रोकथाम और नियंत्रण तथा (ii) मूल्य और नैतिकता। पहले भाग के अंतर्गत ये विषय शामिल हैं—सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, सामाजिक बुराईयों के खिलाफ लड़ाई, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तथा आपदा प्रबंधन। दूसरे भाग के अंतर्गत ये विषय शामिल हैं —

मूल्य एवं नैतिकता, बड़ों के प्रति सम्मान, परानुभूति एवं सहानुभूति, सहनशीलता, धैर्य, प्रवृत्ति, टीम भावना और अनुशासन। बीपीआरएंडडी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31.12.2021 तक 11,000 से अधिक स्कूल और 7,18,638 विद्यार्थी एसपीसी कैडेट के रूप में नामांकित हैं।

राज्य विधायन

11.37 भारत के राष्ट्रपति की सहमति/पूर्व अनुदेशों/पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त विधायन संबंधी प्रस्तावों (संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत) पर कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है। संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ तथा सहमति हेतु विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 304 (ख) के परंतुक के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी हेतु विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड-1 के परंतुक के अंतर्गत राष्ट्रपति के अनुदेशों हेतु अध्यादेश और संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 4(3) के साथ पठित अनुच्छेद

244(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विनियम इस श्रेणी में आते हैं।

11.38 भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके शीघ्र अनुमोदन के लिए विधायन संबंधी प्रस्तावों की जांच की जाती है। परस्पर विचार-विमर्श के द्वारा मुद्दों का समाधान करके विधेयकों के शीघ्र अनुमोदन/सहमति को सुकर बनाने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य सरकारों के साथ बैठकों के माध्यम से समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है।

11.39 पहले से लंबित राज्यों के विधायन संबंधी प्रस्तावों के अलावा, गृह मंत्रालय को दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के दौरान राज्यों से 34 नए विधायन संबंधी प्रस्ताव अर्थात् सहमति के लिए 33 विधेयक और पूर्व अनुदेशों हेतु 01 अध्यादेश प्राप्त हुए। इस अवधि के दौरान अंतिम रूप प्रदान किए गए प्रस्तावों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	संख्या
I.	संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ और उनकी सहमति वाले विधेयक	
	(i) राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान किए गए विधेयक	16
	(ii) राष्ट्रपति के संदेश के साथ राज्य सरकार को वापस किए गए विधेयक	00
	(iii) विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति रोक लेना	00
	(iv) संबंधित राज्य सरकार द्वारा वापस लिए गए विधेयक	08
	(v) संबंधित राज्य सरकार को वापस किए गए विधेयक	00
II.	संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेशों हेतु अध्यादेश	
	(i) अध्यादेश के प्रख्यापन हेतु राष्ट्रपति के अनुदेश की सूचना देना	02
	(ii) बंद किए गए अध्यादेश	07
III.	संविधान के अनुच्छेद 304(ख) के तहत राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति हेतु विधेयक	00
IV.	संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 4(3) के साथ पठित अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विनियम	01
	कुल	34

11.40 गृह मंत्रालय का संबंध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के विधायी पहलुओं से है। इन्हें देश के बदलते हुए सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप बनाने के लिए इन संहिताओं में समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं। ये संशोधन भारतीय विधि आयोग की सिफारिशों, इस संबंध में गठित आयोगों/समितियों की सिफारिशों और न्यायालयों के आदेशों के आधार पर भी किए जाते हैं। गृह मंत्रालय ने दंड विधि में संशोधन करने के लिए व्यापक कार्रवाई शुरू की है।

दया याचिकाएं

11.41 गृह मंत्रालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई माफी संबंधी दया याचिकाओं आदि को भी देखता है।

प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल

11.42 पिछले कुछ वर्षों के दौरान आर्थिक गतिविधियों में तेजी से हुई वृद्धि और विस्तार के कारण, प्राइवेट सुरक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप देश में कार्य कर रही प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है। एक अनुमान के अनुसार, लगभग 90 लाख व्यक्ति प्राइवेट सुरक्षा उद्योग क्षेत्र में कार्यरत हैं। भारत में प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों का विनियमन प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 [पीएसएआर अधिनियम] के तहत किया जाता है, जिसमें प्राइवेट सुरक्षा सेवाओं के व्यवसाय के लिए लाइसेंस का अधिदेश दिया गया है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नियुक्त नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इस सेक्टर की उन्नति के लिए, गृह मंत्रालय ने दिनांक 24.9.2019 को पीएसएआर अधिनियम के तहत प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से नए लाइसेंस जारी करने/लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए 'प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण लाइसेंसिंग पोर्टल' लॉन्च किया था। यह पोर्टल अपराधियों के पूर्ववृत्त की अखिल भारत आधार पर ऑनलाइन खोज की सुविधा वाले अंतर प्रचालनीय दंड न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) डेटाबेस के माध्यम से आवेदकों/गार्डों/पर्यवेक्षकों आदि के चरित्र और पूर्ववृत्त के त्वरित सत्यापन की सुविधा प्रदान करता है। ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रणाली नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस

संबंधी आवेदनों के शीघ्र निपटान और कारगर निगरानी की जरूरतों को पूरा करती है। इसके साथ ही, यह आवेदकों को आसानी से ट्रेकिंग करने की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ उद्योग को लागत में बचत करने की सुविधा भी प्रदान करता है। वर्तमान में, यह पोर्टल उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील है, जहां प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों की संख्या काफी अधिक है।

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण केंद्रीय मॉडल नियम, 2020 की अधिसूचना

11.43 इस सेक्टर में "व्यवसाय करने में आसानी" को बढ़ावा देने के लिए, गृह मंत्रालय ने मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण केंद्रीय मॉडल नियम, 2006 की समीक्षा की है। नए मॉडल नियम अर्थात् 'प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण केंद्रीय मॉडल नियम, 2020' को दिनांक 15.12.2020 को अधिसूचित कर दिया गया है और ये नियम पूर्व में बने वर्ष 2006 के नियमों का अधिक्रमण करेंगे। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन अपने-अपने नियम अधिसूचित करके नए नियमों को अपनाएंगे। प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण केंद्रीय मॉडल नियम, 2020 में तकनीकी परिदृश्य में प्रगति, पूर्ववृत्त का डिजिटल सत्यापन, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ अनुरूपता (अलाइनमेंट) और लाइसेंस शुल्क का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान शामिल है। मॉडल नियमों को प्रमुख अधिनियम का अधिक कारगर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है और ये प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण लाइसेंसिंग पोर्टल के पूरक हैं।

राष्ट्रीय मानदंड तैयार करना

11.44 'पुलिस' राज्य का विषय होने के नाते, राज्य पुलिस बल अपनी संबंधित राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। तथापि, गृह मंत्रालय इन बलों को सहायता प्रदान करने के अलावा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों/उपकरणों के संबंध में उनका मार्गदर्शन करता है और इन बलों की आधुनिकीकरण संबंधी विभिन्न साझा आवश्यकताओं के संबंध में राज्य पुलिस बलों को सहायता भी प्रदान करता है। राज्य पुलिस बलों द्वारा सीएपीएफ की गुणात्मक आवश्यकताओं और परीक्षण निर्देशों को अपनाना अथवा पुलिस के क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में एसओपी परिचालित करना ऐसे ज्ञान के आदान-प्रदान के

कुछ उदाहरण हैं। इससे पुलिस बलों, विशेष रूप से छोटे राज्यों के पुलिस बलों के लिए मार्गदर्शन के अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध होते हैं। यह प्रयासों के दोहराव को भी दूर करता है और इस तथ्य से उत्पन्न होने वाली बाधाओं को भी आंशिक रूप से दूर करता है कि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। इस दिशा में, गृह मंत्रालय ने रेडियो संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण/न्यूनतम निर्धारित राज्य स्तरीय अवसंरचना तथा फॉरेंसिक के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानक परिचालित किए हैं।

पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग

11.45 वर्ष 2015 में, माननीय प्रधानमंत्री ने कच्छ, गुजरात में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान पुलिस स्टेशनों के प्रदर्शन तथा साथ ही साथ नागरिकों के फीडबैक के आधार पर उनकी ग्रेडिंग के लिए पैरामीटर निर्धारित करने का निदेश दिया था। तदनुसार, देश में दस सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशनों और साथ ही किसी विशिष्ट राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशन की पहचान करने तथा उन्हें सम्मानित करने के लिए सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशन स्कीम का वार्षिक मूल्यांकन शुरू किया गया था। पूरे देश में लगभग 16,500 पुलिस स्टेशनों में से, चयन (शॉर्ट लिस्ट) करने का कार्य सीसीटीएनएस पर अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित तरीके से किया गया था:

(क) 750 से अधिक पुलिस स्टेशनों वाले राज्यों से 3

(ख) अन्य सभी राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 2

(ग) प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र से 1

11.46 पुलिस स्टेशनों का मूल्यांकन महिलाओं और अनुसूचित जातियों (एससी)/अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रति अपराधों, संपत्ति संबंधी अपराधों, लापता व्यक्तियों और पाए गए किन्तु पहचाने न जा सके व्यक्तियों/शवों के आधार पर किया जाता है। देश में सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशन को चुनने का मानदंड मुख्यतः अपराध को रोकने, जांच तथा मामलों के निपटान, अपराध का पता लगाने, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था तथा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के मामले में उनके प्रदर्शन पर आधारित था। इस प्रयोजन के लिए पुलिस स्टेशनों की अवसंरचना और नागरिकों से प्राप्त फीडबैक को भी ध्यान में रखा जाता है।

11.47 वर्ष 2021 के लिए, देश के सर्वोत्कृष्ट पुलिस स्टेशन का चयन करने और उसे रैंक प्रदान करने हेतु पुलिस स्टेशनों के आकलन एवं मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसकी रिपोर्ट 19-21 नवंबर, 2021 को लखनऊ में आयोजित डीजीपी/आईजीपी सम्मेलन में जारी जा चुकी है।

11.48 वर्ष 2021 के लिए शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग निम्नानुसार है:

रैंक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला	पुलिस स्टेशन
1.	दिल्ली	उत्तरी जिला	सदर बाजार
2.	ओडिशा	गंजम	गंगापुर
3.	हरियाणा	फतेहाबाद	भट्ट कलां
4.	गोवा	उत्तरी गोवा	वालपोई
5.	कर्नाटक	रायचूर	मानवी
6.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप	कदमत द्वीप
7.	महाराष्ट्र	सांगली	शिराला
8.	तमिलनाडु	तिरुचिगपल्ली	थोट्टियम
9.	जम्मू एवं कश्मीर	उधमपुर	बसंतगढ़
10.	बिहार	अरवल	गमपुर चौराम

अध्याय -12

विदेशी राष्ट्रिक, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और पुनर्वास

विदेशी राष्ट्रिक और नागरिकता

12.1 गृह मंत्रालय (एमएचए) आप्रवासन, वीजा, विदेशी अभिदाय तथा नागरिकता संबंधी मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। भारत में विदेशी राष्ट्रिकों के प्रवेश करने, यहां ठहरने, उनकी आवाजाही और देश से प्रस्थान करने आदि का विनियमन कार्य आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के पुलिस प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

विदेशी राष्ट्रिकों का प्रवेश और आवाजाही

12.2 भारत में विदेशी राष्ट्रिकों का प्रवेश, यहां ठहरना और यहां से प्रस्थान विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939, विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 द्वारा शासित होता है। जहां सभी विदेशी राष्ट्रिकों को सभी प्रकार का भारतीय वीजा, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा भौतिक अथवा स्टिकर स्वरूप में दिया जा सकता है, वहीं आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) 171 देशों के विदेशी राष्ट्रिकों को, पांच श्रेणियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा प्रदान करता है। वर्तमान में, कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से केवल 156 देशों के राष्ट्रिक ई-वीजा के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, 03 देशों के राष्ट्रिकों को 06 नामित विमानपत्तनों पर आप्रवासन प्राधिकारियों द्वारा "आगमन पर वीजा" प्रदान किया जाता है। भारत में विदेशी राष्ट्रिकों के ठहरने तथा उनकी आवाजाही और यहां से उनके प्रस्थान का विनियमन आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

विदेशी राष्ट्रिक और वीजा

12.3 दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि

के दौरान कुल 15,24,469 विदेशी राष्ट्रिकों ने भारत की यात्रा की। इस अवधि के दौरान भारत की यात्रा करने वाले सबसे अधिक विदेशी राष्ट्रिक संयुक्त राज्य अमेरिका (4,29,860) से थे, जिसके बाद बांग्लादेश (2,40,554), यूनाइटेड किंगडम (1,64,143), कनाडा (80,437), नेपाल (52,544), अफगानिस्तान (36,451), आस्ट्रेलिया (33,864), जर्मनी (33,772), पुर्तगाल (32,064) और फ्रांस (30,374) का स्थान था। दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान, विदेशी राष्ट्रिकों के कुल आगमन में से 74.39% हिस्सा इन 10 देशों का था, जबकि विदेशी राष्ट्रिकों के कुल आगमन में से शेष देशों का हिस्सा 25.61% था।

12.4 कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर, इसके फैलाव को नियंत्रित करने हेतु, गृह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों (विदेशी और भारतीय दोनों) के आगमन/प्रस्थान को कम करने के लिए फरवरी, 2020 से सुनियोजित तरीके से कई कदम उठाए थे। तथापि, भारत में अनलॉकिंग शुरू होने के साथ, केंद्र सरकार मई, 2020 से चरणबद्ध तरीके से वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में ढील प्रदान करती रही है। इस दिशा में, गृह मंत्रालय ने "वंदे भारत मिशन" अथवा "एयर बबल" (द्विपक्षीय हवाई यात्रा व्यवस्था) स्कीम के अंतर्गत अथवा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई अनुमति के अनुसार किसी गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ान से आने वाले यात्रियों सहित जलमार्ग अथवा फ्लाइट द्वारा भारत में प्रवेश करने के लिए निम्नलिखित श्रेणी के विदेशी राष्ट्रिकों को अनुमति प्रदान करने हेतु दिनांक 21.10.2020 को आदेश जारी किए हैं:

(क) सभी प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक तथा किसी भी देश का पासपोर्ट रखने

वाले पीआईओ (भारतीय मूल के व्यक्ति) कार्डधारक।

- (ख) पर्यटन वीजा पर आने वालों को छोड़कर, किसी भी उद्देश्य से भारत आने के इच्छुक सभी विदेशी राष्ट्रिक (उपयुक्त श्रेणी के आश्रित वीजा पर उनके आश्रितों सहित)।

तत्पश्चात, मार्च 2021 में गृह मंत्रालय ने सभी उप-श्रेणियों (ई-पर्यटक वीजा को छोड़कर) के साथ ई-वीजा तंत्र को बहाल कर दिया था। 156 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा (ई-पर्यटक वीजा को छोड़कर) को बहाल कर दिया गया था। उन सभी श्रेणियों के विदेशी नागरिकों, जिन्हें भारत में प्रवेश करने की अनुमति है अथवा जिन्हें भविष्य में भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है, के संबंध में अधिकृत एयरपोर्ट/सी-पोर्ट आप्रवासन जांच चौकियों के माध्यम से भारत में आने वाले पैसेंजर ट्रैफिक पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया था। इसके बाद, दिनांक 15.10.2021 से एक माह की वैधता वाले पर्यटक/ई-पर्यटक वीजा के लिए जारी की गई नई श्रेणी के साथ पर्यटक और ई-पर्यटक वीजा की भी अनुमति दी गई थी। किसी भी देश का किसी भी प्रकार का वैध वीजा रखने वाले किसी भारतीय नागरिक अथवा नेपाल या भूटान के नागरिक को भी भारत से उस संबंधित देश में यात्रा करने की अनुमति है, बशर्ते कि उस देश में भारतीय/नेपाली/भूटानी नागरिकों के प्रवेश करने पर कोई यात्रा प्रतिबंध न हो। संबंधित एयरलाइंस को भारतीय/नेपाली/भूटानी यात्री को टिकट/बोर्डिंग पास जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि विशिष्ट श्रेणी के वीजा के साथ संबंधित देश में प्रवेश करने के लिए भारतीय/नेपाली/भूटानी नागरिकों पर यात्रा का कोई प्रतिबंध नहीं है।

विदेशी राष्ट्रिकों का निर्वासन

12.5 दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक, विदेशी राष्ट्रिक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (एफआरआरओ) द्वारा कुल 821 विदेशी राष्ट्रिकों को निर्वासित किया गया। निर्वासित किए गए विदेशी राष्ट्रिकों में से सर्वाधिक संख्या नाइजीरिया (339) से थी, जिसके बाद बांग्लादेश (246) और अफगानिस्तान (105) का स्थान था।

ई-वीजा

12.6 पांच उप-श्रेणियों अर्थात् ई-टूरिस्ट वीजा,

ई-बिजनेस वीजा, ई-कॉन्फ्रेंस वीजा, ई-मेडिकल वीजा और ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा के साथ ई-वीजा की सुविधा, 171 देशों के नागरिकों को भारत में 28 नामित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और 05 प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से प्रवेश करने के लिए प्रदान की गई थी। तथापि, कोविड 19 की स्थिति की वजह से, वर्तमान में 156 देशों के नागरिक ई-वीजा प्रदान किए जाने के पात्र हैं। इन 156 देशों के नागरिक ई-वीजा के लिए विश्व में कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं और वीजा शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन कर सकते हैं। ई-टूरिस्ट और ई-बिजनेस वीजा के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकार (ईटीए) वीजा की वैधता की अवधि के साथ समाप्त होगा। ई-वीजा निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:-

- (क) ई-टूरिस्ट वीजा तीन विकल्पों के तहत दिया जाता है अर्थात् कई बार प्रवेश के साथ 05 वर्ष के लिए, कई बार प्रवेश के साथ एक वर्ष के लिए और दो बार प्रवेश के साथ एक महीने के लिए। (तथापि, वर्तमान में ई-टूरिस्ट वीजा एक बार प्रवेश के साथ केवल एक महीने के लिए दिया जाता है)।
- (ख) ई-बिजनेस वीजा कई बार प्रवेश के साथ एक वर्ष के लिए दिया जाता है।
- (ग) ई-मेडिकल वीजा और ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा तीन बार प्रवेश के साथ 60 दिन तक की अवधि के लिए दिया जाता है।
- (घ) ई-कॉन्फ्रेंस वीजा एक बार प्रवेश के साथ 30 दिन की अवधि के लिए दिया जाता है।

12.7 इसके अलावा, एफआरआरओ तथा गृह मंत्रालय द्वारा भारत में ई-मेडिकल वीजा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा और ई-कॉन्फ्रेंस वीजा की अवधि बढ़ायी जा सकती है।

आगमन पर वीजा (वीओए) की योजना

12.8 ई-वीजा की सुविधा के अलावा, भारत सरकार ने जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नागरिकों के लिए "आगमन पर वीजा" की योजना भी क्रमशः दिनांक 01.03.2016, 01.10.2018 और 07.11.2019 से लागू की है, जिसके तहत व्यापार, पर्यटन, सम्मेलन और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए भारत में 06 नामित

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरु और हैदराबाद के जरिये अधिकतम 60 दिनों की अवधि के लिए दो बार प्रवेश किया जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नागरिकों के मामले में, यह सुविधा उन यूएई नागरिकों को उपलब्ध होगी, जिन्होंने पहले भारत के लिए ई-वीजा अथवा सामान्य पेपर वीजा प्राप्त किया हो, चाहे उस व्यक्ति ने भारत की यात्रा की हो अथवा न की हो।

12.9 इसके अलावा, अटारी आप्रवासन जांच चौकी को पैदल पार करने वाले 65 वर्ष से अधिक उम्र के पाकिस्तानी नागरिकों को भी कुछ शर्तों के अधीन एक बार प्रवेश के साथ 45 दिनों तक ठहरने के लिए "आगमन पर वीजा (वीओए)" प्रदान किया जाता है।

आप्रवासन, वीजा और विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण एवं ट्रेकिंग (आईवीएफआरटी) के संबंध में मिशन मोड परियोजना (एमएमपी)

12.10 गृह मंत्रालय "आप्रवासन, वीजा और विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण एवं ट्रेकिंग (आईवीएफआरटी)" नामक एक योजनागत स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित और एकीकृत ऑनलाइन प्रदायगी ढांचा विकसित एवं कार्यान्वित करना है, ताकि सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ-साथ वैध यात्रियों को सुविधाएं प्रदान की जा सकें। प्रभावी संचार, प्रशिक्षण और संस्थागत क्षमता की सहायता वाले स्थानों की अवसंरचना/कनेक्टिविटी की तैयारी के अनुरूप स्कीम का कार्यान्वयन योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

12.11 इस परियोजना में वैश्विक पहुँच निहित है, क्योंकि परियोजना के दायरे में विदेश में स्थित 194 भारतीय मिशन, 108 आईसीपी (आप्रवासन जांच चौकियाँ), 13 एफआरआरओ (विदेशी राष्ट्रिक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय) और देश भर में जिला मुख्यालयों में 700 से अधिक एफआरओ (विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण कार्यालय) शामिल हैं। दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, विदेशों में स्थित 184 भारतीय मिशनों, 13 एफआरआरओ, 700 से अधिक एफआरओ और 108 आप्रवासन जांच चौकियों (आईसीपी) में एकीकृत ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली लागू की गई है।

वीजा आवेदकों के बायोमीट्रिक विवरणों को कैप्चर करने के लिए विदेशों में स्थित 184 भारतीय मिशनों में बायोमीट्रिक नामांकन सॉफ्टवेयर लागू किया गया है।

12.12 सीमा पार करने के कुल 108 स्थानों को अधिकृत आप्रवासन जांच चौकी (आईसीपी) के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2021 के दौरान, खुशीनगर (उत्तर प्रदेश) नामक एक "विमानपत्तन आईसीपी" की स्थापना की गई।

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को दीर्घावधि वीजा (एलटीवी)

12.13 दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक, गृह मंत्रालय द्वारा तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कुल 2439 दीर्घावधि वीजा (एलटीवी) जारी किए गए हैं। इसमें पाकिस्तान (2193), अफगानिस्तान (237) और बांग्लादेश (9) शामिल हैं।

पाकिस्तानी कैदियों का प्रत्यावर्तन

12.14 दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक, अपनी सजा पूरी कर चुके 08 पाकिस्तानी सिविल कैदियों और 15 पाकिस्तानी मछुआरों को पाकिस्तान वापस भेजा गया।

पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए भारतीय कैदियों और भारतीय मछुआरों को वापस लाना

12.15 दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक, 08 भारतीय सिविल कैदियों और 20 भारतीय मछुआरों को भारत में वापस भेजा गया।

प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक योजना

12.16 प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक योजना दिनांक 02.12.2005 से शुरू की गई थी। इस कार्ड से, अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि/बागान संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर जीवन-पर्यन्त वीजा, एफआरआरओ के पास पंजीकरण कराने से छूट तथा अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को आर्थिक, वित्तीय एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में उपलब्ध सभी सुविधाओं के समान सुविधा प्राप्त होती है। राजनीतिक तथा लोक रोजगार संबंधी अधिकार के क्षेत्र में उन्हें किसी समानता की अनुमति नहीं है।

12.17 दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि

के दौरान कुल 2,68,180 विदेशी राष्ट्रिकों को ओसीआई कार्डधारकों के रूप में पंजीकृत किया गया है और पीआईओ कार्ड के बदले 7,783 ओसीआई कार्ड जारी किए गए हैं।

12.18 केंद्र सरकार ने उन अधिकारों, जिनके लिए ओसीआई कार्डधारक हकदार हैं, को निर्दिष्ट करते हुए नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 ख(1) के तहत दिनांक 04.03.2021 को अधिसूचना संख्या का. आ. 1050 (अ) जारी की है। दिनांक 04.03.2021 की अधिसूचना, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 ख (1) के तहत दिनांक 11.04.2005, 05.01.2007 और 05.01.2009 को जारी की गई तीन पूर्व अधिसूचनाओं में किए गए प्रावधानों को समेकित करती है और कुछ अधिकारों, जिनके लिए ओसीआई कार्डधारक हकदार हैं, के संबंध में स्पष्टता भी लाती है।

12.19 आवेदक के चेहरे में होने वाले जैविक परिवर्तन को देखते हुए 20 वर्ष की आयु तक नया पासपोर्ट जारी करते समय प्रत्येक बार और फिर 50 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही ओसीआई कार्ड पुनः जारी किया जाना अपेक्षित होता था। ओसीआई कार्डधारकों की सुविधा के लिए, केंद्र सरकार द्वारा इस अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। ओसीआई कार्डधारक द्वारा 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद उसे नया पासपोर्ट जारी किए जाने के समय, ओसीआई कार्ड पुनः जारी किया जाना आवश्यक है, ताकि वयस्क होने पर उसके चेहरे की विशेषताओं को कैचर किया जा सके। यदि किसी व्यक्ति ने 20 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण कराया है, तो ओसीआई कार्ड पुनः जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

नागरिकता

12.20 भारतीय नागरिकता छोड़ने से संबंधित आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए दिनांक 22.08.2021 को आईवीएफआरटी प्लेटफॉर्म के तहत एक ऑनलाइन मॉड्यूल सक्रिय किया गया है। इस मॉड्यूल के माध्यम से, पूर्ण आयु और क्षमता वाला भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिकता छोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। भारतीय नागरिकता छोड़ने से संबंधित आवेदनों पर

शुरु से अंत तक कार्रवाई करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इस ऑनलाइन प्रक्रिया का उद्देश्य अनुपालन के बोझ को कम करना और भारतीय नागरिकता को छोड़ने से संबंधित आवेदन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है।

12.21 केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई अथवा पारसी समुदाय के विदेशी राष्ट्रिकों के संबंध में पंजीकरण या देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने की अपनी शक्तियों को, 13 और जिलों के कलेक्टरों तथा दो और राज्यों के गृह सचिवों को प्रत्यायोजित कर दिया है। इस प्रकार, उक्त श्रेणी के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए 29 जिलों के कलेक्टरों और 09 राज्यों के गृह सचिवों को अधिकृत किया गया है। शक्तियों के इस प्रत्यायोजन से उक्त श्रेणी के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया में तेजी आएगी, क्योंकि निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया जाएगा।

12.22 दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक, इस मंत्रालय सहित सभी प्राधिकरणों द्वारा कुल 1414 नागरिकता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए हैं। इसमें से, 1120 प्रमाणपत्र नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 के तहत पंजीकरण द्वारा और 294 प्रमाण-पत्र धारा 6 के तहत देशीकरण द्वारा प्रदान किए गए हैं।

एफसीआरए विंग

12.23 एफसीआरए, 2010 राष्ट्रीय हित और इससे जुड़े मामलों के संबंध में हानिकारक गतिविधियों के लिए ऐसे अंशदान के किसी भी उपयोग को रोकने के उद्देश्य से भारत में व्यक्तियों/एसोसिएशनों द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उसके उपयोग को विनियमित करता है।

12.24 एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत, किसी निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम के लिए विदेशी अभिदाय की मांग करने वाला कोई व्यक्ति अथवा एसोसिएशन विदेशी अभिदाय प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके गृह मंत्रालय से या तो पंजीकरण अथवा पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर सकता है। केवल उन एसोसिएशनों का पंजीकरण किया जाता है, जिनका

विगत तीन वर्षों के दौरान गतिविधि के चयनित क्षेत्र में कार्य करने का प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड होता है। एसोसिएशन तथा उसके पदाधिकारियों के क्रियाकलापों एवं पूर्ववृत्त की सुरक्षा संबंधी संपूर्ण जांच के पश्चात ही पंजीकरण किया जाता है अथवा पूर्व अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

12.25 दिनांक 14.12.2015 से सभी एफसीआरए सेवाओं जैसे कि पंजीकरण, पूर्व अनुमोदन, पंजीकरण के नवीनीकरण, गैर-सरकारी संगठनों के ब्यौरे में परिवर्तन तथा विदेशी आतिथ्य की मंजूरी को ऑनलाइन कर दिया गया था। पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है, ताकि इसे उपयोगकर्ता के लिए और अधिक अनुकूल तथा जानकारीपूर्ण बनाया जा सके।

12.26 दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक पंजीकरण, नवीनीकरण एवं पूर्व अनुमोदन तथा आतिथ्य से संबंधित एफसीआरए आवेदनों के निपटान की स्थिति निम्नानुसार है:-

दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक एफसीआरए सेवाओं से संबंधित आवेदनों का निपटान		
क्र.सं.	सेवाएं	प्रदान किए गए
1.	पंजीकरण	160
2.	नवीनीकरण	1265
3.	पूर्व अनुमोदन	21
4.	आतिथ्य	638
	कुल	2084

12.27 विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 को संसद द्वारा सितम्बर, 2020 में पारित किया गया था और इसे दिनांक 28.09.2020 को अधिसूचित किया गया है। अधिनियम में किए गए संशोधनों से विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उसके उपयोग की प्रभावी रूप से निगरानी करने में सहायता मिलेगी।

12.28 अधिनियम के बेहतर अनुपालन के लिए तथा घोषित और विधिसम्मत उद्देश्यों का पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु, इन संशोधनों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं:

- (क) सभी प्रमुख पदाधिकारियों के आधार नम्बर का प्रावधान
- (ख) विदेशी अभिदाय (एफसी) केवल भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की मुख्य शाखा, नई दिल्ली में खोले गए निर्धारित एफसीआरए खाते के माध्यम से प्राप्त करना
- (ग) विदेशी अभिदाय के अंतरण पर पूर्ण प्रतिबंध और
- (घ) प्रशासनिक व्यय की सीमा को 50% से घटाकर 20% करना।

12.29 इन प्रावधानों से पदाधिकारियों की सही पहचान सुनिश्चित हो सकेगी तथा बेनामी/फर्जी प्रविष्टि की संभावना भी समाप्त हो जाएगी और गैर-उत्पादक मदों जैसे कि स्टाफ के अधिक वेतन, आलीशान भवनों एवं कार्यालयों तथा लग्जरी वाहनों आदि पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी।

12.30 केंद्र सरकार ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 में विदेशी अभिदाय (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2020 के माध्यम से पुनः संशोधन किया है और इसे दिनांक 10.11.2020 को अधिसूचित किया गया है।

12.31 संशोधित तंत्र को सहज रूप से अपनाने के कार्य को सुगम बनाने के लिए, एफसीआरए एसोसिएशनों को विभिन्न प्रकार की रियायतें दी गई थीं। इनमें पूर्ववर्ती एफसीआरए के मुख्य खाते के उपयोग की अवधि में विस्तार और एफसीआरए पंजीकरण की वैधता अवधि को आगे बढ़ाना शामिल है। केंद्र सरकार ने दिनांक 30.09.2021 की सार्वजनिक सूचना के माध्यम से, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्रों, जिनकी वैधता दिनांक 29.09.2020 से 31.12.2021 के बीच की अवधि के दौरान समाप्त हो रही थी, की वैधता अवधि को दिनांक 31.12.2021 तक बढ़ा दिया था। इस अवधि को कतिपय शर्तों के साथ दिनांक 31.03.2022 तक पुनः आगे बढ़ा दिया गया था।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

12.32 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मानव इतिहास में एक

अनोखी मिसाल है। इसमें सभी वर्गों के लोगों ने एकजुट होकर एक उद्देश्य के लिए कार्य किया। यह संघर्ष 1947 तक जारी रहा और इसमें लोगों की अनेक पीढ़ियों का संघर्ष और बलिदान शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप ही देश को आजादी प्राप्त हुई। इस स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लोगों ने भाग लिया।

पेंशन योजना

12.33 स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 1969 में 'पूर्व-अंडमान राजनीतिक कैदी पेंशन योजना' नामक एक योजना शुरू की थी। वर्ष 1972 में, भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर, स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए "स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम" नामक एक योजना शुरू की गई थी। दिनांक 01.08.1980 से इस योजना को उदार बनाकर इसका नाम बदलकर 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना' कर दिया गया। वर्ष 2017 में, इस योजना के नाम को बदलकर "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना" (एसएसएसवाई) कर दिया गया था। एसएसएसवाई के तहत पेंशन की मंजूरी की पात्रता संबंधी शर्तों का ब्यौरा गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष रियायत

12.34 पेंशन की मंजूरी की पात्रता के मानदंड में कम से कम छह माह की अवधि तक जेल में रहने की यातना, जो स्वतंत्रता सेनानी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भोगी है, निर्धारित की गई है। तथापि, महिला स्वतंत्रता सेनानियों और अनुसूचित जाति (एससी) तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित स्वतंत्रता सेनानियों के लिए विशेष रियायत के रूप में न्यूनतम अवधि तीन माह रखी गई है।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अन्य सुविधाएं

12.35 पेंशन के अलावा, स्वतंत्रता सेनानियों को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं:

(क) स्वतंत्रता सेनानी/उनकी विधवा/विधुर के लिए

एक सहयोगी के साथ उसी श्रेणी में आजीवन निःशुल्क रेलवे पास (दूरन्तो में 2/3 ए.सी., राजधानी/शताब्दी/जनशताब्दी सहित किसी भी गाड़ी में प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी ए.सी.);

(ख) स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत चिकित्सा सुविधाएं और लोक उद्यम विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा भी प्रदान की गई है;

(ग) यदि व्यवहार्य हो तो, स्थापना प्रभार के बिना और केवल आधे किराए के भुगतान पर टेलीफोन का कनेक्शन;

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों आदि के आवंटन के लिए अपनाई गई सामान्य चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों (पीएच), बेहतरीन खिलाड़ियों (ओएसपी) और स्वतंत्रता सेनानियों (एफएफ) के लिए 'संयुक्त श्रेणी' के अंतर्गत 4% आरक्षण का प्रावधान;

(ङ) स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली में सामान्य पूल का रिहाइशी आवास (समग्र 5% विवेकाधीन कोटे के भीतर)। स्वतंत्रता सेनानी के जीवनसाथी को स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के पश्चात उस आवास को छह माह की अवधि तक अपने पास रखने की अनुमति दी गई है;

(च) स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों के लिए नई दिल्ली में ट्रांजिट आवास (निवास एवं भोजन) उपलब्ध कराने हेतु एक पूर्णरूपेण सुसज्जित तथा वृद्धावस्था के अनुकूल स्वतंत्रता सेनानी गृह है; और

(छ) उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त, पूर्व-अंडमान स्वतंत्रता सेनानियों/उनके जीवनसाथी को एक सहयोगी के साथ वर्ष में एक बार अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा प्राप्त करने की भी अनुमति दी गई है।

पेंशन की राशि

12.36 वर्ष 1972 में पेंशन की आरंभिक राशि 200/- रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी। तदनंतर, मूल पेंशन और महंगाई राहत को समय-समय पर संशोधित किया गया है।

दिनांक 15.08.2016 से, पेंशन को संशोधित करके केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वर्ष में दो बार लागू महंगाई राहत प्रणाली की व्यवस्था की गई है। दिनांक 01.07.2021 से मासिक पेंशन की दर निम्नानुसार है:

क्रम सं.	स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी	दिनांक 15.08.2016 से मूल पेंशन (रुपये प्रति माह)	दिनांक 01.07.2021 से 29% की दर से महंगाई राहत	पेंशन की कुल राशि (रुपये प्रति माह)
1.	पूर्व-अंडमान राजनीतिक कैदी/उनके जीवनसाथी	30,000/-	8,700/- रुपये	38,700/-
2.	स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने ब्रिटिश भारत के बाहर यातना भोगी/उनके जीवनसाथी	28,000/-	8,120/- रुपये	36,120/-
3.	आई एन ए सहित अन्य स्वतंत्रता सेनानी/उनके जीवनसाथी	26,000/-	7,540/- रुपये	33,540/-
4.	आश्रित माता-पिता/पात्र पुत्रियां (किसी भी समय अधिकतम 3 पुत्रियां)	स्वतंत्रता सेनानी को देय राशि के 50% की सीमा तक अर्थात् 13,000/- रुपये से 15,000/- रुपये तक	3,770/- रुपये से 4,350/- रुपये तक	स्वतंत्रता सेनानी को देय राशि के 50% की सीमा तक अर्थात् 16,770/- रुपये से 19,350/- रुपये तक

12.37 मौजूदा नियमों में स्पष्टता लाने और योजना के दुरुपयोग की संभावना को समाप्त करने के लिए, दिनांक 06.08.2014 के पत्र संख्या 45/03/2014-एफएफ (पी) के माध्यम से केंद्रीय सम्मान पेंशन के वितरण के लिए संशोधित नीतिगत दिशानिर्देश, 2014 जारी किए गए थे।

12.38 सभी एसएसएसवाई पेंशन बैंक खातों को "आधार" से जोड़ने के कार्य में भी प्रगति हुई है, जो बढ़कर 91.70% हो गया है। सभी बैंकों को एसएसएसवाई पेंशन खातों को "आधार" से यथाशीघ्र जोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण पर व्यय

12.39 वित्त वर्ष 2021-22 हेतु गृह मंत्रालय के स्वीकृत

बजट में पेंशन के भुगतान के लिए 760 करोड़ रुपये, केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानियों को जारी निःशुल्क कार्ड पास के लिए रेल मंत्रालय को भुगतान हेतु 15 करोड़ रुपये तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा स्वतंत्रता सेनानी गृह के रख-रखाव की प्रतिपूर्ति के लिए 31 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

केन्द्रीय सम्मान पेंशनरों की संख्या

12.40 योजना के अंतर्गत, दिनांक 31.03.2022 तक 1,71,653 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को सम्मान पेंशन स्वीकृत की गई है। उन स्वतंत्रता सेनानियों/उनके आश्रितों, जिन्हें सम्मान पेंशन स्वीकृत की गई है, का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उन स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों की संख्या, जिन्हें पेंशन स्वीकृत की गई है (दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश और	15285
2	तेलंगाना	
3	असम	4442
4	बिहार और	24905
5	झारखंड	
6	गोवा	1508
7	गुजरात	3599
8	हरियाणा	1691
9	हिमाचल प्रदेश	633
10	जम्मू एवं कश्मीर	1807
11	कर्नाटक	10103
12	केरल	3424
13	मध्य प्रदेश और	3488
14	छत्तीसगढ़	
15	महाराष्ट्र	17965
16	मणिपुर	63
17	मेघालय	86
18	मिजोरम	4
19	नागालैंड	3
20	ओडिशा	4196
21	पंजाब	7041
22	राजस्थान	814
23	तमिलनाडु	4135
24	त्रिपुरा	888
25	उत्तर प्रदेश और	18000
26	उत्तराखंड	
27	पश्चिम बंगाल	22523
28	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	3
29	चंडीगढ़	91
30	दादरा और नगर हवेली	83
31	दमण और दीव	33
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2048
33	पुदुचेरी	320
34	आजाद हिन्द फौज (आईएनए)	22472
	कुल	171653

स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान

12.41 परम्परा के अनुसार, इस वर्ष, कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रसार के कारण, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिनांक 09.08.2021 को स्वतंत्रता संग्राम पेंशनरों के सम्मान में "ऐट होम" समारोह आयोजित नहीं



केरल

किया जा सका। भारत के माननीय राष्ट्रपति की ओर से, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के डीएम/एसडीएम स्तर के अधिकारियों ने अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के स्वतंत्रता संग्राम पेंशनरों के घर पर अथवा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा चिह्नित किए गए स्थान पर जाकर उन्हें "अंगवस्त्रम और शॉल" से सम्मानित किया।



गुरुग्राम, हरियाणा

दिनांक 09.08.2021 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की ओर से राज्य सरकारों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान (स्रोत: राज्य सरकारें)

12.42 स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत, ऐसे 40 स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हैं, जिन्हें केंद्रीय सम्मान पेंशन देने के उद्देश्य से मान्यता दी गई है। उपर्युक्त 40 आंदोलनों में से, दो आंदोलनों यथा हैदराबाद मुक्ति आंदोलन और गोवा मुक्ति आंदोलन का ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

हैदराबाद मुक्ति आंदोलन

12.43 वर्ष 1947-48 के दौरान पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य के भारत संघ के साथ विलय हेतु हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को वर्ष 1985 में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत पेंशन की मंजूरी के लिए पात्र बनाया गया था। तदनुसार, हैदराबाद मुक्ति आंदोलन के दौरान भूमिगत यातनाओं के दावों पर विचार करने के उद्देश्य से 98 सीमावर्ती कैम्पों को मान्यता दी गई थी। इसके पश्चात, गृह मंत्रालय ने दावों पर विचार करने के लिए, जुलाई, 2004 में 18 अतिरिक्त

सीमावर्ती कैम्पों को मान्यता प्रदान की थी। गृह मंत्रालय ने वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों हेतु पेंशन की मंजूरी की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए दिनांक 10.09.2009 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।

गोवा मुक्ति आंदोलन

12.44 गोवा की मुक्ति के आंदोलन के दौरान, जो कई वर्षों तक चला, बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों को पुर्तगाली प्राधिकारियों के हाथों कड़ी सजा मिली थी। गोवा मुक्ति आंदोलन निम्नानुसार तीन चरणों में फैला था:

चरण-I	1946 से 1953 तक
चरण-II	1954 से 1955 तक
चरण-III	1955 से 1961 तक

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

12.45 दिनांक 04.07.2018 को, भारत सरकार ने

3182.91 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ "प्रवासियों और प्रत्यावर्तितों के राहत और पुनर्वास" की अम्ब्रेला स्कीम के तहत आठ योजनाओं को एक साथ मिलाकर उसे मार्च, 2020 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की थी। इन 08 योजनाओं में से, एफएफआर प्रभाग निम्नलिखित तीन योजनाओं को कार्यान्वित करता है:

- (क) तमिलनाडु और ओडिशा के शिविरों में रह रहे श्रीलंकाई शरणार्थियों को राहत सहायता।
- (ख) तिब्बती बस्तियों के प्रशासनिक और सामाजिक कल्याण संबंधी खर्च के लिए केंद्रीय तिब्बती राहत समिति (सीटीआरसी) को अनुदान सहायता।
- (ग) भारत और बांग्लादेश के बीच एन्क्लेवों के आदान-प्रदान के बाद वापस आने वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास पैकेज तथा बांग्लादेशी एन्क्लेवों और कूच बिहार जिले की अवसंरचना का उन्नयन।

12.46 "प्रवासियों और प्रत्यावर्तितों के राहत और पुनर्वास" की अम्ब्रेला स्कीम वित्त मंत्रालय के दिनांक 10.01.2020 के का. ज्ञा. सं. 42(2)/पीएफ-II/2014 द्वारा दिनांक 31.3.2021 तक आगे बढ़ा दी गई है। इसके बाद, 1452 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ योजना को वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए दिनांक 31.03.2021 से आगे बढ़ा दिया गया है।

श्रीलंकाई शरणार्थी

12.47 जुलाई, 1983 और अगस्त, 2012 के बीच विभिन्न चरणों में 3,04,269 श्रीलंकाई शरणार्थी भारत आए। भारत सरकार का दृष्टिकोण उन्हें श्रीलंका प्रत्यावर्तित करने के अंतिम लक्ष्य के साथ मानवीय आधार पर राहत प्रदान करना है। उनका इस प्रकार प्रत्यावर्तन होने तक उन्हें राहत प्रदान की जाती है।

12.48 यद्यपि मार्च, 1995 तक 99,469 शरणार्थी श्रीलंका को प्रत्यावर्तित किए जा चुके हैं, लेकिन, मार्च, 1995 के पश्चात कोई संगठित प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है। तथापि, कुछ शरणार्थी श्रीलंका लौट गए हैं अथवा खुद ही दूसरे देशों में चले गए हैं। दिनांक 01.01.2022 की स्थिति के अनुसार, 58,648 श्रीलंकाई शरणार्थी तमिलनाडु के 108

शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं और 54 शरणार्थी ओडिशा में रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु में राज्य प्राधिकरणों के पास पंजीकृत लगभग 34,135 शरणार्थी शिविरों के बाहर रह रहे हैं।

12.49 प्रत्यावर्तन होने तक, उन्हें मानवता के आधार पर कुछ आवश्यक राहत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं में शिविरों में शरण, नकद सहायता, सस्ता राशन, वस्त्र, बर्तन, चिकित्सा-देखभाल और शिक्षा संबंधी सहायता शामिल हैं। सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है और बाद में भारत सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। जुलाई, 1983 से दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि के दौरान इन शरणार्थियों को राहत और आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा 1226 करोड़ रुपये (लगभग) की धनराशि व्यय की गई है।

तिब्बती शरणार्थी

12.50 वर्ष 1959 में धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा तिब्बत छोड़ने के बाद से तिब्बती शरणार्थियों का भारत में आना शुरू हो गया। भारत सरकार ने उन्हें शरण देने के साथ-साथ अस्थायी तौर पर बसाने के लिए सहायता देने का निर्णय लिया। उनकी पृथक जातीय और सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने का ध्यान रखा गया है।

12.51 केंद्रीय तिब्बती राहत समिति (सीटीआरसी) द्वारा करायी गई नवीनतम जनगणना 2019 के अनुसार, दिनांक 30.06.2021 तक भारत में तिब्बती शरणार्थियों की जनसंख्या 72,291 थी। इनमें से अधिकांश शरणार्थी स्व-रोजगार के माध्यम से अथवा कृषि और हथकरघा योजनाओं के तहत सरकार की सहायता से देश के विभिन्न राज्यों में बस गए हैं। तिब्बती शरणार्थियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक (21,324), हिमाचल प्रदेश (14,952), अरुणाचल प्रदेश (4,780), उत्तराखंड (4,829), पश्चिम बंगाल (3,076) तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (6,989) में है। तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास लगभग पूरा हो गया है और केवल एक शेष आवास योजना उत्तराखंड राज्य में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

12.52 देश के विभिन्न भागों में बसे तिब्बती शरणार्थियों के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न

सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में एकरूपता लाने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने तिब्बती पुनर्वास नीति, 2014 जारी की है।

12.53 भारत सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में स्थित 36 तिब्बती आवासन कार्यालयों के प्रशासनिक एवं सामाजिक कल्याण की गतिविधियों के खर्च को पूरा करने के लिए वर्ष 2015-16 से शुरू करके वर्ष 2019-20 तक पांच वर्ष की अवधि हेतु धर्मगुरु दलाई लामा की केन्द्रीय तिब्बती राहत समिति (सीटीआरसी) को 40 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान करने की एक योजना मंजूर की है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 के दौरान 48 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। 40 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ इस योजना को और पांच वर्ष अर्थात् 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है।

पूर्व भारतीय एन्क्लेवों से वापस आने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास और भारत में पूर्व बांग्लादेशी एन्क्लेवों तथा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में अवसंरचना का सृजन तथा उन्नयन

12.54 भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा करार, 1974 के कार्यान्वयन हेतु संविधान (संशोधन) विधेयक पर विचार करते समय सोलहवीं लोक सभा की विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति (2014-15) ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की थी कि सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ परामर्श करके पुनर्वास एवं मुआवजे के मुद्दे का निराकरण करते हुए भारत में बांग्लादेशी एन्क्लेवों के विकास एवं एकीकरण के लिए एक खाका तैयार करना चाहिए। भारत सरकार ने 1005.99 करोड़ रुपये की लागत से बांग्लादेश में पूर्व भारतीय एन्क्लेवों से वापस आने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास और भारत में पूर्व बांग्लादेशी एन्क्लेवों तथा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन की योजना अनुमोदित की थी। इसमें से, दिनांक 31.03.2022 तक पश्चिम बंगाल सरकार को 897.98 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

प्रत्यावासी सहकारी वित्त एवं विकास बैंक लिमिटेड (आरईपीसीओ), चेन्नई

12.55 श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम और अन्य देशों के

प्रत्यावासियों के पुनर्वास में सहायता प्रदान करने और इसे बढ़ावा देने के लिए मद्रास सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (1961 की सं. 53) [(अब बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 39)] के तहत वर्ष 1969 में रेपको (आरईपीसीओ) बैंक की स्थापना एक सोसाइटी के रूप में की गई थी। बैंक का प्रबंधन निदेशक मंडल करता है। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व दो निदेशक करते हैं। दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल प्राधिकृत शेयर पूंजी 500.25 करोड़ रुपये है और अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी 154.53 करोड़ रुपये है, जिसमें से 49.39% का अंशदान भारत सरकार करती है और लगभग 6.28% का अंशदान पांच दक्षिणी राज्यों नामतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल द्वारा किया जाता है। शेष प्रदत्त पूंजी का अंशदान स्वदेश लौटने वाले तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया है। इसके उप-नियमों के अनुसार, इस समय रेपको, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए 20% की दर से लाभांश की घोषणा की है।

पुनर्वास बागान लिमिटेड (आरपीएल), पुनालूर, केरल

12.56 पुनर्वास बागान लिमिटेड (आरपीएल) भारत सरकार और केरल सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाला उपक्रम है, जिसका निगमन वर्ष 1976 में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत केरल में रबड़ के बागान लगाकर, प्रत्यावर्तित लोगों को श्रमिकों और कर्मचारियों के रूप में पुनः बसाने के लिए किया गया था। कंपनी का प्रबंधन, निदेशक मंडल करता है, जिसमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व दो निदेशक करते हैं। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी (31.10.2021 की स्थिति के अनुसार) 339.27 लाख रुपये थी। कंपनी में केरल सरकार की इक्विटी 205.85 लाख रुपये और भारत सरकार की इक्विटी 133.42 लाख रुपये है। चूंकि बड़ी शेयरधारक राज्य सरकार है, इसलिए आरपीएल राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

शत्रु संपत्ति

12.57 वर्ष 1962 और 1965 में क्रमशः चीन और पाकिस्तान के आक्रमण के मद्देनजर, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, 1962 के अंतर्गत दिनांक 20.08.1968 को शत्रु

संपत्ति अधिनियम, 1968 अधिनियमित किया गया था, ताकि चल एवं अचल दोनों तरह की संपत्तियों को आगे भी "भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (सीईपीआई)" के अधिकार में रखने का प्रावधान किया जा सके। भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के अंतर्गत एक सांविधिक पद है। सीईपीआई का मूल कार्य, अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/दिशानिर्देशों/आदेशों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा संपत्ति का निपटान किए जाने तक संपत्ति की पहचान करना, उसे अपने अधिकार में रखना, उसका परिरक्षण, प्रबंधन तथा उस पर नियंत्रण रखना है। भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक का कार्यालय, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ में स्थित 03 शाखा कार्यालयों के साथ काम कर रहा है।

12.58 वर्ष 2017 में प्रधान अधिनियम में संशोधन के माध्यम से शत्रु संपत्ति के निपटान हेतु प्रावधान किए गए हैं और दिनांक 21.03.2018 की अधिसूचना द्वारा शत्रु संपत्ति नियमावली, 2015 में संशोधन किया गया है।

12.59 पिछले कुछ वर्षों के दौरान, भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (सीईपीआई) ने शत्रु नागरिकों/फर्मों से संबंधित 12611 संपत्तियों को अपने अधिकार में रखा है।

12.60 सीईपीआई ने शत्रु संपत्तियों का निपटान करके कुल 3407.98 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं, जिसमें वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में 152 कंपनियों के 7,52,83,287 शेयर (2708.90 करोड़ रुपये) और कुल 699.08 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति शामिल है।

12.61 जनवरी, 2021 में भारत सरकार टकसाल, मुंबई के माध्यम से, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, अपने अधिकार में रखे गए 1699.79 ग्राम सोने को 49,14,071 रुपये में बेचा गया है और 28.896 किलोग्राम चांदी के आभूषणों का निपटान 10,92,175 रुपये में किया गया है, जिसका जोड़ 60.06 लाख रुपये है।

12.62 शत्रु संपत्ति के प्रभावी परिरक्षण, प्रबंधन और शीघ्र निपटान के लिए, "शत्रु संपत्ति सूचना प्रणाली" का विकास किया गया है। यह इस विषय से संबंधित कार्य कर रहे सभी धारकों के लिए उपलब्ध है। इस प्रणाली से शत्रु संपत्ति की पहचान करने और उसे अपने अधिकार में रखने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

12.63 अचल शत्रु संपत्तियों की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए, सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नवीनतम सर्वेक्षण और मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी गई है। इस प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने हेतु, उपर्युक्त मामले में समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मंत्रालय इस मुद्दे को नोडल अधिकारियों और संबंधित डीएम/डीसी के माध्यम से राज्यों के साथ उठा रहा है।

12.64 अधिकार में रखी गई शत्रु संपत्तियों की कड़ी निगरानी को बढ़ावा देने के लिए, आईसीटी का उपयोग किया जा रहा है। भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (सीईपीआई) की वेबसाइट सक्रिय है और जनता के लिए खुली है। वेबसाइट <https://enemyproperty.mha.gov.in> पर देखी जा सकती है।

अध्याय -13

महिला सुरक्षा

13.1 गृह मंत्रालय ने दिनांक 28.05.2018 को एक महिला सुरक्षा प्रभाग स्थापित किया है, ताकि देश में महिलाओं की सुरक्षा के उपायों को सुदृढ़ बनाया जा सके और साथ ही पूर्ण रूप से न्याय का शीघ्र और प्रभावशाली क्रियान्वयन करके एवं महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करके उनमें अपनी सुरक्षा के प्रति विश्वास पैदा किया जा सके। यह प्रभाग उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की सहायता आदि के लिए नीति निर्माण करने, आयोजना करने, समन्वय करने, परियोजनाओं/स्कीमों को तैयार करने

और उनका क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी है, जिनमें क्षमता संवर्धन और फॉरेंसिक विज्ञान के आधुनिकीकरण; महिलाओं और बच्चों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, वृद्ध व्यक्तियों और ट्रांसजेंडरों के प्रति अपराधों की रोकथाम से संबंधित मामलों; व्यक्तियों का दुर्व्यापार और प्रवासियों की तस्करी; कारागार सुधारों, सुधारात्मक प्रशासन, कारागार/कैदियों के विधान; विष अधिनियम, 1919; और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से संबंधित मामले आदि शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें

(क)	"112 सिंगल आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली" 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में चल रही है।
(ख)	गृह मंत्रालय द्वारा 8 शहरों में परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सुरक्षित शहर परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता, के भाग के रूप में अब तक 1349.58 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। राज्य उपर्युक्त परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए "सुरक्षित शहर कार्यान्वयन मॉनीटरिंग पोर्टल (एससीआईएम)" का उपयोग कर रहे हैं। इन परियोजनाओं की गृह मंत्रालय द्वारा नियमित तौर पर समीक्षा भी की जाती है।
(ग)	समय पर और प्रभावकारी जांच के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने हेतु, राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण, साइबर- फॉरेंसिक और संबद्ध फॉरेंसिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की परियोजना 7 और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (गोवा, ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और पुदुचेरी) में शुरू की गई है, जिससे इन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की कुल संख्या 23 हो गई है। यह परियोजना निर्भया कोष स्कीम के भाग के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। गृह मंत्रालय का कुल वित्तपोषण अब 203.45 करोड़ रु. हो गया है।
(घ)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने देश के सभी जिलों में मानव तस्करी-रोधी इकाइयां (एएचटीयू) गठित करने/सुदृढ़ बनाने और पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) स्थापित करने की परियोजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। गृह मंत्रालय ने निर्भया कोष के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को 207.49 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने के साथ-साथ प्रगति की निगरानी करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रयोजनार्थ गृह मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान की गई है। देश में कुल 696 एएचटीयू कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त, 10425 डब्ल्यूएचडी स्थापित किए गए हैं।
(ङ)	फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण, रख-रखाव और परिवहन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, ताकि

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य की हेंडलिंग कर रहे जांच अधिकारियों और अभियोजन अधिकारी तथा चिकित्सा अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाया जा सके और उनमें कौशल विकास किया जा सके। यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण, रख-रखाव और परिवहन विषय पर "पुलिस सुधार एवं विकास ब्यूरो" और "लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि-विज्ञान संस्थान" द्वारा 20157 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

- (च) "पुलिस सुधार एवं विकास ब्यूरो" ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को यौन हमला साक्ष्य संग्रहण (एसआईसी) की 14950 किट वितरित किए हैं। ये एसआईसी किट यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के प्रभावकारी संग्रहण, रख-रखाव और भंडारण को सुविधाजनक बनाएंगे।
- (छ) सीसीटीएनएस का प्रयोग करते हुए, एनसीआरबी ने एक 'घोषित अपराधी' मॉड्यूल शुरू किया है, जो नागरिकों को घोषित अपराधियों के बारे में ऑनलाइन सूचना प्रदान करता है।
- (ज) फॉरेंसिक जांच में गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, गृह मंत्रालय ने फॉरेंसिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय (डीएफएसएस) के माध्यम से अपराध स्थल से बायोलॉजिकल सैंपल्स के एकत्रण, भंडारण और परिवहन संबंधी दिशानिर्देश, एनएबीएल मानदंडों (आईएसओ/आईईसी17025: 2017) के अनुसार प्रयोगशालाओं के अधिप्रमाणन के लिए गुणवत्ता मैनुअल, फॉरेंसिक विज्ञान के छः विषयों में वर्किंग प्रोसीजर मैनुअल, और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना/स्तरोन्नयन करने के लिए उपकरण की मानक सूची जारी की है।

13.2 महिला सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा देश में चलाई जा रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं:

अंतर-परिचालनीय दांडिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) तथा "अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस)"

13.3 अपराधों और अपराधियों से संबंधित सूचना की उपलब्धता अपराधिक जांच में न केवल समयबद्धता और कार्य कुशलता के लिए एक योगदान देने वाला कारक है अपितु, यह अपराध की रोकथाम के संबंध में अपराध विश्लेषण, अनुसंधान और नीति-निर्माण के उद्देश्य से इस डाटाबेस के उपयोग को भी सुविधाजनक बनाता है। राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों और अपराधियों के संबंध में सूचना एकत्र करने और इसके आदान-प्रदान हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में पुलिस को एक साझा प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालय ने वर्ष 2004 में शुरू की गई कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लिकेशन (सीआईपीए) परियोजना के एक विस्तार के रूप में वर्ष 2009 में सीसीटीएनएस परियोजना का कार्यान्वयन शुरू किया है। जहां सीआईपीए पुलिस स्टेशनों (पीएस) में एकल आधार पर डाटा के कंप्यूटरराइजेशन के उद्देश्य से शुरू की गई थी, वहीं, सीसीटीएनएस एक कदम और आगे बढ़ गई है और इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल प्लेटफार्म पर अपराध एवं अपराधियों से संबंधित सूचना के संग्रहण और आदान-प्रदान के लिए सभी पुलिस स्टेशनों (पीएस) और उच्च

पुलिस कार्यालयों को आपस में जोड़ने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना को 2000 करोड़ रुपये की कुल लागत से अनुमोदन प्रदान किया गया था। परियोजना की योजना के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को हार्डवेयर, सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कनेक्टिविटी और प्रशिक्षण के संबंध में केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

13.4 सीसीटीएनएस परियोजना के विस्तृत उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- (क) अपराध और अपराधिक डाटा का एकल संग्रह तैयार करना।
- (ख) विधि प्रवर्तन एजेंसियों हेतु राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक एवं पैरामीटरीकृत अनुसंधान के विकल्प प्रदान करना, ताकि जांचकर्ता को सशक्त बनाया जा सके तथा साथ ही मामले का पता लगाकर उसका समाधान किया जा सके।
- (ग) नागरिकों को पूर्ववृत्त के सत्यापन का अनुरोध करने, दर्ज की गई शिकायतों की प्रगति के बारे में जानने आदि के लिए उन्हें पुलिस सेवाओं की सुगम डिजिटल पहुंच प्रदान करना।
- (घ) नीति के बारे में सूचित करना तथा समय पर अपराध की प्रवृत्तियों और आपराधिक रिपोर्टों के माध्यम से बेहतर निगरानी करना।

13.5 सीसीटीएनएस के अंतर्गत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में राज्य डाटा केंद्र (एसडीसी) स्थापित किए गए हैं। देश में सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीएनएस स्थापित की गई है। उल्लिखित उद्देश्यों के एक बड़े भाग की प्राप्ति के पश्चात, यह परियोजना वर्तमान में परिचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) के चरण में है, जो दिनांक 31.03.2022 तक वैध है। सीसीटीएनएस परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा किया जा रहा है।

13.6 इसके साथ ही, वर्ष 2015 से न्याय प्रदायगी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से सीसीटीएनएस परियोजना के दायरे को अपराध और आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने से आगे बढ़ाकर दांडिक न्याय प्रणाली के अन्य स्तंभों अर्थात् कारागारों, न्यायालयों, अभियोजन और न्यायालयिक विज्ञान के साथ जोड़कर एक अंतर-परिचालनात्मक दांडिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) की स्थापना करने तक विस्तारित किया गया है। आईसीजेएस प्रणाली के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) का डेसबोर्ड तैयार किया गया है, जिसमें विषय-वस्तु की स्वतंत्र छानबीन करने की सुविधा तथा पुलिस, कारागार और न्यायालय डाटाबेस में किसी आरोपी की खोज करने की क्षमता मौजूद है। आईसीजेएस के अंतर्गत खोज (सर्च) एवं पूछताछ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में उपलब्ध है। यह आपराधिक जांच एवं न्याय प्रदायगी प्रणाली को और अधिक कुशल, पारदर्शी बनाने तथा स्मार्ट पुलिस व्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए दांडिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों के एकीकरण को सुविधाजनक बनाती है।

13.7 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने नागरिक केंद्रित पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने राज्य नागरिक पोर्टल भी शुरू किए हैं, जो सीसीटीएनएस और आईसीजेएस से जुड़े हुए हैं। सीसीटीएनएस परियोजना के भाग के रूप में राज्य नागरिक पोर्टल में नौ शासनादेशित महत्वपूर्ण पुलिस सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और इसमें शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, शिकायतों की स्थिति के बारे में जानना, एफआईआर, गिरफ्तार व्यक्तियों/वांछित अपराधियों के व्योरो की प्रतियां प्राप्त करना, पंजीकृत शिकायतों की प्रगति का पता लगाना, सम्पत्ति की चोरी की सूचना देना, लापता

व्यक्तियों से संबंधित आंकड़ों को जानना एवं उनकी सूचना देना और विभिन्न अनापत्ति प्रमाणपत्रों के जारी/नवीनीकरण संबंधी अनुरोध प्रस्तुत करना इत्यादि शामिल है। नागरिक रोजगार पूर्व सत्यापन हेतु अनुरोध करने के लिए भी राज्य नागरिक पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेषकर महिलाओं के प्रति अपराधों के मामले में, शीघ्र पहचान और कठोर सजा की निश्चितता को एक व्यवहार्य निवारण के रूप में कार्य करते हुए देखा गया है। सीसीटीएनएस परियोजना के महत्वपूर्ण परिणामों से न केवल पीड़ित व्यक्तियों को अपने घरों से ऑनलाइन शिकायतें (कुछ राज्यों/यूटी द्वारा कुछ ही मामलों में ई-एफआईआर की अनुमति दी गई है) पंजीकृत करने में सहायता मिलती है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप जांच अधिकारी सूचना एवं मानक पुलिस प्रक्रियाओं के द्वारा मामलों में शीघ्र पहचान और समय पर अभियोजन कर पाते हैं, जिस कारण यह नागरिकों की सुरक्षा और बचाव को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है।

13.8 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने सीसीटीएनएस प्लेटफॉर्म पर पुलिस से जुड़ी हुई विशिष्ट राष्ट्रीय स्तरीय नागरिक केंद्रित सेवाएं शुरू की हैं, जिनको www.digitalpolicecitizenservices.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। इन सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) **लापता व्यक्ति की तलाश:** इस सेवा के अंतर्गत, नागरिक बरामद हुए अज्ञात व्यक्ति/अज्ञात शवों के राष्ट्रीय डाटाबेस से अपने लापता परिजनों की ऑनलाइन तलाश कर सकते हैं।

(ख) **वाहनों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र बनाना:** इस सेवा के अंतर्गत, नागरिक किसी वाहन की सेकंड हैंड खरीद करने से पूर्व उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं, जैसे कि डाटाबेस में पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यह संदिग्ध है अथवा साफ है। उक्त तलाश वाहन के ब्योरे के आधार पर राष्ट्रीय डाटाबेस से की जा सकती है; कोई भी व्यक्ति स्वामित्व के हस्तांतरण से पूर्व आरटीओ द्वारा अपेक्षित संबंधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र बना सकता है और डाउनलोड कर सकता है। वर्तमान में यह सर्विस ऑनलाइन प्रदान की जा रही है।

(ग) **घोषित अपराधी:** नागरिक न्यायालय द्वारा घोषित किए गए अपराधियों के आंकड़े देखने और प्रिंट करने के लिए “घोषित अपराधी तलाश सेवा” का उपयोग कर सकते हैं। इस मापदंड में तलाश करने के लिए नागरिकों को विशिष्ट ब्यौरे जैसे कि नाम, राज्य, जिला और तारीख रेंज, एफआईआर संख्या डालने की आवश्यकता होती है।

वित्त वर्ष 2021-22 में उपलब्धियां

13.9 सीसीटीएनएस, देश के सभी पुलिस स्टेशनों (पीएस) में कार्यशील है। राज्यों को भी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राज्य नागरिक पोर्टल (एससीपी) तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया गया था। परियोजना के प्रयोग में प्रगति की स्थिति को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

क्र.सं.	गतिविधि/प्रचालन का क्षेत्र	स्थिति (दिनांक 31.01.2021 के अनुसार)	उपलब्धियां (दिनांक 31.12.2021 के अनुसार)
1.	कुल पुलिस स्टेशन	16177	16347
2.	सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीएनएस शुरू करना	15840	16347
3.	सभी पुलिस स्टेशनों में कनेक्टिविटी	15644	15859
4.	उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की संख्या, जहां एनडीसी के साथ एमडीसी जोड़ी गई	36	36
5.	सीएस स्टेट एप्लीकेशन में एफआईआर (100%) दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या	15681	16162
6.	सीसीटीएनएस में पंजीकृत एफआईआर की संख्या	6.90 करोड़	7.32 करोड़
7.	उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की संख्या, जहां सभी 9 नागरिक सेवाएं शुरू कर दी गई हैं	35	36
8.	उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की संख्या, जिन्होंने राज्य नागरिक पोर्टल शुरू किया है	36	36
9.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नागरिक पोर्टलों से प्राप्त अनुरोधों की संख्या	6.46 करोड़	8 करोड़ से अधिक

(स्रोत: एनसीआरबी)

13.10 आईसीजेएस के अंतर्गत, आपराधिक मामलों के निपटान में समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को सुविधा प्रदान करने के एक कदम के रूप में एक “स्थगन चेतावनी मॉड्यूल” तैयार किया गया है। नई विशेषता के अनुसार, जब कभी किसी आपराधिक मामले में कोई सरकारी अभियोजक दो से अधिक बार स्थगन की मांग करता है, तो इसके लिए उक्त प्रणाली में वरिष्ठ अधिकारियों को एक चेतावनी भेजने का प्रावधान किया गया है।

13.11 जघन्य अपराध और अंतर-राज्य अपराधों के मामलों में समन्वय से संबंधित अन्य मुद्दों की सूचना साझा करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में पुलिस स्टेशनों और उच्चाधिकारियों के लिए क्राई-मैक (क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर) की सुविधा शुरू की गई है। इसका प्रयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से अपराध तथा अंतर-राज्यीय

अपराधियों के बारे में चेतावनियां/सूचना भेजने के लिए किया जा सकता है।

13.12 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने पुलिस और कारागार आंकड़ों का प्रयोग करके एक कार्यप्रणाली (एमओ) शुरू की है। जांच अधिकारियों द्वारा इसका पूरे देश में ऑनलाइन उपयोग किया जा सकता है। यह विशेषता पुलिस अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण जांच सहायता है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने अनुसंधान करने के लिए एक कार्यप्रणाली ब्यूरो (एमओबी) स्थापित किया है। एनसीआरबी द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए एम.ओ. मॉड्यूल पर प्रशिक्षण भी प्रदान किए गए हैं।

यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटाबेस

13.13 आईसीजेएस प्लेटफॉर्म को अधिक सक्षम बनाने के लिए सितम्बर, 2018 में यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय

डाटाबेस (एनडीएसओ) की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से ज्ञात और अभ्यस्त यौन अपराधियों की पहचान करके महिलाओं के प्रति अपराध और हिंसा को रोकना है और उनमें कमी लाना है। एनडीएसओ सभी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए चौबीस घंटे उपलब्ध है तथा यह यौन अपराधों के मामले में व्यक्तियों के पूर्ववृत्त सत्यापन और शीघ्र पहचान को सक्षम बनाता है। एनडीआरएफ के पास पूरे देश के 11 लाख से अधिक यौन अपराधियों का आंकड़ा है, जिनसे जांच अधिकारी यौन अपराधियों के विरुद्ध निवारणात्मक उपाय करने के अतिरिक्त अभ्यस्त यौन अपराधियों का पता लगा सकते हैं।

यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ)

13.14 यौन हमलों के मामलों में, दंड विधि (संशोधन) 2018,

अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक रिपोर्ट की तारीख से 2 माह के भीतर जांच पूरी किए जाने को अनिवार्य बनाया गया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए यौन अपराधों की पहचान और उनके समाधान में प्रगति का पता लगाने हेतु सीसीटीएनएस डाटा पर आधारित एक “यौन अपराध संबंधी जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ)” पोर्टल बनाया है। यह एक क्लाउड आधारित विश्लेषणात्मक पोर्टल है, जो विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर एफआईआर स्तर तक ड्रिल-डाउन सुविधा के साथ उपलब्ध है। इसका प्रयोग पुराने मामलों के संबंध में रिपोर्टें और डेसबोर्ड तैयार करने के लिए किया जा सकता है तथा इसमें मामलों के शीघ्र समाधान के लिए जिला और पुलिस स्टेशन स्तर पर विलम्ब को समाप्त करने की क्षमता विद्यमान है।



Inauguration
of
22nd All India conference of
Director of Fingerprint Bureaux
by
Shri Ajay Kumar Mishra
Hon'ble Minister of State (Home)
on
28th October, 2021
Webcast by :
[National Informatics Centre](#)

फिंगरप्रिंट ब्यूरोक्स के निदेशकों का 22वां अखिल भारतीय सम्मेलन-2021

13.15 गृह मंत्रालय ने रैंकिंग की प्रक्रिया में निष्पक्षता और विश्लेषण का एक स्तर शुरू करके देश में सर्वोत्तम पुलिस स्टेशनों की पहचान करने के लिए एक अध्ययन किया है। सीसीटीएनएस का डाटा इनपुट इस चयन प्रक्रिया का मूल भाग बन गया है, जिससे जमीनी सर्वेक्षण और नागरिक आकलन किया जा सकता था। चयन के निर्धारित मानदंडों में महिलाओं और बच्चों के प्रति यौन अपराधों की रिकॉर्डिंग और पंजीकरण के 60 दिन के भीतर उनका समाधान तथा अनुसूचित जातियों

(एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रति अपराधों एवं सम्पत्ति संबंधी अपराध की रिकॉर्डिंग एवं उनका समाधान शामिल थे। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इस अभ्यास में भाग लिया। वर्ष 2020-21 के लिए देश में शीर्ष 3 पुलिस स्टेशनों के रूप में नोंगपोकसेकमाई, मणिपुर और इसके बाद एडब्ल्यूपीएस – सूरामंगलम, तमिलनाडु और खारसांग, अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं।

आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) परियोजना

13.16 विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपात कार्रवाई सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में प्रौद्योगिकी का सक्रिय उपयोग करने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय निर्भया कोष के अंतर्गत 385.69 करोड़ रु. के बजटीय परिव्यय से "आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)" नामक एक परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। भारत सरकार (दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय) ने सभी प्रकार की आपात स्थितियों से निपटने के लिए देश में 112 को आपातकालीन नं. के रूप में अधिसूचित किया है। पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस आदि जैसी विभिन्न आपातकालीन सेवाओं के लिए ईआरएसएस एक अखिल भारतीय, एकल और अंतराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 112 आधारित आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली है, जिसमें क्षेत्रीय संसाधनों को कम्प्यूटर की सहायता से पहुंचाया जाता है, जो कॉल, एसएमएस, ई-मेल, पैनिक बटन और 112 इंडिया मोबाइल ऐप के माध्यम से सुगम होते हैं। ईआरएसएस का अधिदेश एक ऐसा ऑपरेशनल प्लेटफार्म प्रदान करना है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में उपलब्ध विभिन्न आपातकालीन सेवा प्रदाताओं को आपातकालीन नम्बर 112 से जोड़ने में सहायता करेगा। इस परियोजना के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:

- (क) डायल 100, 108 आदि जैसे सभी मौजूदा नम्बरों को एकीकृत करके एक सुगम और मानक 'एकल आपात कार्रवाई नम्बर-112' प्रदान करना।
- (ख) फोन पर वॉयस कॉल, एसएमएस, ईमेल, फोन में पैनिक बटन, लोक परिवहन एवं अन्य क्षेत्रों आदि सहित विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए चौबीसों घंटे की क्षमता प्रदान करना।
- (ग) घटना के स्थान पर निम्नलिखित ढंग से क्षेत्रीय संसाधनों (पुलिस, एम्बुलेंस आदि) को पहुंचाने के लिए चौबीस घंटे वाली प्रणाली प्रदान करना:
 - (i) संकटग्रस्त व्यक्ति के स्थान की पहचान।
 - (ii) संकट की तीव्रता को कम करने अथवा इसे

रोकने के लिए निकटवर्ती क्षेत्रीय संसाधनों (एक अथवा अधिक जीपीएस युक्त आपात कार्रवाई वाहन) को कम्प्यूटर की सहायता से समय पर पहुंचाना।

- (घ) पैन-इंडिया फुटप्रिंट के साथ मोबाइल ऐप आदि जैसी मानकीकृत और आसान प्रौद्योगिकी वाले उत्पाद उपलब्ध कराना।

(ङ) अन्य आपात प्रणालियों के साथ एकीकरण।

13.17 ईआरएसएस परियोजना के तहत, गृह मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को 112 परिचालित करने अथवा मौजूदा प्रणालियों को 112 के साथ एकीकृत करने, आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर खरीदने तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में 112 पर आधारित आपातकालीन कार्रवाई को शुरू करने के लिए जीपीएस युक्त मोबाइल डिवाइस टर्मिनल (एमडीटी) से सुसज्जित आपात कार्रवाई (ईआर) वाले वाहनों को खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

13.18 कार्यान्वयन को सरल और कारगर बनाने के लिए, गृह मंत्रालय ने एक "कॉन्टेक्ट सेंटर सॉल्यूशन स्टेक" विकसित और तैनात करने के लिए सी-डैक को एक समग्र सेवा प्रदाता (टीएसपी) के रूप में नियुक्त किया है। इस स्टेक में कम्प्यूटर टेलीफोनी इंटीग्रेशन (सीटीआई), ऑटोमैटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूशन (एसीडी), कम्प्यूटर एडेड डिस्पेच (सीएडी) और केस रिकॉर्ड मैनेजमेंट (सीआरएम) सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, सी-डैक ने एक '112 इंडिया मोबाइल ऐप' तैयार किया है, जिसमें स्थान संबंधी सूचना के साथ संकट के संकेत लगातार भेजने (गतिशील डिवाइज का पता लगाने के लिए) जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 में उपलब्धियां (31 दिसंबर 2021 तक)

13.19 यह सेवा देश के 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में कार्यशील हो गई है। वे राज्य और जिले, जिनमें ईआरएसएस शुरू की गई है, निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिन जिलों में ईआरएसएस शुरू किया गया है
1.	हिमाचल प्रदेश	सभी जिले, लाहौल और स्पीति को छोड़कर
2.	लद्दाख	सभी जिले
3.	केरल	सभी जिले
4.	पंजाब	सभी जिले
5.	राजस्थान	सभी जिले
6.	तमिलनाडु	सभी जिले
7.	तेलंगाना	सभी जिले
8.	उत्तराखंड	सभी जिले
9.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	सभी जिले
10.	मध्य प्रदेश	सभी जिले
11.	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	सभी जिले
12.	उत्तर प्रदेश	सभी जिले
13.	लक्षद्वीप	सभी जिले
14.	चंडीगढ़	सभी जिले
15.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	सभी जिले
16.	गोवा	सभी जिले
17.	कर्नाटक	सभी जिले
18.	त्रिपुरा	सभी जिले
19.	झारखंड	सभी जिले
20.	पश्चिम बंगाल	सभी जिले
21.	आंध्र प्रदेश	सभी जिले

22.	ओडिशा	सभी जिले
23.	सिक्किम	सभी जिले
24.	हरियाणा	सभी जिले
25.	मणिपुर	विष्णुपुर, चंदेल, इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम, काकचिंग, कामजोंग, कांगपोकपी, सेनापति, तेंगनौपाल, थौबल, उखरुल
26.	नागालैंड	कोहिमा, दीमापुर, मोकोकचुंग
27.	महाराष्ट्र	मुंबई
28.	छत्तीसगढ़	रायपुर, दुर्ग, राजनंदनगांव, कबीरधाम, बस्तर (जगदलपुर शहर) सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चम्पा, कोरवा, रायगढ़ और महासमुंद
29.	गुजरात	अरावली, बोटाड, छोट उदयपुर, देवभूमि द्वारका, गिर, सोमनाथ, मोरबी
30.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग, बारामूला, शोपियां, गांदरबल, बांदीपोरा, कुलगाम, कुपवाड़ा, डोडा, राजौरी, गियासी, किश्तवाड़, सांबा, उधमपुर, पुंछ, रामवन, कठुआ
31.	पुदुचेरी	पुदुचेरी
32.	मिजोरम	आइजोल, कोलासिव, लुंगलेई, चम्पई
33.	अरुणाचल प्रदेश	पापुमपारे शहर, पापुमपारे ग्रामीण - युपिया, ईस्टसियांग पार्माघाट
34.	असम	सोनितपुर, उदलगुरी, विश्वनाथ, कछार, नगांव, मोरीगांव, होजई, करीमगंज, हैलाकांडी, चराईदेव, शिवसागर,
35.	मेघालय	शिलांग

13.20 ईआरएसएस इकोसिस्टम के प्रचालन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों/नवाचार का सार निम्नानुसार अवधि के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हासिल है:

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हुए कुछ नवाचार और सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियां
क. चंडीगढ़ बीट अधिकारियों द्वारा कार्रवाई किए जाने के समय को घटाने के लिए ई-बीट प्रणाली को 112 आपातकालीन सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया चंडीगढ़ में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवा वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अब विद्यमान ईआरएसएस प्रणाली के साथ ई-बीट प्रणाली को इस प्रकार एकीकृत किया है कि सीआरएम एजेंटों

द्वारा जनरेट की गई घटना सीएडी एजेंट के साथ संबंधित बीट अधिकारी तक पहुंच जाती है। यह देखा गया है कि इस एकीकरण के बाद, घटना स्थल पर पहुंचने में बीट अधिकारी को लगने वाले समय में काफी कमी आई है। कुछ मामलों में, बीट अधिकारी घटना स्थल पर आपात कार्यवाई इकाईयों (ईआरयू) से पहले भी पहुंच रहे हैं।

ख. दिल्ली

112 आपातकालीन सेवाओं को सीएमएपीएस और ई-बीट प्रणाली के साथ एकीकृत करना

प्रभावी प्रयोग और कार्यवाई समय में सुधार करने के लिए, ईआरएसएस-112 प्रणाली को सीएमएपीएस (क्राइम मैपिंग एनालिटिक्स एंड प्रीडिक्टिव सिस्टम) और ई-बीट बुक मोबाइल रिसोर्सज के साथ एकीकृत किया गया है। पुलिस कार्मिकों के व्यवहार को बेहतर बनाने की दृष्टि से, विपदाग्रस्त कॉलर द्वारा दिए गए प्रत्येक फीडबैक को चेक करने के लिए हर समय फीडबैक एजेंट भी उपलब्ध रहते हैं।

ग. उत्तर प्रदेश

कार्यवाई में कम समय लगाते हुए 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं ने कोविड-19 के दौरान राशन, दवाइयां इत्यादि उपलब्ध कराई और देर रात महिलाओं को होम एस्कॉर्ट प्रदान किया

ईआरएसएस 112 सिस्टम में प्रतिदिन प्रत्येक पीएसएपी पर लाखों एमरजेंसी काल प्राप्त होती हैं। कोविड-19 के दौरान, यूपी 112 ने आपातकालीन राशन की आपूर्ति के लिए 2,04,741 कॉल, दवा की आपूर्ति के लिए 60,832 कॉल, शिशु आहार और एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति के लिए 15,008 कॉल में सहायता प्रदान की।

महिला सुरक्षा:— इस स्कीम के तहत, जब रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के बीच किसी वीरान/दूरस्थ जगह से किसी महिला द्वारा 112 पर सहायता के लिए कॉल किया जाता है, तो महिला को यूपी-112 पीआरवी द्वारा उसके स्थान तक सुरक्षित पहुंचाया जाता है। वर्ष 2019 से अब तक, 933 महिलाओं को सहायता दी गई है।

112 द्वारा अर्जित कुछ सफलताओं का विवरण नीचे कहानियों में दिया गया है

क. हिमाचल प्रदेश

शिमला में बर्फबारी के कारण फंसे पर्यटकों का बचाव कार्य

ईआरएसएस हेल्पलाइन 112 पर एक कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें सूचित किया गया कि आंध्र प्रदेश के छह पर्यटक भारी बर्फबारी के कारण शिमला में फंस गए हैं। उन पर्यटकों में से एक ने 112 ईआरएसएस हेल्पलाइन पर डायल किया, मदद मांगी और यह सूचित किया कि वह आंध्र प्रदेश के अन्य पांच पर्यटकों के साथ शिमला आया था और अब वे लोग बर्फबारी के कारण शिमला में कहीं फंस गए हैं। कॉल प्राप्तकर्ता ने उनसे उनकी वर्तमान लोकेशन के बारे में पूछा, किंतु बर्फबारी के कारण वे अपनी लोकेशन नहीं दे पाए। ईआरएसएस कंट्रोल रूम के कार्मिकों ने एलबीएस (लोकेशन-बेस्ड सिस्टम) की सहायता से उनकी लोकेशन का पता लगा लिया। उनकी शिकायत दर्ज की गई, जिसे एमडीटी (मोबाइल डाटा टर्मिनल) पर पुलिस स्टेशन को तत्काल अग्रेषित किया गया था। उनकी सही लोकेशन का पता लगाया गया और पुलिस तत्काल उन तक पहुंच गई और सभी छह पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया।

ख. उत्तराखंड**सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (चिकित्सा सहायता)**

दिनांक 22.09.2021 को कॉल करने वाले बी.एस. रावत ने डायल-112 पर सूचित किया कि वह मरीज को इलाज के लिए श्रीनगर बेस अस्पताल ले जा रहा था, किंतु लंगासु चमोली क्षेत्र में भू-स्खलन के कारण उसका वाहन रास्ते में फंस गया है और मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है। उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। यह सूचना डीसीसी चमोली और मेडिकल हेल्पलाइन नं. 108 पर भेजी गई और इस प्रकार, मरीज को 108 एम्बुलेंस कर्णप्रयाग द्वारा सहायता प्रदान की गई और श्रीनगर बेस अस्पताल ले जाया गया।

ग. पंजाब**आत्महत्या करने से महिला को बचाया गया**

दिनांक 19.10.2020 को एक परेशान कॉलर की कॉल प्राप्त हुई, जिसने सूचित किया कि उसकी मां किरण झगड़े के कारण अपने कमरे में आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है। कॉल प्राप्त करने वाले ने गंभीर स्थिति को समझा और आवश्यक ब्योरे के साथ तत्काल डिस्पैचर को सूचित किया। पेट्रोल वाहन ने तत्काल कार्रवाई की और 10 मिनट के भीतर घटना स्थल पर पहुंच गया। इस प्रकार, पीड़ित को बचाया गया और उसे अस्पताल में भर्ती करके उसकी जान बचाई गई।

घ. आंध्र प्रदेश**संकटग्रस्त कॉल प्राप्त होने के बाद पुलिस द्वारा 200 लोगों की जान बचाई गई**

112 ईआरएसएस केंद्र पर दिनांक 14.09.2021 को सुबह 06:57 बजे पर इमेनुवेल से एक कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें सूचित किया गया कि कृष्णा नदी के पास एट्रचेविटिकल्लु में पिछले 2 दिनों से 200 लोग अपनी सैंड लॉरियों के साथ फंसे हुए हैं। पेट्रोल पुलिस वाहन तत्काल वहां पहुंचा और उन लोगों को 10 से 15 मिनट में बचा लिया गया।



स्रोत: <https://ap.erss.in>

ड. त्रिपुरा

लॉकडाउन के कारण जिंदगी पटरी से उतर गई, 112 पर नागरिकों की कॉल का अम्बार लग गया

सहयोग स्कीम: इस अवधि के दौरान, बीमार और वृद्ध नागरिकों से कई कॉल प्राप्त हुई, जो पेंशन आहरित करने, जीवन रक्षक दवाइयां मंगाने और अस्पताल/घर पहुंचाने में सहायता के लिए की गई थी। ईआरएसएस के तहत उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करने के अलावा, कुछ मामलों में जिला पुलिस और सशस्त्र पुलिस बटालियनों की सेवाएं भी ली गई।

सुरक्षित शहर परियोजना

13.21 सरकार ने महिला केंद्रित विकास पर बल दिया है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि विशेष रूप से बड़े शहरों, जो जीविकोपार्जन का अवसर प्रदान करते हैं, में सार्वजनिक स्थानों और आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की अधिकाधिक भागेदारी के लिए उनमें सुरक्षा एवं संरक्षा की भावना पैदा हो। गृह मंत्रालय ने इस दृष्टि से 8 बड़े शहरों यथा अहमदाबाद, बंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता और मुंबई में सुरक्षित शहर परियोजनाएं मंजूर की हैं। राज्य सरकारों द्वारा इन परियोजनाओं को महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संवेदनशील स्थानों की पहचान किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है, ताकि इस दृष्टि से शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय में क्षमता निर्माण इत्यादि सहित महत्वपूर्ण संपदा विकसित की जा सके। इन परियोजनाओं को केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में वित्तपोषित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के लिए निर्भया फंड और गृह मंत्रालय के बजट से कुल 3080.16 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

13.22 सुरक्षित शहर परियोजनाएं तैयार करते समय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटीवाई), संबंधित शहरों की नगरपालिका और पुलिस आयुक्तों तथा इस उद्देश्य से जुड़े हुए सिविल

सोसायटी संगठनों से परामर्श किया। इसमें शहर और वहां निवास करने वाले समुदायों के लिए मिश्रित समाधान शामिल हैं। सुरक्षित शहर परियोजनाओं की पहल के अंतर्गत विकसित/समर्थित की जा रही कुछ संपदाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) शहर के बुनियादी ढांचे के अंतर्गत **चल और अचल परिसम्पत्तियों समेत एकीकृत दृष्टिकोण** जैसे कि अपराध वाले संवेदनशील स्थानों की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईसी) से जुड़ी मैपिंग करना, स्थानों में अंधेरा हटाने के लिए स्मार्ट एलईडी से सड़क प्रकाश व्यवस्था करना, ऑटोमेटिड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) वाले कैमरों की क्षमता से लैस आधुनिक सीसीटीवी कैमरों की स्थापना कर उन्हें कमांड/कंट्रोल सेंटर से जोड़ना, शौचालय बनाने सहित अपराध के अभिज्ञात स्थलों में सुरक्षित जोन कलस्टर का निर्माण, सार्वजनिक स्थानों और यातायात के साधनों में पैनिक बटन लगाना, अन्य के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों के लिए ट्रांजिट शयनागार बनाना इत्यादि। विद्यमान पारिस्थितिकी तंत्र में कमियों को दूर करने और योजनाओं को स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के साथ समेकित करने के लिए भी कुछ संपदाओं को शामिल किया गया है।

(ख) **महत्वपूर्ण मानव संसाधन संपदा**, जैसे कि एसएचई टीमों के समान "सर्व महिला गश्ती दल" तैयार कर उनकी तैनाती करना, अहमदाबाद में अभयम वेन के समान फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल के लिए टीम, "सर्व महिला पुलिस स्टेशनों" का विकास

और उन्हें संसाधन युक्त बनाना, सुलभता एवं सहानुभूति के लिए पुलिस स्टेशनों में महिला काउंसलर की तैनाती करना इत्यादि। हैदराबाद के सफल "भरोसा मॉडल" के आधार पर, अन्य शहरों में इस प्रकार के "वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर" की स्थापना को समर्थन दिया जा रहा है। कुछ शहरों में फॉरेंसिक एवं साइबर क्राइम सेल जैसे जांच के बेहतर जांच संसाधनों को भी शामिल किया जाता है।

- (ग) **महत्वपूर्ण उपाय** जैसे कि यौन संवेदीकरण जागरूकता अभियान, विधिक साक्षरता अभियान और क्षमता निर्माण तथा कुछ शहरों में समुदाय और नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ सहयोग से अन्य सेवा प्रदाताओं को भी शामिल किया गया है।

13.23 गृह मंत्रालय ने सुरक्षित शहर परियोजनाओं के तहत सृजित की गई संपत्तियों का मानचित्रण करने और उनकी तैनाती को ट्रैक करने के लिए, एक "सुरक्षित शहर कार्यान्वयन निगरानी पोर्टल" चालू किया है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता वाली "सुरक्षित शहर परियोजनाओं पर गठित राष्ट्रीय निगरानी समिति" द्वारा इन सुरक्षित शहर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

राज्य फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में डीएनए की सुविधाओं का सुदृढीकरण

13.24 डीएनए विश्लेषण अपराध की जांच में प्रयुक्त होने वाली समय परीक्षित वैज्ञानिक फॉरेंसिक प्रौद्योगिकियों में से एक है तथा यह यौन अपराधों और अन्य जघन्य अपराधों के मामलों में अत्यधिक प्रासंगिक है। जांच कार्यों में अधिकाधिक कार्यकुशलता को सुविधाजनक बनाने और यौन अपराधों के मामलों में अधिकाधिक दोष सिद्धि

हासिल करने की कार्यनीति के भाग के रूप में सरकार ने न केवल अपनी केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण शुरू किया है, बल्कि सरकार एक मिशन मोड के रूप में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण की सुविधाओं के क्षमता निर्माण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को भी सहायता प्रदान कर रही है।

13.25 गृह मंत्रालय ने निर्भया निधि स्कीम के भाग के रूप में 203.45 करोड़ रुपए की कुल लागत से 23 राज्यों में डीएनए विश्लेषण की सुविधाओं को सुदृढ बनाने के लिए परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है। राज्यों को प्राथमिकता वहां लंबित मामलों और उनके द्वारा मांग के आकलन के आधार पर दी गई है। इस सहायता से राज्य नवीनतम विकसित वैज्ञानिक उपकरणों को प्राप्त कर सकेंगे और उनका इस्तेमाल कर सकेंगे तथा अपनी स्वयं की फॉरेंसिक सुविधाओं का विकास कर सकेंगे। अनुमोदित परियोजनाओं के तहत जिन मदों को फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में जोड़ा जाना है, वे राज्यों द्वारा स्वयं कमी-विश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अभिज्ञात की गई हैं और इन मदों में, एकत्र नमूनों से डीएनए को अलग करने के लिए ऑटोक्लेव एवं ऑटोमेटिड डीएनए एक्सट्रैक्टर सिस्टम, डीएनए सीक्वेंसर, सेंट्रिफ्यूज, रियल टाइम पीसीआर, जांच के दौरान नमूनों की पहचान को सुविधाजनक बनाने और एकत्रित साक्ष्य के साथ इसका मिलान करने के लिए जेनेटिक विश्लेषक उपकरण इत्यादि शामिल हैं। यौन हमलों के मामलों में जांच अधिकारियों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए अपराध के सबूतों के विश्लेषण हेतु इस परियोजना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा विशेषज्ञ वैज्ञानिकों को नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है।

अध्याय -14

जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामले

14.1 जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामले विभाग, जम्मू एवं कश्मीर के अंदर आतंकवाद-रोधी गतिविधियों सहित जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) से संबंधित सभी मामलों को देखता है तथा भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को विशेष रूप से आबंटित किए गए विषयों/मामलों को छोड़कर, इन संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य विषयों/मामलों के बारे में उनके साथ समन्वय करता है। यह विभाग, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में भारत सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण स्कीमों और व्यक्तिगत लाभार्थी केन्द्रित स्कीमों तथा प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) सहित आर्थिक महत्व की प्रमुख परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करता है।

अधिनियम और नियम

14.2 केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल को राज्य सरकार की शक्तियों और कार्यों के प्रत्यायोजन के लिए एक राजपत्र अधिसूचना दिनांक 19.07.2021 को अधिसूचित की है।

जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति

14.3 जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) तीन दशकों से अधिक समय से आतंकवादी तथा अलगाववादी हिंसा से प्रभावित रहा है, जो सीमा पार से प्रायोजित और समर्थित है। पिछले पांच वर्षों के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की प्रवृत्ति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

वर्ष	घटनाएं	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	मारे गए आतंकवादी
2017	279	80	40	213
2018	417	91	39	257
2019	255	80	39	157
2020	244	62	37	221
2021	229	42	41	180

14.4 जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) में जारी आतंकवाद जम्मू एवं कश्मीर में "अंतरराष्ट्रीय सीमा" और "नियंत्रण रेखा" दोनों सीमाओं के पार से होने वाली आतंकवादियों

की घुसपैठ से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2017 से जम्मू एवं कश्मीर में घुसपैठ के सूचित प्रयासों और कुल घुसपैठ के आंकड़ों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	2017	2018	2019	2020	2021(दिनांक 30.11.2021 तक)
घुसपैठ के प्रयास	419	328	216	99	73
कुल अनुमानित घुसपैठ	136	143	138	51	34

14.5 जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) में सुरक्षा की स्थिति की निगरानी और समीक्षा जम्मू एवं कश्मीर सरकार, सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की जाती है। गृह मंत्रालय भी जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर सुरक्षा की स्थिति की गहन और सतत निगरानी करता है।

14.6 भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलकर सीमा-पार से घुसपैठ को रोकने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमा अवसंरचना का सुदृढीकरण, अंतरराष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा और घुसपैठ के सदैव बदलते रहने वाले मार्गों पर बहु-स्तरीय तैनाती, सीमा पर बाड़ का निर्माण/रखरखाव, नालों पर पुलियों/पुल का निर्माण, सुरक्षा बलों के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण, बेहतर आसूचना और प्रचालन संबंधी समन्वय, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था और घुसपैठ रोकने के लिए आसूचना प्राप्त करने के कार्य में तालमेल तथा जम्मू एवं कश्मीर के भीतर आतंकवादियों के विरुद्ध सक्रिय कार्रवाई शामिल है। सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर में शांति भंग करने के आतंकवादियों के प्रयासों और क्षमता को निष्प्रभावी करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। सरकार ने युवकों को आतंकवाद से दूर करने के लिए, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने सहित मुख्य धारा में शामिल करने की नीतियों को भी प्रोत्साहित किया है।

14.7 सरकार का निम्नलिखित प्रयास रहा है:

- (क) सीमा-पार के आतंकवाद से सीमाओं की सुरक्षा करने और आतंकवाद को रोकने के लिए सभी सुरक्षा बलों द्वारा सक्रिय रूप से उपयुक्त उपाय करना।
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि जम्मू एवं कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कायम रखी जाए और वहां पर लंबे समय से चले आ रहे आतंकवाद के प्रभाव के कारण लोगों द्वारा सामना की जा रही सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए नागरिक प्रशासन की प्रमुखता बहाल की जाए, और
- (ग) सतत शांति की प्रक्रिया सुनिश्चित करना और

हिंसा का मार्ग छोड़ने वाले जम्मू एवं कश्मीर के सभी वर्ग के लोगों को प्रभावी रूप से अपना दृष्टिकोण रखने का पर्याप्त अवसर देना तथा उनकी वास्तविक शिकायतों का निवारण करना।

14.8 सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के लिए निम्नलिखित बटालियनों के गठन हेतु अनुमोदन प्रदान किया है:-

- (क) 5 आईआर बटालियनें
- (ख) 2 सीमा बटालियनें
- (ग) 2 महिला बटालियनें

14.9 5 आईआर बटालियनों के लिए भर्ती का कार्य पूरा हो गया है। 2 सीमा बटालियनों तथा 2 महिला बटालियनों के लिए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) का पारिश्रमिक निम्नलिखित तरीके से बढ़ाकर प्रति माह 18000 /- रुपए तक कर दिया गया है:-

- (क) 3 वर्ष से कम अनुभव वाले विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) - 6000 /- रुपए प्रति माह
- (ख) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम अनुभव वाले विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ)- 9000 /- रुपए प्रति माह
- (ग) 5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम अनुभव वाले विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ)- 12000 /- रुपए प्रतिमाह
- (घ) 10 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम अनुभव वाले विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ)- 15000 /- रुपए प्रति माह
- (ङ) 15 वर्ष से अधिक अनुभव वाले विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) - 18000 /- रुपए प्रति माह।

14.10 जम्मू एवं कश्मीर सरकार की पहल में सहायता करने के लिए, केंद्र सरकार, जब कभी आवश्यक हो, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध कराती रही है और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस को सुदृढ बनाने के लिए सहायता प्रदान करती रही है। गृह मंत्रालय सुरक्षा संबंधी विभिन्न उपायों पर जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किए गए

व्यय की प्रतिपूर्ति करता है। इनमें पुलिस बलों को लाने-ले-जाने, सामग्री की आपूर्ति, आवासीय किराए, विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय, नागरिक कार्रवाई कार्यक्रमों, एयरलिफ्ट प्रभारों, इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन की लागत, परिवहन, ठहरने और खाने-पीने, सुरक्षा बलों के लिए वैकल्पिक आवास आदि पर होने वाला व्यय शामिल है। वर्ष 2021-22 के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर सरकार को दिनांक 31.03.2022 तक सुरक्षा संबंधी व्यय (पुलिस) के अंतर्गत 936.095 करोड़ रुपये की धनराशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

रियायती हेलीकॉप्टर सेवाएं

14.11 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी), लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और हिमाचल प्रदेश में रियायती हेलीकॉप्टर सेवाओं की वर्तमान योजना दूरदराज के उन क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करती है, जहां सड़क मार्ग से जाना दुर्गम है अथवा सड़क मार्ग से जुड़े होने पर भी, वे भारी बारिश/बर्फबारी के कारण सर्दियों के दौरान कटे रहते हैं। इस योजना को मार्च, 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया है। इस योजना के अनुसार, भारत सरकार सब्सिडी का 75% वहन करती है और सब्सिडी का शेष 25% हिस्सा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र

14.12 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के पश्चिम में स्थित है। इसकी पाकिस्तान के साथ 221 किमी. अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 120355 वर्ग किमी. (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) सहित) है, जिसके अनुसार यह देश के 3.66% भौगोलिक क्षेत्र के साथ भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र है।

14.13 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या की दृष्टि से 1,22,67,013 की जनसंख्या के साथ जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का देश में 19वां स्थान है। इसके दो विशिष्ट क्षेत्र अर्थात् कश्मीर और जम्मू हैं, जिनमें कुल 20 जिले हैं।

वृहत आर्थिक दृष्टिकोण

14.14 वर्ष 2020-21 के लिए स्थिर (2011-12) कीमतों

और मौजूदा कीमतों पर अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुमानतः क्रमशः 1,19,675 करोड़ रुपये और 1,76,282 करोड़ रुपये है। वर्ष 2020-21 के लिए स्थिर (2011-12) कीमतों तथा मौजूदा कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) मोटे तौर पर अनुमानतः क्रमशः 98,677 करोड़ रुपये और 1,48,713 करोड़ रुपये है।

जनसंपर्क कार्यक्रम (पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम)

14.15 **जन अभियान:** 05 लाख से अधिक प्रमाण-पत्र (निवास, श्रेणी, मृत्यु/जन्म, दिव्यांगता) जारी किए गए हैं। 70,000 से अधिक राशन कार्डों को आधार से जोड़ा गया है। लगभग 50,000 परिवारों को स्वास्थ्य बीमा स्कीमों के तहत कवर किया गया है।

14.16 **बैंक टू विलेज 3 (बी2वी3):** समस्त जम्मू एवं कश्मीर में 82 स्थानों पर जन सहभागिता अभियान चलाया गया। रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 20,000 युवकों को कवर किया गया, लगभग 6,000 नए कार्य आरंभ किए गए और युवकों को 4440 स्पोर्ट किट वितरित की गई। इसके अतिरिक्त, 2430 गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब तक तीन बैंक टू विलेज (बी2वी) कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लगभग 20,000 कार्यों को चिह्नित किया गया है और 7000 से अधिक कार्यों को पूरा किया गया है।

14.17 **माई टाउन माई प्राइड (एमटीएमपी):** यह कार्यक्रम वर्ष 2019-20 से शुरू की गई प्रमुख पहल में से एक था, जिसका फोकस तीन बातों पर है – शहरों में जनसंपर्क (पब्लिक आउटरीच), घर तक सेवा पहुंचाना और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ करना।

- “माई टाउन माई प्राइड” कार्यक्रम अपनी तरह का पहला कार्यक्रम होने के कारण, शहरी क्षेत्रों में इसे जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान इस पहल को सफलतापूर्वक संचालित किया गया, जिसमें कोविड उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित किया गया और जनसाधारण ने इसकी काफी सराहना की।
- 552 कार्यों को चिह्नित किया गया, जिनमें से 80% कार्य पूरे कर लिए गए हैं और शेष कार्यों को मार्च, 2022 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

14.18 जनसंपर्क कार्यक्रम (पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम): 72 माननीय केंद्रीय मंत्रियों ने हाल में जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का दौरा किया। संपर्क कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियों में निम्नलिखित बातें शामिल थीं;

- जनता से बातचीत,

- स्थानीय सरकारी प्रतिनिधियों के साथ बैठकें,
- 177 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास समारोह,
- विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों को लाभों का संवितरण,
- 204 समारोह / कार्यक्रम / व्यापार मेले।



माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह 25 अक्टूबर, 2021 को श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में एक समारोह के दौरान जम्मू एवं कश्मीर के उप-राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के साथ



माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह आईआईटी-जम्मू में नए कैम्पस का उद्घाटन करते हुए

14.19 माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 23.10.2021 से 25.10. 2021 तक जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का दौरा किया और उन्होंने निम्नलिखित स्कीमों का उद्घाटन किया:

- श्रीनगर से शारजाह तक की अंतरराष्ट्रीय उड़ान
- प्रसिद्ध डल झील में 'आइकोनिक सप्ताह' समारोह के भाग के रूप में "हाउसबोट फेस्टिवल", जहां उन्होंने "म्यूजिकल फाउन्टेन और लेजर शो" का अवलोकन किया और उसे एक "मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव" बताया।

14.20 माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने श्रीनगर में 500 बेड वाले एक अस्पताल तथा हंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की भी आधारशिला रखी। उन्होंने निम्नलिखित घोषणाएं कीं:

- जम्मू एवं कश्मीर में अगले 2 वर्षों में मेट्रो रेल सेवा आरंभ करना,
- वर्ष 2025 तक जल-विद्युत उत्पादन को दोगुना करना,
- जल जीवन मिशन के अंतर्गत अस्पतालों के संबंध में 100% लक्ष्य की प्राप्ति।

पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को शक्ति संपन्न बनाना

14.21 पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को कुल 27 कार्य हस्तांतरित किए गए हैं और उन्हें लगभग 1727.00 करोड़ रुपए की धनराशि भी हस्तांतरित की गई। पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय और पूर्वता-अधिपत्र में औपचारिक स्थान प्रदान किया गया है। आतंकवादी घटना में मारे गए निर्वाचित सरपंच/पंच/बीडीसी अध्यक्ष को 25.00 लाख रुपए की धनराशि के लिए कवर किया गया है। पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जिला अधिकारियों की बातचीत की एक नियमित प्रणाली शुरू की गई है।

14.22 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को शक्ति संपन्न बनाना

- 74वें सीए-17 के अधिदेश के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को कार्यों, कार्मिकों

तथा निधियों का हस्तांतरण, उन्हें बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्य, निधियां और कार्मिक हस्तांतरित किए गए।

- जम्मू नगर निगम (जेएमसी)/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को और अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां हस्तांतरित करना – 76 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को एए की 5 करोड़ रुपए तक की शक्तियों का प्रत्यायोजन।
- संविदा करने की शक्तियों को बढ़ाकर निगमों के मामले में 20.00 करोड़ रुपए और अन्य शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के मामले में 2 करोड़ रुपए करना।
- 13 नगरपालिकाओं को नगरपालिका परिषदों के रूप में अपग्रेड किया गया है।
- निर्वाचित सदस्यों के परिवार के सदस्यों को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का कवर। पिछले दो वर्षों में शहरी स्थानीय निकायों को 2300 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। लगभग 3160 कार्य पूरे किए गए और 3200 कार्य चल रहे हैं, इन सभी का फोटोग्राफ लिया गया है तथा जियो-टैग भी किया गया है और ये ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

प्रवासियों, विस्थापित व्यक्तियों और शरणार्थियों के लिए सहायता

14.23 अस्सी के दशक के अंतिम वर्षों में जम्मू एवं कश्मीर राज्य में, विशेष रूप से 1989-1990 में कश्मीर डिवीजन में, आतंकवाद के आरंभ होने के कारण, बड़ी संख्या में लोग, जिनमें मुख्य रूप से कश्मीरी हिंदू/पंडित और कुछ सिख एवं मुस्लिम समुदाय के परिवार शामिल थे, कश्मीर प्रांत में अपने पैतृक निवास स्थानों से पलायन करके जम्मू और देश के अन्य भागों में चले गए। वर्तमान में, 44,684 कश्मीरी प्रवासी परिवारों के 1,54,712 लोग राहत और पुनर्वास आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार के पास पंजीकृत हैं और जम्मू में रह रहे हैं। 21,333 प्रवासी परिवार दिल्ली, बंगलुरु और पुणे आदि सहित देश के विभिन्न भागों में बस गए हैं। इसी प्रकार, 861 जम्मू प्रवासी परिवारों के 4,524 लोग, जिन्होंने जम्मू डिवीजन के पहाड़ी

क्षेत्रों से प्रवास किया था, भी राहत और पुनर्वास आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार के पास पंजीकृत हैं।

14.24 कश्मीरी प्रवासियों को घाटी में दोबारा बसाने की दृष्टि से, भारत सरकार ने पीएमआरपी-2008 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर सरकार में 3000 नौकरियों और पीएमडीपी-2015 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर सरकार में 3000 अतिरिक्त नौकरियों के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। इन 6000 कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों को घाटी में आवास प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने 920.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से 6000 ट्रांजिट आवास के निर्माण हेतु भी अनुमोदन प्रदान किया है। 1025 यूनिट का कार्य पूरा हो गया है/ काफी हद तक पूरा हो गया है। 1488 यूनिट निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और 2744 यूनिट पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

14.25 पीएमडीपी-2015 के अंतर्गत, पाक अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर, छम्ब और नियाबत से विस्थापित और जम्मू एवं कश्मीर में बसे 36,384 परिवारों को 5.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी संवितरित की जा रही है। भारत सरकार ने उन विस्थापित परिवारों (डीपी) को भी शामिल करने के लिए ऐसी ही वित्तीय सहायता अनुमोदित की है, जिन्होंने आरंभ में तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के बाहर जाने का विकल्प चुना था, किंतु बाद में वापस आ गए और जम्मू एवं कश्मीर में बस गए। अब तक 33,068 लाभार्थियों को कुल 1428.74 करोड़ रुपये की धनराशि संवितरित की जा चुकी है।

14.26 भारत सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों (डब्ल्यूपीआर) के उन 5,764 परिवारों के लिए 317.02 करोड़ रुपये के परिव्यय से प्रति परिवार 5.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुमोदित की है, जो विभाजन के उपरान्त पश्चिमी पाकिस्तान के कई क्षेत्रों से प्रवास करके जम्मू क्षेत्र के विभिन्न भागों में बस गए थे।

प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) 2015

14.27 प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) 2015 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एक वृहत विकास और पुनर्निर्माण पैकेज है। इसमें जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए 58,477 करोड़ रुपये के परिव्यय से 53 परियोजनाएं शामिल हैं। दिसंबर, 2021 के अंत तक व्यय 35,790 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। केंद्रीय सेक्टर की

7 और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कार्यान्वित 15 परियोजनाओं सहित 22 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है/काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। नौ और परियोजनाओं के इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है। सभी प्रमुख परियोजनाओं पर काम चल रहा है और सभी बाधाओं को दूर कर लिया गया है।

सड़क संपर्क

14.28 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: मार्च, 2021 तक, कुल 14,053 किमी. की लम्बाई के लिए 2129 परियोजनाओं को पूरा किया गया, जिनसे 1957 बस्तियों को कनेक्ट किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान, 2072 करोड़ रुपये के निवेश से 272 परियोजनाओं को पूरा किया गया। कोविड-19 के कारण विपरीत स्थितियों के बावजूद, कुल 3167 किमी. लंबी सड़कों का निर्माण पूरा किया गया।

14.29 चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, 3500 किमी. लंबी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य बनाया गया है, जिससे शेष 187 बस्तियों को कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। अब तक कुल 1600 किमी. लम्बी सड़कों का लक्ष्य प्राप्त किया गया है, जिसके फलस्वरूप 28 लंबी दूरी वाले पुलों (एलएसबी) सहित 273 स्कीमों को पूरा कर लिया गया है और 69 बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

14.30 पक्की सड़कों का निर्माण (मेकेडेमाइजेशन): वर्ष 2020-21 के दौरान, पीएमजीएसवाई सहित विभिन्न केंद्रीय और संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत 5035 किमी. सड़कों को पक्का करने का काम किया गया। चालू वित्त वर्ष में, विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 8000 किमी. सड़कों को पक्का करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सड़कों को पक्का करने का कार्य पूरे संघ राज्य क्षेत्र में किया जा रहा है और दिनांक 30.11.2021 की स्थिति के अनुसार, 5007 किमी. सड़कों को पक्का किया गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान, सड़क को पक्का करने का दैनिक औसत 6.27 किमी. प्रतिदिन था, जो वर्ष 2020-2021 के दौरान बढ़कर 14.07 किमी. प्रतिदिन हो गया है।

14.31 पुल: वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र/केंद्रीय सेक्टर की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 260 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 150 पुलों का निर्माण

कार्य पूरा किया जा रहा है, जिनमें पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 125 पुलों का निर्माण शामिल है, जिसका उद्देश्य दूर-दराज के क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

ऊर्जा क्षेत्र

14.32 विद्युत उत्पादन क्षेत्र:— वर्तमान में, जम्मू एवं कश्मीर ने लगभग 3500 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का दोहन किया है तथा पांच और परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनसे 4,870 अतिरिक्त मेगावाट जुड़ने की आशा है।

14.33 पारेषण क्षेत्र

- प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाओं पर 7500 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है।
- 1000 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता को पहले ही 220 केवी स्तर पर जोड़ दिया गया है।
- 220/ 132 केवी के 6 ग्रिड स्टेशनों का निर्माण/वृद्धि।
- 875 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता को 132 केवी स्तर पर जोड़ा गया है।

14.34 वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण

- 33/ 11 केवी की क्षमता के साथ 190 रिसीविंग स्टेशनों का निर्माण/वृद्धि की गई। 5,742 नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लगाए गए हैं। लगभग एक दशक से रुकी हुई/पिछड़ रही 10 परियोजनाओं को दोबारा शुरू करके पूरा किया गया।
- जम्मू एवं कश्मीर ने "सौभाग्य" स्कीम के अंतर्गत 100% घरों का लक्षित तिथि से पहले ही विद्युतीकरण कर लिया है और इसमें 3,57,405 लाभार्थियों को कवर किया गया है।
- इलेक्ट्रिक ग्रिड पावर का चैत्रू और डोडा के पहाड़ी क्षेत्रों की दूरस्थ बस्तियों अर्थात् पेटगाम, बनगाम, चिनाब, डिंडू और वस्तर तक विस्तार किया गया, जिसके तहत 17 किमी. एचटी लाइन बिछाई गई और 4 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लगाए गए।

14.35 100% स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग

- मार्च, 2022 तक लगभग 2 लाख मीटर लगाए जाने हैं।

- मार्च, 2023 तक 8 लाख मीटर (संचयी) लगाए जाने हैं।

पेय जल

14.36 जल जीवन मिशन (जेजेएम): नल के पानी के कनेक्शन वाले घरों का कवरेज, जो अगस्त, 2019 में जल जीवन मिशन के आरंभ होने के समय 4.89 लाख था, बढ़कर अब 10.39 लाख हो गया है।

14.37 100% ग्रामीण स्कूलों (23160), आंगनवाड़ी केंद्रों (24163) और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों (3324) को पाइप द्वारा पानी के कनेक्शन से कवर कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, 1612 ग्राम पंचायत भवनों को पाइप द्वारा जल आपूर्ति के अंतर्गत कवर किया गया है। जल जीवन मिशन की आयोजना, निगरानी और सफल कार्यान्वयन में स्थानीय लोगों की सक्रिय सहभागिता के लिए 5774 जल समितियों का गठन किया गया है।

14.38 जल जीवन मिशन पूरा होने के बाद, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में पेय जल की प्रतिदिन 292.56 मिलियन गैलन (एमजीडी) की मौजूदा उपलब्धता में 318 एमजीडी अतिरिक्त पेय जल की वृद्धि होने और वर्ष 2022 तक 100% ग्रामीण घरों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर की अपेक्षित मात्रा के साथ नल के पानी का कार्यशील कनेक्शन मिल जाने की आशा है।

सिंचाई

14.39 दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं अर्थात् मुख्य रावी नहर (61 करोड़ रुपए) और त्राल लिफ्ट सिंचाई स्कीम का तीसरा चरण (45 करोड़ रुपए), जो वर्ष 2010 से चल रही थीं, पूरी हो गई हैं और उनके संबंधित कमान क्षेत्रों में किसानों को सिंचाई का लाभ मिलना शुरू हो गया है।

14.40 रावी नदी पर काफी अधिक समय से लंबित शाहपुराकांडी परियोजना को दोबारा आरंभ किया गया है और कार्य चल रहा है। इससे 53,927 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी। ऊझ परियोजना, जो एक बहु उद्देशीय परियोजना है, शुरू की गई है। इससे 76,929 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और 196 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा।

शहरी विकास

14.41 प्रशासनिक ढांचे का सुदृढीकरण— अब तक की पहली प्रणालीगत पहल: जम्मू एवं कश्मीर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम का अधिनियमन, जम्मू एवं श्रीनगर के महानगरीय क्षेत्रों में समुचित, व्यवस्थित और त्वरित विकास के समन्वय और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से इन महानगरीय क्षेत्रों के लिए दो महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की स्थापना और ऐसे विकास के लिए योजनाओं, परियोजनाओं और स्कीमों का कार्यान्वयन।

14.42 मास रैपिड ट्रांजिट तथा एकीकृत अथवा स्टैंड अलोन परिवहन नेटवर्क प्रणालियों और लास्ट माइल कनेक्टिविटी सहित अन्य शहरी परिवहन प्रणालियों की आयोजना, डिजाइनिंग, वित्तपोषण, आरंभ, निर्माण, विकास, रख-रखाव और परिचालन के लिए दो शहरों अर्थात् जम्मू एवं श्रीनगर के लिए दो मास रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन की स्थापना।

14.43 सार्वजनिक परिवहन संचालनों को एकीकृत करने के लिए समन्वय तंत्र के रूप में कार्य करने हेतु एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) की स्थापना। दोनों शहरों के लिए विस्तृत मोबिलिटी योजनाएं तैयार की गईं।

14.44 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: सभी 1085 वार्डों में घर-घर जाकर अपशिष्ट के संग्रहण का 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। 78 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 1400 करोड़ रुपए की कार्य योजना।

14.45 जम्मू नगर निगम (जेएमसी) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में बंदुरख में 125 टीडीपी की क्षमता वाली एक पृथक "एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (आईएसडब्ल्यूएम)" की सुविधा स्थापित कर रहा है। इसे दिसंबर, 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। पिछले दो वर्षों के दौरान, 2658 कार्य पूरे कर लिए गए हैं। जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में 280 जल निकासी स्कीमों का कार्य पूरा कर लिया गया है।

14.46 प्रधानमंत्री आवास योजना— शहरी: जम्मू एवं कश्मीर के सभी 78 शहरों/शहरी स्थानीय निकायों को

इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया गया है और कुल 44701 घरों के संशोधित लक्ष्य में से, 14200 घरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। घरों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए, लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर बैंक के माध्यम से 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रति लाभार्थी 2 लाख रुपए का ब्याज रहित ऋण भी अनुमोदित किया गया। यह राशि उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत पहले प्रदान की गई 1.66 लाख रुपए की सहायता के अतिरिक्त है।

उद्योग एवं वाणिज्य

14.47 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम अधिसूचित की गई। सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए वर्ष 2021 में 28,400 करोड़ रुपए के परिव्यय से केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम आरंभ की है, जिसमें पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन, पूंजीगत ब्याज सबवेंशन, जीएसटी लिंकड प्रोत्साहन, कार्यशील पूंजीगत ब्याज प्रोत्साहन जैसे प्रोत्साहन शामिल हैं।

14.48 जम्मू एवं कश्मीर औद्योगिक भूमि आबंटन नीति, 2021-30 अधिसूचित: औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि आबंटन की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने हेतु, सरकार ने प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर औद्योगिक भूमि आबंटन नीति, 2021-30 अधिसूचित की है। समस्त भूमि आबंटन निर्धारित मानदंडों के अनुसार, नामोद्दिष्ट भूमि आबंटन समितियों द्वारा पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन किया जाता है। पूरे संघ राज्य क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना को गति प्रदान करने के लिए, ब्लॉक स्तर पर जोन बनाए गए हैं और इसे समग्र एवं समान विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।

14.49 जम्मू एवं कश्मीर निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति 2021-30 अधिसूचित: यह नीति निजी क्षेत्र में निर्धारित समय-सीमा के साथ औद्योगिक संपदा स्थापित करने के लिए एक पारदर्शी एवं समयबद्ध ढांचा प्रदान करती है। इस नीति के अंतर्गत सामान्य औद्योगिक अवसंरचना एवं उपयोगी वस्तुओं/सामाजिक अवसंरचना के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।

14.50 जम्मू एवं कश्मीर ऊन प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और हथकरघा नीति 2020 अधिसूचित: हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन के लिए अपने प्रकार की पहली विशिष्ट नीति शुरू की गई है। इस नीति में शिल्प प्रशिक्षार्थियों के वजीफे में वृद्धि, ठप पड़ी शिल्पकलाओं के पुनरुद्धार, शिल्प पार्कों की स्थापना, क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर फोकस, कालीन उद्योग के पुनरुद्धार और जीआई पंजीकृत शिल्पकलाओं की ब्रांडिंग के रूप में लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। उक्त नीति के अंतर्गत, विभाग कच्चे माल के बैंक और नए कालीन करघों, यार्न डाइंग प्लांट आदि की स्थापना भी कर रहा है।

14.51 सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों के लिए वित्तीय सहायता योजना अधिसूचित: कारीगरों और बुनकरों के लिए मौजूदा प्रबंधकीय सब्सिडी योजना के स्थान पर एक नई जीवंत वित्तीय सहायता योजना लाई गई है, जिसके तहत प्रत्येक सहकारी/स्वयं सहायता समूह को दो वर्षों में 1.00 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं।

14.52 कारीगरों और बुनकरों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना अधिसूचित: कारीगरों और बुनकरों के लिए नई क्रेडिट कार्ड योजना अधिसूचित की गई है, जिसके तहत कारीगरों और बुनकरों को पांच वर्ष के लिए 7% के ब्याज सबवेंशन के साथ 2.00 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा।

14.53 कारखानदार योजना: राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार विजेताओं के साथ-साथ इच्छुक प्रशिक्षार्थियों के लिए लुप्तप्राय शिल्प पर जोर देते हुए 'कारखानदार योजना' नामक एक नई योजना अधिसूचित की गई है। इस योजना के तहत, अब तक चौबीस कारखानों की स्थापना की जा चुकी है।

14.54 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में कदम: जम्मू एवं कश्मीर सिंगल विंडो (औद्योगिक निवेश और व्यापार सुविधा) अधिनियम 2018 को लागू किया गया है। "सिंगल विंडो पोर्टल" किसी निवेशक के लिए व्यापार प्रतिष्ठान की सुविधा हेतु शुरू से अंत तक संपर्क का "एकल बिंदु (सिंगल प्वाइंट)" है। 126 से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है और ये सिंगल विंडो पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

14.55 श्रीनगर यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल: अपनी कला और शिल्प के लिए पहचान बनाने वाला श्रीनगर शहर, यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क की शिल्प और लोक कला श्रेणी में शामिल हो गया है।

14.56 क्रेता-विक्रेता कार्यक्रम: कश्मीर हाट में शिल्प मेले को पूरे वर्ष के आयोजन के रूप में एक स्थायी कार्यक्रम बना दिया गया है। जम्मू हाट की स्थापना इस क्षेत्र के शिल्प को प्रदर्शित करने के लिए की गई है।

पर्यटन

14.57 जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन नीति-2020 की अधिसूचना: सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, जम्मू और कश्मीर पर्यटन नीति, 2020 अधिसूचित की है, ताकि जम्मू एवं कश्मीर के पर्यटन में निवेश करने के लिए पूरे देश के निजी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।

14.58 विकास परियोजनाएं: वर्ष 2021-22 के दौरान, पीएमडीपी के तहत 13 परियोजनाओं को पूरा किया गया है, जिसमें पर्यटक सुविधाओं का निर्माण शामिल है। इसके अलावा, 837.17 लाख रुपए की धनराशि से 23 अन्य परियोजनाओं को पूरा किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में तीर्थयात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय क्षेत्र की योजना (प्रसाद) के तहत स्वीकृत 42.00 करोड़ रुपये की लागत वाली "हजरतबल दरगाह के विकास की परियोजना" पूरी हो गई है।

14.59 75 ऑफ-बीट पर्यटक स्थल:- पर्यटन विभाग ने जम्मू एवं कश्मीर में 75 ऑफबीट पर्यटक स्थलों की पहचान की है, जिसमें कश्मीर डिवीजन के 38 स्थल और जम्मू डिवीजन के 37 स्थल शामिल हैं। इन स्थलों को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में संघ राज्य क्षेत्र के अपने दौरे के दौरान लॉन्च किया था। इन पर्यटक स्थलों को पर्यटकों के लिए बुनियादी संरचनाओं और अपेक्षित सुविधाओं के साथ 75वें आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विकसित किया जा रहा है।

14.60 सप्ताह तक चलने वाले आइकोनिक फेस्टिवल्स (23 से 29 अक्टूबर, 2021):- जम्मू एवं

कश्मीर सरकार ने "आजादी का अमृत महोत्सव" समारोह के भाग के रूप में 23 से 29 अक्टूबर 2021 तक "स्पिरिट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर" शीर्षक के तहत सप्ताह भर चलने वाले आइकोनिक फेस्टिवल्स का आयोजन किया। आइकोनिक सप्ताह के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर के दोनों डिवीजनों में विभिन्न भव्य कार्यक्रम/समारोह आयोजित किए गए, जिनमें सूफी फेस्टिवल, हाउसबोट फेस्टिवल, गुलमर्ग में लिटरेरी फेस्टिवल और जम्मू डिवीजन में विभिन्न भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत और एडवेंचर कार्यक्रम शामिल हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भव्य हाउसबोट फेस्टिवल का उद्घाटन किया।

14.61 श्रीनगर में जम्मू एवं कश्मीर ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप-2021: — जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विभाग ने "प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई)" के सहयोग से श्रीनगर में जम्मू एवं कश्मीर ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप 2021 (15 से 19 सितंबर तक) का आयोजन किया। यह एक विशाल कार्यक्रम था, जिसमें देश के 126 पेशेवर गोल्फरों ने भाग लिया। कश्मीर में इतने व्यापक स्तर का प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट पहली बार आयोजित किया गया।

14.62 पहलगाम में एंबेसडर गोल्फ टूर्नामेंट: पीएचडीसीसीआई द्वारा जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विभाग के सहयोग से अक्टूबर 2021 में पहलगाम में एक गोल्फ कॉन्क्लेव और टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसमें 8 देशों के राजदूतों/उच्चायुक्तों सहित देश के विभिन्न प्रमुख गोल्फरों ने भाग लिया।

14.63 डल झील में एयर शो और संगीत संध्या का आयोजन: जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने "आजादी का अमृत महोत्सव" समारोह के भाग के रूप में डल झील में एक भव्य एयर शो का आयोजन किया।

14.64 कोविड-19 के बाद प्रचार-प्रसार संबंधी अभियान: — कोविड-19 वैश्विक महामारी की पहली लहर और इसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन के बाद, पर्यटन उद्योग ठप हो गया। लेकिन जैसे-जैसे कोविड की स्थिति में सुधार हुआ और मामले कम होने लगे, जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विभाग ने सितंबर 2020 में विश्व पर्यटन दिवस पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करके गहन प्रचार-प्रसार

अभियान शुरू किया। इसके बाद, संघ राज्य क्षेत्र के भीतर और बाहर कई प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहलगाम और पटनीटॉप में शीतकालीन कार्निवाल का आयोजन किया गया और फरवरी 2021 में गुलमर्ग में लगातार दूसरी बार "खेलो इंडिया" शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया। कोविड की अवधि में पर्यटन से जुड़े स्टेकहोल्डरों को आजीविका में कुछ सहयोग प्रदान करने के लिए, वैश्विक महामारी के दौरान राहत निधि के रूप में 17.44 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई।

14.65 रोड शो का आयोजन:— देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, पर्यटन विभाग ने अगस्त-सितंबर 2021 के दौरान पूरे देश के विभिन्न प्रमुख शहरों यथा कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, आदि में "रोड शो" आयोजित किए। हाल ही में, नवंबर-दिसंबर के महीनों के दौरान पुणे, लखनऊ और हैदराबाद में विस्तृत प्रचार-प्रसार अभियान का आयोजन किया गया।

14.66 पर्यटकों की संख्या:— निरंतर प्रचार अभियान के उत्साहजनक परिणाम मिले, क्योंकि पर्यटकों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई और कोविड वैश्विक महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद अगस्त-नवंबर 2021 के दौरान 51,92,869 पर्यटकों ने संघ राज्य क्षेत्र की यात्रा की।

स्वास्थ्य

14.67 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में 5.97 लाख परिवार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत बीमा कवरेज प्राप्त करने के हकदार हैं, जिनमें से 4.72 लाख परिवारों के कम से कम एक सदस्य के पास यह कार्ड है। 16.55 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। पीएमजेएवाई के तहत 251 अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है।

14.68 "एबी-पीएमजेएवाई- सेहत योजना" के तहत, 40.95 लाख लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। अब तक लगभग 78.21% परिवारों (जिनमें कम से कम एक सदस्य पंजीकृत है) का सत्यापन किया जा चुका है। पीएमजेएवाई योजना के तहत पैनल में शामिल अस्पताल इस योजना के तहत भी सेवाएं प्रदान करेंगे।

14.69 **कोविड टीकाकरण:** पात्र आबादी को टीके की पहली डोज 100% और 83% आबादी को टीके की दूसरी डोज प्रदान की गई।

14.70 **स्वास्थ्य अवसंरचना:** पीएमडीपी के तहत 140 जारी/नई स्वास्थ्य परियोजनाएं शुरू की गई हैं; 102 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा 38 परियोजनाओं के चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है। 2029 उप केंद्रों के लक्ष्य में से 1,470 केंद्रों को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के रूप में कार्यशील बनाया गया है। 2000 करोड़ रुपए प्रत्येक की लागत से 2 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), एक विजयपुर (सांबा), जम्मू में और दूसरा अवन्तीपोरा (पुलवामा), कश्मीर में स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

14.71 भारत सरकार द्वारा सात नए मेडिकल कॉलेजों (अनंतनाग, बारामूला, राजौरी, डोडा, कटुआ, हंदावाड़ा और उधमपुर) की स्वीकृति प्रदान की गई है। पांच मेडिकल कॉलेज अस्थायी व्यवस्था के आधार पर शुरू हो गए हैं। दो मेडिकल कॉलेज वित्तीय वर्ष 2024-25 में शुरू किए जाएंगे। पांच नए मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस छात्रों के पहले बैच के लिए कक्षाएं शुरू हो गई हैं। इसके परिणामस्वरूप जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एमबीबीएस में प्रवेश की क्षमता 500 से बढ़कर 1100 हो गई है। नर्सिंग शिक्षा और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता में सुधार के लिए, भारत सरकार द्वारा पंद्रह बी.एससी. नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी प्रदान की गई है। संघ राज्य क्षेत्र में दो राज्य कैंसर संस्थान, एक एसकेआईएमएस सौरा, श्रीनगर में और दूसरा जीएमसी जम्मू में निर्माणाधीन हैं।

शिक्षा

14.72 जम्मू और श्रीनगर में 110.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दो क्लस्टर विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। सफापोरा गांदरबल और जंगलोटे कटुआ में दो प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं। 12.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सांबा, शोपियां और गांदरबल में तीन कॉलेजों को मॉडल कॉलेजों के रूप में अपग्रेड किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर विश्वविद्यालय को स्तरोन्नयन हेतु 40.00 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है।

14.73 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए पीएमडीपी के तहत स्वीकृत 06 बालिका छात्रावास भवनों के निर्माण में से, जीडीसी पलौरा, जीडीसी राजौरी और जीडीसी बड़गेरवाह में तीन बालिका छात्रावास भवनों का कार्य पूरा हो गया है। जीडीसी बेमिना, जीसीडब्ल्यू कुपवाड़ा और जीसीडब्ल्यू पुलवामा में अन्य तीन बालिका छात्रावास भवनों का काम प्रगति पर है।

कृषि

14.74 पिछले दो वर्षों के दौरान जम्मू एवं कश्मीर के एक मिलियन से अधिक लाभार्थियों को 1706 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 11.7 लाख किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और पीएम-किसान योजना के तहत एक मिलियन से अधिक लाभार्थियों को 1,706 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई।

14.75 राष्ट्रीय केसर मिशन के तहत, 126 गहरे नलकूपों से जुड़े सिंक्रलर सिस्टमों के साथ सिंचाई का बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। अब तक 2578.75 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाया गया है। इस मिशन के कार्यान्वयन से फसल की पैदावार 1.88 किलोग्राम/ हेक्टेयर से काफी अधिक बढ़कर 4.5 किलोग्राम/ हेक्टेयर हो गई है, जिसकी वजह से अंततः केसर उत्पादकों की आय दुगुनी हो गई है।

14.76 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र ने डोडा के केसर और गुची (जंगली मशरूम) के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैगिंग और आर.एस. पुरा के बासमती चावल के लिए जैविक प्रमाणन सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। प्रभावी रूप से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग के लिए दो "जम्मू एवं कश्मीर बीज और जैविक प्रमाणन" एजेंसियां, एक जम्मू डिवीजन में तथा एक कश्मीर डिवीजन में स्थापित की गई हैं।

पुष्प-उत्पादन, उद्यान और पार्क

14.77 ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए दिनांक 25.03.2021 को खोला गया और 62 किस्मों के 1.5 मिलियन ट्यूलिप को जनता के लिए प्रदर्शित किया गया। "ट्यूलिप शो 2021" के दौरान ट्यूलिप बल्बों के अलावा, हायसिंथ्स, मस्करी और डैफोडिल्स भी प्रदर्शित किए गए।

वर्ष 2021 के दौरान 2.25 लाख पर्यटक इस गार्डन में घूमने आए।

14.78 ट्यूलिप गार्डन के भीतर उपलब्ध 10 हेक्टेयर भूमि पर 9.96 करोड़ रुपये की लागत से एक नई अवधारणा के रूप में परिकल्पित "पलावरिंग चेरी थीम गार्डन (सकुरा)" की स्थापना की जा रही है। इस परियोजना पर कार्य चल रहा है। इस गार्डन में आर्नामेंटल चेरी की विभिन्न आयातित किस्मों के लगभग 4000 पेड़ लगाए जाने का प्रस्ताव है।

पशु/भेड़ पालन

14.79 दूध उत्पादन और प्रसंस्कृत दुग्ध उत्पादों में जम्मू एवं कश्मीर को पूर्ण निर्यातक बनाने के लिए, सरकार ने एकीकृत डेयरी विकास योजना, 2020-21 की परिकल्पना की और इस योजना को शुरू किया। इस योजना के तहत डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए 50% सब्सिडी उपलब्ध है। इस योजना में दूध के प्रसंस्करण और विपणन के लिए 50% सहायता भी शामिल है।

14.80 एकीकृत कुक्कुट पालन विकास योजना के तहत 300 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिससे 600 लोगों को रोजगार मिला है। एकीकृत पशु-आहार/चारा विकास योजना के तहत 750 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिससे लगभग 850 लोगों को रोजगार मिला है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 1000 इकाइयां स्थापित की गई हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान एकीकृत भेड़ विकास योजना के तहत 2500 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिससे 5000 लोगों को रोजगार मिला है। पिछले दो वर्षों के दौरान ट्राउट मछली का उत्पादन 650 मीट्रिक टन प्रति वर्ष से दोगुना होकर 1400 मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो गया है।

वन और पर्यावरण

14.81 सभी ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी के साथ 'वन बीट गार्ड, वन विलेज प्रोग्राम' के माध्यम से 'हर गांव हरियाली' अभियान के तहत गैर-वन भूमि को हरा-भरा करने के लिए जमीनी स्तर पर हरित पहल की गई है।

14.82 सभी स्थानीय निकायों (ग्रामीण और शहरी) में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन और लोगों के

जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने की वजह से, जम्मू एवं कश्मीर के लोगों को जैव विविधता के संरक्षण, इसके सतत उपयोग और समान रूप से लाभ को साझा करने के मामले में सशक्त बनाया गया है।

14.83 "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" पहल के परिणामस्वरूप, "ई-वे बिल" ट्रांजिट पास के समकक्ष बन गया है और लकड़ी आधारित उद्योगों का ऑनलाइन पंजीकरण/नवीनीकरण किया जा रहा है। वन उत्पाद डिपो का पंजीकरण, वन भूमि/दूरी प्रमाण पत्र आदि जैसी अन्य ऑनलाइन सेवाएं भी शुरू की गई हैं।

14.84 "ट्रेक रूट्स" और "फॉरेस्ट हट्स" को खोलने के लिए की गई ईकोटूरिज्म पहल की लोगों द्वारा काफी सराहना की गई है और इसने जम्मू एवं कश्मीर के वनों के बारे में लोगों के नजरिए को बदल दिया है।

कौशल विकास

14.85 प्रवेश प्रक्रिया में सुधार किया गया है और यह कार्य जम्मू एवं कश्मीर तकनीकी शिक्षा बोर्ड (जेकेबीओटीई) को सौंपा गया है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक/आईटीआई में प्रवेश हो चुके हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक/आईटीआई में 15-20 प्लेसमेंट मेले आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 5000 अभ्यर्थियों को नौकरी मिली।

14.86 जम्मू एवं कश्मीर के सभी पॉलिटेक्निकों में उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं, जिसमें छात्रों को अपने उद्यम स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है और जम्मू एवं कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान (जेकेईडीआई) के माध्यम से अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

आईटी आधारित पहल

14.87 डिजिटल रूप से जुड़े 'गांव': - जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने प्रायोगिक आधार पर जम्मू एवं कश्मीर के 20 जिलों के 44 गांवों में "डिजिटल माध्यमों से गांव की ओर वापसी" नामक स्कीम कार्यान्वित की है। शिकायतों के त्वरित निवारण और जमीनी स्तर पर विकासात्मक

गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रत्येक इकाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई, हॉटपॉट आदि जैसी आईटी अवसंरचना और कनेक्टिविटी से सुसज्जित किया गया है।

14.88 जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने “स्टेट सर्विसेस डिलिवरी गेटवे (एसएसडीजी)” नामक परियोजना के तहत जम्मू एवं कश्मीर में “सरकार से नागरिक तक (जी2सी) ऑनलाइन सेवाएं” प्रदान करने में विभिन्न विभागों को सहायता प्रदान की है। इसमें जम्मू एवं कश्मीर में ऑनलाइन मोड में अधिवास प्रमाण-पत्र के लिए “ई-एप्लिकेशन-कम-इसुएन्स” की शुरुआत शामिल है, जिसकी वजह से पहली बार ऑनलाइन मोड के माध्यम से अधिवास प्रमाण-पत्र प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

मिशन युवा

14.89 ‘मुमकिन’ योजना के तहत, परिवहन क्षेत्र में स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए, बेरोजगार युवाओं को रियायती आधार पर छोटे वाणिज्यिक वाहन खरीदने की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत स्वरोजगार सहायता के लिए, अब तक 1882 आवेदन अनुमोदित किए जा चुके हैं।

14.90 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, माननीय उप-राज्यपाल ने युवा महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना ‘तेजस्विनी’ की घोषणा की। इस योजना में युवा महिलाओं को उनके कौशल, प्रशिक्षण, योग्यता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल लाभकारी स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गई है।

14.91 विशेष स्वयंसेवी कार्यक्रम “यूथ क्लब” के तहत, पूरे संघ राज्य क्षेत्र में 4239 युवा क्लबों का गठन किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक लाख से अधिक युवाओं को स्वयंसेवी गतिविधियों में शामिल किया जाना है। इसके अलावा, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीन युवा स्वयंसेवी समूहों को प्रत्येक वर्ष 50,000 रुपए – 5,00,000 रुपए तक का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जो उनके कार्य की प्रकृति और कवर की गई लक्षित आबादी की मात्रा पर निर्भर करेगा।

14.92 संकटग्रस्त युवाओं के लिए “सहायता” नामक एक विशेष वित्तीय सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजना के तहत संकटग्रस्त युवाओं को लाभप्रद स्वरोजगार इकाइयों की स्थापना के लिए 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

14.93 **राइज टुगेदर स्कीम**— मिशन यूथ, जम्मू एवं कश्मीर ने जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई ‘राइज टुगेदर’ नामक एक समुदायोन्मुखी आजीविका सृजन योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम में जम्मू एवं कश्मीर के नए युग के युवा उद्यमियों के बीच रोजगार, आय और सामाजिक सेवा की भावना विकसित करने के लिए समुदाय आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत, पात्र युवा समूहों को 20.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है, जिसमें मिशन यूथ द्वारा प्रदान किया जाने वाला अग्रिम सब्सिडी घटक (न्यूनतम 2.5 लाख रुपए या परियोजना लागत का 10%) और बैंक द्वारा प्रदान किया जाने वाला ऋण (17.50 लाख रुपए की सीमा तक परियोजना लागत का 70%) शामिल है। परियोजना की शेष लागत, जो परियोजना लागत के 20% से कम नहीं होगी, का वित्तपोषण / व्यवस्था लाभार्थी युवा-समूह द्वारा मार्जिन मनी के रूप में स्वयं की जाएगी।

14.94 **परवाज योजना**— इस योजना का उद्देश्य यूपीएससी / जेकेपीएससी द्वारा भर्तियों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं और इसी तरह की अन्य परीक्षाओं हेतु कोचिंग प्रायोजित करना है। वे अभ्यर्थी, जिनकी सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय 8.00 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक न हो, इस योजना के तहत मुफ्त कोचिंग के लिए पात्र होंगे। कोचिंग के लिए स्वीकृत संख्या का 30% छात्राओं / महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित किया जाएगा। इस योजना के तहत सहायता प्रदान किए जाने वाले अभ्यर्थियों का चयन एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया (परवाज क्वालिफाइंग टेस्ट-पीक्यूटी) के माध्यम से किया जाएगा।

14.95 समाज के सीमांत वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (माननीय उप-राज्यपाल की सुपर 75 और सुपर

बी 75 छात्रवृत्ति योजना)– इस योजना का उद्देश्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (केवल नियमित मोड में) के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करके मेधावी छात्रों को उनकी शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान

करना है। स्नातकोत्तर अध्ययन/अनुसंधान कार्यक्रमों में भाग लेने वाले पात्र छात्रों को उनके शैक्षिक खर्चों को पूरा करने के लिए 1.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।



माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जम्मू एवं कश्मीर में बर्चबुल मोड के माध्यम से जिला सुशासन सूचकांक (डीजीजीआई) को लॉन्च करते हुए

प्रशासनिक सुधार कार्य

14.96 प्रशासनिक/कर्मचारी हितैषी पहल

- सिविल सचिवालय और राजभवन के कार्यालय के सभी प्रशासनिक विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। पुरानी मैनुअल फ़ाइल प्रक्रिया को अब पूरी तरह से स्वचालित वर्कफ्लो-आधारित 'ऑनलाइन' सॉफ्टवेयर सिस्टम से बदल दिया गया है। ई-ऑफिस को अब चरणबद्ध तरीके से अन्य कार्यालयों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में लागू किया जा रहा है। 245 विभागाध्यक्ष कार्यालयों को ई-ऑफिस मोड में लाया गया है।
- जेकेएस अधिकारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट को "स्पैरो पोर्टल" पर ऑनलाइन

मोड में शिफ्ट कर दिया गया है तथा सभी राजपत्रित और अराजपत्रित सेवाओं के लिए इस तंत्र को लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

- अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कर्मचारियों के लिए सतर्कता निकासी पोर्टल स्थापित किया गया।
- चरित्र और पूर्ववृत्त नियमों का पुनर्गठन किया गया और सत्यापन रिपोर्टें ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।
- लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" के भाग के रूप में 18 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है।

14.97 भुगतान प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाना

जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र ने कई प्रणालीगत

सुधार शुरू किए हैं। बजट अनुमान आबंटन निगरानी प्रणाली (बीईएएमएस), पेसिस (पीएवाईएसवाईएस), अधिकारिता, 100% भौतिक सत्यापन, अनिवार्य एए, टीएस, ई-निविदा और ट्रेजरी एवं डीडीओ स्तर पर विलंब विवरण के माध्यम से वित्तीय सुधार किए जा रहे हैं।

14.98 ऑनलाइन सेवाएं

- निजी स्कूलों की मान्यता और संबद्धता।
- नगरपालिका सेवाएं, जैसे कि ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, व्यापार और व्यावसायिक लाइसेंस, मोबाइल टॉवर आदि।
- बिजली बिल भुगतान और नए घरेलू बिजली कनेक्शन।
- मेरावेतन ऐप: कर्मचारियों के वेतन और अन्य ब्यौरे अब कर्मचारियों के मोबाइल पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, संघ राज्य क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन जीपीएफ प्रणाली लागू की गई है।

14.99 संस्थागत सुधारों के परिणाम

कार्यों की संख्या में वृद्धि हुई है और यह दो वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है।

क्र.सं.	वर्ष	पूरे किए गए कार्य	% वृद्धि
1	2018-19	9229	-
2	2019-20	12637	37%
3	2020-21	21943	74%

14.100 सतत कानून और व्यवस्था के लिए ढांचागत सुधार

- दांडिक न्याय प्रणाली में बड़े पैमाने पर सुधार किए गए हैं – अभियोजन को जांच से अलग कर दिया गया है।
- फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) को जांच के लिए स्वतंत्र बनाया गया है और उसे आधुनिक तर्ज पर पुनर्गठित किया गया है।
- अपराध शाखा को चार विशिष्ट विंग में पुनर्गठित

किया गया है, अर्थात्; आर्थिक अपराध, विशेष अपराध, साइबर अपराध और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स।

भूमि संबंधी मुद्दे

14.101 **आपकी जमीन आपकी निगरानी:** नई शुरू की गई योजना "आपकी जमीन आपकी निगरानी" के तहत, भूमि/राजस्व रिकॉर्डों को स्कैन करके अपलोड किया गया है।

भारत दर्शन यात्राएं/वतन को जानो कार्यक्रम

14.102 युवाओं को भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के बारे में अवगत कराने के लिए, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में सीएपीएफ की मदद से "भारत दर्शन/वतन को जानो कार्यक्रम" का आयोजन किया जाता है।

लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र

14.103 लद्दाख दिनांक 31.10.2019 को एक संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल के बिना) बन गया। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र भारत के सबसे उत्तरी छोर पर है और 2300 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित यह क्षेत्र देश का सबसे ठंडा, सबसे ऊंचा और विरल आबादी वाला क्षेत्र है। शीतकाल में यहां कड़ाके की ठंड होती है, जिसके कारण यह क्षेत्र दुर्गम हो जाता है, क्योंकि जोजिला और रोहतांग दर्रा के बंद होने के कारण श्रीनगर और हिमाचल प्रदेश से सड़क संपर्क टूट जाता है। वर्षा अत्यंत कम और नगण्य है, जो इस क्षेत्र को ठंडा रेगिस्तान बना देती है। इस क्षेत्र में 18000 फीट से लेकर 26000 फीट तक की ऊंचाई वाली चोटियां, कराकोरम और ज़ास्कर पर्वतमालाओं की बनावट के समानांतर दिखती हैं। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में लेह और कारगिल नामक दो जिले शामिल हैं। लद्दाख, लेह-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग और लेह-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, लद्दाख की कुल जनसंख्या 2,74,289 है। लद्दाख के लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं लद्दाखी/भोटी, बलती, पुरगी और दरदी/शीना हैं। लद्दाख की अधिकांश आबादी अनुसूचित

जनजाति अर्थात् बलती, बेडा, बॉट, ब्रोकपा, चांगपा, गर्गा, मोन और पुरीम्पा हैं।

कार्बन—मुक्त पहल

14.104 कार्बन मुक्त लद्दाख और संसाधन सम्पन्न लद्दाख के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा एक नीति—विषयक दस्तावेज तैयार किया जा रहा है।

14.105 स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र से डीजल जेनरेटर सेट को हटाने के लिए, भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) द्वारा 385 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से, फ्यांग, लेह में बैटरी भंडारण के साथ 50 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है और अगले वित्तीय वर्ष से काम शुरू हो जाएगा। पुगा में पहली भू-तापीय क्षेत्र विकास परियोजना के लिए ओएनजीसी, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और एलएचडीसी, लेह के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, एसईसीआई द्वारा 7.5 गीगावाट सौर परियोजना (पांग, लेह में 5.0 गीगावाट और जांस्कर कारगिल में 2.50 गीगावाट) की योजना बनाई जा रही है।

14.106 लेह में सार्वजनिक परिवहन के लिए पॉयलट आधार पर 2 इलेक्ट्रिक वाहन (ई-बस) शुरू किए गए हैं और पॉयलट आधार पर हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन (05 यात्री बसें और 05 कारें) शुरू किए जाएंगे। चुचोट, लेह में सौर ऊर्जा का उपयोग करके घरेलू सुविधा हेतु हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए दिनांक 12.07.2021 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। कृषि क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के लिए दो सौर लिफ्ट सिंचाई योजनाएं शुरू की गई हैं। लेह जिले की ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। कारगिल जिले में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने का कार्य प्रगति पर है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

14.107 ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के आजीविका आधार

को बढ़ाने और उसका विस्तार करने के अलावा, मजदूरी पर रोजगार प्रदान करने, सतत विकास और टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण के उद्देश्य से मनरेगा, पीएमएवाई—जी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम), विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) और राज्य क्षेत्र (कैपेक्स बजट) जैसी केंद्र प्रायोजित और राज्य क्षेत्र की कई योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

14.108 पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए एसडीपी, राज्य योजना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत विभिन्न विकासात्मक पहल की गई हैं और ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। ग्रामीण अवसंरचना के विकास की दिशा में प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:—

- प्रत्येक ब्लॉक में पंचायत घर, बीडीसी कार्यालय और बीडीओ कार्यालय: एसडीपी के तहत, 945 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 27 पंचायत घर और 1140 लाख रुपए की लागत से 30 बीडीओ/बीडीसी कार्यालय बनाए जा रहे हैं। 10 पंचायत घरों और 30 बीडीसी/बीडीओ कार्यालयों का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।
- एसडीपी के तहत सभी 193 पंचायतों में इंटरनेट सक्षम जी2सी सेवाएं प्रदान करने के लिए 5790 लाख रुपये की लागत से कॉमन फ़ैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 27 सीएफसी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
- राज्य योजना के तहत 13 ब्लॉकों में 325 लाख रुपए की अनुमानित लागत से नए सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किए जा रहे हैं और 09 सार्वजनिक पुस्तकालयों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
- "लद्दाख ग्राम सड़क योजना (एलजीएसवाई)" लद्दाख की सभी पंचायतों और सरपंच वार्डों को सड़क संपर्क प्रदान करने की दिशा में संघ राज्य क्षेत्र की एक पहल है, जिसके तहत 71 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और इस वर्ष 30 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

- डेटा कनेक्टिविटी की दिशा में एक पहल के रूप में, "भारत नेट" के अंतर्गत वी-सैट और इंटरनेट सुविधाएं (सभी 193 पंचायतों में) प्रदान की जा रही हैं।
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना और एसडीपी के तहत क्रमशः सभी पंचायतों और ब्लॉक विकास परिषदों के लिए आईटी अवसंरचना उपलब्ध कराई गई है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

14.109 मनरेगा के तहत, 13.58 लाख व्यक्ति दिवस सृजित करके 29082 जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया है, जिसमें 20289 महिला जॉब कार्ड धारक शामिल हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

14.110 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत, पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराकर 1428 आवासों का 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और इन लाभार्थियों को 1856.40 लाख रुपए सीधे अन्तरित कर दिए गए हैं।

स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं

14.111 वर्ष 2021-22 के दौरान स्वास्थ्य विभाग लद्दाख ने 8.78 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लेह और कारगिल में स्थित जिला अस्पतालों में 90 बेड की अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और इन सुविधाओं में 10 बाल चिकित्सा आईसीयू, 10 वयस्क आईसीयू और 70 ऑक्सीजनयुक्त बेड शामिल हैं। एसएनएम अस्पताल लेह में एमआरआई मशीन और डिजिटल एक्स-रे मशीन लगाए जाने से जांच संबंधी सुविधाओं में वृद्धि हुई है। कोविड-19 की शुरुआत के बाद, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के अस्पतालों में ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता 1,000 एलपीएम से बढ़ाकर 5,830 एलपीएम कर दी गई है।

14.112 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने पीएमजेएवाई योजना के साथ संयोजन करते हुए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) की शुरुआत की है, ताकि पीएमजेएवाई

के तहत कवर न हुए सभी शेष परिवारों को कवर किया जा सके। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने रोगी को तृतीयक देखभाल हेतु लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के बाहर रेफर किए जाने पर पीएमजेएवाई और यूएचसी लाभार्थी के लिए एक मरीज और एक परिचारक हेतु "हवाई यात्रा प्रतिपूर्ति योजना" शुरू की है। कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र ने पहली डोज के लिए 100% और दूसरी डोज के लिए 83.18% कवरेज हासिल कर लिया है।

14.113 पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ से ई-संजीवनी ओपीडी के जरिए दिनांक 24.10.2021 से सुपर स्पेशियलिटी टेलीकंसल्टेशन शुरू किया गया है तथा सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं में न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन (ईएफआई) शामिल हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के अंतर्गत, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लगभग 35% लोगों को स्वास्थ्य आईडी प्रदान की गई है।

शिक्षा

14.114 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में 1020 स्कूल हैं, जिनमें से 907 सरकारी स्कूल हैं और 113 प्राइवेट स्कूल हैं तथा इन स्कूलों में प्री-प्राइमरी से हायर सेकंडरी स्तर तक 57,033 छात्र नामांकित हैं। विभिन्न स्कूलों में विशेष जरूरतों वाले 750 बच्चे भी नामांकित हैं। शिक्षा विभाग ने 11 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की है। 59 हाई स्कूलों और 23 हायर सेकंडरी स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट क्लास रूम की सुविधा प्रदान की गई है। 37 सेकंडरी स्कूलों और 12 प्राथमिक स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। "पीएम-पोषण" के अंतर्गत 817 स्कूलों में पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक के 15919 बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है।

14.115 इसके अतिरिक्त, "पढ़ना-लिखना अभियान" के तहत 10,000 वयस्क शिक्षार्थियों को बुनियादी साक्षरता (व्यावहारिक संख्या ज्ञान) के लिए कवर किया गया है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में बेसिक लिटरेसी असेसमेंट टेस्ट (बीएलएटी) आयोजित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय मुक्त

विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) द्वारा आयोजित परीक्षा में 80% वयस्क शिक्षार्थी शामिल हुए।

कृषि

14.116 लद्दाख में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, कृषि विभाग "मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव (एमओडीआई)" लागू कर रहा है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान, विभाग ने किसानों के बीच वितरण हेतु 21200 क्विंटल बायो वर्मीकम्पोस्ट और 200 क्विंटल बायो एनपीके की खरीद की है तथा किसानों द्वारा स्वयं जैविक खाद का उत्पादन करने हेतु उन्हें 949 कम्पोस्ट यूनिट भी वितरित की हैं।

14.117 कृषि विभाग ने पॉली कार्बोनेट ग्रीन हाउस शुरू किया है, जिसे लद्दाख "ग्रीन हाउस" के रूप में जाना जाता है। इससे सर्दियों के मौसम के दौरान कड़ाके की ठंड में भी सब्जियों के उत्पादन में मदद मिली है।

बागवानी विकास

14.118 किसानों की आय को बढ़ाने में बागवानी प्रमुख भूमिका निभा रही है, क्योंकि खुबानी, सेब, अंगूर, अखरोट, बादाम आदि जैसे फल लद्दाख में उगाए जाते हैं। बागवानी को प्रोत्साहित करने और इसके अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, 2 कनाल, 3 कनाल और 5 कनाल के आकार वाले निजी बगीचों के विकास के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। संरक्षित खेती के तहत, गैर-मौसमी फसलों/सब्जियों की खेती के लिए 50% सब्सिडी के साथ 1,350 ग्रीन हाउस स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, फसल के बाद के नुकसान को कम करने के लिए विभाग, किसानों को खुबानी को सुखाने और उसकी पैकिंग, ग्रेडिंग तथा सॉर्टिंग हाउस के लिए "सोलर ड्रायर सह स्पेस हीटिंग सिस्टम" भी प्रदान करता है। बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र से खुबानी की पहली वाणिज्यिक शिपमेंट दुबई को निर्यात की गई है।

पशु और भेड़ पालन

14.119 पश्मीना फाइबर के मूल्य वर्धन के लिए, लेह में एक "पश्मीना डीहेयरिंग संयंत्र" स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा, लद्दाख में उत्पादित दूध के इष्टतम उपयोग

और इसके मूल्य वर्धन के लिए जिला स्तरीय दुग्ध सहकारी संघ का गठन/पंजीकरण किया गया है और एक दूध पाश्चराइजेशन संयंत्र भी पूरा होने के चरण में है। वर्ष 2021 के दौरान दूसरे चरण में, रिंग टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है और 5.252 लाख भेड़/बकरी और 71575 मवेशियों का टीकाकरण किया जा चुका है।

विद्युत विकास

14.120 220 केवी श्रीनगर-लेह ट्रांसमिशन लाइन को शुरू करने और उसे सुदृढ़ बनाने के बाद, विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति में काफी अधिक सुधार हुआ है और कार्बन-मुक्त लद्दाख की दिशा में एक कदम के रूप में, वर्ष 2021-22 के दौरान ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करके 5 डीजी सेटों को हटाया गया है।

14.121 फ्यांग से डिस्कट, नुब्रा और द्रास से पदुम, जांस्कर तक 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन पर 1309.72 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से काम शुरू किया गया है और उक्त ट्रांसमिशन लाइन के पूरा होने के बाद, नुब्रा और जांस्कर को इस ग्रिड के माध्यम से चौबीसों घंटे सातों दिन (24x7) विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी।

14.122 पीएमडीपी 2015 के तहत अनुमोदित तरु, लेह में 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को एसईसीआई ने कार्यान्वयन हेतु अपने हाथ में ले लिया है और इस परियोजना के पूरा होने के बाद सर्दियों में और साथ ही उच्चतम मांग के दौरान भी 220केवी श्रीनगर-लेह ट्रांसमिशन लाइन पर लोड कम हो जाएगा।

परिवहन विभाग

14.123 कार्बन मुक्त लद्दाख की दिशा में एक कदम के रूप में, परिवहन विभाग, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र ने सार्वजनिक परिवहन के लिए दस इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं, जिनमें से दो बसें पहले से ही लद्दाख में चल रही हैं। इसके अतिरिक्त, चालू वित्त वर्ष के दौरान परिवहन विभाग सरकारी उपयोग के लिए सौर चार्जिंग कार पोर्ट सहित दस इलेक्ट्रिक कारें भी खरीद रहा है।

नागर विमानन

14.124 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में हवाई संपर्क की सुविधाएं

प्रदान करने हेतु, हेलीकॉप्टर खड़ा करने के लिए दो हेंगर, लेह और कारगिल प्रत्येक में एक हेंगर, सहित लेह और कारगिल दोनों जिलों में 40 से अधिक हेलीपैड के निर्माण/स्तरोन्नयन के लिए एसडीपी, 2021-22 के तहत 25 करोड़ रुपये की धनराशि और राज्य केपेक्स, 2021-22 के तहत 0.50 करोड़ रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई है। इनमें से अधिकांश हेलीपैड और सिंधु घाट, लेह में एक हेंगर का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है।

14.125 “रियायती हेलीकॉप्टर सेवा” की स्कीम के तहत, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में पवन हंस लिमिटेड द्वारा ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली के माध्यम से दो हेलीकॉप्टरों का संचालन किया जा रहा है।

14.126 लगभग 3600 यात्रियों ने हेलीकॉप्टर सेवाओं का लाभ उठाया है और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से 60 से अधिक गंभीर रोगियों तथा आपात स्थिति में अन्य लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए एयरलिफ्ट किया गया है।

शहरी विकास

14.127 शहरी विकास विभाग ने दिनांक 02.08.2021 को शहरी विकास विषय पर एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया। “इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट” नगरपालिका समिति (एमसी), लेह को सौंप दिया गया है। दिनांक 31.10.2021 को लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के स्थापना दिवस के अवसर पर, माननीय उप-राज्यपाल द्वारा 3-एमएलडी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया और इसे जनता को समर्पित किया गया।

14.128 नगरपालिका समिति (एमसी) लेह के 7 वार्डों में 45 और 80 वाट की सेंसर आधारित स्ट्रीट लाइटें लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर 10 वाटर एटीएम लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग

14.129 सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग ने 500 अभ्यर्थियों के लिए “इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैनुफैक्चरिंग (ईएसडीएम)” क्षेत्र में कौशल विकास

प्रशिक्षण का आयोजन किया। इसके अलावा, लेह और कारगिल के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में सोलर पैनल इंस्टालेशन, घरेलू उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव, इनवर्टर एवं यूपीएस की मरम्मत और रखरखाव आदि जैसे पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण का कार्य प्रगति पर है।

14.130 आधार नामांकन और अपडेशन के कवरेज को बढ़ाने के लिए, आईटी विभाग ने संघ राज्य क्षेत्र में 100% आधार का लक्ष्य हासिल करने हेतु लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में कई आधार नामांकन अभियान संचालित किए हैं।

तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास

14.131 संघ राज्य क्षेत्र में “लद्दाख कौशल विकास मिशन” का गठन किया गया है, जो दो स्तरीय संरचना है, जिसमें शासी परिषद और कार्यकारी समिति शामिल हैं। विभिन्न कौशल विकास योजनाओं को तैयार करने और इन्हें संचालित करने तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में सभी विभागों में विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में आवश्यक तालमेल, निगरानी और प्रभावी समन्वय के लिए, यह मिशन संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का एकल बिंदु होगा। इसके अलावा, जिला स्तर पर जिला कौशल समितियों का गठन किया गया है।

14.132 युवाओं को विभिन्न कौशल और उद्यमिता के अवसरों के बारे में जागरूक करने के लिए क्रमशः दिनांक 24.03.2021 और 27.03.2021 को लेह और कारगिल जिले में पहली बार “कौशल मेला/कौशल विकास कार्यशाला” का आयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रीय कौशल परिषदों, प्रशिक्षण महानिदेशालय, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईआईएसबीयूडी) के विशेषज्ञों ने इस कार्यशाला में भाग लिया और लगभग 600 युवाओं ने उक्त मेले में भाग लिया। आईटीआई कारगिल में दिनांक 15.11.2021 से 20.11.2021 तक पांच दिवसीय “स्व-रोजगार मेले” का आयोजन किया गया, जिसके दौरान जिला उद्योग केन्द्र तथा बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध कराये गये ऋण के बारे में जागरूकता सत्र आयोजित किया गया और अभ्यर्थियों को मौके पर ही ऋण की सुविधा प्रदान की गई। इस

कार्यशाला में आईटीआई से उत्तीर्ण लगभग 150 अभ्यर्थियों ने भाग लिया।

14.133 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत, आईटीआई लेह और आईटीआई कारगिल ने 3 महीने की अवधि के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) आयोजित किया है। पॉलिटेक्निक और आईटीआई के लिए नवीनतम मशीनरी एवं उपकरण खरीदे गए हैं और पॉलिटेक्निक में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की गई है। इसके अलावा, पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए अच्छे संकाय को आकर्षित करने और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार करने के लिए दिनांक 21.07.2021 से अतिथि संकाय के मानदेय को बढ़ाकर डिग्री धारक के लिए 25,000/- रुपए प्रति माह और डिप्लोमा धारक के लिए 23,000/- रुपए प्रति माह कर दिया गया है।

युवा सेवाएं और खेल-कूद

14.134 विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव के बैनर के तहत लेह में "फिट इंडिया प्लॉग रन" का आयोजन किया, जिसमें लगभग 50 धावकों ने भाग लिया। सभी "शारीरिक शिक्षा मास्टर/शिक्षकों/रहबर-ए-खेल" के लिए दस दिवसीय री-ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। विभाग ने "खेलो इंडिया योजना" के अंतर्गत "फ्रीडम रन" का आयोजन किया। फिट इंडिया के अलावा, लेह में साइक्लोथॉन का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 70 साइकिल चालकों ने भाग लिया।

खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले

14.135 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, विभाग ने अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्रायोरिटी हाउसहोल्ड (पीएचएच) लाभार्थियों को 2601 मीट्रिक टन चावल और 1103 मीट्रिक टन गेहूं (आटा) का निःशुल्क वितरण किया है। राशन कार्ड के फर्जीवाड़े को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पात्र परिवार राशन कार्ड के लाभ से वंचित न हों, विभाग ने 99.27% राशन कार्डों और 90.24% लाभार्थियों को आधार से जोड़ने का कार्य पूरा कर लिया है। इसके अलावा, विभाग ने फर्जी राशन

कार्ड/व्यक्तियों को हटाने तथा नए राशन कार्ड/व्यक्तियों को जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है और तदनुसार 1459 राशन कार्ड सरेंडर कर दिए गए हैं, 34493 व्यक्तियों को हटा दिया गया है और 12,932 व्यक्तियों को जोड़ा गया है।

14.136 विभाग ने रासायनिक उर्वरक की खरीद कम कर दी है और आगामी फसल मौसम के दौरान आपूर्ति के लिए 7,030 क्विंटल वर्मीकम्पोस्ट खरीदी है। आवश्यक वस्तुओं की खरीद एवं भण्डारण का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा आवश्यक वस्तुओं को भण्डारण के लिए बर्फीले क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर के उपभोक्ता भंडारों में भेज दिया गया है। विभाग एग्लिंग (लेह) में दूध पाश्चराइजेशन संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं, जिससे लेह जिले में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

आपदा प्रबंधन

14.137 आपदा प्रबंधन विभाग ने 2.5 करोड़ रुपए के खोज एवं बचाव (एसएआर) उपकरण खरीदे हैं और सब-डिवीजन स्तर पर एसएआर उपकरणों का विकेन्द्रीकृत वितरण किया गया है। इसके अलावा, आपदागत आकस्मिकता के लिए 3.54 करोड़ रुपए के भारी मोटर वाहन (बीडी-50 चैन डोजर और बीडी-80 चैन डोजर) खरीदे गए हैं। इसके अतिरिक्त, कारगिल और द्रास में फंसे हुए यात्रियों के लिए आश्रय गृह का निर्माण शुरू किया गया है।

उद्योग और वाणिज्य

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

14.138 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू की है और इस योजना के अंतर्गत, सेवा उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक और विनिर्माण उद्यम स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत, 124 मामलों के लक्ष्य की तुलना में अब तक 110 मामले स्वीकृत किये जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री वन धन योजना

14.139 कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने तथा प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की सुविधा शुरू करने के लिए 10 "वन धन केंद्र (वीडीके)" स्थापित किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक केंद्र में 300 सदस्य हैं। वीडिके में, प्रशिक्षार्थियों को उन उत्पादों का मूल्य वर्धन करने लिए कार्यशील पूंजी प्रदान की जाती है, जो वे जनजातीय क्षेत्रों से एकत्र करते हैं। इसके अलावा, दोनों जिलों के 8 वन धन विकास केंद्रों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

हस्तशिल्प और हथकरघा

14.140 हस्तशिल्प विभाग ने लद्दाख में लक्षित उत्पादों हेतु प्रशिक्षण और विपणन के लिए एक कौशल विकास प्रशिक्षण परियोजना शुरू की है। क्षमता निर्माण एवं अवसंरचना के विकास की विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में एनआईएफटी और एनआईडी, अहमदाबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान के साथ भी सहयोग किया गया है, जिसके साथ विभिन्न क्षमता निर्माण संबंधी पहल की गई हैं। उद्योग और वाणिज्य विभाग ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) के सहयोग से लेह में एक आईटी सक्षम इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित किया है।

14.141 हथकरघा विकास विभाग बुनकरों को आधुनिक करघा उपलब्ध कराके, डिजाइन और बुनाई में प्रशिक्षण प्रदान करके उनके कौशल में वृद्धि, विपणन प्रोत्साहनों के माध्यम से हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग और राष्ट्रीय, संघ राज्य क्षेत्र एवं जिला स्तरीय हैंडलूम एक्सपो और मेलों में बुनकरों की भागीदारी के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र में हथकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण का कार्य कर रहा है। लद्दाख के उत्पादों का दुबई एक्सपो में प्रदर्शन किया गया और पश्मीना पर काम करने वाले उद्यमियों ने दुबई एक्सपो में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, लगभग अस्सी

कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों ने दिल्ली हाट में हथकरघा और हस्तशिल्प एक्सपो में भाग लिया।

पर्यटन

14.142 विभाग ने चादर ट्रेक तथा लेह और कारगिल जिलों के विभिन्न स्थानों पर "राष्ट्रीय पर्यटन दिवस-सह-स्वच्छता अभियान" आयोजित किया। विभाग ने अप्रैल 2021 में गारकोन, दारचिक्स, संजक, तुर्तुक, त्याक्शी, ढा और बियामा में खुबानी महोत्सव मनाया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पदुम, जांस्कर से मनाली, हिमाचल प्रदेश तक जीप सफारी का आयोजन किया गया और दिनांक 19.09.2021 को मनाली तथा केलोंग के ट्रेवल ट्रेड सदस्यों के साथ रोड शो और संवाद का आयोजन किया गया। विभाग ने दिनांक 26.10.2021 को गारकोन में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत "आइकोनिक वीक" उत्सव मनाया। वर्ष 2021-22 के दौरान, 968 विदेशी पर्यटक और 2,95,338 घरेलू पर्यटक लद्दाख घूमने आए।

समाज कल्याण

14.143 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत, 6,836 लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन प्रदान की गई है। एकीकृत सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत, 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की गई है और कुल 8,773 लाभार्थियों को कवर किया गया है।

एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस)

14.144 एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत, 0-06 वर्ष के आयु वर्ग के 18,700 लाभार्थी, 1516 गर्भवती महिलाएं और 2448 स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल हैं तथा 1,127 आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। आईसीडीएस के तहत सभी लाभार्थियों को कोविड वैश्विक महामारी के मद्देनजर उनके दरवाजे पर सूखा राशन उपलब्ध कराया गया। सितंबर, 2021 में "पोषण माह" मनाया गया और "स्वच्छता पखवाड़ा" के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया।

अध्याय-15

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

15.1 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय (ओआरजी एण्ड सीसीआई) गृह मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। इसके क्षेत्रीय निदेशालय 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय के मुख्यालय के लिए जनगणना भवन नाम से 2ए, मान सिंह रोड, नई दिल्ली पर नया कार्यालय भवन निर्माणाधीन है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय भवन की आधारशिला 23.09.2019 को रखी थी। वर्तमान में कार्यालय एनडीसीसी-II भवन से कार्य कर रहा है।

15.2 भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय मुख्यतः निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है:—

- (i) **मकानों तथा जनसंख्या की गणना:** भारत के जनगणना आयुक्त एक सांविधिक प्राधिकारी हैं जिन्हें जनगणना अधिनियम, 1948 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत भारत में मकानों एवं जनसंख्या की गणना करवाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। फील्ड संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाने, समन्वय और पर्यवेक्षण कराने; आंकड़ा संसाधन; जनगणना परिणामों के संकलन, सारणीकरण और प्रसार के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी है।
- (ii) **सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस):** जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, जिसमें जन्म और मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था है, के अंतर्गत भारत के जनगणना आयुक्त को भारत के महारजिस्ट्रार के रूप में भी नामोद्दिष्ट किया गया है। इस भूमिका में वह देश के सभी राज्यों और संघ राज्य

क्षेत्रों में सिविल रजिस्ट्रीकरण और जीवनांक प्रणाली के कार्य का समन्वय करते हैं।

- (iii) **सैम्पल पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस):** अर्द्धवार्षिक आधार पर जन्म एवं मृत्यु संबंधी घटनाओं का वृहद सैम्पल सर्वे अर्थात् सैम्पल पंजीकरण प्रणाली के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व भी भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय का है। एसआरएस देश में राज्य स्तर पर जन्म-दर, मृत्यु-दर, शिशु मृत्यु-दर तथा मातृ मृत्यु-दर जैसी जन्म एवं मृत्यु दरों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- (iv) **राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर):** नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत निरूपित नागरिकता नियमावली 2003, में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, देश में सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों से संबंधित सूचना एकत्रित करते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया जाता है।
- (v) **मातृभाषा सर्वेक्षण:** यह परियोजना मातृभाषा का सर्वेक्षण करती है, जोकि दो और अधिक जनगणना दशकों में लगातार पायी जाती है। अनुसंधान कार्यक्रम चयनित मातृ भाषाओं के भाषाई विशेषताओं का दस्तावेज़ बनाता है।

जनसंख्या की जनगणना

15.3 भारत में वर्ष 1872 से नियमित दशकीय जनगणनाओं की एक लंबी परम्परा रही है। पिछली जनगणना 2011 में करवाई गई थी। आगामी जनगणना 1872 से सतत क्रम में 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 8वीं जनगणना है। वर्ष 2021

के दौरान जनगणना कराने की मंशा भारत के राजपत्र में मार्च, 2019 में अधिसूचित की जा चुकी है।

15.4 जनसंख्या की गणना देश में सबसे बड़ी प्रशासनिक एवं सांख्यिकी कार्रवाई है। पिछली जनगणनाओं की तरह, जनगणना 2021 दो चरणों में की जानी थी, अर्थात् (क) अप्रैल-सितम्बर, 2020 के दौरान मकानसूचीकरण और मकानों की गणना तथा (ख) 9 से 28 फरवरी, 2021 के दौरान जनसंख्या की गणना, के साथ 1 मार्च से 5 मार्च, 2021 तक संशोधित दौर। मकानसूचीकरण और मकानों की गणना के संचालन की अवधि एवं मकानसूचीकरण प्रश्नावली से संबंधित अधिसूचनाएं भी अधिसूचित की गईं। हालांकि, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण, जनगणना 2021 और अन्य संबंधित फील्ड गतिविधियों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।

15.5 मकानसूचीकरण और मकानों की गणना, जनसंख्या गणना (द्वितीय चरण) के लिए स्पष्ट ढांचा उपलब्ध कराने के अलावा, मकानों की स्थिति, परिवारों के पास उपलब्ध सुविधाओं और उनके पास मौजूद परिसंपत्तियों पर बहुत उपयोगी डाटा प्रदान करेगा। दूसरे चरण में, व्यक्तियों के विभिन्न जनसांख्यिकीय, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक मापदण्डों के साथ प्रवासन और प्रजनन विशेषताओं के आंकड़े एकत्र किया जाना है।

15.6 विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों संबंधी योजनाएं बनाने में उपयोग करने हेतु देश के संबंध में परिणाम तैयार करने वाली प्रत्येक जनगणना के दौरान एकत्र किए गए वृहत आंकड़ों का समय पर प्रसंस्करण करना हमेशा से ही सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। विगत में प्रत्येक जनगणना के दौरान जनगणना के आंकड़ों का शीघ्रता से प्रसंस्करण और संकलन करने के लिए उपलब्ध नवीनतम आई टी प्रणालियों/प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना आवश्यक हो गया। हालांकि जनगणनाओं के दौरान फील्ड से आंकड़ों का एकत्रण शत-प्रतिशत था लेकिन 1991 तक कुछ मानकों के संबंध में इसके कम्प्यूटरीकरण का स्तर 5% से 45% तक रहा। ऑप्टिकल मार्क रीडर (ओएमआर)/ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर)/इन्टेलिजेन्ट कैरेक्टर रिकॉग्निशन (आईसीआर) इत्यादि जैसे अत्याधुनिक आईटी साधनों के

आविष्कार के पश्चात, पिछली दो जनगणनाओं 2001 और 2011 में इन आईटी साधनों के माध्यम से लगभग 100% आंकड़े एकत्र किए गए। आगामी जनगणना हेतु, जनगणना आंकड़ों के त्वरित प्रसंस्करण और शीघ्र जारी करने के लिए कुछ नई पहल की गई हैं।

15.7 भारत में दशकीय जनगणना करना एक विशाल कार्य है। इसलिए, आगामी जनगणना के लिए विभिन्न प्रारंभिक कार्य पहले से ही किए जा रहे हैं। किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं:

- (क) जनगणना 2011 के बाद हुए क्षेत्राधिकार परिवर्तनों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित विभागों के परामर्श के साथ संकलित किया जा चुका है और आगामी जनगणना के लिए घोषित निर्धारित तिथि अर्थात् 31.12.2019 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से संबंधित प्रशासनिक इकाईयों की सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है। हालांकि, कोविड-19 महामारी के प्रकोप और जनगणना गतिविधियों के स्थगन के कारण, सीमाओं को स्थिर करने की तारीख अब 30.06.2022 तक बढ़ा दी गई है;
- (ख) पिछली जनगणनाओं की प्रश्नावली की समीक्षा और उसी को अगली जनगणना हेतु अंतिम रूप देने के लिए संबंधित मंत्रालयों और भारत सरकार के विभागों के साथ चर्चा की गई है;
- (ग) जनगणना की स्थगित अवधि के दौरान स्मार्ट फोन के माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए विकसित किए गए आंतरिक मोबाइल ऐप का कड़ाई से परीक्षण/जांच किया गया है और जरूरी अपडेट तथा सुधार किए गए हैं;
- (घ) जनगणना संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों के प्रबंधन एवं निगरानी हेतु विकसित जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) पोर्टल को और भी अतिरिक्त कार्यक्षमताओं के साथ उन्नत किया गया है;
- (ङ) जनगणना प्रश्नों (i) मुखिया से संबंध (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, (iii) मातृ भाषा और अन्य ज्ञात भाषाएँ, (iv) व्यवसाय, (v) उद्योग,

व्यापार या सेवा की प्रकृति और (vi) जन्म स्थान/ अंतिम निवास स्थान, पर वर्णनात्मक उत्तरों से बचने के लिए, एक 'कोड निर्देशिका' बनाई गई है जिससे कि प्रगणक फील्ड में आंकड़ों को कोडीकृत कर सके, परिणामस्वरूप आंकड़े शीघ्र प्रसंस्कृत और जारी होंगे;

- (च) आगामी जनगणना से संबंधित विभिन्न मदों/मुद्दों पर सलाह देने के लिए भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त की अध्यक्षता में विषय के विशेषज्ञ, जनसांख्यिकी, संबंधित सरकारी विभागों के प्रतिनिधि आदि को शामिल करके एक तकनीकी सलाहकार समिति(टीएसी) का गठन किया गया। टीएसी और "जनगणना प्रश्नावली का विकास" और 'अगली जनगणना में प्रौद्योगिकी का उपयोग' पर गठित टीएसी की उप-समितियां प्रश्नावली और प्रौद्योगिकी को अंतिम रूप देने के लिए कई बार बैठक कर चुकी हैं;
- (छ) आगामी जनगणना के लिए अपनाई जाने वाली कार्य पद्धति, प्रस्तावित प्रश्न और सारणीकरण से संबंधित गहन विचार-विमर्श संबंधी मुख्य कार्यसूची के साथ अप्रैल, 2019 में एक आंकड़ा प्रयोक्ता सम्मेलन(डाटा यूजर सम्मेलन) आयोजित किया गया।
- (ज) आंतरिक विकसित मोबाइल ऐप, सीएमएमएस पोर्टल, कार्यपद्धति और आगामी जनगणना के लिए प्रस्तावित जनगणना प्रश्नावली की जांच के लिए अगस्त-सितंबर, 2019 में पूर्व-परीक्षण किया गया।
- (झ) डेटा संग्रह की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यकता के अनुसार विभिन्न जनगणना दस्तावेजों/मोबाइल ऐप का जनगणना में प्रयुक्त सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया है।
- (ञ) मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए प्रारूप सारणीकरण योजना तैयार कर ली गई है और जनसंख्या गणना के लिए तैयारी की जा रही है।

शीघ्र जारी करने को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्न नए कदम अपनाए जा रहे हैं:

- (क) डिजिटल आंकड़ों का एकत्रीकरण: आगामी जनगणना में डेटा संग्रह डिजिटल रूप से किया जाएगा। प्रगणक अपने स्मार्ट फोन का प्रयोग करते हुए, मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे आंकड़ों को एकत्रित और जमा कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, कनेक्टिविटी की समस्या होने पर कागज अनुसूची का भी प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त, जनगणना के दोनों चरणों अर्थात मकानसूचीकरण और मकानों की गणना तथा जनसंख्या गणना के दौरान स्व-गणना के लिए ऑनलाइन विकल्प रखने की भी योजना है।
- (ख) आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए प्रगणकों को अपने स्वयं के स्मार्ट फोन का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना;
- (ग) सीएमएमएस पोर्टल को जनगणना संबंधी विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए उपयोग किया जाएगा जैसे कि जनगणना कार्यकर्ताओं सहित प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और कार्य के आबंटन, जनगणना अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन, वास्तविक समय आधार पर प्रत्येक प्रगणक द्वारा फील्ड में कार्य की प्रगति, कुछ जनगणना रिकार्ड/सार का ऑटो-जेनेरेशन, जनगणना कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भत्ता/मानदेय के भुगतान हेतु प्रसंस्करण आदि;
- (घ) फील्ड में वर्णनात्मक उत्तरों को कोडीकृत करने के लिए प्रगणकों द्वारा एक कोड निर्देशिका का प्रयोग किया जाएगा जोकि जनगणना आंकड़ों को जारी करने के लिए समय सीमा को कम करेगा;
- (ङ) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से संबंधित जनगणना अधिकारियों के बैंक खातों में सभी प्रकार के भुगतान का ऑनलाइन हस्तांतरण होगा;

15.8 अगली जनगणना हेतु जनगणना आंकड़ों को

- (च) जनगणना –एक –सेवा के रूप में –(सीएएस) आम जनता को प्रश्न-आधारित आंकड़ा पुनःप्राप्ति हेतु एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफ़ेस (एपीआई) और आसानी से वेबसाइट से डाउनलोड करने योग्य फारमेट में आंकड़े उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालयों की मांग पर साफसुथरा, मशीन पठनीय और कार्रवाई योग्य प्रारूप में आंकड़े उपलब्ध करेगी।

15.9 केंद्र सरकार ने भारत की आगामी जनगणना के कार्य हेतु पहले ही 8754.23 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमोदन कर दिया है।

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अगली जनगणना के लिए मानचित्रण समाधान:

15.10 उन्नत भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर जनगणना कार्यों को सुगम बनाने की दिशा में कई नई पहल की गई हैं। जनगणना से पहले शुरू किए जाने वाले मानचित्रण से संबंधित कार्यों में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, जिलों, उप-जिलों, गाँवों, नगरों और नगरों के अंदर वार्डों की प्रशासनिक इकाइयों को दर्शाने वाले मानचित्रों को तैयार करने और अद्यतन करने का कार्य शामिल है ताकि देश के समग्र भौगोलिक क्षेत्र को उपयुक्त रूप से समाहित करना सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, वेब आधारित इंटरैक्टिव मानचित्रों के माध्यम से जनगणना परिणामों के प्रसार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में प्रारंभिक कार्य शुरू किया जा चुका है। इन पहलों में से कुछ इस प्रकार हैं:

- (क) मौजूदा जीआईएस सॉफ्टवेयर को नवीनतम संस्करणों में अपग्रेड किया गया है और त्वरित और कुशल तरीके से जनगणना मानचित्रण गतिविधियों को पूरा करने के लिए नए-मॉड्यूल खरीदे गए हैं और नवीनतम सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सभी मानचित्रण श्रमशक्ति को प्रशिक्षित किया गया है।
- (ख) जनगणना 2011 के पश्चात 31.12.2019 तक हुए क्षेत्राधिकार संबंधित परिवर्तनों को भू-संदर्भित डाटाबेस में अद्यतन किया जा चुका है और आगे अपडेशन जारी है चूंकि स्थिरता तारीख को 30.

06.2022 तक बढ़ा दिया गया है।

- (ग) जनगणना कार्यकर्ताओं के लिए 6 लाख से अधिक मानचित्र (जिला / उप-जिला / ग्राम स्तर) तैयार और सीएमएमएस पोर्टल में अपलोड किए जा रहे हैं और इन्हें 30.06.2022 तक हुए क्षेत्राधिकार के परिवर्तनों के अनुसार आगे अद्यतन और अंतिम रूप दिया जाएगा।
- (घ) पहली बार, देश में आगामी जनगणना के सभी गणना ब्लॉकों के भू-संदर्भीकरण के लिए मकानसूचीकरण ब्लॉक (एचएलबी) मोबाइल मानचित्रण ऐप शुरू किया गया है और राष्ट्रीय एवं मास्टर प्रशिक्षकों को इस पर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- (ङ) मानचित्रण ऐप के उपयोग पर अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में निर्देश पुस्तिका तैयार की गई है।
- (च) जनगणना के कवरेज की जाँच करने के लिए, देश भर में फ़ैले बिल्ट-अप एरिया (बीयूए) को डिजिटल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बीयूए परत का उपयोग मोबाइल मानचित्रण ऐप डेटा (फील्ड से प्राप्त करने के लिए) के साथ तुलना के लिए किया जाएगा, जिससे बेहतर कवरेज सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण (एमटीएसआई)

15.11 भारत की मातृभाषा सर्वेक्षण(एमटीएसआई) परियोजना को 576 मातृभाषाओं के फ़ील्ड वीडियोग्राफी से सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

15.12 प्रत्येक स्वदेशी मातृभाषा के मूल स्वरूप को संरक्षित रखने और विश्लेषण करने के लिए, यह योजना है कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र (नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर) पर एक वेब-अभिलेखागार स्थापित किया जाए। इस प्रयोजन हेतु आंतरिक भाषाविदों द्वारा भाषाई आंकड़े के उचित प्रकार से सम्पादन का कार्य प्रगति पर है।

भारत का भाषाई सर्वेक्षण (एलएसआई)

15.13 छठी पंचवर्षीय योजना से ओआरजी एवं सीसीआई में भारत का भाषाई सर्वेक्षण एक नियमित अनुसंधान गतिविधि है। इस परियोजना के तहत पिछले प्रकाशन की निरंतरता में, एलएसआई-झारखंड के खंड को अंतिम रूप दे दिया गया है एवं एलएसआई-हिमाचल प्रदेश पूरा होने के करीब है। एलएसआई-तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का फील्ड कार्य चल रहा है।

एमटीएसआई आंकड़ों का प्रलेखन और संरक्षण

15.14 यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) और राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम (एनएफडीसी) सर्वेक्षित मातृ भाषायी आंकड़ों के दस्तावेजीकरण और उन्हें दृश्य-श्रव्य माध्यम में संरक्षित करने में सहायनीय योगदान प्रदान कर रही हैं। वर्तमान में, संग्रहीत करने की दृष्टि से राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) के मुख्य सर्वर पर मातृभाषाओं के वीडियो-ग्राफड स्पीच आंकड़े अपलोड किए जा रहे हैं।

आंकड़ा प्रसार

15.15 गणना कार्य और आंकड़ा संसाधन के पूरा हो जाने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कार्य सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थानों, अध्येताओं, विद्यार्थियों और अन्य डाटा उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए इन परिणामों का प्रसार करना है। इसी प्रयोजन से, यह कार्यालय जनगणना से जनसंख्या, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, साक्षरों, कामगारों और गैर-कामगारों, मलिन बस्ती डाटा, आयु संबंधी डाटा और मकानों, परिवार संबंधी सुविधाओं और परिसम्पत्तियों संबंधी डाटा की उपयोगिता और जारी किए जाने के बारे में आंकड़ा उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए एक विस्तृत आंकड़ा प्रसार योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

15.16 निःशुल्क डाउनलोड के लिए ये डाटासेट आधिकारिक वेबसाइट <http://www.censusindia.gov.in> पर जारी किए जाते हैं। ये काम्पैक्ट डिस्क (सीडी) में भी उपलब्ध करवाए जाते हैं।

15.17 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा शुरू किया गया एक और प्रमुख अभिनव

कदम जनगणना से सैम्पल माइक्रो-आंकड़े लेकर उन पर अनुसंधान करने हेतु वर्कस्टेशनों की स्थापना करना है। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय की मंशा विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के अनुसंधानकर्ताओं को अनुसंधान के प्रयोजन से पिछली दो जनगणनाओं के सैम्पल माइक्रो-आंकड़ों तक पहुंच उपलब्ध करवाने की अनुमति देने की है। इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए, पूरे देश में 18 भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में वर्कस्टेशन स्थापित किए गए हैं।

15.18 ये वर्कस्टेशन जनगणना से प्राप्त सैम्पल माइक्रो आंकड़ों संबंधी अनुसंधान विषयक सभी सुविधाओं से पूर्ण हैं। ये पूर्णतया वातानुकूलित हैं तथा आंकड़ों तक पहुंच के लिए इनमें कम्प्यूटर टर्मिनलों का नेटवर्क है। इन वर्कस्टेशन में 1991 से 2011 जनगणना तक प्रकाशित सभी सारणी सॉफ्ट प्रति फ़ारमैट में, जनगणना 2011 हेतु जनसंख्या गणना(सीमित पैमाने) पर और जनगणना 2001 और 2011 से संबंधित मकानसूचीकरण के सूक्ष्म नमूना आंकड़ा (राष्ट्रीय स्तर पर 1% और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला स्तर पर 5%) उपलब्ध कराए गए हैं। विश्वविद्यालय/संस्थान का एक पदाधिकारी संबंधित वर्कस्टेशन पर तैनात किया जाता है जोकि अनुसंधानकर्ताओं को उनके अनुसंधान के लिए संचालन समूह से उसके अनुसंधान के लिए अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात उन्हें वर्कस्टेशन में उपलब्ध आंकड़ों तक पहुंच उपलब्ध करवाता है। अनुसंधानकर्ता को सारणीकरण के लिए उपलब्ध समाज विज्ञान संबंधी सांख्यिकी पैकेज (एसपीएसएस) और सांख्यिकीय आंकड़ा विश्लेषण (एसटीएटीए) साफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है।

15.19 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने भावी पीढ़ियों के प्रयोग के लिए 1872 से प्रकाशित सभी पुरानी जनगणना रिपोर्टों को डिजिटाइज करने और अभिलेखबद्ध करने संबंधी एक अन्य प्रमुख पहल की है। इन पुरानी जनगणना रिपोर्टों के 26 लाख से अधिक पृष्ठों को स्कैन तथा अपलोड किया गया है और निःशुल्क रूप से डाउनलोड करने के लिए इन्हें जनगणना की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है तथा इनको संपूर्ण भारत में जनगणना निदेशालयों और विश्वविद्यालयों/संस्थानों में

वर्कस्टेशनों पर भी उपलब्ध करवाया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

15.20 भारत में वर्ष 1872 से दशकीय जनगणना कार्य नियमित रूप से किए जाते हैं। इतने विशाल और वैविध्ययुक्त देश में सफलतापूर्वक जनगणना करवाने में प्राप्त विशेषज्ञता से हमें अपने अनुभवों को अन्य देशों तथा अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों नामतः सिंफोनिका, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्रों के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) और संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ) तथा अन्य संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों इत्यादि के साथ साझा करने में सहायता मिली है। वर्ष 2020-21 के दौरान, इस अनुभव साझाकरण ने एक नया आयाम ले लिया है। कोविड-19 के प्रकोप के कारण अब ऐसी बैठकें / सम्मेलन / कार्यशालाएँ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाती हैं जिसमें भौतिक इंटरफ़ेस के लिए बहुत कम गुंजाइश होती है।

आंतरिक प्रशिक्षण

15.21 अप्रैल, 2018 में भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय की प्रशिक्षण नीति (ओटीपी) प्रकाशित की गई। तदनुसार, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय का प्रशिक्षण प्रभाग, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय और विभिन्न जनगणना कार्य निदेशालयों में तैनात कर्मिकों को इनडक्शन / प्रौन्नति / सेवाकालीन / विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहा है।

15.22 इस कार्यालय की मंशा आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके कर्मचारियों की आंतरिक क्षमता को सुदृढ़ करना है। इस मंशा के साथ, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक गहन प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (टीएनए) करवाया गया था। टीएनए के माध्यम से सौंपे गए कार्य और कार्यक्षेत्र के अनुसार प्रशासन एवं स्थापना और सांख्यिकीय / जनसांख्यिकीय उपकरण एवं तकनीक पर सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान की गई।

15.23 अप्रैल-दिसंबर, 2021 के दौरान कुल 621 अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रमोशनल / इन-सर्विस / विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।

जीवनांक

सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस)

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 का कार्यान्वयन

15.24 देश में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण राज्य सरकारों द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के अंतर्गत नियुक्त किए गए कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। भारत के महारजिस्ट्रार पूरे देश में पंजीकरण संबंधी कार्यकलापों को समन्वित और एकीकृत करते हैं जबकि मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु इस अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए संबंधित राज्यों में मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी हैं। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आरबीडी अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसरण में भारत के महारजिस्ट्रार राज्यों को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के संबंध में सामान्य निदेश / दिशानिर्देश भी जारी करते हैं।

15.25 पिछले कुछ वर्षों से पंजीकृत जन्म और मृत्यु के अनुपात में नियमित वृद्धि देखी गई है। देश में जन्म का पंजीकरण स्तर 2010 के 82.0% से बढ़कर 2019 में 92.7% हो गया है। दूसरी ओर, मृत्यु के पंजीकरण का स्तर 2010 के 66.9% से बढ़कर 2019 में 92.0% हो गया है।

15.26 आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडू और संघ राज्य क्षेत्रों दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को छोड़कर अधिकतर राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में कुल मृत्यु पंजीकरण स्तर जन्म के पंजीकरण की तुलना में कम है। मृत्यु के पंजीकरण के कम स्तर का कारण आंशिक रूप से निवास-स्थान पर हुई मृत्यु और महिला एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु की रिपोर्ट न करना हो सकता है।

निर्धारित समय-सीमा के भीतर जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण

15.27 पंजीकरण करने की अवधि के अनुसार पंजीकृत

जन्म एवं मृत्यु को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रयोजनार्थ ली गई चार समयावधि निम्नानुसार हैं: i) निर्धारित समय-सीमा के भीतर (21 दिन तक), ii) 21 दिन के बाद पर 30 दिन के भीतर, iii) 30 दिन के बाद पर 1 वर्ष के भीतर और iv) 1 वर्ष बाद। वर्ष 2019 के दौरान जन्म एवं मृत्यु के 21 दिन की निर्धारित समय-सीमा के भीतर किए गए पंजीकरण संबंधी आंकड़े जन्म के लिए 31 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा और मृत्यु के लिए 30 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए हैं। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, सिक्किम और दिल्ली ने पंजीकरण के

समय अंतराल पर आंशिक डेटा प्रदान किया है और इसलिए डेटा को समेकित करते समय इस पर विचार नहीं किया गया है। हरियाणा ने मृत्यु के आंकड़े का समय अंतराल उपलब्ध नहीं कराया है। इन राज्यों द्वारा डेटा की आपूर्ति नहीं करने के लिए दिए गए कारणों में कम्प्यूटरीकरण और शासन के मुद्दों की कमी है।

15.28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2019 में निर्धारित समय-सीमा के भीतर कुल पंजीकरण में से प्राप्त पंजीकरण का प्रतिशत निम्नानुसार है:—

विवरण: निर्धारित समय-सीमा (21 दिन) के भीतर किया गया पंजीकरण

स्तर (प्रतिशत में)	राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	
	जन्म	मृत्यु
90 प्रतिशत से अधिक	लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, दादरा और नगर हवेली, मिजोरम, पंजाब, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दमन और दीव, ओडिशा, गोवा और पश्चिम बंगाल (15)	पंजाब, मिजोरम, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और दमन और दीव (11)
80 प्रतिशत से अधिक पर 90 प्रतिशत से कम या बराबर	आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल (3)	ओडिशा, गोवा, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, गुजरात, मध्य प्रदेश और तेलंगाना (7)
50 प्रतिशत से अधिक पर 80 प्रतिशत से कम या बराबर	राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम और मणिपुर (10)	छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, असम, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड (10)
50 प्रतिशत से कम या बराबर	उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड (3)	नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश (2)

15.29 उपर्युक्त विवरण से पता चलता है कि 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 21 दिन की निर्धारित समय-सीमा के भीतर कुल जन्म का 90 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण किया है। इसके अतिरिक्त, 21 दिन की समय-सीमा में जन्म पंजीकरण पूरा करने के संबंध में 3 राज्य 80 प्रतिशत से अधिक पर 90 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी में हैं, 10 राज्य 50 प्रतिशत से अधिक पर 80 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी में हैं और शेष 3

राज्य 50 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी में हैं।

15.30 मृत्यु के पंजीकरण के मामले में, उपर्युक्त विवरण दर्शाता है कि 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 21 दिन की निर्धारित समय-सीमा के भीतर कुल मृत्यु का 90% से अधिक पंजीकरण किया है। 21 दिन की निर्धारित समय-सीमा में मृत्यु पंजीकरण करने के संबंध में 7 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 80 प्रतिशत से अधिक पर 90 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी में हैं, 10 राज्य 50 प्रतिशत से

अधिक पर 80 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी में हैं और शेष 2 राज्य 50 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी के अंतर्गत हैं।

भारत में सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस) में सुधार

15.31 सी.आर.एस. को समयबद्धता, दक्षता और एकरूपता के संबंध में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप देश में जन्म और मृत्यु की विलम्बित और कम कवरेज हो रही है। आम जनता को त्वरित सेवा उपलब्ध करवाने में प्रणाली के सामने आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए भारत सरकार ने वास्तविक समय में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण हेतु न्यूनतम मानवीय भागीदारी सहित एक आईटी सक्षम तंत्र के माध्यम से देश की सिविल पंजीकरण प्रणाली में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। ये परिवर्तन प्रक्रिया को स्वचालित करने के रूप में होंगे ताकि समयबद्ध, एक समान और भेदभाव रहित सेवा उपलब्ध हो सके। ये परिवर्तन स्थाई, मापन योग्य तथा स्थान की सीमाओं से परे होंगे। यह परियोजना स्वरूपतः मॉड्युलर होगी जिसमें परिवर्तन के रोडमैप की संकल्पना, कार्यान्वयन सहित आईटी अनुप्रयोग का विकास, क्षमता निर्माण और रखरखाव शामिल होगा।

मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणन (एमसीसीडी)

15.32 जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के अंतर्गत मृत्यु के कारण के चिकित्सीय प्रमाणन संबंधी योजना (एमसीसीडी) मृत्यु के कारणों संबंधी आंकड़े उपलब्ध करवाती है जोकि जनसंख्या की स्वास्थ्य से संबंधित प्रवृत्तियों के अनुवीक्षण के लिए एक अनिवार्य शर्त है। निर्धारित फार्मों में प्राप्त आंकड़े रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के दसवें संशोधन (आईसीडी-10) पर आधारित मृत्यु के कारणों की राष्ट्रीय सूची के अनुसार सारणीकृत किए जाते हैं। एमसीसीडी 2018 रिपोर्ट आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित हो चुकी है और एमसीसीडी 2019 रिपोर्ट के लिए आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं।

15.33 वर्ष 2018 के लिए “मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणन” संबंधी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंजीकृत कुल 69,11,197 मृत्यु में से कुल 14,56,023 मृत्यु (9,00,075 पुरुष और 5,55,948

महिला) के चिकित्सीय रूप से प्रमाणित होने की सूचना दी गई है।

15.34 इस समय एमसीसीडी का दायरा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के चुनिन्दा अस्पतालों/सरकारी अस्पतालों तक ही सीमित है। राज्यों द्वारा एमसीसीडी का विस्तार सभी चिकित्सीय संस्थानों तक किए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

सैम्पल पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस)

15.35 राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर जन्म दर, मृत्यु दर तथा अन्य प्रजनन और मृत्यु दर संकेतकों का विश्वसनीय आकलन प्रदान करने के संबंध में सैम्पल पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) एक बड़े पैमाने का जनानिकी/जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है। एसआरएस एक दोहरे रिकार्ड वाली प्रणाली है जिसमें अंशकालिक निवासी प्रगणकों द्वारा जन्म और मृत्यु की सतत गणना और पर्यवेक्षकों द्वारा एक स्वतंत्र अर्धवार्षिक सर्वेक्षण किया जाना शामिल है। इन स्रोतों से मेल न खाते आंकड़ों को फील्ड में पुनः सत्यापित किया जाता है। यह सर्वेक्षण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा 1964-65 में कुछ चुनिन्दा राज्यों में प्रायोगिक आधार पर आरंभ किया गया था, जो लगभग 3700 सैम्पल इकाइयों को कवर करते हुए वर्ष 1969-70 में पूरी तरह से क्रियाशील हो गया। जीवनांक दरों में परिवर्तनों की निगरानी करने के उद्देश्य से, एसआरएस सैम्पलिंग फ्रेम को इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करने और इस प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने संबंधी प्रयासों के अतिरिक्त हर दस वर्ष में संशोधित किया जाता है। तात्कालिक एसआरएस सैपल में 8844 सैम्पल इकाइयां (4,960 ग्रामीण और 3,884 शहरी) थीं। यह 2011 जनगणना पर आधारित है और 01.01.2014 से प्रभावी है। सर्वेक्षण में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर वार्षिक रूप से एसआरएस बुलेटिन, एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट और एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका निकाली जाती है।

15.36 वर्ष 2019 के संबंध में, जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर और नवजात मृत्यु दर के आकलनों वाले एसआरएस बुलेटिन 2019 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से जारी कर दिए गए हैं। अनुमान अनुलग्नक-XVIII में

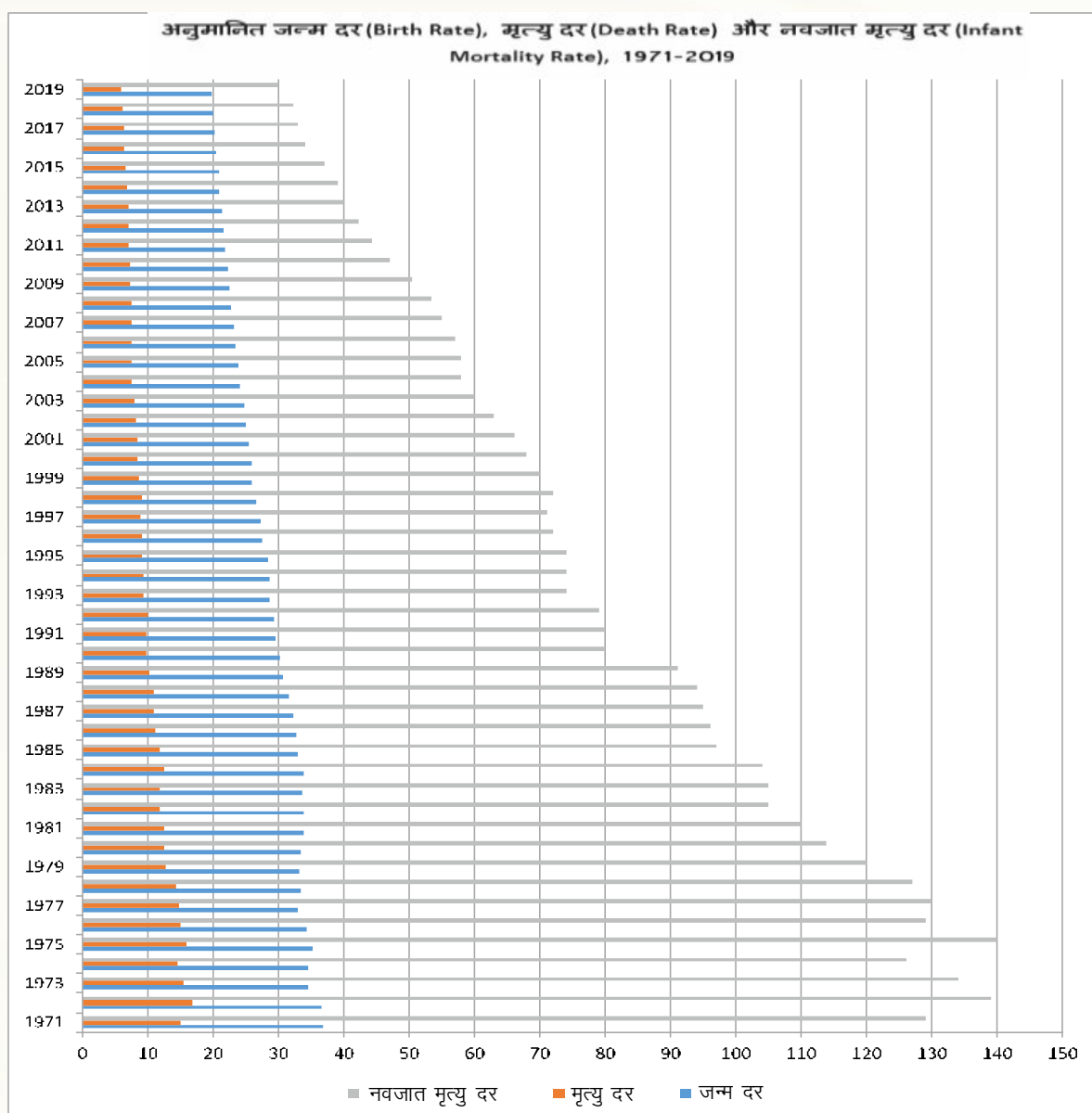
दिए गए हैं। वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय स्तर की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:-

- (क) अखिल भारतीय स्तर पर प्रति 1000 जनसंख्या के लिए अशोधित जन्म दर (सीबीआर) 19.7 है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 21.4 और शहरी क्षेत्रों के लिए 16.4 है। बड़े राज्यों में, सीबीआर सबसे कम (13.5) केरल में और सबसे अधिक (25.8) बिहार में है।
- (ख) अखिल भारतीय स्तर पर प्रति 1000 जनसंख्या के लिए अशोधित मृत्यु दर (सीडीआर) 6.0 है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 6.5 और शहरी क्षेत्रों के लिए 5.0 है। बड़े राज्यों में दिल्ली में सबसे

कम (3.2) दर्ज किया गया और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक (7.3) दर्ज हुआ।

- (ग) नवजात (<एक वर्ष) मृत्यु दर (आईएमआर) अखिल भारत के लिए प्रति 1000 जीवित जन्म के लिए 30, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 34 और शहरी क्षेत्रों के लिए 20 है। बड़े राज्यों में केरल में सबसे कम (6) दर्ज हुआ और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक (46) आईएमआर संख्या है।

15.37 निम्नलिखित ग्राफ भारत की 1971 से 2019 तक की अनुमानित जन्म दर, मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर दिखाता है:



15.38 उपर्युक्त के अलावा, एसआरएस सांख्यिकीय रिपोर्ट – 2018 जारी कर दी गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पांच वर्ष की आयु से कम मृत्यु दर(यू5एमआर), जन्म के समय लिंगानुपात, कुल प्रजननता दर(टीएफआर) दी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर पायी गई मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:-

- देश में यू5एमआर के संबंध में 2017 की तुलना में 1 अंक (2017 में 37 की तुलना में 2018 में 36) की कमी आयी है।
- देश में जन्म के समय लिंगानुपात 2015-2017 में 896 की तुलना में 2016-2018 में 899 अनुमानित किया गया।
- देश में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2018 और 2017 में 2.2 पर स्थिर है। 2018 में बिहार में सबसे अधिक टीएफआर (3.2) दर्ज किया गया जबकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में सबसे कम टीएफआर (1.5) दर्ज किया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिस्थापन स्तर टीएफआर, अर्थात् 2.1 इन 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्राप्त किया है अर्थात् दिल्ली (1.5), पश्चिम बंगाल (1.5), तमिलनाडु (1.6), आन्ध्र प्रदेश (1.6), जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख (1.6), पंजाब (1.6), हिमाचल प्रदेश (1.6), तेलंगाना(1.6), महाराष्ट्र (1.7), केरल (1.7), कर्नाटक(1.7), उत्तराखण्ड (1.8), ओडिशा (1.9) और गुजरात (2.1)। औसतन, राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्रामीण महिला (जिसका टीएफआर 2.4 है) शहरी महिला (जिसका टीएफआर 1.7 है) की तुलना में एक अधिक बच्चे को जन्म देती है।

15.39 सैम्पल पंजीकरण प्रणाली(एसआरएस) के तहत भारत की 2016-2018 में मातृ मृत्यु-दर से संबंधित विशेष बुलेटिन जारी की गई है। भारत में मातृ मृत्यु दर अनुपात 2015-2017 में 122 से घटकर 2016-2018 में 113 हो गई है।

15.40 वर्ष 2014-2018 के लिए एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन सारणियां भी जारी की गई हैं। इस अवधि के लिए भारत और बड़े राज्यों के संबंध में लिंग और निवास के

आधार पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा अनुलग्नक-XIX में दी गई है। पिछले चार दशकों के दौरान 19.7 वर्ष की वृद्धि के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.4 वर्ष है। जन्म के समय पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा 68.2 वर्ष है जबकि महिलाओं के लिए 70.7 वर्ष है। बड़े राज्यों में जीवन प्रत्याशा केरल और दिल्ली में सबसे अधिक (75.3 वर्ष) और सबसे कम (65.2 वर्ष) छत्तीसगढ़ में है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 68.0 है, पुरुषों के लिए 66.7 वर्ष और महिलाओं के लिए 69.3 वर्ष। शहरी क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा 72.6 वर्ष है, पुरुषों के लिए 71.5 वर्ष और महिलाओं के लिए 73.8 वर्ष।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)

15.41 सरकार ने देश में 2010 में सभी "समान्य निवासियों" की विशिष्ट जानकारी एकत्रित करते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार किया है। एनपीआर नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत निरूपित नागरिकता नियमावली, 2003 के विभिन्न प्रावधानों के तहत तैयार किया जाता है। 2015 में, कुछ मदों जैसे कि नाम, लिंग, जन्म तिथि एवं स्थान, निवास स्थान और पिता के और माता के नाम को अद्यतित किया गया था और आधार, मोबाइल और राशन कार्ड संख्या एकत्रित किए गए थे। जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण बदलावों को शामिल करने के लिए, इसे फिर से अद्यतित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने असम राज्य को छोड़कर पूरे देश में जनगणना 2021 की मकानसूचीकरण चरण के साथ अप्रैल से सितंबर, 2020 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की सुविधानुसार, एनपीआर डाटाबेस को अद्यतन करने का निर्णय लिया। हालांकि, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण, एनपीआर अद्यतनीकरण का कार्य और अन्य संबंधित फील्ड कार्यों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। एनपीआर डाटाबेस के अद्यतनीकरण के लिए तीन माध्यमों को अपनाया जाएगा। जिसमें शामिल होगा (i) स्वयं से अद्यतनीकरण, जिसमें निवासियों को अपने स्वयं के डाटा फील्ड को कुछ प्रामाणिक प्रोटोकॉल का पालन कर वेब पोर्टल में अद्यतन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है, (ii) एनपीआर आंकड़ों का कागज

फ़ारमैट में अद्यतनीकरण और (iii) मोबाइल मोड से। जनगणना के पूर्व-परीक्षण के साथ असम को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चयनित क्षेत्रों में एनपीआर अद्यतनीकरण पर पूर्व-परीक्षण किया गया था। प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के जनसांख्यिकीय और अन्य विवरणों को एनपीआर के अपडेशन कार्य के दौरान एकत्र/अद्यतित किया जाना है। अद्यतनीकरण के दौरान कोई दस्तावेज़ या बायोमेट्रिक एकत्रित नहीं किए जाएंगे।

15.42 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अद्यतनीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 3941.35 करोड़

रुपए के व्यय को पहले ही अनुमोदित कर दिया है।

असम में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) का अद्यतनीकरण

15.43 माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार, शामिल किए गए व्यक्तियों की अनुपूरक सूची की हार्ड कॉपी और शामिल न किए गए व्यक्तियों की परिवार-वार ऑनलाइन सूची राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), असम में दिनांक 31.08.2019 को प्रकाशित की गई है। कुल 3,11,21,004 व्यक्ति अंतिम एनआरसी में शामिल होने के लिए योग्य पाए गए और 19,06,657 व्यक्ति अयोग्य पाए गए।

अध्याय-16

केंद्र—राज्य संबंध और अन्य विविध विषय

भाग— I केंद्र — राज्य संबंध

अंतर—राज्य परिषद (आईएससी)

16.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, इसकी संवैधानिक इकाइयों के बीच नीतियों और उनके कार्यान्वयन में समन्वय के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना किए जाने की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, अंतर—राज्य परिषद (आईएससी) का गठन वर्ष 1990 में दिनांक 28.05.1990 के राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से किया गया था।

16.2 अंतर—राज्य परिषद (आईएससी) को ऐसे विषयों की जांच और उन पर विचार विमर्श करने का कार्य सौंपा गया है, जिनमें कुछ अथवा सभी राज्यों अथवा केंद्र और एक या अधिक राज्यों के साझा हित शामिल हैं तथा उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के बीच बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है। यह राज्यों के सामान्य हित के ऐसे अन्य मामलों पर भी विचार—विमर्श करती है, जो परिषद के अध्यक्ष द्वारा उनके समक्ष लाये जाते हैं।

16.3 माननीय प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं। सभी राज्यों और विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के मुख्यमंत्री, विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रशासक, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल और परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित केन्द्रीय मंत्रिपरिषद से कैबिनेट रैंक के छह मंत्री इस परिषद के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष द्वारा एजेंडे के आधार पर केंद्र सरकार के अन्य मंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

16.4 परिषद सचिवालय, अंतर—राज्य परिषद

(आईएससी) द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और “की गई कार्रवाई” की रिपोर्ट स्थायी समिति/आईएससी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता है।

अंतर—राज्य परिषद की बैठकें

16.5 अब तक, अंतर—राज्य परिषद (आईएससी) की 11 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। अंतर—राज्य परिषद की 11वीं बैठक 16 जुलाई, 2016 को आयोजित की गई थी। परिषद की बैठकें बंद कमरे में आयोजित की जाती हैं और सभी मामलों, जो परिषद के समक्ष विचारार्थ लाए जाते हैं, पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है तथा सर्वसम्मति के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।

केंद्र—राज्य संबंधों पर आयोग

16.6 भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में केंद्र—राज्य संबंधों पर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.03.2010 को सरकार को प्रस्तुत की थी।

16.7 दिनांक 16.07.2016 को आयोजित अंतर—राज्य परिषद (आईएससी) की 11वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, स्थायी समिति द्वारा दिनांक 09.04.2017, 25.11.2017 और 25.05.2018 को आयोजित अपनी बैठकों में सभी संस्करणों में निहित सिफारिशों पर विचार किया गया है। पुंछी आयोग की सिफारिशों और उन पर स्थायी समिति के मत राज्य सरकारों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए उन्हें भेज दी गई हैं।

अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति

16.8 परिषद के विचारार्थ आने वाले मामलों पर सतत परामर्श और कार्रवाई के लिए वर्ष 1996 में अंतर-राज्य परिषद (आईएससी) की स्थायी समिति का गठन किया गया था। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, जिसमें चार केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और सात मुख्य मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं। अंतर-राज्य परिषद (आईएससी) की स्थायी समिति के गठन के समय से लेकर अब तक इसकी 13 बैठकें हो चुकी हैं।

क्षेत्रीय परिषद

क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका और कार्य

16.9 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पांच क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय के रूप में गठित हैं, जिनका गठन अंतर-राज्य एवं क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान करने, संतुलित सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने और सद्भावनापूर्ण केन्द्र-राज्य संबंध बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को एक साझा प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। सदस्य राज्यों के मुख्य मंत्री और दो मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) से दो सदस्य होते हैं।

16.10 प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने एक स्थायी समिति का गठन किया है, जिनमें संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होते हैं। मुद्दों को निपटाने अथवा क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों के लिए आवश्यक आरंभिक कार्य करने हेतु स्थायी समितियों की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाती हैं।

16.11 नीति आयोग, केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी आवश्यकता के आधार पर इन बैठकों में शामिल किए जाते हैं।

क्षेत्रीय परिषदों और स्थायी समितियों की बैठकें

16.12 क्षेत्रीय परिषद की इसके गठन के समय से लेकर

अब तक 128 बैठकें हो चुकी हैं। अब तक, स्थायी समितियों की 67 बैठकें हो चुकी हैं।

16.13. राज्यों में कोविड-19 वैश्विक महामारी की गंभीर स्थिति के कारण, मार्च 2020 से अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की बैठकें नहीं बुलाई जा सकी। माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 14.11.2021 को तिरुपति (आंध्र प्रदेश) में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना राज्य तथा पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, की 29वीं बैठक आयोजित की गई।

16.14. उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की एक बैठक मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 03.12.2021 को शिमला में आयोजित की गई।

भाग-II अन्य विविध विषय

पुरस्कार एवं अलंकरण

भारत रत्न पुरस्कार

16.15 वर्ष 1954 में शुरू किया गया, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा/उच्चकोटि के कार्यनिष्पादन के लिए सम्मान स्वरूप दिया जाता है। गणतंत्र दिवस, 2019 की पूर्व संध्या पर घोषित भारत रत्न अलंकरण, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 08.08.2019 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक अलंकरण समारोह में प्रदान किए गए। यह पुरस्कार श्री नानाजी देशमुख (मरणोपरांत), डॉ. भूपेंद्र कुमार हजारिका (मरणोपरांत) और श्री प्रणब मुखर्जी को प्रदान किया गया। अब तक, यह पुरस्कार 48 व्यक्तियों को दिया गया है।

पद्म पुरस्कार

16.16 पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों, नामतः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों/गतिविधियों वाले

क्षेत्रों यथा कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान एवं इंजिनियरी, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा और अन्य कार्यों के लिए दिए जाते हैं। पद्म विभूषण किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है; पद्म भूषण उच्च श्रेणी की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है।

16.17 वर्ष 2016 से पहले, पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन ऑफलाइन माध्यम अर्थात हार्ड कॉपी द्वारा प्राप्त किए जाते थे। आम नागरिक के लिए नामांकन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से, वर्ष 2016 से पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया के कारण प्राप्त नामांकनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2015 में प्राप्त 2311 नामांकनों के मुकाबले, वर्ष 2021 में 4,85,122 नामांकन प्राप्त हुए हैं।

16.18 सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, उत्कृष्ट संस्थानों और भारत रत्न/पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों से भी प्रतिवर्ष पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, गैर-सरकारी व्यक्तियों, संगठनों आदि से स्वयं उनकी ओर से भी अनेक सिफारिशें प्राप्त होती हैं।

16.19 इन सभी सिफारिशों को विचारार्थ पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती हैं और ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं।

16.20 नवंबर, 2021 में, भारत के राष्ट्रपति ने 145 पुरस्कार विजेताओं को पद्म पुरस्कार-2020 से सम्मानित किया, जिसमें 4 संयुक्त पुरस्कार शामिल हैं (संयुक्त पुरस्कार को एक ही पुरस्कार माना जाता है)। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 122

पद्म श्री पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्ति शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 33 महिलाएं थीं तथा इस सूची में विदेशियों/ एनआरआई/ पीआईओ/ ओसीआई श्रेणी के 18 व्यक्ति और 19 मरणोपरांत मामले (व्यक्ति) भी शामिल हैं। नवंबर 2021 में, भारत के राष्ट्रपति ने 120 पुरस्कार विजेताओं को भी पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया (जिसमें 1 संयुक्त पुरस्कार भी शामिल है, जिसे एक पुरस्कार ही गिना जाता है)। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 103 पद्म श्री पुरस्कार विजेता शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 29 महिलाएं शामिल थीं तथा इस सूची में विदेशी नागरिक/ एनआरआई/ पीआईओ/ ओसीआई श्रेणी के 10 व्यक्ति, 19 मरणोपरांत मामले (व्यक्ति) और 01 ट्रांसजेंडर पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। गणतंत्र दिवस, 2022 के अवसर पर, भारत के राष्ट्रपति ने 127 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने को मंजूरी दी है, जिसमें 2 संयुक्त पुरस्कार शामिल हैं (संयुक्त पुरस्कार को एक ही पुरस्कार माना जाता है)। इस सूची में 4 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 107 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 34 महिलाएं हैं तथा इस सूची में विदेशी नागरिक/ एनआरआई/ पीआईओ/ ओसीआई श्रेणी के 10 व्यक्ति और 13 मरणोपरांत मामले (व्यक्ति) शामिल हैं।

वीरता पुरस्कार

16.21 रक्षा मंत्रालय की देखरेख में अशोक चक्र शृंखला के वीरता पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दो बार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं। इस संबंध में सिविलियन नागरिकों से संबंधित सिफारिशों पर गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है।

16.22 नवंबर 2021 में, भारत के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस 2021 के लिए, 8 नागरिक पुरस्कार दिए, जिसमें 04 कीर्ति चक्र और 04 शौर्य चक्र शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर, भारत के राष्ट्रपति ने 8 नागरिक सम्मान दिए जाने का अनुमोदन प्रदान किया था, जिसमें

01 अशोक चक्र, 01 कीर्ति चक्र और 06 शौर्य चक्र शामिल हैं। भारत के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर, 06 शौर्य चक्र प्रदान किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

जीवन रक्षा पदक पुरस्कार

16.23 जीवन रक्षा पदक श्रेणी के पुरस्कार वर्ष 1961 में शुरू किए गए थे। जैसा कि पुरस्कार के नाम से ही प्रतीत होता है, यह पुरस्कार किसी व्यक्ति की जान बचाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है।

16.24 ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं, नामतः सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, जो जान बचाने वाले व्यक्ति को उसके जीवन को अत्यधिक गंभीर खतरा होने की परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए; उत्तम जीवन रक्षा पदक, जो जान बचाने वाले व्यक्ति को उसके जीवन को गंभीर खतरा होने की परिस्थितियों में साहस एवं तत्परता के लिए; और जीवन रक्षा पदक, जो जान बचाने वाले व्यक्ति को उसके गम्भीर रूप से घायल होने की परिस्थितियों में साहस और तत्परता के लिए किसी व्यक्ति को डूबने, आग, दुर्घटना, बिजली का झटका लगने, भूस्खलन, पशु आक्रमण इत्यादि से जान बचाने के कृत्य या मानव प्रकृति के कृत्यों में दिया जाता है।

16.25 इन पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रत्येक वर्ष समस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की सरकारों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से आमंत्रित किए जाते हैं। इन पर एक पुरस्कार समिति द्वारा विचार किया जाता है। पुरस्कार समिति की सिफारिशों को प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

16.26 इन पुरस्कारों के लिए समारोह का आयोजन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं से संबंधित राज्य की राजधानियों में किया जाता है, जहाँ पुरस्कार विजेताओं को पदक और गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र दिया जाता है। पुरस्कार विजेताओं को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 2,00,000/-रुपए, उत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 1,50,000/- रुपए और जीवन रक्षा पदक के लिए 1,00,000/- रुपए की दर से एकमुश्त धनराशि भी दी जाती है।

16.27 भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2021 के लिए 06 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 16 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 29 जीवन रक्षा पदक पुरस्कार प्रदान करने का अनुमोदन प्रदान किया है।

सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार

16.28 भारत सरकार ने वर्ष 2019 में इसकी शुरुआत की है, जो भारत की एकता और अखंडता के लिए योगदान देने के क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने तथा एक मजबूत एवं एकजुट भारत के मूल्य को सशक्त करने के लिए भारत के नागरिकों/ संस्थानों/संगठनों द्वारा किए गए उल्लेखनीय एवं प्रेरणादायक योगदान को सम्मान देना है।

सतर्कता तंत्र

16.29 गृह मंत्रालय (मुख्य) के सतर्कता तंत्र के प्रमुख संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी हैं, जो मंत्रालय के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में कार्य करते हैं। एक निदेशक/ उप सचिव, एक अवर सचिव और दो अनुभाग अधिकारियों एवं सहायक कर्मचारियों वाले एक सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा मंत्रालय (मुख्य) में मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यों में उनकी सहायता की जाती है।

16.30 गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन प्रत्येक संगठन में अलग से सतर्कता प्रभाग है। इन सतर्कता प्रभागों के प्रमुख अपेक्षाकृत वरिष्ठ स्तर के अधिकारी होते हैं, जो संगठनों के संबंधित प्रमुखों को सहायता प्रदान करते हैं। मंत्रालय का मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) केंद्रीय सतर्कता आयोग का अतिरिक्त हाथ होने के नाते, केंद्रीय सतर्कता आयोग और मंत्रालय एवं इसके अधीन संगठनों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है।

16.31 गृह मंत्रालय में अनुशासनात्मक/सतर्कता गतिविधियों के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ, मुख्य रूप से

जिम्मेदार है, जिसमें मंत्रालय में पदस्थापित अधिकारियों की वार्षिक प्रोपर्टी रिटर्न, वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट इत्यादि के रखरखाव से संबंधित मामले शामिल हैं। यह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ संगठनों के साथ "सत्यनिष्ठा" से जुड़े मामलों समेत सतर्कता गतिविधियों का समन्वय भी करता है, ताकि मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों में अनुशासन, कार्यकुशलता और सत्यनिष्ठा बनाए रखी जा सके। सतर्कता तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, गृह मंत्रालय ने व्यापक रूप से निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

- क) प्रभाग प्रमुखों के साथ निरंतर तालमेल बनाए रखा जाता है, ताकि इन प्रभागों में कार्यरत अधिकारियों की गतिविधियों पर गहन निगरानी सुनिश्चित की जा सके।
- ख) 'संवेदनशील' पदों पर पदस्थापित अधिकारियों को नियमित आधार पर रोटेट किया जाता है। मंत्रालय के अधीन संगठनों द्वारा ऐसे ही प्रयास किए जाते हैं।
- ग) संवेदनशील काम करने वाले अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों के संबंध में, आसूचना एजेंसियों के माध्यम से 'पोजिटिव वेटिंग' कराई जा रही है।
- घ) 'संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों' की सूचियां और 'सहमति सूची' रखी जाती है। संबंधित संगठनों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ विचार-विमर्श कर उनकी आवधिक समीक्षा की जाती है।
- ङ) मंत्रालय के अधीन संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों के सतर्कता अधिकारियों के साथ नियमित बैठकों के माध्यम से सत्यनिष्ठा से संबंधित मामलों पर निगरानी रखी जाती है। इस संबंध में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को एक मासिक रिपोर्ट भी भेजी जाती है।
- च) मंत्रालय में शिकायतों, रिपोर्टों, आंतरिक जांच इत्यादि के तहत सृजित होने वाले सतर्कता/अनुशासनात्मक मामलों को उपयुक्त प्राथमिकता

प्रदान की जाती है और जहां भी आवश्यक होता है, दोषी अधिकारियों के खिलाफ मामले उनके संवर्ग प्राधिकारियों को संबंधित सेवा नियमों के तहत कार्रवाई किए जाने हेतु भेजे जाते हैं। इसी प्रकार, जिन मामलों में मंत्रालय कार्रवाई करने के लिए स्वयं सक्षम है, उनमें सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त ध्यान दिया जाता है।

16.32 दिनांक 26.10.2021 से 01.11.2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, गृह मंत्रालय के कर्मचारियों को कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उनके अनुभाग परिसरों में दिनांक 26.10.2021 को "सत्यनिष्ठा की शपथ" दिलाई गई। भ्रष्टाचार-रोधी नारों को दर्शाते हुए, विभिन्न स्थानों पर बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे। मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

16.33 वर्ष 2021-22 के दौरान (दिनांक 31.12.2021 तक की स्थिति के अनुसार) गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों में निपटाए गए सतर्कता और अनुशासनात्मक संबंधी मामले तालिकाबद्ध रूप में संलग्न हैं (अनुलग्नक-XX)।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

16.34 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत, सूचना का अधिकार (आरटीआई) से संबंधित कार्य का समन्वय करने के लिए गृह मंत्रालय में एक नोडल आरटीआई (सूचना का अधिकार) अनुभाग स्थापित किया गया था। यह अनुभाग आवेदनों का संग्रहण, वितरण करता है तथा आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने से संबंधित आवेदन को विषय से संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकारियों को भेजता है तथा केन्द्रीय सूचना आयोग को आरटीआई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति और निपटान संबंधी तिमाही विवरणियां प्रस्तुत करता है।

(क) मंत्रालय के पदाधिकारियों और उनके कार्यों आदि के ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट

(<http://mha.gov.in>) के आरटीआई पोर्टल पर डाले गए हैं, जैसा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1) के तहत अपेक्षित है।

- (ख) अधिनियम की धारा 5(1) के तहत उप सचिव/निदेशक स्तर के सभी अधिकारियों को उनके द्वारा निपटाए जा रहे विषयों के संबंध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में पदनामित किया गया है।
- (ग) अधिनियम की धारा 19 (1) के अनुसार संयुक्त सचिवों और इससे उपर स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया है।
- (घ) आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनों की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए, मंत्रालय के सभी चार भवनों नामतः नॉर्थ ब्लॉक, एनडीसीसी-II भवन, एमडीसी नेशनल स्टेडियम और जैसलमेर हाउस के स्वागत कक्ष में आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। आरटीआई अनुभाग द्वारा इस प्रकार प्राप्त आवेदनों को आगे संबंधित सीपीआईओ/लोक प्राधिकारियों को भेजा जाता है।
- (ङ) वर्ष 2021-22 के दौरान अर्थात् दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक, 7033 आरटीआई आवेदन और 585 प्रथम अपील ऑनलाइन प्राप्त हुई; तथा 2287 आवेदन और 114 प्रथम अपील मैन्युअल/ऑफलाइन मोड में प्राप्त हुए। इनका तत्परता से निपटान किया गया और आवेदकों को सूचना देने के लिए इन्हें संबंधित सीपीआईओ/लोक प्राधिकारियों को हस्तांतरित/अग्रेषित किया गया।
- (च) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.04.2013 के का.ज्ञा. सं. 1/5/2011-आईआर के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के पैरा 1.4.1 के अनुसार, यह मंत्रालय आरटीआई के सभी आवेदनों, अपीलों तथा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारियों के उत्तरों को नियमित रूप से अपनी

आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है।

सचिवालय सुरक्षा संगठन

16.35 गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के अन्तर्गत आने वाले सरकारी भवनों की सुरक्षा करने के लिए सचिवालय सुरक्षा संगठन (एसएसओ) नोडल एजेंसी है। इस समय गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर में आने वाले ऐसे 61 भवन हैं, जिनमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कार्यालय कार्य कर रहे हैं। ये भवन दिल्ली में लगभग 16 किमी. की परिधि में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं।

16.36 गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के तहत आने वाले सरकारी भवनों तक पहुंच का नियंत्रण कार्य, स्वागत संगठन के माध्यम से एसएसओ द्वारा किया जाता है। स्वागत संगठन में 148 कर्मचारी हैं, जो 47 सरकारी भवनों में स्थित 62 स्वागत कार्यालयों में कार्यरत हैं। इन भवनों में आगंतुकों के प्रवेश को विभिन्न स्वागत कार्यालयों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। इन कार्यालयों से आगंतुक पास जारी किए जाते हैं और उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। आगंतुक पास पूर्व-निर्धारित स्तर के अधिकारियों से यह पुष्टि करने के बाद ही जारी किए जाते हैं कि आगंतुक को प्रवेश की अनुमति दी जानी है या नहीं।

16.37 सचिवालय सुरक्षा संगठन का दायित्व गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर वाले भवनों की सुरक्षा और उनमें प्रवेश नियंत्रण से संबंधित नीतियां बनाना एवं उनका कार्यान्वयन करना है। वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) के कार्मिक सरकारी भवन की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं। सरकारी भवनों के वर्गीकरण के आधार पर सीआईएसएफ अथवा एसएसएफ के सुरक्षा कार्मिकों को इन भवनों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। विशेष रूप से, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक प्रभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी भवनों की सशस्त्र सुरक्षा हेतु सीआईएसएफ में "सरकारी भवन सुरक्षा" (जीबीएस) यूनिट नामक एक समर्पित यूनिट बनाई गई है। सीआईएसएफ की जीबीएस यूनिट 'ए' (अति संवेदनशील) और 'बी' (संवेदनशील) श्रेणी के सरकारी भवनों की सुरक्षा की देखभाल करती है और उसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गये हैं:-

- (क) **प्रवेश नियंत्रण** — यह सुनिश्चित करना कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति, वाहन या सामग्री को सरकारी भवनों और उनके परिसरों में प्रवेश की अनुमति न दी जाए, केवल गृह मंत्रालय द्वारा जारी वैध पहचान-पत्र धारक प्रामाणिक व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, वैध अस्थायी/दैनिक आगन्तुक पास धारक आगन्तुकों को प्रवेश की अनुमति उनके बैगों/ब्रीफकेसों आदि की जांच सहित उनकी जांच-पड़ताल/तलाशी के बाद ही दी जाती है।
- (ख) **आतंकवाद-रोधी उपाय** — ये बल मुख्य रूप से भवनों में आतंकवाद-रोधी उपाय करने के लिए उत्तरदायी है।
- (ग) **बलपूर्वक प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण** — इन भवनों में किसी भी बलपूर्वक प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण के प्रयास को रोकना/उनका सामना करना और ऐसे बलपूर्वक प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण के खिलाफ प्रथम कार्रवाईकर्त्ता के रूप में प्रभावी कार्रवाई करना।
- (घ) **बिना आज्ञा प्रवेश** — भवन में किसी भी प्रकार के बिना आज्ञा प्रवेश को रोकना, उसका पता लगाना और उसे निष्प्रभावी करना।
- (ङ) **निकास नियंत्रण**— भवन से सरकारी सम्पत्ति की चोरी रोकना।

16.38 सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) गृह मंत्रालय का 1254 कार्मिकों की स्वीकृत संख्या वाला असैनिक निःशस्त्र बल है, जिसका गठन विशेष रूप से सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए किया गया है। वर्तमान में, एसएसएफ गृह मंत्रालय की सुरक्षा कवर वाले 'सी' (कम संवेदनशील) श्रेणी के सरकारी भवनों की सुरक्षा को देख रहा है।

राजभाषा

16.39 गृह मंत्रालय का राजभाषा प्रभाग, इस मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम 1963 (वर्ष 1967 में यथा संशोधित), राजभाषा

(संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (वर्ष 1987 में यथा संशोधित) के प्रावधानों और समय-समय पर इस विषय पर जारी अन्य प्रशासनिक अनुदेशों को कार्यान्वित करने में सहायता प्रदान करता है तथा सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करता है और साथ ही गृह मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों एवं अनुभागों से प्राप्त सामग्री/दस्तावेजों का अनुवाद उपलब्ध कराता है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

16.40 संयुक्त सचिव (सीआईसी) की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है और सभी निदेशक/उप सचिव इस समिति के सदस्य हैं। सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की इन बैठकों में समीक्षा की जाती है और कमियों, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए उपाय सुझाए जाते हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) की अनुपालना

16.41 राजभाषा अधिनियम, 1963 (वर्ष 1967 में यथा संशोधित) की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाता है और इस धारा के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाते हैं। हिन्दी में प्राप्त अथवा हस्ताक्षरित सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिये जाते हैं। 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के कार्यालयों तथा आम जनता के साथ हिन्दी में पत्राचार को बढ़ाने के सतत प्रयास किए जाते हैं।

राजभाषा निरीक्षण

16.42 वर्ष के दौरान हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का आकलन करने के लिए, गृह मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग के निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशकों के निरीक्षण दलों ने गृह मंत्रालय के अधीन 901 कार्यालयों में से दिल्ली/एनसीआर और अन्य राज्यों में स्थित 42 कार्यालयों का निरीक्षण किया। वर्ष के दौरान, राजभाषा

विभाग ने कुल कार्यालयों के 25% का निरीक्षण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन कोविड-19 के कारण यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा – 2021

16.43 मंत्रालय में दिनांक 01.09.2021 से 15.09.2021 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान, 04 हिन्दी प्रतियोगिताओं और 01 कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिनमें मंत्रालय के 111 हिन्दी भाषी एवं हिन्दीतर भाषा-भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण

16.44 गृह मंत्रालय में कनिष्ठ सचिवालय सहायकों के कुल 37 स्वीकृत पदों में से वर्तमान में 08 पद भरे हुए हैं और उनमें से 04 हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित हैं। साथ ही, वरिष्ठ सचिवालय सहायकों के कुल 98 स्वीकृत पदों में से वर्तमान में 60 पद भरे हुए हैं और उनमें से 07 हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित हैं। इसके अलावा, सहायक अनुभाग अधिकारियों के कुल 359 स्वीकृत पदों में से वर्तमान में 357

पद भरे हुए हैं और इनमें से 16 हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित भी हैं। इसी प्रकार, आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिवों के कुल 212 स्वीकृत पदों में से 89 पद भरे हुए हैं, जिनमें से 35 हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित हैं।

हिन्दी कार्यशाला

16.45 मंत्रालय के अधिकारियों को अपना सरकारी काम हिन्दी में करने के लिए प्रेरित करने तथा मूल रूप से हिन्दी में टिप्पणी लिखने और प्रारूप तैयार करने का प्रयास करने के लिए उन्हें प्रभावी रूप से प्रशिक्षित करने हेतु दिनांक 15.09.2021 को एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में समग्र रूप से 10 अधिकारियों और 18 कर्मचारियों ने भाग लिया।

हिन्दी सलाहकार समिति

16.46 इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन के बाद, इस समिति की पहली बैठक माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में हुई। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा भी इस बैठक में उपस्थित थे।



माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समिति की पहली बैठक

हिंदी टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रोत्साहन योजना

16.47 गृह मंत्रालय में कर्मचारियों को अपना सरकारी कार्य मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हिंदी टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रोत्साहन योजना वर्ष 2021-22 के दौरान लागू की गई थी, जिसमें 12 कर्मचारियों की प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। मूल्यांकन के बाद, 02 कर्मचारियों को पाँच-पाँच हजार रुपये का प्रथम पुरस्कार, 02 को तीन-तीन हजार रुपये का द्वितीय पुरस्कार और 05 को दो-दो हजार रुपये का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

लोक शिकायतों का निवारण

16.48 इस मंत्रालय में कार्यरत आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र सभी लोक शिकायतों पर कार्रवाई करता है। संयुक्त सचिव (सीआईसी) को मंत्रालय में लोक शिकायतों के संबंध में नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। नोडल अधिकारी के संपर्क ब्यौरे स्वागत काउंटर और मंत्रालय की वेबसाइट (<http://mha.gov.in>) पर प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रभाग में एक लोक शिकायत अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो अपने प्रभाग से संबंधित लोक शिकायतों के निवारण की प्रगति की निगरानी करता है। दिनांक 01.04.2021 से 31.01.2022 तक की अवधि के दौरान, 34776 लोक शिकायतें केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएमएस) पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुईं और उक्त अवधि के दौरान 34,502 लोक शिकायतों का निपटान किया गया।

विभागीय लेखा संगठन (डीएओ)

16.49 गृह मंत्रालय के डीएओ का मुखिया प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्रिंसिपल सीसीए) होता है और मुख्य लेखा नियंत्रक, लेखा नियंत्रक, उप-लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक/सहायक निदेशक (ए/सी), वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्रिंसिपल सीसीए) मंत्रालय के मुख्य लेखा प्राधिकारी (सचिव) के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में कार्य करता है। मंत्रालय के आंतरिक वित्त स्कंध के एक अभिन्न अंग

के रूप में, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, मंत्रालय में वित्तीय प्रबंधन की कुशल व्यवस्था बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। डीएओ के अंतर्गत प्रधान लेखा कार्यालय तथा देश के विभिन्न भागों में स्थित 47 वेतन एवं लेखा कार्यालय और 26 आंतरिक ऑडिट पार्टी निहित हैं।

16.50 डीएओ गृह मंत्रालय के अधीन सीएपीएफ और अन्य संगठनों के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के आकस्मिक बिलों, वेतन एवं व्यक्तिगत दावों के भुगतान, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के निपटान, लगभग 4.5 लाख कर्मचारियों के जीपी निधि खातों के रख-रखाव तथा लगभग 6,50,000 खाताधारकों के लिए एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, डीएओ मंत्रालय के मासिक और वार्षिक खातों जैसे कि विनियोजन और वित्त खातों के समेकन और महालेखा नियंत्रक को इसकी प्रस्तुति के लिए भी उत्तरदायी होता है। पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान, लेखांकन और निपटान के लिए, डीएओ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) नामक एक वेब आधारित प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए एक कंप्यूटरीकृत परिवेश में कार्य करता है।

16.51 इसके अतिरिक्त, डीएओ मंत्रालय के विभिन्न व्यय इकाइयों/डीडीओ (लगभग 1800) और स्कीमों/कार्यक्रमों की आंतरिक लेखा-परीक्षा करता है। डीएओ के आंतरिक लेखा-परीक्षा स्कंध (आईएडब्ल्यू) को इस मंत्रालय और इसके सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों का आंतरिक ऑडिट करने और गृह मंत्रालय को महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। आंतरिक लेखा-परीक्षा स्कंध के कार्यों में गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित होने वाले विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों जैसे कि, पुलिस बल का आधुनिकीकरण (एमओपीएफ), सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई), सीमा क्षेत्र विकास परियोजना (बीएडीपी), राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी) इत्यादि की योजनागत लेखा-परीक्षा करना तथा गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों की अनुपालन लेखा-परीक्षा करना शामिल है। जहां तक अनुपालना

लेखा-परीक्षा का संबंध है, आंतरिक लेखा-परीक्षा स्कंध सीएपीएफ, सीपीओ और गृह मंत्रालय के संगठनों के 1800 से अधिक यूनिटों की लेखा-परीक्षा के लिए उत्तरदायी है।

16.52 दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान, आंतरिक लेखा-परीक्षा स्कंध द्वारा निम्नलिखित लेखा-परीक्षाएं की गईं:

- (क) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में 04 सीएपीएफ (अर्थात् एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ) के "सिविक एक्शन प्रोग्राम (सीएपी) स्कीम" से संबंधित लेखा-परीक्षा।
- (ख) पूर्वोत्तर के प्रभावित क्षेत्रों में सेना के "सिविक एक्शन प्रोग्राम (सीएपी) स्कीम" के संबंध में एक लेखा-परीक्षा की गई है।
- (ग) सुरक्षा संबंधी खर्च (एसआरई)- सुरक्षा संबंधी खर्च की लेखा-परीक्षा अर्द्धवार्षिक आधार पर की जाती है, इस स्कीम के तहत 36 लेखा-परीक्षा की गई हैं।
- (घ) पुलिस बल के आधुनिकीकरण (एमओपीएफ) के लिए राज्यों को सहायता स्कीम - पुलिस बल के आधुनिकीकरण की स्कीम के अंतर्गत वार्षिक/अर्द्धवार्षिक आधार पर 12 लेखा-परीक्षा की गई हैं।
- (ङ) सिविलियन पीड़ितों - सिविलियन पीड़ितों (सीवी) की सहायता योजना के तहत 03 लेखा-परीक्षा की गई हैं।
- (च) विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस) - एसआईएस योजना के तहत 03 लेखा-परीक्षा की गई हैं।

16.53 प्रारंभिक स्तर पर व्यय की लेखा-परीक्षा करने के पश्चात, लेखा-परीक्षा की टिप्पणियों को दर्शाते हुए निरीक्षण नोट संबंधित इकाइयों/संगठनों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जो समय पर इन टिप्पणियों का निपटान करने का प्रयास करते हैं। नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक (सीएंडएजी), संसद को प्रस्तुत की जाने वाली अपनी रिपोर्ट के माध्यम से लेखा-परीक्षा पैराग्राफ तैयार करते हैं, जिन पर मंत्रालय को

"की गई कार्रवाई नोट" तैयार करना होता है। लेखा-परीक्षा पैराग्राफों का समय पर निपटान करने हेतु, लेखा-परीक्षा समिति द्वारा लम्बित पैराग्राफों की स्थिति की निगरानी की जाती है। लेखा-परीक्षा पैराग्राफों की प्राप्ति और उनका निपटान एक सतत प्रक्रिया है। दिनांक 01.01.2021 की स्थिति के अनुसार, इस मंत्रालय में ऐसे 13 लेखा-परीक्षा पैराग्राफ लंबित थे। दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान, 8 नए पैराग्राफ प्राप्त हुए। इस अवधि के दौरान, इन 21 पैराग्राफों में से 03 का निपटान कर दिया गया है और दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार ऐसे 18 पैराग्राफ लंबित रह गए हैं।

16.54 दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के संबंध में बकाया निरीक्षण पैरों की संख्या 7063 थी। दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान, प्राप्त तथा निपटान किए गए निरीक्षण पैरा की कुल संख्या क्रमशः 1627 और 1449 थी। इस प्रकार, दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, बकाया निरीक्षण पैरा की संख्या 7241 थी। प्रत्येक संगठन की स्थिति अनुलग्नक-XXI में दी गई है।

16.55 गृह मंत्रालय की पूर्व वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की गई महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा टिप्पणियों के संबंध में "की गई कार्रवाई नोट" (एटीएन) की स्थिति अनुलग्नक-XXII में दर्शाई गई है।

बजट

16.56 डीएओ, मंत्रालय के बजट प्रभाग का पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। बजट प्रभाग गृह मंत्रालय की 02 अनुदान मांगों, संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की 08 अनुदान मांगों और मंत्रिमंडल की 01 अनुदान मांग के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है। इन अनुदान मांगों में विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ), भारत के महारजिस्ट्रार, राजभाषा विभाग, संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले और उसके बिना), मंत्रिमंडल इत्यादि की बजटीय आवश्यकताएं शामिल हैं। बजट प्रभाग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

- (क) वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) का

निरूपण, अनुपूरक मांगों की तैयारी, पुनर्विनियोजन आदेश जारी करना।

- (ख) आउटपुट आउटकम लक्ष्यों की निगरानी के लिए नीति आयोग के सहयोग से इस मंत्रालय की योजनाओं के संबंध में "आउटपुट आउटकम मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क" तैयार करना।
- (ग) पीएसी पैरा और सीएंडएजी ऑडिट पैरा की निगरानी।

16.57 आईटी पहल

- (क) इस मंत्रालय के गैर-सीएपीएफ कार्मिकों के वेतन के भुगतान के लिए "पीएफएमएस का कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) मॉड्यूल" का कार्यान्वयन।
- (ख) बिल और व्यक्तिगत दावों के भुगतान, पेंशन मामलों और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का समाधान तथा लेखों के समेकन के लिए पीएफएमएस का कार्यान्वयन।
- (ग) कार्यालय के प्रमुखों से पेंशन मामलों की ऑनलाइन प्राप्ति के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के भविष्य पोर्टल का कार्यान्वयन।
- (घ) विभिन्न संगठनों के व्यय की निगरानी के लिए महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के "ऑनलाइन ई-लेखा प्लेटफॉर्म" का प्रयोग।
- (ङ) मंत्रालय की नॉन टैक्स रिसिप्ट की ऑनलाइन प्राप्ति के लिए नॉन-टैक्स रिसिप्ट पोर्टल (एनटीआरपी) का कार्यान्वयन।
- (च) जीपीएफ ब्रॉडशीट का डिजिटल मोड में रख-रखाव के लिए सीजीए कार्यालय के कॉम्पैक्ट सॉफ्टवेयर का प्रयोग।
- (छ) दिल्ली पुलिस में कार्मिक सूचना प्रणाली (ईआईएस) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है।

महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण

16.58 गृह मंत्रालय की पीड़ित महिला कर्मचारियों

द्वारा की जाने वाली शिकायतों का निवारण करने के लिए एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। इस समिति में अध्यक्ष सहित एक पुरुष और पांच महिला सदस्य हैं, जिसमें समिति के अध्यक्ष और स्वतंत्र सदस्य के रूप में यंग वूमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन (वाईडब्ल्यूसीए) की एक सदस्य और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के प्रतिनिधि शामिल हैं। शिकायत निवारण समिति का पुनर्गठन करने के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान अब तक कोई भी मामला प्रतिवेदित नहीं है।

16.59 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी), दिव्यांग व्यक्तियों और पूर्व सैनिकों से संबंधित सेवा संबंधी मामलों के लिए, उप सचिव स्तर के एक अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

16.60 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशों के अनुपालन हेतु मंत्रालय में अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के लिए कार्यस्थल पर एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति बनाई गई है।

16.61 दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ

- (क) केन्द्र सरकार ने बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती में 4% आरक्षण निर्धारित किया है।
- (ख) गृह मंत्रालय (मुख्य) में 07 नेत्रहीन, 05 बधिर और 13 शारीरिक रूप से दिव्यांग और 01 प्रमस्तिष्कीय घात युक्त व्यक्ति कार्यरत हैं।
- (ग) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 07.07.2017 के का.ज्ञा.सं 21/05/2017-ई. II(बी) के अनुसार, दिव्यांग कर्मचारियों को परिवहन भत्ता का सामान्य दर से दोगुना भुगतान किया जाता है।

जेंडर बजटिंग

16.62 गृह मंत्रालय में महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए की गई पहल का ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में स्पष्ट किया गया है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)

16.63 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए रिजर्व बटालियनों और प्रशिक्षण संस्थानों जैसी अपनी सभी संस्थापनाओं में परिवार कल्याण केंद्रों का निर्माण करने की पहल की है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न केंद्रों में विशेष रूप से महिला कार्मिकों के उपयोग के लिए अलग मेस/बैरक का निर्माण किया जा रहा है।

16.64 10वीं रिजर्व बटालियन, बेंगलुरु में 2.46 करोड़ रुपये की लागत से एक नया परिवार कल्याण केंद्र निर्माणाधीन है। 10वीं रिजर्व बटालियन, बेंगलुरु में 84% निर्माण कार्य पूरा हो गया है और दिनांक 31.03.2022 तक निर्माण कार्य 100 प्रतिशत पूरा हो जाने की उम्मीद है। डीएमआरसी दिल्ली में नियुक्त सीआईएसएफ महिला कर्मियों के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा फरवरी 2020 में 3.01 करोड़ रुपये की लागत से 02 नए निर्माण कार्यों अर्थात् बैरक के निर्माण (क्षमता 100+86) को मंजूरी दी गई है। निर्माण कार्य शुरू हो गया है तथा इनके क्रमशः जून, 2022 (86 कार्मिकों के लिए) और मार्च 2023 (100 कार्मिकों के लिए) तक पूरा होने की संभावना है।

16.65 विभिन्न समूहों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
61	1326	7857	9244

16.66 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के संबंध में वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान विशेष रूप से महिलाओं के लाभ वाली स्कीमें और उनके लिए किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रु. में)

स्कीमों का ब्यौरा	बजट अनुमान 2021-22	संशोधित अनुमान 2021-22	बजट अनुमान 2022-23 (प्रस्तावित)
क्रेच- सुविधाएं	0.31	0.25	0.35

16.67 आज की तिथि में, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में 16 क्रेच काम कर रहे हैं।

16.68 कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण की शिकायतों को दूर करने के लिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में दो स्तरों पर शिकायत समिति अर्थात् निदेशालय स्तर पर केंद्रीय समिति और सेक्टर स्तर पर सेक्टर स्तरीय समिति बनाई गई है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)

16.69 भारत सरकार ने वर्ष 1985 के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की पहली महिला बटालियन को अनुमोदित किया था। आज की तिथि के अनुसार, ऐसी छह बटालियनों (88वीं बटालियन, 135वीं बटालियन, 213वीं बटालियन, 232वीं बटालियन, 233वीं बटालियन और 240वीं बटालियन) को अनुमोदन प्रदान किया गया है। ऑपरेशनल महिला बटालियनें दिल्ली, गांधीनगर (गुजरात), नागपुर (महाराष्ट्र), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और बेंगलुरु में तैनात हैं। इसके अतिरिक्त, महिला कर्मचारियों को ग्रुप सेंट्रों, त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) और 241वीं बटालियन (बस्तरिया बटालियन) में तैनात किया जाता है और वे अन्य लिपिकीय तथा प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ पुलिस व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ सक्रिय रूप से सहायता कर रही हैं। ये महिला बटालियनें देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के सीआरपीएफ के प्रयास में प्रभावी रूप से योगदान कर रही हैं।

16.70 दिनांक 31.12.2021 की स्थितिनुसार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
435	862	8562	9859

16.71 महिला कार्यबल द्वारा सहज रूप से अपनी ड्यूटी के निर्वहन के लिए, सीआरपीएफ ने विश्राम कक्ष, मनोरंजन कक्ष, सचल प्रसाधन आदि जैसी अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। फील्ड में तैनाती के दौरान भी, महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए यूनिट वाहनों में पृथक प्रसाधन बनाए जा रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पैट, शर्ट और बेल्ट आदि पहनने से छूट प्रदान की गई है।

(करोड़ रु. में)

16.72 सभी स्तरों पर महिला कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्य भी नियमित अंतराल पर किया जा रहा है। नियमित विचार-विमर्श और सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। फील्ड अधिकारी अपनी कमान के तहत, महिला कर्मिकों की गतिविधियों और उनके स्वास्थ्य की गहन निगरानी कर रहे हैं।

16.73 महिला कर्मचारियों के अलावा, बल अपने कर्मियों के परिवारों के कल्याण के लिए भी प्रयास कर रहा है। बल ने विशेष रूप से परिवार की महिला सदस्यों के लिए सिलाई, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थों के उत्पादन आदि जैसी गतिविधियों के माध्यम से नए कौशल सीखने और उनकी पारिवारिक आय में वृद्धि के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण किया है और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों की निगरानी के लिए सेक्टर लेवल पर एक समिति का गठन किया गया, जिसका कार्यान्वयन समस्त बल स्तर पर किया गया है। महिला कर्मचारियों और बल कर्मिकों के परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए निम्नलिखित विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं:-

- (क) महिला छात्रावास।
- (ख) विशेष रूप से महिलाओं हेतु शारीरिक गतिविधियां।
- (ग) महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम और टीवी आदि का प्रावधान।
- (घ) व्यायामशाला एवं अन्य सुविधाएं आदि।
- (ङ) सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आया की सुविधा सहित डे केयर सेंटर/क्रेच।
- (च) अतिरिक्त कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए विशेष रूप से महिलाओं को कढ़ाई मशीनें मुहैया कराना।

16.74 सरकार ने पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए क्रेच सुविधाओं के संचालन हेतु 60 लाख रुपये प्रदान किए थे और वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भी 60 लाख रुपये आबंटित किए हैं। ब्यौरा निम्नानुसार है:

स्कीम का नाम	बजट अनुमान 2021-22	संशोधित अनुमान 2021-22 अनुमानित	बजट अनुमान 2022-23 अनुमानित
क्रेच-सुविधाएं	0.60	0.60	0.62

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)

16.75 सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में, कर्मिकों की प्राधिकृत स्वीकृत नफरी 97,790 है, जिसमें से 3,607 महिला कर्मिकों की नफरी हैं।

16.76 सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में विशेष रूप से महिलाओं के लाभार्थ निम्नलिखित स्कीमें/परियोजनाएं चल रही हैं:-

- (क) सीमा चौकियों में तैनात महिलाओं के लिए प्रसाधन, बाथरूम, रसोई घर एवं डाइनिंग हाल की सुविधा सहित अलग आवास।
- (ख) सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच सुविधाएं।
- (ग) कार्यालयों में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए अलग प्रसाधन।
- (घ) सेवारत महिलाओं के लिए अलग मनोरंजन सुविधाएं अर्थात् म्यूजिक सिस्टम, टेलीविजन एवं डीवीडी आदि और मनोरंजन कक्ष/पुस्तकालय में महिलाओं से संबंधित पत्रिकाएं, पुस्तकें और जर्नल।
- (ङ) कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों, यदि कोई हों, का शीघ्रता से निपटान करने हेतु एसएसबी में बल मुख्यालय/फ्रंटियर मुख्यालय स्तर पर एक समिति है।

16.77 महिलाओं के लिए उदार स्थानांतरण नीति:- जहां तक संभव हो, सभी महिला कर्मिकों को उनके मूल स्थान के नजदीक स्थित यूनिटों/फ्रंटियर में तैनात किया जायेगा तथा यदि पति और पत्नी दोनों एसएसबी कर्मचारी हैं, तो उन्हें एक स्थान पर तैनात किया जाएगा।

16.78 विभिन्न समूहों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
45	102	3460	3607

16.79 सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के संबंध में विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमें, उनके लिए वर्ष 2021-22 में किए गए प्रावधान और वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रु. में)

स्कीमों का ब्यौरा	बजट अनुमान 2021-22	संशोधित अनुमान 2021-22 (अनुमानित)	बजट अनुमान 2022-23 (अनुमानित)
"क्रेन-सुविधाएं" कोड शीर्ष 50-अन्य प्रभार के अंतर्गत	00.25	00.40	00.45

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी)

16.80 भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित स्कीमें चलाई जा रही हैं:-

- (क) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की सभी सेवारत महिलाओं को 05 फ्रंटियर मुख्यालयों, 01 प्रशिक्षण जोन, 15 सेक्टर मुख्यालयों, 56 यूनिटों (बटालियन मुख्यालयों), 14 प्रशिक्षण केन्द्रों और सेक्टर हेड क्वार्टर (एलएण्डसी, एसएचक्यू) की लॉजिस्टिक एंड कम्यूनिकेशन वाली 04 विशिष्ट बटालियनों में प्रसाधन, रसोई घर एवं डाइनिंग हाल युक्त पृथक महिला बैरक में रखा जाता है।
- (ख) पुस्तकालय और कॉमन स्टाफ रूम में महिला केन्द्रित पत्रिकाएं और जर्नल अधिक संख्या में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- (ग) महिलाओं को शारीरिक व्यायाम आदि के लिए जिम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- (घ) महिला बैरकों और डाइनिंग हालों में महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम, टी वी और डीवीडी आदि का प्रावधान।
- (ङ) सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल करने के लिए आया की सुविधा सहित डे केयर सेंटर/ क्रेच।

सेवारत महिला कर्मचारियों की सहायता के लिए सेक्टर मुख्यालय (डीडीएन), पोस्ट - सीमाद्वार, जिला देहरादून (उत्तराखंड), आईटीबीपी अकादमी, डाकघर-मसूरी, जिला- देहरादून (उत्तराखंड), एमएंडएसआई औली, डाकघर-जोशीमठ, जिला चमोली (उत्तराखंड), टीपीटी बटालियन, डाकघर-एयरपोर्ट, चंडीगढ़ (यूटी), 11वीं बटालियन, पेगांग (सिक्किम), 56 एपीओ, 12वीं बटालियन, डाकघर-मातली, जिला-उत्तरकाशी (उत्तराखंड), 50वीं बटालियन, रामगढ़, जिला-पंचकुला (हरियाणा), सेक्टर मुख्यालय (बरेली), डाकघर-बुखारा कैम्प, जिला-बरेली पिन कोड 243001 (उ.प्र.), 35वीं बटालियन, डाकघर - महीडांडा, जिला- उत्तरकाशी, उत्तराखंड, पिन कोड - 249195, 55वीं बटालियन, रंगमति, तेजपुर (असम), 28वीं बटालियन, रेवाड़ी, हरियाणा और 36वीं बटालियन लोहाघाट, उत्तराखंड में कुल 12 क्रेच/ डे केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं

- (च) विशेषरूप से महिलाओं को कढ़ाई एवं सिलाई मशीनें प्रदान की गई है, ताकि वे अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें।

16.81 महिलाओं को पृथक विश्राम कक्ष और सचल प्रसाधन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तैनाती के दौरान, महिलाओं को यूनिट वाहनों में भी पृथक प्रसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भावस्था के दौरान पैट, शर्ट और वेब बेल्ट पहनने से छूट प्रदान की गई है। महिला कार्मिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त स्तर पर समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्य भी किया जा रहा है और महिलाओं को उनके महिला अधिकारों के बारे में अवगत कराया जाता है। साक्षात्कार, रोल कॉल और सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से नियमित विचार-विमर्श करने के अतिरिक्त, फील्ड अधिकारी अपने कमान के अधीन महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नजदीकी नजर रखते हैं। महिला अधिकारियों और जवानों के यौन-उत्पीड़न के मामलों के निपटान के लिए एक समिति गठित की गई है।

16.82 प्रत्येक समूह में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

समूह-क	समूह-ख	समूह-ग	समूह-घ	कुल
118	229	2099	शून्य	2446

16.83 वर्ष 2021-22 के दौरान, आईटीबीपी के संबंध में विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों के नाम और उनमें से प्रत्येक के लिए किया गया बजट प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रु. में)

स्कीम का ब्यौरा	बजट अनुमान 2021-22
क्रेच-सुविधाएं, अन्य प्रभार (वोटेट)	0.06

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)

16.84 बीएसएफ में विभिन्न समूहों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:

समूह क (जीओ)	समूह ख (एसओ)	समूह ग (अन्य रैंक)	कुल
138	479	6696	7313

16.85 वर्ष 2021-22 के दौरान सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के संबंध में, विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्कीम और उनके लिए किये गये प्रावधान निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

स्कीम का ब्यौरा	बजट अनुमान 2021-22	संशोधित अनुमान 2021-22
क्रेच-सुविधाएं	0.60	0.60

16.86 सभी स्तरों पर महिला कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्य भी नियमित अंतराल पर किया जा रहा है। नियमित विचार-विमर्श और सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है। फील्ड अधिकारी अपनी कमान के तहत महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके स्वास्थ्य की गहन निगरानी कर रहे हैं। महिला कर्मचारियों के अलावा, यह बल अपने कर्मियों के परिवारों के कल्याण के लिए भी प्रयास कर रहा है। बल ने विशेष रूप से परिवार की महिला सदस्यों के लिए सिलाई, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थों के उत्पादन आदि जैसी गतिविधियों के माध्यम से नए कौशल सीखने और अपनी पारिवारिक आय में वृद्धि/बढ़ोतरी करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण किया है। बीएसएफ ने कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों की निगरानी करने के लिए सेक्टर लेवल और बल मुख्यालय लेवल पर समितियां गठित की हैं।

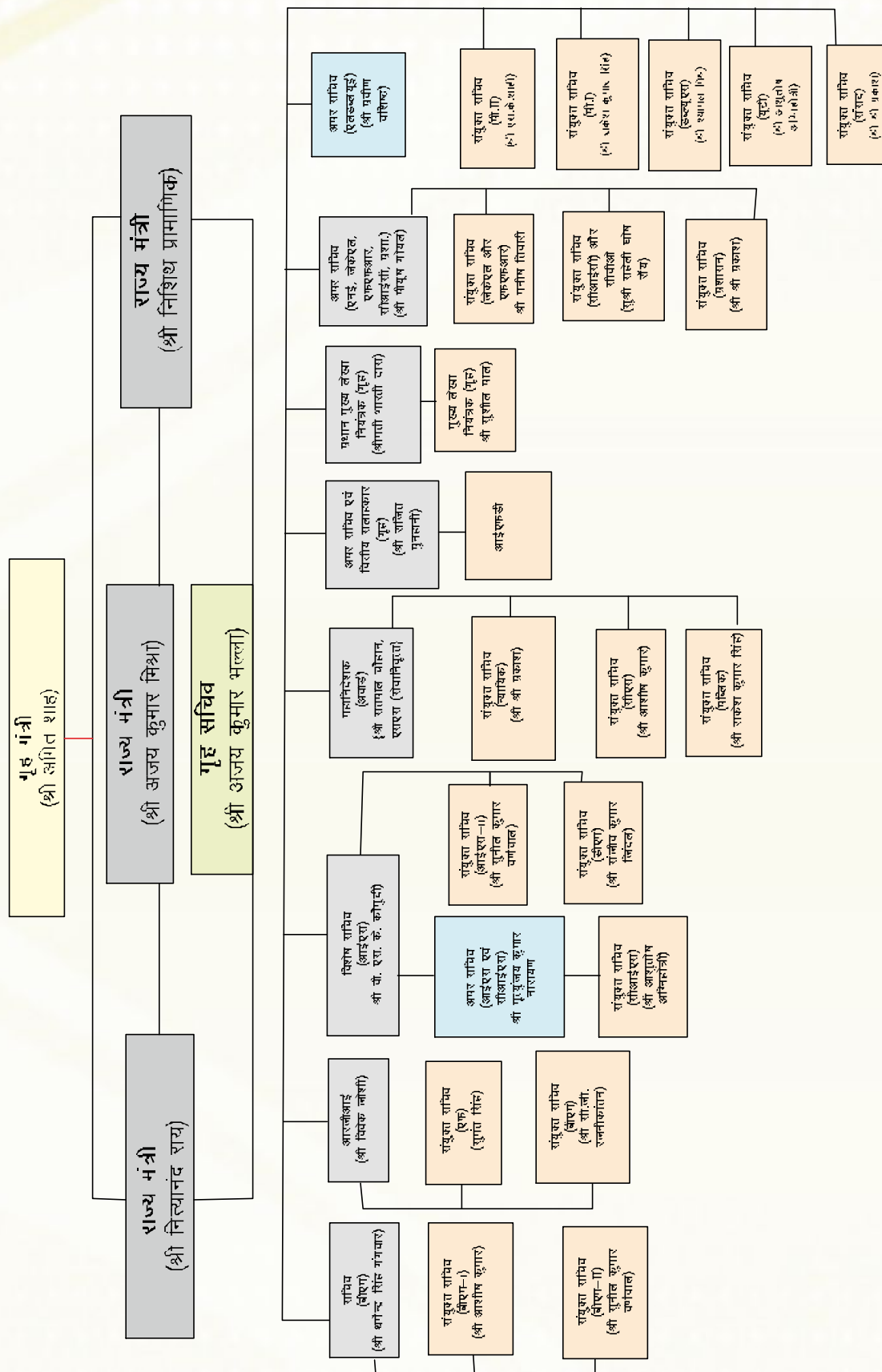
अनुलग्नक

गृह मंत्रालय

वर्ष 2021-22 (दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार) के दौरान गृह मंत्रालय में पदों पर रहे/पदस्थ मंत्री, सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव	
श्री अमित शाह	गृह मंत्री
श्री नित्यानंद राय श्री जी. किशन रेड्डी (दिनांक 08.07.2021 तक) श्री अजय कुमार मिश्रा (दिनांक 08.07.2021 से) श्री निशित्य प्रामाणिक (दिनांक 08.07.2021 से)	राज्य मंत्री
श्री अजय कुमार भल्ला	गृह सचिव
श्री धर्मेन्द्र सिंह गंगवार (दिनांक 06.12.2021 से) श्री विवेक जोशी (दिनांक 06.12.2021 तक) श्री संजीव कुमार (दिनांक 30.09.2021 तक)	सचिव (सीमा प्रबंधन)
श्री वरूण सिंधु कुल कौमुदी	विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा)
श्री राजित पुनहानी	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
श्री पीयूष गोयल श्री प्रवीण वशिष्ठ श्री मृत्युंजय कुमार नारायण (दिनांक 07.12.2021 से) श्री ज्ञानेश कुमार (दिनांक 30.04.2021 तक) श्री गोविन्द मोहन (दिनांक 30.09.2021 तक) श्री अनिल मलिक (दिनांक 10.10.2021 तक) श्री विवेक भारद्वाज (दिनांक 16.08.2021 तक) सुश्री पुण्य सलिना श्रीवास्तव (दिनांक 19.10.2021 तक)	अपर सचिव
सुश्री सहेली घोष गॅंग श्री श्री प्रकाश श्री संजीव कुमार जिंदल श्री एस. के. शाही श्री राकेश कुमार सिंह श्री आशुतोष अग्निहोत्री श्री मनीष तिवारी	संयुक्त सचिव

श्री सुनील कुमार वर्णवाल श्री सुमंत सिंह (दिनांक 17.05.2021 से) श्री सी.जी. रजनीकांतन (दिनांक 04.10.2021 से) श्री आशीष कुमार (दिनांक 21.10.2021 से) श्री श्यामल मिश्र (दिनांक 08.12.2021 से) श्री के. वी. प्रताप (दिनांक 06.07.2021 तक)	
श्रीमती भारती दास	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक
श्री सुशील पाल	मुख्य लेखा नियंत्रक

गृह मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट (दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार)



अनुलग्नक-III

[संदर्भ पैरा 2.28]

वर्ष 2009 से 2021 के दौरान एलडब्ल्यूई हिंसा की राज्य-वार स्थिति (अंतिम)																													
राज्य	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022 (सित्तिक 31.03.2022 तक)		
	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें					
आंध्र प्रदेश	66	18	100	24	54	9	67	13	28	7	18	4	35	8	17	6	26	7	12	3	18	5	12	4	11	1	1	0	
बिहार	232	72	307	97	316	63	166	44	177	69	163	32	110	17	129	28	99	22	59	15	62	17	26	8	26	7	9	(1)	
झारखण्ड	529	290	625	343	485	204	370	109	355	111	328	112	466	101	395	107	373	130	392	153	263	77	315	111	255	101	92	20	
महाराष्ट्र	742	208	501	157	517	182	480	163	387	152	384	103	310	56	323	85	251	56	205	43	200	54	199	39	130	26	42	3	
मध्य प्रदेश	1	0	7	1	8	0	11	0	1	0	3	0	0	0	12	2	3	1	4	0	5	2	16	2	19	3	2	1	
गुजरात	154	93	94	45	109	54	134	41	71	19	70	28	55	18	73	23	69	16	75	12	86	34	30	8	31	6	2	0	
ओडिशा	266	67	218	79	192	53	171	45	101	35	103	26	92	28	86	27	81	29	75	12	45	11	50	9	32	3	6	4	
पंजाब	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	8	4	14	5	11	2	7	0	5	2	11	2	8	2	15	2	5	0	2	0	
राजस्थान	8	2	6	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
उत्तर प्रदेश	255	158	350	258	92	45	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
पश्चिम बंगाल	0	0	3	0	2	0	0	0	3	0	8	0	10	0	5	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	1	0	
केरल																													
अन्य	5	0	2	0	4	1	8	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
कुल	2258	908	2213	1005	1760	611	1415	415	1136	397	1091	310	1099	230	1048	278	908	263	833	240	670	202	665	183	509	147	157	28	
																												(176)	(47)
कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष 2020 की इसी अवधि का विवरण दर्शाते हैं।																													

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत "विधिविरुद्ध एसोसिएशनों" और/अथवा "आतंकवादी संगठनों" के रूप में घोषित पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवादी/विद्रोही संगठनों की सूची

समूह का नाम		के रूप में सूचीबद्ध/घोषित
असम		
(i)	यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)	आतंकवादी संगठन और विधिविरुद्ध एसोसिएशन
(ii)	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी)	-तदैव-
(iii)	कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (केएलओ)	आतंकवादी संगठन
मणिपुर		
(i)	पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और इसकी राजनीतिक शाखा रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ)	आतंकवादी संगठन और विधिविरुद्ध एसोसिएशन
(ii)	यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसकी सशस्त्र शाखा मणिपुर पीपुल्स आर्मी (एमपीए)	-तदैव-
(iii)	पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पीआरईपीएके)	-तदैव-
(iv)	कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी)	-तदैव-
(v)	कांगली योल कान्वा लूप (केवाईकेएल)	-तदैव-
(vi)	कोऑर्डिनेशन कमेटी [कोग-कॉम]	विधिविरुद्ध एसोसिएशन
(vii)	अलाएंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलीपाक (एएसयूके)	-तदैव-
(viii)	मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एमपीएलएफ)	आतंकवादी संगठन
मेघालय		
(i)	हयनीट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एनएनएलसी)	विधिविरुद्ध एसोसिएशन

(ii)	गांगो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जीएनएलए)	आतंकवादी संगठन
त्रिपुरा		
(i)	ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ)	आतंकवादी संगठन और विधिविरुद्ध एसोसिएशन
(ii)	नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी)	-तदैव-
नागालैंड		
(i)	नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन/के]	आतंकवादी संगठन और विधिविरुद्ध एसोसिएशन

वर्ष 2015-16 से 2021-22 (दिनांक 31.03.2022 तक) के दौरान सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को उपलब्ध करायी गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

जारी की गई निधियां	असम	नागालैंड	मणिपुर	त्रिपुरा	मेघालय	अरुणाचल प्रदेश	कुल
2015-16	140.07	67.61	45.78	12.98	12.63	0.93	280.00
2016-17	148.70	61.48	31.86	36.62	9.19	12.15	300.00
2017-18	287.74	13.16	34.02	21.82	16.19	32.07	405.00
2018-19	137.05	42.34	32.35	9.05	11.74	17.48	250.00
2019-20	210.86	12.82	34.26	39.22	9.69	13.15	320.00
2020-21	65.43	41.82	39.50	8.70	4.88	24.92	185.25
2021-22	251.07	58.79	74.66	32.20	14.40	12.60	443.72

अनुलग्नक-VI
[संदर्भ पैरा 2.48]

वर्ष 2015-16 से 2021-22 (दिनांक 31.03.2022 तक) के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात सीएपीएफ/सेना को नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम के तहत जारी की गई निधि का ब्यौरा

(लाख रु. में)

संगठन	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बीएसएफ	150.00	150.00	150.00	300.00	400.00	350.00	395.00
सीआरपीएफ	150.00	150.00	150.00	250.00	270.00	300.00	345.00
आईटीबीपी	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	80.00
एसएसबी	70.00	70.00	70.00	140.00	150.00	150.00	185.00
असम राइफल्स	350.00	350.00	550.00	330.00	350.00	350.00	445.00
सेना	180.00	180.00	180.00	100.00	50.00	50.00	50.00
कुल	1000.00	1000.00	1200.00	1200.00	1300.00	1300.00	1500.00

विगत छः वर्षों और चालू वित्त वर्ष (दिनांक 31.03.2022 तक) के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाओं पर हुए व्यय/इसके लिए जारी की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

वर्ष	व्यय/जारी की गई निधियां
2015-16	76.45
2016-17	86.00
2017-18	86.00
2018-19	90.00
2019-20	100.00
2020-21	72.50
2021-22	100.00

वर्ष 2014 से 2021 के दौरान राज्य-वार सुरक्षा स्थिति

अरुणाचल प्रदेश									
वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	33	09	86	--	02	07	--	46	49
2015	36	05	55	03	01	03	01	17	33
2016	50	07	59	02	--	04	02	49	25
2017	61	09	44	--	03	03	01	43	27
2018	37	12	69	02	01	02	--	60	17
2019	36	02	106	02	12	02	--	44	34
2020	21	07	72	02	--	15	09	37	21
2021	26	07	70	01	--	69	15	43	17
असम									
वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	246	102	319	04	168	102	43	265	94
2015	81	49	645	--	09	30	17	413	27
2016	75	51	366	04	29	15	05	298	14
2017	33	16	204	03	06	13	02	120	05
2018	28	05	133	01	07	13	03	92	06
2019	17	--	131	--	--	49	22	85	10

2020	15	05	79	--	02	2,668	456	234	02
2021	21	13	70	--	14	1,353	437	86	08
मणिपुर									
वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	278	23	1052	08	16	80	73	515	29
2015	229	41	805	24	15	04	02	252	26
2016	233	09	518	1 1	1 1	--	--	116	25
2017	167	22	558	08	23	74	10	127	40
2018	127	10	404	07	08	--	--	99	30
2019	126	09	476	--	07	--	--	92	15
2020	97	07	259	03	--	02	--	92	09
2021	112	18	242	05	09	20	15	113	15
मेघालय									
वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	179	35	173	06	24	59	20	97	110
2015	123	25	121	07	12	78	45	53	87
2016	68	15	59	--	08	205	78	57	52
2017	28	06	13	--	02	37	14	12	18
2018	15	03	17	01	04	19	10	103	01
2019	02	--	06	--	01	01	--	04	--
2020	05	--	--	--	--	01	--	12	--
2021	02	--	11	--	--	02	--	02	--

मिजोरम									
वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	03	--	--	--	--	03	--	31	14
2015	02	--	04	03	--	--	--	19	13
2016	--	--	02	--	--	--	--	05	01
2017	--	--	05	--	--	--	--	16	--
2018	03	--	--	--	--	114	44	02	--
2019	--	--	--	--	--	--	--	13	--
2020	--	--	--	--	--	--	--	05	--
2021	--	--	--	--	--	--	--	18	--
नागालैंड									
वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	बरामद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	77	12	296	--	01	--	--	150	65
2015	102	29	268	09	09	13	01	74	78
2016	58	05	198	--	--	16	03	80	51
2017	19	04	171	01	03	02	--	87	12
2018	42	04	181	03	03	--	--	64	63
2019	42	01	217	02	01	16	01	74	49
2020	23	02	222	--	--	04	--	84	33
2021	47	01	277	--	--	08	--	103	54

त्रिपुरा									
वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	बराहद हथियार	अपहृत व्यक्ति
2014	08	--	08	02	01	40	15	--	08
2015	01	--	02	--	--	15	03	--	03
2016	--	--	--	--	--	27	05	--	--
2017	--	--	--	--	--	01	--	--	--
2018	--	--	--	--	--	13	01	--	--
2019	--	--	--	--	--	90	44	--	--
2020	02	--	14	--	--	06	04	02	03
2021	01	01	16	02	--	21	04	02	--

अनुलग्नक- IX
[संदर्भ पैरा 3.30]

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान बीएडीपी के अंतर्गत जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	2017-18 (केंद्रीय अंश)	2018-19 (केंद्रीय अंश)	2019-20 (केंद्रीय अंश)	2020-21 (केंद्रीय अंश)	2021-22 (केंद्रीय अंश)
1.	अरुणाचल प्रदेश	154.14	80.87	42.15	24.50	9.76
2.	असम	56.00	49.50	63.30	0.00	0.00
3.	बिहार	46.00	32.20	51.09	0.00	0.00
4.	गुजरात	31.72	56.23	14.00	0.00	0.00
5.	हिमाचल प्रदेश	35.00	25.95	27.49	0.00	0.00
6.	जम्मू और कश्मीर**	198.89	84.00	69.24	0.00	0.00
7.	लद्दाख**			45.13	0.00	16.00
8.	मणिपुर	27.56	20.34	14.93	0.00	0.00
9.	मेघालय	36.56	22.69	45.36	0.00	0.00
10.	मिजोरम	46.00	32.20	55.93	12.29	0.00
11.	नागालैंड	40.04	33.96	24.85	5.07	1.53
12.	पंजाब	28.00	33.08	24.72	0.00	0.00
13.	राजस्थान	116.00	81.20	38.53	0.00	0.00
14.	सिक्किम	28.01	27.50	53.01	14.97	0.00
15.	त्रिपुरा	65.07	49.70	44.64	0.00	0.00
16.	उत्तर प्रदेश	38.00	26.60	51.41	0.00	0.00
17.	उत्तराखंड	31.00	29.20	43.60	7.14	13.12
18.	पश्चिम बंगाल	122.00	85.40	115.21	0.00	0.00
	कुल योग	1100.00	770.62	824.59	63.97	40.41

** अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य को दो संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में विभाजित किया गया था। वर्ष 2019-20 के लिए लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हेतु निधि जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को जारी की गई है, ताकि उसे आगे लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को अंतरित किया जा सके।

वर्ष 2010-2011 से 2021-22 की अवधि के दौरान सीएपीएफ पर वास्तविक व्यय (दिनांक 31.12.2021 तक)								
								(करोड़ रु. में)
वर्ष	एआर	बीएसएफ	सीआईएसएफ	सीआरपीएफ	आईटीबीपी	एनएसजी	एसएसबी	कुल
2010-11	2814.79	7366.87	2780.44	8128.10	1862.35	491.77	1630.36	25074.68
2011-12	3207.91	8741.67	3382.72	9662.89	2208.09	578.59	2073.08	29854.95
2012-13	3359.83	9772.55	3967.95	11040.13	2917.85	541.77	2765.16	34365.24
2013-14	3651.21	10904.74	4401.49	11903.70	3346.94	536.70	2979.16	37723.94
2014-15	3802.23	12515.40	5037.52	13308.95	3686.84	573.46	3399.64	42324.04
2015-16	3804.59	12597.42	5045.52	13475.23	3669.35	581.49	3606.26	42779.86
2016-17	4917.44	15574.77	7013.85	17328.26	5086.73	835.58	4619.46	55376.09
2017-18	5318.39	16968.28	7889.67	19517.83	5663.50	1131.68	5275.17	61764.52
2018-19	5899.67	19469.77	9220.91	23126.24	1190.72	1115.72	6050.39	66073.42
2019-20	5877.79	21092.49	10272.58	25950.63	7168.50	1198.02	6960.08	78520.09
2020-21	5702.20	19776.57	10835.20	24756.67	6390.53	964.87	6239.23	74665.27
2021-22*	4811.46	17723.18	9303.14	22244.46	5919.20	791.26	5744.92	66537.62

* दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार व्यय

अनुलग्नक- XI
[संदर्भ पैरा 8.84]

दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान देश में विभिन्न मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा रिपोर्ट की गई विभिन्न मादक पदार्थों की जब्ती*

मात्रा किग्रा./सं./बोतलों में

क्रम. सं.	मादक पदार्थ का नाम	भारत में सभी मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त मादक पदार्थ	एनसीबी द्वारा जब्त मादक पदार्थ
1	हेरोइन	5,295	585
2	अफीम	2,368	342
3	मॉर्फिन	95	69
4	गांजा	4,62,845	37,199
5	हृथीश	1,887	202
6	कोकीन	317	6
7	मेथाक्रालोन	8	7
8	एम्फेटामाइन/मेथाम्फेटामाइन	141	40
9	मनःप्रभावी पदार्थ	गोलियाँ = 2,32,59,091 और 20,479 किग्रा. सीबीसीएस बोतलें = 6,97,574 और 267 लीटर	गोलियाँ = 52,11,811 और 328 किग्रा. सीबीसीएस बोतलें = 2,98,240 और 35 लीटर
प्रिक्वर्स रसायन			
10	एफेड्रिन/स्यूडोएफेड्रिन	185	71
अवैध खेती को नष्ट करना (क्षेत्रफल एकड़ में)			
11	कैनाविस	8992	
12	पोस्त	2774	

*(अनंतिम आंकड़े)

दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान एनसीबी की विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा
निपटान किए गए जस्त मादक पदार्थों की मात्रा

क्र.सं.	क्षेत्र	मामलों की सं.	प्रतिबंधित नशीले पदार्थ	मात्रा किलो. में		निपटान की तिथि
				परीक्षण के पहले	परीक्षण के बाद	
1	अहमदाबाद	12	चरस	23.729 किग्रा	-	08.04.2021
			गांजा	979.547 किग्रा	-	
			कोडीन फॉस्फेट सिरप	959 बोतलें	-	
			अल्प्रोजोलम	58152 बोतलें	-	
			ट्रामाडोल	3018 बोतलें	-	
			खत लिब्स	15.900 किग्रा	-	
2	बेंगलुरु	16	गांजा	440.838 किग्रा	-	28.07.2021
			कोकीन	665 ग्राम	-	
			केटामाइन	138 ग्राम		
			मेथाम्फेटामाइन	1.756 किग्रा		
			फेंसिडिल	192 बोतलें		
			हशीश	970 ग्राम		
			एमडीएमए	881 ग्राम		
3	कोलकाता	3	गांजा	328.436 किग्रा		27.10.2021
			फेंसिडिल	14985 बोतलें		
4	कोलकाता	6	हेरोइन	570 ग्राम		12.08.2021
			गांजा	253.015 किग्रा		
			चरस	14.881 किलो		
			फेंसिडिल	14985 बोतलें		
5	कोलकाता	6	गांजा	43.686 किग्रा		27.07.2021
			चरस	23.436 किग्रा		

			फैमिडिल	6582 बोटलें		
			पोस्त की भूसी	146.410 किग्रा		
			बोनोजेसिक/एन-नॉरफिन	513 एम्प्यूल		
6	पटना	8	गांजा	1363.925 किग्रा		20.04.2021
			चरस	13.725 किग्रा		
7	पटना	8	गांजा	1342.955 किग्रा		26.10.2021
8	इंदौर	4	अफीम	9.575 किग्रा		23.06.2021
			मॉर्फिन	.233 ग्राम		
		1	अफीम	19.340 किग्रा		23.06.2021
9	इंदौर	4	पोस्त की भूसी	904.993 किग्रा		19.10.2021
			अल्फ्राजोलम	.080 ग्राम		
		9	अल्फ्राजोलम	67.8 किग्रा		19.10.2021
			इफेड्रिन	88.754 किग्रा		
			गांजा	1066.966 किग्रा		
			हेरोइन	1.625 किग्रा		
10	चंडीगढ़	27	चरस	91.639 किग्रा		28.09.2021
			हेरोइन	28.857 किग्रा		
11	जोधपुर	6	पोस्त की भूसी	8007.42 किग्रा		20.08.2021
			गांजा	58.02 किग्रा		
12	पटना	7	गांजा	3149.35 किग्रा		20.10.2021
13	पटना	18	गांजा	4571.7 किग्रा		21.10.2021
			हेरोइन	.185 किग्रा		
			पोस्त की भूसी	42.875 किग्रा		
			चरस	49.825 किग्रा		
14	कोलकाता	1	गांजा	1300.528 किग्रा		28.10.2021
15	चंडीगढ़	27	चरस	58.721 किग्रा		10.11.2021

			गांजा	.210 किग्रा		
			हेरोइन	20.793 किग्रा		
			अफीम	3.225 किग्रा		
16	लखनऊ	5	गांजा	3188.993 किग्रा		22.11.2021
			हेरोइन		1.565 किग्रा	
17	जोधपुर	3	अफीम	81.160 किग्रा		15.12.2021
18	इंदौर	13	अल्प्रोजोलम और मेथाक्वालोन	71.311 किग्रा		19.10.2021
			पोस्त की भूसी	904.993 किग्रा		
			इफेड्रिन	87.676 किग्रा		
			हेरोइन	1.796 किग्रा		
			गांजा	1025.089 किग्रा		
19	कोलकाता	5	चरस	1.158 किग्रा		14.12.2021
			गांजा	529 किग्रा		

अनुलग्नक- XIII

[संदर्भ पैरा 9.54]

वर्ष 2021-22 के दौरान एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से आवंटित और जारी की गई निधियां
(दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	एसडीआरएफ का आवंटन			एसडीआरएफ से जारी निधियां		एनडीआरएफ से जारी निधियां
		केंद्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	पहली किस्त	दूसरी किस्त	
1.	आंध्र प्रदेश	895.20	297.60	1192.80	447.60	447.60	--
2.	अरुणाचल प्रदेश	200.00	22.40	222.40	100.00	100.00	--
3.	असम	617.60	68.80	686.40	308.80	308.80	--
4.	बिहार	1132.80	377.60	1510.40	566.40	566.40	--
5.	छत्तीसगढ़	345.60	115.20	460.80	172.80	172.80	--
6.	गोवा	9.60	2.40	12.00	4.80	4.80	--
7.	गुजरात	1059.20	352.80	1412.00	529.60	529.60	1000.00
8.	हरियाणा	392.80	131.20	524.00	196.40	196.40	--
9.	हिमाचल प्रदेश	327.20	36.00	363.20	163.60	163.60	--
10.	झारखंड	454.40	151.20	605.60	227.20	227.20	200.00
11.	कर्नाटक	632.80	210.40	843.20	316.40	316.40	629.03
12.	केरल	251.20	84.00	335.20	125.60	125.60	--
13.	मध्य प्रदेश	1456.00	485.60	1941.60	728.00	728.00	--
14.	महाराष्ट्र	2577.60	859.20	3436.80	1288.80	1288.80	701.00

15.	मणिपुर	33.60	4.00	37.60	16.80	16.80	--
16.	मेघालय	52.80	5.60	58.40	26.40	26.40	--
17.	मिजोरम	37.60	4.00	41.60	18.80	18.80	--
18.	नागालैंड	32.80	4.00	36.80	16.40	16.40	-
19.	ओडिशा	1283.20	428.00	1711.20	641.60	641.60	500.00
20.	पंजाब	396.00	132.00	528.00	198.00	198.00	-
21.	राजस्थान	1184.80	395.20	1580.00	592.40	592.40	-
22.	सिक्किम	40.00	4.80	44.80	20.00	20.00	-
23.	तमिलनाडु	816.00	272.00	1088.00	408.00	408.00	213.51
24.	तेलंगाना	359.20	120.00	479.20	179.60	179.60	-
25.	त्रिपुरा	54.40	6.40	60.80	27.20	27.20	-
26.	उत्तर प्रदेश	1546.40	516.00	2062.40	773.20	773.20	--
27.	उत्तराखंड	749.60	83.20	832.80	374.80	374.80	--
28.	पश्चिम बंगाल	808.80	269.60	1078.40	404.40	404.40	300.00
	कुल:-	17747.20	5439.20	23186.40	8873.60	8873.60	3543.54

अनुलग्नक- XIV

[संदर्भ पैरा 9.64]

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सूची, जिन्होंने अपनी आपदा प्रबंधन योजना तैयार की है	
क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम
1.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
2.	मत्स्य पालन विभाग
3.	पशुपालन और डेयरी विभाग
4.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
5.	इस्पात मंत्रालय
6.	परमाणु ऊर्जा विभाग
7.	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की साझा योजना नामतः राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना)
8.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की साझा योजना नामतः राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना)
9.	आयुष मंत्रालय
10.	उर्वरक विभाग
11.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय
12.	कोयला मंत्रालय
13.	वाणिज्य विभाग
14.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
15.	दूरसंचार विभाग
16.	संस्कृति मंत्रालय

17.	रक्षा उत्पादन विभाग
18.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
19.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
20.	भारी उद्योग विभाग
21.	आंतरिक सुरक्षा विभाग
22.	राज्य विभाग
23.	राजभाषा विभाग
24.	गृह विभाग
25.	जम्मू, कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग
26.	सीमा प्रबंधन विभाग
27.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
28.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
29.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
30.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
31.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
32.	न्याय विभाग
33.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
34.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
35.	विद्युत मंत्रालय
36.	रेल मंत्रालय
37.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
38.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
39.	युवा कार्यक्रम विभाग
40.	अंतरिक्ष विभाग

41.	विदेश मंत्रालय
42.	लोक उद्यम विभाग
43.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
44.	ग्रामीण विकास विभाग
45.	श्रम और रोजगार मंत्रालय
46.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
47.	पंचायती राज मंत्रालय
48.	औषध विभाग
49.	भूमि संसाधन विभाग
50.	आर्थिक कार्य विभाग

क्र.सं.	घटनाओं का प्रकार	उपलब्धियां			
		बचाए गए	सुरक्षित निकाले गए	शव	मवेशी
1	बाढ़	10607	9445	73	737
2	डूबने के मामले	09	0	223	0
3	भूस्खलन	01	293	200	0
4	सीएसएसआर/भवन ढहना	09	8	28	0
5	नाव पलटना	152	0	21	15
6	बोरवेल की घटनाएं	03	0	0	0
7	मेला/उत्सव	0	0	0	0
8	आग लगने की घटनाएं	0	0	1	0
9	वाहन संबंधी घटनाएं	1	0	23	0
10	सीबीआरएन घटनाएं	0	0	2	0

11	चक्रवात	1085	गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में चक्रवात के दौरान सामूहिक निकासी में एनडीआरएफ की टीमों ने राज्य प्रशासन की सहायता की:- ताऊते - 2,51,973 व्यक्ति यास - 22,24,729 व्यक्ति गुलाब - 50,015 व्यक्ति	0	11
12	अन्य घटनाएं	19	924	0	2
	कुल	11886	10670	571	765

‘पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता’ की स्कीम के तहत जारी निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (दिनांक 31.12.2021 तक)
1.	अरुणाचल प्रदेश	3.42	1.03	0.00	0.00	0.00
2.	असम	5.48	5.67	0.00	0.00	0.00
3.	मणिपुर	1.98	5.99	10.75	0.00	0.00
4.	मेघालय	2.60	3.66	6.63	0.00	0.00
5.	मिजोरम	6.17	8.38	34.63	1.14	0.00
6.	नागालैंड	13.88	18.88	17.29	0.00	0.00
7.	सिक्किम	2.39	0.36	0.00	0.00	0.00
8.	त्रिपुरा	1.63	7.08	4.97	5.72	6.75
9.	जम्मू और कश्मीर	48.00	32.69	40.20	एन.ए.	एन.ए.
10.	हिमाचल प्रदेश	4.09	3.35	27.49	0.83	0.00
11.	उत्तराखंड	4.35	13.60	5.43	0.00	0.00
	कुल	93.99	100.69	147.39	7.69	6.75

अनुलग्नक- XVII

[संदर्भ पैरा 11.5]

‘पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता’ की स्कीम के तहत जारी निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (दिनांक 31.12.2021 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	31.62	50.81	75.36	5.73	0.00
2.	तेलंगाना	22.60	64.17	57.58	4.16	0.00
3.	बिहार	5.73	13.18	9.42	19.12	0.00
4.	छत्तीसगढ़	2.02	8.56	8.35	7.16	5.44
5.	गोवा	0.21	0.21	0.00	0.22	0.00
6.	गुजरात	33.05	52.62	41.19	0.00	0.00
7.	हरियाणा	14.04	12.95	18.48	0.00	0.00
8.	झारखंड	1.91	9.91	7.08	0.00	0.00
9.	कर्नाटक	17.12	11.39	14.61	9.14	31.43
10.	केरल	16.12	17.78	54.01	0.00	0.00
11.	मध्य प्रदेश	30.47	37.97	14.45	0.00	0.00
12.	महाराष्ट्र	9.78	9.58	65.98	0.00	0.00
13.	ओडिशा	19.87	35.10	42.45	0.00	0.00

14.	पंजाब	20.07	36.52	31.33	4.15	0.00
15.	गजस्थान	40.38	62.59	27.28	13.53	13.53
16.	तमिलनाडु	15.54	68.87	56.62	0.00	0.00
17.	उत्तर प्रदेश	28.20	118.67	62.81	32.02	32.02
18.	पश्चिम बंगाल	48.94	46.93	46.53	0.00	0.00
	कुल	357.67	657.81	633.53	95.23	82.42

अनुमानित जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि और नवजात मृत्यु दर, 2019

भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	जन्म दर			मृत्यु दर			प्राकृतिक वृद्धि दर			नवजात मृत्यु दर		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारत	19.7	21.4	16.4	6.0	6.5	5.0	13.8	14.9	11.4	30	34	20
बड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र												
1. आंध्र प्रदेश	15.9	16.2	15.2	6.4	7.1	4.8	9.5	9.1	10.4	25	28	19
2. असम	21.0	22.1	14.5	6.3	6.4	5.2	14.7	15.6	9.3	40	42	19
3. बिहार	25.8	26.5	21.2	5.5	5.6	5.2	20.2	20.9	16.0	29	29	27
4. छत्तीसगढ़	22.2	23.6	17.6	7.3	7.7	6.2	14.9	15.9	11.4	40	41	34
5. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	14.4	15.8	14.4	3.2	3.8	3.2	11.2	11.9	11.2	11	NA*	11
6. गुजरात	19.5	21.3	17.3	5.6	6.0	5.2	13.9	15.4	12.0	25	29	18
7. हरियाणा	20.1	21.4	17.9	5.9	6.6	4.8	14.2	14.9	13.1	27	30	23
8. जम्मू एवं कश्मीर, और लद्दाख	14.9	16.5	11.3	4.6	4.9	4.0	10.3	11.6	7.3	20	21	17
9. झारखंड	22.3	23.7	17.8	5.3	5.6	4.4	17.0	18.1	13.4	27	28	23
10. कर्नाटक	16.9	17.8	15.4	6.2	7.1	4.6	10.7	10.6	10.8	21	23	18
11. केरल	13.5	13.4	13.7	7.1	7.1	7.2	6.4	6.3	6.4	6	7	5
12. मध्य प्रदेश	24.5	26.4	19.0	6.6	7.0	5.6	17.9	19.4	13.4	46	50	32
13. महाराष्ट्र	15.3	15.6	15.0	5.4	6.2	4.4	10.0	9.5	10.5	17	22	12
14. ओड़ीशा	18.0	19.0	13.2	7.1	7.4	5.8	10.8	11.5	7.5	38	39	30
15. पंजाब	14.5	15.0	13.8	6.6	8.0	4.7	7.9	7.0	9.1	19	19	18
16. राजस्थान	23.7	24.7	21.1	5.7	6.0	4.9	18.0	18.7	16.2	35	38	25
17. तमिलनाडु	14.2	14.3	14.0	6.1	7.4	4.9	8.1	7.0	9.1	15	17	12
18. तेलंगाना	16.7	17.0	16.1	6.1	7.2	4.3	10.6	9.8	11.8	23	26	18
19. उत्तर प्रदेश	25.4	26.4	22.3	6.5	6.9	5.3	18.9	19.6	17.1	41	44	31
20. उत्तराखंड	17.1	17.5	16.1	6.0	6.4	5.1	11.0	11.1	10.9	27	28	26
21. पश्चिम बंगाल	14.9	16.4	11.5	5.3	5.2	5.5	9.6	11.2	6.1	20	21	18
छोटे राज्य												
1. अरुणाचल प्रदेश	17.6	18.1	15.2	5.8	6.0	4.4	11.8	12.1	10.8	29	30	24
2. गोवा	12.3	11.9	12.6	5.9	6.7	5.2	6.4	5.2	7.3	8	8	8
3. हिमाचल प्रदेश	15.4	15.9	10.1	6.9	7.1	3.9	8.5	8.8	6.2	19	20	15
4. मणिपुर	13.6	13.9	13.1	4.3	4.1	4.8	9.3	9.8	8.4	10	10	8
5. मेघालय	23.2	25.5	13.0	5.6	5.8	4.5	17.7	19.7	8.5	33	35	18

6. मिज़ोरम	14.5	17.1	11.8	4.0	3.9	4.1	10.5	13.2	7.7	3	3	2
7. नागालैंड	12.7	13.3	12.0	3.5	4.1	2.6	9.2	9.2	9.3	3	4	NA*
8. सिक्किम	16.5	14.8	19.0	4.2	4.7	3.4	12.3	10.2	15.7	5	7	3
9. त्रिपुरा	12.8	13.6	11.0	5.5	5.0	6.6	7.4	8.6	4.4	21	22	20
संघ राज्य क्षेत्र												
1. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	11.0	11.7	10.1	5.3	5.9	4.6	5.7	5.8	5.5	7	10	3
2. चंडीगढ़	13.0	18.3	12.9	4.0	2.2	4.0	9.1	16.1	8.9	13	5	13
3. दादर एवं नगर हवेली	21.9	19.3	24.0	3.7	4.4	3.1	18.2	14.9	20.9	11	17	8
4. दमन एवं दीव	18.6	15.2	19.3	4.1	5.9	3.7	14.5	9.3	15.6	17	18	17
5. लक्षद्वीप	14.8	20.2	13.4	5.6	7.6	5.1	9.2	12.6	8.3	8	10	8
6. पुद्दुचेरी	13.3	13.4	13.3	6.8	7.8	6.5	6.5	5.6	6.9	9	9	8

नोट: छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नवजात मृत्यु दर तीन वर्ष की अवधि 2017-19 पर आधारित है।

अनुलग्नक XIX
(संदर्भ पैरा 15.40)

लिंग और आवास के आधार पर जन्म के समय अनुमानित जीवनकाल, भारत और बड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, 2014-18

भारत और बड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल			ग्रामीण			शहरी		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
भारत	69.4	68.2	70.7	68.0	66.7	69.3	72.6	71.5	73.8
आंध्र प्रदेश	70.0	68.7	71.4	69.0	67.6	70.7	72.6	72.0	73.3
असम	66.9	66.1	67.9	65.8	64.9	66.7	73.7	73.1	74.5
बिहार	69.1	69.4	68.7	68.7	69.1	68.3	71.9	72.2	71.5
छत्तीसगढ़	65.2	63.7	66.6	64.3	62.9	65.6	68.5	67.2	70.1
दिल्ली	75.3	73.8	77.0	72.9	70.4	75.3	75.4	73.9	77.1
गुजरात	69.9	67.8	72.3	68.5	65.5	71.8	71.8	70.7	72.9
हरियाणा	69.8	67.7	72.3	68.6	66.5	71.1	71.9	69.7	74.4
हिमाचल प्रदेश	72.9	69.6	76.8	72.6	69.2	76.6	77.0	74.5	80.6
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	74.0	72.2	76.2	72.7	71.0	74.7	77.2	74.9	79.9
झारखंड	69.1	69.9	68.5	68.3	69.3	67.4	72.0	71.7	72.3
कर्नाटक	69.4	67.9	70.9	67.7	66.0	69.5	72.4	71.5	73.5
केरल	75.3	72.5	77.9	75.4	72.5	78.1	75.1	72.5	77.7
मध्य प्रदेश	66.5	64.8	68.5	65.3	63.4	67.4	70.5	69.2	72.0
महाराष्ट्र	72.5	71.3	73.8	71.1	70.0	72.2	74.4	72.9	76.0
ओडिशा	69.3	68.0	70.8	68.7	67.4	70.3	72.0	71.0	73.0
पंजाब	72.7	71.0	74.8	71.6	70.0	73.5	74.4	72.3	77.5
राजस्थान	68.7	66.5	71.6	67.6	65.1	70.3	72.2	71.8	72.8
तमिलनाडु	72.1	70.2	74.2	70.2	68.3	72.4	74.0	72.1	76.1
तेलंगाना	69.6	68.6	70.8	68.2	66.7	69.8	71.8	71.5	72.1
उत्तर प्रदेश	65.3	64.8	65.8	64.3	63.6	64.9	68.7	68.6	68.8
उत्तराखंड	70.9	67.9	74.3	70.7	67.4	74.4	71.1	69.1	73.5
पश्चिम बंगाल	71.6	70.7	72.6	70.5	69.4	71.7	73.8	73.2	74.4

* : भारत में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता/अनुशासनिक मामलों का ब्यौरा

क्र. सं.	मद	राजपत्रित		अराजपत्रित	
		मामले	अधिकारी	मामले	अधिकारी
1.	दिनांक 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार सतर्कता/अनुशासनिक मामलों की संख्या	228	240	1092	1145
2.	दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक शुरू किए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामले	57	61	3976	4032
3.	दिनांक 31.12.2021 तक निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामले	48	52	4068	4114
4.	दिनांक 31.12.2021 को सतर्कता/अनुशासनिक मामले (1+2-3)	237	249	1000	1063
5.	निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई (क्रम सं. 3 के ब्योरे के संदर्भ में)				
	(क) वृद्धावस्था	05	05	138	142
	(ख) निष्कासन	01	01	224	224
	(ग) अनिवार्य सेवानिवृत्ति	04	04	54	54
	(घ) पैक/वेतन आदि में कटौती	19	19	430	432
	(ङ.) वेतन वृद्धि रोकना	03	03	480	487
	(च) पदोन्नति रोकना	02	03	08	10
	(छ) वेतन से वृत्तली के आदेश	00	00	1035	1054
	(ज) निंदा	01	01	938	942
	(झ) चेतावनी	03	03	102	104
	(ञ) असंतोष	00	00	08	08
	(ट) दोषमुक्ति	05	08	146	146
	(ठ) मामलों का स्थानांतरण	00	00	05	05
	(ड) कार्यवाही रोकी गई	04	04	30	30
	(ढ) पेंशन में कटौती	01	01	00	00
	(ण) त्यागपत्र स्वीकृत	00	00	21	21

(त) यूनिट में बंद	00	00	55	55
(थ) क्वार्टर गार्ड में बंद	00	00	286	292
(द) अन्यत्र स्थानांतरण	00	00	10	10
(ध्र) स्थगन	00	00	32	32
(न) इंस्टी. एरिया से निष्कासन	00	00	49	49
(प) न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाही रोक दी गई	00	00	04	04
(फ) जांच के बाद बंद किए गए मामले/मृत्यु के कारण निपटाए गए/बेनामी/छद्म नाम वाले मामले/अतिरिक्त गार्ड/ड्यूटी से संबंधित मामले	00	00	13	13
कुल (क से फ)	48	52	4068	4114

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय के संगठनों के संबंध में बकाया निरीक्षण पैरा का ब्यौरा

क्र. सं.	संगठन का नाम	दिनांक 01.01.2021 की स्थिति के अनुसार लंबित निरीक्षण पैरा	दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 के दौरान प्राप्त निरीक्षण पैरा की संख्या	दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 के दौरान निपटाए गए निरीक्षण पैरा की संख्या	दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार लंबित निरीक्षण पैरा की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2083	514	829	1768
2	असम राइफल्स	177	27	31	173
3	बीपीआरएंडडी	24	0	1	23
4	बीएसएफ	412	73	55	430
5	सीआईएसएफ	391	62	24	429
6	सीआरपीएफ	281	35	11	305
7	चंडीगढ़	1690	725	316	2099
8	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव	1037	0	45	992
9	राजभाषा विभाग	58	0	18	40
10	आसूचना ब्यूरो	111	20	20	111
11	आईटीबीपी	141	49	43	147
12	लक्षद्वीप	208	0	5	203
13	गृह मंत्रालय (मुख्य)	30	0	0	30
14	एनसीआरबी	8	0	0	8
15	एनआईसीएफएस	14	0	0	14
16	एसवीपीएनपीए	16	0	0	16
17	एनएसजी	76	6	1	81
18	आरजीआई	306	116	50	372
कुल		7063	1627	1449	7241

अनुलग्नक-XXII

[संदर्भ पैरा 16.55]

पूर्व वार्षिक रिपोर्टों में शामिल लेखा-परीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर "की गई कार्रवाई संबंधी नोट" की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	उन पैरा/पीएसी रिपोर्टों की संख्या, जिनके संबंध में "की गई कार्रवाई संबंधी नोट (एटीएन)" लेखा-परीक्षा द्वारा पुनरीक्षण किए जाने के बाद पीएसी को प्रस्तुत किये गये	उन पैरा/पीएसी रिपोर्टों का ब्यौरा, जिनके संबंध में एटीएन लंबित हैं		
			उन एटीएन की संख्या, जिन्हें मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजा गया	उन एटीएन की संख्या जिन्हें भेजा गया था, किन्तु उन्हें टिप्पणियों सहित वापस भेजा गया और जो मंत्रालय द्वारा लेखा-परीक्षा को पुनः प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रतीक्षारत है।	उन एटीएन की संख्या, जिनका लेखा-परीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर दिया गया है, किन्तु उन्हें मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1	2016-17	17	0	0	0
2	2017-18	18	0	0	0
3	2018-19	18	0	0	0
4	2019-20	0	0	0	0
5	2020-21*	0	4	1	0

* नोट : उपर्युक्त 5 एटीएन के अलावा, 2 एटीएन लेखा-परीक्षा में लंबित हैं।

आज़ादी का
अमृत महोत्सव



भारत सरकार
गृह मंत्रालय

<https://mha.gov.in/> पर भी उपलब्ध